सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड
डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड
(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी)
मिनी रत्न कंपनी (कैट-I)

वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा विवरण

2020-2021

गहरी खुदाई

उच्च लक्ष्य

46वाँ वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण 2020-2021

46वीं वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण

2020-21

सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी)

मिनी रत्न कंपनी (**कैट-I**)

आईएसओ 9001 : 2015 प्रमाणित

गोन्दवाना प्लेस, काँके रोड

राँची - 834 031

सीआईएन : यू14292 जेएच1975 जीओआई 001223

वेबसाइट : www.cmpdi.co.in

विजन

बढ़ते भू-संसाधन के क्षेत्र तथा संबंधित (व्यवसायिक) क्रिया-कलापों में वैश्विक बाजार का नेतृत्व करना ।

मिशन

प्रमुख परामर्शदाता के रूप में भारत तथा अंतराष्ट्रीय परिदृश्य में भी कोयला, गवेषण, खनन, अभियंत्रण तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में संपूर्ण परामर्शी सेवा प्रदान करना।

सीएमपीडीआईएल की प्रबंधन नीति

कोयला एवं अन्य खनिज संसाधन के गवेषण तथा खान आयोजन, डिजाइन, सम्ब) अभियंत्रण तथा प्रबंधन प्रणाली में परामर्श उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सीएमपीडीआईएलविस्तृत भू–संसाधन क्षेत्र तथा अन्य व्यावसायिक क्रिया–कलापों में बाजार में अग्रणी बनने की ओर अग्रसर है।

हम निम्नलिखित कार्यों के लिए प्रतिबद्ध हैं :-

कोयला और अन्य खनिज संसाधनों के गवेषण तथा खान आयोजन (माइन प्लानिंग, डिजाइन, संबद्ध अभियंत्रण) डिजाइन संबद्ध अभियंत्रण तथा प्रबंधन प्रणाली में परामर्श सेवा देने के उद्देश्य से सीएमपीडीआईएल बढते भू–संसाधन क्षेत्र तथा अन्य व्यावसायिक क्रिया–कलापों में अग्रणी परामर्शदाता के रूप में बाजार नेता (मार्केट लीडर) बनने का प्रयास कर रहा है। हम निम्नलिखित के प्रति समर्पित हैं :

1. पर्यावरण, सूचना सुरक्षा तथा ऊर्जा उपलब्धि पर सम्यक (यथोचित) ध्यान देते हुए अपने परामर्श एवं अन्य सहायता सेवाओं की गुणवत्ता में सत्त् सुधार लाना।
2. उत्पन्न अपशिष्ट में लगातार (दृढ़तापूर्वक) कमी लाकर, पुनः उपयोग कर तथा उसके कुछ भाग को पुनर्चक्रित (रिसाइक्लिंग) कर हमारे कार्यों द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले विपरित प्रभाव को कम कर पर्यावरण के संरक्षित करना।
3. गुणवत्ता, पर्यावरण, ऊर्जा तथा सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के उद्देश्य एवं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराना।
4. व्यापार निरंतरता को बनाए रखने के लिए खतरों (जोखिम) तथा व्यवधान से अपनी सूचना संपदा (परिसम्पत्ति) को बचाए रखने तथा सूचना सुरक्षा उपलब्ध (कार्यनिष्पादन) में सत्त् सुधार लाने।
5. कानूनी एवं अन्य सभी प्रयोज्य (लागू) आवश्यकताओं (अपेक्षाओं) के अनुपालन।

कोल इंडिया लिमिटेड के शेयर होल्डरों के लिए सामान्य नोट

सीएमपीडीआईएल की वार्षिक लेखा विवरण जाँच के लिए मुख्यालय में रखा रहेगा तथा कोल इंडिया लिमिटेड के किसी भी शेयर होल्डर के माँगने पर जानकारी देने के लिए भी उपलब्ध रहेगा।

विषय-सूची

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	2020–2021 के दौरान प्रबन्धन	01
2.	28.07.2021 के अनुसार निदेशक मंडल के सदस्य	02
3.	बैंकर्स, अंकेक्षक तथा पंजीकृत कार्यालय	03
4.	46वाँ वार्षिक आम बैठक की सूचना	04
5.	अध्यक्ष का कथन	07
6.	उपलब्धि : एक नजर में	18
7.	वित्तीय पर्यवेक्षण एवं सांख्यिकी	19
8.	निदेशक–मंडल की रिपोर्ट	21
9.	निदेशक–मंडल की रिपोर्ट की अनुसूची	117
10.	सीईओ एवं सीएफओ प्रमाण–पत्र	123
11.	निगमित शासकीय प्रमाण–पत्र	124
12.	सांविधिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट एवं प्रबंधन का उत्तर तथा सचिवीय अंकेक्षकों की रिपोर्ट	132
13.	धारा 143 (6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ तथा प्रबंधक का उत्तर	155
14.	निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर वार्षिक रिर्पोट	157
15.	लेखे का अंकेक्षित विवरण	176
16.	नकद प्रवाह (कैशफ्लो) विवरण के साथ–साथ लेखे पर टिप्पणी	183
17.	महत्वपूर्ण लेखा नीति तथा खण्डवार विवरण सहित लेखे पर टिप्पणी	217

31.03.2021 के अनुसार निदेशक मंडल

अधयक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

शेखर सरन

कार्यकारी निदेशक

श्री आर.एन. झा

श्री ए.के. राणा

श्री एस.के. गोमास्ता

अंशकालिक सरकारी निदेशक

श्री बिनय दयाल

श्री मुकेश चौधरी

स्वतंत्र निदेशक

डा. के.सी. पाण्डेय

श्रीमती अलका पण्डा

श्री प्रमोद सिंह चौहान

स्थाई आमंत्रित सदस्य

श्री अजितेश कुमार

कंपनी सचिव

श्री अभिषेक मुंधड़ा

वर्ष 2020-2021 के दौरान प्रबंधन

कार्यकारी निदेशक

श्री श्री शेखर सरन	: अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (01.01.2016 से 30.04.2021 तक)
श्री रवीन्द्र नाथ झा	: निदेशक (तकनीकी) (30.01.2019 से)
श्री अनिल कुमार राणा	: निदेशक (तकनीकी) (01.08.2019 से)
श्री सतेन्द्र कुमार गोमास्ता	: निदेशक (तकनीकी) (25.02.2020 से)
श्री कौशलेन्द्र कुमार मिश्र	: निदेशक (तकनीकी) (11.10.2018 से 31.01.2021 तक)

अंशकालिक सरकारी निदेशक

श्रीश्री विनय दयाल	: निदेशक (तकनीकी) (09.11.2017 से)
श्री मुकेश चौधरी	: निदेशक (सीएलडी), कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली (26.05.2020से)
डा. अनिंद्‌य सिन्हा	: परियोजना सलाहकार, कोयला मंत्रालय (05.02.2018 से 01.05.2020 तक)

अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

डॉ. कृष्ण चन्द्र पाण्डेय	: स्वतंत्र निदेशक (10.07.2019 से)
श्रीमती अलका पाण्डा	: स्वतन्त्र निदेशक (10.07.2019 से)
श्री प्रमोद सिंह चौहा्न	: स्वतंत्र निदेशक (16.10.2019 से)

स्थायी आमंत्रित सदस्य

श्री अजीतेश कुमार	: उप सचिव, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली (13.01.2020 से)

कम्पनी सचिव

श्री अभिषेक मुंधड़ा	: प्रबंधक (वित्त)/कंपनी सचिव (18.02.2016 से)

28.07.2020 के अनुसार बोर्ड के सदस्य

कार्यकारी निदेशक

श्री विनय दयाल	:	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) (19.07.2021 के अपराह्न से)
श्री रवीन्द्र नाथ झा	:	निदेशक (तकनीकी)
श्री अनिल कुमार राणा	:	निदेशक (तकनीकी)
श्री सतेन्द्र कुमार गोमास्ता	:	निदेशक (तकनीकी)

अंशकालिक सरकारी निदेशक

श्री विनय दयाल	:	निदेशक (तकनीकी), कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता
डा. मुकेश चौधरी	:	निदेशक (सीएलडी), कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली

गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक

डॉ. कृष्ण चन्द्र पाण्डेय	:	स्वतंत्र निदेशक
श्रीमती अलका पाण्डा	:	स्वतंत्र निदेशक
श्री प्रमोद सिंह चौहान	:	स्वतंत्र निदेशक

स्थायी आमंत्रित सदस्य

श्री अजीतेश कुमार	:	उप सचिव, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली

कम्पनी सचिव

श्री अभिषेक मुंधड़ा	:	प्रबंधक (वित्त)/ कंपनी सचिव

निगमित सूचना

निबंधित कार्यालय

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि0,
गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची– 834 031,
(झारखण्ड), भारत

सीआईएन : यू 14292 जेएच 1975
जीओआई 001223
वेबसाइट : www.cmpdi.co.in

बैंकर्स

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
केनरा बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
आईडीबीआई बैंक
एक्सिस बैंक
एचडीएफसी बैंक

आडिटर

सांविधिक अंकेक्षक
मेसर्स लोधा पटेल, बाधवा एंड कंपनी, राँची

सचिवीय अंकेक्षण
मेसर्स सतीश कुमार एंड एसोसिएट्स, राँची

कॉस्ट अंकेक्षक
मेंसर्स एम एम एंड एसोसिएट, दिल्ली

जीएसटी अंकेक्षक
मेंसर्सएम एम एंड एसोसिएट, दिल्ली

टैक्स अंकेक्षक
मेसर्स लोधा पटेल, बाधवा एंड कंपनी

डिपोजिटरी
मेसर्स नेशनल सिक्यूरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड

रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रान्सफर एजेंट
मेसर्स एनएसडीएल डाटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड

आईएसआईएन
INE05HV01019

46वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड के शेयर धारकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कारोबार के संचालन के लिए विडियो कॉन्फ्रेंसिग/ओएवीएम के जरिए कंपनी की **46वीं वार्षिक आम बैठक बुधवार दिनांक 28 जुलाई, 2021 के पूर्वाह्न 10.15 बजे कंपनी के निबंधित कार्यालय, राँची** में आयोजित की जाएगी।

क. सामान्य कार्यः

1. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय विवरण के साथ–साथ भारत के सांविधिक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर विचार करना तथा अंगीकार करना।
2. मार्च, 2021 में कंपनी के 14,28,000 इक्विटी शेयर पर प्रतिशेयर 453.57 (डिविडेंड प्रति शेयर) की दर से 64.77 करोड़ रू. के अंतरिम लाभांश (डिविडेंड) का भुगतान की संपुष्टि करने के लिए और 30.32 करोड़ रू. बोर्ड द्वारा अनुशंसित अंतिम लाभांश के भुगतान को मंजूरी देना यानि 212.33 रूपये प्रति शेयर जुलाई, 2021 में 14,28,000 इक्विटी शेयरों पर इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2020–21 लाभांश (डिविडेंड) के रूप में कुल 95.09 करोड़ रू. हुआ।
3. श्री आर.एन.झा (डीआईएन 05195902) पूर्णकालिक निदेशक, के स्थान पर जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) के चक्रानुक्रम की शर्तों के अनुसार सेवा–निवृत्त हुए हैं, जो पुनर्नियुक्ति के लिए पेश किए।
4. श्री ए.के.राणा (डीआईएन 08531295) पूर्णकालिक निदेशक, के स्थान पर जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) के चक्रानुक्रम की शर्तों के अनुसार सेवा–निवृत्त हुए हैं, जो पुनर्नियुक्ति के लिए पेश किए।

ख. विशेष कार्य :

1. **वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित कास्ट आडिटरों की पारिश्रमिक की संपुष्टि यदि विचार किया गया तथा उपयुक्त पाया गया तो निम्नलिखित संकल्प को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना :-**

   ''संकल्प किया गया कि वित्तीय वर्ष 2020–21 और 2021–22 के लिए लागत लेखा परीक्षकों की मेसर्स एमएम एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली को को 15.09.2020 को आयोजित अपनी 239वीं बोर्ड बैठक में लागत लेखा परीक्षकों की मेसर्स एमएम एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली को बोर्ड द्वारा अनुमोदित पारिश्रमिक 6,00,000/– रू. प्रतिवर्ष + लागत लेखा परीक्षा आसीसीएस समीक्षा के लिए लागू कर और कुल शुल्क की 50 प्रतिशत की सीमा तक जेब खर्च (ऊपरी खर्च) होगा, को एतद् द्वारा संपुष्ट किया जाता है''।

   उपर्युक्त निर्धारित विशेष कार्य व्यापार के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

ध्यातव्यः 1 देश में जारी कोविड 19 के चलते महामारी के कारण उत्पन्न वर्तमान असाधारण परिस्थिति को ध्यान में रख कर कंपनी के 18 (प्रबंधन एवं प्रशासन के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 108 प्रावधान तथा क्रमशः सामान्य परिपत्र सं : 17/2020, दिनांक 8 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र सं : 17/2020, दिनांक 08 अप्रैल, 2020 तथा सामान्य परिपत्र सं : 17/2020 5 मई, 2020 13 जनवरी, 2021 के अनुसार कंपनी को बीसी/ओएवीएम के जरिए वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अनुमति दी गई। सेंट्रल मूाइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट के शेयर होल्डर, निदेशक सचिवीय अंकेक्षक सहित अंकेक्षक बैठक

में उपस्थिति होने/मद देने के हकदार है, वे Cosecretary.cmpdi/coalindia.in को ईमेल भेज कर बैठक में विचार किए गए मदों पर सिर्फ ऐसी स्थिति में अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिए विडियो कन्फ्रेन्सिग (वीसी) या अन्य दृष्य श्रव्य माध्यम (ओएवीएम) के जरिए बैठक में भाग ले सकते हैं या मद दे सकते हैं।

चूँकि यह एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एमसीए परिपत्रों के अनुसार आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की भौतिक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा एजीएम के लिए उपलबध नहीं होगी और इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं हैं। हालांकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 और 113 के अनुसरण में सदस्यों के प्रतिनिधियों को वीसी या ओएवीएम के माध्यम से भागीदारी और मतदान के लिए नियुक्त किया जा सकता है। वीसी या ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए कंपनी के अधिकृत ई–मेल आईडी से पहले से लिं प्रदान किया जाएगा और बैठक में शामिल होने की सुविधा बैठक शुरू होने के लिए निर्धारित समय से कम–से–कम 15 मिनट पहले से खुली रखी जाएगी और निर्धारित समय के 15 मिनट बाद बंद नहीं किया जाएगा।

2. सदस्यों से अनुरोध हे कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101(1) के अनुसार अल्पकालिक सूचना पर बैठक आयोजित करने के लिए अपनी सहमत प्रदान करें।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
वास्ते– सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

(अभिषेक मुंधड़ा)
कंपनी सचिव

दिनांक : 21.07.2020
स्थान : राँची

वितरण :

सभी शेयर धारकों
कंपनी के सभी निदेशकों
कंपनी के सांविधिक अंकेक्षक
कंपनी के सचिवीय अंकेक्षक
कंपनी के लागत अंकेक्षक
महाप्रबंधक (वित्त)/सीएफओ

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या-बी (1) : निदेशक-मंडल द्वारा निर्धारित वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए कॉस्ट आडिट लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की संपुष्टि।

सीएमपीडीआईएल के निदेशक मंडल ने दिनांक : 15.09.2020 को आयोजित अपनी 239वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2020–21 और 2021–22 के कॉस्ट अंकेक्षण करने के लिए अंकेक्षण समिति की सिफारिश के बाद मेसर्स एमएम एंड एसोसियटस, नई दिल्ली की नियुक्ति की मंजूरी दी जिसके लिए पारिश्रमिक 6,00,000/– रू. प्रतिवर्ष + लागत लेखा परीक्षा आईसीसीएस समीक्षा के लिए लागू कर और कुल शुल्क की 50 प्रतिशत की सीमा तक जेब खर्च (ऊपरी खर्च) होगा, को एतद् द्वारा संपुष्ट किया जाता है।

कोई भी निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार संकल्प में रूचि या वास्ता नहीं हैं। बोर्ड ने सदस्यों के अनुमोदन के लिए संकल्प की अनुशंसा कर दी।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
वास्ते– सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

(अभिषेक मुंधड़ा)
कंपनी सचिव

अध्यक्ष का कथन

श्री विनय दयाल
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)

प्रिय शेयरधारक,

सीएमपीडीआईएल की 46वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 की कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि की निदेशक मंडल की रिपोर्ट, अंकेक्षित (ऑडिट) लेखे की रिपोर्ट के साथ–साथ सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट एवं समीक्षा पहले ही कंपनी के शेयरधारकों को दी जा चुकी है।

1.0 विकास की रूप-रेखा:

संपूर्ण भारतीय खनन उद्योग को एक ही छत के नीचे विस्तृत प्लानिंग सेटअप के रूप में सीएमपीडीआईएल की स्थापना का विचार एवं प्रस्ताव मूलतः 1972 में पोलैंड के विशेषज्ञों वाले संयुक्त अध्ययन दल द्वारा आया। इसके बाद सीएमपीडीआईएल की स्थापना 1 नवम्बर, 1975 को की गई।

आपकी कंपनी द्वारा कोयले के गवेषण, खान आयोजन एवं अभिकल्पन, पर्यावरण अभियांत्रिकी, कोयले का परिष्करण एवं उपयोग, संबंधित अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग) सेवाएँ, सूचना एवं संचार, प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास, सुदूर संवेदन, क्षेत्र सेवा आंदि में कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों को घरेलू परामर्श सेवाएँ देती रही है। सीआईएल से बाहर के ग्राहकों को भी इसी प्रकार की सेवाएँ दी जा रही है।

कुछ हद तक धात्विक खनन उद्योग को भी आयोजना प्लानिंग एवं सम्बद्ध सेवाएँ दी जा रही है। इसके अतिरिक्त, सीएमपीडीआईएल गैर–सीआईएल ब्लॉक, कोयला आधारित गैर–पारंपरिक ऊर्जा संसाधन यानि सीबीएम, सीएमएम यूसीजी शेल गैस से संबंधित इसी प्रकार की सेवाएँ कोयला मंत्रालय तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को भी दे रहा है।

सीएमपीडीआईएल के गठन के बाद के वर्षों के दौरान बड़ी खुली खान तथा भूमिगत खान परियोजना के लिए संयुक्त प्लानिंग कार्य करने हेतु पूर्ववर्ती यूएसएसआर के जिप्रोशाख्त, पोलैंड के कोपेक्स तथा ब्रिटेन के ब्रिटिश माइनिंग कन्सल्टेंट जैसे उन्नत (अग्रणी) कोयला खनन वाले देश के संस्थानों के साथ द्विपक्षीय समझौते के जरिए अपने योजनाकारों एवं अभियंताओं की विशेषज्ञता का स्तर बढ़ाया गया। सीएमपीडीआईएल के कार्मिकों की विशेषज्ञता के स्तर को बढ़ाने के अतिरिक्त, कम्प्यूटर एवं प्रयोगशाला सुविधा की स्थापना के द्वारा महत्वपूर्ण आधारभूत सुविधा का निर्माण किया गया। इन सब उपायों से सीएमपीडीआईएल एक ही छत के नीचे खनिज एवं खनन के क्षेत्र में संपूर्ण

समाधान करने वाला अद्वितीय कंपनी बन गया है। फिर भी, विश्वव्यापी व्यावसायिक वातावरण में आए बदलाव के कारण 1990 के दशक में इस तरह के द्विपक्षीय समझौते महत्वहीन हो गए हैं एवं अपनी गति खो चुके हैं। कर्मियों की सेवा–निवृत्ति, कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य अनुषंगी कंपनियों में स्थानान्तरण तथा युवा अभियंताओं की बहाली नहीं होने के कारण 90 के दशक में कार्यकुशल श्रमशक्ति के मामले में कंपनी की शक्ति में कमी आने लगी जो काफी समय तक चलती रही।

कुल मिलाकर, बदलते व्यापार परिवेश एवं उसके परिणामस्वरूप देश तथा विदेश के खनन क्षेत्र में अवसर में आए बदलाव के चलते यहाँ से विशेषज्ञों का पलायन और बढ़ गया, जो अगले 5–6 वर्षों तक जारी रहा। फिर भी, कंपनी अपनी सेवाओं एवं सुविधाओं को उत्कृष्ट स्तर तक बढ़ाने के प्रति पूर्णतः समर्पित है ताकि भारत तथा विदेश में व्यापार के वातावरण में बदल रहे परिदृष्य के साथ सामांजस्य बैठाया जा सके। इस कथन की इस तथ्य से पुष्टि की जा सकती है कि यह कंपनी कुछ संभव सीमा तक कम्प्यूटरीकरण के साथ–साथ उच्च उत्पादकता वाले ड्रिल, 2डी/3डी सिसमिक सर्वे प्रौद्योगिकी गवेषण तथा खनन उद्योग से संबंधित साफ्टवेयर के प्रयोग के अलावा पर्यावरणिक सुविधा से संबंधित उपकरण को बढ़ाने, कोयले का गुण निर्धारण एवं आईएसओ मानक शामिल करने में सक्रिय रूप से लगी रही है।

सीएमपीडीआईएल के प्रमुख क्रिया–कलापों में से एक ड्रिलिंग की क्षमता, जिससे भावी कोयला उत्पादन की आवश्यकता के लिए कोल ब्लॉक के अनुमान करने में मदद मिलती है, लगभग 2 लाख मीटर प्रतिवर्ष (04–05 में 2.02 लाख मीटर से 07–08 में 2.09 लाख मीटर) के आस–पास थी तथा बिक्री लगभग 150 से 200 करोड़ रूपये (2004–05 में 151 करोड़ रूपए तथा 2007–08 में 196 करोड़ रूपए) थी। ड्रिलिंग में योगदान सिर्फ विभागीय संसाधन का ही था। 11वीं योजना के प्रारंभ में यह विचार आया कि संसाधनों को तेजी से प्रमाणित करने की आवश्यकता को ध्यान में रख कर, खासकर गवेषण के क्षेत्र में सीएमपीडीआईएल की भूमिका में काफी वृद्धि करने की जरूरत होगी। तद्नुसार, विभागीय क्षमता को बढ़ाने के अलावा एमईसीएल सहित अन्य एजेंसियों की ड्रिलिंग क्षमता का उपयोग कर संपूर्ण ड्रिलिंग क्षमता में वृद्धि करने पर बल दिया गया तथा निजी एजेंसियों को ड्रिलिंग कार्य का कुछ भाग आऊटसोर्स कर ड्रिलिंग शुरू किया गया। इसी के साथ–साथ सीएमपीडीआईएल की कोयला कोर जाँच की क्षमता भी बढ़ायी गयी। कुल मिलाकर स्वदेशी तथा आयातित उपकरण के जरिए अन्य प्रयोगशालाओं जैसे पर्यावरण, सीबीएम खनन प्रौद्योगिकी आदि की क्षमता को भी बढ़ायी गयी है।

इसके बाद प्रशासकीय मंत्रालय यानि कोयला मंत्रालय भी सीएमपीडीआईएल की गवेषण क्षमता बढ़ाने के लिए एक योजना लेकर आया, जहाँ वर्ष 2015–16 तक विभागीय ड्रिलिंग क्षमता 4 लाख मीटर सहित 15 लाख मीटर तक बढ़ाई जानी थी। सीएमपीडीआईएल ने पूर्व के वर्ष में की गई ड्रिलिंग की तुलना में वर्ष 2016–17 में 13 प्रतिशत वृद्धि दर्ज कर 11.26 लाख मीटर, वर्ष 2017–18 में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 21 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कर 13.66 लाख मीटर तथा वर्ष 2018–19 में 13.60 मीटर ड्रिलिंग तथा 2019–20 में 12.94 कर लिया।

वर्ष 2020–21 के लिए एमओयू का लक्ष्य 11.00 लाख मीटर की तुलना में 12.48 लाख मीटर ड्रिलिंग की गई जो कोविड–19 के प्रतिबंधों तथा नेशनल लॉक डाउन के बाजूद लक्ष्य का 113 प्रतिशत है, संचयी वार्षिक वृद्धि दन 2006–07 (10वीं योजना अवधि के अंत में) 2.06 लाख मीटर की उपलब्धि से लगभग 14 प्रतिशत ज्यादा है।

व्यापारिक गतिशीलता पर पुनरावलोकन की आवश्यकता के कारण रणनीतिक व्यापारिक योजना बनाई गई। संभावित जोखिमों का विश्लेषण करने के बाद सीएमपीडीआईएल ने उन कार्यों तथा उनके कर्त्ता की रूपरेखा तैयार उद्यम जोखिम प्रबंधन योजना बनाई है, जिन्हें हम किसी संगठन से अपने जोखिम कामूल्यांकन, पहचान, प्राथमिकता देने, प्रशमन करने तथा मानिटरिंग करने की अपेक्षा रखते हैं। इसके साथ – ही – साथ विविधिकरण के बावजूद निकट भविष्य में संपूर्ण रूप से कोयला क्षेत्र के हितों के लिए कंपनी को अपनी विशिष्टता भी बनाए रखनी होगी।

2.0 वित्तीय उपलब्धि:

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आपकी कंपनी ने 414.49 करोड़ कर के पूर्व लाभ सहित 1488.60 करोड़ रू. का अधिकतम टर्न ओवर हासिल किया है। आपकी कंपनी का मूल्य 31.3.2020 के अनुसार 570.31 करोड़ रू. (25.80 करोड़ की विस्तृत अन्य आय पर विचार करने के बाद)से बढ़कर 31.3.2021 को 784.47 करोड़ रू. (18.68 करोड़ की विस्तृत अन्य आय पर विचार करने के बाद) हो गया है। प्रतिशेयर अर्जन गत वर्ष 1354.27 (14,28,000 शेयर पर परिकलित) से बढ़कर विवेच्य वित्तीय वर्ष के दौरान 2219.61 (14,28,000 शेयर पर परिकलित) हो गया।

3.0 ड्रिलिंग उपलब्धि:

वर्ष 2020–21 के दौरान एमओयू लक्ष्य 11.00 लाख मीटर की तुलना में 12.48 लाख मीटर ड्रिलिंग किया गया, जिसमें विभागीय ड्रिलों के जरिए 614 मीटर! ड्रिल/माह की उत्पादकता सहित 4.85 लाख मीटर डिलिंग शामिल है, जो एमओयू लक्ष्य का 113 प्रतिशत है।

वर्ष 2019–20 के दौरान प्राप्त करीब 28 लाइन किलो मीटर की तुलना में लगभग 295 लाइन किलो मीटर 2डी/3डी सिसमिक सर्वेक्षण किया गया। मुख्यतः कोविड–19 के कारण देशव्यापी लॉक डाउन वन स्वीकृति तथा स्थानीय ग्रामीणों के मुद्दे के कारण 2डी/3डी सिसमिक सर्वेक्षण पर प्रभाव पड़ा।

26 भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट की तैयारी कर लगभग 13.1 बिलियन टन अतिरिक्त कोयला संसाधन को 304 वर्ग किलोमीटर में प्रमाणित श्रेणी में लाया गया है, अपनी स्थापना के बाद से सीएमपीडीआईएल द्वारा यह अब तक सबसे अधिक कोयला संसाधन प्रमाणित किया गया है।

सीएमपीडीआईएल ने विभिन्न कोयला ब्लॉकों में एमईसीएल को 1 लाख मीटर प्रतिवर्ष गवेषणात्मक ड्रिलिंग करने के लिए (देने) 6 जनवरी, 2009 को एमईसीएल के साथ दीर्घकालीन समझौता ज्ञापन किया है, जिसे बढ़ाकर 4.0 लाख मीटर प्रतिवर्ष किया जाना है। राष्ट्रीय 112 ब्लॉक के लिए कार्यादेश दे दिया गया है, जिसमें लगभग 44 लाख मीटर ड्रिलिंग तथा वर्ष 2007–08 में 1967 लाइन किलो मीटर 2डी/3डी सिसमिक सर्वेक्षण शामिल है।

4.0 परियोजना रिपोर्ट:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लगभग 169 मिलियन टन प्रतिवर्ष अतिरिक्त क्षमता वृद्धि वाली कुल 33 परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई। इन 33 परियोजना रिपोर्टों में से 27 परियोजना रिपोर्ट खुली खदानों के हैं, परियोजना रिपोर्ट भूमिगत (यूजी) खान के हैं। रिपोर्ट में से एक परियोजना यानी अमेलिया की योजना गैर सीआईएल खान के लिए बनाई गई है। 27 खुली खान परियोजना रिपोर्ट में कोल इंडिया लिमिटेड की 4 बड़ी परियोजनाएँ (10 एमटीवाई या इससे अधिक क्षमता वाली जैसे आरजीबी (75 एमटीवाई), अशोक विस्तारण (20 एमटीवाई) बलभद्र ओसी (10 एमटीवाई तथा खादिया विसतारण (16 एमटीवाई) शामिल है। 6 भू.ग. परियोजना में से 2 को सीएसएलडब्ल्यू टेक्नोलॉजी तथा 4 पीआर एम टेक्नोलॉजी वाली परियोजना है।

5.0 प्रयोगशालाओं का उन्नयन:

सीएमपीडीआईएल की सभी प्रयोगशालाओं को उन्नत कर दिया गया है। परिष्कृत उपकरणों से सुसज्जित कर रासायनिक गुण–निर्धारण प्रयोगशाला को उन्नत कर लिया गया था तथा इसकी क्षमता बढ़ा दी गई है। रासायनिक गुण निर्धारण प्रयोगशाला सेम्पल प्रेपरेशन यूनिट में ऑटोमेशन लगाकर कोयला कोर विश्लेषण क्षमता बढ़ाने की अपनी योजना को कार्यान्वित कर रही है। रैपिड अनालाइजर लगाने से अधिक संख्या में नमूनों के विश्लेषण होने लगेगा। यह प्रयोगशाला पूरी तरह परिचालित प्रतिवर्ष लगभग 24000 मी. कोयला कोर संसाधित कर रही है। यह प्रयोगशाला सेम्पल प्रेपरेशन यूनिट, प्रोक्सिमेट अनालाइजर, अल्टिमेट अनालाइजर बम्ब कैलोरीमीटर, ऐश फ्यूजन टेम्परेचर रेंज अनालाइजर और स्वेलिंग इन्डेक्स, एलटीजीके, एचआईजी क्रासिंग प्लाइन्ट टेम्परेचर निर्धारित करने वाले उपकरणों से सुसज्जित

है। इसमें राख के विश्लेषण के लिए एक्सरे फ्लूओरेंसेंस तथा ट्रेस एलिमेंट अध्ययन और तरल तथा ठोस नमूनों में पारे की मात्रा (एचजी) को निर्धारित करने के लिए डायरेक्ट मरकरी अनालाइजर लगा दिया गया है। आधुनिकतम (स्टेट–ऑफ–आर्ट) उपकरण से सुसज्जित पेट्रोग्राफी प्रयोगशाला कोयला नमूनों में मरसेरल कन्टेंट तथा रेफ्लेक्टेन्स प्रतिशतता निर्धारित करने के लिए पेट्रोग्राफिक विश्लेषण कर रहा है। कोयले की कोकिंग प्रकृति को निर्धारित करने के लिए पेट्रोग्राफिक अध्ययन अनिवार्य है। यह कोक बनाने के लिए बेन्ड निर्धारित करने में उपयोगी है। सीएमपीडीआईएल के क्षेत्रीय संस्थान–7, भुवनेश्वर में नई रासायनिक विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला (न्यू केमिकल एनालिटिकल लैब) की भी स्थापना की गई है। कोयला कोर के विश्लेषण के लिए सीएमपीडीआईएल ने दो वर्षों के लिए आईआईटी, खड़गपुर के साथ एमओयू किया है, जो सीएसआईआर सीआईएमएफआर के साथ एमओयू के अतिरिक्त है।

12 भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में ''जाँच'' के क्षेत्र में सुविधा के लिए भू–रासायनिक प्रयोगशाला को मानक आईएसओ/आईईसी 17025 : 2017 के अनुसार एनएबीएल प्रमाण–पत्र से नवाजा गया है। पेट्रोग्राफी प्रयोगशाला को कोयला एवं कार्बनिक पेट्रोग्राफी की अन्तर्राष्ट्रीय समिति (आईसीसीपी) द्वारा मान्तया दी जा चुकी है।

कोयला एवं खनिज परिष्करण (प्रेपरेशन) प्रयोगशाला को मई, 2019 में आईएसओ/आईईसी 17025:2017 के अनुसार एनएबीएल द्वारा मान्यता मिल चुकी है। परीक्षण परिणाम को आपसी स्वीकृति लायक बनाने के लिए ऐसी मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा प्राप्त मान्यता को पहला आवश्यक कदम माना गया है। विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों में स्थित एनडीटी सेल को भी अपेक्षित उपकरण तथा संसाधन देकर सशक्त किया जा रहा है।

सीएमपीडीआईएल के वर्तमान पर्यावरण प्रयोगशाला को परिष्कृत (स्टेट–ऑफ–आर्ट) प्रौद्योगिकी से सुसज्जित एवं सशक्त कर दिया गया है। सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय, क्षेत्रीय संस्थान–1, क्षे.सं.–4, क्षे.सं.–7 के प्रयोगशाला को एनएबीएल द्वारा मान्यता दी जा चुकी है। सीएमपीडीआईएल के क्षे.सं.–II तथा क्षे.सं.–6 स्थित पर्यावरणिक प्रयोगशाला के लिए एनएबीएल मान्यता दिलवाने की कार्रवाई चल रही है। सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय के पर्यावरण प्रयोगशाला के लिए सीपीसीबी मान्यता प्राप्त की जा चुकी है।

सीबीएम/शेल गैस से संबंधित अध्ययन, रिजर्वायर गुण निर्धारण तथा सीबीएम एवं शेल गैस संसाधन के मूल्यांकन करने से संबंधित सभी पारामेट्रिक डाटा के निर्माण को सुलभ बनाने के लिए सीएमपीडीआईएल में एक आधिकतम प्रयोगशाला कार्य कर रही है। सीएमपीडीआईएल की क्षमता एवं दक्षता को और बढ़ाने के लिए सीएमपीडीआईएल तथा सीएसआईआरओ, अस्ट्रेलिया द्वारा एसएंडटी वित्त पोषित परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

6.0 श्रमशक्ति की भर्ती:

गवेषण, आयोजना एवं अभिकल्पन (प्लानिंग एंड डिजाइन) के साथ–साथ संबद्ध अभियंत्रण सेवाओं में श्रमशक्ति की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया गया है। वर्ष 2020–21 के दौरान सीएमपीडीआईएल में स्थानान्तरण के द्वारा 19 अधिकारियों को पदस्थापित किया गया है। इसी प्रकार भर्ती/अनुकम्पा के आधार पर नौकरी/अन्य अनुषंगी कंपनियों से स्थानांतरण के द्वारा 80 गैर–अधिकारी वर्ग के कर्मचारियों को पदस्थापित किया गया है, तथा और अधिक श्रमशक्ति जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है।

7.0 जियोमेटिक्स सेवाएँ:

प्रति वर्ष 5 मिलियन घन मीटर (कोयला+ओबी) से अधिक उत्पादन करने वाली कोल इंडिया लिमिटेड की सभी खुली खानों में वर्ष 2008 से वार्षिक आधार पर भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग के लिए प्रति वर्ष उपग्रह– निगरानी की जा रही है। इसके बाद 2011 से तीन वर्ष के अंतराल पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिवर्ष 5 मिलिटन घन मीटर (कोयला़ओबी) से कम उत्पादन करने वाली खुली खानों की भी भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग का कार्य शुरू किया गया है।

तद्नुसार वर्ष 2020–21 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों की 97 खुली खान परियोजना, 5 भूमिगत खान तथा 9 कलस्टरों के सैटेलाइट डाटा पर आधारित भूमि पुनद्धार मानिटरिंग की गई। वर्ष 2020–21 के

दौरान 7 कोलफील्डों जैसे उमरेर एवं पेंच कान्हान कोलफील्ड्स (डब्ल्यूसीएल), ईब जैली कोल फील्ड्स (एमसीएल), माँद–रायगढ़ एवं सोहागपुर कोलफील्ड्स (एसईसीएल), रानीगंज एवं राजमहल कोलफील्ड्स (ईसीएल) के वनस्पति आच्छादन मापन भी किया गया। वर्ष 2020–21 के दौरान उपग्रह आँकड़े के आधार पर 6 खु. खान परियोजनाओं के बफर एवं कोर जोन का भू उपयोग/आच्छादन मापन का कार्य किया गया। पर्यावरण एंव वन मंत्रालय एवं सीसी की अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए वर्ष 2020–21 के दौरान एसईसीएल की 8 भू.ग.प. के पट्टे वाले क्षेत्र के लिए भू–उपयोग/ भू–आच्छादन मापन का कार्य भी किया गया।

नई प्रौद्योगिकी को शामिल करने के मामले में अनुप्रयोगों को माँपने तथा सर्वेक्षण करने के लिए सीएमपीडीआईएल ने ड्रोन की खरीद की है। स्टेट ऑफ लिडार आप्टिकल तथा थर्मल स्कैनर से युक्त पहले ड्रोन की आपूर्ति दिसम्बर, 2020 में कर दी गई है जबकि दूसरे ड्रोन की आपूर्ति मार्च, 2021 के पहले सप्ताह में की गई। कोयला उद्योग में ड्रोन के प्रयोग में तेजी लाने में सीएमपीडीआईएल ने कोयला उद्योग में विभिन्न अनुप्रयोगों में इसकी दक्षमता प्रमाणित करने के लिए ड्रोन सर्विस प्रोवाइडर को हायर करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। एनसीएल के लिए खुली निविदा के मुकाबले पहला कार्य मार्च, 2021 में दे दिया गया है। अन्य अनुषंगी कंपनियों के लिए निविदा बाद में जारी की जाएगी।

8.0 कोल वाशरी की स्थापना में सहायता:

सीएमपीडीआईएल ग्रीनफील्ड कोयला वाशरियों के लिए वैचारिक रिपोर्ट तैयार करने से लेकर कार्य देने (अवार्ड) एवं उसके बाद ड्राईंगों की संवीक्षा तथा वर्तमान वाशरियों के रूपान्तरण/आधुनिकीकारण तक तकनीकी सेवा देता है। इन सेवाओं में एक्साउटिव लेबोरेटरी स्टडी, तकनीकी आर्थिक संभाव्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) तथा वैचारिक रिपोर्ट (सीआर) की तैयारी, बोली प्रक्रिया प्रबंधन, संविदा दस्तावेज की तैयारी तथा परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान ड्राईंग की संवीक्षा के बाद कार्य देने (अवार्ड आफ वर्क) में सहायता शामिल है।

सीएमपीडीआईएल ने कोल इंडिया लिमिटेड की संबंधित अनुषंगी कंपनियों को 18 वाशरियों के लिए सभी एनआईटी सौंप दी है। इन 18 वाशरियों में से साफ (क्लीन) कोयले को 14 प्रतिशत राख स्तर पर कोयले की धुलाई हेतु मूनिडीह वाशरी के लिए एक फ्रेस एनआईटी तैयार कर बीसीसीएल कौ सौंप दी गई है।

बीसीसीएल की वर्तमान मूनिडीह, मधुबन तथा दुग्दा ।। वाशरी के पुनरूद्धार विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट तैयार थी गई है। रजरप्पा, मूनिडीह, मधुबन वाशरी के नव निर्माण कार्य बोली दस्तावेज भी तैयार कर लिया गया। दिसम्बर 2020 ''सीआईएल ब्लॉक में कोकिंग कोल पर रिपोर्ट'' तैयार कर ली गई तथा 23.12.2020 को सचिव (कोयला) के समक्ष इसका प्रदर्शन भी कर दिया गया। देश में ''वाशरी तथा कोयला उत्पादन के सम्बर्द्धन पर रणनीति क आलेख'' भी तैयार कर सौंप दिया गया।

9.0 पर्यावरणिक सेवा :

वर्ष 2020–21 के दौरान आसनसोल, धनबाद, नागपुर, बिलासपुर, कुसमुंडा, हसदेव, जयंत, भुवनेश्वर तथा रांची स्थित अपने 9 पर्यावरणिक प्रयोगशालाओं के जरिए कोल इंडिया लिमिटेड की 311 परियोजनाओं/कलस्टरों/संस्थापनों की पर्यावरणिक मानिटरिंग (वायु, जल एवं ध्वनि) की गई तथा 31 फार्म–1 फार्म–iv फार्म vi सहित 40 ईएमपी/ईआईए/पार्यावरणिक प्रबंधन योजना/पर्यावरणिक प्रभाव मूल्यांकन तैयार किए गए। कुछ नए अध्ययन जैसे कोयलाधारक क्षेत्र की कैरिंग कैपेसिटी, नदी तटीय इको सिस्टम, समेकित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्मार्ट नगरों के लिए डीपीआर, फ्लाई ऐश डिस्पोजल के प्रभाव का मूल्यांकन, वर्टिकल ग्रीनरी सिस्टम/विन्ड वैरियर डिजाइन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया।

इसके अतिरिक्त, सीएमपीडीआईएल सीआईएल एवं भारत में फैले अन्य संगठनों को अपनी सेवाएँ देने के लिए खुली एवं भूमिगत खनन, तापीय सीबीएम एवं वाशरी सेक्टर सहित खनिजों के खनन हेतु क्वालिटी कॉन्सिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई) (एमओईएफ एंड सीसी नामित एजेंसी), नई दिल्ली द्वारा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) परामर्शदाता संगठन के रूप में अपनी मान्यता जारी रखी।

10.0 कोयला आधारित ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोतः

सीएमपीडीआईएल ने कोयला आधारित गैर–पारंपरिक ऊर्जा के व्यावसायिक विकास को सरल बनाने के लिए अपना प्रयास जारी रखा और यह राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ व्यावसायिक तथा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का अनुसरण कर रहा है। कोल इंडिया लिमिटेड के क्षेत्रों में कोल बेड मिथेन (सीबीएम) के विकास में सीएमपीडीआईएल लगा हुआ है।

1997 में कोल बेड मिथेन (सीबीएम) नीति की घोषणा के बाद भारत में सीबीएम के विकास की गति तेज हुई है। इस नीति के कारण भारत में सीबीएम के व्यावसायिक दोहन की नींव पड़ी है। देश में सीबीएम के विकास के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएंडएनजी) भारत सरकार के लिए प्रशासनिक मंत्रालय है तथा हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय को नोडल एजेंसी बनाया गया है। हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) को नोडेल एजेंसी बनाया गया है।

भारत सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों को उन कोयला धारक क्षेत्रों से कोल बेड मिथेन (सीबीएम) का पता लगाने एवं दोहन करने की अनुमति दी है, जिनके लिए उन्हें कोयला हेतु खनन पट्टा मिला है। तद्नुसार कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों के लिए सीबीएम नीति, 8 मई, 2018 की अधिसूचना के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों के लिए सीबीएम नीति 1997 में आंशिक संशोधन किया है। इसलिए कोल इंडिया के लिए स्वीकृत पट्टे को कुछ दायित्वों/औपचारिकता के अनुपालन करने पर उसे ही पेट्रोलियम माइनिंग लीज (पीएमएल) का अधिकार माना जाएगा। इसलिए इस अधिसूचना के अनुसार विभिन्न अधिनियमों के तहत कोयले की निकासी के लिए सीआईएल एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों के पास वेस्टेड खनन पट्टे के अधिकार को ही सीबीएम के गवेषण तथा दोहन के लिए पीएनजी नियमावली के तहत स्वीकृत खनन पट्टा माना जाएगा।

तद्नुसार, सीएमपीडीआईएल द्वारा कोल बेड मिथेन के व्यावसायिक दोहन के लिए पट्टेधारी (अनुषंगी कंपनियों तथा सीआईएल के परामर्श से सीआईएल की अनुषंगी कंपनियों के खनन पट्टे भीतर संभावित सीबीएम ब्लॉकों की रूपरेखा निर्धारण के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा कदम उठाए जा चुके हैं। गैसीय सीम आम तौर पर दामोदर वैली कोलफील्ड्स तथा सोहागपुर कोलफील्ड्स में मिलते हैं प्रारंभ में सीबीएम के व्यावसायिक विकास के उद्देश्य से सीआईएल के पट्टे वाले क्षेत्र में सीएमपीडीआईएल द्वारा तीन सीबीएम ब्लॉक की रूपरेखा निर्धारण के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा तीन सीबीएम ब्लॉक, की रूपरेखा तैयार की गई है जिनके नाम हैं झरिया सीबीएम ब्लॉक –I (बीसीसीएल क्षेत्र), (II) रानीगंज सीबीएम ब्लॉक (ईसीएल क्षेत्र) तथा सोहागपुर ब्लॉक (एसईसीएल क्षेत्र)।

संबंधित अनुषंगी कंपनियों के साथ हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार सीबीएम के विकास के लिए सीएमपीडीआईएल प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) है। सीबीएम डेवलॉपर (सीबीएमडी) के जरिए सीबीएम के व्यावसायिक निष्कर्षण के लिए संबंधित अनुषंगी कंपनियों के बोर्ड द्वारा झरिया सीबीएम– I ब्लॉक (बीसीसीएल एरिया), रानीगंज सीबीएम ब्लॉक (ईसीएल क्षेत्र) तथा सोहागपुर सीबीएम ब्लॉक) की परियोजना संभाव्यता रिपोर्ट के सैद्धान्तिक अनुमोदन के बाद प्रारंभ में रानीगंज सीबीएम ब्लॉक तथा झरिया सीबीएम ब्लॉक के लिए मई 2020 में निविदा जारी की गई लेकिन कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। पुनर्निविदा के पहले निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईओ) तथा मॉडेल रेवन्यू शेयरिंग कान्ट्रेंक्ट (एमआरएससी) पर बोलीदाताओं के सुझाव शामिल करने के बाद संशोधित बोली दस्तावेज तैयार किया गया। रानीगंज सीबीएम ब्लॉक एवं झरिया सीबीएम ब्लॉक– I, के लिए अक्टूबर, 2020 में एक बार पुनः निविदा जारी की गई। रानीगंज सीबीएम ब्लॉक– Iके लिए एक बोली प्राप्त हुई है, अंतिम रूप दिया जा रहा है। सीबीएम डेवलॉपर के चयन के लिए दिसम्बर, 2020 में सोहागपुर एम ब्लॉक के लिए निविदा जारी की गई लेकिन कोई बिड प्राप्त नहीं हुआ।

सीआईएल के क्षेत्रों से सीबीएम के उत्पादन का व्यावसायिक अनुपातन्यूनतम हो सकता है, तथापि कोयला खनन से पहले सीबीएम के निष्कासन के कारण भविष्य में गैसीय सीमों के कोयला खनन को और अधिक सुरक्षित बनाने में मदद करेगा। झरिया कोलफील्ड की मूनिडीह भूमिगत खान (बीसीसीएल) में कोल माइन मिथेन ड्रेनेज पर

प्रदर्शन परियोजना का बीसीसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है। परियोजना के अवधारणा से संस्थापन तक (कन्सेप्ट टू कमिशनिंग) तथा परिचालन मोड पर कार्यान्वित करने के हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी प्रदाता के चयन के लिए मार्च, 2020 में बीसीसीएल द्वारा ग्लोबल बीड जारी कर दी गई। हालॉकि, बीसीसीएल द्वारा इस निविदा को रद्द कर दिया गया है और जल्द ही पुनर्निविदा जारी कर दी जाएगी।

हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेन्द्र मोदी का विजन 2030 तक कोयला गैसीकरण के लिए 100 मि.ट. कोयला का उपयोग करना है। भारत सरकार के उपर्युक्त निर्देश पर विचार करते हुए गैस एवं संभावित डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट प्लांट संश्लेषित करने केलिए ईसीएल, डब्ल्यूसीएल, एसईसीएल तथा सीसीएल का इरादा 100 मिलियन एमटी कोयले के गैसीकरण के लिए ग्रासरूट कोल स्थापित करने का है। सभी चारो अनुषंगी कंपनियाँ मेथॉनाल, अमोनिया, एसएनजी, पेट्रोकेमिकल तथा अन्य डाउनस्ट्रीम उत्पादन के लिए मूलभूत कच्चे पदार्थ के रूप में कोयले का उपयोग करेंगे।

11.0 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ:

कोयला मंत्रालय (एमओसी) तथा सीआईएल के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुदान के तहत वित्त पोषित अनुसंधान क्रिया–कलापों को समन्वित करने के लिए सीएमपीडीआई नोडल एजेंसी है। अनेक शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों द्वारा किए जा रहे अनुसंधान एवं विकास कार्यों के समन्वयन के अलावा सीएमपीडीआईएल अपने सुस्थापित प्रयोगशाल की सहायता से कोयला गवेषण, कोयला आधारित गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन जैसे कोल बेड मिथेन (सीबीएम), कोल माइन मिथेन (सीएमएम), गैसीकरण (भूतल एवं भूमिगत) शेल गैस मूलयांकन कोयला परिष्करण एवं उपयोग तथा खान पर्यावरण से संबंधित मुद्दे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में अनुसंधान कार्य भी करता है।

वर्षों से अधिकांश अनुसंधान परियोजनाओं से काफी लाभ मिला है, जिसके फलस्वरूप परिचालनात्मक सुधार, अपेक्षाकृत सुरक्षित कार्य स्थिति, बेहतर संसाधन प्राप्ति तथा पर्यावरण का संरक्षण हुआ है। इनमें से कुछ अनुसंधानों का इस उद्योग पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है, जबकि कुछ ऐसे भी है जिनसे खनन आयोजना, डिजाइन तथा तकनीकी सेवाएँ सशक्त हुई है जिनकी जरूरत चालू खानों तथा भावी खनन परियोजनाओं दोनों को है।

वर्ष 2020–21 के दौरान 6 अनुसंधान परियोजनाएँ पूरी की जा चुकी है। पूरी की गई परियोजनाओं में बैकफील्ड ''खुली कोयला खानों पर संरचना का निर्माण / व्यावहारिक कार्य प्रणाली (मेथडोलॉजी) सुझाने का प्रयास,'' भूमिगत कोयला खानों के लिए टेली रोबोटिक तथा रिमोट आपरेशन टेक्नोलॉजी का विकास'', ''बड़ी बारहमासी नदियों के नजदीक खुली खदानों में नन कोहेसिव ग्रानुअल सालिउ/सैंड की सुदृढ़ करने के लिए भू–तकनीकी एवं जल भू–वैज्ञानिक पहलू के बारे में अन्वेषण'' खानों में भू–जल नियंत्रण तथा कन्वेयर सिस्टम का इलेक्ट्रोनिकीकरण, ''कम डाइलूटेड कोयले से बेहतर प्राप्ति के लिए मल्टीपुल लेयर ट्रयल ब्लास्टिंग'', तथा पीट बॉटम और भूमिगत खान रोडवेज तथा वर्किंग फेस का आप्टिकल फाइबर आधारित सोलर इल्यूमिनेशन'' से संबंधित परियोजना पूरी कर ली गई।

सीएमपीडीआईएल द्वारा कोयला एवं लिग्नाइट उद्योग के लिए लाभकारी आवश्यकता आधारित अनुसंधान कार्य के लिए भारत एवं विदेश में कोयला उत्पादक कंपनियों में अधिक से अधिक अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थानों को लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। कोयला मंत्रालय के निदेशानुसार कोयला एवं लिग्नाइट क्षेत्र में भावी दबाववाले क्षेत्र की पहचान कर ली गई है। कोयला उद्योग की वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने और जटिल कार्यों का पता लगाने के लिए कुछ नए क्षेत्रों जैसे आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, उन्नत प्रौद्योगिकी का नवाचार एवं स्वदेशीकरण (आत्म निर्भर भारत) अपशिष्ट से धन सृजन आदि को शामिल किया गया है। कोयले के अनुसंधान के लिए नए दबाव वाले क्षेत्रों के बारे में भारत के सभी प्रमुख संस्थानों के बीच व्यापक रूप से परिचारित किया गया है, जिससे कि आगामी वर्षों में उनके द्वारा उच्च अकांक्षा वाला मूल्यवान परियोजना प्रस्ताव पेश किया जाएगा। सीएमपीडीआईएल ने अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) को बढ़ावा देने के लिए कोयला एवं लिग्नाइट क्षेत्र

में विज्ञान एवं प्रौद्योगकी अनुसंधान हेतु एक वेबसाइट https://scinceandtech.cmpdi.co.in का डिजाइन एवं विकास किया है, जो पूरी की गई तथा चालू अनुसंधान परियोजनाओं के बारे में जानकारी तथा विभिन्न रूपों वाली कोयला अनुसंधान परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दिशा–निर्देश उपलब्ध कराएगा ताकि, कोई भी व्यक्ति अपेक्षित ढंग से अपना प्रस्ताव सुपुर्द कर सके। पारदर्शिता रखने तथा परियोजनओं के दुहराव की प्रकृति को रोकने के लिए इसके पास पूरी की गई परियोजनओं तथा चालू अनुसंधान परियोजनओं की सूची तथा निष्कर्ष भी उपलब्ध है।

वर्तमान में 37 परियोजनाएँ चालू स्थिति में है। बड़े (महत्वपूर्ण) अनुसंधान परियोजनाएँ ''समेकित जैव–वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग कर मृदा संशोधन तथा उस क्षेत्र के मूल पौधे को लगाकर नार्थ इस्टर्न कोलफील्ड्स, आसाम के खनित कोयला खान के पुनरूद्धार'' ''भारत में खुली खानों पर ओवर बर्डेन डम्प की ऊँचाई को बढ़ाने के लिए दिशा–निर्देश का विकास'', ''कोयला खानों में सुरक्षा एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए वर्चुअल रीयलिटी माइन सिमुलेटर का विकास'', ''कार्यस्थल को दृढ़ करने के लिए बालू भराई के विकल्प के रूप में फ्लाई ऐश (विद्युत संयंत्र से प्राप्त अपशिष्ट) से सुटेबुल पेस्ट फिल मैटेरियल का विकास'' और भूमिगत कोयला खानों तक इसकी ढुलाई की प्रणाली, '' कोल इंडिया के अधिकार वाले क्षेत्र में कोल माइन मिथेन की निकासी के लिए क्षमता निर्माण,'' सेटेलाइट डाटा का प्रयोग कर कोलफील्ड्स क्षेत्र में क्षेत्रीय वायु गुणवत्ता ग्राउण्ड आवजर्वेशन की मानिटरिंग के लिए मेथेडोलॉजी का विकास,'' ''खुली खानों में स्लोप विफलता/अस्थिरता का पूर्वानुमान करने के लिए अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम का स्वेदेशी विकास'', ''खुली कोयला खानों के लिए ऑन लाइन कोल डस्ट सप्रेसन सिस्टम,'' ''नार्थ इस्टर्न रिजन (एनईआर) कोलफील्ड्स के कोयला एवं गैर–कोयला संस्तर में रेयर अर्थ एलिमेंट तथा अन्य आर्थिक संसाधन का मूल्यांकन तथा एसिड माइन ड्रेनेज का गुण निर्धारण एवं इसके कारण होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण,'' ''उन्मुक्त प्रकृति (एक्सपेसिंव नेचर) के फाउन्डेशन स्वायल को स्थिर करने के उद्देश्य से भू–तकनीकी पहलू से संबंधित फेरेन्सिक अन्वेषण तथा अनुकूलतम ओवर बर्डेन ऊँचाई को कायम रखने तथा बढ़ाने के लिए उपयुक्त भू–तल उन्नयन प्रौद्योगिकी का विकास,'' भूमिगत खानों के लिए थ्रु दि अर्थ टू वे संचार प्रणाली का स्वदेशी विकास,'' '' इन–दि–होल वेलोसिटी आफ डेटोनेशन (वीओडी) को मापने के लिए स्वदेशी ऑप्टिकल फाइबर आधारित उपकरण (यंत्र) का विकास,'' ओपेनकास्ट माइन डम्प पर विस्फोटन का प्रभाव तथा विस्फोटन के कारण कम्पन एवं डम्प डिजाइन के बीच के संबंध का विकास,'' बंद (लॉक्ड) कोल पिलर के सुरक्षा के साथ कर्षण करते समय खुली खदान में आग की उपस्थिति के पूर्वानुमान की सक्षमता के लए आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित मशीन लर्निंग सोल्यूशन का विका,'' आदि शामिल हैं, जिसे आईआईटी–आईएसएम, धनबाद, आईआईटी, खड़गपुर, आईआईटी, रूड़की, आईआईटी, बंबई (मुबंई), सीआईएमएफआर, धनबाद, आरएफआरआई, जोरहट, सीएसआईआरओ, आस्ट्रेलिया, एनआरएससी, हैदराबाद, एनआईटी, नागपुर आदि जैसे ख्यातिप्राप्त संगठनों के सहयोग कार्यान्वित किया जा रहा है।

12.0 निगमित सामाजिक दायित्व तथा सस्टेनेब्लिटी :

सीएमपीडीआईएल लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सीएसआर हस्तक्षेप के सुविचारित बास्केट के जरिए अपने ड्रिलिंग कैम्पों क्षेत्रीय संस्थानों और मुख्यालय के साथ–साथ आस–पास के व्यापक समुदायों के साथ मजबूत संबंध बनाया है। सीएसआर कार्यों के तहत सीएमपीडीआईएल द्वारा ड्रिलिंग कैम्प के आस–पास के समुदायों के सतत् विकास के लिए कार्य किया जा रहा हे।

वर्ष 2020–21 के दौरान जो प्रमुख कार्य किए गए हैं, उनमें विद्यालय एवं गाँवों में आधारभूत संरचना का विकास, गरीब एवं जरूरतमंद विद्यार्थियों को शैक्षणिक सहायता, कुष्ट रोगियों के इलाज एवं देखभाल के लिए वित्तीय सहायता, शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर तथा नेत्रहीन छात्रों को आर्थिक सहायता, अनकुशल और बेरोजगार युवकों का कौशल विकास, कोविड–19 से बचाव के लिए मास्क एवं हैंड सेनिटाइजर का वितरण, रांची, नागपुर, बिलासपुर, धनबाद, आसनसोल एवं भुवनेश्वर में विभिन्न जगहों पर विशेष चिकित्सा शिविर का आयोजन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोसला, ओडिसा के लिए आईपीडी ब्लॉक का निर्माण, महाराष्ट्र में फ्लोराइड उपचार वाले दो जल उपचार संयंत्र का निर्माण वाटर वेंडिग मशीन स्थापना के साथ–साथ प्रत्येक घंटा 1000 लीटर क्षमता वाला

आरओ ट्रीटमेंट प्लांट और 5 किलोवाट का सोलर प्लांट, लातेहार जिला (झारखंड के भगेया पंचायत, बालूमाथ, डूमारो पंचायत, चंदाव की विभिन्न जगहों पर 18 चापाकल की स्थापना के साथ–साथ ड्रिलिंग कैम्पों के निकट अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि शामिल है।

13.0 प्रबंधन प्रणाली मानक में परामर्शी सेवाः

कोल इंडिया लिमिटेड की सभी सहायक कंपनियों में प्रबंधन प्रणाली मानक के कार्यान्वयन कराने के लिए सीएमपीडीआईएल नोडल एजेंसी है, जो विभिन्न प्रबंधन प्रणाली मानकों जैसे आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, आईएसओ 45001, आईएसओ 50001, ओएचएसएएस 18001, आईएसओ 37001 आदि के अनुप्रयोग के लिए परामर्श सेवा देता है। हम इन मानकों की स्थापना, प्रलेखन, जागरूकता, प्रशिक्षण, आंतरिक अंकेक्षण सहायता, कार्यान्वयन, प्रमाणन सहायता के साथ–साथ प्रमाणोत्तर सहायता देते हैं।

सभी क्षेत्रीय संस्थानों के साथ सीएमपीडीआईएल को नए संशोधित आईएसओ 9001:2015 मानक की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लाइसेंस प्रदान किया गया है। सीएमपीडीआईएल का वर्तमान आईएमएस नियमावली में आईएसओ 9001, गुणता प्रबंधन प्रणाली, आईएसओ 14001 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली, आईएसओ 27001 सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली तथा आईएसओ 50001 ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली शामिल है। सीएमपीडीआईएल, राँची ने आईएसओ 37001:2016 रिश्वतरोधी प्रणाली को भी कार्यान्वित किया है तथा इसके लिए बीआईएस द्वारा प्रमाण–पत्र भी प्राप्त किया है, जो 18.01.2021 से 17.1.2024 तक वैध है। हमारे मार्गदर्शन एवं सहायता से सीआईएल ने आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015, आईएसओ 14001:2015 तथा आईएसओ 5001:2011 (गुणता प्रबंधन प्रणाली, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली तथा ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली तथा ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली) के लिए प्रमाण–पत्र प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त, सीआईएल (मु.) के लिए आईएसओ 50001:2011 से आईएसओ 50001:2018 तक को उन्नत किया गया है। आईएसओ 50001:2018 का प्रमाण–पत्र प्रक्रियाधीन है।

31 मार्च, 2021 कोल इंडिया लिमिटेड की तीन सहायक कंपनियाँ, ईसीएल, एनसीएल एवं सीसीएल को उनके कंपनीवाइड समेकित प्रबंधन प्रणाली आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 तथा ओएचएसएएस 18001) के लिए प्रमाणित किया गया है। सीएमपीडीआईएल की सहायता एवं मार्गदर्शन में बीसीसीएल, एमसीएल, सीसीएल, एनसीएल, डब्ल्यूसीएल तथा ईसीएल ने ओएचएसएएस से आईएसओ 45001 : 2018 में उन्नयन के लिए प्रलेखन का कार्य पूरा कर लिया है। सीएमपीडीआईएल के मार्गदर्शन में ईसीएल तथा एनसीएल में ओएचएसएएस 18001 से आईएसओ 45001 में उन्नयन के लिए प्रमाणन अंकेक्षण पूरा कर लिया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य अनुषंगी कंपनियों में प्रमाणन/पुनर्प्रमाणन का कार्य जारी है।

इसके अतिरिक्त, बीसीसीएल मुख्यालय सीएमपीडीआईएल की परामर्श सेवा से आईएसओ 37001 कार्यान्वित कर रहा है। सीएमपीडीआईएल, बीसीसीएल, सीसीएल, एमसीएल, डब्ल्यूसीएल को सहायता एवं मार्गदर्शन दे रहा है, जो अगले वित्तीय वर्ष में कंपनीवाइड समेकित प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 तथा ओएचएसएएस 18001 आईएसओ 45001) के लिए कार्यान्वयन तथा प्रमाणित किए जाने के लिए इसके बाद वाली कतार में है। बाह्य परामर्श सेवा के तहत कंपनीवाइड समेकित प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 9001:2018) के कार्यान्वयन एवं प्रमाणन के लिए मेसर्स एनटीपीसी के पकरी–बरवाडी खुली खान तथा तलाई पल्ली खुली खान परियोजना हेतु सीएमपीडीआईएल परामर्श सेवा सहायता उपलब्ध कराता आ रहा है। पकरी बरवाडी खुली खान परियोजना के लए प्रमाणन का कार्य पूरा कर लिया गया है, जबकि तलाईपल्ली खुली खान परियोजना के प्रमाणन का कार्य 2021–22 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

14.0 कोल इंडिया लिमिटेड से अलग की कम्पनियों को परामर्श सहायता :

वर्ष 2020–21 के दौरान सीएमपीडीआई द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड से बाहर के 18 संगठनों को 24 परामर्शसेवा का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया। इनमें से कुछ प्रमुख ग्राहक/संगठनों के नाम हैं : कोयला मंत्रालय, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, जोएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल), एनएलसी इंडिया लिमिटेड इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड आदि।

वर्तमान में सीएमपीडीआईएल द्वारा एनटीपीसी लिमिटेड टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, एमओआईएल लिमिटेड, सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, तालचर फर्टिलाइजर लिमिटेड, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, सेल, हिंडाल्को इन्डस्ट्रीज लिमिटेड जैसे 22 संगठनों के लिए 39 आउट साइड सीआईएल परामर्शी कार्य कार्यान्वित किया जा रहा है।

वर्ष 2020–21 के दौरान सीएमपीडीआई द्वारा 33 संगठनों से 20.15 करोड़ रू. मूल्य के 33 आउटसाइड सीआईएल परामर्श कार्य प्राप्त कर लिए गए, जिसमें कोयला मंत्रालय, ईएमआईएल माइन्स एंड मिनरल रिर्सोसेज लिमिटेड एससीसीएल, एनएमडीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड टाटा स्टील लिमिटेड, जिंदल पावर लिमिटेड आदि से प्राप्त परामर्शी कार्य शामिल है।

15.0 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेवा:

खान आँकड़ा प्रबंधन प्रणाली पोर्टल (एमडीएमएस) का विकास किया गया है, जिसमें सीआईएल द्वारा मानिटर की जा रही परियोजनाओं की प्रमुख विशेषता दर्शाया गया है। इस पोर्टल की प्रमुख विशेषता कोयला परियोजनाओं की प्रगति मानिटर करना है, जिसमें पर्यावरण स्वीकृति (क्लियरेंस) (ईसी), वन स्वीकृति (एफसी), भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनः स्थापन (आरएंडआर), वित्तीय पारामीटर, एचईएमएम की खरीद, उत्पादन एवं अन्य बड़े आधारभूत संरचना जैसे कोल हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी), सिलो एवं रेलवे साइडिंग शामिल हैं। गैर सीआईएल कोयला ब्लॉकों को मानिटर करने हेतु सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी तथा प्राइवेट ब्लॉक आवंटियों को माइन डाटा मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल (एमडीएमएस) साफ्टवेयर की सुविधा दी गई है।

वर्ष 2020–21 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों जैसे एनसीएल, सीसीएल तथा सीएमपीडीआईएल के गैर अधिकारी वर्ग के कर्मचारियों के लिए ऑन लाइन रिक्रयूटमेंट पोर्टल का विकास कर कार्यान्वित कर लिया गया है। सीएमपीडीआईएल ने एमएस प्रोजेक्ट सर्वर स्थापित किया है, जिसके जरिए सीआईएल तथा कोयला मंत्रालय द्वारा सीआईएल परियोजनाओं की ऑनलाइन मानिटरिंग की जा रही है। सीएमपीडीआईएल ने कोयला मंत्रालय के लिए नेशनल कोल इंडेंक्स पोर्टल विकसित किया है तथा कोयला विनियम को स्थापित करने के लिए रोड मैप रिपोर्ट तैयार किया है।

अनुषंगी कंपनियों के कर्मचारियों/ग्राहकों/विक्रेताओं द्वारा लौजिंग इश्यू के लिए सीएमपीडीआई द्वारा ''सीआईएल संवाद'' नामक एक समेकित मोबाइल एप्प विकसित किया गया है। यह एप्प उपयोगकर्त्ता के लिए अनुकूल है तथा सभी स्टेक होल्डरों के लिए खुला है। सीआईएल की अनुषंगी कंपनियों के प्रमुख जगहों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे की मानिटरिंग के लिए सीएमपीडीआई ''द्वारा सीआईएलआईआई; नामक एप्प विकसित किया गया है।

सीएमपीडीआईएल को संपूर्ण कोल इंडिया लिमिटेड में ई–आफिस के कार्यान्वयन का काम भी सौंपा गया है। सभी अनुषंगी कंपनियों के मुख्यालय; सीआईएल, नई दिल्ली; सीआईएल, मुख्यालय, कोलकाता; आईआईसीएम तथा एनईसी में (सेंट्रलाइज्ड इफ्रास्ट्राक्चर एंड एमपीएलएस कनेक्टिविटी की स्थापना) कर दी गई है। सभी जगहों पर ई–आफिस चालू है।

16.0 मान्यता एवं पुरस्कार :

भारत सरकार ने सीएमपीडीआईएल के योगदान तथा इसकी प्रासंगिता को पहचाना तथा इसे मई 2009 में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इन्टप्राइजेज (डीपीई) के दिनांक : 9.10.1993 के ओएम नं. 11/36/97 फिन के प्रावधान के अनुसार इसे मिनी रत्न कंपनी (कैट– I) से नवाजा है। डीपीई के दिशा–निर्देश में उपक्रमों को और अधिक दक्ष एवं स्पर्धात्मक बनाने के नीतिगत उद्देश्य से लाभ कमाने वाली पब्लिक सेक्टर इन्टरप्राइजेज (पीएसई) को और अधिक स्वायत्ता एवं अधिकार देने का प्रावधान है।

वर्ष 2007–08 से लगातार (2010–11 एवं 2018–19 को छोड़कर) डीपीई द्वारा उत्कृष्ट एमओयू (कोल इंडिया लिमिटेड तथा सीएमपीडीआईएल के बीच) प्राप्त करने से सीएमपीडीआईएल की आकर्षक उपलब्धि प्रतिबिम्बित होती है। वर्ष 2019–20 के लिए एमओयू सीआईएल में विचाराधीन है।

17.0 निगमित शासनः

भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के लिए निगमित शासन पर सरकार के दिशा–निर्देश के अनुसार सीएमपीडीआईएल द्वारा निगमित शासन की शर्तों को पूरा किया गया है। निदेशक मंडल की रिपोर्ट में निगमित शासन पर एक अलग खंड (सेक्शन) जोड़ा गया है तथा निदेशक मंडल की रिपोर्ट में कंपनी से सांविधिक अंकेक्षकों से निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट में एक परिशिष्ट लगाया गया है।

18.0 आभारोक्तिः

ये सभी उपलब्धियाँ आपकी कंपनी के सामूहिक प्रयास, श्रमिक संगठनों (जेसीसी) तथा ऑफिसर्स असोसिएशन के सदस्यों द्वारा अनवरत सहयोग के साथ–साथ कोयला मंत्रालय एवं कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा दिए गए सहयोग से प्राप्त हो सकीं है। मुझे विश्वास है कि कर्मचारियों की संलिप्तता, समर्पण तथा कंपनी में उपलब्ध विशेषज्ञता भावी कार्य के प्रति समर्पण दिलासा का बड़ा स्रोत होगा। मैं विश्वास है कि हम भविष्य में और ऊँचाई प्राप्त करने का प्रयास जारी रखेंगे तथा पहले की तरह हर स्तर पर समर्पित प्रतिबद्धता तथा उपलब्धियों के साथ शेयर होल्डर की चुनौतियों एवं आकांक्षओं को पूरा करेंगे।

मैं सभी शेयर होल्डर, कोयला मंत्रालय, अन्य मंत्रालयों तथा विभागों, राज्य सरकारों, सभी कर्मचारियों,श्रमिक संगठनों, ग्राहकों एवं विक्रेताओं (वेन्डरों) को उनकी हार्दिक सहायता तथा अनवरत सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

स्थान : राँची
दिनांक : 28.07.2021

(विनय दयाल)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)

उपलब्धि एक नजर में

करोड़ रुपये में

वित्तीय वर्ष	2020-21 (अंकेक्षित)	2019-20 (अंकेक्षित)	2018-19 (अंकेक्षित)
विवरण			
सेवाओं की बिक्री (निबल बिक्री)	1488.60	1381.31	1274.56
अन्य आय	22.10	21.70	13.01
कुल आय	1510.7	1403.01	1287.57
कुल खर्च	1096.21	1090.39	1023.75
पी बी टी	414.49	312.62	263.82
पी ए टी	316.96	193.39	173.27
कुल ब्लॉक	188.01	182.5	180.39
चालू परिसम्पत्तियाँ	1414.43	1057.35	959.84
चालू देयताएं	617.56	424.63	541.86
कार्यकारी पूँजी	796.87	632.72	417.98
नियोजित पूँजी	984.88	815.22	598.37
इक्विटी कैपिटल	142.8	38.08	38.08
भंडार और अधिशेष	659.45	550.8	428.74
नेट वर्थ **	784.47	570.31	447.95
नियोजित पूँजी पर रिटर्न	42.10	38.37	44.11
ईपीएस	2219.61	1354.27***	1213.38***

*नियोजित पूंजी = नेट ब्लॉक + वर्किंग कैपिटल

**नेट वर्थ = इक्वल शेयर कैपिटल + रिजर्व एंड सरप्लस एक्सक्लुडिंग कैपिटल रिजर्व

***प्रति शेयर आय को कुल संख्या के आधार पर पुर्नकथित किया गया है। बकाया 1428000 के इक्विटी शेयरों की संख्या

करोड़ रुपये में

वित्तीय वर्ष	2020-21 (अंकेक्षित)	2019-20 (अंकेक्षित)	2018-19 (अंकेक्षित)
पी.बी.टी	414.49	312.62	263.82

करोड़ रुपये में

वित्तीय वर्ष	2020-21 (अंकेक्षित)	2019-20 (अंकेक्षित)	2018-19 (अंकेक्षित)
सेवाओं की बिक्री (निबल बिक्री)	1488.60	1381.31	1274.56

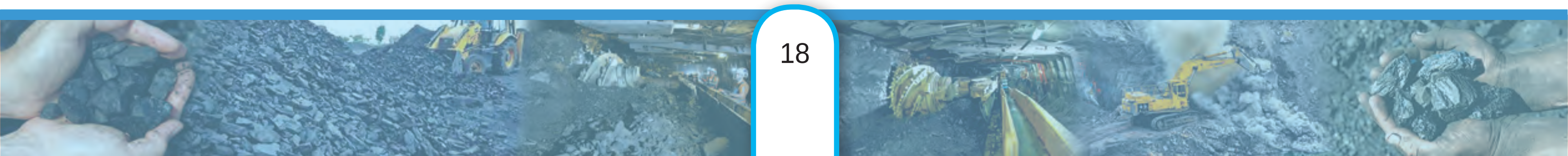

सीएमपीडीआई का वित्तीय पर्यवलोकन

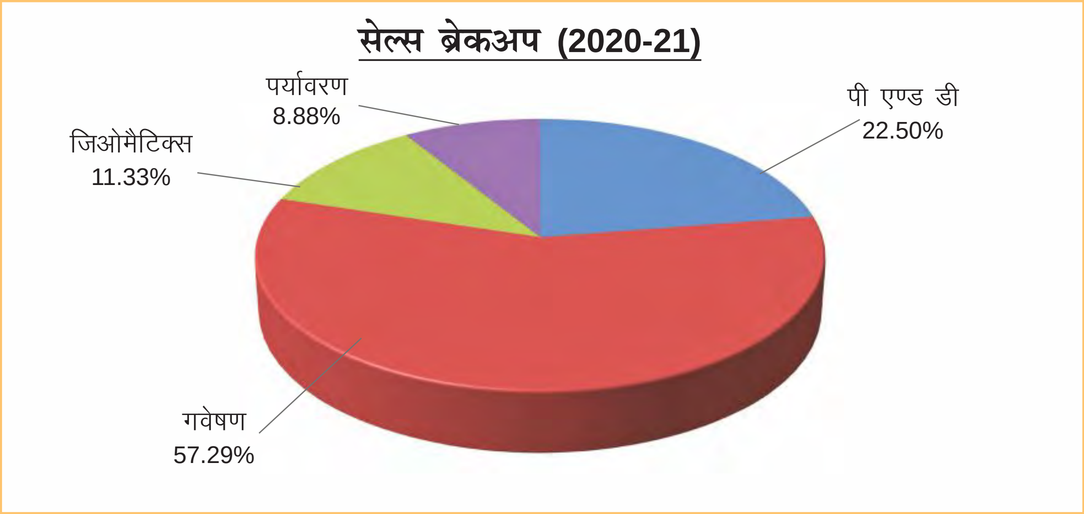

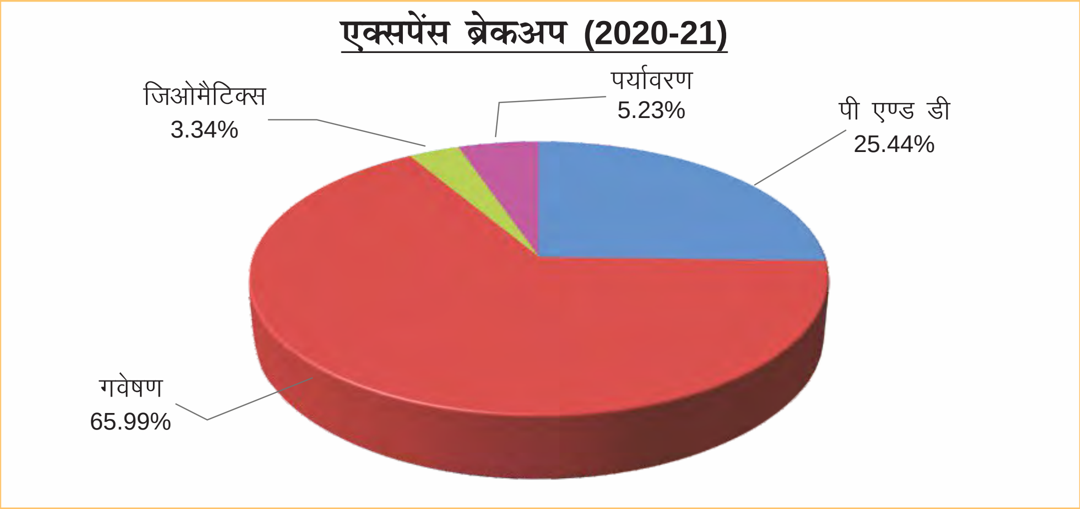

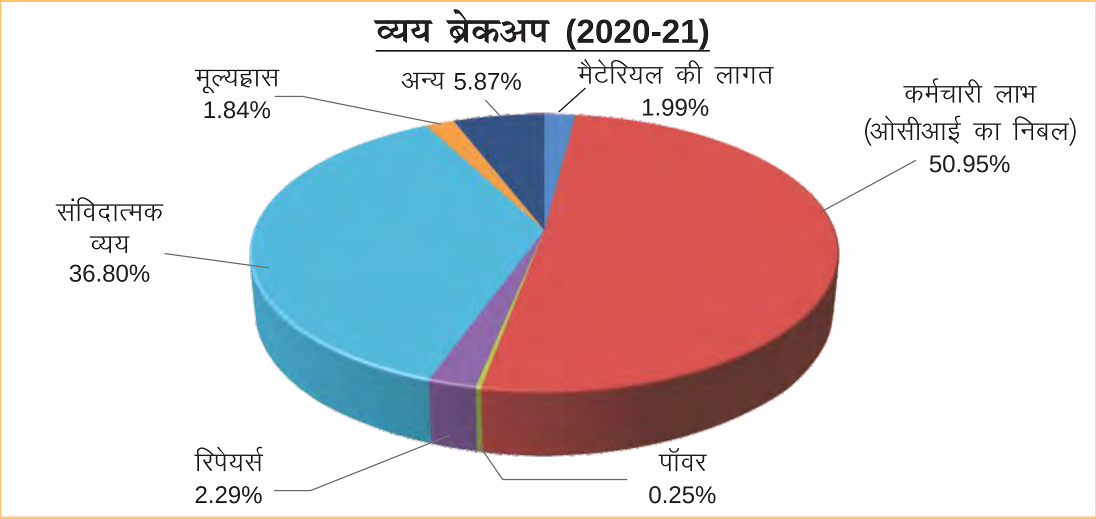

सीएमपीडीआई का वित्तीय पर्यवलोकन

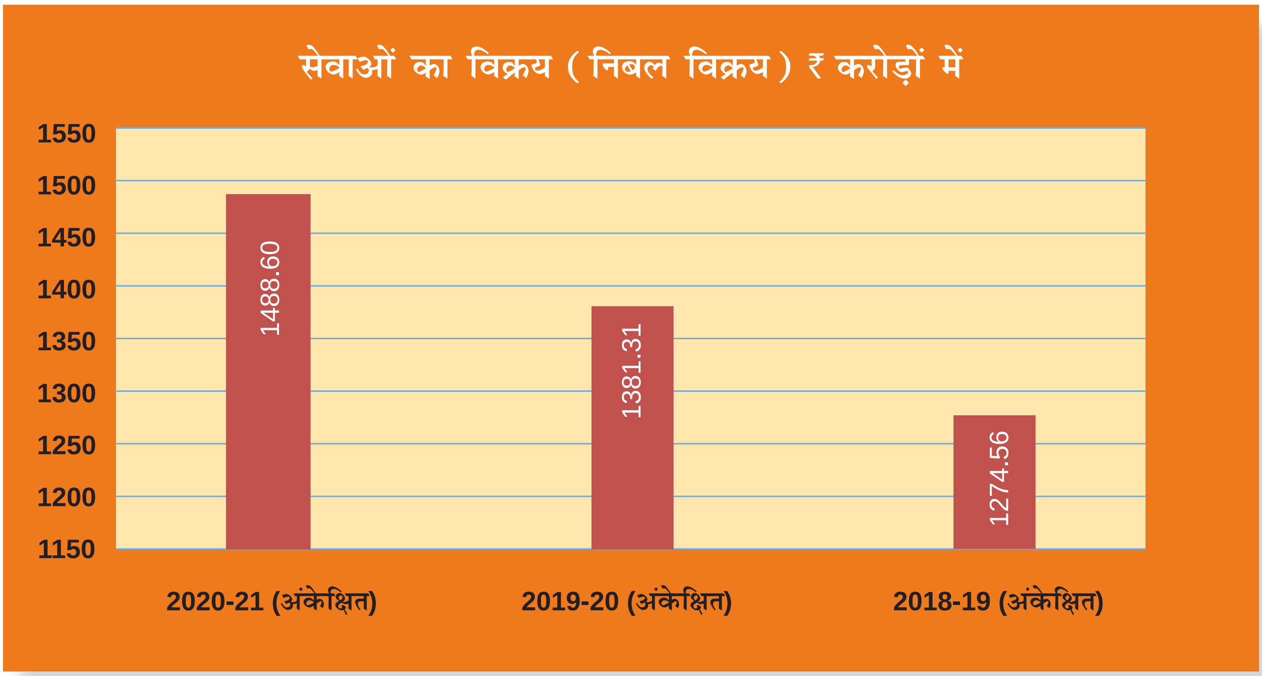

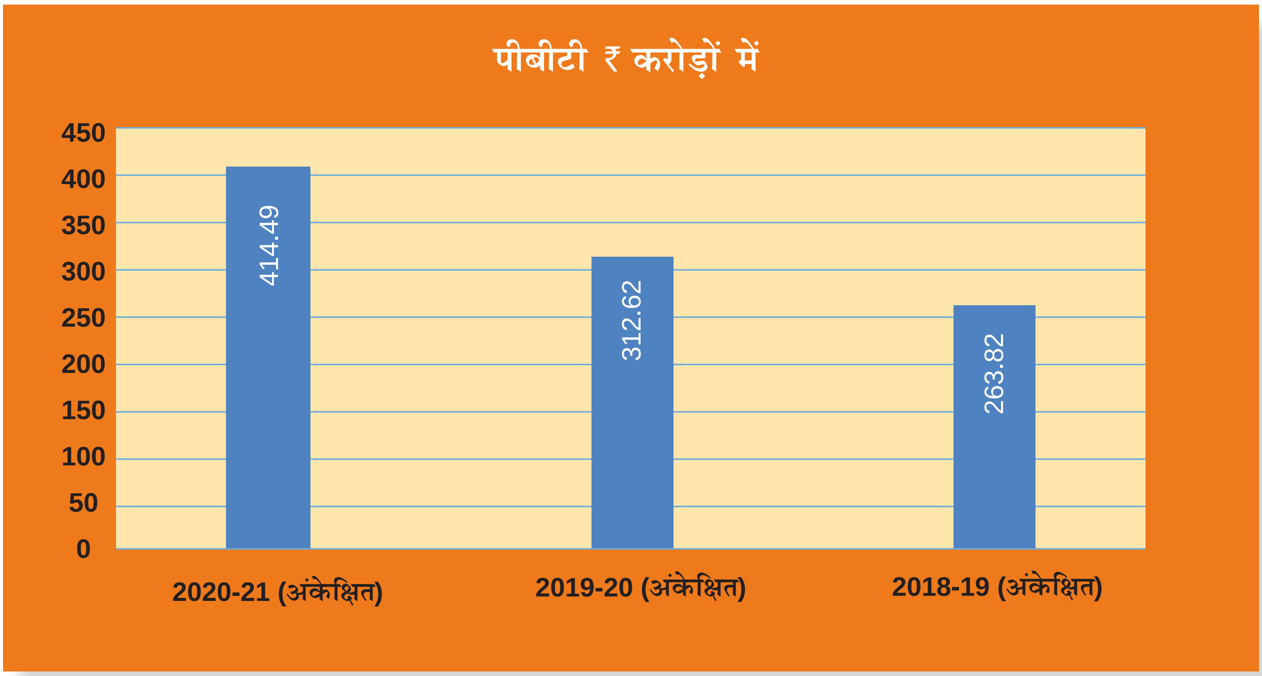

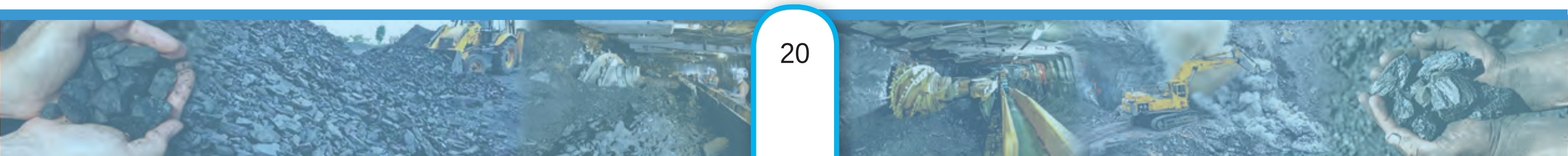

निदेशक-मंडल का प्रतिवेदन

सेवा में,

अंशधारक

मुझे निदेशक–मंडल की ओर से 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हिसाब–किताब तथा उस पर सांविधिक अंकेक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन सहित आपकी कंपनी के क्रिया–कलाप पर आधारित 46वाँ वार्षिक प्रतिवेदनपेश करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

भाग–क

1.0 निगमित पर्यवलोकनः

आपकी मिनी रत्न (कैट– I) कंपनी ने गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची स्थित अपने मुख्यालय तथा आसनसोल, धनबाद, राँची, नागपुर, बिलासपुर, सिंगरौली तथा भुवनेश्वर स्थित सातों क्षेत्रीय संस्थानों के साथ कार्य जारी रखी। सातो क्षेत्रीय संस्थानों को क्षेत्रीय संस्थान–1 से क्षेत्रीय संस्थान–7 तक का नाम दिया गया जो कोल इंडिया लिमिटेड की 7 संगत अनुषंगी कोयला उत्पादक कंपनियों जैसे ईसीएल (क्षे.सं.–1), बीसीसीएल (क्षे.सं.–2), सीसीएल (क्षे.सं.–3), डब्ल्यूसीएल (क्षे.सं.–4), एसईसीएल (क्षे.सं.–5), एनसीएल (क्षे.सं.–6) तथा एमसीएल (क्षे.सं.–7) को अपनी समर्पित सेवाएँ देती रही हैं।

सीआईएल, मुख्यालय, एनईसी तथा गैर सीआईएल ग्राहकों जैसे एनटीपीसी लिमिटेड, ओडीसी कोल एंड पावर लिमिटेड (ओसीपीएल), गुजरात इन्डस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड (जीआईपीसीएल), एनएलसी इंडिया लिमिटेड, अल्ट्राटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आदि को परामर्श सेवाएँ मुख्यतः सीएमपीडीआईएल मुख्यालय के द्वारा दी गई। इन परामर्श सेवा के अलावा सीएमपीडीआईएल ने कोयला मंत्रालय की विशेषज्ञता वाला कार्य का भी संचालन किया है।

वर्तमान में सीएमपीडीआईएल द्वारा 22 संगठनों जैसे एनटीपीसी लिमिटेड, सेल, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, (एससीसीएल), जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, हिन्डालको इन्डस्ट्रीज लिमिटेड आदि के लिए 39 कोल इंडिया लिमिटेड से बाहर के कार्य कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

वर्ष 2020–21 के दौरान सीएमपीडीआईएल द्वारा 23 संगठनों से 20.15 करोड़ रू. मूल्य के सीआईएल से बाहर के 33 कार्य प्राप्त किए गए हैं। इसमें कोयला मंत्रालय, ईएमआईएल माइंस एंड मिनरल रिसोर्सेज लिमिटेड (हिंडालको), एससीसीएल, एनएमडीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेउ, टाटा स्टील लिमिटेड, जिंदल पावर लिमिटेड आदि से प्राप्त परामर्शी कार्य शामिल है।

1.1 प्रदत्त प्रमुख सेवाएँ :

- **भू-वैज्ञानिक गवेषण एवं ड्रिलिंग :**

  विश्वसनीय भू–वैज्ञानिक तथा भू–अभियंत्रण आँकड़ा तैयार करने तथा खनन परियोजना रिपोर्ट तेयार करने के लिए स्वस्थाने कोयला भंडार के मूल्यांकन के उद्देश्य से क्षेत्रीय तौर पर गवेषित ब्लॉकों का विस्तृत भू–वैज्ञानिक गवेषण, मल्टी प्रोब भू–भौतिक लॉगिंग के जरिए भू–भौतिक सर्वेक्षण, हाई रिजोल्यूशन शैलो सीममिक सर्वेक्षण, जल भू–वैज्ञानिक अन्वेषण तथा कोल बेड मिथेन संसधनों की पहचान।

- **परियोजना आयोजन एवं डिजाइन :**

  भूमिगत और खुली खानों के लिए संभाव्यता रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तथा विस्तृत अभियंत्रण ड्राइंग, कोयला क्षेत्रों का मास्टर प्लान, कोल और मिनरल बेनीफिशिएशन तथा यूटिलाइजेशन प्लांट, कोयला निपटान संयंत्र, वर्कशॉप और अन्य सहायक इकाईयाँ तथा निवेश निर्णय के लिए परियोजना रिपोर्ट एवं विभिन्न योजनाओं का तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन सहित आधारभूत सुविधा।

- **अभियंत्रण सेवाएँ :**

  खानों, परिष्करण तथा यूटिलाइजेशन प्लांट्स, कोल हैंडलिंग प्लांट्स, विद्युत आपूर्ति प्रणाली,

वर्कशॉप एवं अन्य इकाइयाँ, वास्तुशिल्पीय प्लानिंग एवं डिजाइन के लिए सिस्टम और सब–सिस्टम का विस्तृत डिजाइन।

- **अनुसंधान एवं विकास :**

  कोल इंडिया की आरएंडडी द्वारा निधित आरएंडडी योजना और कोयला मंत्रालय द्वारा निधित सभी एसएंडटी योजना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में सेवा दे रहा है। सीएमपीडीआईएल, अपने बल पर परिष्करण, खनन, यूटिलाइजेशन, पर्यावरण गवेषण आदि के क्षेत्र में एप्लायड रिसर्च और विकास का कार्य भी शुरू किया है।

- **प्रयोगशाला सेवाएँ :**

  पूरी तरह आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशाला खान की गैसों की गुणवत्ता का पूर्ण विश्लेषण, वायु, ध्वनि, कोयला कोर नमूनों, कोयले की धोवन क्षमता गुण–निर्धारण, संस्तर का भौतिक यांत्रिक शक्ति, पेट्रोग्राफी अध्ययन, गैर विध्वंसक परीक्षण आदि सेवाएँ दे रही है।

- **पर्यावरणिक सेवाऐं :**

  पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी, क्षेत्रीय संस्थानों एवं मुख्यालयों के जरिए इसका कार्यान्वयन, घरेलू सीपीसीबी अनुमोदित प्रयोगशालाओं में वायु, जल, ध्वनि नमूनों का विश्लेषण, खान बंदी योजना बनाना तथा खान बंदी की मॉनिटरिंग करना, ओबी एवं हाई वाल का ढाल स्थायित्व अध्ययन, खानों की पर्यावरणिक वहन (कैरिंग) क्षमता तथा नदी तटीय इकोसिस्टम का अध्ययन, पूरे सीआईएल की खानों के लिएभू–उपयोग मानिटरिंग हेतु सुदूर उपग्रह डाटा का प्रयोग, आदि।

- **सूचना प्रौद्योगिकी**
- **मानव संसाधन विकास**
- **विशेषीकृत सेवाएँ**
  - रिमोट सेंसिंग सहित जियोमेटिक्स
  - खानों में संवातन (वेंटिलेशन) एवं गैस सर्वेक्षण
  - नियंत्रित विस्फोटन
  - नए विस्फोटकों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन
  - खनन इलेक्ट्रानिक्स
  - खान की क्षमता का मूल्यांकन
  - खान थम्हाल का डिजाइन; रॉक मास रेटिंग (आरएमआर)
  - अनाशक परीक्षण (एनडीटी)
  - प्रबंधन प्रणाली परामर्श
  - कोयला एवं ओबीआर की माप

1.2 वित्तीय कार्यकारी परिणाम :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने 316.96 करोड़ रूपए कर पश्चात् लाभ अर्जित किया है। कंपनी का कार्यकारी परिणाम नीचे दिया गया है :

₹ (करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
निबल बिक्री	1381.31	1488-60
अन्य आय	21-70	22-10
कुल व्यय	1090-39	1096-21
कर के पूर्व लाभ	312-62	414-49
कर व्यय	119-23	97-53
कर के बाद लाभ (क)	193-39	316-96
अन्य विस्तृत आय (ओसीआई)'	(8-60)	(9-51)
आयकर, जिसे लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा	(2-16)	(2-39)
अन्य विस्तृत आय (ख)	(6-44)	(7-12)
कुल विस्तृत आय (क)+(ख)	**186-95**	**309-84**

1.3 प्रबंधन विवेचन एवं विश्लेषण रिपोर्ट :

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट (सीएमपीडीआई लि.) के प्रबंधन ने अपनी विचार–विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट पेश की है, जिसमें कंपनी के कार्य निष्पादन तथा आउटलुक सहित विभिन्न महत्वपूर्ण मामले को शामिल किया गया।

1.3.1 सीएमपीडीआईएल के प्रमुख उद्देश्य :

1. भूवैज्ञानिक, भूभौतिकीय, जल–भूवैज्ञानिक तथा पर्यावरणिक आंकड़ा प्रतिपादन सहित

कोयले तथा खनिज गवेषण में परामर्शी सेवा सहायता प्रदान करना।

2. अनुकूलतम खान प्लानिंग के लिए भूवैज्ञानिक मूल्यांकन पर भरोसा के स्तर को ऊँचा कर गवेषण तथा संभाव्यता रिपोर्ट की गुणवत्ता में सुधार करना।
3. संसाधन की उत्पादकता में सुधार लाकर एवं बर्बादी को रोकर आंतरिक संसाधनों का अनुकूलतम निर्माण करना तथा निवेश आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त बाहरी संसाधन लगाना।
4. कोयला खानों, कोयला परिष्करण तथा यूटिलाइजेशन संयंत्र आदि के लिए परियोजना की प्लानिंग एवं डिजाइनिंग।
5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं विकास योजना के तहत कोयला क्षेत्र में अनुसंधान क्रिया—कलाप को प्रोत्साहित करना, समन्वय करना तथा इनकी प्रभावकारिता सुनिश्चित करना।
6. कोयला खनन तथा सम्बद्ध परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना, (ईएमपी), पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) तथा खान बंदी योजना बनाना।
7. भूमि पुनुरूद्धार मानिटरिंग, पर्यावरणिक आंकड़ा सृजन, वनाच्छादन मापन, कोयला खान अग्नि मापन, कोयला क्षेत्रों का वृहद पैमाने पर टोपोग्राफिकल मानचित्रण, टीपीएस एवं वाशरी स्थल आदि के चयन सहित आधारभूत संरचना के आयोजन के लिए सुदूर संवेदन सेवा प्रदान करना।
8. कोल इंडिया लिमिटेड की कोयला उत्पादक सहायक कंपनियों को क्षेत्र एवं प्रयोगशाला सेवा मुहैया कराना।
9. कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों के अतिरिक्त इससे इतर के संगठनों को परामर्शी सेवा मुहैया कराना।

1.3.2 सीएमपीडीआईएल के क्रिया-कलापों का संक्षिप्त विवरण

सीएमपीडीआईएल के सभी कार्यों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :

क) **भू-वैज्ञानिक गवेषण एवं सहायता सेवा-** स्थापना काल से ही यह सीएमपीडीआईएल का प्रमुख कार्य (कोर फंक्शन) रहा है, जो खनिज डिपोजिट(खनिज भंडार) के लिए निम्नलिखित सेवाएँ देता हैः

- गवेषण की प्लानिंग तथा कार्यान्वयन
- निवेश तथा दोहन निर्णय के लिए संसाधन मूल्यांकन तथा प्रलेखन और
- सम्बद्ध क्षेत्र परीक्षण तथा प्रयोगशाला सहायता

ख) **आयोजन, डिजाइन तथा सहायता सेवाएँ-** स्थापना काल से ही सीएमपीडीआईएल के दूसरा प्रमुख होने के कारण, निर्माण एवं एवं खानों का परिचालन, परिष्करण, उपयोग तथा अन्य आधारभूत सुविधा और अभियंत्रण परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित सेवा दी जाती है।

- वैचारिक(अवधारणात्मक)/पूर्व—संभाव्यता/संभाव्यता अध्ययन परियोजना रिपोर्ट और मूलभूत एवं विस्तृत अभियांत्रिकी डिजाइन का निर्माण और/अथवा मूल्यांकन
- अभियंत्रण एवं अन्य संबंधित परामर्श तथा सहायता और
- असंबंधित क्षेत्र परीक्षण एवं प्रयोगशाला सहायता।

ग) **पर्यावरणिक प्रबंधन सेवाएँ-** माइन क्लोजर प्लानिंग, लेबोरेटरी तथा टेस्ट सपोर्ट सहित उनके प्लानिंग और आपरेशन के दौरान पर्यावरणिक प्रबंधन के लिए खनन एवं खनिज उद्योग को सभी प्रकार का सपोर्ट 1992 से ही दे रहा है। वार्षिक आधार पर सेटेलाइट सर्वेलांस द्वारा प्रति वर्ष 5 मिलियन घन मीटर

(कोल+ओबी) से अधिक उत्पादन वाली खुली खानों की भूमि पुनरूद्धार मॉनीटरिंग की जा रही है। जबकि प्रतिवर्ष 5 मि.घ.मी. (कोयला+ओबी) से कम उत्पादन वाली खुली खानों की भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग तीन वर्षों के अंतराल पर की जा रही है।

(घ) **प्रबंधन प्रणाली सेवाएँ :** 1997 से यह क्रिएशन, डॉक्यूमेंटेशन, कार्यान्वयन तथा विभिन्न प्रबंधन प्रणाली मानकों का प्रशिक्षण अर्थात् आईएसओ 9001 (पर्यावरणिक प्रबंधन प्रणाली), आईएसओ 14001 (पर्यावरणिक प्रबंधन प्रणाली), ओएचएसएएस 18001 (व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन), एसए 8000 (सोशल एकांउंटेबिलिटी प्रबंधन), आईएसओ 50001 (ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली) तथा आईएसओ 27001 (सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) तथा आईएसओ 37001 (रिश्वतरोधी प्रबंधन प्रणाली) पर सेवाएँ देता आ रहा है। सीएमपीडीआईएलको अपने सभी क्षेत्रीय संस्थानों के साथ संशोधित नए आईएसओ 9001 : 2015 मानक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लाइसेंस दिया गया है।

(ड.) **मानव संसाधन विकास :** 1976 से इन सेवाओं में निम्नलिखित शामिल है : बाजार के ग्राहकों विशेषकर खनिज एवं खनन सेक्टर को प्रशिक्षण से संबंधित तकनीकी प्रबंधकीय प्रबंधन प्रणाली।

(च) **विशेषज्ञता प्राप्त सेवाएँ :** सुदूर संवेदन, खानों में संवातन (वेंटिलेशन) एवं गैस सर्वेक्षण, नियंत्रित विस्फोटन, नए विस्फोटकों का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन, खनन इलेक्ट्रानिक्स, खान क्षमता मूल्यांकन, खान थम्हाल डिजाइन, रॉक मास रेटिंग (आरएमआर), अनाशक परीक्षण, प्रबंधन प्रणाली परामर्श, ओबीआर चेक माफ आदि सहित जियोमेटिक्स के क्षेत्र में विशेषज्ञ परामर्शी सेवाएँ भी दी जा रही है।

1.3.3 उद्योग की संरचना एवं विकास :

कोविड–19 महामारी के दौर में एक वर्ष से अधिक का समय बीत जाने पर भी लोगों के मरने की संचयी वृद्धि हमारी चिंताओं को बढ़ा रही है। यह स्थिति तब भी बनी हुई है जब वैक्सीन कवरेज में वृद्धि ने कोविड–19 के विरूद्ध प्रतिरक्षा प्राप्त करने की मानसिकता को मजबूत बनाया है। वैश्विक आर्थिक परिदृष्य अत्यधिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है, जो मूलतः महामारी जनित संकटों के कारण पैदा हुआ है सन् 2020 में महामारी के कारण विभिन्न आर्थिक और अन्य मानवीय क्रियाकलापों में जो संकुचन हुआ है, वह अपनी गति और समकालिक प्रकृति के कारण मानव की जीवित स्मृति में अभूतपूर्व था। वर्ष 2020 में अर्थव्यवस्था में –3.3 प्रतिशत के संकुचन के अनुमान के बाद वर्ष 2021 में इसके 6 प्रतिशत की वृद्धि की तथा 2022 में घटकर 4.4 प्रतिशत की संभावना व्यक्त की गई है। मध्यम अवधि में वैश्विक वृद्धि दर के घटकर 3.3 प्रतिशत होने की संभावना है। यह स्थिति विकसि तथा कुछ विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में श्रम बल के वृद्धावस्था से संबंधित निम्न वृद्धि दर सहित महामारी के पहले से मौजूद कुछ सर्मस्याओं, जैसे आपूर्ति क्षमता और ताकतों के अनुमानित नुकसान को प्रतिब्मिबीत करता है। इन स्थितियों के बाद भी कोविड–19 जनित मंदी का प्रभाव 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट की तुलना में कम भयावह रहा है, तो इसके लिए हमें अभूतपूर्व नीतिगत प्रतिक्रियाओं के प्रति आभारी होना चाहिए। फिर भी, उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाएँ और निम्न आय वाले विकासशील देशों को महामारी जनित इस मंदी ने अत्यधिक दुष्प्रभावित किया है और इस संबंध में यह भी संभावित है कि इन देशों के लिए मध्यम अवधि के दुष्प्रभाव कहीं और अधिक होंगे। जहाँ तक भारत की बात है वह समग्र तौर पर कोविड–19 महामारी की दूसरी लहर से जी जान से लड़ रहा है तथापि इसके प्रभावों को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है।

भारत में खनन मुख्य आर्थिक क्रिया–कलाप है जिसका देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। कोयला खनन तथा कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन क्षेत्र में दो कोर उघेग है

तथा दोनों मिलकर भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में लगभग 10 प्रतिशत का योगदान देकर अपना महत्व दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त, आज की तिथि तक भारत का लाजिस्टिक उद्योग, स्पंज आयरन उद्योग भारत के घरेलू कोयला उद्योग पर आधारित है। तीन पूर्वी राज्य (झारखंड, ओडीसा तथा छत्तीसगढ़) में आर्थिक गतिविधि काफी हद तक कोंयले पर आधारित है। इस क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 5,00,000 लोग लगे हुए हैं और संभवतः इतने ही लोग अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। इसलिए भारत के लिए कोयला क्षेत्र की महत्ता देश के लिए न सिर्फ ऊर्जा के लिए है, बल्कि जो सामाजिक आर्थिक भूमिका यह निभाता है, उससे इंकार नहीं किया जा सकता है।

भारत की ऊर्जा माँग अगले 20 वर्षों तक वृद्धि जारी रहेगी। भारत में विद्युत उत्पादन के लिए 70 प्रतिशत अधिक कोयले से बिजली उत्पादन करता है। इस प्रकार यह घरेलू कोयला भंडार का व्यापक उपयोग आगे भी जारी रहेगा। भारत में कोयले की मांग विगत पांच वर्षों में एक चौथाइ से अधिक है और मांग में वृद्धि विद्युत क्षेत्र और नन–रेगुलेटेड क्षेत्र दोनों में बनी रहेगी। विद्युत का 72 प्रतिशत उत्पादन कोयले से होता है। अधिकांश पैसिमिस्टक परिदृष्य में ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में कोयले की मांग ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में बना रहेगा और 2030 तक शायद उससे भी आगे रहेगा। कुल मिलाकर कोयले की मांग 2021 तक लगभग 1049 मी.ट. होगा और के.पी.एम.जी. द्वारा तैयार विजन 2030 दस्तावेज के अनुसार लगीाग 1300 मि.ट. से 1900 मी. ट. आकलित किया गया है। यहां मांग परिदृश्य आर्थिक विकास, ऊर्जा पर्याप्तता तथा कोयले के वैकल्पिक प्रयोग से प्रभावित है। कोल इंडिया लिमिटेड आपूर्ति कड़ी (चेन) में संतुलजनात्मक भूमिका अदा कर सकता है। तथापि उपभेक्ता ईकाइयों में कोविड–19लॉक डाउन के बाद के प्रभाव के चलते कोयले की मांग पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण सरकार को कोयले की आयात में कमी लाने का प्रयास करना पड़ा, जिसमें विदेशी मुद्रा खर्च तथा समय–सीमा तक आयात का प्रयास के विकल्प का प्रयास किया गया है। कुल मिलाकर लॉक डाउन समाप्त होने के उपरांत उपभोक्ता इकाईयों के खुलने पर कोयले की मांग तेजी से बढ़ेगी। भारत में प्रोगनेस्टिकेटेड कोल बियरिंग एरिया की पहचान करने के लिए अगसत, 2020 में जीएसआई के साथ सीएमपीडीआईएल द्वारा एक संयुक्त एक्सरसाइज (कार्य) संपादित किया गया। कुल 43 गोंडवाना कोलफील्ड्स और 19 टर्शियरी कोलफील्ड्स का अध्ययन किया गया। गोंदवाना कोयला क्षेत्र का कुल बेसिनल एरिया 65574 वर्ग कि.मी. का आकलन किया गया, जिसमें से कुल 31,854 वर्ग कि.मी. प्रोग्नोस्टीकेटेड कोल बियरिंग क्षेत्र था। कुल क्षेत्रीय गवेषण लगभग 18636 वर्ग कि.मी. मापा गया था तथा 13256 वर्ग कि. एरिया क्षेत्रीय गवेषण के लिए छोड़ दिया गया। टर्शियरी कोयला क्षेत्र का कुल बेसिनल एरिया 1343 वर्ग कि.मी. था, जिसमें से कुल 915 वर्ग कि.मी. प्रोग्नोस्टीकेटेड कोयला बियरिंग क्षेत्र था। कुल क्षेत्रीय गवेषण का क्षेत्र 456 वर्ग कि.मी. है।

सरकार ने सीएमपीडीआईएल को देश में 2डी/3डी सिस्मिक सर्वेक्षण पर बल देते हुए क्षेत्रीय और विस्तृत गवेषण करने का निर्देश दिया ताकि निकट भविष्य में कोयला गवेषण के सर्वोत्तम प्रापर्टीज की पहचान तेजी से की जा सके। अधिकतम संभव तक देश के उपलबध कोयला संसाधनों के दोहन करने के लिए जितना जल्दी संभव हो संभावित बिडरों को कोयला खनिखंड उपलब्ध करान इसका उद्देश्य है। इस पर विचार करते हुए 8–10 बोर होल प्रति वर्ग कि.मी. से अधिक के गवेषण के पूर्व के प्रैक्टिस के आधार पर ऑक्शन के लिए संसाधनों (2डी/3डी सिस्मिक सर्वेक्षण सहित ड्रिलिंग के 2 बोर होल प्रति वर्ग कि.मी.) के जी 2 लेवल सहित गैर–सीआईएल कोल खनिखंडों के लिए प्रशासनिक मंत्रालय प्रयास कर रहा है।

कम बोर होल घनत्व के साथ भौतिक ड्रिलिंग, दीर्घकालीन कोविड–19 लॉक डाउन, कठिन भू

वैज्ञानिक स्थिति औसत बोर होल में 500 मी. से अधिक की वृद्धि वन भूमि के कारण ड्रिलिंग स्थल की अनुपलब्धता, कुछ क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की विपरीत स्थिति, आधुनिक आधारभूत सुविधा से युक्त उपयुक्त आउटसोर्स एजेंसी उपलब्ध न होना आदि को ध्यान में रखकर वर्ष 2021–22 के लिए 300 लाइन कि.मी. के 2डी/3डी सिस्मिक सर्वेक्षण के जरिए ऑकड़ा सृजन सहित 7.50 लाख मीटर ड्रिलिंग का प्रस्ताव किया गया है।

कुल मिलाकर भविष्य में उत्पादन को बढ़ाने तथा उसे बनाए रखने के लिए कोल इंडिया को नियमित तौर पर गवेषण एवं आयोजन सहायता की जरूरत पड़ेगी। यह सीचपी, वाशरी आदि सहित आधारभूत सुविधा के लिए सच्चाई होगी। इसके अतिरिक्त सीएमपीडीआईएल की विशेषज्ञ सेवाओं की मांग सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों एवं निजी क्षेत्र में भी बनी रहेगी।

सीएमपीडीआईएल टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी लि, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल), एनएलसी इंडिया लिमिटेड, आईआरसीओएन इंटर नेशनल लिमिटेड, आदि जैसे कोल इंडिया लि. के कंपरियों के अलग के लिए परामर्शी कार्य मुहैय्या करा रहा है। घरेलू आपूर्ति के द्वारा कोयले की मांग पूरा करने के प्रति कोयला कंपनियों, मुख्यतः सीआईएल में सीएमपीडीआईएल की सेवाओं की माँग भी रहेगी।

इसके अतिरिक्त कोयले पर आधारित कोल बंड मीथेन/कोल माइन मिथेन, भूमिगत कोलया गैसीकरण आदि जैसे गैर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के वैकल्पिक स्रोत को अपनाने के प्रति कोल इंडिया लिमिटेड एवं अन्य कंपनियों के प्रयास भी सीएमपीडीआईएल के लिए परामर्श कार्य का स्रोत हो सकता है। सीएमपीडीआईएल ईसीएल, बीसीसीएल और एसईसीएल जैसे कोल इंडिया वाले क्षेत्रों में सीबीएम परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त कोयला सेक्टर में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) एक उभरता हुआ क्षेत्र है जो आगे आने वाले वर्षों में सीएमपीडीआईएल के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान करेगा।

फिर भी सीएमपीडीआईएल के टॉप और बाटम लाइन में इसके प्रयास परिलक्षित करने के लिए शुरूआत की है, और तद्नुसार हाल ही के वर्षों में बिक्री और पीबीटी में वृद्धि दर्ज हुई है। देश और विश्व में बदलते परिदृष्य विशेषकर इस दौरान और पोस्ट कोविड–19 के बाद सीएमपीडीआईएल के व्यवसाय की गति पर पुनः देखने की निश्चित रूप से आवश्यकता है। भविष्य के भावी बाजार परिदृश्य कोल सेक्टर में समुचित अध्ययन को भी शामिल करना होगा। प्रमुख उपाय में अन्य क्षेत्रों में फौर के लिए संभाव्य अवसरों को भी शामिल करना होगा।

तथापि भारत में कोयला ईंधन के रूप में प्राथमिकता वाला क्षेत्र बने रहने की संभावना है ओर लोकल पोपुलेशन के लिए कम–से–कम अगले 12 से 15 वर्षों के लिए सस्ता ऊर्जा स्रोत के रूप में रहेगा। लंबी अवधि के लिए कोयले की मांग का बने रहना और तापीय कोयले का भारत में कमी पर कुछ संदेह उठाया गया है। कोयला क्षेत्र के भावी विस्तार कार्यक्रम के प्रभाव का पता लगाने के साथ बड़े पैमाने पर ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के दोहन के प्रति भारत की वचनबद्धता है। भारत के पोस्ट–2020 क्लाइमेट एक्शन प्लान में 2005 लेवल तक 2030 तक 33–35 प्रतिशत तक उत्सर्जन की तीव्रता में कमी करने तथा विद्युत उत्पादन में क्लीन एनर्जी की भागीदारी को बढ़ावा देने तथा पर्यावरण से कार्बन डायआक्साइड में कमी करने के लिए पेड़ और वनस्पति आच्छादन सहित कार्बन सिंको को मिलाने के प्रति प्रॉमिस करता है।

कुल मिलाकर पर्यावरणिक दिशा–निर्देशों के अनुपालन की विभिन्न आवश्यकताएँ, ग्रीन लॉबी की ओर से दबाव साथ ही साथ कोयला खनन के लिए भूमि अर्जन के प्रयास दिन–प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। कोयले की मांग में

कमी आने से कोयले के गवेषण की आवश्यकता और कम हो जाएगी। सीएमपीडीआईएल के टर्न ओवर में प्रमुख भागेदारी निभाने वाला गवेषण की महत्ता बनाए रखने के लिए मेटल क्षेत्र सहित गैर–कोल सेक्टर के लिए विविधकरण करना होगा।

उपग्रुकत तथ्यों को ध्यान में रखकर तथा सीएमपीडीआईएल के व्यावसायिक क्षेत्र में गतिशीलता लाने के उत्पादकता में और वृद्धि कर गवेषण क्षमता में वृद्धि सुनिश्चित करना यथार्थवादी होगा, वह भी खासकर 2डी/3डी सिस्मिक सर्वे एवं अन्य भू–भौतिक प्रणाली जहां कहीं भी आवश्यक हो, वहाँ वर्तमान सुविधा तथा आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि एवं आधुनिकीकरण, श्रमशक्ति के उपयोग को युक्सिंगत उपयोग तथा अधिकारी श्रमशक्ति की भर्ती, कोयला के अलावा अन्य खनिज, खनन तथा सम्बद्ध अभियांत्रिकी सेवा में पदार्पण, मूल्य के रूप में बाहरी कार्य गैर वर्किंग के जरिए ड्रिलिंग एवं इन्वेंटरी कंट्रोल सहित कोर क्षेत्र में प्रभावकारी मॉनीटरिंग की स्थापना, कोयला आधारित ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के विकास के लिए प्रौद्योगिकी की स्थापना आदि जैसे क्षेत्रों में प्रवेश के जरिए ये सब करने होंगे।

1.3.4 उपर्युक्त उद्देश्य एवं विजन प्राप्त करने के लिए अपनाई गई नीति :

खनिज, खनन तथा संबंद्ध क्षेत्रों में प्राप्त बाजार में स्थान तथा गहरी जानकारी के सहारे अपने उपर्युक्त निगमित उद्देश्य प्राप्त करने क लिए सीएमपीडीआईएल निम्नलिखित रणनीति एवं व्यावसायिक योजना बना रहा है :

1. गवेषण क्षमता में वृद्धि के लिए सिस्मिक सर्वे का 2डी/3डी जोड़ना इत्यादि।
2. कोयले के अतिरिक्त, खनिज, खनन तथा सम्बद्ध अभियंत्रण सेवाओं के नए क्षेत्रों में विविधिकरण।
3. बाहरी ग्राहकों के लिए मार्केट शेयर बढ़ाना।
4. देश के बाहर तथा भीतर रणनीतिक साझेदारों के साथ टाई–अप।
5. वर्तमान सुविधाओं एवं आधारभूत संरचनाओं का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण।
6. परिचालन दक्षता तथा कार्य की गुणवत्ता में सुधार लाना।
7. निगमित कार्य संस्कृति तथा आंतरिक पद्धति में सुधार।
8. सतत् आयोजना (प्लानिंग) तथा कोयला उद्योग को विशेषज्ञ सेवा सुनिश्चित करने के लिए श्रम शक्ति का युक्तिसंगत उपयोग तथा अधिकारी श्रमशक्ति की भर्ती
9. बेहतर लागत नियंत्रण उपाय एवं मानिटरिंग तथा,
10. कोयला आधारित ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का विकास।

1.3.5 सामर्थ्य एवं कमजोरी :

सामर्थ्य :

- सीएमपीडीआईएल वास्तव में एक बहु अनुशासनिक संगठन, शायद अपनी तरह का एक मात्र, है जो एक ही छत के नीचे खनन के पहले, खनन के दौरान तथा खनन कार्य के बाद प्रायः सभी सेवाएँ उपलबध करा रहा है
- भारत में विस्तृत कोयला गवेषण में प्रभुत्व वाला, सीएमपीडीआईएल की पहचान सरकारी प्रिफरेंसेज रखने के अलावा भारतीय ग्राहकों के बीच सबसे पसंदीदा परामर्शदाता के रूप में है।
- रणनीतिक रूप से अवस्थित अपने क्षेत्रीय संस्थानों के साथ यह कोयला मंत्रालय के साथ–साथ कोल इंडिया लिमिटेड की सभी कंपनियों को दहलीज पर ही सेवा देने में सक्षम है। सीएमपीडीआईएल की उपस्थिति कोयलाधारक क्षेत्रों के आस–पास अखिल भारतीय की है।
- कोयला क्षेत्र में उपलब्ध वृहद संशाधनों की सूचना देने के लिए सीएमपीडीआईएल के पास कोयला ब्लॉकों, कोयला भंडारों, कोयले की गुणवत्ता आदि से संबंधित विश्वसनीय आँकड़ा आधारित पर्याप्त जानकारी है।
- इसके पास 1400 से अधिक बहुअनुशासनिक (मल्टीडिसिप्लिनरी) कौशलयुक्त श्रमशक्ति का मजबूत आधार है।

- इसके पास बड़ी संख्या में आधारभूत सुविधाओं, 70 मि.ट.प्र.व. खुली खदान खान तथा 6 मी.ट.प्र.व. भूमिगत खान तक की निजी परियोजना क्षमता सहित 1000 से अधिक खनन परियोजना रिपोर्टों की प्लानिंग, 1300 से अधिक समेकित कोल गवेषण परियोजना, को क्रियान्वित करने का व्यापक आधारभूत संरचना उपलब्ध है।
- 8 राज्यों में जियोग्राफिकल रूप से फैले प्रयोगशाला सुविधाओं, बेस लाइन डाटा जेनरेशन क्षमता आदि से युक्त कोयला गवेषण (विस्तृत गवेषण के लिए देश में वेधन के लार्जेस्ट फ्लीट) के लिए इसके पास व्यापक आधारभूत संरचना उपलबध है।

कमजोरियाँ (कमियाँ) :

- राजस्व प्राप्त करने के लिए कोयला मंत्रालय एवं कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों पर निर्भरता।
- क्षेत्रीय गवेषण आँकड़ा, जो विस्तृत कोयला गवेषण के लिए आवश्यकत है, हेतु जीएसआई/एमईसीएल पर निर्भरता।
- उच्च संचालन लागत और निर्धारित लागत अर्थात् उद्योग में पियर्स (Peers) की तुलना में कर्मचारी मुआवजा।
- दक्ष और अनुभवी अधिकारियों, कर्मचारियों की सेवा–निवृत्ति तथा नव–नियुक्त कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण लेने के बाद कंपनी को छोड़ने की उच्च दर।
- गैर–विविधिकरण अर्थात् केवल कोयला उद्योग के लिए प्रतिबंधित
- अधिकारी और गैर–अधिकारी संवर्ग में दक्ष और योग्य कर्मिकों की कमी।

1.3.6 अवसर एवं आशंकाऐं

अवसर

- कोयले की मांग कम से कम 10 से 12 वर्षों तक जारी रहने की संभावना है, जिससे सीएमपीडीआईएल की सेवाएँ बनी रहने की संभावना है।
- सरकार द्वारा पब्लिक एवं प्राइवेट कंपनियों दोनों के कैप्टिव उपयोगकर्त्ताओं के लिए कोयला ब्लॉकों का ऑक्सन/आवंटन से कोल इंडिया के बाहर सीएमपीडीआईएल के लिए और अधिक बाजार अवसर का सृजन होगा।
- संपूर्ण गवेषण और खनन समाधान उपलब्ध कराने के लिए सर्विस प्लेटफार्म के कार्यान्वयक एजेंसी के रूप में विकास
- कोयला क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ाने की आवश्यकता।
- गैर कोयला क्षेत्र में अपनी सेवाओं का विविधिकरण।
- सीबीएम/सीएमएम/यूसीजी/शेलगैस, जियोमेटिक्स, अपारंपरिक ऊर्जा आदि से संबंधित विशेषज्ञ सेवा देने में दक्षता।

आशंकाएँ

- भारतीय कोयला सेक्टर धीरे–धीरे उदारीकरण की ओर बढ़ रहा है। अब कोयला सेक्टर को और खोल देने (मुक्त करने) से अन्य घरेलू अथवा अंतराष्ट्रीय परामर्श सेवा प्रदाताओं के बीच बाजारू प्रतिस्पर्द्धा बढ़ी है।
- क्षेत्रीय गवेषण में आनुपातिक वृद्धि के साथ ताल–मेल बैठाना, वर्तमान विस्तृत वेधन क्षमता को बनाए रखना निकट भविष्य में कठिन प्रतीत होता है।
- कोयले को सोलर, विंड आदि जैसे रीन्यूएवल ऊर्जा स्रोतों के द्वारा स्थानांतरित किया जा रहा है। आने वाले वर्षों में इन वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास में और वृद्धि होगी और सस्ते में भी होंगे। इससे कोयला खनन की रूझान में कमी आती जाएगी, जिसके कारण कोयला क्षेत्र में सीएमपीडीआईएल को मिलने वाले कार्यों में गिरावट आ जाएगी।
- इन क्षेत्रों में वन क्षेत्र सीमित खनन तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के कारण ड्रिलिंग कार्य प्रभावित हो रहा है।
- प्रमुख रूप से मानव संसाधन संचालित कंपनी होने के कारण वर्तमान अधिक उम्र प्रोफाइल निकट भविष्य में नुकसानदायक होगी। विशेषज्ञ श्रमशक्ति तेजी से घटती जा रही है, क्योंकि इसके अधिकांश अनुभवी तकनीकी विशेषज्ञ सेवा–निवृत्त होते जा रहे हैं।

1.3.7 मूल्य निर्धारण नीतिः

सीएमपीडीआईएल, कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी द्वारा परामर्श सेवा से प्राप्त राजस्व

गवेषण, खान योजना / परियोजना रिपोर्ट, पर्यावरणिक योजना तथा अन्य अभियंत्रण सेवाओं से प्राप्त राजस्व की पहचान ग्राहकों की विभिन्न श्रेणी के लिए अपनाए गए मूल्य–निर्धारण फार्मूला पर आधारित है।

1.3.8 बाजार नीतिः

सीएमपीडीआईएल प्राथमिकता के आधार पर कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियों द्वारा सभी संभावित क्षेत्र में जब और जहाँ आवश्यक हो परामर्श सेवाएँ मुहैया कराने के प्रति वचनबद्ध है। सीएमपीडीआईएल महत्वपूर्ण और नीतिगत मूल्यों को ध्यान में रखकर कोल इंडिया से बाहर के ग्राहकों से कार्य, जहाँ ऐसे बाहरी परामर्शी कार्य शुरू किए जा सकते हैं, लेने/करने के प्रति भी वचनबद्ध है।

1.3.9 दृष्टि एवं तैयारीः

11वीं एवं 12वीं योजना अवधि के दौरान सीएमपीडीआईएल का गवेषण कार्य बहुत ही उत्साहवर्द्धक रहा, जो 2017–18 तक जारी रहा, परंतु समय पर फंड की अनुपलब्धता सहित कई अन्य कारणों से वर्ष 2018–19 के दौरान इसे कायम नहीं रखा जा सका। कोविड–19 राष्ट्रव्यापी महामारी के कारण 2018–19 में की गई कुल ड्रिलिंग 13.60 लाख मीटर की तुलना में 2019–20 में 12.94 लाख मीटर तथा 2020–21 में 12.48 लाख मीटर रहा। सीएमपीडीआईएल 10वीं योजना अवधि (2002–07) के दौरान कुल ड्रिलिंग 10 लाख मीटर तथा 11वीं योजना अवधि (2007–12) में लगभग 19.41 लाख मीअर ड्रिलिंग की तुलना में 12वीं योजना अवधि में 42.08 लाख मीटर ड्रिलिंग कर सका। कुल मिलाकर विभागीय ड्रिलों के दौरान 619 मीटर/ड्रिल/माह की उत्पादकता के साथ 5 लाख मीटर वेधन किया जो सीएमपीडीआईएल के इतिहास में सबसे अधिक है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2020–21 में 12.48 लाख मीटर के उपलब्धि सहित वर्ष 2006–07 (10वीं योजना अवधि के अंत) में 2.06 लाख मीटर की उपलब्धि लगभग 14 प्रतिशत अधि कवेधन में सीएजीआर (क्यूमूलेटिव एनूअलाइज्ड ग्रोथ रेट) प्राप्त किया जा सका।

26 भूवैज्ञानिक रिपोर्टों की तैयारी और लगभग 304 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को शामिल करते हुए विस्तृत गवेषण के जरिए लगभग 13.1 बिलियन टन अतिरिक्त कोयला संसाधनों को प्रमाणित श्रेणी में जोड़ा गया है। स्थापना काल से आज तक सीएमपीडीआईएल द्वारा एक वर्ष में सर्वाधिक कोयला प्रमाणित किया जा चुका है। सीएमपीडीआईएल मेसर्स एसईआरसीईएल, फ्रांस से आयातित वाइब्रोसिस द्वारा लगभग 1000 मी.रेंज की गहराई के साथ आंकड़ा अर्जन और बड़े पैमाने पर 2डी सिस्मिक सर्वेक्षण किया है। वर्ष 2019–20 के दौरान 28 लाइन कि.मी. की उपलब्धि की तुलना में 2डी/3डी सिस्मिक सर्वेक्षण लगभग 295 लाइन कि.मी. किया गया। 2डी/3डी सिस्मिक सर्वेक्षण के कार्यनिष्पादन पर कोविड–19 महामारी के राष्ट्रव्यापी होने, वन स्वीकृति और स्थानीय ग्रामीणों से संबंधि मुद्दों का पभाव पड़ा ।

विभागीय वेधन के आधुनिकीकरण, अधिक क्षमता वाला नया मेकेनिकल ड्रिल तथा ड्रिल का समावेश, हाई परर्फोमेंस विट्स का समावेश, जिसके परिणमस्वरूप उच्च उत्पादकता, आधुनिक मड टेक्नोलाजी को अपनाना, ड्रिलिंग संबंधी उपकरणों और श्रमशक्ति की कारगर व्यवस्था आदि सीएमपीडीआईएल के ड्रिलिंग क्षमता को बढ़ाने के महत्वपूर्ण साधन रहे थे।

भारत सरकार ने कोयला गवेषण को फास्ट ट्रैक पर रखा है। विस्तृत गवेषण हेतु देश के क्षेत्रीय गवेषण की गति तेज करने तथा और अधिक संभावित क्षेत्र की पहचान करने पर विचार किया गया है। यह केवल आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाकर संभव हो सका है, जो क्वांटम आफ ड्रिलिंग में कमी लाएगा और भूवैज्ञानिक मॉडल को अधिक विश्वसनीय बनाएगा। सिस्मिक सर्वे का प्रयोग वृहद् रूप ऑयल सेक्टर में होता है, जिसे कोयला सेक्टर के लिए बढ़ाया जा सकता है बशर्ते कि यह फलदायक हो। इसके अलावे कोल बेल्ट के एक्सटेंशन एरिया में कनसील्ड कोल

वियरिंग सेडिमेटरी बेसिन की पहचान करने में एरियल जियोफिजिकल सर्वेक्षण अगुवाई करेगा। सीएमपीडीआईएल ड्रिलिंग में आधुनिकतम उन्नत प्रौद्योगिकी को शामिल कर गवेषणामक ड्रिलिंग की क्षमा निर्माण की प्रक्रिया पहले ही शुरू किया जा चुका है। इसने अधिक समय लेने वाले ड्रिलिंग प्रक्रिया पर निर्भरता को कम करने के लिए गवेषण के विभिनन भू–भौतिक सर्वेक्षण तकनीक जैसी नई प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने तथा भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट तेयार करने में इसका उपयोग करने के लिए पहले ही कदम उठाया हे। इससे भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट तेयार करने की गति में तेजी आएगी तथा ब्लाकों के भू–वैज्ञानिक माडल तेयार करने में इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा।

वर्ष 2020–21 वर्ग कि.मी. के 2डी/3डी सिस्मिक सर्वेक्षण सर्वेक्षण और 300 लाइन कि.मी. सर्वेक्षण से संबंधित आँकड़ा सृजन सहित 7.50 ला.मी. का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। विगत 3 वर्षों में गवेषण की गति में स्थिरता आ गई थी, जिसका कारण गैर अनिश्चितता, कुछ ब्लाकों क्षेत्रों में विपरीत कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, वन विभाग की अनुमति के लिए 105 कोयला ब्लॉकों के आवेदन लंबित रहने से विस्तृत गवेषण की अनुमति प्राप्त न होना आदि हे। सीएमपीडीआईएल ने विभिन्न कोयला ब्लॉकों में प्रति वर्ष गवेषणात्मक वेधन एक लीाख मीटर तक करने के प्रस्ताव के लिए 6 जनवरी, 2009 को एमईसीएल के साथ एक दीर्घकालीन एमओयू किया हे, जिसे बढ़ाकर प्रतिवर्ष 40 लाख मीटर कर दिया गया है। वर्ष 2007–08 से 112 ब्लाकों में लगभग 44 लाख मीटर ड्रिलिंग और लगभग 1967 लाइन कि.मी. 2डी/3डी सिस्मिक सर्वे किया गया है। हॉलाकि कानून एवं व्यवस्था तथा वन क्षेत्र में ड्रिलिंग में आने वाले अवरोध के लिए सीएमपीडीआईएल, सीआईएल और एमओसी द्वारा संबंधित राज्यों तथा एमओईएफ एवं सीसी के साथ आगे की कार्रवाई की जा रही है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पेष की गई 33 परियोजना रिपोर्टों में से 27 परियोजना रिपोर्ट खुली खनन की थी। इसमें से 4 बड़ी परियोजनाओं (10 एमटीवाई या इससे अधिक) की थी। 6 परियोजना रिपोर्ट भूमिगत खान की थी, जिसमें से 2 परियोजना रिपोर्ट को पावर्ड सपोर्ट लांगवाल टेक्नोलॉजी सहित सीएम प्रौद्योगिकी सहित 4 मेघा परियोजना रिपोर्ट शामिल थी।

सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय, राँची की भू–रासायनिक प्रयोगशाला को 12 विभिन्न स्कोप/पारामीटर में जाँच (टेस्टिंग) के क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाओं के लिए मानक आईएसओ/आईईसी 17025:2017 के अनुरूप नेशनल एक्रीडिशन बोर्ड फार टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी (एनएबीएल) ककी मान्यता है। भुवनेश्वर स्थित सीएमपीडीआईएल के क्षेत्रीय संस्थान–7 में नई रासायनिक विश्लेषण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। जियो केमिकल प्रयोगशाला की स्थापना की गईग है। जियो केमिकल प्रयोगशाला को सोफिसटिकेटेड आयातित उपकरणों के द्वारा अपग्रेड किया गया है और क्षमता बढ़ाई गई है। आईएसओ/आईईसी 1725 के अनुसरण में मई, 2019 में कोल एंड मिनरल प्रिपरेशन (सीएमपी) प्रयोगशाला को एनएबीएल एक्रीडीशन (मान्यता) प्रदान की गई। वर्ष के दौरान सीएमपीडीआईएल मुख्यालय के एनडीटी सेल को भी एनएबीएल की मान्यता दी गई, जो गैर–विध्वंसक परीक्षण (एनडीटी) में "टेस्टिंग" के क्षेत्र में इसे सुविधाजनक बनाने के लिए मानक आईएसओ/आईईसी के आधुनिक उपकरण के साथ मजबूती प्रदान की गई है। सीएमपीडीआईएल (मु.), क्षेत्रीय संस्थान–1,4,5 और क्षे.सं.–7 को एनएबीएल द्वारा मान्यता दिया गया है। सीएमपीडीआईएल के क्षेत्रीय संस्थान–2 और क्षे.सं.–6 के पर्यावरणिक प्रयोगशालाओं को एनएबीएल की मान्यता दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष के दौरान सीएमपीडीआईएल मु. के पर्यावरणिक प्रयोगशाला को सीपीसीबी की मान्यता दिलाई गई।

सीएमपीडीआईएल मुख्यालय में एक आधुनिकतम् सीवीएम प्रयोगशाला कार्यरत हैं, जिससे सीबीएम शैल गैस से संबंधित अध्ययन के बारे में सभी पारामेट्रिक डाटा तैयार करने, रिजरवायर का गुण निर्धारण तथा सीबीएम एवं शेल गैस संसाधन का मूल्यांकन करना सहज हो गया है। सीएमपीडीआईएल की क्षमता एवं सामर्थ्य बढ़ाने के लिए सीएमपीडीआईएल तथा सीएसआईआरओ, आस्ट्रेलिया द्वारा विज्ञान एउवं प्रौद्योगिकी द्वारा वित्त प्रदत्त परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

2008 से अब तक 5 धन मिलियन मीटर (कोल+ओबी) से अधिक उत्पादन वाली सीआईएल की सभी खुली खदान, कोयला खान के भूमि पुनरूद्वार मॉनीटरिंग के लिए सेटेलाइट सर्वेलांस वार्षिक रूप से किया जा रहा है। इसके उत्पादन वाले सीआईएल के खुली खदान कोयला खानों का भूमि पुनरूद्धार मॉनीटरिंग वर्ष 2011 से भी तीन वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है। नई प्रौद्योगिकी अपनाने में सीएमपीडीआईएल ने सर्वेईंग और मैपिंग अप्लीकेषनों के लिए ड्रोन प्राप्त कर लिया है। आधुनिकतम लिडार आप्टीकल और थर्मल सेंसरों से सुसज्जित प्रथम ड्रोन दिसम्बर, 2020 में आपूर्ति कर दी गई है। दूसरा ड्रोन मार्च, 2021 के दूसरे सप्ताह में प्राप्त कर लिया गया था। कोयला उद्योग में ड्रोनों का प्रयोग करने के लिए सीएमपीडीआईएल ने कोयला उद्योग में विभिन्न अप्लीकेशनों की क्षमता को बढ़ाने के लिए ड्रोन सेवा प्रदाताओं की सेवा लेने की कार्यवाई की गई है।

ग्रीनफलल्ड कोल वाशरी की स्थापना में वैचारिक (कंसेप्चुअल) रिपोर्ट तेयार करने से लेकर कार्य प्रदान करन्रे, तदुपरांत ड्राईंग की संवीक्षा करने तक कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों क्रो तकनीकी सहायता दी गई। सीएमपीडीआईएल ने कोल इंडिया की संबंधित अनुषंगी कंपनियों को 18 वाशरियों के तलए एनआईटी सुपुर्द किया। बीसीसीएल के अनुरोध पर इन 18 वाशरियों में से क्लीन कोल के 14 प्रतिशत राख के स्तर वाली धुले कोयले के लिए मूनीडीह वाशरी (2.5 मी.ट. प्र.व.) हेतु फ्रेश एनआईटी तैयार कर बीसीसीएल को भेज दिया गया है।

बीसीसीएल के वर्तमान मूनीडीह, मधुबन और दुग्धा–।। वाशरियों के पुनरूद्धार के कार्य के लिए बिड दस्तावेज भी तैयार कर लिया गया।'' सीआईएल ब्लॉकों में कोकिंग कोल पर रिपोर्ट'' दिसमबर, 2020 में तैयार किया गया। और इसे 23.12.2020 को सचिप (क्रोयला) के समक्ष पेश किया गया। देश में कोकिंग कोल का उत्पादन और वाशरियों के आगमेंटेशन पर स्ट्रेटेजी पेपर'' तेयार कर सौंप दिया गया है।

सीएमपीडीआईएल कोयला आधारित गैर–परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के व्यावसायिक विकास की सुविधा देने तथा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ व्यावसायिक और अनुसंधान एवं विकास के लिए अपना प्रयास जारी रखा है। सीबीएम के व्यावसायिक विकास के लिए सीआईएल लीज होल्ड एरिया में सीएमपीडीआईएल द्वारा शुरूआत में तीन सीबीएम ब्लॉकों, मुख्यतः 1) झरिया सीबीएम ब्लॉक–। (बीसीसीएल एरिया) (।।) रानीगंज सीबीएम ब्लॉक (ईसीएल क्षे) एवं (।।।) सोहागपुर सीबीएम ब्लॉक (एसईसीएल एरिया) की पहचान की है। सीएमपीडीआईएल संबंधित अनुषंगी कंपनियों सहित मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (एमओए) के तहत सीबीएम के विकास के लिए मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी है। सीबीएम डेवलपर (सीबीएमडी) के जरिए सीबीएम के व्यावसायिक कर्षण हेतु संबंधित अनुषंगी बोर्ड द्वारा झरिया सीबीएम–। ब्लॉक (बीसीसीएल क्षेत्र), रानीगंज सीबीएम ब्लॉक (ईसीएल एरिया) एवं सोहागपुर सीबीएम ब्लॉक (एसईसीएल एरिया) के संभाव्यता परियोजना संभाव्यता रिपोर्ट (पीएफआर) की अनुमति सिद्धांततः दे दी गई है और रानीगंज सीबीएम ब्लॉक एवं झरिया सीबीएम ब्लॉक के लिए मई, 2020 में ही निविदा जारी की जा चुकी थी। नोटिस इनवाईटिंग आफर (एनआई) और मॉडल रेवेन्यू शेयरिंग कंट्रेक्ट (एमआरएससी) पर बिडरों के सुझावों को शामिल करते हुए सीएमपीडीआईएल द्वारा संशोधित बिड दस्तावेज तैयार किया गया इसके पूर्व सीआईएल के एफडी द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया था। रानीगंज सीबीएम ब्लॉक एवं झरिया सीबीएम ब्लॉक–। के लिए वैश्विक निविदा अक्टूबर, 2020 में पुनः एक बार जारी की गई। झरिया सीबीएम ब्लॉक–। के लिए एक बिड प्राप्त हुइ जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। रानीगंज सीबीएम ब्लॉक के लिए कोई बिड प्राप्त नहीं हुई। सीबीएम डेवलपर के चयन के लिए दिसमबर 2020 में सोहगपुर सीबीएम ब्लॉक के लिए के बाद निविदा जारी की गई। लेकिन कोई बिड प्राप्त नहीं हुआ। सीआईएल लीज होल्ड के भीतर बीसीसीएल और सीसीएल के अधिकार वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त सीबीएम ब्लॉकों की पहचान करने के लिए सीएमपीडीआईएल/सीआईएल द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। झरिया कोयला क्षेत्र में भूनीडीह भूमिगत खान (बीसीसीएल) में कोल

माइन मीथेन ड्रेनेज पर एक प्रदर्षन परियोजना को बीसीसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

हमारे माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के विजन के आलोक में 2030 तक कोयला गैसीफिकेशन के लिए 100 मीलियन टन कोयले का उपयोग करने और सिंथीसिस गैस तथा पाटेंसियल डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट प्लांट के लिए एक ग्रास रूट कोल की स्थापना करने के लिए ईसीएल, डब्ल्यूसीएल, एसईस ीएल और सीसीएल को इंटेंड किया गया है। सभी चारों अनुषंगी कंपनियाँ मीथेनाल, अमोनिया, एसएनजी, पेट्रोकेमिकल्स एवं अन्य डाऊन स्ट्रीम उत्पादों के लिए मूल कच्चे सामग्रियों के रूप में कोयले का उपयोग करेंगी। सभी चारों कोल गैसीफिकेशन प्लांट्स के लिए रिपोर्ट तेयार की जा रही है और सीएमपीडीआईएल को ईसीएल, डब्लयूसीएल, एसईसीएल और सीसीएल में सभी चारो गैसीफिकेशन परियोजनओं के विकास के लिए संबंधित कार्य को संपादित करने के लिए मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) बनाया गया है।

कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया की आरएंडडी बोर्ड के एसएंडटी अनुदान के तहत अनुसंधान क्रिया–कलापों में समन्वय के लिए भी सीएमपीडीआईएल को नोडल एजेंसी बनाया है। वर्षों से इन अनुसंधान परियोजनओं से परिचालन में सुधार, सुरक्षिक वर्किंग स्थिति,बेहतर रिसोर्स रिकवरी और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ हुआ है, जबकि कुछ अनुसंध ाान परियोजनओं से उद्योगों पर प्रत्यक्ष रूप से टैन्जीथल प्रभाव पड़ा है तथा कुछ अन्य से भावी खनन योजनाओं और आपरेटिंग खान दोनों द्वारा अपेक्षित माइन प्लानिंग, डिजाइन एवं तकनीकी सेवाओं को मजबूती मिली है। कोल/लिग्नाइट उद्योग के लिए लाभदायक आवश्यकता आधारित अनुसंधान कार्य के लिए अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थानों, कोल/लिग्नाइट उत्पादक कंपनियों को अधिक–से–अधिक शामिल करने के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में 37 परियोजनाएँ कार्यान्वयन के अधीन है।

एमओसी के दिशा–निदेर्श के अनुसार कोल और लिग्नाइट सेक्टर में भावी अनुसंधान कें लिए नए प्रमुख क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। कोयला उद्योग के कम्प्लेक्स आपरेशंस को पता लगाने के लिए तथा वर्तमान जरूरत को पूरा करने के लिए आर्टिफिशियल इंटलीजेंस एवं मशीन लर्निंग का अनुप्रयोग, एडवांस प्रौद्योगिकी के इनोवेशन एवं स्वदेशीकरण (आत्म–निर्भर भारत) जैसे कुछ नए क्षेत्रों को शामिल किया गया है। कोयला अनुसंधान के लिए कुछ प्रमुख क्षेत्रों भारत के प्रमुख सभी अनुसंधान संस्थानों के बीच इसे प्रसारित किया गया है, जिससे की आने वाले वर्षों में उनके द्वारा मूल्यवान परियोजना प्रस्तावों की आशा बनी रहेगी।

सीएमपीडीआईएल आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, आईएसओ 50001 तथा आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, आईएसओ 50001 तथा, ओएचएसएएस 18001, आईएसओ 37001 आदि जैसे विभिन्न मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड के कार्यान्वयन के लिए परामर्शी सेवाएँ प्रदान करता है। सीएमपीडीआईएल इसके सभी क्षेत्रीय संस्थानों को संशोधित नए आईएसओ 9001:20 15 मानक की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लाइसेंस दिया गया है। सीएमपीडीआई(मु), राँची ने आईएसओ 37001:20 16 को भी कार्यान्वित किया है और बीआईएस द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मानक के विरूद्ध प्रमाणन हासिल किया है, जो 18.01.2021 से 17.01.2024 तक वैद्य है।

सीएमपीडीआईएल ने एमएस प्रोजेक्ट सरवर की स्थापना की है, जिसके जरिए सीआईएल और एमओसी द्वारा आनलाइन मॉनीटर किया जा रहा है। सीएमपीडीआईएल एमओसी के लिए नेशनल कोल इंडेक्स पर पोर्टल का विकास किया है और कोयला एक्सचेंज की स्थापना पर रोडमैप रिपोर्ट भी तेयार कर लिया है। माइन डाटा मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल (एमडीएमएस) का विकास किया गया हे जो सीआईएल द्वारा मानीटर किए जा रहे परियोजनाओं की प्रमुख विशेषताओं को बतलाता है। संपूर्ण कोल इंडिया लि. के लिए ई–आफिस के कार्यान्वयन के कार्य को भी सीएमपीडीआईएल

को सौंपा गया है। सेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और एमपीएलएस कनेक्टीविटि की स्थापना सबसिडियरी मुख्यालय, सीआईएल, नई दिल्ली, सीआईएल मुख्यालय, कोलकाता, आईआइसीएम और एनईसी में की गई है। ई ऑफिस सभी स्थानों में कार्य कर रहा है।

1.3.10 सीएमपीडीआईएल और कोल इंडिया के बीच एमओयूः

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सीएमपीडीआईएल फिजिकल और वित्तीय कार्यनिष्पादन हेतु विभिन्न पारामीटर सेट करने के लिए कोल इंडिया के साथ एमओयू करता है। उपलब्धियों को 1–5 तक के स्केल पर ग्रेडित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2014–15 तक उत्कृष्ट 1.0 से 1.5 तथा खराब 4.51 से 5.0 तक दिया जाता रहा है। वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए सीएमपीडीआईएल को डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज द्वारा उत्कृष्ट (1.002) रेटिंग दी गई जो सभी सीपीएसई के बीच तीसरा सर्वोत्तम है तथा अपने सिन्डकेट में प्रथम वित्तीय वर्ष 2015–16 से ग्रेडिंग सिस्टम को 5 प्वाईंट स्केल से बदलकर प्रतिशत प्रणाली में दिया गया। वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए सीएमपीडीआईएल को ''उत्कृष्ट'' रेटिंग दिया गया जबकि वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए एमओयू का कार्य–निष्पादन मूल्यांकन जारी है।

1.3.11 जोखिम और चिन्ताएँ

- बोर होल में सघनता में वृद्धि के साथ वन क्षेत्र में वेधन के लिए अनुमति प्राप्त करना और कानून एवं व्यवस्था की समस्या वेधन के रास्ते में बड़ी रूकावट है।
- क्षेत्रीय गवेषण में आनुपातिक वृद्धि के अभाव में विस्तृत गवेषण क्षमता बनाए रखना कठिन प्रतीत होता है। वन क्षेत्र में गवेषण के प्रतिबंधित होने से विस्तारण कार्यक्रम में समस्या आ सकती है।
- कोयला क्षेत्र को खुले बाजार में लाने से अन्य स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शी सेवा प्रदाताओं के साथ बाजारू प्रतिस्पर्द्धा हो सकती है
- कंपनी अधिनियम के तहत प्रावधानों के अनुपालन तथा जोखिम प्रबंधन से संबंधित कोल इंडिया के दिशा–निर्देशों के अनुसार बोर्ड स्तर के की अध्यक्षता में सीएमपीडीआईएल में जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है।

1.3.12 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

- सीएमपीडीआईएल के पास व्यवसाय को सहज एवं प्रभावकारी ढंग से तथा प्रचलित नियमों एवं विनियमों के अनुसार चलाने के लिए आंतरिक नियंत्रण पद्धति तथा प्रक्रिया काफी सशक्त है।
- निर्बाध रूप से निर्णय लेने के लिए व्यापक अधिकार उपलब्ध है।
- समरूप अनुपालन के लिए लेखा–जोखा तैयार करने हेतु दिशा–निर्देशों का लगातार अनुसरण किया जाता है।
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अनुपालन पर निगरानी करने के लिए एक अंकेक्षण समिति गठित की गई है।
- आंतरिक अंकेक्षण चार्टर्ड एकाउंटेंट्स / कोस्ट एकाउंटेन्ट फर्म द्वारा किया जाता है।
- आंतरिक अंकेक्षण द्वारा डिजाइन किया गया मुख्य कंट्रोल की परिचालन दक्षता के पर्यवेक्षण तथा मुख्य नियंत्रण को पहचानकर आंतरिक नियंत्रण को पहचानकर आंतरिक नियंत्रण फ्रेमवर्क विकसित किया गया है।
- विसिल ब्लोअर नीति अपनाई गई है तथा इसका अनुसरण किया जा रहा है।

1.3.13 मानव संसाधन में भौतिक विकास :

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होने के कारण सीएमपीडीआईएल के कर्मियों का वेतन, मजदूरी तथा लाभ का निर्धारण भारत सरकार द्वारा कोयला कामगारों के लिए 5 वर्ष में एक बार तथा अधिकारियों के लिए 10 वर्ष में एक बार निर्धारित किया जाता है। सीएमपीडीआईएल अपने कर्मचारियों, मध्यम और वरीय प्रबंधन

अधिकारियों, अन्य स्तर के अधिकारियों तथा प्रबंधन प्रशिक्षु के लिए सतत् प्रशिक्षण और विकास के अवसर उपलब्ध करता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा भारत से बाहर अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण सत्र की व्यवस्था कराता है। इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट को संबंधित भाग (पोर्सन) में शामिल किया गया है।

1.3.14 परिचालन कार्य निष्पादन से संबंधित वित्तीय उपलब्धि पर विचार-विमर्श :

कंपनी की आय मुख्यतः कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों तथा अन्य कंपनियों को दी गई परामर्शी सेवा से प्राप्त आय अन्य आय एवं अर्जित ब्याज भी शामिल है। गत वर्ष की 1403.01 करोड़ रू. की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल आय 1510.70 करोड़ रू. है, इस प्रकार कुल वृद्धि 7.68 प्रतिशत दर्ज की गई। कुल व्यय 1096.21 करोड़ रू. है (ओसीआई का कुल)।

आयकर व्यय में आयकर अधिनियम, यथासंशोधित के संबंधित प्रावधान के अनुसरण में परिकलित वर्तमान कर व्यय तथा आस्थगित कर व्यय या क्रेडिट शामिल है। वर्तमान कर के लिए प्रावधान की पहचान भत्ते तथा आयकर अधिनियम के अनुरूप छूट के लिए अनुमानित कर देयता के आधार पर की जाती है। आस्थगित कर परिसम्पत्ति तथा देयता की पहचान समय अंतराल कारण भावी कर परिणाम के लिए किया जाता है। तुलन–पत्र की तिथि तक लागू कर दर तथा कर विनियमन का उपयोग कर इनका पता लगाया जाता है। कर के दर के कारण पड़ने वाले प्रभाव की पहचान दर के परिवर्तन वाले संबंधित वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरण में की जाती है। अग्रेषित हानि के मामले में आस्थगित कर की पहचान उस सीमा तक की जाती है कि वर्चुअल निश्चितता हो जहाँ पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगा, जिसके विरूद्ध इस तरह की आस्थगित कर परिसम्पत्ति की वसूली की जा सके।

गत वर्ष के 312.62 करोड़ रू. (ओसीआई को छोड़कर) की तुलना में 414.49 करोड़ रू. (ओसीआई को छोड़कर) कर से पूर्व लाभ हुआ जो 101.87 करोड़ रू.ज्यादा है। गत वर्ष के लिए 193.39 करोड़ रू.(ओसीआई को छोड़कर) की तुलना में कर पश्चात् लाभ 316.96 करोड़ रू. (ओसीआई को छोड़कर) कर पश्चात् लाभ है। 123.57 करोड़ रू. अधिक है।

1.4.0 सीएमपीडीआईएल का वित्तीय पर्यावलोकन

वर्ष के दौरान कंपनी को 316.96 करोड़ रू. कर पश्चात् लाभ हुआ। विगत तीन वर्षों का कार्यकारी परिणाम इस प्रकार है :

(करोड़ रू. में)

योग्यता मानदण्ड		सीएमपीडीआईएल की स्थिति		
		वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21
1.	कर पूर्व लाभ (करोड़ रू. में)	263.82	312.62	414.49
2.	कर बाद लाभ (करोड़ रू. में)	173.27	193.39	316.96
3.	टर्न ओवर (करोड़ रू. में)	1274.56	1381.31	1488.60
4.	टर्न ओवर के लिए कर पूर्व लाभ (प्रतिशत)	20.69	22.63	27.84
5.	प्रतिशयर अर्जन (रूपये में)	1213.37	1354.27	2219.61

1.4.1 सांविधिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट तथा सचिवीय अंकेक्षक रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण अथवा टिप्पणी

सांविधिक अंकेक्षक द्वारा किए गए प्रत्येक विपरीत रिर्माक (टिप्पणी) अथवा आरक्षण, योग्यता पर बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण अथवा टिप्पणी तथा सांविधिक अंकेक्षक की रिपोर्ट को परिशिष्ट–4 के रूप में संलग्न किया गया है।

सचिवीय अंकेक्षकों द्वारा किए गए रिमार्क (टिप्पणी) पर प्रबंधन द्वारा स्पष्टीकरण ओर सचिवीय अंकेक्षकों की रिपोर्ट को रिपोर्ट के परिशिष्ट–5 में दिया गया है।

1.4.2 कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 186 के तहत ऋण, गारंटी अथवा निवेश का विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 186 के अनुसार कंपनी को दिए गए ऋण, किए गए निवेश अथवा की गई गारंटी अथवा उपलबध कराए गए सिक्युरिटी तथा ऋण अथवा गारंटी अथवा सिक्युरिटी में रेसिपिएंट द्वारा उपयोग किए जाने के लिए प्रस्तावित ऋण अथवा गारंटी अथवा सिक्युरिटी के उद्देश्य के पूरे विवरण को वित्तीय विवरण में सदस्यों के लिए प्रकट करना चाहिए।

किसी व्यक्ति, फर्म अथवा कंपनी को कोई ऋण नहीं दिया गया, निवेश नहीं किया गया या गारंटी नहीं दी गई अथवा सिक्युरिटी मुहैया नहीं कराई गई। इसका ब्यौरा वित्तीय विवरण में दिया गया है।

1.4.3 कंपनी मामले की स्थिति

कंपनी की अधिकृत पूंजी 150 करोड़ रू. की तुलना 142.80 करोड़ रू. है। पूंजीगत भंडार 17.78 करोड़ रू., सामान्य रिजर्व 15.85 करोड़ रू. तथा पी/एल एकाउन्ट में सरप्लस 607.14 करोड रू. एवं शेयर होल्डर को कुल कंस्टीच्यूएटिंग 659.45 करोड़ रू. की निधि है। गैर चालू देयताएँ 298.42 करोड़ रू. तथा चालू देयताएं 617.56 करोड रू. है।

कंपनी की अपना स्वयं का अचल परिसंपत्ति 182.64 करोड़ रू, आस्थगित कर परिसंपत्ति (कुल) 75.86 करोड़ रू., अन्य गैर चालू परिसंपत्ति 303.80 करोड़ और चालू परिसंपित्त 1414.43 करोड़ रू. है।

परिचालन से कुल राजस्व और अन्य व्यय 1510.70 करोड़ रू. तथा सभी व्यय एवं कर को पूरा करने के बाद निबल लाभ 316.96 करोड़ रू. है। प्रति शेयर अर्जन 2219.61 रू. (1000 प्रति शेयर के अंकित मूल्य) है।

1.4.4 31 मार्च, 2018 तक का पूँजीगत व्यय

(करोड़ रू. में)

	2019-20	2020-21
भूमि एवं भवन	7.18	14.23
प्लांट एवं मशीन	13.17	22.01
कार्यालय उपकरण	8.28	0.12
फर्नीचर	1.91	0.93
टेलीकाम	0.03	0.03
वाहन	1.43	1.04
सॉफ्टवेयर	6.95	4.49
कुल	**31.95**	**42.85**

1.4.5 बोनस शेयर जारी करना :

29 सितंबर, 2020 को आयोजित सीएमपीडीआईएल की 11वीं अतिरिक्त साधारण सभा (EGM) की बैठक में कंपनी के सदस्यों ने 11:4 (चार पूर्ण भुगतान शेयर के लिए ग्यारह बोनस शेयर) के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने की मंजूरी दे दी है। तद्नुसार मेसर्स कोल इंडिया लिमिटेड से प्राप्त सहमति के संदर्भ में 14 सितंबर, 2020 को आयोजित 411वीं कोल इंडिया लिमिटेड बोर्ड बैठक में तथा 16 अक्टूबर, 2020 को आयोजित 240वीं सीएमपीडीआईएल की बोर्ड बैठक में हमारी कंपनी के निदेशक मंडल ने मंजूरी दे दी है। 10,47,200 के इक्विटी शेयरों का आवंटन रू.1000/– से प्रत्येक मेसर्स कोल इंडिया लिमिटेड को जारी किया गया। अधिकृत पूंजी 142.80 करोड़ तक एकत्रित है जो कि 150 करोड़ के अधिकृत पूंजी के भीतर है।

1.4.6 अंतरिम लाभांश की घोषणा :

बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2020–21 में 4 मार्च, 2021 को आयोजित 244वीं सीएमपीडीआईएल की बोर्ड बैठक में निदेशक मंडल ने अंतरिम लाभांश की मंजूरी दे दी है जिसका आधार दिसम्बर, 2020 की अवधि के लिए कार्यकारी परिणाम के तहत 64.77 करोड़ रू. अर्थात् रू.453.57 प्रतिशेयर (लाभांश) 14,28,000 इक्विटिशेयर पर दिया गया। कर पश्चात् चालू वर्ष का लाभ रू.1000/– प्रत्येक (शेयर का अंकित मूल्य) का

इक्विटि शेयर तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए 31.12.2020 तक कंपनी के प्राक्कलित लाभ एवं हानि में अधिशेष को घोषित किया गया है।

1.4.7 31.03.2020 के बाद मेटेरियल परिवर्तन

मेटेरियल और कमिटमेंट में कोई परिवर्तन नहीं जिससे कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत में वित्तीय स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं, जो रिपोर्ट की तिथि तथा वित्तीय विवरण से सम्बद्ध हो।

1.5 निगमित शासन

निगमित शासन कंपनी के प्रबंधन, इसके बोर्ड, इसके शेयर होल्डर तथा अन्य स्टेक होल्डरों के बीच संबंधों का एक सेट है। यह कंपनी के उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन तथा कार्यनिष्पादन की मॉनिटरिंग की पद्धति का एक सेट है।

अंकेक्षक द्वारा किए गए रिमार्क पर प्रबंधन द्वारा स्पष्टीकरण तथा कारपोरेट गवर्नेंस सर्टिफिकेट के रिपोर्ट को रिपोर्ट के परिशिष्ट–3 में संलग्न किया गया है।

1.6. कंपनी का दर्शन

निगमित शासन के संबंध में कंपनी का दर्शन, पारदर्शिता, इंटीग्रिटि, विश्वसनीयता, कंफीडेंसियलिटि, नियंत्रण, सामाजिक उत्तरदायित्व, डिसक्लोजर और रिपोर्टिंग जो नियम, अधिनियम विनियमन और दिशा–निर्देश का पालन करता हो, को सुनिश्चित करना है।

कार्यान्वयन के लिए कंपनी ने निम्नलिखित को शामिल करते हुए सुस्पष्ट नीति बनाई है : :

- निदेशकों तथा वरीय प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता (कोड आफ कंडक्ट)
- कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा आंतरिक ट्रेडिंग के संरक्षण के लिए आचार संहिता
- विसिल ब्लोअर पालिसी
- जोखिम प्रबंधन योजना

1.7 निदेशक मंडल

कंपनी का कार्य व्यापार निदेशक मंडल द्वारा चलाया जाता है। कंपनी के निदेशकों की संख्या को समय–समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। निदेशकों के लिए क्वालिफिकेशन शेयर को रखने की जरूरत नहीं होती है। राष्ट्रपति द्वारा चेयरमैन, कार्यकारी निदेशक, अंशकालिक सरकारी निदेशक और गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति की जाती है और नियुक्ति आदेश के अनुबंध एवं शर्तों तथा कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन, भत्ते, बैठक, शुल्क आदि दिए जाते हैं।

क). निदेशक मंडल का आकार

कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के संदर्भ में हमारे निदेशक मंडल में कम–से–कम तीन (3) निदेशक और पन्द्रह (15) निदेशक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये निदेशक पूर्णकालिक निदेशक कार्यकारी निदेशक/कार्यकारी अथवा सरकारी अंशकालीक निदेशक या गेर–सरकारी अंशकालिक निदेशक/स्वतंत्र निदेशक हो सकते हैं।

ख). निदेशक-मंडल का कोटिवार गठन :

31 मार्च, 2021 के अनुसार सीएमपीडीआईएल के निदेशक मंडल में 9 निदेशक हैं, जिसमें अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक सहित चार (4) पूर्णकालिक निदेशक दो (2) अंशकालिक सरकारी निदेशक तथा (3) अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक हैं। कार्यकारी अध्यक्ष श्री शेखर सरन इस बोर्ड के अध्यक्ष है। कंपनी के बोर्ड में एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित (3) स्वतंत्र निदेशक हैं। कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शेष (2) स्वतंत्र निदेशकों की अभी नियुक्ति की जानी हैं। बोर्ड के गठन के संबंध में निगमित शासन के दिशा–निर्देश के अनुसार ही स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जा सकेगी।

31 मार्च, 2021 के अनुसार निदेशक मंडल का गठन निम्नानुसार है :

I. पूर्णकालिक निदेशक

क. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

1. श्री शेखर सरन

ख. कार्यकारी निदेशक

1. श्री रवीन्द्र नाथ झा
2. श्री अनिल कुमार राणा
3. श्री सतेन्द्र कुमार गोमास्ता

II. सरकारी अंशकालिक निदेशक

1. श्री विनय दयाल
2. श्री मुकेश चौधरी

III. गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक

1. डॉ० कृष्ण चन्द्र पाण्डेय
2. श्रीमती अलका पांडा
3. श्री प्रमोद सिंह चौहान

IV. स्थायी आमंत्रित सदस्य

1. श्री अजितेश कुमार

28.07.2021 (एजीएम की तिथि) तक वित्तीय वर्ष 2020-21 पूरा होने पर अध्यक्ष-सह- प्रबंध निदेशक में हुए परिवर्त्तन को नीचे दर्शाया गया है :

1. श्री विनय दयाल (19.07.2021 अपराह्न से)
2. श्री मनोज कुमार (01.05.2021 से 19.07.2021 अपराह्न तक)
3. श्री शेखर सरन (01.01.2016 से 30.04.2021 तक)

ग). आयोजित बोर्ड की बैठक की संख्या तथा तिथि

कंपनी का सर्वोच्च निकाय (बाडी) निदेशक मंडल होता है, जो कंपनी के संपूर्ण कार्यो की रेख–रेख करता

है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान बारह (12) बोर्ड बैठकें आयोजित की गई थी, जो इस प्रकार है :

क्रम संख्या	बैठक की संख्या	तिथि	दिन	स्थान
1.	233वीं	13.05.2020	बुधवार	सीएमपीडीआईएल, राँची
2.	234वीं	09.06.2020	मंगलवार	सीएमपीडीआईएल, राँची
3.	235वीं	19.06.2020	शुक्रवार	सीएमपीडीआईएल, राँची
4.	236वीं	16.07.2020	गुरूवार	सीएमपीडीआईएल, राँची
5.	237वीं	06.08.2020	गुरूवार	सीएमपीडीआईएल, राँची
6.	238वीं	14.08.2020	मंगलवार	सीएमपीडीआईएल, राँची
7.	239वीं	15.09.2020	मंगलवार	सीएमपीडीआईएल, राँची
8.	240वीं	16.10.2020	शुक्रवार	सीएमपीडीआईएल, राँची
9.	241वीं	05.11.2020	गुरूवार	सीएमपीडीआईएल, राँची
10.	242वीं	23.12.2020	बुधवार	सीएमपीडीआईएल, राँची
11.	243वीं	04.02.2021	गुरूवार	सीएमपीडीआईएल, राँची
12.	243वीं	04.03.2021	गुरूवार	सीएमपीडीआईएल, राँची

घ). निदेशक मंडल की बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति :

प्रत्येक निदेशक द्वारा बोर्ड की बैठक में उपस्थिति की संख्या का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक	उनके कार्यावधि में हुई बोर्ड बैठक की संख्या	बोर्ड की बैठक में उपस्थिति की संख्या	अंतिम एजीएम में उपस्थिति
कार्यकारी निदेशक				
1.	श्री शेखर सरन	12	12	हाँ
2.	श्री के.के. मिश्रा	10	10	हाँ
3.	श्री आर.एन. झा	12	12	हाँ
4.	श्री ए.के. राणा	12	10	हाँ
5.	श्री सतेन्द्र कु. गोमास्ता	12	12	हाँ
अंशकालीन सरकारी निदेशक				
6.	श्री विनय दयाल	12	8	हाँ
7.	श्री मुकेश चौधरी	11	4	-
अंशकालीक गैर-सरकारी निदेशक				
8.	डॉ० कृष्ण चन्द्र पाण्डेय	12	12	हाँ
09.	श्रीमती अलका पांडा	12	12	हाँ
10.	श्री प्रमोद सिंह चौहान	12	12	हाँ

क्रम संख्या–6 कोल इंडिया द्वारा 09.11.2017 से नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति की गई है।

क्रम संख्या–7 कोयला मंत्रालय द्वारा 26.5.2020 से सरकारी–नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति की गई है।

ङ) 31 मार्च, 2021 के अनुसार रूचि का प्रकटीकरण

क्र. सं	निदेशकों के नाम	जिस कंपनी के लिए वे इच्छुक हैं	रूचि की प्रकृति यानि अध्यक्ष, निदेशक प्रबंधक एवं सचिव
कार्यकारी निदेशक			
1.	श्री शेखर सरन	शून्य	–
2.	श्री आर.एन.झा	शून्य	–
3.	श्री ए.के.राणा	शून्य	–
4.	श्री सतेन्द्र कु.गोमास्ता	शून्य	–
अंशकालीन सरकारी निदेशक			
5.	श्री विनय दयाल	1. सीएमपीडीआई लिमिटेड 2. कोल इंडिया लि. 3. कोल इंडिया अफ्रिकाना लिमिटाडा 4. तालचर फर्टिलाइजर लिमिटेड 5. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड 6. हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड 7. सेंट्रल कोल फील्ड्स लि.	1. निदेशक 2. निदेशक 3. अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक 4. अध्यक्ष 5. निदेशक 6. उपाध्यक्ष 7. निदेशक
6.	श्री मुकेश चौधरी	सेंट्रल कोल फील्ड्स लि.	निदेशक
अंशकालीन गैर-सरकारी			
7.	डॉ० कृष्ण चन्द्र पाण्डेय	शून्य	–
8.	श्रीमती अलका पांडा	शून्य	–
9.	श्री प्रमोद सिंह चौहान	1. अष्ट विनायक रिलेटर्स प्रा.लि.	1. निदेशक

च). बोर्ड की मीटिंग के समक्ष रखी गई सूचना

कंपनी बोर्ड के भीतर की किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता है। बोर्ड के समक्ष दी जाने वाली सूचनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- पूंजी एवं राजस्व बजट
- कंपनी का त्रैमासिक और वार्षिक वित्तीय परिणाम
- कंपनी के कार्य–निष्पादन की आवधिक संवीक्षा,
- भारी मशीनों की उपलब्धता एवं उपयोग की सांविधिक समीक्षा
- प्रयोज्य नियमों के अनुपालन पर आवधिक समीक्षा
- वार्षिक रिपोर्ट, निदेशक मंडल की रिपोर्ट इत्यादि
- अंकेक्षक समिति, सीएसआर समिति, नामांकन एवं बैठक का कार्यवृत
- बड़े कंट्रेक्ट/एग्रीमेंट को देना
- अन्य कंपनियों में उनके द्वारा धारित स्थिति और डायरेक्टरशिप के बारे में निदेशकों की रूचि का प्रकटीकरण
- स्वतंत्र निदेशक द्वारा स्वतंत्र की घोषणा
- श्रम–शक्ति बजट
- कोई अन्य मैटेरियली महत्वपूर्ण सूचना

1.8 निदेशकों का संक्षिप्त प्रोफाइल :

श्री बिनय दयाल (डीआईएन **07367625**) कोल इंडिया के निदेशक (तकनीकी) है तथा सीएमपीडीआईएल के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिनांक : 19.07.2021 अपराह्न से सौंपा गया है। श्री दयाल 1983 में भारतीय खनि विद्यापीठ (आईएसएम), धनबाद से खनन इंजीनियरिंग में स्नातक है। उन्होंने डीजीएमएस, धनबाद से प्रथम श्रेणी में माइन मैनेजर्स सर्टिफिकेट ऑफ कंपीटेंसी भी प्राप्त किया है।

उन्होंने कोल इंडिया में कनीय अधिकारी (प्रशिक्षु) के रूप में ज्वाइन किया और उन्हें 1983 में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के सेंट्रल सौदा कोलियरी, बरकाकाना क्षेत्र में पदस्थापित किया गया। सीएमपीडीआईएल (मुख्यालय) में तकनीकी सेवाओं तथा जनसंपर्क प्रमुख, क्षेत्रीय निदेशक, सीएमपीडीआईएल क्षेत्रीय संस्थान–5, बिलासपुर, साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट्स एंड प्लानिंग सर्विसेस) जैसे विभिन्न पदों पर कार्य किया। 01.12.2015 को उन्होंने निदेशक तकनीकी (इंजीनियरिंग सर्विसेज), सीएमपीडीआईएल का प्रभार ग्रहण किया। वे दिनांक : 01.12.2015 से 11.10.2015 तक सीएमपीडीआईएल के निदेशक (तकनीकी), (आयोजन एवं अभिकल्पन) रहे।

श्री दयाल को कारपोरेट प्लानिंग तथा पब्लिक रिलेशन्स एक्टिविटि में व्यापक अनुभव है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के मेगा प्रोजेक्ट के प्लानिंग, अनुमोदन तथा कार्यान्वयन एवं कोरबा एवं मांद रायगढ़ कोयला क्षेत्र में विस्तृत गवेषण के लिए हाई–टेक ड्रिलों को लगाकर उत्पादकता में वृद्धि का श्रेय उन्हें ही जाता है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड के महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट एवं प्लानिंग सर्विसेज) के रूप में उन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किए जाने वाले 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन के कार्य का रोड मैप भी तैयार किया है।

उन्हें माँद रायगढ़, कोरबा कोयला क्षेत्र से कोयले के निकास (ढुलाई) के लिए रेल कॉरीडोर हेतु साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड (एसईसीएल, इरकान तथा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार सहित) जैसे संयुक्त उद्यम वाली कंपनी के बोर्ड में एसईसीएल का प्रतिनिधित्व भी किया।

श्री दयाल ने वर्ष 2007 के दौरान आस्ट्रेलिया में आयोजित ''इंडिया–आस्ट्रेलिया ज्वाईट वर्किंग ग्रुप ऑन एनर्जी एंड मिनरल'' की 5वीं बैठक में भारतीय सदस्य के रूप में भाग लिया। उन्होंने सितम्बर, 2010 में एडवांस्ड मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के प्रतिभागी के रूप में चाइनीज कोल इंडस्ट्रीज का दौरा किया। वर्ष 2011 एवं 2012 में एबानडेंड कोलसीम के खान से ऊर्जा में बदलने तथा ग्रीन हाऊस जैसे रिकवरी पर ईयू रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए सीएमपीडीआई की ओर प्रशासनिक प्रमुख भी थे। उन्होंने इस्तांबुल, तुर्की में 2011 में आयोजित 22वीं वर्ल्ड माइनिंग कॉंग्रेस एंड एक्सपो 2011 में भाग लिया तथा तकनीकी आलेख भी प्रस्तुत किए। उन्होंने कोयला उद्योग से संबंधित अनेकों तकनीकी पेपर प्रस्तुत किए। वे एमजीएमआई तथा कम्प्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया (सीएसआई) के आजीवन सदस्य हैं।

वे 09.11.2017 से सीएमपीडीआईएल के सरकारी अंशकालीन निदेशक नियुक्त किए गए।

श्री मनोज कुमार (डीआईएन **08298541**) इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद 1985 बैच के खान इंजीनियर हैं। उन्होंने वर्ष 1989 में प्रथम श्रेणी खान प्रबंधक का योग्यता प्रमाणपत्र प्राप्त किया। उन्होंने एम.टेक किया। 1993–94 में आईएसएम, धनबाद से रॉक उत्खनन इंजीनियरिंग में एमटेक किया और स्वर्ण पदक के प्राप्तकर्त्ता हैं। उन्होंने खनन उद्योग में अपना करियर डब्ल्यूसीएल, एसईसीएल से शुरू किया। वह तीन दशकों से अधिक समय से कोयला

उद्योग की सेवा कर रहे हैं। इस कार्यकाल के दौरान, उन्होंने विभिन्न क्षमताओं मे डब्ल्यूसीएल, एसईसीएल और ईसीएल में कार्य किया।

उन्होंने 1 जनवरी, 2021 को अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, डब्ल्यूसीएल में निदेशक (तकनीकी) के रूप में कार्यरत थे।

उन्हें कठिन भूमिगत खनन विधियों और कंटीन्यूअस माइनर टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। भूमिगत और ओपनकास्ट कोयला खनन के अपने विशाल व्यावहारिक अनुभव के साथ, योजना और अनुबंध प्रबंधन के अनुभव से समृद्ध, उन्होंने उन स्थानों पर उत्पादन की वृद्धि और स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जहां उन्होंने काम किया है। हमेशा की तरह व्यवसाय चलाने के अलावा, वह लीक से हटकर दृष्टिकोण अपनाते हैं और नई पहलों को लागू करते हैं। कोयला उत्पादन को लगातार बढ़ाने और निदेशक (तकनीकी) के रूप में लगातार 2 वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल करने के लिए रोडमैप को लागू करने की उनकी दृष्टि और व्यावहारिक प्राप्ति उनकी क्षमता और विचार को वास्तविकता में करने के दृढ़ संकल्प की बात करती है।

अपने पूरे करियर में सुरक्षा हमेशा उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। उनके निरंतर प्रयास ने डब्ल्यूसीएल को दुर्घटना की दर को काफी हद तक नियंत्रित करने में मदद की है और कंपनी को दिसंबर 2019 में भारत सरकार से 7 राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उनके सक्षम नेतृत्व के तहत, कंपनी को जनवरी 2021 में कोयला मंत्री के स्थिरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

उन्होंने सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में अंशकालिक निदेशक के रूप में भी नामित किया गया है। उनके पास 1 मई 2021 से अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, सीएमपीडीआई लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार भी है।

श्री मनोज कुमार के पास संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और जिनेवा की यात्रा के दौरान उन्नत खनन प्रौद्योगिकियों के अंतरराष्ट्रीय अनुभव के अलावा देश के विभिन्न स्थानों पर काम करने का घरेलू अनुभव है।

उन्हें 01.05.2021 से 19.07.2021 अपराह्न तक अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, सीएमपीडीआईएल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।

श्री शेखर सरन (**डीआईएन 06607551**)सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड जो पूरे देश में कोयला और खनिज गवेषण तथा परामर्शी कंपनियों में से एक बड़ी कंपनी है, के अध्यक्ष–सह–प्रबंधन निदेशक हैं। उन्हें 31.10.2016 के तत्काल प्रभाव से कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक(तकनीकी) का अतिरिक्त प्रभार भी मिला तथा सीआईएल और बीसीसीएल के बोर्ड सदस्य भी हैं। श्री सरन उत्पादन और उत्पादकता में नए मानकों की स्थापना में खानों के परिदृश्य को यंत्रीकृत खान डेवलपर और स्वरूप बदलने वाले के रूप में उद्योग को अपने अपूर्व सहयोग और नए रास्ते तलाशने वाले के रूप में जाने जाते हैं।

उन्होंने जून, 2013 में निदेशक (तकनीकी) के रूप में सीएमपीडीआईएल में पदभार ग्रहण किया और कोल सिसोर्स डेवलपमेंट के कार्यों की देख–रेख की । उसके बाद दिसम्बर, 2015 तक प्लानिंग एंड डिजाइन का कार्य संभाले। 1 जनवरी, 2016 को उन्होंने सीएमपीडीआईएल के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया।

1981 बैच के श्री सरन ने डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग इंजीरियरिंग, इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी (बीएचयू) वर्तमान में आईआईटी (बीएचयू)से स्नातक है। अपने बैच के टॉपर होने के कारण उन्हें बीएचयू के गोल्ड मेडल के साथ–साथ एमजीएमआई से राबर्टन मेडल

से नवाजा गया। तदनन्तर वर्ष 2013–15 के दौरान, उन्होंने आईआईएम, राँची से अधिकारियों (पीजीईएक्सपी) के लिए प्रबंधन में पोस्ट–ग्रेजुएट प्रोगाम की डिग्री भी ली।

सीएमपीडीआईएल में पदभार ग्रहण करने से पूर्व उन्होंने ईस्टर्न जेट से सब एरिया मैनेजर के रूप में एसईसीएल के सोहागपुर, हसदेव और विश्रामपुर क्षेत्र, एजेंट और सीजीएम के रूप में ईसीएल के कुनुस्तोरिया, सतग्राम और सोदेपुर क्षेत्र तथा अंत में सीजीएम (पीएंडपी) के रूप में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, मुख्यालय में कार्य किया। उन्हें विभिन्न अनुषंगी कंपनियों में बड़ी खुली खदान और भूमिगत खदान के प्रबंधन का व्यापक अनुभव है। जब वे एसईसीएल में कार्यरत थे तब उन्होंने रूफ बोल्टिंग/स्टील सपोर्ट का प्रयोग कर मैनुअल भूमिगत खान को यंत्रीकृत खान में बदला। उन्होंने विभिन्न सेमिनारों/कार्यशाआलों में बहुत सारे तकनीकी पेपर प्रस्तुत किए। वे 26 वर्षों से अधिक समय तक रेस्क्यू प्रशिक्षित सदस्य भी रहे तथा भूमिगत खानों में रेस्क्यू और रिकवरी आपरेशन में भी भाग लिया।

उन्होंने यू.के., जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, यूएस, कनाडा एवं स्वीटजर लैंड आदि जैसे देशों का अनेकों बार भ्रमण किया है। वे एक एनसीसी प्रमाण पत्र धारक और अच्छे खिलाड़ी भी हैं। उन्हें कोल माइनिंग प्रोडक्शन में इनोवेटिव टेक्नीक और अनोखे विचार वाला जाना जाता है। उन्हें कारपोरेट लाइफ और मानव संसाधन के विकास में इसकी सर्वोतमता में विश्वास है। उनकी पसंद में कोल इंडिया इस तरह समाहित है कि स्थाई सदस्य के रुप में कोल इंडिया के निदेशक मंडल की बैठक में हमेशा उनकी उपस्थिति बनी रहती है।

वे0 1.01.2016 से 30.04.2021 तक अध्यक्ष –सह –प्रबंध निदेशक थे और दिनांक 18.04.2019 से 02.08.2019 तक बीसीसीएल के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त प्रभार में रहे थे।

श्री मुकेश चौधरी (**डीआईएन 07532479**) वयांत्रिक अभियंत्रण (मेकेनिकल इंजीनियरिंग) में स्नातक, एमबीए तथा सीएफए डिग्रीधारी है। ये वर्ष 1997 से इंडियन आर्डिनेन्स फैक्टरी सर्विस (आईओएफएस) के अधिकारी हैं।

इन्होंने 17.3.2016 को कोयला मंत्रालय, भारत सरकार में निदेशक (सीएलडी) के पद पर योगदान दिया है।

इन्हें ओएफएससी, नागपुर (1997–1999), वीएम/डीजीएम, जीएसएफ, कोलकाता (1999–2009), डीजीएम, एसएएफ, कानपुर (2009–2010 तथा संयुक्त महाप्रबंधक/निदेशक, कानपुर (2010–2016) के पद पर कार्य करते हुए 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है।

ये 29.11.2019 से 17.3.2020 तक एनएलसी के अंशकालिक सरकारी निदेशक थे तथा 11.1.2019 से 5.6.2020 तक एससीसीएल के बोर्ड में अंशकालिक सरकारी निदेशक नियुक्त किए गए थे।

इन्हें 05.06.2020 से सीसीएल बोर्ड के निदेशक मंडल में भी सरकारी अंशकालिक निदेशक नियुक्त किया गया है।

इन्हें 26.5.2020 से सीएमपीडीआईएल के निदेशक–मंडल में सरकारी अंशकालिक निदेशक नियुक्त किया गया है।

श्री रवीन्द्र नाथ झा (**डीआईएन 05195902**) भारतीय खनि विद्यापीठ, धनबाद से 1985 में खनन अभियांत्रिकी से स्नातक हैं। इन्होंने 1990 में डीजीएमएस से प्रथम श्रेणी माइन मैनेजर कम्पीटेंसी सर्टिफिकेट (कोल) प्राप्त किया है। ये एक प्रमुख क्वालिटि सिस्टम ऑडिटर भी हैं। और एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा धारक हैं।

इन्होंने अपने कैरियर की शुरूआत भारत के सबसे गहरे कोयला खान, ईसीएल के चिनाकुरी के पिट–1 एवं 2 से की है। इन्होंने स्टोविंग माइन सहित लौंगवाल में भी कार्य किया है। ईसीएल में 7 वर्षों तक अपनी सेवा देने के बाद वे 1992 में सीएमपीडीआईएल में पदभार ग्रहण किया। इन्होंने सीएमपीडीआईएल और इसके विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों के परियोजना मॉनीटरिंग/एप्रेजल डिविजन, खुली खदान खनन, भूमिगत खनन और पर्यावरण विभागों में कार्य किया है।

इन्होंने जनवरी, 2012 में निदेशक (तकनीकी) के रूप मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड में योगदान दिया।

इन्होंने जनवरी, 2012 में निदेशक (तकनीकी) के रूप मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड में योगदान दिया।

- एमईसीएल को उनकी कार्य अवधि में मिनीरत्न (श्रेणी–II) कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ।
- एमईसीएल 25 वर्षों के अंतराल के बाद 2014 में भारत सरकार को डिविडेंट (लाभांश) देना शुरू किया।
- एमईसीएल ने वर्ष 2012 में डीआरडीओ के लिए चुमाथन (लेह के निकट) में एक भू–तापीय परियोजना सफलतापूर्वक पूरा किया है।
- इनके कार्यअवधि में वेधन वर्ष 2012 में 2.96 लाख मीटर से बढ़कर वर्ष 2018 में 6.32 लाख मीटर हो गया और पीएटी (PAT) रू.10 करोड़ से पढ़कर रू. 95 करोड़ हो गया।
- एमईसीएल मार्च, 2018 में तीसरा वेतन समझोता करने वाली पहली पीएसयू है।
- एमईसीएल ने माननीय कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयला और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान द्वारा फरवरी, 2018 में मिनी रत्न पीएसयू के बीच सर्वोत्तम वित्तीय कार्य निष्पादन के लिए हिन्दुस्तान टाइम्स द्वारा ''हिन्दुस्तान रत्न'' का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।
- इन्होंने फरवरी, 2018 में, मुंबई में आयोजित वर्ल्ड एचआर कांग्रेस द्वारा एचआर ओरिएंटेशन सहित सीईओ का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।

ये मिनरल एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट माइनिंग से संबंधित विभिन्न समितियों में एमईसीएल और खान मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया। ये कनाडा, दुबई, पेरू आदि देशों का दौरा किया औरमिनरल एक्सप्लोरेशन और माइनिंग से संबंधित अनेकों तकनीकी आलेख प्रस्तुत किए।

सीएमपीडीआईएल में निदेशक (तकनीकी/रिसर्च, डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी) के रूप में 30.01.2019 को उनकी नियुक्ति हुई।

श्री अनिल कुमार राणा, (डीआईएन 08531295) इन्होंने आईटी. बीएचयू से 1985 में स्नातक किया और ये भारतीय खान अधिनियम के तहत फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट ऑफ कम्पीटेंसी धारक है। इन्होंने ला एंड डिप्लोमा इन बिजनेस फाइनेंस में डिग्री प्राप्त की है।

इन्होंने 1985 में सीएमपीडीआईएल ज्वाईन किया। अपने कैरियर के आरंभिक वर्षों में डब्ल्यूसीएल के दुर्गापुर रायतवारी खान और बीसीसीएल के सुदामडीह इनक्लाइन माइन में कार्य किया। वे निम्नलिखित कार्यों में शामिल रहे हैं :

- अन्य संगठनों के साथ–साथ कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों के लिए खनन योजना (माइनिंग प्लान) तथा परियोजना रिपोर्ट की तैयारी
- भूमिगत धात्विक खानों के लिए परामर्श सेवा
- एमडीओ के जरिए खुली खानों तथा भूमिगत खानों के लिए बोली प्रक्रिया दस्तावेज (बीड प्रोसेस डॉक्यूमेंट) की तैयारी
- कोल इंडिया लिमिटेड के भूमिगत खानों से कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्य योजना, ''कोल विजन 2025'', और ''कोयला ब्लॉकों की स्थिति पर रिपोर्ट'' जैसे नीति संबंधित रिपोर्ट को बनाना।
- इन्होंने कोयला ब्लॉक निलामी (कॉक्शन)

के लिए एमओसी/नोमिनेटेड ऑथोरिटि को महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे सीआईएल आरएंडडी 3 परियोजनओं के लिए प्रोजेक्ट को–ऑर्डिनेटर भी रहे हैं।

- उन्होंने यूएसए, पिपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका के भुमिगत और खुली खदान खानों का दौरा किया। विभिन्न टेक्नोलॉजी मिशन के संदर्भ में स्वीट्जरलैंड, पोलैंड और आस्ट्रेलिया का भी दौरान किया।

निदेशक (तकनीकी) का पदभार ग्रहण करने के पहले ये महाप्रबंधक (सीबीएम) के पद पर कार्यरत थे। जहाँ इन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड के सीबीएम ब्लॉक को चालू करने की प्रक्रिया की शुरूआत करने का श्रेय जाता है।

कोल इंडिया स्थापना दिवस पुरस्कार, 2018 के अवसर पर कोल इंडिया द्वारा इसे सर्वोत्तम महाप्रबंधक के पुरस्कार से नवाजा गया।

इन्हें 01.08.2019 से सीएमपीडीआईएल निदेशक मंडल में निदेशक(तकनीकी) (आयोजना एवं डिजाइन) के पद पर नियुक्त किया गया।

श्री सतेन्द्र कुमार गोमास्ता (डीआईएन- 08714820) ने वर्ष 1984 में रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, रायपुर से खनन अभियंत्रण में डिग्री प्राप्त की। इन्होंने 1989 में फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर्स सर्टिफिकेट ऑफ कंपिटेंसी उर्त्तीण की है। इन्होंने मार्केटिंग मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की। उन्होंने अपने कैरियर की शुरूआत वर्ष 1984 में डब्ल्यूसीएल से कोयला उद्योग में की। उन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड के सबसिडियरी कंपनियों मुख्यतः डब्ल्यूसीएल, एसईसीएल और एनसीएल में विभिन्न क्षमता वाले भूमिगत और खुली खदान खनन में कार्य किया है। उनका खुली खदान खानों में 16 वर्षों तथा भूमिगत खानों में 18 वर्षों का व्यापक खनन अनुभव से कोयला खनन उद्योग के साथ–साथ सीएमपीडीआईएल को व्यापक लाभ मिलेगा।

उन्होंने उच्च प्रबंधन पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए इन्होंने वर्ष 2014 में स्वीटजरलैंड तथा फ्रांस का दौरा किया। श्री सतेन्द्र कुमार गोमास्ता ने दिनांक : 25.2.2020 को सीएमपीडीआईएल के निदेशक (तकनीकी) का पदभार ग्रहण किए। इसके पहले ये नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सिंगरौली में महाप्रबंधक (खनन) के पद पर कार्यरत थे।

दिनांक : 25.02.2020 से सीएमपीडीआईएल के निदेशक मंडल में निदेशक (तकनीकी) (कोयला संसाधन विकास) के पद पर नियुक्त किया गया है।

डॉ. कृष्ण चन्द्र पाण्डेय (डीआईएन 06706962) रूहेल खंड विश्वविद्यालय, बरेली से 1990 में स्नातकोत्तर (एमए) की उपाधि हासिल की तथा 1996 में आगरा विश्वविद्यालय से1996 में पीएचडी की। इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय, आगरा, दिल्ली प्रशासन तथा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल में शिक्षण का कार्य किया।

ये वर्ष 2015 से 2017 तक पंचनंद रिसर्च इंस्टीच्यूट एंड एडिटिंग पंचनंद रिसर्च मैगजीन में, वर्ष 2016 से 2018 तक मासिक समाचार पत्रिका माखनलाल चवतुर्वेदी नेशनला जर्नलिज्म एंड कम्यूनिकेशन यूनिवर्सिटी भोपाल के एडिटर–इन–चीफ रहे। वर्ष 2007 से 2019 तक इंडियन हेरिटेज मैगजीन में नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ संस्कृत (भारत सरकार) में ट्रेनिंग कैम्प के को–आर्डिनेटर भी रहे।

इन्होंने वर्ष 1996 से 2007 तक नेशनल कंजक्शन ऑफ भारत संस्कृत परिषद् के प्रशिक्षण शिविर का संचालन किया तथा वर्ष 2015–2017 तक इन्द्रप्रस्थ साहित्य भारती, दिल्ली में महासचिव के रूप में सेवा दी।

इन्होंने ऑल इंडिया विद्या परिषद् एंड विज्ञान भारती के विभिन्न विषयों तथा रचनाओं पर लगभग 200 आलेख लिखा तथा 7 पुस्तकों का प्रकाशन किया।

वर्ष 1988 में दिल्ली सरकार द्वारा उन्हें संस्कृत समरादक सम्मान से नवाजा गया। इन्हें 2005 में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार तथा 2015 में समाज

रत्न पुरस्कार दिया गया। इन्हें 2015 में अटल साहित्य पुरस्कार दिया गया। वर्तमान में वे प्रसार भारती में पब्लिक प्रॉपर्टी कंजरवेशन डिपार्टमेंट में एडवाइजर (सलाहकार) हैं।

वर्ष 1988 में दिल्ली सरकार द्वारा उन्हें संस्कृत समरादक सम्मान से नवाजा गया। इन्हें 2005 में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार तथा 2015 में समाज रत्न पुरस्कार दिया गया। इन्हें 2015 में अटल साहित्य पुरस्कार दिया गया। वर्तमान में वे प्रसार भारती में पब्लिक प्रॉपर्टी कंजरवेशन डिपार्टमेंट में एडवाइजर (सलाहकार) हैं।

वे पूरे भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाओं एवं बोलियों के पारंपरिक रूप से प्रचलित लोक संगीत का संरक्षण कर रहे हैं। उन्होंने लोक साहित्य तथा भारतीय शिक्षा पद्धति (प्रणाली) पर लिखते रहे हैं।

इन्हें 10.07.2019 से सीएमपीडीआईएल के निदेशक–मंडल में गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक नियुक्त किया गया है।

श्रीमती अलका पण्डा (डीआईएन 08524514) 1983 बैच के उड़िसा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। इन्होंने राजस्थान, जयपुर विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। अपनी सेवा–काल में उड़ीसा सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, कृषि विभाग तथा जनजाति कल्याण विभाग में सचिव का पद सम्हाला। भारत सरकार में 2010 में प्रतिनियुक्ति के पहले ये उड़ीसा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी थीं। सचिव, भारत सरकार के समतुल्य रैंक में डायरेक्टर जेनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, नई दिल्ली के रूप में जुलाई, 2017 में सेवा–निवृत हुईं।

इन्हें सीएमपीडीआईएल निदेशक – मंडल में गैर–सरकारी अंशकालीक निदेशक के रूप में दिनांक 10.07.2019 को नियुक्त किया गया है।

श्री प्रमोद सिंह चौहान (डीआईएन 01308337) स्नातक उत्तीर्ण हैं तथा पेशे (व्यवसाय) से ये चार्टर्ड अकाउन्टेंट हैं। वे वर्ष 2014–15 में दि इन्स्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट ऑफ इंडिया के सीआईआरसी के आगरा शाखा में सीआईसीएसए अध्यक्ष का पद सुशोभित कर चुके हैं। इन्होंने वर्ष 2015–16 में दि इन्स्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट ऑफ इंडिया के सीआईआरसी के आगरा शाखा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये आगरा के प्रमुख प्रैक्टिशनर हैं और इनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र अंकेक्षण, लेखा, आयकर एवं सीएसआर हैं। इन्होंने प्रिंस कारपोरेट सर्विस प्रा0 लि0 में निदेशक पद पर अपनी सेवाएँ दी हैं। वर्तमान में ये अष्ट विनायक रीयलटर्स प्रा0 लि0 के निदेशक हैं। ये एक प्रेरक वक्ता हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं एवं इनका लेख कई समाचार पत्रों में प्रकाशित होता आ रहा है। ये सिविल इन्क्लेव एयर पोर्ट ऑथरिटी, आगरा के सलाहकार समिति के सदस्य है।

इन्होंने डा0 भीमराव अंबेदकर विश्वविद्यालय, आगरा के "इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट " की योजना एवं सलाहकार समिति के सदस्य हैं।

इन्हें सीएमपीडीआईएल निदेशक – मंडल में गैर–सरकारी अंशकालीक निदेशक के रूप में दिनांक 16.10.2019 को नियुक्त किया गया है।

श्री अजितेश कुमार : यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित इंजीनियरिंग सर्विस एक्जमिनेशन 2005 के जरिए चयनित सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग (ग्रुप–ए) सेवा के 2006 बैच से हैं। उन्होंने अपने बी–टेक (इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग) की डिग्री गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलाफजी, पंत नगर (उत्तराखंड) से ली।

उन्होंने 2008 में सेंट्रल इलेक्ट्रीसिटी ऑथोरिटी, नई दिल्ली में ज्वाइन किया और 2016 तक

हाइड्रोइलेक्ट्रीक प्रोजेक्ट के विस्तृत परियोजना रिपोर्टों का मूल्यांकन भी किया। वर्ष 2016 में उनकी नियुक्ति हिंडस–ऑन–एक्सपोजर टू वापर प्लांट आपरेशन के लिए टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (टीएचडीसीएल) के लिए हुई और टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रीक प्रोजेक्ट, उत्तराखंड के पावर हाउस में पदस्थापित रहे।

वर्ष 2017 में सीईए से लौटने के पश्चात् उनकी पदस्थापना पावर सिस्टम प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग डिवीजन में हुई जहाँ उन्हें वे राष्ट्रीय महत्व के टेरिफ आधारित बिडिंग स्कीम और अन्य ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के तहत ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट से संबंधित मामले देखने का कार्य दिया गया।

वर्तमान में वे कोयला मंत्रालय में डिपुटी सेक्रेटरी के रूप में भारत सरकार के सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत प्रतिनियुक्ति पर सेवाएँ दे रहे हैं और माइन एंड मिनरल (डेवलपमेंट और रेगुलेशन) अधिनियम 1957 के तहत कोल/लिग्नाइट ब्लॉकों के आवंटन से संबंधित मामले के लिए उत्तरदायी हैं।

दिनांक : 13.01.2020 से सीएमपीडीआईएल बोर्ड के स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति की गई है।

1.9 सेक्शन 149 के उप-धारा (6) के तहत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा किए गए घोषणा पर विवरण

डा. कृष्ण चंद्र पांडेय, श्रीमती अलका पांडा और श्री प्रमोद सिंह चौहान कंपनी के स्वतंत्र निदेशक है। सभी स्वतंत्र निदेशक अपनी डयूटि करते हैं और घोषणा करते हैं कि वे वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी अधिनियम के सेक्शन, 149 की धारा 149 की उपधारा (6) के अनुसार वे स्वतंत्र निदेशक के मापदंड को पूरा करने की घोषणा उपधारा में उपलब्ध कराए गए नियमों के अनुसार वे स्वतंत्र निदेशक के मापदंड को पूरा करते हैं

1.10 क) अंकेक्षण समिति :

अंकेक्षण समिति का मुख्य कार्य वित्तीय रिपोर्ट, वित्त से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की कंपनी की प्रणाली, लेखा तथा कंपनी का अंकेक्षक लेखा एवं वित्तीय रिपोर्टिंग प्रोसेस का पुनरीक्षण करते हुए इसकी ओवर साइट उत्तरदायित्व पूरा करने में निदेशक मंडल को सहायता प्रदान करना है।

अंकेक्षण समिति अतिरिक्त अंकेक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करती है, सांविधिक अंकेक्षकों से मिलती है तथा उनकी उपलब्धियों, सुझावों और अन्य संबंधित विषयों पर विचार विमर्श करती है एवं कंपनी द्वारा अपनाई गई मुख्य लेखा नीतियों की समीक्षा करती है।

ख) विचारार्थ विषय :

अंकेक्षण समिति की विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के अनुसार है तथा भारी उद्योग मंत्रालय तथा पब्लिक इंटरप्राइजेज विभाग द्वारा जारी किये गए सीपीएसईएस के कारपोरेट–गवर्नेंस पर आधारित दिशा–निर्देश के अनुसार है।

अंकेक्षण समिति का विचारार्थ विषय अन्य बातों के साथ–साथ संगठन के सभी व्यावसायिक पहलूओं को कवर करेगा।

1. बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के पहले वितीय विवरणों की समीक्षा करना।
2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का नियतकालिक पुनरीक्षण।
3. शासकीय अंकेक्षण तथा सांविधिक अंकेक्षण की रिपोर्ट का पुनरीक्षण।
4. मानक पारामीटरों के साथ–साथ संचालनीय कार्य निष्पादन का पुनरीक्षण।
5. परियोजनाओं तथा अन्य पूँजीगत योजनाओं का पुनरीक्षण।
6. आंतरिक अंकेक्षण उपलब्धि/अवलोकन का पुनरीक्षण।
7. आनुपातिक तथा प्रभावी आंतरिक अंकेक्षण कार्य का विकास।
8. बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किए गए मुद्दों सहित किसी भी विषय का विशेष अध्ययन/जाँच।

ग) अंकेक्षक समिति का कार्य क्षेत्र :

अंकेक्षण समिति का कार्य क्षेत्र/भूमिका इस प्रकार है :

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया को देखना तथा वित्तीय संरचनाओं का प्रकटीकरण, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त तथा विश्वसनीय है।
2. ऑडिट फीस को निर्धारित करने के लिए बोर्ड को अनुशंसा करना।
3. सांविधिक अँकेक्षकों द्वारा प्रस्तुत किये गए अन्य सेवाओं के लिए अंकेक्षक, सांविधिक अंकेक्षकों के भुगतान का अनुमोदन करना है।
4. विशेष संदर्भ के साथ अनुमोदन हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक वित्तीय विवरणों का प्रबंधन के साथ पुनरीक्षण करना।
   - क) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3) और 134(5) के संदर्भ में शामिल किए जाने वाला डायरेक्टर्स रिस्पांसबिलिटी स्टेटमेंट में शामिल होने वाले अपेक्षित मामले।
   - ख) लेखा नीतियों तथा प्रैक्टिसेस में यदि कोई परिवर्त्तन हो तो उसका कारण।
   - ग) प्रबंधन द्वारा निर्णय पर आधारित आकलन से जुड़े मुख्य लेखा प्रविष्टि (इन्ट्री)।
   - घ) अंकेक्षण निष्कर्ष से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।
   - ड़) वित्तीय विवरणों से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं (प्रयोज्य नियम, अधिनियम तथा कंपनी नीतियाँ) का अनुपालन।
   - च.) किसी भी संबंधित पार्टी मामलों का प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर) तथा
   - छ) मसौदा अंकेक्षण रिपोर्ट में योग्यता।
5. अनुमोदन हेतु बोर्ड में प्रस्तुत करने से पहले तिमाही वित्तीय विवरणों का प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।
6. आंतरिक अंकेक्षकों का कार्य निष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता का प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।
7. आंतरिक अंकेक्षण विभाग, ऑफिशियल होल्डिंग डिपार्टमेंट का स्टाफिंग तथा वरीयता रिपोर्टिंग संरचना कवरेज एवं आंतरिक अंकेक्षण की आवृति सहित, यदि कोई हो तो आंतरिक अंकेक्षण कार्य की उपयुक्तता की समीक्षा करना।
8. कोई महत्वपूर्ण उपलब्धियों तथा उससे संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई हो तो आंतरिक अंकेक्षण तथा/अथवा अंकेक्षक के साथ विचार विमर्श करना।
9. ऐसे मामले जहाँ संदिग्ध, धोखाघड़ी अथवा अनियमितता अथवा आर्थिक प्रकृति के (मेटिरियल नेचर) के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की असफलता है तथा बोर्ड को रिपोर्टिंग करने के मामले में आंतरिक अंकेक्षकों/अंकेक्षकों एजेंसियों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच की उपलब्धियों की समीक्षा करना।
10. अंकेक्षण की प्रकृति तथा कार्यक्षेत्र के बारे में तथा इससे संबंधित किसी भी क्षेत्र का पता लगाने के लिए पोस्ट ऑडिट विचार–विमर्श, ऑडिट कामनसेंस के पहले सांविधिक अंकेक्षण के साथ विचार–विमर्श करना।
11. व्हिसिल ब्लोअर मैकेनिज्म की क्रियाशीलता की समीक्षा करना।
12. सीएंडएजी (C&AG) ऑडिट के अंकेक्षण अवलोकन पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
13. स्वतंत्र अंकेक्षक, आंतरिक अंकेक्षक तथा बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के बीच सम्पर्क हेतु खुला मंच उपलब्ध कराना।
14. कंपनी के सभी संबंधित पार्टी मामलों की समीक्षा करना तथा अनुमोदित करना। इस उद्देश्य के लिए अंकेक्षण समिति एक सदस्य को नामित कर सकता है, जो इन्स्टीच्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंड आफ इंडिया द्वारा जारी एकाउटिंग स्टैंडर्ड 18 में वर्णित पार्टी ट्रांजेक्शन से संबंधित पुनरीक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

15. कवरेज, अनावश्यक प्रयास में कमी तथा सभी आडिट संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल की संपूर्णता को सुनिश्चित करने हेतु ऑडिट प्रयासों के स्वतंत्र ऑडिटर समन्वयन के साथ पुनरीक्षण करना।
16. कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण तथा सुरक्षा एवं संबंधित उपलब्धियों तथा स्वतंत्र अंकेक्षकों की अनुशंसाएँ तथा प्रबंधन प्रत्युत्तर के साथ अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के लिए अथवा गतिविधियों के कार्यक्षेत्र पर किसी भी प्रतिबंध सहित अंकेक्षण के दौरान सामना की गई कठिनाइयों, महत्वपूर्ण उपलब्धियां एवं आंतरिक अंकेक्षक सहित इसका दायित्व प्रबंधन पर भी है।
17. अपेक्षित सूचना की अधिकता या क्रिया–कलापों की संभावना पर किसी प्रतिबंध सहित अंकेक्षण कार्य के दौरान पायी गई किसी कठिनाइयों तथा पूर्व के अंकेक्षण की अनुशंसाओं की स्थिति सहित विवेच्य वर्ष के दौरान महत्वपूर्व निष्कर्षों के लिए प्रबंधन, आंतरिक अंकेक्षण तथा स्वतंत्र अंकेक्षक के साथ विचार–विमर्श करना तथा समीक्षा करना।
18. डिपोजिटर्स, डिबेंचर धारकों, शेयर होल्डरों (घोषित लाभांश के नन पेमेंट के मामले में) को भुगतान में पर्याप्त त्रुटि के कारणों का पता लगाना।
19. पब्लिक अंडरटेकिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट (कोपू) पर गठित कमेटी की अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई का अनुसरण कर समीक्षा करना।
20. अंकेक्षण कमेटी के विचाराधीन विषयों में उल्लिखित किसी अन्य कार्य को सम्पादित करना।

घ) अंकेक्षक समिति की शक्तियाँ :

अंकेक्षक समिति की शक्तियाँ निम्नलिखित के अनुरूप होगी :

1. विचारार्थ विषय के अंतर्गत किसी भी गतिविधियों की जाँच करना।
2. किसी भी कर्मी से सूचना माँगना।
3. बाह्य कानूनी तथा व्यावसायिक सलाह प्राप्त करना।
4. यदि विचार करना आवश्यक हो तो संबंधित विशेषज्ञता के साथ बाहरी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
5. व्हिसिल ब्लोअर्स की रक्षा करना।
6. अंकेक्षकों की स्वतन्त्रता पर बल देते हुए हितों के टकराव को रोकना।
7. आंतरिक नियंत्रण तथा जोखिम प्रबंधन की प्रभावकारिता सुनिश्चित करना।

ड.) अंकेक्षण समिति द्वारा सूचना की समीक्षा :

अंकेक्षण समिति निम्नलिखित सूचनाओं की समीक्षा करेगी :

1. वित्तीय स्थिति तथा कार्य के परिणामों पर प्रबंधन के साथ मिलकर विचार–विमर्श तथा विश्लेषण।
2. प्रबंधन द्वारा सुपुर्द पार्टी लेनदेन से संबंधित विवरण।
3. सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा जारी कमियों पर आंतरिक नियंत्रण का पत्र/प्रबंधन का पत्र।
4. इंटरनल कंट्रोल विकनेसेज से संबंधित आंतरिक अंकेक्षण रिपोर्ट।
5. मुख्य आंतरिक अंकेक्षकों की नियुक्ति तथा पदच्युति को अंकेक्षण समिति के समक्ष रखना तथा,
6. मुख्य कार्यकारी/मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरण का प्रमाणन/घोषणा।

1.11 गठनः

अंकेक्षण समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं तथा इसकी अध्यक्षता गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) द्वारा की जाती है :

क्र. सं.	निदेशक के नाम	स्थिति	
1.	श्रीमती अलका पांडा	अध्यक्ष	स्वतन्त्र निदेशक
2.	श्री बिनय दयाल	सदस्य	सरकारी अंशकालिक निदेशक
3.	श्री मुकेश चौधरी	सदस्य	सरकारी अंशकालिक निदेशक
4.	डा. कृष्ण चन्द्र पांडेय	सदस्य	स्वतन्त्र निदेशक
5.	श्री प्रमोद सिंह चौहान	सदस्य	स्वतन्त्र निदेशक
6.	श्री ए.के.राणा	सदस्य	कार्यकारी निदेशक

महाप्रबंधक (वित्त), विभागाध्यक्ष (आईएडी) और सांविधिक अंकेक्षक को आडिट कमिटि की बैठक में आमंत्रित किया जाता है। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव होते हैं। समिति को आवश्यक स्पष्टीकरण देने के लिए, जब और जहाँ जरूरत हो, वरीय कार्यकारी अधिकारी को भी बुलाया जाता है। आंतरिक अंकेक्षण विभाग आडिट कमिटि की बैठक को आयोजित और संपन्न करने के लिए आवश्यक सहयोग उपलब्ध करता है।

क) बैठक एवं उपस्थिति :

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान क्रमशः दिनांक : 13.05.2020, 09.06.2020, 16.07.2020, 06.08.2020, 14.08.2020, 15.09.2020, 05.11.2020,04.02.2021 और 04.03.2021के दौरान कुल नौ बैठकें आयोजित की गई। सदस्यों द्वारा भाग लिए गए अंकेक्षण समिति की बैठक का विस्तृत विवरण इस प्रकार से है :

क्र.सं.	निदेशक के नाम	उनके कार्यावधि के दौरान आयोजित अंकेक्षण समिति की बैठकों की संख्या	अंकेक्षक समिति की बैठक में उपस्थिति की संख्या
कार्यकारी निदेशक			
1.	श्री के.के.मिश्रा	7	7
2.	श्री ए.के.राणा	2	2
अंशकालिक सरकारी सदस्य			
3.	श्री विनय दयाल	9	8
4.	श्री मुकेश चौधरी	7	4
अंशकालिक गैर-सरकारी सदस्य			
5.	श्रीमती अलका पांडा	9	9
6.	डा. कृष्ण चन्द्र पाण्डेय	9	9
7.	श्री प्रमोद सिंह चौहान	9	9

1.12 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

निगमित शासन के सर्वोत्तम कार्य करने तथा कारपोरेट गवर्नेस के गाइड लाइन को पूरा करने एवं स्टॉक एक्सचेंज के साथ कोल इंडिया लिमिटेड करार की लिस्टिंग करवाने के लिए दिनांकः 30.12.2015 को आयोजित बोर्ड की 191वीं बैठक में सीएमपीडीआईएल के नामांकन एवं पारिश्रमिक कमिटि का गठन किया गया।

क) गठन

दिनांक : 09.06.2020 को आयोजित 234वीं बोर्ड की बैठक में सीएमपीडीआईएल के नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं और इसकी अध्यक्षता गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) द्वारा की जाती है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	
1.	श्रीमती अलका पांडा	अध्यक्ष	स्वतन्त्र निदेशक
2.	डा. कृष्ण चन्द्र पांडेय	सदस्य	स्वतन्त्र निदेशक
3.	श्री प्रमोद सिंह चौहान	सदस्य	स्वतन्त्र निदेशक
4.	श्री मुकेश चौधरी	सदस्य	सरकारी अंशकालिक निदेशक
5.	श्री सतेन्द्र कु.गोमास्ता	स्थाई आमंत्रित सदस्य	कार्यकारी निदेशक

महाप्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन) कमिटि के नोडल अधिकारी रहेंगे, और सारी सुविधाएँ उपलब्ध कराएंगे तथा कंपनी सचिव इस कमिटि के सचिव रहेंगे।

ख) बैठक एवं उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कोई बैठक नहीं हुई।

1.13 निदेशकों के पारिश्रमिक अप्रैल, 2020 से मार्च 2021 तक :

सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सभी पूर्णकालिक निदेशकों की सेवा एवं शर्तें तथा पारिश्रमिक का निर्णारण कंपनी के आर्टिकल ऑफ असोसियेशन/कोल इंडिया लि. के टर्म में भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

क) कार्यकारी निदेशक :

कंपनी के कार्यकारी निदेशकों के पारिश्रमिक वित्तीय वर्ष अप्रैल, 2020 से मार्च 2021 तक का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है :

(आंकड़े रू. में)

नाम	पदनाम	कुल वेतन एवं भत्ता	पर्क्स	एचआरए	सीएमपीएफ नियोजक का अंशदान (पीएफ+पेंज़न एंड सीआईएल ईडीसीपीएस)	छुट्टी नकदीकरण	पीआरपी अग्रिम / पीआरपी	चिकित्सा व्यय	कुल
श्री शेखर सरन	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	3238443.00	1348480.00		841768.00	551460.00	984891.00	146407.00	7111449.00
श्री के.के. मिश्रा	निदेशक (तकनीकी)	2559451.30	1218172.00		665290.00	1028307.60	1702019.00	137777.00	7311016.90
श्री आर.एन. झा	निदेशक (तकनीकी)	3051991.66	1163305.00		793305.00		284504.00	29852.00	5322957.66
श्री ए.के. राणा	निदेशक (तकनीकी)	3007906.00	11686781.00	140329.00	781839.64		1575519.00	719955.00	7394329.64
श्री एस.के. गोमास्ता	निदेशक (तकनीकी)	3037323.00	897288.00		789491.00	641725.40	1712508.00	63924.00	7142259.40

ख) अंशकालिक सरकारी निदेशकः

सीएमपीडीआईएल द्वारा अंशकालिक सरकारी निदेशकों को किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है।

1. श्री मुकेश चौधरी,निदेशक (सीएलडी), कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से मनोनीत निदेशक हैं। कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उन्हें पारिश्रमिक दिया जा रहा है।
2. श्री बिनय दयाल, निदेशक (तकनीकी), कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता से मनोनीत निदेशक है और उनका पारिश्रमिक कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा दिया जा रहा है।

ग) स्वतंत्र निदेशक :

कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड में उपस्थित होने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित सीलिंग के भीतर कोल इंडिया बोर्ड द्वारा निर्धारित दर पर दिया जाने वाला सीटिंग फीस को छोड़कर कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों के लिए भुगतान किए जा रहे सिटिंग फीस का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र. सं.	नाम	उपस्थिति के लिए भुगतान किया गया फीस		कुल (रू. लाख में)
		बोर्ड की बैठक (रू. में)	समिति की बैठक (रू. में)	
1.	डा. कृष्ण चंद्र पाण्डेय	2,40,000	3,20,000	5,60,000
2.	श्रीमती अलका पांडा	2,40,000	3,20,000	5,60,000
3.	श्री प्रमोद सिंह चौहान	2,40,000	3,20,000	5,60,000
	कुल	**7,20,000**	**9,60,000**	**16,80,000**

1.14 वार्षिक आम बैठक :

विगत तीन वर्षों के दौरान आयोजित वार्षिक आम बैठक का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है :

विवरण	2018–19 44वीं एजीएम	2019–20 45वीं एजीएम	2020–21 46वीं एजीएम
तिथि	28.06.2019	27.07.2020	28.07.2021
समय	अपराह्न 4.00	पूर्वाह्न.10.30	पूर्वाह्न.10.15
स्थान	दार्जिलिंग	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची–834031,झारखंड	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची–834031,झारखंड
विशेष संकल्प	शून्य	शून्य	शून्य

1.15 असाधारण आम बैठक :

विगत तीन वर्षों के दौरान आयोजित वार्षिक आम बैठक का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है :

विवरण	2018–19	2019–20	2020–21 11 वीं ईजीएम
तिथि	शून्य	शून्य	29.09.2020
समय			10.30 पूर्वाह्न
स्थान			कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, गोंदवाना प्लेस, काँके रोड,राँची–834031,
विशेष संकल्प			बोनस शेयर का निर्गत

1.16 स्वतंत्र निदेशकों की बैठक :

क) गैर–स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड का संपूर्ण रूप से कार्य निष्पादन की संवीक्षा करना।

ख) कार्यकारी निदेशक और गैर–कार्यकारी निदेशक से कंपनी के चेयरपर्सन के बारे में विचार लेके संवीक्षा करना।

ग) कंपनी प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और टाइम लाइन का मूल्यांकन करना जो कि बोर्ड के लिए प्रभावपूर्ण और समुचित अपनी कार्य कर सके, के लिए आवश्यक है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की एक बैठक दिनांक 04.03.2021 को हुई।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा बैठक में भाग लेने का विस्तृत विवरण इस प्रकार है :–

क्र.सं.	स्वतंत्र निदेशक का नाम	बैठक में भाग लेने की संख्या
1.	डा. कृष्ण चंद्र पाण्डेय	1
2.	श्रीमती अलका पांडा	1
3.	श्री प्रमोद सिंह चौहान	1

1.17 प्रकटीकरण (डिसक्लोजर) :

- **मैटेरियली सिग्नीफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शनः**

कंपनी ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों अथवा वरीय प्रबंधन कर्मियों या उनके संबंधियों के साथ किसी भी पार्टी मामलों (ट्रांजेक्शन) से संबंधित किसी भी विषय की दृष्टि से मेटेरियली सिग्नीफिकेंट में प्रवेश नहीं किया है, जिससे कि बड़े पैमाने पर कंपनी की संभावित रूचि हो।

सम्बद्ध पार्टी सहित किसी संविदा या व्यवस्था के संबंध में वर्ष 2020–21 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठक में कोई एजेंडा पेश नहीं किया गया।

संबंधित पार्टी के लेन–देन संबंधि नीति के अनुसार किसी भी दो सरकारी कंपनी तथा नियंत्रक कंपनी एवं उसकी अनुषंगी कंपनी के बीच लेन–देन में छूट है। धारा 188(।) के तहत पार्टी से संबंधित कंट्रेक्ट या अरेंजमेंट को **परिशिष्ट-VI** में संलग्न किया जाता है।

- **कंपनी द्वारा नियमों/कानून क अनुपालन का विस्तृत विवरण :**

कंपनी के लिए लागू विभिन्न प्रकार के नियमों के अनुपालन की यह कम्पनी मानिटरिंग कर रही है तथा गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों से संबंधित किसी भी विषय पर किसी भी ऑथरिटी द्वारा कंपनी पर आरोपित संरचना तथा वर्त्तमान में कंपनी द्वारा गैर–अनुपालन के लिए कोई भी विपरीत मामला नहीं है।

- **व्हिसिल ब्लोअर नीति के अनुसार अंकेक्षण समिति तक पहुँच :**

यह नीति प्रबंधन तथा अंकेक्षण समिति को गैर–नीतिपरक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदिग्ध, धोखाघड़ी, अथवा कंपनी के कोड आफ कंडक्ट का उल्लंघन के उदाहरण की रिपोर्ट करने के लिए कर्मचारियों को अवसर उपलब्ध कराती है।

व्हिसिल ब्लोअर नीति के अनुसार किसी भी कर्मी द्वारा अंकेक्षण समिति तक पहुँच को नकारा नहीं गया है। विवेच्य वर्ष के दौरान व्हिसिल ब्लोअर नीति के अंतर्गत कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है।

- **कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशा-निर्देशों का अनुपालन**

निदेशक मंडल, अंकेक्षण समिति, प्रकटीकरण, कोड आफ कंडक्ट इत्यादि के संबंध में इन दिशा–निर्देशों

का पालन किया जाता है। तथापि, पारिश्रमिक समिति, अनुषंगी कंपनियों, प्रशिक्षण नीति इत्यादि पर दिशा–निर्देशों का अनुपालन कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी कम्पनियों द्वारा किया जाता है, इसका अनुपालन सीएमपीडीआईएल द्वारा भी किया जाता है। कारपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में पूर्णकालिक कंपनी के अंकेक्षक से एक प्रमाण–पत्र इसके साथ परिशिष्ट–III में संलग्न है। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान और डीपीई के दिशा–निर्देशों के अनुपालन के लिए स्वतंत्र निदेशक की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति के लिए कोयला मंत्रालय जो अप्वाईंटिंग ऑथोरिटी है को इससे अवगत करा दिया है।

- **इन्टीग्रिटी पैक्ट एवं आईईएम**

  कंपनी के पास अपने व्यापारिक ट्रान्जेक्शन, संविदा, प्राप्ति प्रक्रिया में प्रबंधन में पादर्शिता संवृद्धि पर जोर देते हुए इंटिग्रिटि पैक्ट कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल इंडिया (टीआईआई) के साथ समझौता संलेख (एमओयू) किया हुआ है। इस समझौता संलेख (एमओयू) के अंतर्गत कंपनी अपने सभी प्राप्ति (प्रोक्यूरमेंट) तथा वर्क कांट्रेक्ट कार्यों में इंटिग्रीटि पैक्ट कार्यान्वित करने हेतु वचनबद्ध है। दो स्वतंत्र बाह्य मोनिटर्स केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से ही टीआईआई द्वारा नामजद व्यक्ति इसकी गतिविधियों का मॉनीटर करते हैं। इन्टीग्रेटी पैक्ट ने ट्रस्ट स्थापित कर स्थापना प्रणाली एवं प्रक्रिया को सशक्त किया है तथा जिसे सीवीसी का पूरा सर्पोट है।

- **सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण:**

  कंपनी के अध्यक्ष तथा महाप्रबंधक(वित्त)/सीएफओ द्वारा वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ''सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण'' प्रदान कर दिया है जिसे डाईरेक्टरों की रिपोर्ट के परिशिष्ट–।। के रूप में लगाया गया है।

- **निदेशकों तथा वरीय अधिकारियों के लिए आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट):**

  कंपनी के निदेशकों तथा वरीय अधिकारियों के लिए आचार संहिता बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई है, जिसे सभी संबंधित व्यक्तियों के मध्य परिचालित कर दिया गया हे, तथा कंपनी के वेबसाइट www.cmpdi.co.in में भी डाल दिया गया है। 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के निदेशक तथा वरीय प्रबंधन कार्मिक ने कंपनी के आचार संहिता के प्रावधानों के अनुपालन का समर्थन किया है।

- **किए गए खर्च का ब्यौरा :**

  बुक ऑफ एकाउन्ट में व्यय के किसी वैसे मद को डेबिट नहीं किया गया है जो निजी प्रकृति के हैं तथा निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन पर खर्च किया गया है तथा कंपनी के अंकेक्षकों ने इस तरह के किसी खर्च के लिए रिपोर्ट भी नहीं की है।

- **राष्ट्रपति का निर्देश :**

  वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान सीएमपीडीआईएल के लिए केंद्र सरकार द्वारा कोई प्रेसिडेंसियल निर्देश जारी नहीं किया गया है।

1.18 संचार के साधन :

कंपनी अपनी वार्षिक रिपोर्ट आम बैठक तथा डिसक्लोजर अपने वेबसाइट, कार्यालयी पत्रिका गोंदवाना भारती माइनटेक, प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्रों तथा स्थानीय दैनिक के माध्यम से अपने शेयर होल्डरों के साथ संप्रेषण करती है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त वार्षिक रिपोर्ट एवं कंपनी का तिमाही परिणाम तथा महत्वपूर्ण घटनाओं को कंपनी की वेबसाइट यानि www.cmpdi.co.in पर उपलब्ध करा दिया गया। कंपनी से संबंधित अद्यतन जानकारी तथा घोषणाएँ कंपनी की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। कंपनी की उपलब्धियों से आम लोगों को अवगत कराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जा रही है।

1.19 कंपनी का प्रयास हमेशा से अनक्वालिफायड वित्तीय विवरण पेश करने का रहा है।

कंपनी का प्रयास हमेशा से अनक्वालिफायड वित्तीय विवरण पेश करने का रहा है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के लेखे पर कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण की टिप्पणियों को **परिशिष्ट VIII** में शामिल किया गया है।

1.20 बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण :

कंपनी के व्यवसाय से संबंधित सभी मामले, इसके संबंधित जोखिम तथा कंपनी की भावी रणनीति आदि के सार (संक्षिप्त विवरण) से निदेशक–मंडल को पूर्णतः अवगत करा दिया जाता है।

सभी कार्यकारी निदेशक संबंधित क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता तथा अनुभव के आधार पर संबंधित कार्य क्षेत्र के प्रमुख होते हैं। वे कंपनी के बिजनेस माडल तथा जोखिमों से अवगत होते हैं। अंशकालिक निदेशक भी कंपनी के बिजनेस मॉडल से पूर्णतः वाकिफ होते हैं।

स्वतंत्र निदेशकों को निगमित शासन के लिए समय–समय पर प्रशिक्षण हेतु प्रायोजित किया जाता है। सभी सरकारी निदेशकों की कोल इंडिया लिमिटेड की पॉलिसी के अनुसार भारत और विदेश दोनों के लिए स्पांसर किया जाता है। कंपनी में नव–नियुक्त निदेशकों को कंपनी के कंस्टीच्यूशन, विजन एवं मिशन स्टेंटमेंट, मुख्य क्रिया–कलाप, बोर्ड की प्रक्रिया/पद्धति, रणनीतिक दिशा–निर्देश के विस्तृत प्रजेन्टेशन, विचार–विमर्श आदि के माध्यम से पूर्णतः अवगत कराया जाता है।

1.21 व्हिसिल ब्लोअर नीति

कंपनी के कर्मचारियों के नैतिक आचरण को सशक्त करने तथा विभिन्न स्टेक होल्डरों के हितों को प्रोत्साहित करने के लिए सीएमपीडीआईएल में 2011–12 में व्हिसिल ब्लोअर नीति लागू की गई तथा दिनांक 8.11.2011 को आयोजित 163वीं बैठक में बोर्ड को इससे अवगत करा दिया गया।

यह नीति वास्तविक या संदिग्ध अनैतिक आचरण, कंपनी की आचार संहिता के साथ धोखाघड़ी या इसका उल्लंघन के मामले को प्रबंधन के पास रिपोर्ट करने के लिए कर्मचारियों को अवसर प्रदान करता है। सूचीबद्ध कंपनी तथा स्टाक एक्सचेंज के बीच लिस्टिंग एग्रीमेंट के खंड 49 में संशोधन किया गया है तथा यह 4 नवम्बर, 2010 से लागू हो गया है। खंड 49 में अन्य बातों के साथ–साथ ''व्हिसिल ब्लोअर नीति'' नामक मेकानिज्म स्थापित करने के लिए सभी सूचीबद्ध कंपनियों को नन मेंडेटरी रिक्वायरमेंट प्रदान करता है। यह प्रतिशोध या उत्पीड़न से कर्मचारियों को बचाने में आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है। तथापि, इस नीति के अंतर्गत व्हिसिल ब्लोअर द्वारा किए गए खराब कार्य निष्पादन या कदाचार, जो व्हिसिल ब्लोअर द्वारा किए गए स्पष्टीकण से अलग हो, के विरूद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई को इसके तहत संरक्षण नहीं दिया जाएगा।

आंतरिक अंकेक्षण विभाग द्वारा इस आशय का एक प्रमाण पत्र दिया गया कि अंकेक्षण समिति के समक्ष पहुँच से व्हिसिल ब्लोअर को रोका नहीं गया।

1.22 जोखिम प्रबंधन प्रणाली

जोखिम प्रबंधन कमिटि का गठन दिनांक : 02.02.16 को आयोजित सीएमपीडीआईएल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की 192वीं बैठक में किया गया तथा दिनांक : 15.09.2020 को आयोजित बोर्ड की 239वीं बैठक में इसे पुनर्गठित किया गया।

क) गठन :

जोखिम प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं, जिसकी अध्यक्षता गैर–सरकारी अंशकालीक निदेशक करते हैं :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	
1.	डा. कृष्ण चंद पाण्डेय	अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक
2.	श्रीमती अलका पांडा	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक
3.	श्री प्रमोद सिंह चौहान	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक
4.	श्री आर.एन.झा	सदस्य	कार्यकारी निदेशक
5.	श्री ए.के.राणा	सदस्य	कार्यकारी निदेशक

जोखिम प्रबंधन समिति के सचिव कंपनी सचिव और विभागाधयक्ष (एचआरडी/सीएसआर एवं एम एसडी) इसके नोडल पदाधिकारी होंगे :

ख) बैठक एवं उपस्थिति :

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान दिनांक : 21.12.2020को एक बैठक हुई। जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक में उपस्थित सदस्य निम्नलिखित है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	बैठक में उपस्थिति
1.	डा. कष्ण चंद पाण्डेय	अध्यक्ष–(17.11.2019)	1
2.	श्रीमती अलका पांडा	सदस्य–(10.07.2019)	1
3.	श्री प्रमोद सिंह चौहान	सदस्य–(17.11.2019)	1
4.	श्री आर.एन.झा	सदस्य–(10.07.2019)	1
5.	श्री ए.के.राणा	सदस्य–(15.09.2020)	-
6.	श्री के.के.मिश्रा	सदस्य–(10.07.2019 14.09.2020 तक)	1

1.23 इनसाइडर ट्रेडिंग से बचाव के लिए आंतरिक प्रक्रिया और आचार संहिता का कोड :

नियंत्रक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने अप्रकाशित मूल्य संवेदी जानकारी के आधार पर किसी इनसाइडर द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड के शेयरों की खरीद और/या बिक्री को रोकने के उद्देश्य से इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने तथा कोल इंडिया लिमिटेड की प्रतिभूति से डील करने के लिए आंतरिक प्रक्रिया को कोड संहिता को अपनाया है। यह संहिता (केस) सीएमपीडीआईएल द्वारा भी अपनाई गई है। इस संहिता के तहत वैसे इनसाइडरों को डिजिग्नेटेड कर्मचारी का नाम दिया गया है, जो ट्रेडिंग बिन्डों के बंद होने के दौरान सीआईएल के शेयरों से डील करने से रोके जाते हैं। विहित सीमा से अधिक प्रतिभूति डील करने के लिए अनुपालन अधिकारी की अनुमति आवश्यक है। जैसा कि संहिता में परिभाषित है, सभी डिजिग्नेटेड कर्मचारी को नियमित रूप से संबंधित जानकारी प्रकट करना आवश्यक है। इस कोड के लिए कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी नामित किया गया है। इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए आंतरिक प्रक्रिया तथा आचार संहिता को भी सीएमपीडीआईएल के वेब साइट के इन्ट्रानेट पर डाल दिया गया है।

1.24 निदेशकों का दायित्व

आगामी वित्तीय वर्ष आरंभ होने के पहले डीपीई दिशा–निर्देश में दिए गए प्रावधान के अनुसार सीएमपीडीआईएल के प्रबंधन तथा कोल इंडिया/कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के बीच समझौता संलेख (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया है। इस समझौता के अंतर्गत यह कंपनी वर्ष के प्रारंभ में सेट किए गए टारगेट को हासिल करने के लिए वचनबद्ध है तथा इसमें निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले वर्ष के अंत में सीएमपीडीआईएल के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना निहित है। यह ''फाइव प्वाइंट स्केल'' तथा ''क्राइटेरिया वेट'' की पद्धति को अपनाकर कार्य करता है, जिसके परिणामस्वरूप ''कम्पोजिट स्कोर'' की गणना की जाती है। ''कम्पोजिट स्कोर'', कोल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से डीपीई तथा प्रशासनिक मंत्रालय को अनुसमर्थन के लिए भेजा जाता है।

समझौता संलेख सिस्टम दक्षतापूर्वक काम करने में सक्षम बनाता है, क्योंकि वित्तीय एवं गैर–वित्तीय दोनों प्रकार के (डायनेमिक, क्षेत्र विशिष्ट तथा उद्यम विशिष्ट पारामीटर) पारामीटरों की विविधता है। इस प्रक्रिया से दीर्घकालीन उद्देश्य तथा संपूर्ण विकास प्राप्त करने में अधिक मदद मिलती है। संपूर्ण प्रक्रिया से स्टेक होल्डरों के प्रति पारदर्शिता तथा उत्तदायित्व भी सुनिश्चित किया जाता है।

1.25 निगमित शासन के अनुपालन की त्रैमासिक रिपोर्टिंग पद्धति

अपने संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को सीपीएसई द्वारा रिपोर्ट करने के लिए मंत्रालय द्वारा एक त्रैमासिक रिपोर्टिंग पद्धति का विकास किया गया है। इसके अनुपालन में सीएमपीडीआईएल द्वारा कोयला मंत्रालय को नियमित रूप से तथा समय पर तिमाही रिपोर्ट भेजी जाती रही है।

1.26 की-मैनेजेरियल पर्सनल

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 203 के प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित की – मैनेजेरियल पर्सनल हैं:

श्री शेखर सरन	:	सीईओ
श्री आर.एन. झा	:	निदेशक
श्री ए.के. राणा	:	निदेशक
श्री एस.के. गोमास्ता	:	निदेशक
श्री आर.एन.सूर	:	सीएफओ
श्री अभिषेक मुंधड़ा	:	कंपनी सचिव

1.27 सीएमपीडीआईएल में सीएसआर पहल

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) तथा सस्टेनेब्लिटी आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरण के अनुकूल ढंग से कार्य, जो पारदर्शी तथा नैतिक हो, करने के लिए अपने स्टेक होल्डरों के प्रति कंपनी की प्रतिबद्ध ता है। सीएसआर तथा सस्टेनेब्लिटी क्षमता निर्माण, सामुदायिक अधिकारिता, समावेशी, सामाजिक आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, हरित एवं कम ऊर्जा खपत वाली प्रौद्योगिकी का उन्नयन, पिछड़े क्षेत्रों का विकास, तथा समाज के सीमांत तथा अर्ध–सुविधायुक्त तबकों की उन्नति आदि पर विशेष जोर देता है। कंपनी ने दिनांक : 27.02.2014 को मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स, भारत सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन तथा डीपीई की गाइड लाइन और कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 135 तथा उसके तहत बने नियम के अनुसार स्वयं की सीएसआर नीति बनाई है।

सीएसआर तथा सस्टेनेब्लिटी खनन उद्योग के लिए न सिर्फ जोखिम लाता है बल्कि यह अवसर का समूह भी सृजित करता है। सीएसआर तथा सस्टेनेब्लिटी कंपनी को परिचालन, सस्टेनेबुल डेवलोपमेंट में सार्थक योगदान सुनिश्चित करता है। सीएसआर तथा सस्टेनेब्लिटी के प्रति सामाजिक दायित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दुहराता है। नीतियों एवं कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सीएमपीडीआईएल में ''टू–टीयर डिसिजन मेकिंग कमिटि'' का गठन किया गया है।

अपने व्यापार की विशेष प्रकृति को ध्यान में रखकर, सीएमपीडीआईएल ने वर्ष 2020–21 के दौरान सीएसआर तथा सस्टेनेब्लिटी क्रिया–कलाप प्रारंभ किया है, जिसे रिपोर्ट के भाग ''ख'' में देखा जा सकता है।

1.28 वार्षिक रिटर्न

कंपनी का वार्षिक रिर्टन हमारे वेबसाइट लिंक **https://www.cmpdi.co.in/annualrpt.php** पर उपलब्ध है।

1.29 ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा में आय एवं व्यय और आऊटगो

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा में आय एवं व्यय और आऊटगो को निदेशक मंडल की रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में संलग्न किया गया है (**परिशिष्ट–I**)

1.30 बोर्ड की समिति तथा निदेशकों के कार्य-निष्पादन का वार्षिक मूल्यांकन :

सूचीबद्ध कंपनी या गत वर्ष के अंत में परिकलित प्रदत्त पूँजी 25 करोड़ रू. या उससे अधिक रखने वाली अन्य सार्वजनिक कंपनी के मामले में कंपनीज (लेखा) नियमावली 2014 के नियम 8 तथा धारा 134(3) (पी) के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में एक विवरण के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें उस ढंग को दर्शाया गया हे, जिसमें बोर्ड द्वारा अपनी उपलब्धि तथा इसकी समिति की उपलब्धि तथा प्रत्येक निदेशक की उपलब्धि को दर्शाया गया है।

सीएमपीडीआईएल की प्रदत्त शेयर पूँजी 142.80 करोड़ रू. है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में दर्ज की है तथा किसी अन्य स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है एवं तद्नुरूप कंपनी को अपने निदेशक मंडल, समिति तथा प्रत्येक निदेशकों के कार्य–निशपादन का मूल्यांकन करना आवश्यक नहीं है।

बोर्ड में दो और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं होने के कारण बोर्ड द्वारा अपना वार्षिक उपलब्धि का मूल्यांकन तथा अपना एवं समिति का मूल्यांकन नहीं हो सका। तथापि, उस नीति के आधार पर वार्षिक मूल्यांकन किया जाएगा जिसे नियंत्रक कंपनी तथा इसकी अनुषंगी कंपनी के लिए कोल इंडिया द्वारा बनाई जाने वाली नीति बनाए जाने की संभावना है।

भाग–ख

वार्षिक उपलब्धि का पर्यवलोकन

1.0 भूवैज्ञानिक गवेषण और ड्रिलिंग

1.0.1 सीएमपीडीआईएल ने वर्ष 2020–21 में भी मुख्य रूप से सीआईएल और गैर–सीआईएल/कैप्टिव माइनिंग ब्लॉकों में कोयला गवेषण गतिविधियों को जारी रखा। सीआईएल की अनुषंगी कंपनियों के प्रोजेक्ट प्लानिंग/उत्पादन सपोर्ट की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीआईएल ब्लॉकों में गवेषण किया गया, जबकि गैर–सीआईएल/कैप्टिव माइनिंग ब्लॉकों में गवेषण भावी उद्यमियों को कोयला ब्लॉकों के आवंटन को सरल बनाने के लिए किया गया था।

1.0.2 सीएमपीडीआईएल ने 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ड्रिलिंग क्षमता लगातार विकसित की है। विभागीय संसाधनों और आउटसोर्सिंग के माध्यम से वर्ष 2007–08 में **2.09 लाख मीटर** की उपलब्धि के मुकाबले, सीएमपीडीआईएल ने 2011–12 में **4.98 लाख मीटर** (ग्यारहवीं योजना का टर्मिनल वर्ष), 2016–17 में **11.26 लाख मीटर** (बारहवीं योजना का टर्मिनल वर्ष) और 2020–21 में **12. 94 लाख मीटर** की उपलब्धि हासिल किया है।

विभागीय ड्रिलिंग के क्षमता विस्तार के लिए, 7 नए हाइड्रोस्टेटिक ड्रिल प्राप्त किए गए हैं और जनवरी 2018 से अतिरिक्त ड्रिल के रूप में तैनात किए गए हैं, जो ड्रिल की क्षमता को 71 तक बढ़ा दिया है, जिसमें 71 ड्रिल में से 26 ड्रिल हाइड्रोस्टेटिक हैं और 45 ड्रिल मैकेनिकल हैं।

वर्ष 018–19 में, 28 भूविज्ञानी/भूभौतिकीविद् सीएमपीडीआई में शामिल हो गए, 13 भूवैज्ञानिकों/भूभौतिकीविदों का इस्तीफा लंबे समय तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण स्वीकार किया गया है। 2 भूवैज्ञानिकों/भूभौतिकीविदों की सेवाओं को भी समाप्त कर दिया गया है।

1.0.3 आउटसोर्सिंग के तहत 44 लाख मीटर वेधन सहित 112 खनिखंडों और 2डी/3डी सिस्मिक सर्वेक्षण 1967 लाइन कि.मी. का कार्य वर्ष 2008–09 से अब तक निविदा के माध्यम से दिया गया। जिनमें 69 ब्लॉकों में ड्रिलिंग का कार्य किया गया।

वर्ष 2020–21 में कुल लगभग 7.63 लाख मीटर आउट सोर्सिंग के माध्यम से ड्रिल किया गया है, जिसमें से 2.63 लाख मी. निविदा के माध्यम से 4.99 लाख मीटर, एमईसीएल के साथ एमओयू के द्वारा तथा 0.01 लाख मी. राज्य सरकार द्वारा किया गया

1.1 वर्ष 2020-21 में ड्रिलिंग का कार्य–निष्पादनः

1.1.1 सीएमपीडीआईएल ने सीआईएल/गैर–सीआईएल ब्लॉकों की विस्तृत गवेषण के लिए अपने विभागीय संसाधनों को लगाया जबकि ओडिशा राज्य सरकार ने केवल सीआईएल ब्लॉकों में अपना संसाधन लगाया है। इसके अतिरिक्त, 7 संविदा एजेंसियों ने सीआईएल/गैर–सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग/गवेषण के लिए अपने संसाधनों को भी लगाया है। वर्ष 2020–21 में कुल 160 से 180 ड्रिल तैनात किए गए थे, जिनमें से 71 विभागीय ड्रिल थे।

सीएमपीडीआईएल ने 8 ब्लॉकों में कोल सेक्टर (सीआईएल क्षेत्रों) में एमईसीएल द्वारा किए गए प्रमोशनल/एनएमईटी गवेषण कार्य की तकनीकी लिग्नाइट क्षेत्रों के 10 ब्लॉकों में जारी रखी। वर्ष 2020–21 के दौरान सीएमपीडीआईएल के माध्यम से कोयला (1.12 लाख मी.) एवं लिग्नाइट (0.23 लाख मीटर प्रमोशनल (क्षेत्रीय) ड्रिलिंग किया गया था।

1.1.2 वर्ष 2020–21 में, सीएमपीडीआईएल और इसके संविदात्मक एजेंसियों ने 8 राज्यों में स्थित 23 कोयला क्षेत्रों के 133 ब्लॉकों/ खदानों में गवेषणात्मक ड्रिलिंग किया है। 133 ब्लॉकों/ खदानों में से, 15ब्लॉक थे। ये कोयला क्षेत्र हैं : रानीगंज (12 ब्लॉक/माइंस), राजमहल (2 ब्लॉक), झरिया (5 ब्लॉक), ई. बोकारो (1 ब्लॉक), वेस्ट बोकारो (1 ब्लॉक), नॉर्थ करनपुरा, (7 ब्लॉक), साउथ कर्णपुरा (3 ब्लॉक) वर्धा घाटी (14 ब्लॉक), बंदेर (1 ब्लॉक), एमरेर (2 ब्लॉक), सोहागपुर (12 ब्लॉक), मांद रायगढ़ (22 ब्लॉक), कोरबा (1 ब्लॉक), सोनहाट (4 ब्लॉक),

टाटापानी– रामकोला– (9 ब्लॉक), सिंगरौली (10 ब्लॉक), तालचर (11 ब्लॉक), ईब वैली (12 ब्लॉक) और गोदावरी वैली (1 ब्लॉक), मिकिर हिल्स (1ब्लॉक), सिंगरीमारी (1 बलॉक), और रामनद (1 ब्लॉक)। सीएमपीडीआईएल के विभागीय ड्रिल द्वारा 72 ब्लॉकों/खानों में गवेषणात्मक वेधन किया गया जबकि संविदा/एमओयू एजेंसियों द्वारा 61 ब्लॉकों/खानों में वेधन किया गया।

1.1.3 प्रोमोशनल/एनएमईटी (क्षेत्रीय) गवेषण कार्यक्रम के अंतर्गत, एमईसीएल ने 8 कोयला ब्लॉकों (मांद रायगढ़ = 2, सिंगरौली =1, ईब वैली = 1, सोहागपुर = 2, टाटापानी –रामकोला = 1एवं गोदावरी घाटी = 1) में क्षैत्र ड्रिलिंग का कार्य किया। डीजीएम (नागालैंड) ने कोयला सेक्टर में क्षेत्रीय वेधन के लिए 3 ब्लॉकों में भी कार्य शुरू किया है। सीएमपीडीआईएल ने 15 ब्लॉकों, रानीगंज कोयला क्षेत्रों और गोदावरी वैली = 1) में क्षेत्रीय ड्रिलिंग किया है। डीजीएम (नागालैंड)

वर्ष 2020–21 में गवेषणात्मक ड्रिलिंग का विस्तृत उपलब्धि नीचे दिया गया है:

(आंकड़े लाख मीटर में)

एजेंसी	एजेंसी 2020-21	2020-21 में गवेषणात्मक ड्रिलिंग का कार्य-निष्पादन			उपलब्धि पिछले वर्ष : 2020-21	वृद्धि %
		उपलब्धि	उपलब्धि (%)	+/–		
क. सीएमपीडीआईएल द्वारा किया गया विस्तृत ड्रिलिंग :						
1. डिपार्टमेंटल	**4.88**	**4.85**	**99%**	**-0.03**	**4.88**	**-1%**
2. आउटसोर्सिंग						
राज्य सरकार	0.04	0.01	34%	0.03	0.03	-50%
एमईसीएल (एमओयू)	3.77	4.99	132%	1.22	4.93	1%
निविदा	2.31	2.63	114%	0.32	3.09	- 15%
कुल आउटसार्सिंग	**6-12**	**7.63**	**125%**	**1.51**	**8.05**	**- 5 %**
सकल योग क'	**11.00**	**12.48**	**113%**	**- 1.48**	**12.94**	**- 4 %**
ख. एमईसीएल, जीएसआई, सीएमपीडीआईएल, डीजीएम (नागालैंड) और डीजीएम (असम) द्वारा प्रोमोशनल/एनएमईटी ड्रिलिंग:						
1. कोल सेक्टर						
एमईसीएल	0.535	0.667	125%	0.132	0.668	0%
डीजीएम, नागालैंड	0.015	0.010	69%	-0.005	0.010	-1%
डीजीएम, असम	0.04		0%	-0.04	0.00	
सीएमपीडीआई	0.170	0.443	260%	0.273	0.143	209%
कुल कोयला :	**1.750**	**1.120**	**149%**	**0.370**	**0.821**	**36%**
2. लिग्नाइट सेक्टर						
एमईसीएल	0.250	0.229	91%	-0.022	0.335	-32%
कुल लिग्नाइट	**0.250**	**0.229**	**91%**	**-0.022**	**0.335**	**-32%**
सकल योग ख	**1.000**	**1.349**	**135%**	**-0.348**	**1.156**	**17%**

***वर्ष 2020-21में 12.48 लाख मीटर के कुल विस्तृत ड्रिलिंग में से गैर-सीआईएल ब्लॉकों में 6.45लाख मी. वेधित किया गया है।**

वर्ष 2020–21 में, सीएमपीडीआईएल ने अपने विभागीय और समग्र ड्रिलिंग के लक्ष्य क्रमशः 99 प्रतिशत और 113 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त किया है। विभागीय वेधन का कार्य निष्पादन 1 प्रतिशत की नकारात्मक आपरेशनल ड्रिल उत्पादकता दर्ज की गई। कोविड–19 लाकडाउन वन क्षेत्र में गवेषण के लिए स्वीकृति की अनुपलब्धता और कुछ ब्लॉकों में स्थानीय समस्या (कानून–व्यवस्था) से विभागीय एवं आऊटसोर्स की ड्रिलिंग का कार्य निष्पादन प्रभावित हुई है।

ने भी कोल सेक्टर में क्षेत्रीय ड्रिलिंग के लिए 1 ब्लॉक का कार्य किया है। सीएमपीडीआईएल ने 15 ब्लॉकों, रानीगंज कोयला क्षे में 1, टाटापानी रामकोला क्षेयला क्षेत्र में 3 उमरेर कोयला क्षेत्र में 1, वर्धा घटी कोयला क्षेत्र में 1, सोहागपुर कोयला क्षेत्र में 1, मांद रायगढ़ कोयला क्षेत्र में 3, सिंगरीमारी कोयला क्षेत्र में 1, ईबघाटी कोयला क्षेत्र में 2 और तालचर कोयला क्षेत्र में 2 में प्रमोशनल गवेषण का कार्य किया है।

1.1.4 गैर-सीआईएल / कैप्टिव माइनिंग ब्लॉकों में ड्रिलिंगः

वर्ष 2020–21 में, सीएमपीडीआईएल गैर – सीआईएल ब्लॉकों में ड्रिलिंग लक्ष्य कुल 5.16 लाख मीटर था (विभागीय = 2.22 लाख मीटर, आउट सोर्सिंग = 2.94 लाख मीटर), जिसमें से कुल ड्रिलिंग लक्ष्य 6.45 लाख मीटर प्राप्त किया गया, जिसमें से सीएमपीडीआई ने विभागीय डिलिंग से 1.75 लाख मी. गवेषणात्मक ड्रिलिंग किया। जिसमें से 4.70 लाख मीटर आउट सोर्सिंग से प्राप्त किया गया।

उपर्युक्त गवेषणात्मक कार्य के अतिरिक्त, सीएमपीडीआईएल ने आवंटन के उद्देश्य से कोयला मंत्रालय को वर्तमान कैप्टिव खनन ब्लॉकों का प्रारंभिक भूवैज्ञानिक सूचना प्रदान की है। आवंटन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, सीएमपीडीआईएल द्वारा गवेषण के कुल लागत के भुगतान के लिए आवंटि को मूल भूवैज्ञानिक रिपोर्ट उपलबध करा दी है।

कोयला मंत्रालय द्वारा जारी दिशा – निर्देशों के अनुसार, सीएमपीडीआईएल एलोकेट्स द्वारा प्रस्तुत योजना को प्रमाणित कर रहा है। खनन योजना की तैयारी में प्रयुक्त भूवैज्ञानिक कॉआर्डिनेट्स निहित आदेश और खनन योजना में शामिल भूवैज्ञानिक कॉआर्डिनेट्स के अनुरूप है तथा यह किसी भी अन्य समीपवर्ती ब्लॉक का अतिक्रमण नहीं करता है।

1.2 जल भू-विज्ञान (हाइड्रोज्योलोजी)

1.2.1 भारत में खनन क्षेत्रों के लिए एनओसी हेतु जल भू–वैज्ञानिक रिपोर्टों की तैयारी के लिए सीजीडब्ल्यूए द्वारा ''ग्राउण्ड वाटर प्रोफेशनलस'' के रूप में सीएमपीडीआईएल के जल भू–विज्ञान विभाग को मान्यता दी गई है। क्यूसीआई–एनएबीईटी द्वारा जीडब्लयूसीओ (ग्राण्ड वाटर कंसल्टेण्टस आर्गेनाइजेशन) के रूप में मान्यता देने की प्रक्रिया जारी है।

1.2.2 ईआईए/ईएमपी की तैयारी और सीजीडब्लयूए के अनुमोदन के लिए ''ग्राउण्ड वाटर क्लियरेंस एप्लीकेशन की तैयारी के लिए 9 खनन परियोजनाओं/खानों मं भू–वैज्ञानिक अध्ययन किए गए। वर्ष 2020–21 के दारैरान कुल 9 खन परियोजनओं में से, बीसीसीएल (01 परियोजना), सीसीएल (04 परियोजना) डब्ल्यूसीएल (01 परियोजना) तथा एसईसीएल (03 परियोजना) को पूरा किया गया। 08 खनन परियोजनाओं में से एसईसीएल (02 परियोजना), डब्ल्यूसीएल (02 परियोजना), सीसीएल (03 परियोजना) और एमसीएल (01 परियोजना) का कार्य प्रगति पर है।

1.2.3 निम्नलिखित दो बाह्य परामर्शी कार्य प्रगति पर है :

1) वीएसटीपीएस, सिंगरौली, एमपी द्वारा ग्रेरवी खान की रिक्ति, एनसीएल में फ्लाई ऐश डम्पींग के लिए प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए जल भूवैज्ञानिक रिपोर्ट के साथ कार्य निष्पादन परीक्षण किया गया (रिपोर्ट का मसौदा सुपुर्द)

2) यूसीआईएल, जादूगुडा के 6 खानों के लिए सीजीडब्ल्यूए से एनओसी प्राप्त करने के लिए कम्प्रेहेंसिव हाइड्रोजियोलॉजी रिपोर्ट की तैयारी।

1.2.4 डब्ल्यूसीएल (50 परियोजना), एसईसीएल (32 परियोजना), एनसीएल (04 परियोजना), ईसीएल (02 परियोजना और बीसीसीएल (01 परियोजना) खनन परियोजनओं के एनओसी के लिए सीजीडब्लयूए के नई दिशा–निर्देश के अनुसार कुल 89 कम्प्रेहेंसिव जल भूविज्ञान रिपो–खानों के 15 क्लस्टर के लिए सीजीडब्ल्यूए के लिए एनओसी एप्लीकेशन और जल भूवैज्ञानिक रिपोर्ट की तैयारी की जा चुकी है।

1.2.5 इस अवधि के दौरान जीआर/पीआर/पीजोमीटर/डैमेज असेसमेंट रिपोर्ट (डीएआर)/अनुपालन रिपोर्ट पर जल भूवैज्ञानिक अध्ययन (कुल 83) पूरे किए गए। इस अवधि के दौरान जीआर/पीआर/पीजोमीटर और अन्य पर कुल 17 जल भूवैज्ञानिक अध्ययन किए जा रहे हैं

1.2.6 सीएमपीडीआईएल बीसीसीएल के पट्टे वाले क्षेत्र में जेसीएफ एवं आरसीएफ (पार्ट) का रूटिन ग्राउण्ड वाटर लेवल मॉनीटरिंग (त्रैमासिक) का कार्य कर रहा है रानीगंज, सहरजुरी एवं राजमहल कोयला क्षेत्र, ईसीएल के लिए डुगवेल एवं पीजोमीटर के जी डब्ल्यू लेवल की त्रैमासिक मॉनीटरिंग पर रिपोर्ट। सीसीएल, एसईसीएल, एनसीएल और एमसीएल के अन्य क्षेत्रों में ग्राउण्ड वाटर लेवल मॉनीटरिंग (एमओईएफ की टीओआर की सिीति के अनुसार) भी किया गया।

1.3 भूवैज्ञानिक रिपोर्टः

1.3.1 वर्ष 2020–21 में गत वर्षों में किए गए विस्तृत गवेषण के आधार पर 26 भूवैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार किया गया है। तैयार भूवैज्ञानिक रिपोर्ट को ''प्रमाणित श्रेणी के अतिरिक्त कोयला संसाधनों के 13.1 बिलियन टन अपग्रेड किया गया है।

1.3.2 उन्नायक गवेषण कार्यक्रम के तहत, एमईसीएल ने ''इनडिकेटेड एवं इनर्फड'' कैटेगरी, उपयुक्त स्पेशिफायड थीकनेस में कोयला संसाधनों का लगभग 1.33 बिलियन टन ताि कोयला ब्लॉकों पर 4 भूवैज्ञानिक रिपोर्ट सुपुर्द किया है।

1.4 भूभौतिकीय सर्वेक्षणः

1.4.1 भूभौतिकीय लॉगिंगः

गवेषण के उद्देश्य से बोरहोल ड्रिल किए गए जिससे बोरहोल ड्रिल किए गए जिससे बोरहोल में सामने आए विभिन्न स्ट्रेटा की इन–स्पीऊ जानकारी प्राप्त करने के लिए भूभौतिक रूप से लॉग–इन किया गया। इस उददेश्य के लिए वर्ष 2020–21 के दौरान सीआईएल और गैर–सीआईएल परियोजनाओं में मल्टी पारामीट्रिक भूभौतिकीय लॉगिंग उपकरण सहित कुल 7,05,833.60 मीटर की भू–भौतिकीय लॉगिंग किया गया। इसमें से 8 विभागीय भूभौकिकीय लॉगिंग के द्वारा 2,01,052.20 गहराई मीटर तक तथा संविदात्मक एजेंसियों द्वारा 5,04,781.40 मीटर लॉगिंग किया गया।

1.4.2 भूतल भूभौतिकीय सर्वेक्षणः

सीएमपीडीआईएल ने कोल सीमों के इन–क्रॉप का डिलीनिएशन, डाइक के डिलीनिएशन और भूगर्भ जल की जाँच के लिए सीआईएल और गैर–सीआईएल ब्लॉकों में इलेक्ट्रीकल रेसिसटीविटी तथा मैग्नेटिक सर्वेक्षण भी षुरू किया है। ऐसे उद्देश्य के लिए वर्ष 2020–21 में कुल 199.716 लाइन किमी रेसिस्टिविटी प्रोफाइलिंग, 122 वर्टिकल इलेक्ट्रिकल साउंडिंग (वीईएस), 360 ग्रेविट स्टेशनों काग्रेविटि सर्वेक्षण और 80.70 लाइन कि.मी. मैग्नेटिक सर्वेक्षण किया गया हैर विभागीय के द्वारा निगवानी बारकेली ''ए'' ब्लॉक, सोहागपुर कोयला क्षेत्र, अरखापाल ब्लॉक तालचर कोयला क्षेत्र के नार्थ के नादर्न भाग में 2 डी सिस्मिक सर्वेक्षण के कुल 203. 54 लाइन कि.मी. का सर्वेक्षण किया गया और आउट सोर्सिंग के द्वारा कुल 20.570 लाइन कि. मी. रेसिसटीविटी इमैजिंग तथा 3डी सिस्मिक सर्वेक्षण 1.691 वर्ग कि.मी. किया गया।

1.4.3 रिपोर्टः

वर्ष 2020–21 के दौरान कुल 22 रिपोर्टें जिनमें से 11 (शिडयूल्ड रिपोर्ट) और 11 (अनशिड्यूल्ड रिपोर्ट) भू–भौतिकीय रिपोर्ट सुपुर्द किया गया। इसमें एक सिस्मिक सर्वेक्षण, 4 रेसिसटिविटी इमेजिंग सर्वेक्षण 4 इंटीग्रेटेड जियोफिजिकल सर्वेक्षण, चार जियोफिजिकल लॉगिंग, जियोफिजिकल सरफेस सर्वेक्षण पर दो टिप्पणी, ग्राउण्ड वाटर सर्वेक्षण पर एक रिपोर्ट, जीआर के लिए छह जियोफिजिकल रिपोर्ट शामिल है।

1.5 भू-प्रणाली (जियोसिस्टम):

भार में प्रोग्नोस्टीकेटेड कोल बियरिंग क्षेत्र की पहचान करने के लिए अगस्त, 2020 में जीएसआई सहित ज्वाईट एक्सरसाइज एक्सरसाइज सीएमपीडीआईएल द्वारा किया गया। कुल 43 गोंदवाना कोयला क्षेत्र और 19 टेरीटोरी कोयला क्षेत्र का अध्ययन किया जा चुका है। गोंदवाना कोयला क्षेत्र का कुल बेसिनल एरिया 65573.52 वर्ग कि.मी. आकलि किया गया था, जिसमें से

कुल 31853.99 वर्ग कि.मी. क्षेत्र प्रोगरोसिटिकेटेड कोल बियरिंग एरिया का मूल्यांकन किया गया था। कुल क्षेत्रीय गवेषण एरिया 18636.24 वर्ग कि.मी. मापा गया था क्षेत्रीय गवेषण के लिए 13256.31 वर्ग कि.मी. क्षेत्र छोड़ दिया गया।

टेरीटोरी कोयला क्षेत्र का कुल बेसिनल एरिया 1342.80 वर्ग कि.मी. होने का आक्कलन किया गया इसमें से 914.82 वर्ग कि.मी. प्रोगनोस्टीकेटेड कोल बियरिंग एरिया होने का अनुमान किया गया। कुल क्षेत्रीय गवेषण एरिया 456.29 वर्ग कि.मी. होता है।

कोकिंग कोल के आगमेंटेज़न पर रिपोर्ट :

कोकिंग कोल ब्लॉक का जियो–माइनिंग पोटेनशियलिटि का विस्तृत रूप में अध्ययन किया गया और इसका रिपोर्ट तैयार कर सौंप दिया गया है।

माइन समरी प्रिपरेशन :

कोयले के ब्लॉकों के ऑक्शन के लिए लगभग 100 कोयले के ब्लॉकों का माइन समरी तेयार कर लिया गया है और ब्लॉक एलोकेशन/आक्शन से संबंधित डाक बोल कर्ताओं के विभिन्न प्रश्नों का स्पष्टीकरण दे दिया गया है।

प्रोगनोस्टीकेटेड एरिया में नए ब्लाकों की पहचानः

लगभग 886 वर्ग किलोमीटर और 215 वर्ग किलो मीटर के कुल क्षेत्रों सहित भावी कोयला गवेषण के लिए बाध्यकारी प्रोगनोस्टीकेटेड कोल बियरिंग क्षेत्र सें 24 न्यू प्रोबेबल कोकिंग कोल ब्लॉकों की पहचान की गई है।

डीएसएस और ईएसजेड विश्लेषणः

डीएसएस और ईएसजेड विश्लेषणसभी सूचीबद्ध ब्लॉकों (957, 01.04.2020 के अनुसार) का किया गया और कोयला ब्लॉकों के ऑक्शन पर एमओसी को निर्णय लेने के लिए उपलब्ध करा दिया गया।

सीबीएम ओवरलैप एरिया पर एक्सरसाइज :

एरीलिंक्यूशड/ अंडर रीलिंक्यूशड सीबीएम ब्लॉकों सहित कोयला ब्लॉकों के ओवरलैप इश्यू (मामलों) का अध्ययन करने के लिए सीबीएम ब्लॉक बाउन्ड्री से संबंधित कार्य किए गए। आपस में ओवर लैप से बचने के लिए कोल ब्लॉक बाउन्ड्री को एडजस्ट करने तथा सीबीएम ब्लॉक को री–डिलिनिएट करने का कार्य किया गया। 17 सीबीएम ब्लॉकों में 108 ओवर लैप कोयला ब्लॉकों में से 102 कोंयला ब्लाकों को सीबीएम ब्लॉकों के रि–कार्विंग द्वारा ओवर लैप से मुक्त किया गया। प्रत्येक ब्लॉक के लिए संबंधित कार्य सहित एमएमडीआर ब्लॉक के लिए 24 कोल ब्लॉक बाउन्ड्रीज की प्रस्तुति समिति के समक्ष दी गई और कोल ब्लॉक (बीबीसीबीसी) के ब्लॉकिंग के लिए ब्लॉक बाउन्ड्री कमिटि द्वारा अंतिम रूप दिया गया।

कोयला मंत्रालय के लिए आईसीटी एवं पीएडी विभाग सहित व्यापक डाटाबेस तैयार करने के लिए डेशबोर्ड/एक माइनेवस मॉडल तैयार किया गया और 3 जीआर ब्लॉक बाउन्ड्री की जाँच की गई और माइनेक्स मॉडल को चेक किया गया।

आडिटर के रूप में 10 विभागों का आईएसओ मानकों पर आंतरिक अंकेक्षण किया गया और गवेषण विभाग का आईएसओ मानकों पर परखा गया और टीम सहित गवेषण विभाग में एबीएमएस के लिए बाह्य अंकेक्षण का समन्वय किया गया।

ब्लॉक बाउन्ड्री से संबंधित प्रश्नों से संबंधित जियोमेटिक्स, पर्यावरण, यूएमडी, ओसी,सीई जैसे विभिन्न विभागों को सहायता प्रदान करना।

2. कोल बेड मीथेन (सीबीएम)

2.1 सीआईएल और ओएनजीसी के कंसोर्टियम द्वारा झरिया और रानीगंज कोयला क्षेत्र में सीबीएम का सहयोगात्मक व्यावसायिक विकास

सीबीएम के व्यावसायिक विकास के लिए भारत सरकार ने नामांकन के आधार पर ओएनजीसी सीआईएल के कंसोर्टियम को 2002 में निम्नलिखित दो सीबीएम ब्लॉकों का आवंटन किया है :

1. **रानीगंज कोलफील्ड में नानीगंज नार्थ सीबीएम ब्लॉक :**

लगभग 311.79 वर्ग किलोमीटर (लगभग) क्षेत्रफल

वाले रानीगंज नार्थ सीबीएम ब्लॉक के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने 10 फरवरी, 2020 के पत्र द्वारा अस्थायी रूप से ओएनजीसी–सीआईएल कंसोर्टियम को पेट्रोलियम माइनिंग लीज जारी कर दिया है।

1. झरिया कोलफील्ड में झरिया सीबीएम ब्लॉक :

झारखंड सरकार द्वारा जुलाई, 2015 में झरिया सीबीएम ब्लॉक के लिए पेट्रोलियम माइनिंग लीज जारी कर दिया है, जबकि अप्रैल, 2017 पर्यावरणिक स्वीकृति दे दी गई है। रानीगंज नार्थ सीबीएम ब्लॉक में ओएनजीसी वर्तमान में बीएपीएल तथा कोल ब्लॉकों के ओवर लैंथ करने वाले क्षेत्र पर विचार करते हुए चार में से कोई भी विकल्प सहित रानीगंज नार्थ सीबीएम ब्लॉक की तकनीकी–आर्थिक व्यावहारिकता को अद्यतन करने तथा संशोधन करने का कार्य कर रहा है।

झरिया सीबीएम ब्लॉक में ओएनजीसी सेल तथा कोल इंडिया लिमिटेड कोल ब्लॉक ओंवर लैप को बंद करने (डिसकन्टीन्यू) के बाद प्रस्तावित 51 नए ड्रिल किए गए सीबीएम कूपों के जरिए सीबीएम परियोजना को विकसित करने वाला है। भविष्य में होने वाली खनन में आने वाली बाधाओं को रोकने के लिए ओएनजीसी ने उपलब्ध खनन योजना पर विचार करते हुए सीएमपीडीआईएल के परामर्श से कूपों के स्थापना को अंतिम रूप दे दिया है।

झरिया सीबीएम ब्लॉक के संचालन समिति (ओसी) ने 10 दिसम्बर, 2019 को आयोजित अपनी 35वीं बैठक में झरिया सीबीएम ब्लॉक (पर्वतपुर, अलुआरा तथा महल सेक्टर को शामिल कर प्रथम चरण में 36 डेवलॉपमेंट लोकशन) की संशोधित संभाव्यता रिपोर्ट के फेज–। के कार्यान्वयन को अनुमोदित कर दिया। इसके अतिरिक्त, इसे 10 जनवरी, 2020 को सीआईएल बोर्ड द्वारा इसे अनुमोदित कर दिया है। झरिया सीबीएम ब्लॉक 5.1.2021 को पहला डेवलॉपमेंट वेल JH#16 (जेएचडीएच) के स्पडिंग के साथ व्यावसायिक चरण में प्रवेश कर गया है। सीबीएम डेवलॉपमेंट के लिए झरिया सीबीएम ब्लॉक में 2020–21 तक लगभग 20 कूप लोकेशन को रीलिज कर दिया गया है।

2.2 वर्ष 2020-2021 के दौरान उन्नायक गवेषण (प्रोमोशनल एक्सप्लोरेशन) के तहत सीबीएम तथा शेल गैस से संबंधित अधययन :

सीएमपीडीआईएल गवेषण के दौरान ड्रिल किए गए बोंरहोल के जरिए ''भारतीय कोलफील्ड्स/ लिग्नाइट फील्ड्स के कोल बेड मिथेन गैस–इन–प्लेस संसाधन के मूल्यांकन'' से संबंधित अध्ययन कर रहा है। वर्ष 2020–21 के दौरान 8 बोर होलों में सीबीएम के लिए तथा पाँच बोरहोलों में शेल गैस के लिए अध्ययन पूरा कर लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, जिसमें सभी संबेंधित प्रयोगशाला विश्लेषण शामिल है। इस अध्ययन से सीबीएम तथा शेल गैस की संभावना के लिए डाटा बेस तैयार होता है तथा सीबीएम तथा शेल गैस विकास के लिए और अधिक ब्लॉक के रूपरेखा निर्धारित करना सरल हो जाता है।

2.3 कोल बेड मिथेन (सीबीएम/कोल माइन मिथेन (सीएमएम) का व्यावसायिक विकास :

भारत सरकार पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस ने 8 मई, की अधिसूचना के द्वारा उन कोयला धारक क्षेत्र से कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों के द्वारा सीबीएम के गवेषण सीबीएम के गवेषण एवं दोहन के लिए संशोधित दिशा–निर्देश जारी किया है, जिस के लिए वे सीबीएम कर्षण के लिए माइनिंग लीज धारण करते हैं तथा डीम्ड जीज मंजूरी मिल जाती है। सीबीएम डेवलॉप (सीबीएमडी) के जरिए सीबीएम के विकास के संचालन के लिए बीसीसीएल एवं सीएमपीडीआईएल, ईसीएल एवं सीएमपीडीआईएल तथा एसईसीएल के बीच समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किया जा चुका है, जहाँ सीएमपीडीआईएल प्रमुख मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) है।

डीजीएच ओपेन एक्रीज लाइसेन्सिंग पॉलिसी (ओएएलपी) डॉक्यूमंट और प्रि–निट मीट (28 नवम्बर, 2019) में प्राप्त विचार तथा कोयला मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एवं डीजीएच के साथ हुए विचार विचार–विमर्श के आधार पर मॉडेल ग्लोबल बिड डॉक्यूमेंट (नोटिस इन्वाइटिंग आफर (एनआईओ), मॉउेल रेवन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लिया गया है। माडेल ग्लोबल बिड डॉक्यूमेंट को सीआईएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। प्रारंभ में निम्नलिखित चिन्हनत संभावित

सीबीएम ब्लॉक में सीबीएम विकास का काग्र प्रारंभ कर दिया गया है।

1. **झरिया सीबीएम ब्लॉक-। (बीसीसीएल क्षेत्र):**

सीबीएम संशाधन वाले बीसीसीएल के खनन पट्टे वाले क्षेत्र में सीबीएम के व्यावसायिक विकास के लिए कपूरिया, मूनिडीह, जरमा, सिंगरा ब्लॉक को मिलाकर लगभग 24.32 वर्ग कि.मी. के ब्लॉक की रूपरेखा तैयार की गई है।

बीसीसीएल को सोंपे गए रिर्जव्यायर माडलिंग एवं तकनीकी आर्थिक अध्ययन के आधार पर ''झरिया सीबीएम ब्लॉक, झरिया कोलफील्ड्स (बीसीसीएल के कोयला खनन पट्टावाले क्षेत्र में)'' नामक शीर्षक से परियोजना संभाव्यता रिपोर्ट तैयार कर ली गई है।

15 मई, 2021 को झरिया सीबीएम ब्लॉक के लिए मॉडल रेवन्यू शेयरिंग कांट्रेक्ट प्रकाशित कर दी गई। तथापि, कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

बोलीदाताओं के सुझाव को शामिल करने के बाद संशोधित वैश्विक निविदा बोली दसतावेज तैयार कर लिया गया और इसे 27 अक्टूबर, 2020 को जारी सीआईएलएफडी बैठक के कार्यवृत के अनुसार सीआईएल एफडी बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया।

झरिया सीबीएम ब्लॉक के लिए वैश्विक बोली दस्तावेज (एनआईओ एवं एमआरएससी) पुनः 27 अक्टूबर 2020 को प्रकाशित किया गया। 6 जून, 2021 को बोली (बीड) खोली गई।

झरिया सीबीएम ब्लॉक–। के लिए सिर्फ। बोली प्राप्त हुई। निविदा समिति ने कार्य प्रदान करने के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति हेतु इसे आगे बढ़ाने की अनुशंसा की है।

2. **रानीगंज सीबीएम ब्लॉक (ईसीएल एरिया):**

रानीगंज कोयला क्षेत्र ईसीएल के श्रीपुर, सतगाम और कुनुस्तोरिया क्षेत्र के खनन पट्टे वाले क्षेत्र के तहत 32.74 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र को सीबीएम के व्यावसायिक विकास के लिए चित्रित किया गया है। रिजर्वायर मॉडलिंग एवं तकनीकी आर्थिक अध्ययन के आधार पर परियोजना संभाव्यता रिपोर्ट तैयार कर ईसीएल को सौंप दी गई है तथा ईसीएल बोर्ड द्वारा इसे अनुमोदित कर दिया गया है।

15 मई, 2021 को रानीगंज सीबीएम ब्लॉक के लिए वैश्विक बोली दस्तावेज (प्रस्ताव आमंत्रण सूचना (एनआईओ) एवं मॉडल रेवन्यू शेयरिंग कान्ट्रेक्ट प्रकाशित कर दिया गया। बोलीदाताओं के सुझाव को शामिल कर संशोधित वेश्विक बोली दस्तावेज तैयार कर लिया गया जिसे, सीआईएल की एफडी बैठक में अनुमोदित कर 27 अक्टूबर, 2020 को सीआईएल की एफडी बैठक के कार्यवृत द्वारा जारी कर दिया गया।

रानीगंज सीबीएम ब्लॉक के लिए वैश्विक बोली दस्तावेज (एनआईओ एवं एमआरएससी) को 30 अक्टूबर, 2020 को पुनः प्रकाशित किया गया। 6 जनवरी, 2021 को बोली खोली गई। कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।

प्रस्ताव आमंत्रण सूचना तथा रेवन्यू शेयरिंग कान्टैक्ट (एनआईओ एवं एमआरएससी) पर संभावित बोलीदाताओं/सीबीएम प्रचालकों की राय जानने के लिए विडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए 10 मारच, 2021 को सीएमपीडीआईएल द्वारा स्टेकहोल्डरों की बैठक आयोजित की गई। संयुक्त सचिव (कोयला) भारत सरकार, कोयला मंत्रालय अध्यक्षता में स्टेक होल्डरों की एक दूसरी बैठक 26 मार्च, 2021 को आयोजित की गई।

3. **सोहागपुर सीबीएम ब्लॉक (एसईसीएल एरिया) :**

सोहागपुर कोलफील्ड में एसईसीएल के अधिकार वाले क्षेत्र में 0.53 बीसीएम संसाधन वाले 51 वर्ग किलो मीटर के क्षेत्र को सीबीएम के विकास के लिए चिह्नित किया गया है। रिजर्वायर मॉडेलिंग एवं तकनीकी आर्थिक अध्ययन के आधार पर परियोजना संभाव्यता रिपोर्ट (पीएफआर) तैयार कर एसईसीएल

को सौंप दी गई तथा एसईसीएल बोर्ड द्वारा इसे अनुमोदित कर दिया गया।

दिनांक : 12 दिसम्बर, 2020 को सीबीएम डेवलॉपर (सीबीएमडी) के जरिए सोहागपुर सीबीएम ब्लॉक–I से कोल बेड मिथेन निकालने के लिए वैश्विक बिड दस्तावेज (प्रस्ताव आमंत्रण सूचना (एनआईओ) एवं मॉडेल रेवन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट (एमआरएससी) प्रकाशित कर दी गई। 5 फरवरी, 2021 को बिड खोला गया, परंतु कोई बिड प्राप्त नहीं हुआ।

प्रस्ताव आमंत्रण सूचना (एनआईओ) तथा माडल रेवन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रक्ट (एमआरएससी) पर संभावित बोली दाताओं/सीबीएम आपरेटरों की राय जानने के लिए विडियो कान्फ्रेंस के जरिए सीएमपीडीआईएल द्वारा 10 मार्च, 2021 को स्टेक होल्डर की बैठक आयोजित की गई। 26 मार्च, 2021 को कोयला मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव (कोयला) की अध्यक्षता स्टेक होल्डरों की दूसरी बैठक आयोजित की गई।

2.4 भारत में सीएमएम/सीबीएम क्लियरिंग हाउसः

कोयला मंत्रालय तथा यूएसईपीए की ओर से कोल इंडिया लिमिटेड की वित्तीय सहायता से 17 नवम्बर, 2008 को कोयला मंत्रालय तथा यूएसईपीए के तत्वावधान में सीएमपीडीआईएल, राँची में सीएमएम/सीबीएम क्लियरिंग हाउस की स्थापना की गई। यह क्लियरिंग हाउस देश के सीएमएम/सीबीएम से संबंधित डाटा की जानकारी के संग्रह एवं साझा करने (शेयर) के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा है और सार्वजनिक/निजी भागेदारी, प्रौद्योगिकीय सहयोग तथा वित्तीय निवेश का अवसर लाकर भारत में सीएमएम के व्यावसायिक विकास में सहायता करता है।

प्रारंभिक तीन वर्षों की अवधि पूरा करने के बाद इसे दूसरी बार तीन वर्षों की अवधि का विस्तार दिया गया है। यूएसईपी द्वारा आगे और तीन वर्षों यानि 2018–21 के लिए समय विस्तार को नवीनीकरण किया गया है।

2.5 कोल बेड मिथेन तथा कोयला गैसीकरण पर एसएंडटी तथा आरएंडडी परियोजनाएँ :

क्र. सं.	विवरण	प्रारंभ की तिथि	पूरा करने की तिथि	परियोजना की लागत	कार्यान्वयन एजेंसी	कार्य की स्थिति
1.	''भारतीय कोलफील्ड्स के लिए सीबीएम भंडार आकलन'' पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना	25 फरवरी, 2014	23 फरवरी, 2021	2069.91 लाख रू.	आईआईएसटी, शिबपुर,मु, एनजीआरआई, हैदराबाद, सीएमपीडीआईएल, राँची टीसीई, कोलकाता	3 डी भूकम्पीय सर्वेक्षण के आधार पर एनजीआरआई द्वारा उपलब्ध कराई गई जगहों पर सीएमपीडीआईएल द्वारा 5 बोर होलों की ड्रिलिंग का कार्य पूरा किया जा चुका है। परियोजना प्रस्ताव के अनुसार सीएमपीडीआईएल द्वारा फील्ड डिजार्पशन अध्ययन, एडजार्पशन आईसोथर्म विश्लेषण तथा विभिन्न कोयला गुण–निर्धारण (करेक्टराइजेशन) जाँच पूराटीसीई कोलकाता 3 डी भूकम्पीय सर्वेक्षण तथा बोर होलों की ड्रिलिंग के जरिए प्राप्त आँकड़े के आधार पर 3 डी भू–वैज्ञानिक मॉडल तैयार कर रहा है।

2.	''सीआईएल के अधिकार वाले क्षेत्रों में सीएमएम संसाधन की निकासी के लिए क्षमता निर्माण'' पर एसएंडटी परियोजना	21, मार्च, 2016	दिसम्बर, 2021	परियोजना की अनुमोदित लागत 2392.79 रू. है, जिसमें से उपकरण की लागत 934.32 लाख रू. है।	सीएमपीडीआई, मुख्यालय सीएसआईआरओ, अस्ट्रेलिया	इस परियोजना के निस्पादन के लिए 22 दिसम्बर, 2016 को सीएमपीडीआईएर्ल तथा सीएसआईआरओ के बीच सहयोगात्मक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, जो दिसम्बर, 2021 तक वैद्य है। उपकरण के लिए आदेश दे दिया गया है। प्राप्त कर लिया गया है। जिसके एवं चौथे चरण के आगे का कार्य सीएसआईआरओ के सहयोग से चल रहा है।

विडियो कान्फ्रेसिंग के जरिए 29 सितम्बर, 2020 को सीबीएम संसाधन–भंडार मूल्यांकन पर एक अन्तर्राष्ट्रीय वेबिनार का सफलापूर्वक आयोजन किया गया।

3.0 परियोजना आयोजन एवं अभिकल्पन:

169 मी.ट.प्र.व. की अतिरिक्त कोयला उत्पादन क्षमता के लिए वर्ष 2020–21 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों के द्वारा प्राथमिकता के आधार पर नई/विसतार/ पुर्नगठन खानों के लिए परियोजना रिपोर्ट की तैयारी किया गया।

परियोजनाओं के लिए परियोजना रिपोर्ट/लागत प्राक्कलन के रीवीजन नई पीआर के साथ किया गया।

उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य भी शुरू किए गए :

- नए/वर्तमान कोयला वाशरियों के लिए वैचारिक/संभाव्यता रिपोर्ट, निविदा दस्तावेज, कंट्रेक्ट डाक्यूमेंट, बिड का मूल्यांकन आदि की तैयारी।
- पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी)।
- ओसी माइन्स के लिए आपरेशनल प्लान।
- ओपेनकास्ट तथा भू.ग.खान के लिए माइनिंग प्लान एवं माइन क्लोजर प्लान।
- कोल इंडिया लिमिटेड के भूमिगत खान तथा खुली खान के लिए खान क्षमता का मूल्यांकन।
- खुली खान तथा भूमिगत खानों के संचालन से संबंधित विभिन्न तकनीकी मूल्यांकन।
- कोल इंडिया लिमिटेड के खुली खदान खानों में एचईएमएम के संचालन का कार्य निष्पादन विश्लेषण।
- मिनी स्मार्ट कालोनियों का विकास के लिए डीपीआर की तैयारी।
- विस्तृत डिजाइन एवं ड्राईंग,एनआईटी,निविदा जाँच आदि।

वर्ष 2020–21के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों को पर्यावरणिक प्रबंधनल और मॉनीटरिंग, रिमोट सेंसिंग, ऊर्जा आडिट (डीजल एंड इलेक्ट्रीकल) तथा ओपेन कास्ट खानों का बेंच मार्किंग रॉक और कोयला नमूनों पर फिजिको–मैकेनिकल टेस्ट, धँसान अध्ययन, रूट्राटा कंट्रोल, गैर विध्वंसक जाँच (एनडीटी), नियंत्रित विस्फोटन एवं कम्पन अध्ययन और विस्फोटक उपयोग, भूमिगत खानों का संवातन/ गैस सर्वेक्षण, माइनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, कोयला नमूनों पर पेट्रोग्रफिक अध्ययन, कोल कोर प्रोसेसिंग एंड विश्लेषण, धोवन क्षमता परीक्षण, ओबीआर सर्वेक्षण, मैन राइडिंग सिस्टम, स्टडी ऑफ रिवराइन ईकोसिस्अम और कोयला खनन क्षेत्रों का कैरिंग क्षमता, विंड ब्रिक (डब्ल्यू बी)

और वर्टिकल ग्रीनरी सिस्टम (बीजीएस), स्लोप स्थायित्व अध्ययन, इफ्लूएंट/सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, माइन क्लोर ऑडिटिंग इत्यादि के क्षेत्र में कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों का विशेषज्ञ परामर्श सेवाएँ प्रदान की गई।

वर्ष 2020–21के दौरान कुल 224 रिपोर्ट तैयार की गई है। तैयार की गई रिपोर्ट का ब्रेक अप नीचे दिया गया है :

रिपोर्ट	संख्या
भूवैज्ञानिक रिपोर्ट	26
प्रोजेक्ट रिपोर्ट	33
ड्राफ्रट ईएमपी (31 फार्म–1 सहित)	40
अन्य अध्ययन	125
कुल	**224**

वर्ष 2020–21के दौरान तैयार किए गए जीआर,पीआर और ईएमपी का विस्तृत विवरण नीचे दिया जा रहा है :

परिशिष्ट-1

वर्ष 2020-21 के दौरान पूरी की गई रिपोर्टों की सूची

क्षेत्रीय संस्थान		रिपोर्टों के नाम
भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट		
क्षे०सं०–3	1.	मोइत्रा (कैप्टीव) (आई से ई सेक्टर)
	2.	अशोक केरकेट्टा सेंट्रल (सीआईएल–गैर)
	3.	पकरी बरवाडीह (कैप्टीव)
क्षे०सं०–4	1.	रामपीया एवं रामपीया डीप विस्तार
	2.	भाटाडीह डीप
	3.	किलोनी का पश्चिम (सीआईएल–गैर)
क्षे०सं०–5	1.	बरौंद बिजारी सेक्टर–3 का डीप साईड
	2.	आमगाँव
	3.	सरपाल
क्षे०सं०–6	1.	बंधा (सीआईएल–गैर)
क्षे०सं०–7	1.	अरखापाल भाग उत्तरी का नॉर्थ के (कैप्टीव)
	2.	बुरापहार (सीआईएल–गैर)
	3.	श्रद्धापुर उत्तर (सीआईएल–गैर)
संविदात्मक	1.	पथरकुरी पिपरिया (सीआईएल–गैर)
	2.	भालूकस्बा सूरनी चरण–2
	3.	अमरतीपुर
	4.	थीसागोरा ए (डीप साइड)
	5.	गीरारी

क्षेत्रीय संस्थान		रिपोर्टों के नाम
	6.	गीतकुवांरी
	7.	करकोमा (सीआईएल–गैर)
	8.	जारेकेला (सीआईएल–गैर)
	9.	झारपलम टंगराघाट (सीआईएल–गैर)
	10.	उरधान जमुनिया
	11.	गोहलीमहलोई भाग पूर्वोत्तर का (सीआईएल–गैर) (अमलीयाढ़ांढा)
	12.	गोहरीमहलोई भाग पश्चिमि का (सीआईएल–गैर)
	13.	चिंतलपुदी सेक्टर– I (सीआईएल–गैर)
परियोजना रिपोर्ट		
क्षे०सं०–1	1.	मोहनपुर एक्सपेंशन ओसीपी के लिए रिकास्ट पीआर
	2.	बेंजोमोहारी ओसी
क्षे०सं०–2	1.	पिरपैंती बाराहाट ओसी रिकास्ट
	2.	कपुरिया भूमिगत
क्षे०सं०–3	1.	चंद्रगुप्त ओसी (ऑप्सन एमडीओ)
	2.	संघमित्रा ओसी (ओंप्सन एमडीओ)
	3.	कबरीबाद ओसी आरपीआर रिकास्ट
	4.	अशोका ओसीपी ईपीआर
	5.	अरगड़ा एक्स ओसीपी
	6.	कारो एक्स रिकास्ट ओसीपी
	7.	कोनार एक्स ईआरपी का रिकास्ट ओसीपी
	8.	तोपा ओसी
क्षे०सं०–4	1.	कोन्दा हरडोला ओंसी
	2.	गौरी सेंट्रल ओसी
	3.	मुंगोली निरगुड़ा विस्तारण आसरपीआर ओसी (डीप)
	4.	घोंसा विस्तारण ओसी (डीप)
	5.	गोकुल ओसी एक्स (ब्लॉक नंद सम्मिलित)
	6.	अमलगेमेटेड येकोना I एवं II एक्सओसी
	7.	समपीयाओसी बिजहान–घोंघपल्ली
	8.	चिंचला पिसगाँव ओसी का रिकास्ट पीआर
	9.	बोरदा यूजी का रिकास्ट पोंआर
क्षे०सं०–5	1.	दुर्गापुर ओसी ऑप्सन एकडीओ
	2.	बदौली यूजी रिकास्ट
	3.	गरे पलमा IV/2 & 3 ओसी
	4.	केलकी एक्स मोड़ एमडीओ–यूजी
	5.	कतकोना आरओ यूजी
	6.	दुबा ओसी
	7.	करताली ईस्ट रिकास्ट ओसी
क्षे०सं०–6	1.	खादिया एक्सओसी

क्षेत्रीय संस्थान		रिपोर्टों के नाम
क्षे०सं०–7	1.	बलभद्र ओसीपी
मुख्यालय	1.	मेसर्स टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के अमेलिया कोल ब्लॉक का आरपीआर
	2.	मांदर पर्वत कोल ब्लॉक, बीसीसीएल का रिकास्ट पीआर
	3.	एमडीओ ऑप्सन के साथ पिपरवार यूजी फेज– I
	4.	चुपरभीटा ओसी आरपीआर
पर्यावरणिक प्रबंधन योजना		
फॉम-1 (फॉर्म IV और VI सहित)		
क्षे०सं०–1	1.	कलस्टर XI
	2.	कलस्टर XII
	3.	कलस्टर VII
	4.	कलस्टर X
	5.	कलस्टर II
क्षे०सं०–2	1.	कलस्टर V
	2.	न्यू मूनीडीह कोकिंग कोल वाशरी
	3.	कलस्टर VII (अमेंडमेंट ईसी)
	4.	कलस्टर I (अमेंडमेंट ईसी)
क्षे०सं०–3	1.	आम्रपाली विस्तार ओसी
	2.	पिपरवार यूजी
	3.	अरगड़ा ओसीपी
	4.	कथारा ओसीपी
	5.	सिरका ओसीपी
	6.	पिचारी ओसीपी
	7.	संघमित्रा ओसीपी
	8.	पुंडी ओसीपी
क्षे०सं०–4	1.	गौरी ओसी एक्स पउनी
	2.	सस्ती एक्स ओसी
	3.	तवा II यूजी
	4.	भटाडी विस्ता खा.खु.
	5.	दिनेश मकरधोकरा कलस्टर III ओसी
क्षे०सं०–5	1.	महामाया ओसी
	2.	गेवरा ओसी विस्तार (अमेंडमेंट ईसी)
क्षे०सं०–6	1.	सीमरीया ओसी
	2.	ब्लॉक बी ओसीपी विस्ता.
	3.	बीना ओसीपी अमलगेमेंशन ककरी
क्षे०सं०–7	1.	बेलपहाड़ ओसीपी (विस्तार का वैद्यता ईसी)
	2.	बलराम ओसी एक्स). 15 मी (व.प्र.ट.
	3.	हिंगुला ओसीपी (अमेंडमेंट ईसी)

क्षेत्रीय संस्थान		रिपोर्टों के नाम
	4.	भरतपुर ओसी एक्स.
मसौदा ईएमपी		
क्षे०सं०–3	1.	केदला भूमिगत परियोजना
	2.	अम्रपाली ओसीपी विस्ता.
	3.	कोटरेओसीपी बसंतपुर.
	4.	उत्तर उरीमारी ओसीपी (7) (ii) के तहत विस्तार परिशिष्ट ईएमपी के साथ
क्षे०सं०–5	1.	दिपका ओसी एक्स.
	2.	गेवरा ओसी एक्स. (ड्राफ्ट ईएमपी) ((7) (ii) के तहत विस्तार
क्षे०सं०–7	1.	कुल्दा एक्स) ओसी 7 (ii) के तहत परिशिष्ट ईएमपी रूपांतरित/
	2.	एकीकृत लखनपुर बेलपहाड़ एवं लिलारी ओसीपी
	3.	कुल्दा विस्तारण ओसी) 19.6मी) (व.प्र.ट.7) (ii) के तहत परिशिष्ट (ईएमपी रूपांतरित)

सीएमपीडीआईएल का कोयला खनिज परिष्करण, ग्रीनफील्ड कोयला वाशरियों, खनिज परिष्करण प्लांट तथा वर्तमान प्लांटों के रूपातंरण/आधुनिकीकरण के लिए तकनीकी सेवा प्रदान करता है। ये सेवाएँ विस्तृत प्रयोगशाला अध्ययन, तकनीकी आर्थिक संभाव्यता रिपोर्ट (टीईएफआर), वैचारिक रिपोर्ट(सीआर) बिड प्रोसेस मैनेजमेंट संविदा दस्तावेज की तैयारी तथा परियोजना कार्यान्वयन के दौरान स्क्रुटनी ड्राईंग्स द्वारा अनुसरण किए गए कार्यों में सहायता देती है। यह आरएंडडी सेवाओं तथा कारपोरेट सपोर्ट का विस्तृत रेंज भी प्रदान करता है। सीएमपी प्रयोगशाला को मई, 2019 में टेस्टिंग और केलिब्रेशन लेबोरेट्रीज (एनएवीएल) के लिए नेशनल एक्रीडीटेशन बोर्ड से मान्यता मिली है।

4.0 कोयला खनिज परिष्करण :

वर्ष 2020–2021 के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किए गए:

सीएमपीडीआईएल ग्रीनफील्ड कोल वाशरीज, मिनरल बेनिफिशिएशन प्लांट और मौजूदा संयंत्रों के रूपांतरण आधुनिकीकरण के लिए तकनीकी परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। इन सेवाओं में

विस्तृत प्रयोगशाला अध्ययन, तकनीकी आर्थिक संभाव्यता रिपोर्ट (टीईएफआर), वैचारिक रिपोर्ट (सीआर), बोली प्रक्रिया प्रबंधन, संविदादस्तावेज की तैयार और परियोजना कार्यान्वयन के दौरान ड्राइंग की संवीक्षा के बाद कार्य प्रदान करने में सहायता शामिल है। यह व्यापक आर एंड डी सेवा तथा निगमित सहायता भी देता है। सीएमपी प्रयोगशाला ने राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा मान्यता प्राप्त कर चुका है।

क) रिपोर्ट/अध्ययन

➢ **वैचारिक रिपोर्ट :**

- न्यू रजरप्पा वाशरी) 3.0 एमटीवाई), सीसीएल
- करो वाशरी) 5.0 एमटीवाई(, सीसीएल

ख) निविदा दस्तावेज

✓ **बीओएम अवधारणा के आधार पर**

- सीएमपीडीआईएल ने सीआईएल में अब तक पहली बार बीओएम अवधारणा पर 14% राख युक्त मूनीडीह कोकिंग कोल वाशरी) 2.5 एमटीवाई की स्थापना के लिए (समेकित ई–निविदा दस्तावेज को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

✓ **बीओएम अवधारणा पर**

- करो कोकिंग कोल वाशरी 5.0 एमटीवाई) की स्थापना के लिए (समेकित ईनिविदा दस्तावेज।–
- न्यू रजरप्पा कोकिंग कोल वाशरी (3.0 एमटीवाई) की स्थापना के लिए (समेकित ईनिविदा–दस्तावेज)।

✓ **टर्नकी अवधारणा के आधार पर**

- मधुबन वाशरी के नवीकरण कार्य के लिए बोली दस्तावेज।
- ओल्ड मुनीडीह वाशरी के नवीकरण कार्य के लिए बोली दस्तावेज, और
- दुग्दा–।। वाशरी के नवीकरण कार्य के लिए बोली दस्तावेज।

ग) निविदा दस्तावेज का मूल्यांकन

मूनीडीह न्यू वाशरी (2.5एमटीवाई), बीसीसीएल

घ) अनुबंध दस्तावेज :

न्यू रजरप्पा वाशरी (3.0 एमटीवाई), सीसीएल के लिए संविदा दस्तावेज तैयार किया गया था।

ड.) बीसीसीएल वाशरियों की अध्ययन रिपोर्ट :

वर्तमान वाशरियों के नवीकरण के लिए विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट तैयार किया गया

➢ मुनिडीह वाशरी

➢ मधुबंध वाशरी और

➢ दुग्दा–।। वाशरी

च) निर्मित ड्राइंग की सुविक्षा :

➢ भोजुडीह वाशरी, बीसीसीएल : 32

➢ मधुबन वाशरी, बीसीसीएल : 08

➢ ईब–घाटीलखनपुर वाशरी, एमसीएल : 138

5.0 परियोजना मूल्यांकन

1. वर्ष 2020–21 के दौरान, सीएमपीडीआईएल के क्षेत्रीय संस्थानों तथा मुख्यालय के विभागों द्वारा तैयार किए गए 26 ड्राफ्ट पीआर/आरपीआर/ईपीआर की संवीक्षा तथा मूल्यांकन।
2. वर्ष 2020–21 के दौरान क्षेत्रीय संस्थानों द्वारा तैयार किए गए 17 वैचारिक नोट की संवीक्षा तथा मूल्यांकन और मसौदा पीआर/आरपीआर/ईपीआर तैयार करने के पहले प्रमुख तकनीकी पारामीटरों को अंतिम रूप देने के लिए ओसी/यूएमडी विभाग तथा पीएडी विभाग के साथ निदेशक (तक./पी एण्ड डी) द्वारा मूल्यांकन हेतु समन्वयन।
3. खासकर कोयला (सचिव) की तिमाही समीक्षा बैठक के लिए सीएमपीडीआईएलके दायित्व के तहत कार्रवाई के संबंध में 3 एमटीवाई से अधिक क्षमता की 500 करोड़ रू. से अधिक लागत वाली चालू परियोजनाओं के

कार्यान्वयन की स्थिति का अद्यतनीकरण।

4. वर्ष 2023–24 के लिए सीआईएल के 1 बीटी कार्यक्रम के तहत चिहिन्त परियोजनाओं के लिए पीआर निर्माण की मानिटरिंग।

6.0 खुली खदान खनन

वर्ष 2020–21 के दौरान निम्नलिखित प्रमुख कार्य पूरे किए गए :

6.1 पूरे किए गए प्रमुख बाहरी परामर्शी कार्य इस प्रकार है :

- मेसर्स एनटीपीसी का बनई कोयला ब्लॉक के लिए खान योजना और खान बंढी योजना
- मेसर्स एनटीपीसीके मालूमुडा कोल ब्लॉक के लिए खान योजना और खान बंदी योजना
- मेसर्स टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के अमेलिया कोल ब्लॉक के लिए परियोजना रिपोर्ट
- मेसर्स एनटीपीसी के बनाई कोल ब्लॉक के लिए मसौदा संभाव्यता रिपोर्ट
- मेसर्स एनटीपीसी के भालूमुदा कोल ब्लॉक के लिए मसौदा संभाव्यता रिपोर्ट

6.2 पूरे किए गए कोल इंडिया के प्रमुख कार्य इस प्रकार है :

- मांदर पर्वत कोल ब्लॉक, बीसीसीएल के लिए रिकास्ट पीआर
- चुपरभीटा, ईसीएल के लिए एमडीओ विकल्प की तैयारी एवं रिकास्ट पीआर का अद्यतन
- बीसीसीएल के 3 खनन पैचों की ओबी की मात्रा एवं कोयले की जाँच
- सियरमल ओसीपी (50 मी.ट.प्र.प.व.) से एमडीओ के कटार का विकास एवं संचालन कार्य एमसीएल को सहयोग कर सफलतापूर्वक पूरा किया गया। कोटेड एल–। दर के तुलानात्मक विश्लेषण के लिए सियरमल ओसीपी के एमडीओ घटक हेतु 12 प्रतिशत आईआरआर के दर पर अपेक्षित मूल्य का आकलन किया गया। साथ ही एल–1 दर पर सियरमल ओसीपी की व्यवहार्यता का भी अध्ययन किया गया।
- चित्रा ओसीपी (ईसीएल) के लिए वैज्ञानिक अध्ययन/स्लोप स्टेविलिटि अध्ययन।
- कोल इंडिया लिमिटेड की खुली खदान खानों का क्षमता मूल्यांकन– 01.04.2021 के अनुसार प्रोजेक्शन (प्रक्षेपण)
- वर्ष 2019–20 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड की खुली खदान खानों के लिए क्षमता उपयोग और क्षमता मूल्यांकन।
- कोल इंडिया लिमिटेड के सभी अनुषंगी कंपनियों के लिए वर्ष 2019–20 के दौरान एचईएमएम का कार्य–निष्पादन मूल्यांकन
- वर्ष 2019–20 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड की खुली खदान खानों के लिए क्षमता उपयोग और क्षमता मूल्यांकन
- कोल इंडिया लिमिटेड के सभी अनुषंगी कंपनियों के लिए वर्ष 2019–20 के दौरान एचईएमएम का कार्य–निष्पादन मूल्यांकन
- वर्ष 2019–20 के दौरान कोल इंडिया लिमिड के समरी (सारांश) और डम्परों एवं एक्सकेवेटर्स का कार्य निष्पादन विश्लेषण
- वर्ष 2019–20 के दौरान विस्फोटक, डीजल एवं इलेक्ट्रीक पावर के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के खुली खदान खानों में विशिष्ट खपत का विश्लेषण।
- डाटा बेस के अद्यतन और न्यूली चालू एचईएमएम के लिए कोल इंडिया के संयंत्रों का एलोकेशन (आवंटन)
- परियोजना रिपोर्ट का तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन

6.3 शामिल अन्य कार्य :

- कोयला मंत्रालय के लिए खनन योजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन
- जियो टेक्नीकल प्रयोगशाला में 2500 के एन क्षमता (सामान्य एवं शीयर लोड) का लार्ज शियर बॉक्स टेस्ट मशीन की स्थापना।
- एमसीएल के 125 जियो–टेक्नीकल सेल के अधिकारियों के लिए स्लोप स्टेबिलिटि सपर ऑन लाइन वर्कशाप प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

2500 के एन क्षमता (नार्मल एवं शियर लोड) का लार्ज शियर बॉक्स टेस्ट मशीन की स्थापना

7.0 भूमिगत खनन :

क) बाहरी परामर्श कार्य:

वर्ष 2020-21 के दारौन निम्नलिखित कार्य पूरे किए गए :

- भालुमुडा कोयला ब्लॉक की खनन योजना के लिए भूमिगत खनन अध्याय;
- बनाई कोल ब्लॉक की खनन योजना के लिए भूमिगत खनन अध्याय; और
- राजबार ई एंड डी कोल ब्लॉक टीवीएनएल के एमडीओ दस्तावेज की जांच।

ख) सीआईएल कार्य :

- लावा यूजी माइन, पाथेरखेड़ा क्षेत्र, डब्ल्यूसीएल के लिए 3डी सबसिडेंस प्रेडिक्शन एवं प्रबंधन;
- खनन उपकरण के लिए मानक मूल्य सूची तैयार करना;
- केदला यूजी, सीसीएल की सबसिडेंस प्रेडिक्शन एवं प्रबंधन;
- बीसीसीएल के बरोरा क्षेत्र के अंतर्गत फुलारीटांड़ कोलियरी की प्योर बेनेडीह यूजी माइन के लिए शाफ्ट, पंखे के बहाव और निकासी के लिए विस्तृत डिजाइन और बीओक्यू की तैयारी;
- भूरकुंडा यूजी, सीसीएल की सबसिडेंस प्रेडिक्शन एवं प्रबंधन;
- सीसीएल की 07 (सात) खानों की सबसिडेंस सेफ्टी ऑडिट (6 खानों की सेफ्टी ऑडिट पूर्ण। सीसीएल द्वारा एक खदान की सेफ्टी ऑडिट निरस्त कर दी गई है);
- यूजी खान क्षमता मूल्यांकन और सीआईएल की यूजी खानों का उपयोग;
- भूमिगत खानों, बंद खानों और क्षेत्रीय/आंशिक रूप से खोजे गए कोयला ब्लॉकों के लिए मॉडल एमडीओ दस्तावेज;
- सीमा III न्यू, केएसपी फेज–II, बी एंड के एरिया, सीसीएल के संबंध में रेलवे द्वारा अधिग्रहित भूमि (बीटीपीएस) के भीतर डिपिलरिंग के प्रभाव का आकलन करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन;
- शिवानी यूजी खान, एसईसीएल के एल–1 सीम का गैस सर्वेक्षण;
- पिपरवार यूजी फेज–I के लिए संक्षिप्त परियोजना रिपोर्ट (एपीआर) और एमडीओ बोली दस्तावेज की तैयारी; और
- अमरकोंडासिमल के लिए एमडीओ दस्तावेज। तप–मुर्गदंगल और ब्राहमणी चिचरो–

ग) एमओसी के लिए अन्य कार्य :

- कमर्शियल माइनिंग की पहली किश्त के लिए 38 कोयला ब्लॉकों हेतु माइनडोजियर और माइन समरी तैयार किया गया और एमओसी को भेजा (मानचित्र और कार्डिनल बिंदुओं सहित) गया।
- कमर्शियल माइनिंग की पहली किश्त के संबंध में बोलीदाताओं द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर तैयार करना और प्रस्तुत करना।
- कमर्शियल माइनिंग की दूसरी किश्त के लिए

67 कोयाला ब्लॉकों के लिए माइनडोजियर और माइन समरी तैयारी किया गया (मानचित्र और कार्डिनल बिंदुओ सहित) एमओसी को भेजा गया।

घ) कार्य प्रगति पर:

(क) बाहरी परामर्श कार्य:

- सेल (SAIL) की रामनागोर कोलियरी के लिए रामनागोर–इण्डिकाटा भूमिगत परियोजना के हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (संशोधित) की तैयारी; और
- मॉयल लिमिटेड (MOIL) की डोंगरी–बुजुर्ग खदान में भूमिगत कार्य के लिए डीपीआर की तैयारी

(ख) सीआईएल कार्य:

- वर्ष 2023–24 में 170 एमटीवाई हासिल करने के लिए एनसीएल के लिए कोयला ब्लॉकों की पहचान;
- तिलाबोनी कोलियरी, बांकोला क्षेत्र, ईसीएल के पिट नंबर 2 को चौड़ा करने और गहरा करने के लिए डिजाइन, ड्राइंग, प्राक्कलन और एनआईटी की तैयार;
- बोरका/सरटोला यूजी, एमसीएल का पीआर;
- एएपी के अनुसार सीसीएल की पतरातू एबीसी परियोजना के लिए एनआईटी की तैयारी;
- परेज (पूर्व), यूजी के लिए संक्षिप्त परियोजना रिपोर्ट (एपीआर) और एमडीओ बोली दस्तावेज की तैयारी;
- वेंटिलेशन पर आए एंड डी : बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए खदान में हवा की आवश्यकता, परियोजना कोड सं.सीआईएल/आर एंड डी/01/63/2016;
- कोलमाइन वर्किंग में विभिन्न खनन विधियों से खंभों/खंभों की एरे की डिजाइन एवं स्थिरता;
- कोयला खदान में सुरक्षा और उत्पादकता में सुधार के लिए वर्चुअल रियलिटी माइन का विकास (वीआरएमएस) (आईआईटी), (आईएसएम), धनबाद के सहयोग से)।

8.0 सिविल अभियंत्रण सेवाएँ :

समीक्षा वर्ष के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रमुख सेवाएँ पूरी की गई :

8.1 परियोजना आयोजन कार्य :

क) निम्नलिखित के सिविल पार्ट के पीआर की तैयारी तथा लागत अद्यतनीकरण :

1. गरे पेल्मा सेक्टर–I
2. जीएसईसीएल, तेतरियाखार–फेज–II, ओसी
3. रोहिणी केरकेट्टा
4. पुंडी ओसी
5. चैनपुर खुली खान परियोजना सीसीएल
6. जीपीप्ट IV/5 एवं जीपी IV/4खुली कोयला खान

ख) पूरे वर्ष के दौरान पीएडी द्वारा तकनीकी जाँच के लिए इस विभाग को अग्रसारित विभिन्न रिपोर्टों के लिए पीआर आरपीआर की तकनीकी जाँच:

8.2 सिविल एवं वास्तुशिल्पीय विस्तृत डिजाइन एवं ड्राईंग कार्य :

क) संबंधित प्लिन्श क्षेत्र मानक के अनुसार एनसीएल मानक बी,सी एवं डी टाईप क्वाटर

ख) कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों में विभिन्न प्रकार के क्वार्टर यानि ए, बी,सी,डी टाइप आवासीय भवन का बिल्डिंग डिजाईन का मानकीकरण (स्टैण्डराइजेशन)।

ग) सीईटीआई, सिंगरौली में सी एवं डी टाइप क्वार्टन जी+5

घ) दुधिचुआ परियोंजना, एनसीएल के लिए शॉपिंग सेंटर, स्टेडियम/खेल मैदान और कल्याण–मंडप तथा परियोजना भवन

8.3 निविदा दस्तावेज की तैयारी :

क) अमलोहरी खुली खान परियोजना, एनसीएल में 190टी डम्पर रिपेयर शॉप

ख) गेवरा, खुली खान परियोजना, एसईसीएल में कर्मशाला (वर्कशॉप) एवं स्टोर।

ग) राजमहल खुली खान परियोजना, ईसीएल में अतिरिक्त 10 एमटीवाई सीएचपी

घ) झाँझरा सीएचपी, ईसीएल।

ड.) दुधिचुआ फेज–।।। (10एमटीपीए इन्क्रीमेंटल) सीएचपी, एनसीएल

च) ब्लॉक–बी सी एच पी (इन्क्रीमेंटल 4.5 एमटीपीए), एनसीएल

छ) जयन्त खुली खान परियोजना में 10 एमटीपीए से 20 एमटीपीए परियोजना विस्तारण की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था।

ज) वर्तमान मूनिडीह कोकिंग कोल वाशरी (1.6 एमटीपीए), बीसीसीएल का नवीकरण

झ) वर्तमान मधुबन वाशरी (2.5 एमीपीए, बीसीसीएल का नवीकरण

ञ) बीना खुली खान परियोजना, एनसीएल में नए प्रस्तावित स्विचिंग/सब स्टेशन

त) भाटमुरा, सोनपुर बजारी क्षेत्र, ईसीएल में 2x10 एमवीए 33/6.6 केवी सब स्टेशन

8.4 योजना/रिपोर्ट की तैयारी :

क) कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों के कॉलोनियों मिनी स्मार्ट सीटी के रूप में विकसित करने के लिए डीपीआर की तैयारी।

- जागृति विहार एवं बसुधरा कॉलोनी (एमसीएल)
- निगाही कॉलोनी एवं जयंत कॉलोनी (एनसीएल)
- कोयला विहार कॉलोनी (डब्ल्यूसीएल)
- इन्दिरा विहार, नेहरू शताब्दि नगर एवं बसंत विहार (एसईसीएल)

ख) नाला डायवर्सन एवं संबंधित हाइड्रॉलिक स्ट्रक्चरों का डिजाइन

- गर्जनबहल खुली खान परियोजना, एमसीएल से होकर गुजरने वाला नाला
- कोटरे, झुम्मर, पचमों एवं बधरैया नाला, सीसीएल
- परसिया–बेलबैद रिआर्गेनाइजेशन चूजी, कुनुसतोरिया क्षेत्र, ईसीएल स्थित नाला
- पोतोन्गा नाला एवं तिलैया नाला, सीसीएल

ग) ककरी परियोजना, एनसीएल की वर्तमान ईटीपी एवं एसटीपी के रूपांतरण की योजना।

घ) 33/1 के.वी सेंट्रल सबस्टेशन, बलांडा, जगन्नाथ एरिया एमसीएल के नवीकरण के कार्य के लिए संभाव्यता रिपोर्ट, ई–एनआईटी एवं लागत प्राक्कलन

ड.) खादिया टाउनशीप में वर्तमान एसटीपी का रूपान्तरण एवं एसटीपी के इफ्ल्यूएंट के लिए पुनर्चक्रण प्रणाली

च) केंद्रीय अस्पताल, सिंगरौली, एनसीएल में इफ्ल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लान्ट के लिए योजना

छ) बीना परियोजना, एनसीएल के लिए वर्तमान ईटीपी एवं एसटीपी के रूपान्तरण के लिए योजना

8.5 संरचनात्मक उपयुक्तता अध्ययन :

क) कथारा वाशरी, सीसीएल

ख) राजमहल सीएचपी, ईसीएल

8.6 डिजाइन/ड्राईग संवीक्षा :

क) जयन्त इन्क्रीमेंटल सीएचपी, एनसीएल

ख) कुसमुण्डा कर्मशाला (वर्कशॉप), एसईसीएल

ग) जेवीआर, सीएचपी, एससीसीएल

घ) ईब वैली वाशरी, लखनपुर, एमसीएल

ड.) भोजूडीह, एनएलडब्ल्यू वाशरी, बीसीसीएल

च) न्यू केंदा कॉलोनी, केंदा एरिया, ईसीएल में एसटीपी

छ) आफिसर्स क्लब कम–ट्रान्जिट कैम्प एवं स्टाफ क्लब एनएससी, एनसीएल

8.7 अनुसंधान एवं विकास परियोजना :

क) "बैकफील्ड खुली कोयला खनन पर संरचना का निर्माण, व्यावहारिक प्रणाली

(मेथॉडोलॉजी) सुझाने के लिए प्रयास'' नाम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना

ख) बड़ी बारहमासी नदियों से सटे हुए खुली खानों में नन–कोहेसीवेग्रानुलर स्वायल/सेंड को स्थिर (दृढ़) करने के लिए भू–तकनीकी एवं जल–भू–वैशानिक पहलू से संबंधित अन्वेषण

''बैक फील्ड खुली कोयला खनन पर संरचना निर्माण: व्यावहारिक प्रणाली सुझाने के लिए प्रयास'' शीर्षक वाली विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना के लिए जगन्नाथ एरिया, एमसीएल में निर्मित प्रोटोटाइप भवन

दुधिचुआ परियोजना, एनसीएल के लिए प्रस्ताविक शॉपिंग केंद्र का बर्ड्स आईव्यू

9.0 विद्युत एवं यांत्रिक अभियंत्रण सेवाएँ : वर्ष 2020–21 में किए गए कार्य

9.1 खान आयोजन प्लानिंग (आधारभूत संरचना)

➢ **परियोजना रिपोर्ट की तैयारी**

- **मुख्यालय**

  भालुमुंडा ब्लॉक, एनटीपीसी (12 एमटीवाई) तथा बनाई ब्लॉक, एनटीपीसी (10 एमटीवाई)

✓ **क्षेत्रीय संस्थान-II**

- कपूरिया भू०ग०, ईस्ट दमगोरिया (कल्याणेश्वरी) पिरपैन्तीभारत, मंदार पर्वत, फुलारीटांड भू०ग० खान तथा एकीकृत जयराममपुर कुजामा के लिए परियोजना रिपोर्ट

✓ **क्षेत्रीय संस्थान-III**

- अशोका ओसीपी (22 एमटीवाई), करो ओसीपी (11 एमटीवाई), कोनार ओसीपी (8 एमटीवाई), तपिन ओसीपी (2.5 एमटीवाई), गोविंदपुर ओसीपी (2.5 एमटीवाई) और टोपा ओसीपी (5.25 एमटीवाई) के लिए विस्तार परियोजना रिपोर्ट।
- टोकीसूद ओसीपी (2.32 एमटीवाई) और जीवनधारा ओसीपी (1.5 एमटीवाई) के लिए परियोजना रिपोर्ट

✓ **क्षेत्रीय संस्थान-IV**

- कोंडा हरदोला, गोकुल, गौरी सेंट्रल, चिंचला पिसगांव, मुंगोली निर्गुड़ा और आरजीबी(रैंपिया–घोगरपल्ली–बिजहां) ओसी खान
- बोर्दा यूजी माइन
- समामेलित येकोना प्और येकोना II ओसीखदान और कुंभारखानी–घोंसा ओसी खदान

✓ **क्षेत्रीय संस्थान-VI**

- बीना काकरी का अंतिम पीआर (9.5 एमटीपीए)

- निगाही का अंतिम ईपीआर (25 एमटीपीए इंक्रीमेंटल)
- खड़िया का ईपीआर (16एमटीपीए इंक्रीमेंटल)
- झिंगुरदा बॉटम के पीआर

✓ **क्षेत्रीय संस्थान-VII**

- कुलदा गर्जनबहल विस्तार (40 एमटीवाई), भुवनेश्वरी ओसीपी विस्तार (40 एमटीवाई), बलभद्र ओसीपी (10 एमटीवाई), सुभद्रा ओसीपी (25 एमटीवाई) और अरखापाल ओसीपी (15 एमटीवाई) के उत्तर की परियोजना रिपोर्ट।

➢ **परियोजना रिपोर्ट/लागत मूल्यांकन का अद्यतन**

- **मुख्यालय**
  मंदार पर्वत ब्लॉक बीसीसीएल (17.5 एमटीवाई)

✓ **क्षेत्रीय संस्थान-III**

- समामेलित अमलो–धोरी (5 एमटीवाई)
- कबीराबाद (0.75 मिलियन टन)

9.2 कोयला निपटान संयंत्र :

➢ **ई-निविदा/निविदा दस्तावेज :**

- **मुख्यालय**
- झांझरा यूजी विस्तार सीएचपी, ईसीएल (5 एमटीवाई)
- राजमहल ओसीपी, ईसीएल में अतिरिक्त 10 एमटीवाई सीएचपी
- ब्लॉक–बी सीएचपी, एनसीएल (4.5 एमटीवाई)
- जयंत ओल्ड सीएचपी, एनसीएल के सेकेंडरी साइजर की स्थापना
- ईपीसी मोड पर आरजी–ओसी 3–6 सीएचपी की स्थापना के लिए परामर्श सेवाएं, एसईसीएल
- अमलोहरी सीएचपी, एनसीएल के पुराने सीएचपी (पीएच –1) की धूल निकासी और वेंटिलेशन सिस्टम का नवीनीकरण
- दुधिचुआ सीएचपी (10 एमटीवाई इंक्रीमेंटल), एनसीएलके लिए अद्यतन लागत की तैयारी

- **क्षेत्रीय संस्थान-III**
- उत्तर–उरीमारी सीएचपी (7.5 एमटीवाई), मगध सीएचपी (20 एमटीवाई) के लिए संशोधित निविदा दस्तावेज,आम्रपाली सीएचपी (12 एमटीवाई), आम्रपाली सीएचपी फेज– **II** (13 एमटीवाई), मगध सीएचपी फेज– **II** (31 एमटीवाई) और कोनार सीएचपी (5 एमटीवाई) के लिए निविदा दस्तावेज।

✓ **क्षेत्रीय संस्थान-IV**

- बारौद ओसी के लिए एनआईटी, साइलो के साथ एसईसीएल सीएचपी (एफएमसी प्रोजेक्ट) और दिनेश ओसी, साइलो के साथ डब्ल्यूसीएल सीएचपी (एफएमसी प्रोजेक्ट)

✓ **क्षेत्रीय संस्थान-V**

- गेवरा सीएचपी और साइलो (5–6), गेवरा फेज–**II,** 30 एमटी
- कुसमुंडा सेंट्रल इन पिट सीएचपी, 40 एमटीवाई
- दीपका मैकेनाइज्ड आरएलएस साइडिंग, 25 एमटीवाई
- छाल सीएचपी और साइलो, 6.0 एमटीवाई
- आमाटाँड़ सीएचपी, 4.0 एमटीवाई के लिए मसौदा एनआईटी

✓ **क्षेत्रीय संस्थान-VI**

- अमलोहरी और दुशिचुआ घाट पर आरएलएस के साथ मशीनीकृत लोडिंग सिस्टम के लिए एनआईटी
- खड़िया सीएचपी में सेकेंडरी साइजर के लिए एनआईटी।
- बीना काकरी सीएचपी (9.5 एमटीपीए) और निगाही सीएचपी (10.0 एमटीपीए) के लिए एनआईटी

✓ **क्षेत्रीय संस्थान-VII**

- लक्जुरा ओसीपी, आईबी–वैली एरिया, एमसीएल में कोयला परिवहन प्रणाली 15 एमटीवाई के लिए लागत अनुमान के साथ ई–निविदा दस्तावेज
- बेल्ट कन्वेयर द्वारा कोयला निकासी प्रणाली के लिए लागत अनुमान के साथ ई–निविदा दस्तावेज और सरदेगा साइडिंग (20 एमटीवाई), एमसीएल में तेजी से लोडिंग सिस्टम के माध्यम से प्रेषण
- भुवनेश्वर ओसीपी, एमसीएल में निर्माणाधीन सीएचपी से 15 एमटीपीए के लिए निर्माणाधीन सीएचपी को कोयला फीडिंग व्यवस्था के निर्माण के लिए लागत अनुमान के साथ ई–निविदा दस्तावेज और कोयला निकासी योजना (पीएच–II)
- कनिहा क्षेत्र, एमसीएल में सर्ज बिन (10 एमटीवाई) के साथ सीएचपी और आरएलएस के लिए लागत अनुमान के साथ ई–निविदा दस्तावेज
- अनंत ओसीपी, एमसीएल में आरएलएस और सर्ज बिन व्यवस्था के साथ सीएचपी 15 एमटीवाई के लिए लागत अनुमान के साथ ई–निविदा दस्तावेज।
- एससीसीएल के तहत ईपीसी मोड पर केजीएम क्षेत्र में वीके7 सीएचपी के लिए लागत अनुमान के साथ ई–निविदा दस्तावेज (परामर्श के बाहर)
- एससीसीएल के तहत ईपीसी मोड पर एमएनजी क्षेत्र में पीकेओसी सीएचपी में 10 एमटीपीए कन्वेयर स्ट्रीम के लिए लागत अनुमान के साथ ई–निविदा दस्तावेज। (परामर्श के बाहर)।

➢ **सीएचपी/वर्कशॉप/सबस्टेशन के ड्राईंग की संवीक्षा/अनुमोदन**

- **मुख्यालय**

- 132/33 केवी, 3x40 एमवीए मधौली सबस्टेशन, एनसीएल का स्थानांतरण
- कृष्णाशिला मुख्य सीएचपी (4 एमटीवाई), एनसीएल
- जेवीआरओसी और केके1 सीएचपी, एससीसीएल
- कुसमुंडा कार्यशाला, एसईसीएल
- खड़िया एसटीपी (ई एंड एम भाग) का संशोधन
- जयंत ओसीपी में इंक्रीमेंटल (15 एमटीवाई) सीएचपी और दुधिचुआ ओसीपी में (10 एमटीवाई) सीएचपी

✓ **क्षेत्रीय संस्थान-V**

- गेवरा ओसीपी में 3 नंबर 33 केवी सबस्टेशन बैलेंस वर्क और 2X100 एमवीए, 220/33 केवी सबस्टेशन, कोरबा क्षेत्र के सरायपाली ओसीपी में 2X1 एमवीए, 33/3.3 केवी सबस्टेशन, 3 नग 33 केवी / 6.6 केवी सबस्टेशन और 3 नग 33 केवी डीसीडीएस की ड्रॉइंग स्क्रूटनी कुसमुंडा ओसीपी में ओएचटीएल।

✓ **क्षेत्रीय संस्थान-VII**

- हिंगुला सीएचपी और एसआईएलओ, भुवनेश्वरी (पीएच–I) सीएचपी और एसआईएलओ और लखनपुर सीएचपी (पीएच–I) 10 एमटीवाई, एमसीएल की ड्राइंग स्क्रूटनी।

9.3 वर्कशॉप तथा स्टोरः ई-निविदा दस्तावेज की तैयारी

➢ **मुख्यालय**

- अमलोहरी ओसीपी, एनसीएल में 190टी डम्पर मरम्मत की दुकान के लिए संशोधित एनआईटी।
- गेवरा वर्कशॉप और स्टोर (70 एमटीवाई), एसईसीएल
- ब्लॉक–बी कार्यशाला और स्टोर, एनसीएल
- नाकराकोंडा–कुमारडीही–बी डब्ल्यू/एस और बैंकोला क्षेत्र में स्टोर, ईसीएल

- दुधिचुआ डब्ल्य/एस और स्टोर एक्सपेंशन, एनसीएल
- सीडब्ल्यूएस, जयंत, एनसीएल का उन्नयन
- सीडब्ल्यूएस, जयंत, एनसीएल के लिए पी एंड एम (44 संख्या) के तकनीकी विनिर्देश की तैयारी

9.4 ऊर्जा अंकेक्षण / बेंचमार्किंग

✓ **सत्तर (93) संख्या के लिए वार्षिक डीजल बेंचमार्किंग। मुख्यालय, रांची द्वारा निम्नलिखित सहायक कंपनियों के लिए सीआईएल की ओपनकास्ट खदानें+1**

- **मुख्यालय**
- बीसीसीएल के 13 ओसीपी, समग्र रूप से 33 ओसीपी़ सीसीएल, ईसीएल के 08 ओसीपी, एमसीएल के 12 ओसीपी, एनसीएल के 10 ओसीपी, एसईसीएल के 03 ओसीपी और डब्ल्यूसीएल के 14 ओसीपी।

✓ **क्षेत्रीय संस्थान-II**

- बीसीसीएल द्वारा पहचाने गए 14 ओसीपी

✓ **निम्नलिखित के लिए वैद्युत ऊर्जा अंकेक्षण एवं बेंचमार्किंग**

✓ **मुख्यालय**

- ब्लॉक बी ओसीपी, एनसीएल
- एनसीएल मुख्यालय कार्यालय और कॉलोनी, एनसीएल
- 1. चुरी यूजी, अरगडा एरिया, 2. सयाल डी यूजी, बरकासयाल एरिया, 3. टोपा ओसीपी, कुजू एरिया, 4. करगली ओसीपी, बीएंडके एरिया और 5. पिपरवार ओसीपी, पिपरवार एरिया, सीसीएल
- काकरी ओसीपी, एनसीएल

✓ **क्षेत्रीय संस्थान-II**

- न्यू आकाश किनारी कोलियरी, बीसीसीएल।

✓ **क्षेत्रीय संस्थान-III**

- करगली ओसीपी और चुरी यू/जी सीसीएल

✓ **क्षेत्रीय संस्थान-IV**

- कृष्णशिला ओसीपी, एनसीएल

✓ **निम्नलिखित के लि, इल्यूमिनेशन सर्वेक्षण**

✓ **मुख्यालय**

- जयंत ओसीपी और एनसीएल के निगाही ओसीपी

✓ **क्षेत्रीय संस्थान-VI**

- झिंगुरदा ओसीपी, एनसीएल

9.5 विद्युत आपूर्ति तथा वितरण एवं नियंत्रण प्रणाली

✓ **मुख्यालय**

- जयंत ओसीपी, एनसीएल में 10 एमटीपीए से 20 एमटीपीए तक परियोजना विस्तार की बिजली आपूर्ति व्यवस्था के लिए एनआईटी
- बीना स्विचिंग स्टेशन के लिए एनआईटी, एनसीएल
- ब्लॉक–बी ओसीपी, एनसीएल की ओएच लाइन के स्थानांतरण के लिए एनआईटी
- बीना काकरी समामेलन के लिए सबस्टेशन के लिए एनआईटी, एनसीएल
- 33/11 केवी सेंट्रल सबस्टेशन, बालंदा, जगन्नाथ एरिया, एमसीएल के नवीनीकरण के लिए एनआईटी
- ब्लॉक–बी विस्तार ओसीपी, एनसीएल पर 3x10 एमवीए, 33/6.6 केवी सब–स्टेशन के निर्माण के लिए एनआईटी
- भटमुरा ओसीपी, ईसीएल में 2 / 10 एमवीए, 33/6.6 केवी सब–स्टेशन के लिए एनआईटी
- एसओसीपी, आईबीवी एरिया, एमसीएल में 2x4 एमवीए, 33/3.3 केवी सब–स्टेशन के लिए एनआईटी
- एजोरबागा, लखनपुर क्षेत्र, एमसीएल में 4x20 एमवीए, 132/33 केवी केंद्रीय सब–स्टेशन के लिए अग्निशमन व्यवस्था
- लिंगराज ओसीपी, तालचेर क्षेत्र,

एमसीएल में कोलैप्सेबल ओएचई के लिए एनआईटी

✓ **क्षेत्रीय संस्थान – I**

- सिदुली यूध्जी खान के सब–स्टेशन का अनुमान और लेआउट ड्राइंग तैयार करना।

✓ **क्षेत्रीय संस्थान – III**

- मगध ओसीपी के 2X16MVA, 33X6.6kV सबस्टेशन–IE के लिए संशोधित निविदा दस्तावेज
- आम्रपाली ओसीपी के 2X16MVA, 33X6.6kV सबस्टेशन–II के लिए संशोधित निविदा दस्तावेज
- एनटीपीसी टंडवा के निकट प्रस्तावित डीवीसी टंडवा से 33केवी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए संशोधित निविदा दस्तावेज मगध ओसीपी के प्रस्तावित 2X16MVA, 33X6.6kV सबस्टेशन–आईई के लिए।
- एनटीपीसी टंडवा के पास प्रस्तावित डीवीसी टंडवा से आम्रपाली ओसीपी के 33X6.6kV सबस्टेशन–II के लिए 2X16MVA, 33kV ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए संशोधित निविदा दस्तावेज।
- मगध ओसीपी के 2X16MVA, 33/6.6kV सबस्टेशन–MH और आम्रपाली OCP के सबस्टेशन–I के लिए ड्राफ्ट टेंडर दस्तावेज
- उत्तर उरीमारी ओसीपी और कोनार ओसीपी के 2X5MVA, 33/6.6kV सबस्टेशन के लिए निविदा दस्तावेज का मसौदा।

✓ **क्षेत्रीय संस्थान – V**

- भटगांव क्षेत्र के जगन्नाथपुर ओसीपी और रायगढ़ क्षेत्र के छाल ओसीपी में 33 केवी सबस्टेशन के लिए एनआईटी और गेवरा ओसीपी में 3 नग 33 केवी/6.6 केवी सबस्टेशन।
- गेवरा ओसीपी में 33 केवी ओएचटीएल के लिए ड्राफ्ट एनआईटी और रायगढ़ क्षेत्र के बरौद ओसीपी में 1 नंबर 132 केवी सबस्टेशन और 2 नग 33 केवी सबस्टेशन।

✓ **क्षेत्रीय संस्थान – VI**

- 2X10 एमवीए ओबी सबस्टेशन, खड़िया ओसीपी, एनसीएल के लिए एनआईटी।

✓ **क्षेत्रीय संस्थान – VII**

- 132/33 केवी नंदीरा सबस्टेशन से नई खदान तक 33 केवी ओवरहेड लाइन के निर्माण और नई खदान, जगन्नाथ ओसीपी, एमसीएल में नए सबस्टेशन के निर्माण के लिए ई–एनआईटी और लागत अनुमान।
- ई–एनआईटी और 2X10 एमवीए, 33/6.6 केवी सबस्टेशन के काम के लिए लागत अनुमानगरजाबहल क्षेत्र,एमसीएल।

9.6 सौर्य ऊर्जा के लिए पहल (सोलर इनिसीएटिव्स) :

✓ **क्षेत्रीय संस्थान – I**

- सीएसआर गतिविधि के तहत केंदगोर ग्राम पंचायत, खैरासोल ब्लॉक, बीरभूम में 60 सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम (ऑल इन वन सिस्टम स्वीकार्य नहीं होगा) की आपूर्ति, स्थापना, कमीशन और परीक्षण के लिए एनआईटी की तैयारी।

✓ **क्षेत्रीय संस्थान – IV**

- सीएमपीडीआइएल में 100 के डब्ल्यूपी सोलर रूफटॉप पावर प्लांट चालू किया गया है मार्च, 2021 में आवास क्वार्टर।
- सीएसआर गतिविधि के तहत जिला परिषद प्राथमिक शाला, बांद्रा गांव, केंद्र–येन्सा पंचायत समिति, वरोरा में 5 के डब्ल्यूपी सोलर रूफटॉप पावर प्लांट चालू किया गया है। जिलाःचंद्रपुर सितंबर, 2020 में।

9.7 अन्य रिपोर्ट/निविदा दस्तावेज/योजना :

✓ **मुख्यालय**

- एमसीएल के प्रशासनिक और सेवा भवनों की छत पर 12 सौर रूफ टॉप बिजली संयंत्रों के लिए व्यवहार्यता अध्ययन और विस्तार परियोजना रिपोर्ट
- केंडा, ईसीएल में एसटीपी पर योजना
- बालाघाट खदान, मॉयल में ओआरई (3 प्रकार) के लिए वैगन और ट्रक लोडिंग सिस्टम के मशीनीकृत लोडिंग के लिए योजना
- बीना ओसीपी, एनसीएल में ईटीपी के प्रस्तावित संशोधन के लिए ई एंड एम मदों के लिए लागत अनुमान और विनिर्देश
- बीना ओसीपी, एनसीएल में एसटीपी के प्रस्तावित संशोधन के लिए ई एंड एम मदों के लिए लागत अनुमान और विनिर्देश
- काकरी ओसीपी, एनसीएल में मौजूदा एसटीपी और ईटीपी के संशोधन के लिए योजना
- 2x10 मेगावाट, मूनीडीह सीपीपी, बीसीसीएल के पट्टे के लिए एनआईटी

✓ **क्षेत्रीय संस्थान – II**

- बीसीसीएल में 11 एनआरएससी चिन्हित अग्नि स्थलों पर आग से निपटने के लिए योजनाएं

✓ **क्षेत्रीय संस्थान – IV**

- तवा यूजी, तांडसी यूजी और सावनेर माइन–प्यूजी में सीएम के लिए योजना की तैयारी

✓ **क्षेत्रीय संस्थान – VI**

- निगाही सीएचपी के संचालन और रखरखाव के लिए एनआईटी (पैकेज ए, बी और सी)
- जयंत ईटीपी के लिए एनआईटी।

✓ **क्षेत्रीय संस्थान – VII**

- लकजुरा ओसीपी, आईबी–वैली एरिया, एमसीएल में कोयला परिवहन प्रणाली 15 एमटीवाई के लिए योजना योजना
- अनंत ओसीपी, एमसीएल में आरएलएस के साथ सीएचपी 15 एमटीवाई और सर्ज बिन व्यवस्था के लिए योजना।
- सड़क बिक्री ट्रकों (लखनपुर क्षेत्र), एमसीएल में पे लोडर लोडिंग को समाप्त करने के लिए मैकेनाइज्ड ट्रक लोडिंग सिस्टम की योजना

9.8 निरीक्षण सेवाएँ :

- सभी सीआईएल सहायक कंपनियों द्वारा मैन्युफैक्चरर्स वर्क्स में खरीदे गए प्लांट और मशीनरी के लिए प्री–डिस्पैच इंस्पेक्शन सर्विसेज
- वर्ष 2020–21 के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा सेवाओं से अर्जित राजस्व लगभग रु. 2.33 करोड़।

9.9 एनडीटी (नॉन डिस्ट्रक्टिव परीक्षण) कार्य

✓ **मुख्यालय**

- राजमहल क्षेत्र, ईसीएल में इस्पात संरचना और सीएचपी के कॉलम का एनडीटी
- एनसीएल में एचईएमएम का एनडीटी
- सीसीएल की विभिन्न परियोजनाओं में एचईएमएम का एनडीटी
- बल्लारपुर क्षेत्र, डब्ल्यूसीएल में एचईएमएम का एनडीटी
- एनसीएल की विभिन्न परियोजनाओं में सीएचपी का एनडीटी
- एचईएमएम का एनडीटी और एनसीएल परियोजनाओं का अन्य पीएंडएम
- बल्लारपुर क्षेत्र, डब्ल्यूसीएल में 20/90 ड्रैगलाइन और उत्खनन (8 नंबर) का एनडीटी

✓ **क्षेत्रीय संस्थान - IV**

- सीएमपीडीआईएल (मुख्यालय) के सहयोग से विभिन्न ओसीपी के सीएचपी संरचना और एचईएमएम के लिए एनडीटी

9.10 अन्य बड़े (महत्वपूर्ण) कार्य :

✓ **मुख्यालय**

- कोयला ब्लॉक लागत अद्यतन (ई एंड एम भाग)
- जजीईएम पोर्टल के माध्यम से 24*7 मासिक आधार पर 7 एसयूवी प्रकार के वाहन किराए पर लेने के लिए वाहन निविदा।
- आवश्यकता पड़ने पर वाहन किराए पर लेने के लिए वाहन निविदा।
- ई एंड एम डिवीजन, सीएमपीडीआईएल (मुख्यालय) में गुणवत्ता और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीएमपीडीआईएल की आईएसओ एकीकृत प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन।
- ई एंड एम डिवीजन, सीएमपीडीआईएल (मुख्यालय) में जोखिम प्रबंधन प्रणाली और रिश्वत विरोधी प्रणाली का कार्यान्वयन।

✓ **क्षेत्रीय संस्थान - II**

- सीआईएल के लिए वार्षिक कोयला स्टॉक मापन
- बीसीसीएल की 10 खदानों के लिए खदान बंद करने की योजना तैयार करना
- बस्ताकोला कोलियरी, बेरा ओसी खान, संयुक्त क्लस्टर IV और क्लस्टर V खान, दामुडा कोलियरी, समामेलित एनटीएसटी समामेलित जोयरामपुर कुजामा के लिए खनन योजना और खदान बंद करने की योजना।

✓ **क्षेत्रीय संस्थान - IV**

- 02 (13+1) क्षमता वाली स्कूल बस की भर्ती सफलतापूर्वक कर ली गई है

✓ **क्षेत्रीय संस्थान - VI**

- ड्रिलिंग कैंप सहित आरआई की खरीद और अनुबंध (सिविल के अलावा)।

10.0 नगर अभियंत्रण सेवाएँ

नगर अभियंत्रण विभागों के प्रमुख दायित्व इस प्रकार है :

क्र. सं.	कार्यों का नाम
	पूरे किए गए कार्य
1.	भवन अर्थात् कार्यालय भवन और आवासीय स्टाफ क्वार्टर्स का रख–रखाव, साफ–सफाई का रख–रखाव, स्वच्छ और हरा पर्यावरण आवश्यक बागवारी कार्य और खन–रखाव सहित।
2.	कार्यालय से संबंधित इलेक्ट्रीकल, इलेक्ट्रोनिक और मैकेनिकल उपकरण का रख–रखाव और इसकी विषय सूची का रख–रखाव
3.	सभी कार्यालय फर्नीचर का रख–रखाव
4.	आवश्यक उपाय कर जलापूर्ति प्रबंधन
5.	विद्युत् का बचाव और संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाकर विद्युत प्रबंधन
6.	इलेक्ट्रीसिटि बिल, टेलीफोन बिल, वाटर बिल और अन्य संविदात्मक भुगतान आदि के लिए प्राप्ति, चेकिंग और सुपुर्दगी को सुनिश्चित करना
7.	नगर निगम जैसे संविदात्मक निकायों के साथ संपर्क संबंधी कार्य।

पूंजीगत कार्य, चालू मरम्मती कार्य, विशेष मरम्मती कार्य के तहत चालू कार्य, वर्ष 2020–21 में सीएसआर कार्य पूरे किए गए जिसकी सूची नीचे दी जा रही है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य का मूल्य (लाख रू.में)
1.	बिटुमिनस कंकीट लेयर (गोविंदराय) द्वारा सड़क	80.07
2..	एक वर्ष (जे.पी.राय) के लिए सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय, राँची में आवासीय क्वाटरों की सिविल इंजीनियरिंग कार्य के लिए रख–रखाव का ठेका	69.37
3.	सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय परिसर, रांची (रामराज कंसट्रक्शन) में कार्यालय और अन्य सर्विस भवन के लिए सिविल इंजीनियरिंग कार्य के लिए रख–रखाव ठेका	39.00
4..	सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय, राँची (जय शंकर एंड कंपनी) का रख–रखाव कार्य	125.11
5.	सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय, राँची (गणेश कर्माकर) में मौसमी पौधे के रख–रखाव सहित बागवानी के लिए वार्षिक रख–रखाव ठेका	59.66
6.	सीएसआर परियोजना (वीणा कंसट्रक्शन) के तहत ग्राम कुलयु कालेंदेय ब्लॉक नगरी राँची में वृद्धाश्रम परिसर में जरूरत मंद वृद्धों के लिए कॉटेज का निर्माण	12.48
7.	सीएमपीडीआईएल कॉलोनी, राँची में (रामराज कंसट्रक्शन) बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण	114.56
8.	सीएमपीडीआईएल, मु. राँची में गवेषण विभाग और सीएमपीडीआई गेस्ट हाउस में कैप्सूल लिफ्ट की स्थापना के लिए सिविल और सम्बद्ध कार्य।	24.82
9.	सीएमपीडीआईएल(मु.), काँके रोड, राँची एसएस कंस्ट्रक्शन में बहुमंजिली 1डी एवं 2डी भवन में टाइल्स को सतह पर विट्रीफायड फ्लोरिंग करने और अल्यूमिनियम की खिड़की लगवाने हेतु	84.98
10.	सीएमपीडीआईएल मुख्यालय, राँची में पम्पों के संचालन और रख–रखाव सहित दूषित जल उपचार संयंत्र का संचालन एवं रख–रखाव (जय इलेक्ट्रीकल सेंटर)	3.82
11.	सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय, राँची में 5x3.5 वर्ग मीटर के कंट्रोल पैनल रूम के निर्माण तथा इनकमर वीसीबी, आऊट गोईंग डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, केबल आदि सहित 630 के.वी.ए.,II केवी/415वी ट्रांसफार्मर की आपूर्ति, संस्थापन, जाँच और चालू करना (मेसर्स इंडस्ट्रीयल स्वीचगियर)	38.50
12.	एक साल के लिए सीएमपीडीआइ परिसर, रांची (आवासीय और गैर–आवासीय दोनें) का इलेक्ट्रीकल रख–रखाव कार्य (जय इलेक्ट्रीकल सेंटर)	36.02
13.	सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय में 150 किलो वाट के रूफ टॉप सोलन प्लांट की आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण और चालन।	51.03
	पूरे किए गए कार्य	
1.	सीएमपीडीआईएल(मु.), राँची के सीपीईआई भवन (जी+7) में एक साल की वारंटी अवधि की सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद 9 वर्षों के लिए सेंट्रल एयर–कंडीशनिंग प्लांट की आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण, चालन और वृहद् रख–रखाव। (मेसर्स यूनिवर्सल असोसिएट्स)	441.5
2.	एक वर्ष की वारंटी अवधि के सफलतापूर्वक पूरे होनें के बाद 9 वर्षों के लिए सीएएमसी (एसी संयंत्र) सहित कम्युनिटि हाल, सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय में माइक्रोप्रोसेसर नियंत्रित वायु–संवातन प्रणाली की आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण और चालन (मेसर्स यूनिवर्सल असोसिएट्स)	28.02
3.	सीएमपीडीआईएल कॉलोनी, राँची में ''बी'' टाइप, ''सी'' टाइप और ''डी'' टाइप का री वायरिंग (जय इलेक्ट्रीकल सेंटर)	191.00

4.	सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय, राँची का रख–रखाव कार्य (जय शंकर)	108.42
5.	सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय परिसर, रांची में मौसमी पौधों (आंतरिक एवं बाह्य) के रख–रखाव सहित बागवानी के लिए वार्षिक रख–रखाव ठेका (गणेश कर्माकर)	50.62
6.	सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय, परिसर, राँची में कार्यालय एवं अन्य सेवा भवन के लिए सिविल इंजीनियरिंग कार्यों के लिए रख–रखाव ठेका (एस.एस.कंस्ट्रक्शन)	42.14
7.	सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय, परिसर, राँची में विभिनन स्थानों में दिव्यांगजन के लिए पहुंच पथ को सुनिश्चित करना। (एस.एस.कंस्ट्रक्शन)	20.89
8.	सीएमसी सेल, सीएमपीडीआईएल, राँची के कार्यालय के लिए स्थान का सृजन (एस.एस. कंस्ट्रक्शन)	2.02
9.	सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय, रांची में जियोटेक लेबोरेट्री के लिए भवन का निर्माण (गोविंद राय)	18.44
10.	आरएंडडी भवन, सीएमपीडीआईएल परिसर, कांके रोड, रांची के उपर सीबीएम प्रयोगशाला के लिए हॉल का निर्माण। (गोविंद राय)	15.89
11.	एक वर्ष की वारंटी अवधि की सफलतापूर्वक समापन के प्श्चात लिफ्टों के 9 वर्ष सीएएमसी था पुराने लिफ्टों के बाम बैक सहित सीएमपीडीआईएल मुख्यायल के 1सी, 1डी, 2सी और 2डी टाइप के क्वाटरों में लिफ्टों की आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण और चालन।(मेसर्स आरोही एलीवेटर प्राइवेट लिमिटेड)	93.95

11.0 अनुसंधान एवं विकास परियोजना :

11.1 कोयला मंत्रलय क्षरा कोष प्रदत्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना :

कोयला क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) परियोजना का प्रबंधन (शासन) सचिव (क्येयला), क्येयला मंत्रालय की अध्यक्षता वाली स्थायी वैज्ञानिक अनुसंधान समिति (एसएसआरसी) नामक एक शीर्ष समिति द्वारा की जाती इस शीर्षस्थ निकाय के अन्य सदस्यों में कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के अध्यक्ष, कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, सिंगरैनी कोलियरीज (एससीसीएल) कंपनी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, निवेली लिग्नाइट कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) के महानिदेशक(डीजी), वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर) के महानिदेशक, एसएसआरसी की तकनीकी उपसमिति के अध्यक्ष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि, नीति आयोग के ऊर्जा सलाहकार, सीएमआईएफआर, धनबाद के निदेशक तथा टेरी (टीईआरआई) के निदेशक शामिल हैं। एसएसआरसी का प्रमुख कार्य, योजना बनाना, बटि कार्यक्रम तैयार करना, नई अनुसंधान परियोजनाओं का अनुमोदन करना, उनके कार्यान्वयन का प्र्यवेक्षण करना तथा वास्तविक क्षेत्र स्थिति में अनुसंधान एवं विकास उपलब्धियों का अनुप्रयोग करवाना है। इस एसएसआरसी की सहाया एक तकनीकी उप समिति द्वारा की जी है, जिसकी अध्यक्षता एक एक वर्ष के लिए बारी–बारी से विभागाध्यक्ष (खनन), आईआईटी बीएचयू/विभागाध्यक्ष (खनन), आईआईटी आईएसएम, धनबाद द्वारा की जाती है। वर्तमान में इस तकनीकी उपसमिति के अध्यक्ष, विभागाध्या (खनन), आईआईटी बीएचयू है। यह उप समिति कोयला खानों में उत्पादन, उत्पादकता एवं सुरक्षा, कोयला परिष्करण एवं उपयोग, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की सुरक्षा से संबंधित विषयों पर काम करती है।

सीएमपीडीआईएल, कोयला क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों के समन्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जिसमें अनुसंधान कार्यों के लिए दबाव वाले (महत्वपूर्ण) क्षेत्रों की पहचान, अनुसंधान प्रस्तावों को

आमंत्रित करना, उस एजेंसी की पहचान करना जो चिह्नित क्षेत्र में अनुसंधान कार्य कर सके, प्रस्तावें की प्रारंभिक संवीक्षा तथा संसाधन, अनुसंधान कार्यों के बजट प्राक्कलन तैयार करना, परियोजनाओं की प्रगति के आधार पर कार्यान्वयन एजेसियों को कोष वितरित करना तथा परियोजनाओं की प्रगति की मानिटरिंग करना आदि शामिल है।

- प्रारंभ की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं की कुल संख्या (31.3.2021 तक) – 397
- पूरी की गई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं की कुल संख्या (31.3.2021 तक) – 327

11.2 वर्ष 2020–21के दौरान भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि :

क) वित्तीय उपलब्धि

क्र.सं	पारामीटर	संख्या
1.	1.4.2020 के अनुसार चालू परियोजनाएँ	11
2.	वर्ष 2020–21 के दौरान पूरी की गई परियोजनाएँ	04
3.	1.4.2021 के अनुसार चालू परियोजनाएँ	12
4.	वर्ष 2020–21 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएँ	05

ख) वित्तीय स्थिति :

विवेच्य वर्ष के दौरान बजट प्रावधान की तुलना में वास्तविक कोष वितरण का विवरण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रु. में)

2019-20			2020-21			
आरई	कोयला मंत्रलय से प्राप्त कोष	वास्तविक	बीई	आरई	कोयला मंत्रलय से प्राप्त कोष	वास्तविक
19-80*	18.78	18.67	25.00	12.00	9.98	9.91**

*2.20 करोड़ रू. के लए एनईआर को छोड़कर **गत वर्ष के, खर्च न की गई करम का उपयोग

ग) विशेष उपलब्धि :

1. एसएंडटी वेबसाइट का विकास :

सीएमपीडीआईएल ने अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोयला एवं लिग्नाइट क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए एक वेबसाइट (सीएमपीडीआईएल एवं कोयला मंत्रालय वेबसाइट https://scienceandtech.cmpdi.co.in में लिंक उपलब्ध) का डिजाइन एवं विकास किया है, जिसमें पूरी की गई तथा चालू परिय्रोजनाओं से संबंधित जानकारी तथा विभिन्न स्वरूप वाली कोयला अनुसंधान परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लए दिशा–निर्देश दिया गया है, ताकि कोई भी व्यक्ति अपेक्षित ढंग से प्रस्ताव सौंप सके। इसमें पारदर्शिता लाने तथा परियोजनाओं की प्रकृति के दुहराव को रोकने के लिए पूरी की गई परियोजनाएँ तथा चालू अनुसंधान परियोजनाओं की सूची तथा उनके परिणाम भी दिए गए हैं। कोयला क्षेत्र की भावी आवश्यकता को ध्यान में रखकर इसमें पूरी की गई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं से संबंधित फोटो, वीडियों एवं न्यूज क्लिपिंग, विभिन्न प्रकाशन तथा चिह्नित दबाव वाले क्षेत्र को भी दर्शाया गया है।

2. कोयला मंत्रालय के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दिशा-निर्देश का रूपांतरण:

कोयला अनुसंधान परियोजनाओं के कार्यानवयन के लिए वर्तमान एवएंडटी दिशा–निर्देश का पिछली बार जुलाई, 2020 में समीक्षा की गई थी। दिनांक 02.02.2021 को आयोजित अपनी बैठक में स्थायी वैज्ञानिक अनुसंधान समिति (एसएसआरसी) द्वारा इसे ही अनुमोदित कर दिया गया।

3. कोयला एवं लिग्नाइट क्षेत्र में अनुसंधान के लिए नए दबाव वाले क्षेत्रें की पहचान:

कोयला मंत्रालय के दिशा–निर्देश के अनुसार कोयला एवं लिग्नाइट क्षेत्र में भावी अनुसंधान के लिए नए दबाव वाले क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है। वर्तमान आवश्यकता से संबंधित कुछ नए क्षेत्रों तथा कोयला उद्योग के जटिल कार्यों को पतालगाने के लिए कुछ नए क्षेत्र जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, उन्नत प्रौद्योगिकियों का नवाचार एवं स्वदेशीकरण (आत्मनिर्भर भारत), अपशिष्ट से धनार्जन आदि को शामिल किया गया है। भारत के सभी प्रमुख अनुसंधान संस्थानों के बीच दबाव वाले क्षेत्र के व्यापक प्रसार के परिणामस्वरूप नए विषयों पर अनुसंधान प्रस्ताव सौंपा जा सका है।

11.3 कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा वित्त प्रदत्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाए :

सीआईएल का आंतरिक अनुसंधान एवं विकास कार्य करने के लिए अध्यक्ष, सीआईएल की अध्यक्षता में एक अनुसंधान एवं विकास बोर्ड कार्य कर रहा है। इस अनुसंधान एवं विकास बोर्ड की सहायता एक शीर्ष समिति करती है, जिसके अध्यक्ष निदेशक (तक.) सीआईएल है। अनुसंधान कार्यों के लिए बजट प्राक्कलन तेयार करने, नए परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन करने तथा परियोजनाओं की प्रगति के आधार पर कार्यान्वयन एजेंसियों को कोष वितरित करने एवं पूरा होने तक परियोजनाओं की मानिटरिंग करने आदि के लिए सीएमपीडीआईएल नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है।

सीआईएल के अधिकार वाले क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास आधार को बढ़ाने के लिए सीआईएल बोर्ड ने 24 मार्च, 2008 को आयोजित अपनी बैठक में सीआईएल के आरएंडडी बोर्ड तथा आरएंडडी बोर्ड की शीर्ष समिति को पर्याप्त अधिकार दे दिया है। शीर्ष समिति को एक–एक आरएंडडी परियोजना को 5 करोड़ रू., जिसकी सीमा सभी परियोजनाओं को मिलाकर प्रति वर्ष 25.00 करोड़ रू. है, तक मंजूर करने का अधिकार दे दिया है। और सीआईएल आरएंडडी, बोर्ड को 500 करोड़ रू. आवंटित करने तथा एक–एक परियोजना को 5 डीडब्ल्यू करोड़ रू. मंजूर करने का अधिकार दे दिया है।

- शुरू की गई अनुसंधान एवं विकास परियोजना (31.3.2021 तक) – 101
- पूरी की गई अनुसंधान एवं विकास परियोजना (31.3.2021 तक) – 65

11.4 भौतिक उपलब्धि :

वर्ष 2020–21के दौरान भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि

वर्ष 2020–21 के दौरान सीआईएल आरएंडडी परियोजनाओं की स्थिति इस प्रकार है :

क्र.सं	पारामीटर	संख्या
1.	1.4.2020 के अनुसार चालू परियोजनाएँ	18
2.	वर्ष 2020–21 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएँ	09*
3.	1.4.2020–21 के दौरान पूरी की गई परियोजनाएँ	02
4.	वर्ष 2020–21 के दौरान समाप्त/बंद परियोजनाएँ	02
5.	01.04.2021 के अनुसार चालू परियोजनाएँ	23*

*2 परियोजनाएँ अभी शुरू की जानी है।

11.5 वित्तीय स्थिति :

विवेच्य अवधि के दौरान बजट प्रावधान की तुलना में निधि का वितरण इस प्रकार है :

(करोड़ रु. में)

2019-20		2020-21	
आरई	वास्तविक	आरई	वास्तविक
30.00	20.60	12.00	12.29

वर्ष 2020–21 के दौरान स्वीकृत एवं पूरी की गई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की सूची क्रमशः परिशिष्ट –'क' एवं परिशिष्ट– 'ख' के रूप में संलग्न की गई है।

परिशिष्ट-क

वर्ष 2020-21 के दौरान कोयला मंत्रालय द्वारा वित्त प्रदत्त एसएंडटी परियोजनाएँ

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयक एजेंसी	अनुमोदित लागत (लाख रू. में)
1.	उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए लॉगवाल शील्ड प्रेसर की मानिटरिंग, विश्लेषण एवं प्रतिपादन (इन्टरप्रेटेशन) हेतु एलओटी सक्षम प्रौद्योगिकी का स्वदेशी विकास	सीएमपीडीआईएल, राँची आईआईटी, खड़गपुर एवं ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) संक्टोरिया	471.0
2.	खनन से उत्पन्न सब सर्फेस कैविविटी के कारण दुर्घटना तथा भूमिगत कोयला खानों में अगम्य पूराने कार्यस्थलों में जलाप्लावित क्षेत्रों का भू–भौतिक, तकनीक का प्रयोग कर अध्ययन (परियोजना के 13 एमटी–173)	आईआईटी–बीएचयू वाराणसी तथा एनसीएल सिंगरौली	199.96
3.	लदान कार्य के पहले, उसके दौरान तथा लदान के बाद रेलवे साइडिंग में पीएम 2.5 टनिंग के लिए ड्रोन लगे आप्टिकल सेंसर का डिजाइन एवं विकास। (परियोजना कोडः एमटी 174)	आईआईटी–बीएचयू, वाराणसी तथा एनसीएल सिंगरौली	36.84
4.	कन्वोलूशनल न्यूट्रल नेटवर्क तथा टाइपर स्पेक्ट्रल इमेज पर आधारित कोयले की गुणवत्ता पता लगाने के लिए तकनीक (कोल क्वालिटी एक्सप्लोरेशन टेक्नीक) का विकास	सीआईएमएफआर, नागपुर तथा कम्प्यूटर साइन्स एवं इंजीनियरिंग विभाग, श्री रामदेव बाना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, नागपुर	103.59
5.	कोयला एवं गैर कोयला संस्तर में शेयर अर्थ एलिमेंट (आरईई) तथा अन्य आर्थिक संसाधन का मूल्यांकन और एसिड माइन ड्रेनेज एवं इसका प्रदूषण नियंत्रण का गुण निर्धारण नार्थ ईस्टर्न रीजन कोलफील्ड (परियोजना कोड ईई 51)	पंजाब विश्व विश्वद्यालय चंडीगढ़, सीएमपीडीआईएल, राँची एवं ड्यूक यूनिवर्सिटी, यूएसए	361.38

वर्ष 2020-21के दौरान पूरी की गई कोयला मंत्रलय (एमओसी) द्वारा वित्त प्रदत्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना

क्र.सं	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	अुमोदित लागत (लाख रू. में)
1.	बैक फील्ड ओपेनकास्ट खान पर संरचना का निर्माण व्यवहारिक प्रणाली (मेथेडोलॉजी) सुझाने का प्रयास (परियोजना कोड : ई–ई : 46)	आईआईटी, धनबाद, तथा सिविल इंजीनियरिंग विभाग सीएमपीडीआईएल, राँची	345.14
2.	भूमिगत कोयला खानों के लिए टेलिरोबोटिक एंड रिमोट आपरेशन टेक्नोलॉजी का विकास परियोजना कोड : एमटी 162	सीएमईआरआई,दुर्गापुरःसीआईएम–एफआर, धनबाद तथा सीएमपीडीआईएल, राँची	440.12
3.	बड़ी बारहमासी नदी से सटे खुली कोयला खानों में नन–कोहेसिव ग्रेन्यूअल भूमि/बालू को स्थिर करने के लिए भू–तकनीकी एवं जल भू–वैज्ञानिक पहलू से संबंधित अन्वेषण (परियोजना कोड : एमटी 168)	सिविल इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी बॉम्बे, क्षेत्रीय संस्थान–4, सीएमपीडीआईएल, नागपुर तथा डब्ल्यूसीएल, नागपुर	495.03
4.	खानो में भूतल जल नियंत्रण एवं कन्वेयर सिस्टम का इलेक्ट्रानिफिकेशन (परियोजना कोड : एमटी 168)	एनएलसी इंडिया लि. (एनएलसीआईएल), निवेली एवं नेशनल इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नोलॉजी, तिरूचिरापल्ली) (एनआईटआईटी) तमिलनाडु	181.27

परिशिष्ट-ख

वर्ष 2020-21 के दौरान अनुमोदित सीआईएल बोर्ड द्वारा वित्त प्रदत्त परियोजनाएँ :

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	अनुमोदित लागत (लाख रू. में)
1.	आयल एग्लोमेरेशन के जरिए वाशरी ग्रेड कोकिंग कोल तथा अधिक राख वाले गैर–कोकिंग कोयला से राख की मात्रा (खनिज पदार्थ) को कम करने पर अध्ययन। (परियोजना कोडः सीआईएल आरएंडडी / 02/09/2021)	एनएसएल, जमशेदपुर, सीईडी विभाग सीएमपीडीआईएल	53.62
2.	बहुमूल्य प्रकृति के फाउन्डेशन स्वायल को स्थिर करने तथा अनुकूलतम ओवर बर्डेन डम्प हाइट को कायम रखने और बढ़ाने के लिए उपयुक्त ग्राउन्ड इम्प्रुवमेंट टेक्नोलॉजी कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भू–तकनीकी पहलू से संबंधित फोरेंसिक जाँच (परियोजना कोड : सीआईएल/आरएंडडी / 4 / 11/2021)	सिविल अभियंत्रण विभाग सीएमपीडीआईएल, मु., राँची एवं क्षे.सं.–4, सीएमपीडीआईएल, नागपुर और डब्ल्यूसीएल, नागपुर	492.26
3.	वैकल्पित स्त्रोत के रूप में वेंटिलेशन फैन वाइन्ड पावर रिकवरी सिस्टम का डिजाइन एवं तैनाती। (परियोजना कोड : सीआईएल/आरएंडडी / 1 / 72/2021	आईआईटी–आईएसएम, धनबाद एवं ईसीएल संक्टोरिया	66.70

4.	इन–दि–होल वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन (वीओडी) की माप करने के लिए स्वदेशी आप्टिकल फाइबर आधारित उपकरण का विकास तथा क्षेत्र की स्थिति में विस्फोटकों के कार्य निष्पादन का विश्लेषण (परियोजना कोड : सीआईएल/आरएंडडी / 1 / 72/2021)	इलेक्ट्रानिक विभाग, सीएमपीडीआईएल के साथ–साथ इन्नोवेशन सेल सीएमपीडीआईएल, मु., राँची	495.97
5.	ओपेनकास्ट माइन डमप पर विस्फोटन का प्रभाव तथा ब्लास्ट इन्डयूरड वाइब्रेशन एवं डम्प डिजाइन के बीच संबंध का विकास (परियोजना कोड : सीआईएल/आरएंडडी/01/73/2021)	विस्फोटन विभाग, सीएमपीडीआईएल, बीआईटी, मेसरा और आईआईटी–आईएसएम, धनबाद	344.22
6.	भूमिगत कोयला खानों में प्रयुक्त पीट बॉटम बफर के लिए ड्राप टेस्ट फैसिलिटी का डिजाइन एवं विकास (परियोजना कोड : सीआईएल/आरएंडडी/01/74/2021)	आईआईटी–आईएसएम, धनबाद	248.61
7.	सुरक्षा के साथ लॉक्ड कोल पिलर के उत्खनन के समय खुली कोयला खानों में आग की उपस्थिति के पूर्वानुमान को सशक्त बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मशीन लर्निंग सोल्यूशन विकसित करना (परियोजना कोड : सीआईएल/आरएंडडी/05/01/2021)	आईआईटी आईएसएम, धनबाद	25.99
8.	भूमिगत कोयला खानों में बड़े जल स्रोत के विरूद्ध प्रोटेक्टिव बैरियर का डिजाइन	आईआईटी (बीएचयू, वाराणसी एवं ईसीएल, संक्टोरिया	87.47
9.	सिंगरौली कोयला खानों में आर्टिफिसियल न्यूट्रल नेटवर्क (एएनसी) के जरिए पार्टिकुलेट मैटर तथा गैसियस पोल्यूटैण्ट का पूर्वानुमान प्रोवाबिलिस्टिक न्यूट्रल नेटवर्क (पीएनए) तथा क्लासिफिकेशन एवं रिगेशन ट्री (कार्ट) मॉडल तथा सीएएलपीयूएफ तथा एईआरएमडो डी के साथ तुलना	बीआईटी मेसरा, सीएमपीडीआईएल तथा एनसीएल	85.25

वर्ष 2020-21के दौरान पूरी की गई सीआईएल द्वारा वित्त प्रदत्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	अनुमोदित लागत (लाख रू. में)
1.	पिट बॉटम, अंडरग्राउन्ड माइन रोडवेज तथा वर्किंग फेस का अप्टिकल फाइबर आधारित सोलर इल्यूमिनेशन। (परियोजना कोड :सीआईएल/आरएंडडी / 1 /66/2017)	आईआईटी, खड़गपुर तथा ईसीएल, संक्टोरिया	155.53
2.	कम डाइलूटेड कोयला सहित बेहतर प्राप्ति के लिए मल्टपुल लेयर ट्रायल (परियोजना कोड : सीआईएल/आरएंडडी/1/61/2016)	आईआईटी–आईएसएम, धनबाद, सीएमपीडीआईएल, राँची	496.24

12.0 प्रयोगशाला सेवाएँ

12.1 रासायनिक प्रयोगशाला :

रासायनिक प्रयोगशाला ने भूवैज्ञानिक रिपोर्ट में शामिल करने हेतु 11 कोयला क्षेत्रों में 45 गवेषण ब्लॉकों से प्राप्त कोयला कोर के 1408 मीटर के साथ 31.000 कोयला नमूनों का गुण– निर्धारण किया गया। यह गत वर्ष 2019–20 की उपलब्धि से 6.9 प्रतिशत अधिक है।

12.2 कोल पेट्रोग्राफी प्रयोगशाला :

20 कोयला क्षेत्रों के 42 गवेषण खनिखंडों से प्राप्त कोयला नमूनों का पेट्रोग्राफिक गुण–निर्धारण के लिए 913 नमूनों का विश्लेषण किया गया। यह गत वर्ष 2019–20 की उपलब्धि से 12.8 प्रतिशत अधिक है। सीबीएम मूल्यांकन अध्ययन के लिए 29 नमूनों का माइक्रो क्लीट अध्ययन किया गया है।

- कोल कैरेक्टराइजेशन प्रयोगशाला ग्रेडिंग के उद्देश्य से बीसीसीएल के कमांड वाले क्षेत्र से प्राप्त कोकिंग कोल नमूनों का लगातार परीक्षण कर रहा है। वर्ष 2020–21 के दौरान 40. नमूनों का परीक्षण किया गया।
- बाह्य परामर्शी कार्य के तहत क्यूएसएस गुजरात से प्राप्त 15 आयातित कोकिंग कोयले के नमूनों का परीक्षण किया गया।
- एनटीपीसी अदानी माइनिंग इत्यादि कैप्टिब ब्लॉक के लिए कोल कैरेक्टराइजेशन अध्ययन भी किया गया।

12.3 कोयला विनिर्माण (प्रेपरेशन) प्रयोगशाला

कोल प्रिपरेशन लेबोरेटरी कार्य की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न कोयला क्षेत्रों के दोनों कोकिंग और गैर–कोकिंग कोयले के नमूनों के लिए धोवन क्षमता विश्लेषण (प्रोवसीमेंट विश्लेषण, जीसीवी, एचजीआई, कोकिंग प्रोपर्टीज आदि) में लगा हुआ है। ये विश्लेषण बोर कोर कोयले के नमूने और आरओएम कोयले के लिए किया गया है। कोयला नमूनों की संख्या जिनका विश्लेषण वर्ष 2019–20 के दौरान किया गया है उसे नीचे दिया जा रहा है।

क) बोर कोर कोल नमूने–33 नमूनों का धोवन क्षमता विश्लेषण का परीक्षण किया गया।

12.4 खनन प्रयोगशाला :

रॉक मेकानिक्स/रॉक टेस्टिंग

1. 3600 मी. ड्रिल कोर नमूनों की भौतिक यांत्रिक गुण निर्धारण के लिए जाँच की गई।
2. सीआईएल / गैर–सीआईएल के विभिन्न कोयला ब्लॉकों के 8 (आठ) बोरहोलों का भौतिक यांत्रिक गुण के परिणाम पर रिपोर्ट

संस्तर नियंत्रण अध्ययन :

1. नौ (09) खानों / सीमों के लिए रॉक मास रेटिंग आरएमआर) / स्कैम्प अध्ययन पर रिपोर्ट सौंप दी गई।
2. आरएमआर अध्ययन के लिए क्षमता गुण, स्लेक स्थायित्व सूचकांक निर्धारित करने के लिए कुमुलेटिव रॉक टाइप की जाँच इक्कीस (21) की गई।

13.0 पर्यावरणिक सेवाएँ

13.1 ईआईए/ईएमपी

सीआईएल परियोजना :

वर्ष 2020–21 के दौरान पर्यावरण विभाग ने कुल 31 फार्म–। (फार्म–iv एव vi) सहित तथा 9 ईएमपी का मसौदा तैयार किया। कुल 40 रिपोर्ट तैयार की गई।

बाहरी परियोजनाएँ

वर्ष 2020–21 के दौरान निम्नलिखित रिपोर्ट तैयार किए गए :

- एमसीएल की जगन्नाथ खुली खान परियोजनाओं के क्वारी नं. 4 एवं 7 में टीटीपीसी तथा एनटीपीसी से फ्लाई ऐश डिस्पोजटल पर अध्ययन के लिए रिपोर्ट का मसौदा।
- टीटीपीसी, ललपनि के ऐश पॉण्ड की राख (ऐश) की टॉक्सिसिटी कैरेक्टराइजेशन लीचिंग प्रोपर्टीज (सीसीएलपी) जाँच।
- वीएसटीपीएस के लिए एनसीएल की गोरबी खान में एनटीपीसी के फ्लाई ऐश डिस्पोजल की ई–आईए/ईएमपी।
- अरखापाल खुली खान परियोजना के उत्त(उत्तरी भाग), तालचर फर्टिलाइजर तथा मालूमूण्डा खुखान परियोजना, एनटीपीसी के लिए खनन योजना एवं खान बंदी (माइन कलोजर) योजना सहित परियोजना रिपोर्ट का मूल्यांकन।

13.2 वायु, जल एवं ध्वनि की पर्यावरणिक मॉनीटरिंग

जब एक बार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरणिक स्वीकृति (ईसी) दे देता है, तो संचालन के दौरान परियोजना स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण उपायों की प्रभावकारिता सुनिश्चित करने तथा ईसी के शर्तों के अनुपालन के लिए नियमित पर्यावरणिक मानिटरिंग अपेक्षित है।

वर्ष 2020–21 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड की 311 परियोजनाओं ईसीएल 16, बीसीसीएल 17, सीसीएल 72, डब्ल्यूसीएल 84 एसईसीएल 81, एनसीएल 13 तथा सीसीएल 28) परियोजनाओं/कलस्टरों/स्थापनाओं की पर्यावरणिक मानिटरिंग आसनसोल, धनबाद, नागपुर, बिलासपुर, भुवनेश्वर, कुसमुण्डा, हसदेव जयंत तथा राँची स्थित नौ पर्यावरणिक प्रयोगशाला के जरिए की गई।

सतत् समीपस्थ वायु गुणवत्ता मानिटरिंग स्टेशन (सीएसक्यूएमएस) की स्थापना सतत् आधार पर वायु प्रदूषक पारामीटर जैसे पीएम 10, पीएम 2.5 एनओएक्स एसओ 2 तथा सीओ का मानिटर करने तथा सेंट्रल सर्वर को डाटा भेजने के लिए सीएमसीएल की विभिन्न परियोजनाओं में ग्यारह सीएएक्यूएमएस की स्थापना की है।

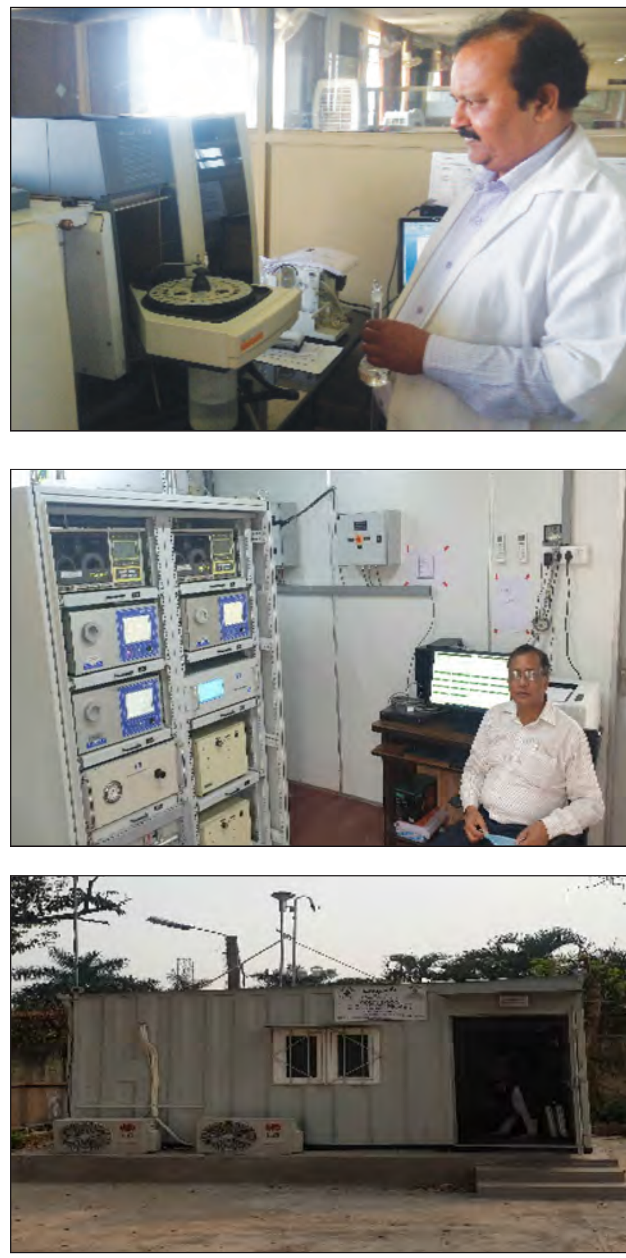

जूनों का विश्लेषण : सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय में स्थापित सीएएक्यूएमएस तथा पर्यावरण प्रयोगशाला का दृश्य

13.3 ईआईए परामर्शदाता संगठन के रूप में सीएमपीडीआईएल को मान्यता :

खुली खनन/भूमिगत खनन क्षेत्र, खनिजों के खनन, ताप विद्युत और कोयला वाशरी क्षेत्र, आफशोर एवं ऑन शोर तेल एवं गैस का गवेषण, कोल बेड मिथेन के ईआईए के लिए क्वालिटी कॉसिंल पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की नामित एजेंसी) द्वारा सीएमपीडीआईएल को ईआईए द्वारा मान्यता प्राप्त परामर्शदाता संगठन (एसीओ) के रूप में मान्यता दी गई है।

ईआईए एवं ईएमपी तैयार करने के लिए तथा चार क्षेत्रों तथा 12 कार्यकारी क्षेत्रों में 90 से अधिक अनुमोदित विशेषज्ञ (दक्ष) वाला सीएमपीडीआईएल भारत में सबसे बड़ा मान्यता प्राप्त परामर्शदाता संगठन (एसीओ) है।

13.4 सीएमपीडीआईएल के पर्यावरण प्रयोगशाला की मान्यता

सीएमपीडीआईएल (मु.), राँची, क्षेत्रीय संस्थान–1, आसनसोल, क्षेत्रीय संस्थान–4,नागपुर, क्षेत्रीय संस्थान–7, भुवनेश्वर के पर्यावरणिक प्रयोगशाला को आईएसओ/आईईसी 17025 :2017 एक्रिडिशन स्कीम के अनुसार प्रयोगशाला की जाँच एव अंशशोधन (अैस्टिंग एंड कैलिब्रेशन) के लिए नेशनल एक्रिडिशन बोर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की जा चुकी है। सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय के पर्यावरण प्रयोगशाला को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा भी मान्यता दी जा चुकी है।

13.5 कोयला परियोजनाओं के लिए ईटीपी/एसटीपी/एएमडी (आईडब्ल्यूएसएस) योजनाँ

इस वर्ष के दौरान चार योजनाएं/निविदाएं तैयार की गई, अर्थात् एनसीएल के काकरी ओसीपी के लिए एसटीपी और ईटीपी के संशोधन की योजना, एनसीएल के बीना ओसीपी के एसटीपी के संशोधन के लिए योजना और सीआरएस बरकाकाना के ईटीपी के लिए निविदा दस्तावेज तैयार करना।

13.6 त्वरित टिप्पणी : सीएमपीडीआईएल का कोयला मंत्रलय के लिए खनन योजना तथा खान बंदी योजना:

विवेच्य वर्ष के दौरान 15 खनन योजना एवं खान बंदी योजना की संवीक्षा कर टिप्पणी कोयला मंत्रालय को भेज दी गई।

13.7 कोयलाखान परियोजनाओं के लिए परियोजना रिपोर्टो का मूल्यांकन:

इस वर्ष कोयला खनन परियोजनाओं के लिए 32 परियोजना रिपोर्ट को पर्यावरण विभाग द्वारा मूल्यांकन किया जा चुका है।

13.8 थ्री टीयर वेब आधारित ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट पीयर वेटिंग सिस्टम का विकास:

ससीएमपीडीआईएल द्वारा तैयार की गई ईआईए/ईएमपी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पूर्णत/ कार्यकारी विशेषताओं के साथ थ्री टीयर वेब आधारित ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट पीयर वेटिंग सिस्टम का विकास कर कार्यान्वित कर दिया गया है।

13.9 विशेष अध्ययन तथा वि0 एवं प्रौ0 एवं अ0एवं वि0 अध्ययन:

- कोयला खनन के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने तथा सर्वोत्तम खान पर्यावरण प्रबंधन व्यवहार (चलन) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीएमपीडीआईएल भारत में कोयला क्षेत्र के लिए ग्रीन कोल स्ट्रेटेजी तैयार करने में कोयला मंत्रालय को सहायता कर रहा है
- यह कोयला क्षेत्र में पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता को बहाल रखने, खान जल का संरक्षण एवं उपयोग, खान पर्यटन, ओबी का उपयोग, सस्टेनेबुल माइन क्लोजर आदि जैसे सस्टेनेबुल डेवलपमेंट प्रैक्टिस की योजना बनाने तथा कार्यान्वित करने में कोयला मंत्रालय की सहायता कर रहा है

- कोल इंडिया लिमिटेड में सहायक कंपनियों कें द्वारा अपनाए गए सर्वोत्तम टिकाऊ (सस्टेनेबुल) व्यवहार पर ई–बुक खान जल के उपयोग पर स्थिति (स्टैटस) रिपोर्ट का मसौदा
- खनन जल की उपयोग का मसौदा स्टेटस रिपोर्ट
- ''कोल पीएसयू में पर्यावरणिक सस्टेनेब्लिटी वर्तमान स्थिति तथा एसडीसी के तहत आके का रास्ता'' के लिए कोयला मंत्रालय हेतु रिपोर्ट का मसौदा (वित्तीय वर्ष 2019–20)
- टीटीपीएस, एनटीपीसी से एमसीएल की जगन्नाथ खुलीखान परियोजना के क्वारी नं 4 एवं 7 तके फ्लाई ऐश के डिस्पोजल का अध्ययन।
- डब्ल्यूसीएल के पेंच क्षेत्र के गोन्रेगाँव खुली खान तथा एमसीएल के वसुधंरा (डब्ल्यू) विस्तारण के लिए रिवाइन इको सिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी का अध्ययन।
- मिनी स्मार्ट सिटी के रूप में एनसीएल के निगाही कॉलोनी के विकास हेतु डीपीआर की तैयारी के लिए रिपोर्ट का मसौदा।
- एनसीएल के लिए समेकित ठोस कचरा प्रबंधन (आईएसडब्ल्यूएम) पर रिपोर्ट का मसौदा।
- ''खुली खान में हाउल रोड डस्ट सप्रेसन के लिए जल की आवश्यकता'' पर तैयार आलेख का प्रकाशन किया जा रहा है।
- पर्यावरण विभाग ने फ्यूगेटिव डस्ट जेनरेशन एंड मुवमेंट को नियंत्रित करने के लिए विन्ड ब्रेक एवं वर्टिकल ग्रीनरी सिस्टम को सिन्क्रोनाइज करने के लिए संपूर्ण विनिर्देशन के साथ भारतीय पेटेंट आवेदन दिया है।

13.10 विश्व पर्यावरण दिवस समारोह :

सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय एवं इसके क्षेत्रीय संस्थानों में 5 जून, 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस दौरीन सीएमपीडीआईएलके कर्मियों के बीच पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए पर्यावरण झांडोत्तोलन, पर्यावरण शपथ ग्रहण तथा वृक्षारोपण जैसे कई कार्यक्रम चलाए गए।

विश्व पर्यावरण दिवस

14.0 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी :

धरेलू सहायता उपलब्ध कराने के अतिरिक्त सीएमपीडीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों को भी सहायता दे रहा है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान किए गए कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं :

1. पूरे कोल इंडिया लिमिटेड के लिए सीएमपीडीआईएल के आईसीटी विभाग द्वारा निम्नलिखित केंद्रीकृत साफ्टवेयर भी विकसित कर मेंटेन किया जाता है :

   क) संविदा श्रमिक सूचना कांट्रेक्ट लेबर इंफोर्मेशन पोर्टल के लिए पोर्टल का रख–रखाव–क्लिप : विभिनन अनुषंगी कंपनियों में कार्यरत संविदा को रजिस्टर करना।

   ख) वेब सक्षम ऑनलाइन पीएमएस (काय्र निष्पादन प्रबंधन प्रणाली) ई–7 तक के लिए अधिकारियों के लिए पीआरआईडीई तथा ई–7 से ऊपर के अधिकारियों के लिए पीएआर

   ग) कोल इंडिया लिमिटेड के सभी अधिकारियों के लिए मानव संसाधन सूचना प्रणाली (एचआरएमएस) का रख–रखाव।

   घ) कोल इंडिया तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों के लिए विजिलेंस क्लियरेंस सिस्टम/विजिलेंस मॉनीटरिंग सिस्टम का रख–रखाव।

   ड.) कोल इंडिया तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों के लिए ऑन लाइन वेब समर्थित वार्षिक प्रोपर्टी रिटर्न सिस्टम का रख–रखाव यह लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम के तहत इसे कर्मचारियों के लिए बढ़ाया जा रहा है।

   च) भूमिगत एवं खुली खान क्षमता मूल्यांकनः उपकरण आँकड़ा का सीमलेस प्रविष्टि हेतु अप्लीकेशन विकसित कर लगा दिया गया है।

   छ.) आनलाइन कोल ब्लॉक सूचना प्रणाली– कोल ब्लॉक माइन डाटा से संबंधित सूचना देने के लिए अप्लीकेशन विकसित किया गया है।

   ज) सुरक्षा क्लियरेंस (एससी) और विभागीय क्लियरेंस (डीसी) पोर्टल विकसित कर इसे कार्यान्वित कर दिया गया है।

   झ) खान आँकड़ा प्रबंधन प्रणाली पोर्टल (एमडीएमएस) का रख–रखाव। यह कोल इंडिया द्वारा मॉनीटर किए जा रहे परियोजनाओं के प्रमुख विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। इस पोर्टल की प्रमुख विशेषता कोयला परियोजनओं की प्रगति का मॉनीटर करना है, जिसमें पर्यावरण क्लियरेंसी (ईसी), वन क्लियरेंस (एफसी), भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनः स्थापना (आरएंडआर), वित्तीय पारा मीटर, एचईएमएम की प्राप्ति उत्पादन एवं अन्य प्रमुख आधारभूत संरचना जैसे कोल हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी), सिलो एवं रेलवे साइडिंग।

   ञ) कोयला मंत्रालय के लिए एक कोल डेशबोर्ड का कार्यान्वयन किया गया है, जो भारतीय क्येयले और लिग्नाइट के बारे में सूचना देता है।

2) सीएमपीडीआईएल को पूरे कोल इंडिया लिमिटेड के लिए ई–ऑफिस के कार्यान्वयन कार्य भी सौंपा गया है। सेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रकचर और एमपीएलएस कनेक्टीविटि की स्थापना सभी अनुषंगी कंपनियों, मुख्यालय स्थलों और कोल इंडिया में की गई है। ई–ऑफिस सभी स्थानों में कार्य कर रहा है।

3) सीएमपीडीआईएल अपने मुख्यालय और क्षेत्रीय संस्थानों के लिए कोलनेट सिस्टम का पर्सनल मॉडयूल और पे–रोल, वित्तीय लेखा का रख–रखाव कर रहा है।

4) सीएमपीडीआईएल फाइबर आप्टीक बैक बोन सहित लोकल एरिया नेटवर्क के रख–रखाव का कार्य कर रहा है। सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय के साथ

सभी क्षेत्रीय संस्थान एमपीएलएस वीपीएन सर्किट के जरिए जुड़े हुए हैं। सीएमपीडीआईएल 500 एमबीपीएस बीसएनएल के जरिए समर्पित इंटरनेट लीज और 30 एमवीपीएस सकेंडरी आईएलएल रेलटेल के जरिए जुड़ा हुआ है।

5) एमडीएमएस पोर्टल के तहत सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल (एसडीसी) :

कोल इंडिया एवं अनुषंगी कंपनियों के संपूर्ण निम्नलिखित क्रिया–कलापों और एसडीसी योजनाओं के सृजन के लिए एमडीएमएस पोर्टल के तहत इंटरफेस का विकास किया गया है :

- वायु गुणवत्ता प्रबंधन
- खान टूरिज्म
- रीन्यूएवल इनर्जी
- कोयला क्षेत्र में बेहतर क्रिया विधि के कार्यान्वयन और पारिस्थितिकी तथा जैविकीय स्थिति का पुनःस्थापन

6. ईसी/एफसी वेटिंग पर परिवेश पोर्टल के लिए एक क्लोन : परियोजनाओं से संबंधित पियर्स (सीएमपीडीआईएल का क्षेत्रीय संस्थान), सीआईएल एवं संबंधित अनुषंगी कंपनियों द्वारा जांच के लिए फार्म 1,2,3,4,5 और ईआईए/ईएमपी से संबंधित एक पोर्टल बनाया गया है। जाँच को अंतिम रूप देने के पश्चात् और पर्यावरण, वन एवं क्लाइमेट चेंज (एमओईएफसीसी) के परिवेश पोर्टल में टप्पिणियों के आधार पर संशोधित फार्म अपलोड किए जा रहे हैं।

7. सीएमपीडीआईएल (मु) में सर्वर बदलने का कार्य पूरा किया जा चुका है और इसे जुलाई, 2020 में चालू भी कर दिया गया है। एक डिजास्टर रीकवरी सेंटर (डीआरसी) नागपुर में स्थापित किया गया है।

8. कोल इंडिया प्रोजेक्ट सर्वर को स्थापित कर चालू कर दिया गया है।

9. एंडप्वाईंट सिक्युरिटि सॉफ्टवेयर को स्थापित कर अक्टूबर, 2020 से चालू कर दिया गया है।

15.0 सूचना प्रबंधन प्रणाली :

वर्ष 2020-21 के दौरान जो महत्वपूर्ण क्रिया-कलाप/कार्य किए गए वे इस प्रकार हैः

15.1 त्रैमासिक पत्रिका ''माइनटेक'' एवं ''गोंदवाना भारती'' का प्रकाशन :

''माइनटेक'' एवं ''गोंदवाना भारती'' का तिमाही प्रकाशन इस वर्ष के दौरान उपर्युक्त पत्रिकाओं के प्रत्येक के चार–चार अंक प्रकाशित कि गए।

15.2 पत्रिका का प्रेषण :

आंतरिक वितरण के अलावा वर्ष 2020–21 के दौरान कोयला मंत्राल, कोल इंडिया लिमिटैड एवं इसकी सहायक कंपनियों (मुख्यालय, क्षेत्रीय एवं कोलियरी इकाई), विभिन्न संस्थानों तथा अन्य क्ष्याति प्राप्त संस्थानों को दोनों पत्रिकाओं की लगभग 12000 प्रतियाँ प्रेषित की गईं।

15.3 पुस्तक का प्रकाशन :

वर्ष 2020–21 के दौरान निम्नलिखित पुस्तक का प्रकाशन किया गया :

1. सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 के अवसर पर ''कंपेडियम आफ सीवीसी सीआईएल/एमओसी/डीओपीटी सीएमपीडीआईएल सर्कुलर्स एंड गाइडलाइन का ई–बुक''

15.4 पुस्तक की बिक्री

कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों एवं बाहरी पार्टियों को उनके द्वारा यथा अपेक्षित तकनीकी पुस्तकों एवं हमारे द्वारा प्रकाशित पत्रिका ''माइनटेक'' की बिक्री की गई।

15.5 सोशल मीडिया कार्य-कलाप :

विभागाध्यक्ष (आईएमएस) को सीएमपीडीआईएल के सोसल मीडिया के नोडल अधिकारी भी मनोनित किया गया है। सीएमपीडीआईएल का अपना आफिसियल पेज तथा ट्विटर हैंडल है और इस पर सीएमपीडीआईएल, कोल इंडिया लिमिटेड तथा कोयला मंत्रालय के क्रिया–कलाप

का नियमित अपलोड किया जा रहा है। आंतरिक क्रिया–कलाप के अलावा भारत सरकार, कोयला मंत्रालय की महत्वपूर्ण सूचना/उपलब्धि को भी शेयर किया जाता है। सोसल मीडिया के कार्य्रों को माननीय कोयला एवं खान मंत्री, भारत सरकार के कार्यालय से मॉनिटर किया जा रहा है।

15.6 विशेष उपलब्धिः

1. कोविड महामारी के कारण कार्यों पर पड़ने वाले विपरित प्रभाव के बावजूद दोनों पत्रिकाओं का नियमित मुद्रण एवं वितरण जारी रहा।
2. हमारे घरेलू तकनीकी पत्रिका माइनटेक के दो विशेष अंक शनि पहला प्रकाशित 'एसएंडटी' तथा दूसरा 'ब्लास्टिंग' प्रकाशन की प्रक्रिया में है।
3. लगातार मानिटरिंग तथा अनुसरण के कारण फेसबुक तथा ट्विटर पर अनुयायियों की संख्या 6000 को पार गई है

16.0 सतर्कता

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान सतर्कता गतिविधियाँ तथा उपलब्धियों का विवरण नीचे दिया गया है।

16.1 सतर्कता जागरूकता सप्ताह :

ससेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड, राची (कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी) इसके मुख्यालय, रांची और सभी सातों क्षेत्रीय संस्थानों में दिनांक : 27 अक्टूबर से 2 नवम्बर 2020 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

27.10.2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय, रांची में श्री सुमित कुमार सिन्हा, सीवीओ, सीएमपीडीआईएल ने शपथ ग्रहण समारोह में अधिकारियों का स्वागत किया और सतर्कता जागरूकता सप्ताह के बारे में बतलाया। उन्होंने अधिकारियों से पारीवारिक सदस्यों के साथ–साथ ई–शपथ लेने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री शेखर सरन, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, सीएमपीडीआईएल ने सभी अधिकारियों को शपथ दिलवाई। सीएमपीडीआईएल के सभी सातों निदेशकों द्वारा शपथ दिलवाई गई।

सीएमपीडीआईएल में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए तथा विद्यालयों के लिए आउटरीय कार्यक्रम के दौरान कोविड 19 प्रोटोकोल का ध्यान रखा किया।

क) राँची और आसपास के विद्यालयों के वर्ग आठवीं से बारहवीं तक के छात्रों के लिए ऑन लाइन क्विज प्रतियोगिता और ऑनलाइन पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित किया गया। विद्यालयों में आयोजित सभी इवेंट में नकद पुरस्कार और उपलब्धि प्रमाण पत्र शीर्ष तीन प्रतिभागियों क्रो दिया गया। विद्यालय के सभी प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण पत्र और टी–शर्ट उनके प्रोत्साहित करने के लिए दिया गया।

ख) सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 और इसके थीम ''सतर्क भारत–समृद्ध भारत (विजिलेंटया–प्रोस्पेरस इंडिया) ''के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया का भी उपयोग किया गया। प्रतिदिन के आधार पर क्रिया–कलापों को सोशल मीडिया पर दिया गया। एकता ई–शपथ लेने के लिए कर्मचारियों, पारिवारीक सदस्यों एवं अन्य स्टेक होल्डरों की सहायता के लिए सीएमपीडीआईएल के वेब साइट पर एकता शपथ लेने के लिए सीवीसी के वेब साइट पर हाइपर लिंक उपलब्ध कराया गया। जागरूकता सप्ताह के बारे में आमजनों को बल्क में एसएमएस भी भेजा गया। सीएमपीडीआईएल के स्टेक होल्डर्स के साथ–साथ आमजन को बताने के लिए न्यूज पेपर, ट्विटर, फेसबुक और वाट्सअप पर भी प्रति दिन प्रेस ब्रिफ किया गया। आमजन मानस तक पहुँच बनाने के लिए विजिलेंस अवेयर कैपेन में एफएम रेडियो को भी सहारा

लिया गया। परिसर के भीतर तथा विभिन्न स्थानों में बैनर भी लगाया गया था।

ग) विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में छात्र समुदाय के बीच सतर्कता जागरूकता के लिए पूरे सभी सातों क्षेत्रीय संस्थानों द्वारा भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए।

घ) वीएंडब्ल्यू, 2020 के समापन सत्र में सतर्कता विभाग सीएमपीडीआईएल द्वारा गेस्ट लेक्चर का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री एल.एन.मिश्रा, सेवा–निवृत्त निदेशक (कार्मिक), महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा ''विजिलेंट इंडिया, प्रोस्पेरिअस इंडिया'' विषय पर वक्तव्य दिया गया।

ङ.) समापन सत्र के अंत में, तर्कता विभाग द्वारा सीवीसी, सीआईएल और सीएमपीडीआईएल द्वारा संकलित परिपत्रों/ दिशा–निर्देशों/एसओपी आदि के कम्पेंडियम पर एक ई–बुक सीएमडी, सीएमपीडीआईएल द्वारा जारी की गई।

16.2 निवारक सतर्कता :

क) सीएमपीडीआईएल का सतर्कता विभाग कंपनी के प्रकृयात्मक कमी तथा वित्तीय हानि (नुकसान) को रोकने के लिए संविदात्मक कार्य/सामग्री प्राप्ति के क्षेत्र में सुरक्षात्मक उपाए करने के प्रति सदा अग्रसर रहा है। भ्रष्टाचार पर नजर रखने के लिए इस विभाग द्वारा किए गए औचक निरीक्षण/अन्वेषण के आधार पर सुरक्षात्मक उपाए का सुझाव दिया जाता है।

ख) आपके साथ यह साझा करते हुए हार्दिक खुशी हो रही है कि दिनांक : 18.01.2021 को सीएमपीडीआईएल को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (बीआईएस) ने सूचित किया है कि आईएस/आईएसओ 37001:2016 के अनुसार सीएमपीडीआईएल को एंटी–ब्राइबेरी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन लाइसेंस प्रदान किया गया है।

दिए गए लाइसेंस के लिए कार्यों की संख्या ईआरओ/एबीएमएस/एल–5000019 है, जो 18.01.2021 से 17.01. 2024 तक आपरेटिव किया गया है।

सीएमपीडीआईएल मुख्यालय, राँची के सम्बद्ध सभी प्रयोगशालाओं सहित अन्य बिजनेस प्रोसेस तथा कर्मचारियों के लिए आंतरिक सहायता सेवाओं, मानव संसाधन प्रशिक्षण का प्रावधान, खनिज गवेषण, खान आयोजन एवं अभिकल्पन पर्यावरण प्रबंधन, प्रबंधन प्रणाली, सम्बद्ध इंजीनियरिंग से संबंधित सभी क्रिया–कलापों के लिए ब्राइबेरी के संरक्षण, पहचार और प्रत्युत्तर हेतु सीएमपीडीआईएल को तथा कथित प्रमाण पत्र का लाइसेंस दिया गया है।

ग) सतर्कता जाँच में आउटकम के अनुसार समय समय पर सुझाए गए सुझावों पर सिस्टम इम्प्रूवमेंट मेजर्स से संबंधित कदम उठाए जाते हैं। कंट्रेक्टर के भुगतान, नक्शा का वेरिफिकेशन के साथ–साथ बुक बैलेंस, चिकित्सा दावों की जाँच, निविदा फाइलों की जाँच आदि जैसे विभिनन पहलूओं पर मुख्यालय और इसके क्षेत्रीय संस्थानों में औचक निरीक्षण किया जाता है।

घ) संवेदकों को भुगतान, नकद की तुलना में बुक बैलेंस की जाँच, तृतीय भाग की ओबी मेजरमेंट रिपोर्ट सौंपने में लिया गया समय, चिकित्सीय दावों की जाँच, निविदा फाइलों की संवीक्षा आदि जैसे अनेक पहलूओं पर सीएमपीडीआईएल के विभिन क्षेत्रीय संस्थानों का औचक निरीक्षण किया गया।

16.3 सतर्कता कार्यकलापों का चित्र द्वारा प्रदर्शन

वीएडब्ल्यू, 2020 के दौरान सीएमडी, सीएमपीडीआईएल द्वारा शपथ दिलवाते हुए।

17.0 जियोमिटिक्स :

सीएमपीडीआईएल का जिओमेटिक्स विभाग सुदूर संवेदन तथा सर्वेक्षण के क्षेत्र में सेवा देता है। इसके प्रमुख कार्यों में भूमि पुनरूद्धार मॉनिटरिंग, ओबी माप, भू–आच्छादन मैपिंग, भू–उपयोग/भूअच्छादन मैपिंग, सेटेलमेंट मैपिंग कोयला खान की आग की मैपिंग, डीजीपीएस सर्वेक्षण, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, भूमिगत सह–संबंध सर्वेक्षण आदि शामिल है।

17.1 भूमि पुनरूद्धार मॉनीटरिंग :

ससीएमपीडीआईएल हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट डाटा पर आधारित कोल इंडिया लिमिटेड की खानों में नियमित भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग का कार्य करता रहा है। वर्ष 2020–21 में इसने कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों में 5 एमसीएम (कोयला+ओबी) प्रति वर्ष से अधिक उत्पादन करने वाली 51 खुली खानल परियोजनाओं 5 एमसीएम (कोयला+ओबी) प्रति वर्ष से कम उत्पादन करने वाली 5 भूमिगत खानों, 46 खुली खनन परियोजना, 9 कलस्टर को मिलाकर कुल 111 परियोजनाओं का भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है।

17.2 वनस्पति आच्छादन मैपिंग:

कोलफील्ड क्षेत्रों में खनन के कारण भू–उपयोग/वनस्पति अच्छादन पर पड़ने वाले प्रभाव के मूल्यांकन के लिए हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट डाटा पर आधारित सीआईएल कोलफील्ड्स का वनस्पति आच्छादन मापन किया गया। वर्ष 2020–21 के दौरान सात कोलफील्डों यानि उमरेर एवं पंच कन्हान कोलफील्ड्स (डब्ल्यूसीएल), ईब घाटी कोयला क्षेत्र (एमसीएल), मान्दरायगढ तथा सोहागपुर कोलफील्ड्स (एसईसीएल) का वनस्पति आच्छान मापन काकार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।

17.3 भू–उपयोग/आच्छादन मैपिंग :

वर्ष 2020–21 के दौरान 31 खुली खान परियोजनाओं में उपग्रह आंकड़े के आधार पर कोर जोन एवं बफर जोन का भू–उपयोग/भू–आच्छादन मापन का कार्य पूरा कर लिया गया। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा सीसी अनुपालन के लिए वर्ष 2020–21 के दौरान एसईसीएल की 8 भूमिगत परियोजनाओं के पट्टेवाले क्षेत्र में भू–उपयोग/आच्छान मापन का कार्य भी पूरा कर लिया गया। इसके अतिरिक्त, मेसर्स टाटा स्टील की बेस्ट बोकारो कोलियरी के कोर एवं बफर जोन में भू–उपयोग/भू–आच्छान मापन का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया।

17.4 सेटलमेंट मैपिंग:

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की कनिहा तथा हिंगुला खुली खनन विस्तारण क्षेत्र में हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट डाटा इमेजरी का प्रयोग

कर अनाधिकृत संरचनाओं की सफलतापूर्वक पता लगा लिया गया है।

17.5 ड्रोन (यूएबी) की खरीदः

नई प्रौद्योगिकी अपनाने में सीएमपीडीआईएल ने सर्वेक्षण तथा मापन (मैपिंग) कार्य के लिए ड्रोन प्राप्त कर लिया है। पहले ड्रोन की आपूर्ति दिसम्बर, 2020 में कर दी गई है जो आधुनिकतम (स्टेट–ऑफ–आर्ट) लिडार आप्टिकल तथा थर्मल सेंसर से सुसज्जित है। दूसरे ड्रोन की भी मार्च, 2021 के अंतिम सप्ताह में आपूर्ति कर दी गई। भारत में ड्रोन को उड़ाने/परिचालन के लिए नागर विमानन (नागरिक उड्डयन) मंत्रालय से अनुमति लेनी पड़ती है। सीएमपीडीआईएल को कोल इंडिया लिमिटेड के कोलफील्ड क्षेत्रों में ड्रोन परिचालन के लिए सशर्त छूट मिली है।

कोयला उद्योग में ड्रोन के प्रयोग को तेज करने के लिए सीएमपीडीआईएल कोयला उद्योग में विभिन्न अनुप्रयोगों में अपनी दक्षता स्थापित करने के लिए ड्रोन सर्विस प्रोवाइडर को हायर करने की कार्यवाई कर चुका है। मार्च, 2021 में एनसीएल के लिए खुली निविदा के मुकाबले पहला कार्य दे दिया गया है। अन्य अनुषंगी कंपनियों के लिए निविदा जद ही जारी की जाएगी।

17.6 सेटलमेंट मैपिंगः

जिओमैटिक विभाग ने मेसर्स इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड के लिए उधमपुर श्रीनगर–बारामुला रेल लिंक (यूएसबीआरएल) परियोजना के कटरा–बनिहाल रेल खंड के चार सुरंगों में 18 जगहों पर जायरो–एजिमुथ निर्धारण हेतु जायरो स्कोपिक सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह जम्मू एवं कश्मीर में भारत सरकार की प्रतिष्ठित परियोजना है। यह सर्वेक्षण जनवरी, 2021 में सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया।

17.7 ओबीआर/अबोबी+कोयले की मापः

कोल इंडिया लिमिटैड के 196 संविदात्मक पैचों तथा 22 विभागीय खानों में सर्वेक्षण कर लिया गया। एनटीपीसी के पकरी बरवाडीह, दुलंगा तथा तलाइपल्ली कोयला खनन परियोजना में ओजीएल तथा उत्खनन माप का कार्य कर लिया गया।

17.8 डीजीपीएस सर्वेक्षणः

निवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड (एनयूपीपीएल) के पछवारा साउथ कोल लॉक के लिए राजस्व अभिलेख के अनुसार प्लान तैयार करने हेतु डीजीपीएस सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया। मेसर्स टीएचडीसी की अमेलिया कोलया खान, सिंगरौली के कोयला निकासी कोरिडोर तथा रेलवे साइडिंग के एलाइनमेंट/ले आउट के साथ में कैडस्ट्रल मैप के सुपर इम्पोजिशन के लिए परामर्श सेवाएँ दी गई। 12 (बारह) परियोजनओं की वन स्वीकृति के लिए शेप एवं के एमएल फाईल तैयार कर ली गई।

18.0 खनन इलेक्ट्रॉनिक्स :

सीएमपीडीआईएल संचार नेटवर्क की स्थापना के लिए संभाव्यता रिपोर्अ, विस्तृत डिजाइन रिपोर्ट और निविदा दसतावेज तैयार करने, भूमिगत तथा खुली खानों के लिए पर्यावरणिक पारामीटर की टेलिमॉनिटरिंग में अपनी सेवाएँ दे रहा है। यह सुरक्षा के उद्देश्य से भूमिगत खानों में प्रयुक्त मिथेन गैस डिटेक्टर की रिपेयरिंग एवं कैलिब्रेशन तथा आयातित/स्वदेशी एचईएमएम कार्डों की मरम्मति में सेदाएँ दे रहा है। इस विभाग ने खुली खान तथा भूमिगत खानों के लिए आरएंडडी/एसएंडटी का कार्य किया है। विवेच्य वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्य किए गएः

18.1 अनुसंधान एवं विकास/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाएँः

1. **कोयला मंत्रालय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना**– ''खुली खानों के लिए ऑनलाइन डस्ट संप्रेषण सिस्टम'' अशोक खुली खान, सीसीएल–5 बेस यूनिट तथा 1 प्रो.यूनिट के साथ क्षेत्र परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया।
2. **कोयला मंत्रालय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना** – ''खुली खदानों में विफलता/ढ़ाल अस्थिरता का पूर्वानुमान करने के लिए अर्ली

रडार वार्निंग सिस्टम का स्वदेशी विकास''– प्रयोगशाला परीक्षण पूर्ण।

3. **कोल इंडिया लिमिटेड अनुसंधान एवं विकास परियोजना** – ''भूमिगत खानों के लिए थ्रू दि अर्थ (टीटीई) टू–वे कॉम्यूनिकेशन सिस्टम का स्वदेशी विकास'' रीसिवर पार्ट का क्षेत्र परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया।

18.2 पीएंडडी/एनआईटी/अन्य कार्यः

1. कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों में मिनी स्मार्ट सिटी/कॉलोनी के विकास के लिए डीपीआर की तैयारी।
2. कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियों तथा बाहरी एजेंसियों की परियोजना रिपोर्ट में शामिल करने हेतु 27 भूमिगत और खुली खनन परियोजनाओं के लिए इलेक्ट्रानिक एवं टेलि कम्यूनिकेशन पर चैप्टर पूरा कर लिया गया है।

18.3 इलेक्ट्रानिक कार्डों/गैस मानिटरों की मरम्मति/अंशशोधन (कैलब्रेशन)/जाँचः

1. इलेक्ट्रानिक एचईएमएम कंट्रोल कार्डों की मरम्मत– 66

19.0 कोल कैरेक्टराइजेशन तथा प्रयोगशाला :

सीएमपीडीआईएल कैमिकल तथा पेट्रोग्राफी प्रयोगशाला को शामिल करता है। कैमिकल तथा पेट्रोग्राफी लैब कोयले के प्रणालीबद्ध विस्तृतगुण –निर्धारण में लगा हुआ है तथा इसे भूवैज्ञानिक रिपोर्ट में शामिलकरने के लिए रूटीन के आधार पर गवेषण स्टेज में कोयला का प्रणालीबद्ध गुण–निर्धारण किया जा रहा है। क्लीन कोयलागुणों का पता लगाने के लिए कच्चा एवं क्लीन कोयला नमूनों (वाशरी उत्पाद) का प्रणालीबद्ध गुण–निर्धारण किया जा रहा है। सीबीएम के आंकलनके लिए कोयला नमूनों का गुण–निर्धारण किया जा रहा है।

केमिकल लैब प्रोक्सीमेट विश्लेषण, अल्टीमेट विश्लेषण, तथा ग्रॉस कैलोरिफिक मूल्य निर्धारण जैसै परीक्षण कर रहा है। कोकिंग कोयला विशेषजाँच के लिए फ्री स्वेलिंग इन्डेक्स, एलटीजीके कोल टाइप तथा प्लास्टोमिट्रिक जाँच किया जाता है। गैर–कोकिंग कोयला के लिए ऐश फ्यूजन तापमानरेंज निर्धारण,एचजीआई परीक्षण भी किया जाता है।

केमिकल लैबकोयला/कोक/लिग्नाइट के प्रोक्सीमेट विश्लेषण के लिए थर्मोग्रेविमेट्रिक्स एनलाइजर,कोयला और लिग्नाइट के ग्रास कैलोरिफिक मूल्य का निर्धारण करने के लिए स्वचालित बोम्ब कैलोरीमीटरकार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा सल्फरके निर्धारणके लिए सीएचएनएस एपरेटस, कोयले केऐश फ्यूजन तापमान रेंज (आईडीटी, एसटी, एचटी तथा एफटी) के लिए एएफटीआर उपकरण, कोयले के प्लास्टीसिटी का निर्धारण के लिए प्लास्टोमीटर और मैनुअल परीक्षण तथा विशेष परीक्षण करने के लिए अन्य उपकरण।

पेट्रोग्राफी लैब मेसरल कम्पोजिशन का निर्धारण, रेण्डम रेफ्लेक्टेंस (आरओआर प्रतिशत) तथा मीन अधिकतम रेफ्लेक्टेंस प्रतिशत (एमएमआर प्रतिशत) जैसे पेट्रोग्रेफिक विश्लेषण कर रहा है।यह अध्ययन कोयले के नमूनों के कोयला रैंक तथा कोयला के प्रकार के निर्धारण के लिए किया जाता है। यह अध्ययन हाइड्रोकार्बन, ऑयल शेल्स, कोल बेड मिथेन, शेल गैस के निर्धारण के लिए सतही रॉक मूल्यांकन हेतु उपयोगी होता है। सीबीएम के मूल्यांकन के लिए मेगा क्लीट तथा माइक्रो क्लीट अध्ययन भी इस लैब में किया जाता है।

पेट्रोग्राफी लैब माइक्रो क्लीट अध्ययन के लिए इनजी डिसप्रेसिव स्पेक्टो मीटर के साथ स्केनिंग इलेक्ट्रोन माइक्रो स्कोप, रिफ्लेक्टेंस मेजरमेंट, तथा मेसरल विश्लेषण के लिए फोटो मीटर रोटेटमेंट के साथ एडवान्स्ड पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप जैसे स्टेट–ऑफ–आर्ट उपकरण से सुसज्जित है। इसके पास पेट्रोग्राफिक अध्ययन तथा क्लीट अध्ययन के लिए कोयला पिलर्स की तैयारी हेतु ग्रिडिंग तथा पालिर्शिंग मशीन, एग्रेसिव कटिंग मशीन तथा हॉट माउन्टिंग प्रैस भी है।ः

विशेष उपलब्धियाँ

क. खरीदः

सीएमपीडीआईएल ने निम्नलिखित उपकरण खरीदे हैं:

- 'वेवलेंथ डिस्पर्सिव एक्स–रे फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर – ऐश विश्लेषण के लिए।
- 'पारा विश्लेषक : ठोस और तरल नमूनों में पारा विश्लेषण के लिए।
- 'पूरी तरह से स्वचालित जॉ क्रशर और पल्वराइज़र : प्रभावी और प्रदूषण मुक्त कोयला नमूना तैयार करने के लिए।
- 'स्वचालित पॉलिशिंग मशीन : पेट्रोग्राफी नमूनों की पॉलिशिंग के लिए।

ख. कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं:

- 'कोल कैरेक्टराइजेशन डिवीजन ने नमूना तैयार करने में स्वचालन शुरू करके और अत्याधुनिक तकनीक वाले विश्लेषणात्मक उपकरणों को जोड़कर कोयला कोर विश्लेषण की क्षमता में वृद्धि पर एक परियोजना शुरू की है। मौजूदा और वृद्धिशील आधार पर लैब 24000 मी. कोयला कोर और लगभग 85000 नमूने प्रति वर्ष संसाधित करेगी।
- 'एक विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी परियोजना जिसका शीर्षक 'भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) कोलफील्ड से कोयला और गैर–कोयला स्ट्रेटा में रेयर अर्थ एलिमेंटल्स (आरईई) और अन्य आर्थिक संसाधनों का विशलेषण तथा एसिड माइन ड्रेनेज (एएमडी) की विशेषता और इसका प्रदूषण नियंत्रण' है, यह परियोजना पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ और ड्यूक विश्वविद्यालय, डरहम, यूएसए के सहयोग से शुरू की गई है।

20.0 सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों के लिए प्रबंधन प्रणाली परामर्शः

इन वर्षों में, सीएमपीडीआईएल ने विभिन्न प्रबंधन प्रणालियों के कार्यान्वयन के लिए परामर्श सेवा के क्षेत्र में अपनी क्षमताओं का विस्तार किया है, जैसे आईएसओ 9001 – गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, आईएसओ 14001 – पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली, ओएचएसएएस 18001/आईएसओ 45001–व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली, आईएसओ/आईईसी 27001 – सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली, आईएसओ 50001–ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली, एसए 8000 – सामाजिक जवाबदेही, आईएसओ 17025 – परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं की क्षमता के लिए आवश्यकताएं और आईएसओ 37001 – रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली।

सीएमपीडीआईएल व्यक्तिगत प्रबंधन प्रणाली या एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) के डिजाइन और कार्यान्वयन के माध्यम से विभिन्न प्रबंधन प्रणाली मानकों की आवश्यकताओं के साथ–साथ अनुरूपता प्रदान करता है, प्रबंधन प्रणालियों के निर्माण और प्रलेखन की सुविधा प्रदान करता है, प्रशिक्षण प्रदान करता है, प्रारंभिक कार्यान्वयन, और समर्थन/ प्रमाणन के दौरान मार्गदर्शन और प्रमाणन के बाद की अवधि, आदि।

आज की तारीख में, हमारी तीन सहायक कंपनियों एनसीएल, ईसीएल और सीसीएल के पास आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ 45001:2018/ ओएचएसएएस 18001:2007 की आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुए अपनी कंपनीव्यापी एकीकृत प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणन है। इन तीन (03) मानकों के खिलाफ डब्ल्यूसीएल की कुल पैतालीस (45) इकाइयां भी प्रमाणित हैं। बीसीसीएल और एमसीएल भी कंपनीव्यापी एकीकृत प्रबंधन प्रणाली की स्थापना की प्रक्रिया में हैं।

सीएमपीडीआईएल (मुख्यालय) अपने सभी सात क्षेत्रीय संस्थानों के साथ आईएसओ 9001:2015 मानक के लिए प्रमाणित है। सीआईएल मुख्यालय आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ 50001:2011 से प्रमाणित है।

वर्ष 2020-21 के दौरान :

एक सलाहकार के रूप में, हम आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ 45001:2018 के लिए ईसीएल और एनसीएल के कंपनीव्यापी प्रमाणीकरण की उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। सभी आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन, की सफल स्थापना और कार्यान्वयन के लिए प्रदान किए गए थे। सिस्टम और बाद में उपरोक्त मानकों के लिए प्रमाणन प्राप्त करना।

वर्ष के दौरान, सीएमपीडीआईएल ने बाहरी प्रमाणन निकाय द्वारा आयोजित प्रमाणन लेखापरीक्षा के समय ईसीएल को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान किया। सीएमपीडीआईएल ने आईएसओ 45001:2018 की आवश्यकताओं के अनुसार ईसीएल, बीसीसीएल, सीसीएल, डब्ल्यूसीएल, एनसीएल और एमसीएल के मौजूदा आईएमएस मैनुअल को भी अपग्रेड किया है। सीएमपीडीआईएल ने सीआईएल (मुख्यालय), ईसीएल, बीसीसीएल और एनसीएल के लिए जागरूकता प्रशिक्षण और आंतरिक लेखा परीक्षक कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित किया, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के नवीनतम संस्करण में संक्रमण के लिए भी आवश्यक है।

आईएसओ 37001:2016 की आवश्यकताओं को शामिल करते हुए सीएमपीडीआईएल (मुख्यालय) के लिए रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन और इस मानक के खिलाफ प्रमाणीकरण प्राप्त करने का कार्य भी किया जाता है। सीएमपीडीआईएल इस मानक के खिलाफ प्रमाणन हासिल करने वाली सीआईएल की पहली इकाई बन गई है।

मानकों के बारे में सामान्य जागरूकता और आंतरिक लेखा परीक्षा कौशल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाइन और साथ ही सीआईएल सहायक कंपनियों और एनटीपीसी के लिए साइट पर आयोजित किए गए थे।

सीएमपीडीआईएल ने आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ 45001:2018 के तहत इस खदान की स्थापना, कार्यान्वयन और प्रमाणन के लिए परामर्श सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एनटीपीसी, हजारीबाग की पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजनाओं से प्राप्त कार्य भी पूरा किया है।

सीआईएल मुख्यालय को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से क्रमशः गुणवत्ता प्रबंधन, पर्यावरण प्रबंधन और ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ 50001:2011 के खिलाफ प्रमाणित किया गया है।

वर्ष 2021-22 के लिए योजनाएं :

सीएमपीडीआईएल मुख्यालयः – आईएसओ 14001:2015, आईएसओ 50001:2018, और आईएसओ 27001:20 13 के साथ आईएसओ 9001:2015 और आईएसओ 37001:2016 मानकों का कार्यान्वयन प्रगति पर है। सभी में आईएसओ 37001:2016 के लिए प्रमाणन के दायरे में वृद्धि इस अवधि के दौरान क्षेत्रीय संस्थान (चरण—वार में) अपेक्षित हैं।।

सीआईएल की सहायक कंपनियों और अन्य ग्राहकों के लिए प्रबंधन प्रणाली परामर्शः

ओएचएसएएस 18001 के स्थान पर आईएसओ 45001 को शामिल करके ईसीएल और एनसीएल में संशोधित मानकों के अनुसार एकीकृत प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन और प्रमाणन पूरा हो गया है। सभी सहायक कंपनियों और सीआईएल (मुख्यालय) को उनके संक्रमण/निगरानी लेखा परीक्षा सहित उनके अद्यतन सिस्टम दस्तावेजों के कार्यान्वयन में सहायता और मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।

आंतरिक लेखा परीक्षा कौशल पर मानकों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में सामान्य जागरूकता एसटीसी सीएमपीडीआईएल और आईआईसीएम में सीआईएल मुख्यालय और इसकी सभी सहायक कंपनियों के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार आयोजित और संचालित की जाएगी।

सीएमपीडीआईएल ने आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ 45001:2018 के तहत इस खदान की स्थापना, कार्यान्वयन और प्रमाणन के लिए परामर्श सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के

लिए एनटीपीसी, छत्तीसगढ़ की तलाईपल्ली कोयला खनन परियोजनाओं से भी नौकरियां हासिल की हैं। यह बाह्य परामर्श कार्य वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान पूरा होने की उम्मीद है।

इसके अतिरिक्त मौजूदा वर्ष के दौरान सीआइएल और उसकी सहायक कंपनियों को सीएमपीडीआईएल अपने घरेलू सहायता के साथ निम्नलिखित सेवाओं को सफलतापूर्वक प्रदान कर रहा है :–

21.0 सामग्री प्रबंधन

वर्ष 2020-21 के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों के मुख्य बिन्दु इस प्रकार है:

1. आपूर्ति आदेशः

क्र.सं.	विवरण	2019-20 (करोड़ रू. में)	2020-21 (करोड़ रू. में)
1.	कुल उपलब्धि मूल्य	64.82	34.45
2.	एमएसई से प्राप्त कुल उपलब्धि	29.77	17.31
3.	एमएसई से प्राप्त उपलब्धि का प्रतिशत	45.92%	50.25%

- वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष के लिए सीएमपीडीआईएल की लक्षित उपलब्धि 30 करोड़ रू. की अपेक्षा वर्ष 2020–21 में उपलब्धि मूल्य 15ः अधिक है।
- एमएसई से प्राप्त उपलब्धि का प्रतिशत भारत सरकार के द्वारा अधिदेशिक लक्ष्य 25ःसे ऊपर है।।

2. जीआईएमः

विवरण	2019-20	2020-21	टिप्पणियाँ
आपूर्ति आदेश का वैल्यू (मूल्य)	4.99 करोड.	15.10 करोड.	वर्ष 20–21 के लिए जीईएम से 44% की प्राप्त उपलब्ध का प्रतिशत से 25% की अधिदेशित लक्ष्य से ऊपर है।

3. महत्वपूर्ण करारः

क) हाइड्रोस्टेटिक ड्रिल्स पोस्ट एएमसी अवधि के रखरखाव के लिए 6.19 करोड़ रू. के आकलित ऑफटेक में 2 वर्षों के लिए हाइड्रोस्टेटिक ड्रिलों हेतु पार्ट–पुर्जों की आपुर्ति हेतु रेट कंट्रेक्ट।

ख) सीएमपीडीआईएल में प्रयोगशालाओं की जाँच और विश्लेषणात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए ओटोमेटिक वेवलेंथ फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमीटर, आटोमेटिक मरकरी एनालइजर और एब्जार्पसन आइसोथर्म जैसे महत्वपूर्ण उपकरण के लिए आपूर्ति आदेश दिया गया है।

ग) गवेषण/सर्वेक्षण कार्य को मजबूती प्रदान करने के लिए सिस्मोग्राफ, डीजीपीएस, मैटलैब/सर्पेस/माइनेक्स सोफ्टवेयर जैसे उपकरण/साफ्टवेयर के लिए आपूर्ति आदेश दिया जा चुका है।

4. लक्ष्य (2021-22) :

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए लक्षित वार्षिक उपलब्धि 38.00 करोड़ रू. है, जिसमें से सीएमपीडीआईएल द्वारा निविदाओं में एमएसई की सहभागिता हो तो एमएसई से प्राप्त उपलब्धिके लिए 12.00 करोड़ रू. (अनुमानित 30%)

22.0 मानव संसाधन विकास :

वर्ष 2020–21 के दौरान, सीएमपीडीआईएल का आनलाइन प्रशिक्षण / सम्मेलन / संगोष्ठी / कार्यशाला के आंकड़े निम्नानुसार है :

प्रमुख क्षेत्र	एसटीसी	आईआईसीएम	बाह्य	विदेशी	कुल
प्रबंधकीय	242	28	12	0	282
तकनीकी / फंक्शनल	253	70	124	0	447
क्राश फंक्शनल	34	11	21	0	66
कुल	529	109	157	0	795

निम्नलिखित क्षेत्रों में हमारे कर्मचारियों को विशेष एक्सपोजर दिया गया।.

22.1 स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज (एसटीसी) में प्रशिक्षण :

प्रशिक्षण एवं विकास कर्मचारियों के विकास के अभिन्न अंग हैं। इंटीगरल पार्ट है। इसलिए सीएमपीडीआईएल पूरे वर्ष लगातार उनके विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास पहले ही किया जा चुका है। वर्ष 2020–21 के दौरान इस संबंध में विभिन्न तकनीकी एवं गैर तकनीकी विशयों पर 529 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है यह आवश्यकता आधारित और कस्टमाइज्ड था, जिनमें से कुछ को नीचे दिया जा रहा है:

- सीएमपीडीआईएल के एंटीब्राइबेरी मैनेजमेंट सिस्टम के तहत डाक्यूमेंटेड अरेंजमेंट और आईएसओ 37001 पर जागरूकता कार्यक्रम का सत्र।
- सीआईएल एमएसप्रोजेक्ट सीएम (एन) पर प्रशिक्षण।
- मैट लैब साफ्टवेयर पर प्रशिक्षण।
- परिवर्तित प्रबंधन एवं प्रभावी माइंड मैपिंग पर वेबिनार।
- समेकित / कनवर्ज्ड आधारभूत संरचना (सर्वर) पर प्रशिक्षण।
- निवेश शिक्षा और रिटायरमेंट प्लानिंग पर पाठन पर आनलाइन कार्यक्रम
- 3डी टेरेस्ट्रीयल लेजर स्कैनर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- जियो–टेक्नीकल सेल के सदस्यों के लिए स्लोप स्टेबिलिटि पर अनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- जियो–टेक्नीकल सेल के सदस्यों के लिए स्लोप स्टेबिलिटि पर आनलाइन प्रशिक्षण।
- संवातन प्रणाली डिजाइन एवं विश्लेषण पर वेबिनार कोयला खनन, सीएमपीडीआईएल के लिए दो–दिवसीय लाइनलाइन ईटीपी एसटीपी प्रशिक्षण।
- ईसीएल में आईएसओ 9001, 14001 और 45001 के प्रभावपूर्ण कार्यन्वयन पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- 'आईएसओ 9001, 14001 एवं 45001 पर ऑन लाइन जागरूकता कार्यक्रम।
- आनलाइन इंटीगरल ऑडिटिंग दक्षता प्रशिक्षण (आईएसओ 9001 / 14001 / 45001)।
- सीएमपीडीआईएल के 80 संविदा कर्मियों को अर्द्ध–दिवस प्रशिक्षण।

22.2 आईआईसीएम में प्रशिक्षण

आईआईसीएम के वार्षिक कैलेण्डर के अनुसार प्रत्येक वर्ष एचआरडी विभाग आईआईसीएम में प्रशिक्षण के लिए बड़ी संख्या में वरीय और मध्य स्तर के अधिकारियों को नोमिनेट (नामांकित) करता है। यह नामांकन कंपनी

की जरूरत एवं ग्राहकों की आवश्यकता के आधार पर विभिन्न विभागों के प्रमुख एवं क्षेत्रीय निदेशका ें की अनुशंसा के अनुसार किया जा रहा है। वर्ष 2020–21 के दौरान कुल 109 अधिकारियों को ऑन लाइन प्रशिक्षण दिया गया

22.3 बाह्य प्रशिक्षण :

तकनीकी/प्रबंधकीय स्कील अपग्रेडेशन एवं आधुनिक तकनीकी विकास से संबंधित प्रत्येक वर्ष विभिन्न डिसिप्लीन से अधिकारियों को प्रशिक्षण, कान्फ्रेंस वर्कशॉप, सिम्पोजियम आदि भाग लेने के लिए विभिन्न संस्थानों/जगहों पर भेजा जा रहा है। इस वर्ष 157 अधिकारियों/कर्मचारियों को भारत में विभिन्न जगहों प्रोग्राम में भाग लेने के लिए भेजा गया है।

उन संस्थानों के नाम जिनमें हमारे कर्मचारी आनलाइन कार्यक्रमों में भाग लिए, वे इस प्रकार है :

- जीएसआई इंस्टीच्यूट एचक्यू हैदराबाद
- नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ ट्रेनिंग फार स्टैंडर्डाइजेशन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैण्डर्ड
- इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग (आईआईआरएस)
- जर्मी गुजरात
- एस्सार आयल एंड गैस एक्प्लोरेशन एंड प्रोडक्शन लिमिटेड
- जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट हैदराबाद
- रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट, ईर्स्टन रीजन कोलकाता
- आरजीएनजी डब्ल्यूटी एंड आरआई (राजीव गांधी नेशनल वाटर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीच्यूट) रायपुर
- आईआईटी खड़गपुर
- मिशन एनर्जी फाण्डेशन
- कोल इंडिया लिमिटेड
- नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
- अलकेमिस्ट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, जमशेदपुर
- सीआईआरसी ऑफ आईसीएआई राँची चैप्टर
- झारखंड टेक्नीकल यूनिवर्सिटी (जेटीयू), राँची
- लीगल रेजीम, लॉस्कील्स नोएडा

22.4 विभिन्न संगठनो ं के छात्रों के लिए सीएमपीडीआईएल मे ं इंटर्नशिप प्रशिक्षण:

विभिन्न संस्थानों के छात्रों को ग्रीष्म और शरद इंटर्नशिप प्रशिक्षण सीएमपीडीआईएल और मुख्यालय के विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों में एचआरडी डिवीजन द्वारा दिया जा रहा है। वर्ष 2020–21 के दौरान सीएमपीडीआईएल में कुल 37 छात्रों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। छात्रों ने अपने संबंधित क्षेत्रों में 4–6 सप्ताहों के लिए प्रशिक्षण/परियोजना कार्य किया। प्रशिक्षण/परियोजना के समापन के बाद और परियोजना रिपोर्ट की सुपुर्दगी पर एचआरडी विभाग प्रशिक्षण/परियोजना की सफलतापूर्व समाप्ति पर सफल छात्रों को प्रमाण–पत्र जारी करता है। जिन संस्थानों के छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया वे निम्नलिखित हैं :

- वीआईटी, वैल्लोर
- बीएचयू, वाराणसी
- बीआईटी, राँची

- आईआईटी(आईएसएम), धनबाद
- एक्सआईएस, राँची
- आईआईटी भुवनेश्वर
- केआईआईटी भुवनेश्वर
- चाणक्या नेशनल लॉयूनिवर्सिटी, पटना
- आईआईटी, खड़गपुर
- एनआईटी, राऊरकेला आदि

22.5 अप्रेंटिस एक्ट, 1961 के अनुसार अप्रेंटिस प्रशिक्षण

एमओयू, सीएमपीडीआईएल के अनुसार सीएमपीडीआईएल के औसत श्रमशक्ति का 2.5 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है, जिसमें संविदा कर्मी (31 मार्च 2020 के अनुसार 4171) शामिल हैं। सीएमपीडीआई में 166 अप्रेंटिस काम में लगे हैं जो कि 3.98 प्रतिशत है। इसमें ड्रिलिंग, मेकेनिकल, सिविल, कम्पयूटर साईंस, माइनिंग आदि विभिन्न विभागों के हैं और जो सीएमपीडीआईएल के विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों और मुख्यालय में पदस्थापित हैं।

22.6 सेंटर आर्फ एक्सीलेंस में प्रशिक्षणः

एआईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, आईसीएआई आदि जैसे भारत के भतर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कम–से–कम **5 प्रतिशत अधिकारियों** (ई–1 से ऊपर) के कम–से–कम एक सप्ताह का प्रशिक्षण दिलवाकर सतत् टेलेंट मैनेजमेंट एवं कैरियर प्रोग्रेसन किया गया। सीएमपीडीआईएल सेंटर **ऑफ एक्सीलेंस में 89 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जो 10.8 प्रतिशत है।**

23.0 श्रमशक्ति एवं कल्याण क्रिया-कलाप :

23.1 श्रमशक्ति की स्थिति :

विवरण		31 मार्च, 2020 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
अधिकारी		862	830
गैर–अधिकारी	मासिक वेतनभोगी	1038	1091
	दैनिक वेतनभोगी	1262	1154
	पीस रेटेड	00	02
समग्र कुल		**3162**	**3077**

23.2 कल्याण संबंधित गतिविधियाँ :

सीएमपीडीआई, मुख्यालय में कल्याण संबंधित गतिविधियाँ (वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान)			
क्र.सं.	**कल्याण संबंधी गतिविधियाँ**	**कार्यक्रम कि तिथि**	**टिप्पणी (यदि कोई है)**
1	आंबेडकर जयंती का अयोजन	14 अप्रैल, 2020	14 अप्रैल, 2020
2	21 मई 2020 को आतंकवाद निरोधी दिवस का आयोजन	21मई, 2020	महाप्रबंधक (का. एवं प्रशा.) द्वारा शपथ दिलाया गया। बैनर और पोस्टर का प्रदर्शन।

3	''विश्व तम्बाकू निषेध दिवस'' का आयोजन	31 मई, 2020	तम्बाकू मुक्त कार्यालय के लिए शपथ
4	सीडीएपी	01.07.2020 से 15.11.2020	01.07.2020 से 15.11.2020
5	स्वच्छता पखवाडा	16 सितम्बर से 02 अक्टूबर, 2020	16 सितम्बर से 02 अक्टूबर, 2020
6	स्वतंत्रता दिवस 2020	15 अगस्त, 2020	15 अगस्त, 2020
7	सीएमडी बनाम निदेशक फुटबॉल मैच	15 अगस्त, 2020	15 अगस्त, 2020
8	एकता दौड़	31 अक्टूबर, 2020	31 अक्टूबर, 2020
9	सतर्कता जागरूकता सप्ताह	27 अक्टूबर, 2020	27 अक्टूबर, 2020
10	स्थापना दिवस	1 नवम्बर, 2020	1 नवम्बर, 2020
11	संविधान	26 नवम्बर, 2020	26 नवम्बर, 2020
12	सांप्रदायिक सद्भाव	27 नवम्बर, 2020	27 नवम्बर, 2020
13	लैंगिक जागरूकता एवं संवेदनशीलता पर कार्यशाला	18 दिसम्बर, 2020	18 दिसम्बर, 2020
14	नव वर्ष उत्सव	01 जनवरी, 2021	01 जनवरी, 2021
15	जल शपथ	01 जनवरी, 2021	01 जनवरी, 2021
16	गणतंत्र दिवस समारोह 2021	26 जनवरी, 2021	26 जनवरी, 2021
17	सीएमडी बनाम निदेशक क्रिकेट मैच	26 जनवरी, 2021	26 जनवरी, 2021
18	अंतरर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021	8 मार्च, 2021	8 मार्च, 2021
19	भारत का अमृत महोत्सव	12 मार्च, 2021	12 मार्च, 2021

23.3 वर्ष 2020-21 के लिए अधिकारी स्थापना से संबंधित मुख्य सूचना :

क्र.सं.	वार्षिक कार्ययोजना	की गई कार्रवाई
1.	टर्मिनल लाभ का निपटारा	41
2.	जीवन बीमा योजना का भुगतान	01
3.	सीपीआरएमएसई के तहत मेडिकल कार्ड जारी करना	47
4.	सेवा निवृत्ति के बाद छुट्टी नगदीकरण के प्राप्त मामले	34
5.	निपटाएं गए	23
6.	प्रक्रिया के अंतर्गत	11
7.	मेडिकल रेफर के मामले	683

23.4 वर्ष 2020-21 के दौरान आरटीआई संबंधित सूचना

क्र.सं.	कार्य विवरण	कार्रवाई की गई
1.	प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या	76
2.	विवेच्य वर्ष के दौरान निपटाये गए आवेदनों की संख्या	63
3.	प्रक्रियाधीन	13
4.	वर्ष के दौरान प्राप्त अपील	03
5.	निपटाये गए अपील	03
6.	शेष	00
7.	सीआईसी (द्वितीय अपील प्राप्त आवेदन)	02
8.	सीआईसी अपील का निपटारा	02

23.5 वर्ष 2020-21 के दौरान सीपीजीआरएएम से संबंधित सूचना :

क्र.सं.	शिकायत का स्रोत	प्राप्त कुल आवेदन	आवेदनों का निपटारा किया गया	अतिशेष/प्रक्रियाधीन
1.	लोकल/इंटरनेट	32	31	1
2.	पेंसन	0	0	0
3.	पीएमओ	15	15	0

23.6 वर्ष 2020-21 के दौरान वीआईपी रेफरेंस से संबंधित सूचना :

क्र.सं.	शिकायत का स्रोत	कुल प्राप्त	निपटारा किया गया	अतिशेष/प्रक्रियाधीन
1.	लोकल/इंटरनेट	25	18	7

23.7 वर्ष 2020-21 के दौरान पेंशन की स्थिति :

क्र.सं.	वर्ष के दौरान प्राप्त कुल मामले	निपटाएं गए	विचारकधीन		अभियुक्ति
			सीएमपीडीआईएल	सीएमपीएफओ	
1.	104	56	15	33	

23.8 वर्ष 2020-21 के दौरान गैर-अधिकारी वर्ग के कर्मचारियों से संबंधित सूचना :

क्र.सं.	वार्षिक कार्य योजना	कार्रवाई की गई
1	टर्मिनल लाभों का निपटान	113
2	जीवन कवर का भुगतान	19
3	सीपीआरएमएसएनई के तहत जारी मेडिकल कार्ड	110
4	सेवा निवृत्ति के बाद छुट्टी नगदीकरण के प्राप्त मामले	83
5	निपटाए गए	59
6	प्रक्रियाधीन	24

23.9 राजभाषा

आपकी कंपनी समीक्षाधीन अवधि में कोंयला मंत्रालय, गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग), कोल इंडिया लिमिटेड तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के निदेशों का पालन करना जारी रखी और राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियमों के सांविधिक प्रावधानों को लागू करने में सतत् प्रयत्नशील रही और कार्यालयीन कार्य में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए बहुआयामी प्रयास करती रही।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित पत्राचार के लक्ष्य को 'ग' क्षेत्र में प्राप्त कर लिया तथा 'क' और 'ख' क्षेत्र में भी पत्राचार का लक्ष्य प्राप्त करने के बहुत नजदीक रही।

इसके अलावे राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के तहत जारी दस्तावेज, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक/निदेशक स्तर पर आयोजित विभिन्न बैठकों के कार्यवृत, आपकी कंपनी की मासिक और वार्षिक रिपोर्ट द्विभाषी रूप में तैयार करना जारी रहा। हिन्दी में रचनात्मक लेखन को बढ़ावा देने के लिए आपकी कंपनी की प्रतिष्ठित एवं राष्ट्रीय स्तर की गृह पत्रिका गोंदवाना भारती का प्रकाशन भी लगातार जारी है, जिसे सारे देश से प्रशंसा मिल रही है।

कोयला मंत्रालय के निदेशानुसार सितम्बर, 2020 में ''राजभाषा माह'' का आयोजन किया गया। कंपनी के कामगारों के बीच हिन्दी को लोकप्रिय बनाने के लिए तथा इसे बढ़ावा देने के लिए कई हिन्दी प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। विवेच्य माह के दौरान सभी प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया। विजेताओं को प्रथम पुरस्कार में 5000 रू., द्वितीय पुरस्कार 4000/–रू., तृतीय पुरस्कार 3000/–रू. और सांत्वना पुरसकार 800 रू. से नवाजा गया। सभी पुरस्कार विजेताओं को प्रमाण–पत्र भी दिया गया। इसके अलावा अन्य प्रतिभागियों को भी पुरस्कृत किया गया।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा–निर्देश और वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार क्षेत्रीय संस्थानों और मुख्यालय के विभिन्न विभागों का निरीक्षण भी किया गया।

गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश और वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार आपकी कंपनी के विभिन्न विभागों में राजभाषा के त्रैमासिक प्रगति की समीक्षा करने के लिए अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें भी आयोजित की गई।

आपकी कंपनी ने अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (लोक उपक्रम), राँची छमाही बैठकें आयोजित की जिसमें विभिन्न लोक उपक्रमों में राजभाषा हिन्दी की प्रगति की समीक्षा की गई।

24.0 महिलाओं के सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत डिस्क्लोजर (प्रकटीकरण) एवं सूचना :

वर्ष 2020–21 के दौरान सीएमपीडीआई में कार्यस्थल (रोक/निवारण, निषेध, (रिडेसल) अधिनियम–2013 के अंतर्गत कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के दर्ज किए मामलों की संख्या इस प्रकार है :

1. वर्ष के दौरान प्राप्त सेक्सुअल हरासमेंट की शिकायतों की संख्या – शून्य
2. वर्ष के दौरान निपटाए गए शिकायतों की संख्या– 01
3. 90 दिनों से अधिक लंबित मामलों की संख्या – शून्य
4. वर्ष के दौरान आयोजित सेक्सुअल हरासमेंट संबंधी जागरूकता कार्यक्रम अथवा कार्यशालाओं की संख्या – 01

5. मामले से संबंधित नियोक्ता द्वारा या जिला अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई की प्रकृति – मामले को आंतरिक शिकायत समिति की सिफारिशों के साथ निपटाया गया क्योंकि मामले की प्रकृति कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के बजाय व्यक्तिगत/पारिवारिक विवाद से अधिक थी।

25.0 सीएमपीडीआईएल और सीआईएल के बीच समझौता ज्ञापन 2020-21 के भौतिक मापदंडों के खिलाफ उपलब्धिः

25.1. ड्रिलिंगः

सीएमपीडीआईएल के एमओयू के अनुसार 2020–21, हेड 'ड्रिलिंग लाख) मीटर में के तहत (क्रमांक 4 नंबर पार्ट बी', 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त करने का लक्ष्य 11.00 लाख मीटर ड्रिलिंग था। इस लक्ष्य के मुकाबले 12.48 लाख मीटर ड्रिलिंग की मई 2020–21 मे की गई।

25.2. 2डी/3डी भूकंपीय सर्वेक्षण के माध्यम से डेटा का अधिग्रहणः

सीएमपीडीआईएल के समझौता ज्ञापन 2020–21 के अनुसार, '2डी/3डी भूकंपीय सर्वेक्षण (लाइन केएम) के माध्यम से डेटा का अधिग्रहण' शीर्षक के तहत क्रमांक नंबर 6, पार्ट–बी', 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त करने का लक्ष्य 500 लाइन किलोमीटर के लिए 2डी/3डी भूकंपीय सर्वेक्षण के माध्यम से डेटा का अधिग्रहण था। इस लक्ष्य की तुला में 295.37 लाइन कि.मी. 2020–21 के दौरान 2डी/3डी भूकंपीय सर्वेक्षण के माध्यम से डेटा का अधिग्रहण किया गया था।

25.3. भूवैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करना और प्रस्तुत करनाः

सीएमपीडीआईएल के एमओयू 2020–21 के अनुसार, 'भूवैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करना और प्रस्तुत करना (संख्या) शीर्षक के तहत, क्रमांक, नंबर 6, पार्ट–बी', 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त करने का लक्ष्य 26 नंबर तैयार करना और जमा करना था। भूवैज्ञानिक रिपोर्ट। इस लक्ष्य के विरूद्ध, 26 नं. 2020–21 के दौरान भूवैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार और प्रस्तुत की गई।

25.4. परियोजना रिपोर्ट तैयार करना और जमा करनाः

सीएमपीडीआईएल के एमओयू 2020–21 के अनुसार, 'परियोजना रिपोर्ट तैयार करना और जमा करना' शीर्षक के तहत (संख्या), क्रमांक 1 नंबर 7, पार्ट–बी', 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त करने का लक्ष्य 33 नंबर तैयार करना और जमा करना था। परियोजना रिपोर्ट इस लक्ष्य के विरूद्ध 33 नग. 2020–21 के दौरान परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई और प्रस्तुत की गई।

25.5. आर एंड डी के तहत पूंजीगत व्ययः

सीएमपीडीआईएल के एमओयू 2020–21 के अनुसार, 'आर एंड डी के तहत पूंजीगत व्यय (करोड़ रूपये), क्र. नंबर 9, पार्ट–बी' 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त करने का लक्ष्य 25 करोड़ रूपये के आर एंड डी के तहत पूंजीगत व्यय था। इस लक्ष्य की तुलना में वर्ष 2020–21 के दौरान 12. 29 (अनऑडिटेड) करोड़ रूपये के आर एंड डी के तहत पूंजीगत व्यय किया गया है।

25.6. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीईएम पोर्टलर्स खरीदः

सीएमपीडीआईएल के एमओयू 2020–21 के अनुसार, पिछले वर्ष यानी 2019–20 (%) के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद के लिए जीईएम पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद का प्रतिशत, क्र. नंबर 10, पार्ट–बी', 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त करने का लक्ष्य 25% था।

सीआईएल द्वारा जारी 5 जुलाई, 2021 की बैठक के कार्यवृत्त के एमओयू 2020–21 के लिए ''जेम संबंधित पैरामीटर'' पर जारी एजेंडा नंबर 1 के खिलाफ निर्णय के अनुसार, यह कहा गया है कि ''जेम पैरामीटर के लिए अंश मूल्य (यानीः खरीद) पिछले वर्ष यानी 2019–20 के

दौरान वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद के लिए जीईएम पोर्टलके माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का वर्तमान वर्ष यानी 2020–21 के लिए जीईएम पोर्टल पर ऑर्डर किया गया मूल्य होगा और हर मूल्य (2019–20) होगा मूल्य जो इस संबंध में पहले परिचालित किया गया था।

वर्ष 2020–21 के लिए जीईएम पोर्टल पर ऑर्डर किया गया मूल्य रु. जीईएम पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए 15.10 करोड़ रुपये। पिछले वर्ष यानी 2019–20 के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद (शुद्ध वास्तविक खरीद) रु. 52.16 करोड़ (सीआईएल द्वारा सूचित)। इसलिए, 25% के लक्ष्य के खिलाफ पिछले वर्ष यानी 2019–20 के दौरान 2020–21 के दौरान हासिल की गई वस्तुओं और सेवाओं की खरीद का प्रतिशत 28.95% था।

"पिछले वर्ष यानी 2019–20 के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद के लिए जीईएम पोर्टल क माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद का %"			
कंपनी	शुद्ध वास्तविक खरीद वित्तीय वर्ष 2019–20 रू. करोड़	वित्त वर्ष 2020–21 आदेशित मूल्य (रू. करोड़)	वित्त वर्ष 2020–21 उपलब्धि में %
सीएमपीडीआईएल	52.16	15.10	28.95%

26.0 सीएमपीडीआईएल में कोल इंडिया स्थापना दिवस मनाया गया:

रांची 11 नवंबर : मिनी रत्न कंपनी सीएमपीडीआईएल ने 11 नवंबर, 2020 को मयूरी हॉल, सीएमपीडीआईएल में कोल इंडिया स्थापना दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया। इस अवसर के मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉ. रबी नारायण बस्तिया ने अपने भाषण में कहा कि कोल इंडिया देश की ऊर्जा सुरक्षा को पूरा करने में सबसे आगे रहा है और सीएमपीडीआईएल इस प्रयास में प्रेरक शक्ति रही है। उन्होंने कहा कि गैर–नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग पर जोर देने के बावजूद देश की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयले पर निर्भरता बनी हुई है। उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन, कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण आदि के उपयोग सहित खनन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के निरंतर अद्यतन पर जोर दिया, जिससे परिचालन और रखरखाव लागत कम हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि अन्वेषण के क्षेत्र में 3डी भूकंपीय सर्वेक्षण के उपयोग से देश के संसाधन आधार में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

इस अवसर पर श्री शेखर सरन, सीएमडी, सीएमपीडीआईएल ने बताया कि सीएमपीडीआईएल और जीएसआई के संयुक्त अभ्यास ने देश के कोयला असर क्षेत्र को 19400 वर्ग किमी से बढ़ाकर लगभग 32760 वर्ग किमी कर दिया है, जो 2019–20 के दौरान 62 कोयला क्षेत्रों को कवर करता है। अनुमानित कोयला क्षेत्र में 59% की वृद्धि से देश के लगभग 13700 वर्ग किमी में कोयला अन्वेषण गतिविधियों का विस्तार होता है और बदले में भविष्य में देश की कोयले की मांगों को पूरा करने में मदद मिलती है। भारत की आईएनडीसी की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए, सीएमपीडीआईएल प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी होने के नाते सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों को सीबीएम/सीएमएम परियोजनाओं के कार्यान्वयन में मदद कर रही है। यह एक आशाजनक क्षेत्र है जहां देश को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के लिए सीएमपीडीआईएल को एक लंबा सफर तय करना है। आईटी सेवाएं एक अन्य क्षेत्र है जिसमें निकट भविष्य में विस्तार करने की अपार संभावनाएं हैं। कोयला खनन के लगभग सभी इंजीनियरिंग घटकों के लिए अब एक या दूसरे रूप में आईटी सेवाओं की आवश्यकता है और सीआईएल/एमओसी से प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी तंत्र की मांग है, इस क्षेत्र में जबरदस्त विकास के अवसर हैं। हाल के दिनों में सीएमपीडीआईएल ने भूमि उपयोग निगरानी, यूएवी की शुरूआत, नवीनतम सर्वेक्षण उपकरण आदि में कोयला खंड की उभरती आवश्यकता

को पूरा करने के लिए अपने क्षितिज का विस्तार किया है। उभरती खनन प्रौद्योगिकी, अन्वेषण, पर्यावरण प्रबंधन और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास है। एक आशाजनक क्षेत्र जो बहुत सारे अवसर भी प्रदान करता है।

सीएमपीडीआईएल के कर्मचारियों को उनके संबंधित क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। इस अवसर पर ड्रिल उत्पादकता के आधार पर गोपालपुर कैंप, आरआई–VII, भुवनेश्वर को सर्वश्रेष्ठ ड्रिलिंग कैंप (मैकेनिकल) और कुसमुंडा कैंप, आरआई–V, बिलासपुर (हाइड्रोस्टैटिक) श्रेणी का पुरस्कार मिला।

बेस्ट ड्रिल क्रू कैटेगरी अवार्ड (उच्चतम उत्पादकता) के तहत ड्रिल सीएमएमई – 1000–01 (कोरबा), आरआई–V, बिलासपुर, सीएमकेआर–डब्ल्यूएआईआईआईसी–07 सिंहपुर कैंप और केआर–डब्ल्यूएआईआईआईसी–12 राजनगर, आरआई–V, बिलासपुर को क्रमशः यांत्रिक और हाइड्रोस्टैटिक्स अभ्यास के लिए पुरस्कार मिला।

रिपोर्ट तैयार करने में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए ओपनकास्ट रिपोर्ट के लिए श्री असित कुमार रॉय, सीएम (एक्सक्यूवी) और श्री संजय बरनवाल, भूमिगत रिपोर्ट के लिए प्रबंधक (खनन) श्री एस.आर. पंडित, महाप्रबंधक (भूविज्ञान) और भूवैज्ञानिक रिपोर्ट के लिए आरआई–I, आसनसोल की उनकी टीम, पर्यावरण सेवाओं के लिए श्री राजेश रल्हनय श्री लक्ष्मी रेड्डी लैला और श्री एस. राजकुमार एमसीएल के हिंगुला और भुवनेश्वर सीएचपी के पाइप कन्वेयर की योजना में शामिल होने के लिए और श्री मुरारी प्रसाद और उनकी टीम को 35 एफएमसी परियोजनाओं में शामिल करने के लिए पिथेड से कोयला निकासी बुनियादी ढांचे को बुनियादी ढांचे में प्रेषण बिंदुओं तक अपग्रेड करने की पहल के लिए योजना।

विभागाध्यक्ष (पर्यावरण), आरआई–V, बिलासपुरय विभागाध्यक्ष (पर्यावरण), आरआई–VI, सिंगरौलीय श्री सोमनाथ रे और श्री एन.एस.एस. साईराम को क्रमशः 'लैब', 'अन्वेषण' और 'वित्तीय' सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार मिला। श्री पी.के. बिसोई को खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार मिला।

जीएम (ओसी), सीएमपीडीआई (मुख्यालय) को 2019–20 में प्राप्त बाहरी परामर्शी सेवाओं के अधिकतम मूल्य के लिए पुरस्कार मिलाय आरडी, आरआई–VI, सिंगरौली 2019–20 में बाहरी कंसल्टेंसी सेवाओं में अधिकतम वृद्धि के लिए।

श्री अभिजीत सिन्हा, श्री पी.सी. झा और श्री अमरजीत सिंहसीएसआर के तहत, आरआई–VII, भुवनेश्वर को 19–20 में सीएसआर बजट के अधिकतम उपयोग के लिए पुरस्कार मिला और क्षेत्रीय संस्थान– IV, नागपुर को सभी आरआई के बीच दूरस्थ क्षेत्रों में अधिकतम व्यय के लिए पुरस्कार मिला।

श्री वी.सी. पाण्डेय, श्री नीलेश कुमार, श्री राहुल सक्सेना, श्री सुरेश बेहरा, श्री डी.के. गुप्ता, श्री संदीप कुमार, श्री सौरभ किशोर, श्रीमती। शिल्पी, श्री एस.सी. प्रसाद और उनकी टीम, डॉ. श्रीधर भट्ट और उनकी टीम, श्री राजीव लोचन, पूर्व–जीएम (सीबीएम) और उनकी टीम, श्री किंताली नवीन और श्री के.एम. डार्विन को 'स्पेशल अचीवमेंट' पुरस्कार मिला।

श्री गोपाल प्रसाद, डॉ. अरुण के.आर. पांडा, श्री बी. श्रीनिवासु, श्री उत्पल चक्रवर्ती, श्री आर. एन. सूर, श्री जी.के. मिश्रा को उनके संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। इसके अतिरिक्त, श्रीमती पंकज साहू, श्री यादवेंद्र कुमार, श्रीमती पल्लबी चक्रवर्ती, श्रीमती श्वेता सैनी, श्री अभिषेक कुमार सिंह और श्री नवीन कुमार को 'यंग एक्जीक्यूटिव' पुरस्कार मिला। इसके अलावा,

श्री अभिलाष दास, श्रीमती रोशनी बारा, श्री टी. एफ. नागपुरे, श्री शिवम वर्मा को उनके संबंधित क्षेत्र में गैर–कार्यकारी श्रेणी में पुरस्कार मिला।

इस अवसर पर श्री आर.एन. झा, निदेशक (टी/आरडी एंड टी) श्री ए.के. राणा, निदेशक (टी/पी एंड डी) श्री एस.के. गोमस्ता, निदेशक (टी/सीआरडी) श्री सुमीत कुमार सिन्हा, मुख्य सतर्कता अधिकारीय जीएम/एचओडी, जेसीसी के सदस्य, सीएमओएआई के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। समारोह की शुरुआत कोल इंडिया लिमिटेड के दीप प्रज्वलन और कॉरपोरेट सॉन्ग के साथ हुई।

27.0 2020–21 में सार्वजनिक क्षेत्र में महिला मंच (डब्ल्यूआईपीएस) सीएमपीडीआईएल की गतिविधियां।

विप्स, सीएमपीडीआईएल चैप्टर (मुख्यालय और आरआई – III) की नवगठित ''कार्यात्मक प्रबंधन समिति'' के पदाधिकारी और कार्यकारी सदस्य निम्नानुसार हैं:

1. समन्वयक/अध्यक्ष–श्रीमती सुनीता मेहता, महाप्रबंधक (पी एंड ए)
2. अतिरिक्त समन्वयक/उपाध्यक्ष–श्रीमती विनीता अरोड़ा, वरिष्ठ प्रबंधक (पर्यावरण)
3. कार्यकारी सदस्य –सुश्री ममता टोप्पो, वरिष्ठ प्रबंधक (कार्मिक)
4. महासचिव– सुश्री जेबा इमाम, मुख्य प्रबंधक (भूविज्ञान)

27.1 अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 तक आयोजित प्रमुख गतिविधियां:

परियोजना स्वावलम्बी

28 फरवरी 2020 को स्वावलम्बी परियोजना के तहत सीएसआर टीम के सहयोग से डब्ल्यूआईपीएस, सीएमपीडीआईएल द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य हटमा बस्ती और कांके रोड के आसपास के क्षेत्रों की वंचित महिलाओं को कौशल विकास और रोजगार प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के

तहत उषा इंटरनेशनल लिमिटेड, पटना के मास्टर ट्रेनर की मदद से महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

कार्यक्रम का उद्घाटन श्रीमती मीता शरण, अध्यक्ष, कस्तूरी महिला सभा ने किया, आरआई–III, सीएमपीडीआईएल के परिसर में। कार्यक्रम में श्री मनोज कुमार, आरडी, आरआई–III, श्री एमएसए खान, सीएम (कार्मिक), मानव संसाधन विकास विभाग और अन्य की उपस्थिति में भी उपस्थित थे, जहां उन्होंने महिला स्वरोजगार की आवश्यकता और इसकी आवश्यकता पर अपने बहुमूल्य विचार दिए। समाज में उनकी प्रगति और अस्तित्व के लिए।

सुश्री जेबा इमाम, मुख्य प्रबंधक (भू)/महासचिव, डब्ल्यूआईपीएस सीएमपीडीआईएल ने कार्यक्रम और प्रतिभागियों के बीच सम्मेलन की शुरुआत की। सुश्री ममता टोप्पो, वरिष्ठ प्रबंधक (पी)/कार्यकारी सदस्य, डब्ल्यूआईपीएस सीएमपीडीआईएल ने कार्यक्रम की विशेषताओं और लाभों के बारे में बताया। इस कार्यक्रम में विप्स के कई सदस्यों ने भाग लिया। उषा इंटरनेशनल लिमिटेड के प्रशिक्षकों ने भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण साझा किया।

पिछले वर्ष के बैच की महिलाओं के बीच प्रशिक्षण के सफल समापन के प्रमाण पत्र वितरित किए गए, जिसमें आसपास के क्षेत्रों की 10 महिलाएं शामिल थीं और इस परियोजना के तहत प्रशिक्षण के लिए 15 महिलाओं के नए बैच को शामिल किया गया था।

प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद, महिलाओं को गोंडवाना प्राथमिक विद्यालय और बिरसा उच्च विद्यालय के छात्रों के लिए वर्दी सिलाई का काम और उनके द्वारा प्रशिक्षण के सफल समापन के प्रमाण पत्र दिए जाएंगे जो उनके लिए रोजगार सुनिश्चित करने या किसी भी कार्य को जारी रखने में सक्षम होंगे। अपने दम पर नया व्यापार उद्यम।

27.2 7 सितंबर, 2020 को महिलाओं के स्वास्थ्य पर वेबिनार:

7 सितंबर 2020 को डॉ रेड्डीज फाउंडेशन फॉर हेल्थ एजुकेशन के सहयोग से डब्ल्यूआईपीएस सीएमपीडीआई द्वारा महिला स्वास्थ्य और कल्याण पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया।

डॉ. अंजू कुमार, एमडी, डीजीओ, सलाहकार ओबीएस और गायनी, बांझपन विशेषज्ञ, हिस्टेरोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी सर्जन, वेबिनार के वक्ता थे।

डॉ. अंजू कुमार ने सीएमपीडीआईएल की महिला कर्मचारियों को विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में शिक्षित किया जो महिलाओं को उनके आयु वर्ग के अनुसार सामना करना पड़ता है– 20 वर्ष से कम आयु, 20–40 वर्ष की आयु और 40 वर्ष से अधिक आयु के बीच और पोषक तत्वों के सेवन से संबंधित। इन स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए। उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े कैंसर– गर्भाशय कैंसर और स्तन कैंसर के बारे में भी जागरूकता पैदा की।

वेबिनार में सीएमपीडीआईएल मुख्यालय और क्षेत्रीय संस्थानों की लगभग 60 महिला कर्मचारियों ने भाग लिया।

27.3 सेवा सप्ताह अभियान - सितंबर 2020 :

विप्स, सीएमपीडीआईएल ने सेवा सप्ताह अभियान के एक भाग के रूप में आस–पास के गांवों में चिकित्सा शिविर और मास्क/सैनिटाइजर वितरण शिविर का आयोजन किया।

गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच खाने के पैकेट भी बांटे गए।

विप्सके सदस्यों ने ग्रामीणों के बीच फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए और उन्हें कोविड–19 और मास्क पहनने के महत्व और उपन्यास कोरोनवायरस से लड़ने के लिए बार–बार हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करने के बारे में जागरूक किया।

27.4 सेनेटरी पैड के लिए दान शिविर-पैड दस्ते :

मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने की पहल के साथ, विप्स, सीएमपीडीआईएल ने पैड स्क्वाड के सहयोग से सैनिटरी पैड के संग्रह के लिए कार्यालय परिसर के बेसमेंट क्षेत्र में एक ''पैड पेटी'' स्थापित किया। बक्से को बेसमेंट क्षेत्र में 12 अक्टूबर 2020 से 18 अक्टूबर 2020 तक एक सप्ताह की अवधि के लिए स्थापित किया गया था।

एकत्र किए गए पैड को आसपास के दूरदराज के गांवों की महिलाओं और लड़कियों के बीच वितरित किया गया ताकि वे अपने मासिक धर्म को प्रबंधित करने के लिए सैनिटरी पैड तक पहुंच सकें।

सैनिटरी पैड के अलावा, विप्स के सदस्यों द्वारा आर्थिक योगदान भी प्रदान किया गया ताकि पैसे का उपयोग अधिक सेनेटरी पैड खरीदने के लिए किया जा सके और अधिक संख्या में महिलाओं और लड़कियों को इसका लाभ मिल सके।

27.5 ''लैंगिक जागरूकता और लिंग संवेदीकरण (कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013) ''पर कार्यशाला,18 दिसंबर 2020:

जेंडर जागरूकता और लिंग संवेदीकरण (कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013) पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 18 दिसंबर 2020 को सम्मेलन हॉल, सीपीईआई मुख्य भवन, सीएमपीडीआईएल मुख्यालय में किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र में महिला मंच, सीएमपीडीआईएल।

कार्यशाला में सीएमपीडीआईएल मुख्यालय और आरआई–III के लगभग 50 पुरुष और महिला कर्मचारियों (कार्यकारी और गैर–कार्यकारी) ने भाग लिया। अन्य क्षेत्रीय संस्थानों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यशाला से जोड़ा गया।

प्रोफेसर (डॉ.) रमन बल्लभ, एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद और वरिष्ठ संसाधन व्यक्ति, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय) इस कार्यशाला में अतिथि वक्ता थे।

उद्घाटन समारोह में श्री एस. के. गोमस्ता, डी (टी/सीआरडी), सीएमपीडीआईएल की उपस्थिति ने शोभा बढ़ाई, जिन्होंने इस विषय पर अपनी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि से प्रतिभागियों को प्रबुद्ध किया।

महाप्रबंधक (पी एंड ए)/विप्स समन्वयक श्रीमती सुनीता मेहता ने स्वागत भाषण के साथ कार्यशाला की शुरुआत की।

प्रो. (डॉ.) रमन बल्लभ ने कर्मचारियों को विभिन्न उदाहरणों, दृष्टांतों और केस स्टडी के माध्यम से यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित कानून के तहत परिभाषित विभिन्न प्रावधानों के बारे में शिक्षित किया। उन्होंने उन्हें उन महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत कराया जिन्हें हमारे दैनिक व्यवहार में शामिल किया जाना चाहिए जो कार्यस्थल पर लैंगिक पूर्वाग्रह और असमानता को कम कर सकते हैं। उन्होंने एक संतुलित कार्य वातावरण बनाने के लिए एक दूसरे के उत्थान और बेहतरी के लिए एक साथ आने की आवश्यकता पर जोर दिया।

यह उन सभी प्रतिभागियों के लिए एक बहुत ही समृद्ध और ज्ञानवर्धक अनुभव था, जिन्होंने कार्यशाला से बहुमूल्य जानकारी ली।

श्रीमती जेबा इमाम, सीएम (भू)/ महासचिव विप्स के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यशाला का समापन हुआ।

27.6 वेबिनार ''नेतृत्व में महिलाएं: एक कोविड -19 दुनिया में एक समान भविष्य प्राप्त करना'' :

विप्स पूर्वी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की सभी महिला कर्मचारियों के लिए ''नेतृत्व में महिलाएं: एक कोविड–19 दुनिया में एक समान भविष्य प्राप्त करना'' विषय पर 03 फरवरी 2021 को एक वेबिनार का आयोजन किया गया था।

वेबिनार में सीएमपीडीआईएल मुख्यालय और क्षेत्रीय संस्थानों की लगभग 30 महिला कर्मचारियों ने भाग लिया।

श्री विनय रंजन, निदेशक (कार्मिक), सीसीएल और ईसीएल, जिन्हें हाल ही में मानव संसाधन सेवा वितरण में व्यापक व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए एचआरडी इंडिया पुरस्कार समारोह के दौरान ''वर्ष के सीएचआरओ पुरस्कार'' से सम्मानित किया गया था, वेबिनार में अतिथि वक्ता थे।

श्री विनय रंजन ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे महिला नेताओं के नेतृत्व में देशों का प्रदर्शन, पुरुषों के नेतृत्व वाले लोगों की तुलना में कोविड–19 के खिलाफ उनकी लड़ाई में अधिक सफल रहा।

उन्होंने यह भी बताया कि लैंगिक समानता के साथ नेतृत्व का माहौल कैसे स्वस्थ, मजबूत और अधिक सहमति से निर्णय लेता है।

28.0 निदेशकों का उत्तरदायित्व उक्ति

28.1 वार्षिक लेखे की तैयारी में मेटेरियल डिपार्चर से संबंधित समुचित स्पष्टीकरण सहित अप्लीकेबल एकाउंटिंग स्टैंडर्ड का अनुपालन किया जा रहा है।

28.2 निदेशकों ने ऐसा लेखा–नीति का चयन किया और उसे लगातार व्यवहार में लाया, जिससे निर्णय और आकलन किया जा सके, जो यथोचित एवं बुद्धिपरक है ताकि यह वित्तीय वर्ष के अंत में इस अवधि के लिए कंपनी की लाभ–हानि के विषय में कंपनी मामलों की स्थिति पर सत्य एवं स्पष्ट विचार किया जा सके।

28.3 निदेशक ने लेखा रिकार्डों के अनुसरण के लिए इस नियम के प्रावधान के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं से बचाने एवं इसका पता लगाने के लिए यथेष्ट एवं उपयुक्त ध्यान दिया है।

28.4 निदेशकों ने प्रचलित आधार (गोईंग कन्सर्न) में वार्षिक लेखा तैयार किया है।

28.5 निदेशकों ने संपुष्ट की है कि उन्होंने सभी लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणाली विकसित की है। इस प्रकार की प्रणाली पर्याप्त था तथा प्रभावी तरीके से काम कर रहा था।

अंकेक्षक :

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से मेसर्स लोदा पटेल, वाधवा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट, रांची को वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी का सांविधिक अंकेक्षक नियुक्त किया गया।

आभारोक्ति :

आपके निदेशकगण, भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनियाँ, राज्य सरकार और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों जिसके संपर्क में कंपनी ने चयन किया है तथा कंपनी के कार्यों के पूरा करने में सहयोग एवं प्रोत्साहन दिया है, उसके प्रति आभारी हैं।हम अपने सम्मानित ग्राहकों के प्रति कृतज्ञ हैं, जिन्होंने हम पर और हमारे समर्पित कर्मचारियों पर विश्वास प्रकट किया और हमें संरक्षण दिया।

परिशिष्ट :

कंपनी आधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (एम) के तहत अपेक्षित ऊर्जा के संरक्षण, टेक्नोजाली एब्जार्पसन और फारेन एक्सचेंज अर्निंग एवं आउटगो, अनुसंधान एवं विकास, सीईओ और सीएफओ प्रमाणन, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 के तहत एनुअल रिर्टन का सारांश, कारपोरेट गवर्नेस के अनुपालन पर अंकेक्षकों की रिपोर्ट, सचिवीय अंकेक्षकों की रिपोर्ट, प्रबंधन का जवाब, कंपनी अधिनियम, 2013 की सेक्शन 143 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब, एमओयू 2020–21 पर रिपोर्ट तथा मैनेजेरियल पर्सनल के पारिश्रमिक आदि का विस्तृत सूचना पर रिपोर्ट भी, इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

निदेशक मंडल की ओर से एवं वास्ते

(मनोज कुमार)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)

राँची,

तिथि

परिशिष्ट- ।

निदेशक मंडली की रिपोर्ट का परिशिष्ट:

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन तथा विदेशी मुद्रा का अर्जन एवं खर्च के बारे में निदेशक मंडल की रिपोर्ट के साथ पठित नियम 8 में शामिल किए जाने वाले मामले कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (एम) के तहत निदेशकों की रिपोर्ट में दिए जाने के लिए अपेक्षित सूचना।

क) कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए ऊर्जा का संरक्षण

सीएमपीडीआईएल ने वर्ष 2020–21 में ऊर्जा संरक्षण अध्ययन शुरू किया है और बीईई मान्यता प्राप्त ऊर्जा अंकेक्षकों द्वारा कोल इंडिया की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों में स्थित विभिन्न खुली खदान और भूमिगत खानों में विशेष इलेक्ट्रीकल ऊर्जा खपतका बेंचमार्किंग तथा इलेक्ट्रीकल ऊर्जा अंकेक्षण के साथ–साथ विशिष्ट डीजल खपत (स्पेशिफिक डीजल कंजप्सन) का बेंचमार्किंग एवं डीजल अंकेक्षण किया गया।

कोल इंडिया के विभिन्न कोयला क्षेत्रों में किए गए डीजल बेंच मार्किंग अध्ययन में डीजल संरक्षण के लिए निम्नलिखित स्थूल शीर्ष(ब्रोड हेड) को स्वीकार किया गया।

i) लगाए गए एचईएमएम के लिए प्रीवेंटिव मेंटेनेंस मेजर्स को अपनाते हुए तथा लीकेज की पहचान करना और कम करना।

ii) हाऊल रोड की स्थिति को ध्यान में रखकर एचईएमएम का गति अनुकूलन

iii) निष्कृय घंटे को कम करने एचईएमएम के अनावश्यक मूवमेंट को रोकने के लिए टाइम स्टडी

iv) इलेक्ट्रिकल व्हील माउन्टेड एचईएमएम के लिए 0.054 लीटर प्रति बीएचपी घंटे तथा व्हील माउन्टेड के लिए 0.06 लीटर प्रति/बीएचपी घंटे, ट्रैक माउन्टेड के लए 0.1 लीटर/बीएचपी घंटे को सीएमपीडीआईएल आयोजन एवं अभिकल्पन के मानदंड के साथ तुलना।

कोल इंडिया के विभिन्न कोयला क्षेत्रों में किए गए इलेक्ट्रीकल एनर्जी आडिट एवं बेंचमार्किंग अध्ययन में भूमिगत और खुली खदान खानों के क्षेत्र निरीक्षण के दौरान इलेक्ट्रीकल मेजरमेंट एवं 3 वर्षों के हिस्टोरिकल डाटा के आधार पर ट्रेंड एनालिसिस (प्रवृति विश्लेषण) किया गया। निम्नलिखित ऊर्जा संरक्षण विधि अपनाई गई है

i) डिमांड साइट मैनेजमेंट

ii) संचरण एवं वितरण हानि में कमी

iii) पावर फैक्टर में सुधार

iv) इफिशिएंट इल्यूमिनेशन सिस्टम

v) ट्रांसफर्मर की पहचान कर ट्रांसफार्मेशन हानि में कमी लाना

vi) ऊर्जा की मॉनीटरिंग के लिए एनर्जी मीटर की स्थापना

vii) पम्पिंग प्रणाली में ऊर्जा संरक्षण उपाय

बीईई मान्यता प्राप्त ऊर्जा अंकेक्षकों के द्वारा किए गए ऊर्जा अंकेक्षण तथा ऊर्जा बेंचमार्किंग अध्ययन के लिए कृपया नीचे दी गई तालिका पर ध्यान दिया जाए

(क.1) वर्ष 2020-21 के लिए सीएमपीडीआई द्वारा उठाए गए ऊर्जा संरक्षण पहल

क.	डीजल अंकेक्षण एवं बेंचमार्किंग	डीजल की खपत	प्रस्तावित बचत संभावना
1.	बीसीसीएल द्वारा चिन्हित 13 ओसीपी का वार्षिक बेंचमार्किंग	26645 किलो लीटर	1164 किलो लीटर/वर्ष
2.	सीसीएल द्वारा चिन्हित 33 ओसीपी का वार्षिक बेंचमार्किंग	49575 किलो लीटर	2213 किलो लीटर/वर्ष
3.	ईसीएल द्वारा चिन्हित 8 ओसीपी का वार्षिक बेंचमार्किंग	28292 किलो लीटर	1223 किलो लीटर/वर्ष
4.	एमसीएल द्वारा चिन्हित 12 ओसीपी का वार्षिक बेंचमार्किंग	37503 किलो लीटर	1679 किलो लीटर/वर्ष
5.	एनसीएल द्वारा चिन्हित 10 ओसीपी का वार्षिक बेंचमार्किंग	119153 किलो लीटर	5316 किलो लीटर/वर्ष
6.	एसईसीएल द्वारा चिन्हित 03 ओसीपी का वार्षिक बेंचमार्किंग	58033 किलो लीटर	2565 किलो लीटर/वर्ष
7.	डब्ल्यूसीएल द्वारा चिन्हित 14 ओसीपी का वार्षिक बेंचमार्किंग	59050 किलो लीटर	2611 किलो लीटर/वर्ष
ख.	**2020-21 के दौरान इलेक्ट्रीकल ऊर्जा अंकेक्षण एवं बेंचमार्किंग पर किया गया अध्ययन**	**प्रस्तावित निवेश (लाख रू. में)**	**प्रस्तावित बचत संभावना**
1.	सीएमपीडीआईएल मुख्यालय द्वारा ब्लाक बी खुली खान परियोजना	–	–
2.	सीएमपीडीआईएल मुख्यालय द्वारा पूरी भू.ग. 1) अरगडा एरिया, सयाल डी भू.ग. 2) बरका सयाल एरिया 3) तोपा खुली खान परियोजना, कुजू एरिया 4)करगली खुली खान परियोजना बीएनके एरिया 5) पिपरवार खुली खान परियोजना, पिपरवार क्षेत्र	–	–
3.	सीएमपीडीआईएल मुख्यालय द्वारा डब्लूजे एरिया, बीसीसीएल के मूनिडिह यूजी प्रोजेक्ट का इलेक्ट्रीकल ऊर्जा अंकेक्षण	–	–

(क. 2) वर्ष 2020-21 के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा शुरू किए गए माइन इल्यूमिनेशन रिपोर्ट

क्र.सं.	कार्य विवरण	प्रस्तावित निवेश (लाख रू.में)
1.	सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय द्वारा एनसीएल के जयंत ओसीपी का इल्यूमिनेशन सर्वेक्षण	–
2.	सीएमपीडीआईएल मुख्यालय द्वारा निगाही खुली खान परियोजना का इल्यूमिनेशन सर्वेक्षण	749

(क. 3) प्रौद्योगिकी समावेशन (एब्जार्पसन) :

रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट/सौर ऊर्जा संयंत्र की पहल

✓ **क्षेत्रीय संस्थान-I, आसनसोल**

- सीएसआर कार्य के तहत केंदगोर ग्राम पंचायत, रवैरा सोल ब्लॉक बीर भूमि से 60 सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम (ऑल इन वन स्वीकार नहीं किया जाएगा) की आपूर्ति, संस्थापन चालू करनें तथा जाँच करने के लिए एनआईटी की तैयारी

✓ **क्षेत्रीय संस्थान-IV, नागपुर**

- मार्च, 20–21 में सीएमपीडीआईएल के आवासीय परिसर में 100 के डब्ल्यूपी में क्षेत्रीय संस्थान–IV में 5 केडब्लूपी का सोलर रूफटॉप पावर प्लांट चालू किया गया है। सोलर रूफटॉप पावर की लगा दिया गया है।

(ख) विदेशी विनिमय अर्जन और आउटगो :

क्र.सं.	कार्य विवरण	2020–21
1.	उत्पादों और सेवाओं तथा निर्यात योजनाओं के तलए नए निर्यात बाजारों का विकास, निर्यात में वृद्धि की पहल, निर्यात से संबंधित क्रिया–कलाप	कंपनी निर्यात नहीं करती है।
2.	उपयोग और अर्जित किए गए कुल विदेशी विनियम क) अर्जित कुल विदेशी विनियम (करोड़ रू. में) ख) उपयोग किए गए कुल विदेशी विनियम (करोड़ रू. में) (यात्रा व्यय 0.4 करोड़ रू. + अन्य 0.00 करोड रू. + अन्य पूंजीगत सामग्री 16.30 करोड रू.)	0.00 करोड़ रू. 16.07 करोड़ रू.

(ग) अनुसंधान और विकास और प्रौद्योगिकी अवशोषण

''पिट बॉटम और अंडरग्राउंड माइन रोडवेज और वर्किंग फेस की ऑप्टिकल फाइबर आधारित सोलर इल्यूमिनेशन'' शीर्षक वाली एक आर एंड डी परियोजना आईआइटी, खड़गपुर और ईसी, संकतोरिया द्वारा लिया गया था। परियोजना की कुल स्वीकृत लागत रु. 155.53 लाख {आईआईटी–खड़गपुर – रु. 155.53 लाख}

इस परियोजना के तहत, खानों के लिए एक ऑप्टिकल फाइबर आधारित हाइब्रिड रोशनी प्रणाली, जो धूप / बादल वाले दिन और रात के दौरान काम करेगी, झांजरा यूजी परियोजना, ईसीएल में डिजाइन और स्थापित की गई थी। जनवरी 2021 में झंझरा कोयला खदानों में कर्मियों को इस प्रणाली का प्रदर्शन किया गया है। विकसित सौर ऊर्जा संचालित, ऑप्टिकल फाइबर आधारित रोशनी प्रणाली गड्ढे के नीचे 35 लक्स रोशनी प्रदान करती है। संचार के लिए रोशनी प्रणाली का उपयोग करने की संभावना भी विकसित की जाती है।

विकसित ऑप्टिकल फाइबर आधारित हाइब्रिड रोशनी प्रणाली सौर ऊर्जा का उपयोग करती है। इस अनूठी प्रणाली का उपयोग भविष्य में कई भूमिगत खदानों के गड्ढे के नीचे और भूमिगत रोडवेज की रोशनी के लिए किया जा सकता है। चूंकि यह प्रणाली पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर निर्भर है, इससे आर्थिक लाभ होगा और हरित ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को भी प्रेरित करेगा।

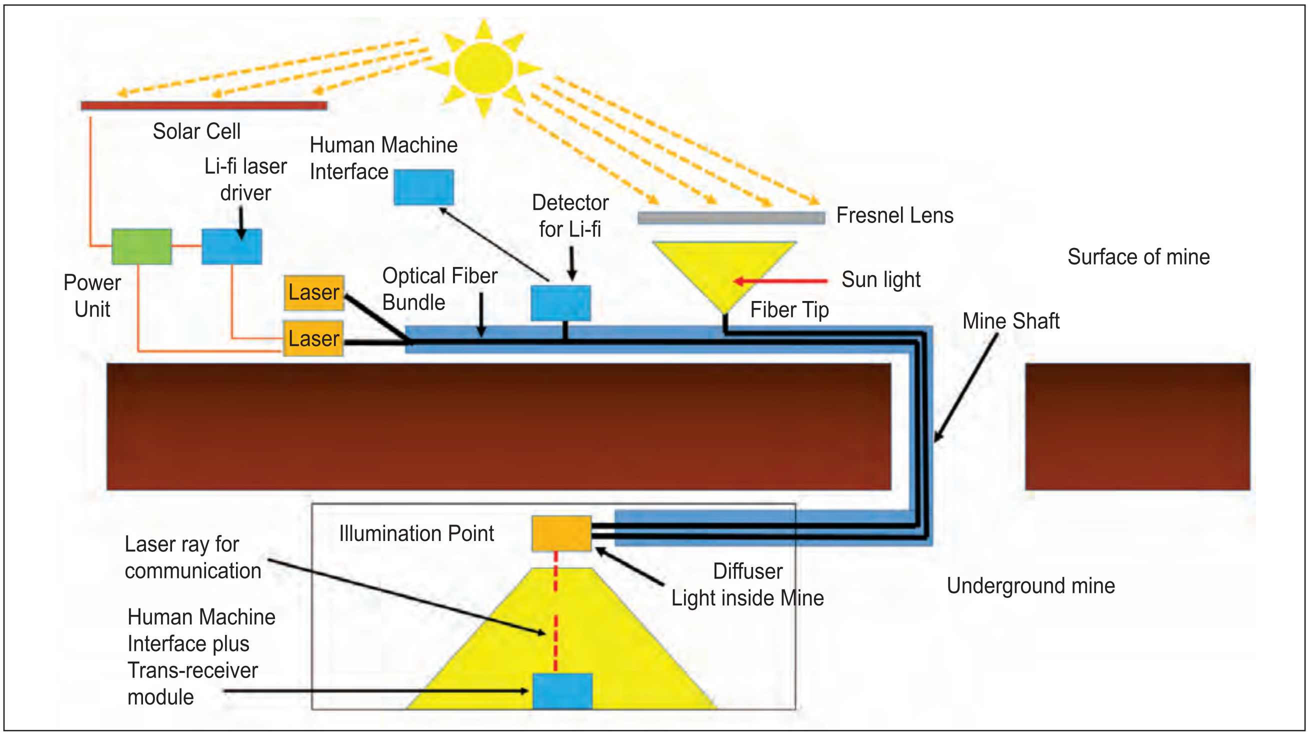

भूमिगत खानों की ऑप्टिकल फाइबर आधारित रोशनी की योजना ऊपर चित्र में प्रस्तुत की गई है। भूमिगत खदान की रोशनी दो तंत्रों द्वारा की जा रही है :

(i) फ्रेस्नेल लेंस द्वारा प्राकृतिक सूर्य के प्रकाश का ऑप्टिकल फाइबर में युग्मन, और

(ii) सौर ऊर्जा चालित उच्च–शक्ति निरंतर–तरंग कृत्रिम लेजर प्रकाश को ऑप्टिकल फाइबर में जोड़ना। रोशनी का युग्मन भूमिगत खदान की सतह पर किया जाता है और ऑप्टिकल फाइबर को स्थायी रूप से लुब्रिकेटेड (पीएलबी) उच्च घनत्व पॉली एथिलीन (एचडीपीई) डक्ट पाइप से बने बीहड़ नाली में खदान शाफ्ट के माध्यम से भूमिगत खदान में ले जाया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर वैकल्पिक रूप से सक्रिय और निष्क्रिय पॉलीडिमिथाइल सिलोक्सेन पीडीएमएस) डिफ्यूजर में समाप्त हो जाते हैं जो कृत्रिम और प्राकृतिक प्रकाश को एक साथ मिलाते हैं।

एक धूप के दिन, प्राकृतिक धूप सीधे फ्रेस्नेल लेंस की मदद से ऑप्टिकल फाइबर में केंद्रित होती है और भूमिगत खदान में रोशनी प्राप्त की जा सकती है। सूर्य के प्रकाश का उपयोग खदान की सतह पर लगे फोटोवोल्टिक सौर कोशिकाओं की सहायता से विद्युत शक्ति उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। बैटरियों में संचित विद्युत शक्ति का उपयोग बादलों के दिनों और रातों के दौरान दो उच्च–शक्ति वाले लेजरों को चलाने के लिए किया जाता है।

(घ) प्रौद्योगिकी समावेशन (एब्जार्पसन) :

कोयला क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास मुख्य रूप से खान सुरक्षा, कोयला लाभकारी/उपयोग, खान पर्यावरण और पारिस्थितिकी की सुरक्षा और स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी के विकास आदि सहित खनन कार्यों में दक्षता मानकों में सुधार के लिए है। कुछ पूर्ण अनुसंधान परियोजनाओं ने कोयला उद्योग पर ठोस प्रभाव उत्पन्न किया है और भविष्य में आने वाली खनन परियोजनाओं और खनन परियोजनाओं दोनों के लिए खान योजना, डिजाइन को भी मजबूत किया।

(ड़) वर्ष 2020–21 के दौरान इस दिशा में निम्नलिखित अनुसंधान परियोजनाएँ पूरी की जा चुकी हैः

1. **बैक फील्ड खुली कोयला खदानों पर संरचना का निर्माण :**

   व्यवहारिक कार्य प्रणाली (मेथडोलॉजी) सुझाने का प्रयास यह परियोजना आईआईटी–आईएसएम, धनबाद तथा सिविल इंजीनियरिंग विभाग, सीएमपीडीआईएल द्वारा कार्यान्वित किया गया।

   इस परियोजना के अंतर्गत आवास या कार्यालय उपयोग के लिए जगन्नाथ खुली खनन परियोजना, एमसीएल के बैकफिल्ड क्षेत्र पर दो मंजिला भवन का निर्माण किया गया है। इसके लिए एक दिशा–निर्देश तैयार किया गया है, ताकि अन्य बैकफिल्ड खुली खानों पर पर्याप्त नीव वाली संरचनाएँ बनाई जा सकें। चयनित बैकफिल्ड जगह 5 वर्षों से अधिक पुराना हो।

2. **भूमिगत कोयला खानों के लिए टेलिरोनोटिक एवं रिमोट ऑपरेज़न टेक्नोलॉजी का विकास :**

   यह परियोजना, सीएमईआरआई, दुर्गापुर तथा सीआईएमएफआर, धनबाद और सीएमपीडीआईएल, राँची द्वारा कार्यान्वित की गई।

   इस परियोजना के तहत टेली रोबोट का विकास किया गया है जो पर्यावरणिक पारामीटर जैसे कार्बन डायक्सायड, मिथेन, ऑक्सिजन तथा आर्द्रता एवं ताप का मानिटर करने में सक्षम है। रीयल टाइम ग्राफिकल यूजर इन्टरफेस (जीयूआई) आधारित नैविगेशनल कैमरा रोबोट की स्थिति प्रदर्शित करने तथा सेंसर डाटा के जरिए भूमिगत खानों में संचालनात्मक पर्यावरण का 3डी रिप्रेजेन्टेशन करने में सक्षम है। मल्टीपुल वायरलेस रूटर के जरिए रोबोट के साथ लाँग रेंज कम्यूनिकेशन भी स्थापित किया गया।

3. **बड़ी बारहमासी नदियों के समीपस्थ खुली कोयला खदानों में नन कोहेसिव ग्रानुअस ठोस/बालू को स्थिर (द्रव) करने के लिए भू-तकनीकी एवं जल भू-वैज्ञानिक पहलू से संबंधित अन्वेषण :**

   यह परियोजना सिविल इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी, बम्बई, क्षे.सं.–4, सीएमपीडीआईएल, नागपुर तथा डब्ल्यूसीएल, नागपुर द्वारा कार्यान्वित की गई।

   यह परियोजना संशक्तिहीन (कोहेन्शन लेस) मिट्टी में खान साइड वाल/स्लोप को दृढ़ करने के लिए जीएफआरई वाल की उपयोगिता को प्रदर्शित करने में सफल रहा है, जिसके जरिए अत्यधिक तेज जल बहाव हो जाता है। साइड वाल का इस तरह का दृढ़िकरण सफलतापूर्वक यह प्रदर्शित करता है कि डिजाइन किया गया ड्रेनेज नेटवर्क जीएफआरई वाल को बिना कोई क्षति पहुँचाए अंतर्वाही जल को हटाने में बड़ी उपयोगी है। पर्यावरणिक रूप से सिर्न्जेटिक स्टेबुल साइड वाल बनाने में हाइड्रो सीडिंग का अनुप्रयोग को भी अच्छी तरह प्रदर्शित किया गया है। इस तरह के दृष्टिकोण से कोयले की निकासी को बढ़ाने के लिए सुरक्षित खनन पर्यावरण तैयार होगा। हाइड्रोसीडिंग की गुणवत्ता नियंत्रण तथा अनुप्रयोग प्रक्रिया के साथ– अन्वेषण, डिजाइन एवं निर्माण प्रक्रिया के लिए दिशा–निर्देश कोयला उद्योग के लिए लाभकारी है।

4. **खानों में भू-जल नियंत्रण तथा कन्वेयर सिस्टम का इलेक्ट्रॉनिफिकेशन :**

   यह परियोजना एनएलसी, इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) निवेली एवं नेशनल इन्स्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तिरूचिरापल्ली (एनआईटीटी), तमिलनाडु द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

   इस परियोजना के तहत भू–जल नियंत्रण (जीडब्ल्यूसी) प्रणाली के रीयल टाइम ऑटोमोशन विकसित किया गया है। प्रवाह, स्तर, खानों में स्थित बोर बेल की क्षमता जैसे पारामीटरों की नियमित मानिटरिंग की जा रही है। आरएफ/ जीपीआरएस आधारित वायरलेस टेक्नोलॉजी के जरिए एनसीआईएल में कन्वेयर सिस्टम के लिए प्रोग्रामेबुल लॉजिक कंट्रोल (पीएलसी) आधारित समाधान उपलब्ध कराने तथा तापक्रम,

कंपन, वोल्टेज, धारा आदि को मॉनिटर करने के लिए स्वदेशी कम लागत लेकिन उच्च कार्यनिष्पादन (हाई परफार्मेंस) सेंसर विकसित किया गया है। इस परियोजना में उपकरण संयंत्र को प्रभावित करने से पहले अग्रिम रूप में विभिन्न फाल्ट को पता लगाने के उद्देश्य से कन्वेन्शनल एंड इंटेलिजेंट टेक्नीक का प्रयोग कर उपयुक्त फॉल्ट डिटेक्शन एंड आईडेटिफिकशन का डिजाइन है। नियमित प्लानिंग तथा श्रम एवं सामग्री के सुरक्षित संचालन के लिए परिचालन के ऑन लाइन डिस्प्ले तथा मेंटेनेंस क्रू को प्रदर्शित करता है।

5. कम अवमिश्रित (डाइल्यूटेड) कोयले की बेहतर प्राप्ति के लिए मल्टीपुल लेयर ट्रायल ब्लास्टिंग :

यह परियोजना आईआईटी आईएसएम, धनबाद एवं सीएमपीडीआईएल द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना के तहत ओवर बर्डेन तथा कोयला संस्तर की ड्रिलिंग की जाती है तथा उन्नत विस्फोटन प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर बेहतर प्राप्ति (रिकवरी) के साथ–साथ स्वच्छ (साफ) कोयला उत्पादन करने के उद्देश्य से सुरक्षित एवं पर्याप्त मल्टीसीम तथा थ्रू–सीम ब्लास्ट डिजाइन विकसित करने हेतजु सिंगल साइकिल में विस्फोटन करने के लिए विस्फोटक भरा जाता है।

6. पीट बॉटम तथा भूमिगत खान रोडवेज और वर्किंग फेस के सोलर इल्यूमिनेशन आधारित आप्टिकल फाइबर :

यह परियोजना आईआईटी, खड़गपुर एवं ईसीएल, संक्टोरिया द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। ''आन्टिकल फाइबर आधारित सोलर इल्यूमिनेशन ऑफ पीट बॉटम एवं अंडरग्राउण्ड माइन रोडवेज एंड वर्किंग फेस'' नामक परियोजना, खानों के लिए आप्टिकल फाइबर आधारित खानों के लिए हाइब्रिड इल्यूमिनेशन सिस्टम, जो उजाले के समय/बदली के समय तथा रात्रि में कार्य करेगा, का डिजाइन कर झांझरा भू.ग. परियोजना में लगा दिया गया है।

परिशिष्ट- II

सेवा में,
निदेशक मंडल,
सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि.,

सीईओ एवं सीएफओ प्रमाणन

हम मनोज कुमार, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक एवं पी.के.प्रसाद महाप्रबंधक (वित्त)/सीएफओ जो कि वित्तीय कार्यों के लिए जिम्मेवार है, प्रमाणित करते हैं कि :

क. हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरण तथा नकद प्रवाह के विवरण की समीक्षा की है तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार

   i. इन विवरणों में न तो कोई भी वस्तुपरक असत्य विवरण शामिल है, न ही कोई प्रमुख तथ्य छोड़ दिया गया है और न ही कोई गुमराह करने वाला विवरण शामिल किया गया है।

   ii. ये विवरण कंपनी के कार्यों का सच्चा एवं सही चित्र प्रस्तुत करते हैं तथा ये विद्यमान लेखा मानकों, लागू कानून एवं विनियमों के अनुरूप हैं।

ख. हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किया गया कोई भी लेन–देन कपटपूर्ण, गैर–कानूनी एवं कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला नहीं है।

ग. वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण की स्थापना एवं रख–रखाव हेतु हम अपनी जिम्मेवारी स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है तथा ऐसे आन्तरिक नियंत्रण के डिजाइन अथवा संचालन में यदि कोई कमियाँ हैं तो उनके बारे में अंकेक्षकों तथा अंकेक्षण समितियों को बताया है एवं इनके बारे में उन्हें जानकारी है वे इन कमियों को दूर करने के लिए कदम उठा रहे हैं अथवा उनके द्वारा प्रस्तावित हैं।

घ. हमने अंकेक्षकों तथा अंकेक्षण समितियों को निम्नलिखित जानकारी दी है :

   i. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्ट के संदर्भ के अंतर्गत आंतरिक नियंत्रण में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है।

   ii. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है।

   iii. किसी बड़ी धोखाधड़ी के किसी भी दृष्टांत के बारे में, जिसमें प्रबंधन की भूमिका हो अथवा किसी ऐसे कर्मचारी जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका हो, की कोई जानकारी हमें नहीं है।

(पी.के.प्रसाद)
महाप्रबंधक (वित्त)

(मनोज कुमार)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

परिशिष्ट - III

सतीश कुमार एंड असोसिएट्स

(कम्पनी सेक्रेट्रीज)

निगमित शासन अनुपालन का प्रमाण-पत्र

कंपनी का सीआईएन	:	यू 14292 जेएच 1975 जीओई 001223
नॉमिनल पूंजी	:	150,00,00,000 रू. (मात्र एक सौ पचास करोड़ रू.)
प्रदत्त पूंजी	:	142,80,00,000 रू. (एक सौ बयालीस करोड़ अस्सी लाख रू. मात्र)

सेवा में,

सदस्यगण,

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड,

गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची– 834 031

हमने केंद्रीय लोक उपक्रमों के लिए लोक उद्यम विभाग (डीपीई), के दिशा–निर्देश 2010 की शर्तों के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट (दि ''कंपनी'')द्वारा निगमित शासन के अनुपालन की स्थिति की जाँच की है।

हमारी जाँच का सारांश नीचे दिया गया है :

1. निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन करना कंपनी की जिम्मेवारी है । हमारे द्वारा की गई जाँच भारत के कंपनी सचिव के संस्थान एवं लोक उपक्रम विभाग के दिशा–निर्देश 2010 में उद्धृत निगमित शासन के दिशा–निर्देश के अनुरूप है। यह जाँच निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपानई गई प्रक्रिया तथा उसके कार्यान्वयन तक ही सीमित थी। यह न तो कंपनी की वित्तीय स्थिति पर राय है और न ही अंकेक्षण है। हमने प्रमाणन के उद्देश्य से अपनी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सभी आवश्यक जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया है तथा हमारे द्वारा अपेक्षित इस तरह के सभी अभिलेख, दस्तावेज तथा प्रमाण–पत्र आदि उपलब्ध करवाया गया है।

2. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा निदेशक और प्रबंधन द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान तथा इस संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी अनेक माड्यूलों तथा मानक के अनुसार स्वच्छ (अच्छा) शासन (गुड गवर्नेन्स) की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जारी कानून तथा मानक के अनुपालन हेतु कदम उठाया है।

1. निदेशक-मंडल :

कंपनी का कार्य व्यापार निदेशक–मंडल द्वारा संचालिय किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति समय–समय पर कंपनी के निदेशकों की संख्या का निर्धारण करते हैं। निदेशक को किसी तरह का क्वालिफिकेशन शेयर रखने

की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष, कार्यकारी निदेशक, अंशकालिक सरकारी निदेशक तथा गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान तथा नियुक्ति आदेश के अनुबंध एवं शर्त के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन, भत्ते एवं सिटिंग फीस का भुगतान किया जाता है।

क) बोर्ड का आकार :

कंपनी के आर्टिकल ऑफ असोसिएशन के अुनसार हमारे बोर्ड में 3 से कम तथा 15 से अधिक निदेशक नहीं होंगे। ये निदेशक पूर्णकालिक निदेशक / कार्यकारी निदेशक नहीं होंगे। ये निदेशक पूर्णकालिक निदेशक / कार्यकारी निदेशक या सरकारी अंशकालिक निदेशक या गैर–सरकारी अंशकालिक / स्वतंत्र निदेशक हो सकते हैं।

ख) निदेशक मंडल का कोटिवार गठन :

31 मार्च, 2021 के अनुसार सीएमपीडीआई के निदेशक मंडल में 9 सदस्य हैं, जिनमें से अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक सहित 4 पूर्णकालिक निदेशक,दो सरकारी अंशकालिक निदेशकतथा तीन गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक हैं। इस बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष श्री शेखर सरन हैं। कंपनी के बोर्ड में एक महिला निदेशक सहित तीन स्वतंत्र निदेशक हैं।

31 मार्च, 2021 की तिथि के अनुसार बोर्ड का गठन इस प्रकार है :

I. पूर्णकालिक निदेशक :

क) अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

1) श्री शेखर सरन

ख) कार्यकारी निदेशक

2) श्री रबीन्द्रनाथ झा

3) श्री अनिल कुमार राना

4) श्री सतेन्द्र कुमार गोमस्ता

II. अंशकालिक सरकारी निदेशक :

1) श्री विनय दयाल

2) श्री मुकेश चौधरी

III. अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक :

1) डॉ. कृष्ण चन्द्र पाण्डेय

2) श्रीमती अलका पंडा

3) श्री प्रमोद सिंह चौहान

सतीश कुमार एंड असोसिएट्स

(कम्पनी सेक्रेट्रीज)

IV. स्थायी आमंत्रित सदस्य

1) श्री अजितेश कुमार

ग) आयोजित बैठकों की संख्या एवं तिथि :

निदेशक–मंडल कंपनी का सर्वोच्च निकाय (बॉडी) है, जो कंपनी का संपूर्ण कार्य का पर्यवेक्षण करता है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 12 बोर्ड मीटिंग आयोजित की गई।

क्र.सं.	बैठकों की संख्या	दिनांक	दिन	बैठक का स्थल
1.	233वीं	13.05.2020	बुधवार	सीएमपीडीआईएल, राँची
2.	234वीं	09.06.2020	मंगलवार	सीएमपीडीआईएल, राँची
3.	235वीं	19.06.2020	शुक्रवार	सीएमपीडीआईएल, राँची
4.	236वीं	16.07.2020	गुरूवार	सीएमपीडीआईएल, राँची
5.	237वीं	06.08.2020	गुरूवार	सीएमपीडीआईएल, राँची
6.	238वीं	14.08.2020	शुक्रवार	सीएमपीडीआईएल, राँची
7.	239वीं	15.09.2020	मंगलवार	सीएमपीडीआईएल, राँची
8.	240वीं	16.10.2020	शुक्रवार	सीएमपीडीआईएल, राँची
9.	241वीं	05.11.2020	गुरूवार	सीएमपीडीआईएल, राँची
10.	242वीं	23.12.2020	बुधवार	सीएमपीडीआईएल, राँची
11.	243वीं	04.02.2021	गुरूवार	सीएमपीडीआईएल, राँची
12.	244वीं	04.03.2021	गुरूवार	सीएमपीडीआईएल, राँची

2. **क) अंकेक्षण समिति का प्राथमिक कार्य सामान्यतः** वित्त से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, लेखा तथा कंपनी का अंकेक्षण, वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली, वित्तीय रिपोर्ट की समीक्षा कर ओवरसाइट दायित्वों को पूरा करने में निदेशक–मंडल की सहायता करना है।

लेखा परिक्षण समिति आतंरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करती है,वैधानिक लेखा परीक्षकों से मिलकर उनके निष्कर्षों, सुझावों और अन्य सम्बंधित मामलों पर चर्चा करती है और कंपनी द्वारा स्वीकृत प्रमुख लेखा नीतियों की समीक्षा करती है।

ख) विचारार्थ विषय :

अंकेक्षण समिति का विचारार्थ विषय, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार तथा भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग द्वारा सीपीएसईएस के कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार होता है।

CS

सतीश कुमार एंड असोसिएट्स

(कम्पनी सेक्रेट्रीज)

अंकेक्षण समिति के विचार–विमर्श में निम्नलिखित के साथ सभी प्रकार के वाणिज्यिक पहलू शामिल हैः

क) बोर्ड के समक्ष पेश करने से पहले वित्तीय विवरण की समीक्षा

ख) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली समय–समय पर समीक्षा

ग) सरकारी अंकेक्षण तथा साविधिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा

घ) मानक पारामीटर की तुलना में परिचालन उपलब्धि की समीक्षा

ङ) परियोजना एवं अन्य पूंजीगत (बड़ी) योजनाओं की समीक्षा

च) आंतरिक अंकेक्षण का जाँच–परिणाम/टिप्पणी की समीक्षा

छ) अनुकूल एवं कारगर आंतरिक अंकेक्षण कार्य का विकास

ज) बोर्ड द्वारा प्रेषित मामलों के साथ–साथ किसी भी तरह के मामलों का विशेष अध्ययन/तहकीकात करना

ग) अंकेक्षण समिति का कार्य-क्षेत्र :

1. वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त एवं विश्वनीय है, यह सुनिश्चित करने के लिए कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया तथा वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण का पर्यवेक्षण।
2. अंकेक्षण शुल्क निर्धारित करने के लिए बोर्ड के पास अनुशंसा करना।
3. सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा दी गई कोई अन्य सेवा के लिए भुगतान हेतु अनुमोदन।
4. खासकर निम्नलिखित मामले में अनुमोदन हेतु बोर्ड के समक्ष पेश करने से पहले प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरण की समीक्षा :

   क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) तथा 134(5) के संदर्भ में बोर्ड रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले निदेशकों के दायित्व में सम्मिलित मामले।

   ख) लेखा नीति तथा प्रचलन में परिवर्तन, यदि कोई हो, तो उसका कारण।

   ग) प्रबंधन द्वारा निर्णय देने की प्रक्रिया के आधार पर प्राक्कलन सहित महत्वपूर्ण लेखे की प्रविष्टि

   घ) अंकेक्षण परिणाम से उत्पन्न वित्तीय विवरण में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।

   ड़) वित्तीय विवरण से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं (प्रयोज्य नियम, विनियमन एवं कंपनी की नीति) का अनुपालन

   च) किसी भी संबंधित पार्टी मामलों का प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर) तथा

   छ) मसौदा अंकेक्षण रिपोर्ट में योग्यता (क्वालिफिकेशन)

5. अनुमोदन हेतु बोर्ड में प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ वित्तीय विवरण कीसमीक्षा करना।
6. आंतरिक अंकेक्षकों का कार्य निष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता का प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।
7. आंतरिक अंकेक्षण कार्य, यदि कोई हो, की उपयुक्तता की समीक्षा, जिसमें आंतरिक अंकेक्षणविभाग की संरचना, कर्मचारियों तथा विभाग के नेतृत्व करने वाले अधिकारियों की वरीयता, आंतरिक अंकेक्षण का रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर कवरेज तथा आंतरिक अंकेक्षण की आवृति शामिल है।

सतीश कुमार एंड असोसिएट्स

(कम्पनी सेक्रेट्रीज)

8. कोई महत्वपूर्ण उपलब्धियों तथा उससे संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई, यदि कोई हो, पर आंतरिक अंकेक्षण तथा/अथवा अंकेक्षक के साथ विचार विमर्श करना।
9. आंतरिक अंकेक्षकों/अंकेक्षकों/एजेसिंयों द्वारा किसी आंतरिक जाँच के निष्कर्षों की समीक्षा करना, जिसमें महत्वपूर्ण (मैटिरियल) प्रकृति के संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या आंतरिक नियंत्रण की विफलता हो तथा इस मामले की रिपोर्ट बोर्ड को देना।
10. अंकेक्षण की प्रकृति तथा कार्यक्षेत्र इससे संबंधित किसी भी क्षेत्र का पता लगाने के लिए पोस्ट ऑडिट विचार–विमर्श, के साथ–साथ ऑडिट कॉमनसेंस के पहले सांविधिक अंकेक्षण के साथ विचार–विमर्श करना।
11. व्हिसिल ब्लोअर मैकेनिज्म की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना।
12. सी एंड एजी ऑडिट के अंकेक्षण टिप्पणी पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
13. स्वतंत्र अंकेक्षक, आंतरिक अंकेक्षक तथा बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के बीच सम्पर्क हेतु खुला मंच उपलब्ध कराना।
14. कंपनी के सभी संबंधित पार्टी लेन–देन की समीक्षा करना तथा अनुमोदित करना। इस उद्देश्य के लिए अंकेक्षण समिति एक ऐसे सदस्य को नामित कर सकता है, जो इन्स्टीच्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंड आफ इंडिया द्वारा जारी एकाउटिंग स्टैंडर्ड 18 में वर्णित पार्टी ट्रांजेक्शन से संबंधित पुनरीक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।
15. कवरेज, की संपूर्णता, अनावश्यक प्रयास में कटौती तथा सभी आडिट संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने हेतु स्वतंत्र ऑडिटर के साथ पुनरीक्षण करना।
16. आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्ता के साथ–साथ कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रबंधन नियंत्रण एवं सुरक्षा तथा संबंधित निष्कर्ष पर स्वतंत्र अंकेक्षकों के साथ समीक्षा और आंतरिक अंकेक्षक एवं स्वतंत्र अंकेक्षकों की अनुशंसा के साथ–साथ प्रबंधन का प्रत्युत्तर।
17. विवेच्य वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण परिणाम (निष्कर्ष) पर प्रबंधन, आंतरिक अंकेक्षण तथा स्वतंत्र अंकेक्षकों के साथ विचार एवं समीक्षा जिसमें गत अंकेक्षण अनुशंसा की स्थिति तथा अंकेक्षण कार्य के दौरान सामना की गई कठिनाइयों के साथ–साथ कार्य क्षेत्र या अपेक्षित सूचना तक पहुँचने में किसी तरह की रूकावट शामिल है।
18. डिपोजिटर, डिबेन्चर होल्डर, शेयर होल्डर (घोषित डिविडेंड का भुगतान न करने के मामले) और क्रेडिटर्स को भुगतान।
19. संसद के लोक उपक्रमों की समिति (कोपु) की अनुशंसाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा।
20. अंकेक्षण समिति के विचारार्थ विषय में यथा उल्लेखित को अन्य कार्य करना।

घ) अंकेक्षण समिति के अधिकार :

अंकेक्षण समिति को इसकी भूमिका के अनुरूप अधिकार भी प्राप्त रहेगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

1. विचारार्थ विषय के भीतर किसी भी क्रिया–कलापों की जाँच करना।

2. किसी भी कर्मचारी से सूचना (जानकारी) प्राप्त करना।
3. बाहरी कानूनी या अन्य व्यावसायिक सलाह प्राप्त करना।
4. संबंधित विशेषज्ञता वाले आउटसाइडरों की उपस्थिति सुनिश्चित करना, यदि आवश्यक हो,
5. मुखबिरों (विसिल ब्लोअर) की रक्षा करना।
6. अंकेक्षकों की स्वतंत्रता को सशक्त कर कनफ्लिक्ट ऑफ इन्टरेस्ट को समाप्तम करना।
7. आंतरिक नियंत्रण एवं जोखिम प्रबंधन की प्रभावकारिता सुनिश्चित करना।

ड.) अंकेक्षण समिति द्वारा सूचना की समीक्षा :

अंकेक्षण समिति निम्नलिखित सूचनाओं की समीक्षा करेगी :

1. वित्तीय स्थिति तथा कार्य के परिणामों पर प्रबंधन के साथ मिलकर विचार–विमर्श तथा विश्लेषण।
2. प्रबंधन द्वारा सुपुर्द संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण।
3. सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा जारी कमियों पर आंतरिक नियंत्रण का पत्र/प्रबंधन का पत्र।
4. आंतरिक नियंत्रण (इंटरनल कंट्रोल विकनेसेज) से संबंधित आंतरिक अंकेक्षण रिपोर्ट।
5. मुख्य आंतरिक अंकेक्षकों की नियुक्ति तथा पदच्युति को अंकेक्षण समिति के समक्ष रखा जाएगा तथा,
6. मुख्य कार्यकारी/मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरण का प्रमाणन/घोषणा।

च) गठनः

31/03/2021को, अंकेक्षण समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं तथा इसकी अध्यक्षता गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) द्वारा की जाती हैः

क्र.सं.	निदेशक के नाम	स्थिति	
1.	श्रीमती अलका पंडा	अध्यक्ष	स्वतन्त्र निदेशक
2	श्री बिनय दयाल	सदस्य	सरकारी अंशकालिक निदेशक
3.	श्री मुकेश चौधरी	सदस्य	सरकारी अंशकालिक निदेशक
4.	डॉ. कृष्ण चन्द्र पाण्डेय	सदस्य	स्वतन्त्र निदेशक
5.	श्री प्रमोद सिंह चौहान	सदस्य	स्वतन्त्र निदेशक
6	श्री ए. के. राणा	सदस्य	कार्यकारी निदेशक

महाप्रबंधक (वित्त), विभागाध्यक्ष (आईएडी) और सांविधिक अंकेक्षक को आडिट कमिटि की बैठक में आमंत्रित किया जाता है। सीएफओ स्थायी आमंत्रित सदस्य और कंपनी सचिव इस समिति के सचिव होते हैं। समिति

को आवश्यक स्पष्टीकरण देने के लिए, जब और जहाँ जरूरत हो, वरीय कार्यकारी अधिकारी को भी बुलाया जाता है। आंतरिक अंकेक्षण विभाग आडिट कमिटि की बैठक को आयोजित और संपन्न करने के लिए आवश्यक सहयोग उपलब्ध करता है।

छ) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित अंकेक्षण समिति की बैठक का विवरण :

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान क्रमशः दिनांक : 13.5.2020, 09.06.2020, 16.07.2020, 06.8.2020, 14.8. 2020, 15.09.2020, 05.11.2020, 04.02.2021 और 04.03.2021 को कुल 9 बैठकें आयोजित की गई।

3. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

निगमित शासन के सर्वोत्तम प्रक्रिया का अनुसरण करने तथा निगमित शासन का अनुपालन करने एवं स्टॉक एक्सचेंज के साथ कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किए गए करार की लिस्टिंग करवाने के लिए दिनांकः 30.12.2015 को आयोजित बोर्ड की 191वीं बैठक में सीएमपीडीआईएल के नामांकन एवं पारिश्रमिक कमिटि का गठन किया गया।

क) गठन

दिनांक : 09.06.2020 को आयोजित 234वीं बोर्ड की बैठक में सीएमपीडीआईएल के नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया, जिसमें निम्नलखित सदस्य शामिल हैं और इसकी अध्यक्षता गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) द्वारा की जाती है

क्र.सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	
1.	श्रीमती अलका पंडा	अध्यक्ष	स्वतन्त्र निदेशक
2.	डॉ. कृष्ण चन्द्र पाण्डेय	सदस्य	स्वतन्त्र निदेशक
3.	श्री प्रमोद सिंह चौहान	सदस्य	सरकारी अंशकालिक निदेशक
4.	श्री मुकेश चौधरी	सदस्य	सरकारी अंशकालिक निदेशक
5.	श्री एस. के. गोमस्ता	परमानेंट इनवाईटी	कार्यकारी निदेशक

कंपनी सचिव इस समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे तथा इस समिति को सभी तरह की सेवाएँ प्रदान करने के लिए महाप्रबंधक (का. एवं प्र.) नोडल अधिकारी होंगे।

4.0. सीएसआर कमिटी :

निगमित सामाजिक दायित्व तथा सस्टेनेबिलिटि कंपनी की अपने स्टेक होल्डरों के प्रति प्रतिबद्धता है, जो कंपनी आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणिक रूप से सस्टेनेबल तरीके से कार्य व्यापार सम्पन्न करने से संबंधित है, जो पारदर्शी तथा नीतिपरक हो। स्टेक होल्डरों में कर्मचारी, निदेशक, शेयर होल्डर, ग्राहक, बिजनेस पार्टनर, सिविल सोसायटी ग्रूप, सरकारी तथा गैर–सरकारी संगठन, स्थानीय समुदाय, पर्यावरण एवं बड़े पैमाने पर समाज शामिल है।

सतीश कुमार एंड असोसिएट्स

(कम्पनी सेक्रेट्रीज)

प्रत्येक सीपीएसईएस को बोर्ड स्तर की एक समिति होती है, जिसकी अध्यक्षता या तो अध्यक्ष तथा/अथवा प्रबंध निदेशक अथवा एक स्वतंत्र निदेशक करते हैं और ये 1.4.2013 के तत्काल प्रभाव से डीपीई द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुसार इच्छित दिशा में कंपनी–बोर्ड के इस एजेंडा को लागू करने और नीति तथा रणनीति बनाने के लिए निदेशक मंडल को सहयोग एवं कंपनी के सीएसआर तथा सस्टेनेबल नीति को कार्यान्वित करते हैं। दिशा–निर्देशों में, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सस्टेबिलिटि, एमओयू में गैर–वित्तीय परामीटरों के तहत एक आवश्यक घटक के रूप में शामिल किया जा चुका है।

इस दिशा–निर्देश के अनुरूप 10.05.2013 को आयोजित 172वीं बैठक में बोर्ड ने सीएसआर समिति का गठन किया है।

क) गठन :

31/03/2021को,सीएसआर कमिटि में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं तथा इसके अध्यक्ष गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) हैं।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	
1.	श्री प्रमोद सिंह चौहान	अध्यक्ष	स्वतन्त्र निदेशक
2.	डॉ. कृष्ण चन्द्र पाण्डेय	सदस्य	स्वतन्त्र निदेशक
3.	श्रीमती अलका पंडा	सदस्य	स्वतन्त्र निदेशक
4.	श्री रबीन्द्रनाथ झा	सदस्य	कार्यकारी निदेशक
5.	श्री एस. के. गोमस्ता	सदस्य	कार्यकारी निदेशक

महाप्रबंधक (एचआरडी/सीएसआर) कमिटि के नोडल अधिकारी हैं, जो सीएसआर कमिटि को सारी सेवाएँ उपलब्ध कराएँगे।

ख) वित्तीय वर्ष 2020-21 में आयोजित सीएसआर समिति की बैठक का व्यौरा

वित्तीय वर्ष 2020–21 में दिनांक 09.06.2020, 06.08.2020, 09.10.2020 तथा 04.02.2021 को कुल 4 बैठकें आयोजित की गईं।

आगे हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह अनुपालन न तो कंपनी के भविष्य की व्यवहार्यता है और न ही इसकी दक्षता या प्रभावकारित के रूप में है, जिसे प्रबंधन ने कंपनी के मामले को संचालित किया है।

सतीश कुमार असोसिएट्स
कंपनी सचिव

यूडीआईएन :.F008423C000374778

स्थान : राँची
दिनांक : 21 मई 2021

सतीश कुमार
मैनेजिंग पार्टनर
एफसीएस नं० 8423
सी.पी. सं. 9788

परिशिष्ट - IV

लोधा पटेल वाधवा एंड कंपनी

चार्टड एकाउन्टेंट्स

304ए श्रीलोक कंपलेक्स, 4 एच.बी. रोड, राँची – 834001

स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोट

सेवा में,

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट के सदस्यगण।

वित्तीय विवरण के अंकेक्षण पर रिपोर्ट

विचार

हमने सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड ''दि कंपनी'' का संलग्न वित्तीय विवरण का अंकेक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2021 के अनुसार तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि का विवरण (अन्य विस्तृत आय सहित), उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा नकद प्रवाह का विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश व अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएँ शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दी गई सूचना के अनुसार, उपयुक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (दीएक्ट) द्वारा अपेक्षित जानकारी देता है तथा अधिनियम की धारा 133 में विहित भारतीय लेखा मानकों दी कंपनीज (इंडियन आकाउंटिंग स्टैंडर्ड) नियम 2015, यथा संशोधित ("Ind As") के साथ पठित तथा 31 मार्च, 2019 तक कंपनी की स्थिति से संबंधित भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार सकल विस्तृत आय, उस तिथि को समाप्त वर्ष में इक्विटी तथा उसके नकद प्रवाहों में परिवर्तन के बारे में सत्य और स्पष्ट दृष्टिकोण देता है।

विचार के लिए आधार :

वित्तीय विवरण के अंकेक्षण का संचालन, हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत वर्णित अंकेक्षण के मानकों के अनुसार किया है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्वों का विसतृत वर्णन वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण हमारी रिपोर्ट के लिए अंकेक्षकों के दायित्व से संबंधित अनुभाग में किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंटस् ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा जारी कोड ऑफ एथिक्स के साथ–साथ कंपनी अधिनियम 2013 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों, जो नैतिक आवश्यकताओं से संबंधित हैं और वित्तीय विवरण के हमारे अंकेक्षण के लिए प्रासंगित हैं, के अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं तथा (ICAI) के कोड ऑफ एथिक्स के अनुसार अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि अंकेक्षण के लिए जो प्रमाण हमने प्राप्त किया है, वह वित्तीय विवरण के अंकेक्षण विचार (Audit Opinion) आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

अंकेक्षकों के मुख्य मुद्दे :

अंकेक्षकों की हमारी रिपोर्ट का यह भाग प्रबंधन के साथ आदान–प्रदान किए गए उन चुनिन्दा मुद्दों को वर्णित करने के लिए अभिप्रेत है, जो हमारें व्यावसायिक निर्णय के अनुसार मौजूदा अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह मुद्दे पूर्ण रूप से वित्तीय विवरण के हमारे अंकेक्षण के संदर्भ में ही

संबंधित थे, और हमारी राय बनाने में, और हम इन मुद्दों पर एक अलग राय नहीं प्रदान करते हैं। हमने निर्धारित किया है कि नीचे वर्णित मुद्दे हमारी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखा परीक्षा के मुद्दे हैं।

क्र.सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामला	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
1.	इंड एएस 115 के अनुसार राजस्व की मान्यता नोट–2.3– महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के वित्तीय विवरणों का संदर्भ लें। कंपनी का राजस्व मुख्य रूप से कोयला और खनिज गवेषण आदि में परामर्श सहायता प्रदान करने से प्राप्त होता है। ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब वस्तुओं या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को उस राशि पर हस्तांतरित किया जाता है जो उस प्रतिफल को दर्शाता है जिसके लिए कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले हकदार होने की अपेक्षा करती है। हमने राजस्व की पहचान को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचाना की क्योंकि राजस्व वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण है और इसे लागू लेखा ढांचे की आवश्यकताओं के अनुसार पहचाना जाना आवश्यक है।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे: ♦ हमने वर्ष के अंत में कट ऑफ वर्ष से संबंधित राजस्व मान्यता के संबंध में प्रासंगिक नियंत्रणों के डिजाइन और परीक्षण परिचालन प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया : ♦ हमने इंड एएस 115 ''ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व'' के अनुरूप राजस्व मान्यता लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का आकलन किया : ♦ हमने अंतर्निहित दस्तावेजों का परीक्षण करके वर्ष के दौरान दर्ज किए गए राजस्व लेनदेन का वास्तविक परीक्षण किया, जिसमें वार्षिक कार्य योजना, माप और ग्राहक स्वीकृति, जैसा लागू हो शामिल हैं : ♦ हमने असामान्य वस्तुओं की पहचान करने के लिए राजस्व में पोस्ट की गई कुछ जर्नल प्रविष्टियों का परीक्षण किया : ♦ हमने नमूना आधार पर, वित्तीय वर्ष की समाप्ति तिथि से पहले और बाद में रिकॉर्ड किए गए विशिष्ट राजस्व लेनदेन का परीक्षण किया, जिसमें वर्ष के अंत के बाद जारी किए गए क्रेडिट नोटों की जांच शामिल है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि राजस्व को उचित वित्तीय अवधि में मान्यता दी गई है या नहीं। ♦ ऊपर बताई गई प्रक्रियाओं के आधार पर, राजस्व निर्धारण में कोई महत्वपूर्ण अपवाद नहीं देखा गया।

अन्य मामलों के तहत :

कोविड–19 के कारण राज्य सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन, मूल दस्तावेजों और अभिलेखों की जांच के लिए क्षेत्रीय संस्थान कार्यालय का दौरा करने के लिए ऑडिट और यात्रा प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए समय सीमा, के मद्देनजर रिमोट लोकेशन के माध्यम से ऑडिट आयोजित किया गया था और इसलिए हम व्यक्तिगत रूप से ऑडिट साक्ष्य एकत्र नहीं कर सके। परिणामस्वरूप, आवश्यक दस्तावेज, रिकॉर्ड, सूचना और रिपोर्ट डिजिटल माध्यम से ईमेल पर स्कैन/सॉफ्ट रूप में प्राप्त हुए और ऐसी प्राप्त सूचनाओं पर ऑडिट प्रक्रियाओं को तैयार किया गया और ऑडिट साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया और जानकारी के आधार पर व्यक्त की गई राय, वर्तमान अवधि के लिए रिपोर्टिंग करते हुए प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए तथ्य और स्कैन किए गए दस्तावेज।

अन्य सूचना :

अन्य सूचना के लिए कंपनी का प्रबंधन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उत्तरदायी हैं। अन्य सूचना में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी का समावेश है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य सूचना को आच्छादित नहीं करती है और हम उस पर आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते है।

वित्तीय विवरणें की हमारी लेखा परीखा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना को पढ़ना और ध्यान रखना कि अन्य सूचना वित्तीय विवरणों या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी के साथ सामग्री असंगत या अन्यथा सामग्री गलत बयानी पर आधारित तो नहीं है।

यदि, हमने जो काम किया है, उसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं इस अन्य सूचना की सामग्री गलत है य तो उस तथ्य को रिपोर्ट करना हमारे लिए आवश्यक है। चूँकि अन्य जानकारी हमें प्रदान नहीं की गयी है। अतः इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है।

वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन का दायित्व :

यह वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 में विहित भारतीय लेखा मानकों के साथ पठित कंपनीज (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 यथा संशोधित और भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार नकद प्रवाह तथा कंपनी की इक्विटी में परिवर्तन, वित्तीय कार्य निष्पादन (अन्य विस्तृत आय सहित), जो वित्तीय कार्य निष्पादन (अन्य विस्तृत आय सहित), जो वित्तीय स्थिति के बारे में सत्य और स्पष्ट विचार देता है, की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 (दी एक्ट) की धारा 134(5) में उल्लेखित मामले की जिम्मेवारी निदेशक मंडली की है। इस दायित्व में, कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखा रिकार्ड का रखरखाव तथा फ्रॉड अन्य अनियमितताओं, यथोचित लेखा नीति का चयन और प्रयोग, निर्णय और आकलन जो उचित और विश्वसनीय हों, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों जो लेखा रिकार्डों की शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए संचालित किया जा रहा हो, जो भौतिक गलतबयानी, चाहे वह फ्रॉड या भूलवश हो से मुक्त हो तथा सत्य एवं स्पष्ट विचार देते हों, को पहचानने और उनसे बचाने का दायित्व भी शामिल है।

वित्तीय विवरणें को तैयारी करने में, वर्तमान चिंताओं के साथ जारी रखने प्रकटीकरणों, वर्तमान चिंताअें से संबंधित उपयोग करते हुए जब तक प्रबंधन या तो करने का इरादा रखता है, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है से संबंधित कंपनी क्षमता के आकलन के लिए प्रबंधन उत्तरदायी है।

कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों के लिए अंकेक्षकों का दायित्व :

वित्तीय विवरणों के बारे में हमारा लक्ष्य, उस तार्किक आश्वासन को प्राप्त करना है कि क्या ये विवरण अपनी पूर्णता में फ्रॉड या त्रुटि के कारण होने वाले किसी गलतबयानी से मुक्त हैं। इस संबंध में इससे जुड़े हमारे विचारों से युक्त अंकेक्षकों की रिपोर्ट जारी करना भी हमारा लक्ष्य है। यद्यपि तार्किक आश्वासन एक उच्च श्रेणी का आश्वासन है तथापि SAs के सहयोग से किये जाने वाले लेखा परीक्षा में इस बात की गारंटी नहीं है कि यह हमेशा वित्तीय विवरणों में मौजूद गलतबयानी की पहचान कर दी जाए। गलतबयानियाँ फ्रॉड या त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकती है। या अलग–अलग या पूर्ण से महत्वपूर्ण यानि जा सकती हैं, यदि वे वित्तीय विवरणों के आधार पर आर्थिक निर्णयों लेने वाले निर्णयकर्ताओं को युक्तिपूर्वक प्रभावित करने के लिए अपेक्षित हों।

SAs के साथ संचालित इस लेखा परीक्षा के एक सदस्य के रूप में हमने पूरी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णयों का प्रयोग किया है तथा पेशेवर संशयवाद (Skepticism) को बनाए रखा है।

इसके साथ ही हमने :

- वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह फ्रॉड या त्रुटि के कारण हुई हो, के जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन किया है। उन जोखिम के लिए उत्तरदायी निष्पादित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की पहचान और मूल्यांकन भी किया है और उन लेखा परीक्षा प्रमाणों को प्राप्त किया है जो हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं। त्रुटि की बजाय फ्रॉड के कारण होने वाली महत्वपूर्ण गलतबयानी को नहीं पहचान पाने का जोखिम अधिक है क्योंकि फ्रॉड में कपटपूर्ण समझौता, फर्जीवाड़ा, जानबूझकर की गई भूल, गलत अर्थ या आंतरिक नियंत्रण पर ओवरवाइड होना शामिल हो सकता है।
- लेखा परीक्षा प्रक्रिया की रूपरेखा जो कि इन परिस्थितियों में उपयुक्त हो, को तेयार करने हेतु लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक, आंतरिक नियंत्रण की एक समझ प्राप्त की। कंपनी 2013 की धार 143(3)(A) के अंतर्गत हम इस पर भी विचार देने के लिए उत्तरदायी हैं कि कंपनी के पास आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए पर्याप्त तंत्र मौजूद है और उन नियंत्रणों की परिचालनगत प्रभावशीलता कितनी है।
- प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता, और लेखांकन आकलनों की उपयुक्तता और सम्बद्ध प्रकटीकरणों का मूल्यांकन किया।
- लेखांकन के लिए वर्तमान चिंताओं को आधार बनाकर प्रबंधन द्वारा उनके प्रयोग की उपयुक्तता का निष्कर्ष निकाला है और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, यह भी निष्कर्ष निकाला है कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता व्याप्त है जो वर्तमान चिंताओं के साथ कंपनी को जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हमने यह निष्कर्ष निकाला कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता व्याप्त है तो यह आवश्यक है कि वित्तीय विवरणों में हम अपनी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में संबंधित प्रकटीकरणों की तरफ ध्यान आकर्षित करें, या ऐसे प्रकटीकरण हमारी राय को संशोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं। लेखा परीक्षकों की हमारी रिपोर्ट के हमारे निष्कर्ष प्राप्त आधारित (up to date) लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थिति के कंपनी की चिंता समाप्त हो सकती है।
- समग्र प्रस्तुतियों, संरचना और प्रकटीकरण युक्त वित्तीय विवरणों की अंतर्वस्तु का मूल्यांकन किया। तथा इसका भी मूल्यांकन की क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस ढंग से प्रतिनिधित्व करते हैं किवे निष्पक्ष प्रस्तुती को प्राप्त करते हों।

  हमें विश्वास है कि जो लेखा परीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किया, वह वित्तीय विवरणों पर हमारी अंकेक्षण राय देने के लिए आधार देने हेतु पर्याप्त ओर उपयुक्त है। हम अन्य मामलों में, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय व महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों कमियों को शामिल करते हैं, जिसकी पहचान हम ऑडिट के दौरान करते हैं।

  हम अन्य मामलों के अलावा, शासन से संबंधित आरोप लगाने वाले लोगों से संपर्क करते हैं। ऑडिट और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों की योजनाबद्ध गुंजाइश और समय, जिसमें अंतरिम नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी शामिल है जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

  हम एक स्टेटमेंट के साथ शासन को उन आरोपों को भी प्रदान करते हैं जिनका हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, और संबंध्रों और अन्य मामलों, जो कि हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए सोचे जा सकते हैं और सुरक्षा से संबंधित उपाय जहाँ लागू होते हों को संप्रेषित किया है।

शासन के साथ उन आरोपों जिनका संप्रेषण किया गया, हम मानते हैं कि वे मामले मौजूदा अवधि के वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण में महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे मुख्य अंकेक्षण मामले लेखा परीक्षा की अपनी रिपोर्ट में हमने इन मामलों का वर्णन किया है, जब तक विधि या विनियम इन मामलों के संबंध में सार्वजनिक प्रकटीकरण को प्रतिबंधित करते हों या जब अत्यंत असामान्य परिस्थितियाँ हों, हमने निश्चय किया कि एक मामला हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसा करने दुष्परिणामों से इस तरह के सार्वजनिक हित लाभों के पिछड़ने की उम्मीद की जाएगी।

अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट :

1. जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3) के तहत अपेक्षित है, हम सुझाए गए अंकेक्षण कार्य प्रणाली, इस पर की गई कार्रवाई तथा कंपनी के वित्तीय विवरण एवं लेखे पर इसके प्रभाव का अनुपालन करने के बाद भारत के नियंत्रण एवं लेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश/अतिरिक्त निर्देश पर एक विवरण **''परिशिष्ट-।''** में संलग्न कर रहे हैं।
2. अधिनियम (दिएक्ट) की धारा 143(II) के संदर्भ में भारत के केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी (अंकेक्षकों) की रिपोर्ट आदेश 2016 (दि आर्डर) की अपेक्षा के अनुसार हम इस आदेश के अनुच्छेद
3. एवं 4 में विहित मामले पर ''परिशिष्ट–2'' संलग्न करते हैं। :

   क) हमने आवश्यक वैसी सभी जानकारी माँगी है तथा प्राप्त की है जो हमारे अंकेक्षण के लिए हमारी जानकारी एवं विश्वास हेतु आवश्यक थी।

   ख) हमारी राय में, पुस्तकों की अब तक की गई हमारी जाँच से पता चलता है कि कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित लेखा–पुस्तक रखी है।

   ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि विवरण, नकद प्रवाह विवरण, इक्विटी में परिवर्त्तन संबंधी विवरण लेखे की पुस्तक के अनुसार सही है।

   घ) हमारी राय में उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत विहित+लेखा मानकों के अनुसार सही है।

   ड.) निदेशक–मंडल द्वारा अभिलेख में दर्ज किए गए 31 मार्च, 2019 के अनुसार निदेशक–मंडली से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर इस अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक के लिए 31 मार्च, 2019 के अनुसार कोई भी निदेशक अयोगय नहीं है।

   च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तथा ऐसे नियंत्रण की प्रभावकारिता की उपयुक्तता के संबंध में हमारी पृथक रिपोर्ट ''परिशिष्ट–3'' में उल्लेखित है। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा प्रभावकारिता पर असंशोधित राय व्यक्त करता है।

   छ) कंपनी (अंकेक्षण एवं अंकेक्षक) नियमावाली 2014 के नियम 11 के अनुसार अंकेक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामले के संबंध में हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं हमें

दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार

I. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित विवादों के प्रभाव को प्रकट किया है।

II. कंपनी ने व्युत्पन्न संविदा सहित दीर्घकालीन संविदा पर आर्थिक भावी हानि, यदि कोई हो, के लिए लागू कानून या लेखा मानक के तहत अपेक्षित प्रावधान बनाया है।

III. प्रबंधन द्वारा प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के अनुसार कोई ऐसी रकम नहीं है, जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में स्थानांतरित किया जना है।

स्थान : राँची

दिनांक : 28 मई, 2021

वास्ते/लोधा पटेल वाधवा एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स

फर्म निबंधन सं.–006271C

यूडीआइएन - 21074749AAAABB4228

सीए संजय कुमार वाधवा सदस्य

सदस्यता सं– 074749

स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट का

परिशिष्ट–।

(अन्य कानूनी और नियामकीय आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के तहत अनुच्छेद। में संदर्भित सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी रिपोर्ट का अनुभाग)

परिशिष्ट–ए

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लेखा परीक्षा के लिए लागू कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत धारा 143(5) के तहत दिशा–निर्देश

1) क्या कंपनी के पास लेखांकन से जुड़े सभी लेनदेन को आइटी सिस्टम के द्वारा प्रोसेस करने के लिए तंत्र मौजूद है? यदि हाँ, तो उस आईटी सिस्टम के बाहर लेखांकन से जुड़े लेन देन के वित्तीय विहितार्थ सहित खाते की इंटिग्रिटी क्या है? यदि कोई है तों उसका वर्णन किया जाए।

   कंपनी के पास लेखांकन से जुड़े सभी लेनदेन तंत्र मौजूद है लेकिन इसमें उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण तंत्र सेयुक्त सुदृढ़ एकीकृत व्यवस्था के साथ–साथ सुस्पष्ट वित्तीय नियंत्रणों ओर आंतरिक चेकों, जो सभी विभागों के एकीकरण और मुख्यालय सहित क्षेत्रीय संस्थानों के कार्यालयों में प्रोसेस के लिए आवश्यक हैं, का अभाव है।

2) क्या कंपनी के आधारदाता द्वारा ऋण चुका पाने की कंपनी की अक्षमता के कारण मौजूदा ऋण की पुनर्संरचना की गई है या कर्ज/लोन/ब्याज की छूट/बट्टे खाते में डालने से संबंधित आदि कोई मामला है? यदि हाँ, तो उसके वित्तीय प्रभाव का वर्णन किया जाए।

   हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के उधारदाता द्वारा ऋण चुका पाने की कंपनी की अक्षमता के कारण मौजूदा ऋण की पुनर्संरचना नहीं की गई है या उधार/लोन/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने से संबंधित कोई मामला नहीं है।

3) क्या विशिष्ट योजनाओं के लिए केंद्र/राज्य की एजेंसियों से स्वीकृत/स्वीकृति के योग्य फंड के उपयोग का उपयुक्त लेखा–जोखा उसमें निहित नियामें और शर्तों के अनुरूप किया गया था? विचलन से संबंधित मामलां को सूचीबद्ध करें।

   हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार विशिष्ट योजनाओं के लिए केंद्र/राज्य की एजेंसियों से स्वीकृत/स्वीकृति के योग्य फंड के उपयोग का उपयुक्त लेखा–जोखा उसमें विहित नियमों और शर्तों के अधीन किया गया है।

स्थान : राँची

दिनांक : 28 मई, 2021

वास्ते/लोधा पटेल वाधवा एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स

फर्म निबंधन सं.–006271C

यूडीआइएन - 21074749AAAABB4228

सीए संजय कुमार वाधवा सदस्य

सदस्यता सं– 074749

अंकेक्षकों के प्रतिवेदन

परिशिष्ट-II

(अन्य कानूनी और नियामकीय आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के तहत अनुच्छेद 2 में संदर्भित सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इस्टीच्यूट लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी रिपोर्ट का अनुभाग) :

1. **कंपनी की अचल परिसंपत्तियों के संदर्भ में :**

क) कंपनी ने अचल परिसंपत्तियों के मानात्मक विवरण और अवस्थिति सहित पूर्ण विवरणों को दिखाते हुए समुचित रिकार्ड रखा है।

ख) कंपनी के पास अचल परिसंपत्तियों के साथी मदों को शामिल करते हुए चरणबद्ध रूप में सत्यापन का एक प्रोग्राम है, जो, हमारी राय में कंपनी के आकार और इसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति के संबंध में तार्किक है। इस प्रोग्राम के आधार पर, कुछ निश्चित अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन विवेच्य वर्ष में प्रबंधन द्वारा किया गया। हमें दी गई जानकारी के अनुसार, इस प्रकार के सत्यापन में किसी तरह की बड़ी विसंगति नहीं पाई गई है।

ग) हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, रिकार्ड की हमारी जाँच और हमें उपलब्ध कराए गए कन्वेएन्स डीड्स की जाँच के आधार पर हम रिपोर्ट करते हे कि टाइटिल डीड्स, जिसमें भूमि और भवन की सभी अचल परिसंपत्तियाँ शामिल हैं तथा जो फ्रीहोल्ड हैं बैलेंस शीट की तिथि के अनुसार कंपनी के नाम पर हैं। भूमि और भवन की अचल परिसंपत्तियाँ जो कि लीज पर ली गईं थी और वित्तीय विवरणों में जिन्हें अचल परिसंपत्तियों के रूप में प्रदर्शित किया गया था, के संबंध में लीज समझौता कंपनी के नाम से किया गया है।

2. **वस्तु सूची के संबंध में :**

क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने अपनी वस्तुसूची का उचित रिकार्ड बनाए रखा है तथा प्रबंधन ने एक बाहरी एजेंसी को वर्षान्त में किया। जैसा कि हमें रिपोर्ट किया गया है, स्टॉक्स के भौतिक सत्यापन का रिकार्ड बुक से मिलान करने पर कोई महत्पूर्ण विसंगति नहीं देखी गई थी।

3. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत रखे गए रजिस्टर में शामिल किसी कंपनी, फर्म, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पार्टियों को किसी तरह का प्रत्याभूत या अप्रत्याभूत ऋण मंजूर नहीं किया है, इसीलिए आदेश के इस क्लॉज का 3(III) प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

4. हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने दिए गए ऋण एवं किए गए निवेश, जहाँ लागू हो के संबंध में अधिनियम की धारा 185 एवं 186 के प्रावधान का अनुपालन किया है।

5. हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई जमा स्वीकार नहीं किया और 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार किसी भी तरह की ऐसी जमाएँ नहीं हैं जिनका दावा न किया गया हो, इसीलिए आदेश के इस क्लॉज का प्रावधान 3(III) कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

6. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी क्षरा संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(I) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा लागत रिकार्ड के रख–रखाव को विनिर्दिष्ट किया गया है।

7. वैधानिक बकाये के संबंध में हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार

क) कंपनी ने भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, वस्तु एवं सेवाकर, मूल्यवर्धित कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेस और उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए अन्य महत्वपूर्ण वैधानिक बकायों सहित अविवादित वैधानिक बकायों को सामान्यतः नियमित रूप से जमा कराया है।

ख) 31 मार्च, 2021 तक भविष्य निधि, आयकर, सेवाकर, मूल्यवर्धित कर, वस्तु एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क शेस और अरियर के रूप में अन्य महत्वपूर्ण बकायों के संबंध में कोई अविवाहित देय रकम, देय होने की तिथि से 6 माह से अधिक बकाया नहीं था।

ग) आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, वस्तु एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, सेस और अन्य महत्वपूर्ण बकायों जो कि दिनांक : 31 मार्च, 2021 विवाद की वजह से जमा नहीं किए गए उनका विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2 ए में हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार दिया गया है।

8. कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार ऋण या उधारी नहीं ली है, या कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है। तद्नुसार, आदेश के अनुच्छेद 3(viii) अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

9. हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने इनिशीयल पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर (डेब्ट–इन्स्ट्रूमेंट सहित) तथा टर्म लोन के रूप में धन नहीं उगाहा है। तद्नुसार आदेश के अनुच्छेद 3(ix) लागू नहीं होता है।

10. हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार हमारे अंकेक्षण के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर इसके अधिकारियों के द्वारा या कर्मचारियों के द्वारा किसी तरह का गंभीर धोखाधड़ी का मामला नहीं पाया गया है या रिपोर्ट नहीं किया गया है।

11. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधकीय परिलब्धि कंपनी अधिनियम की अनुसूची–अके साथ पठित अनुच्छेद 197 के प्रावधान द्वारा अधिदेशित अपेक्षित अनुमोदन के अनुरूप दिया गया है या उपलब्ध कराया गया है।

12. हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार यह कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तद्नुसार, आदेश के अनुच्छेद 3(xii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

13. हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार संबंधित पार्टियों के साथ लेन–देन कंपनी अधिनियम की धारा 177 एवं 188 के अनुसार की गई है तथा जहाँ लागू हो, प्रयोज्य लेखा मानक द्वारा यथा अपेक्षित वित्तीय विवरण आदि में इसे विस्तृत रूप में प्रकट किया गया है।

14. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी द्वारा शेयरों का अधिमान्य आवंटन या प्राइवेट प्लेसमेंट या पूर्णतः या अंशतः परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं किया गया है। तद्नुसार, आदेश के क्लॉज 3(xiv) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

15. हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने निदेशक या उनके साथ संबद्ध व्यक्ति के साथ नॉन–कैश ट्रान्जेक्शन नहीं किया है।

16. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 की धारा 45–1ए के तहत कंपनी का निबंधित होना अपेक्षित नहीं है। तद्नुसार, कंपनी अधीनियम 2013 के धारा 192 का प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

स्थान : राँची

दिनांक : 28 मई, 2021

वास्ते/लोधा पटेल वाधवा एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स

फर्म निबंधन सं.–006271C

यूडीआइएन - 21074749AAAABB4228

सीए संजय कुमार वाधवा सदस्य

सदस्यता सं– 074749

स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट–3

अन्य विधिक और नियामकीय आवश्यकताओं पर रिपोर्ट'के अंतर्गत पैराग्राफ 3 (f)का संदर्भ, सेट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि. के सदस्यों के लिएहमारी रिपोर्ट का अनुभाग''

(कंपनी अधिनियम, 2013 (दि एक्ट) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड(।) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्अ में उल्लिखित परिशिष्ट)

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण के हमारे अंकेक्षण के साथ उसी तिथि के अनुसार ''सेंट्रल माइन प्लानिंगएंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड'' (''दि कंपनी'') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अंकेक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का दायित्व :

इन्स्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण पर दिशा–निर्देश टिप्पणी (नोट) में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटक पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय नियंत्रण मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रमाणित(स्थापित) स्थापित करने तथा मेनटेन करने का दायित्व कंपनी प्रबंधन का है। इन दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन तथा रख–रखाव शामिल है, जो इसके कार्यव्यापार के उचित एवं प्रभावकारी आचार सुनिश्चित करने के लिए कारगर ढंग से संचालित किए जा रहे थे। इसमें कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथा अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी, लेखा अभिलेख की शुद्ध ता एवं पूर्णता, घोखाधड़ी या त्रुटियों पर रोक एवं पता लगाना, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा करना, कंपनी की नीति का अनुसरण शामिल है।

अंकेक्षकों का दायित्व :

हमारी जिम्मेवारी अपने अंकेक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोटिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय देना है। हमने अपना अंकेक्षण आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत संबद्ध, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण के लिए गाइडेंस नोट (गाइडेंस नोट) तथा अंकेक्षण के मानकों, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, के अंकेक्षण तक विस्तारित है, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए लागू होते हैं, दोनों इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए जाते हैं, के अनुसार संचालित किया गया। इन मानकों एवं दिशा–निर्देश नोट में अपेक्षित है कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण स्थापित है तथा मेनटेन किया जा रहा है और क्या ऐसा नियंत्रण सभी भौतिक (मेटेरियल) संबंध में प्रभावकारी तरह से संचालित किया जा रहा है, इसके बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए नैतिक अपेक्षाओं को पूरा करें तथा योजना बनाकर अंकेक्षण करें।

हमारे अंकेक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उनकी रिपोर्टिंग प्रभावकारिता के बारे में अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया पूरा करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय निरीक्षण को हमारे अंकेक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की व्याख्या प्राप्त करना, उस जोखिम का मूल्यांकन करना जिसमें अपर्याप्तता हो तथा मूल्यांकित जोखिमों पर आधारित डिजाइन और आंतरिक नियंत्रण की संचालन प्रभावकारिता की जाँच एवं मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रिया अंकेक्षक के निर्णय पर निर्भर करता है, जिसमें वित्तीय विवरण को मैटेरियल गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटिवश, का मूल्यांकन शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमने जो अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त किया है वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के बारे में हमारी अंकेक्षण राय के लिए पर्याप्त एवं उचित आधार प्रदान करता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ :

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सामान्यतः स्वीकृत लेखानीति के अनुसार बाहरी उद्देश्य से वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा वित्तीय विवरण की तैयारी के बारे में पर्याप्त (तर्कसंगत) आश्वासन देने हेतु डिजाइन की गई प्रक्रिया है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ तथा प्रक्रिया शामिल है जो (1) रिकार्ड के रख–रखाव से संबंधित, जो तर्कसंगत विवरण में कंपनी की परिसंपत्ति के लेन–देन तथा जमा को परिशुद्ध एवं स्वच्छ रूप से प्रतिबिम्बित करता हो (2) पर्याप्त आश्वासन देना की लेन–देन सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांत के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए अनुमति हेतु यथा आवश्यक रूप से दर्ज है तथा कि कंपनी का आय एवं व्यय कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकार के अनुरूप किया जा रहा हैय(3) कंपनी की वैसी परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या जमा की रोकथाम तथा समय पर पता लगाने के बारे में पर्याप्त आश्वासन देना जो वित्तीय विवरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमाएँ :

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमाओं के कारण मिलीभगत अपर्याप्त प्रबंधन, के कारण कमी, नियंत्रण की अवहेलना, भूलवश या धोखाघड़ी के कारण भौतिक (मैटेरियल) गलत बयानी शामिल है जो उपस्थित नहीं हो पाता है या जिसका पता नहीं लगाया जा सकता, की संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त भावी अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कोई भी मूल्यांकन का प्रक्षेपण जोखिम के अनुसार है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थिति में परिवर्तन या प्रक्रिया के अनुपालन की स्थिति में कमी क्षरण हो सकने के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो जा सकता है।

विचार :

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी भौतिक (महत्वपूर्ण) मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक नियंत्रण 31 मार्च, 2021 के अनुसार प्रभावकारी ढंग से संचालित किए जा रहे थे। इसका आधार इन्स्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंटस ऑफ इंडिया द्वारा निर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर मार्गदर्शन टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटक पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है।

स्थान : राँची

दिनांक : 28 मई, 2021

वास्ते/लोधा पटेल वाधवा एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स

फर्म निबंधन सं.–006271C

यूडीआइएन - 21074749AAAABB4228

सीए संजय कुमार वाधवा सदस्य

सदस्यता सं– 074749

स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट का ''परिशिष्ट 2 ए''

परिशिष्ट 2 के पैरा vii (c) के अंतर्गत सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट का स्वतंत्र अनुभाग ''अन्य विधिक और नियामकीय आवश्यकताओं पर रिपोर्ट'' का संदर्भ

कानून की प्रकृति	ड्यूज की प्रकृति	फोरम जहाँ विवाद लंबित है	लंबित अवधि जिससे राशि का संबंध है	राशि (करोड़ रू.में)
आयकर अधिनियम 1961	पूर्व अवधि व्यय की अस्वीकृति	सीआईटी(ए)	वर्ष 2008–2009	रू. 0.61
आयकर अधिनियम, 1961	पूर्व अवधि व्यय की अस्वीकृति	सीआईटी(ए)	वर्ष 2009–2010	रू. 0.60
आयकर अधिनियम, 1961	पूर्व अवधि व्यय की अस्वीकृति	सीआईटी(ए)	वर्ष 2010–2011	रू. 0.71
आयकर अधिनियम, 1961	सीएसआर, मेडिकल व्ययों की अस्वीकृति और परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त लाभ	आईटीएटी	वर्ष 2011–2012	रू.0.33
आयकर अधिनियम, 1961	सीएसआर व्ययों की अस्वीकृति	आईटीएटी	वर्ष 2013–2014	रू. 0.51
आयकर अधिनियम, 1961	सीएसआर व्ययों की अस्वीकृति	आईटीएटी	वर्ष 2014–2015	रू. 0.69
आयकर अधिनियम, 1961	मेडिकल व्ययों की अस्वीकृति, विद्यालयों और संस्थानों को अनुदान, सोर्ट्स – रिक्रिएशन और पर्यावरण – वृक्षारोपण	सीआईटी(ए)	वर्ष 2016–2017	रू. 1.19
आयकर अधिनियम, 1961	सीएसआर व्ययों की अस्वीकृति, एनसीडब्लूए के लिए प्रावधान, मेडिकल व्यय, अनुदान कैंटीन क्रेच और अन्य कार्मिक लाभ	सीआईटी(ए)	वर्ष 2017–2018	रू. 31.67
सेवाकर अधिनियम	क्लब फंड और ग्रेच्यूटी का प्रावधान	सीआईटी(ए)	वर्ष 2019–2020	रू. 9.14
सेवाकर अधिनियम	सेवा कर ब्याज और पेनाल्टी के अरियर के लिए माँग	झारखंड उच्च न्यायालय	वर्ष 1999–2005	रू. 5.05
सेवाकर अधिनियम	सेवा कर ब्याज और पेनाल्टी के अरियर के लिए माँग	झारखंड उच्च न्यायालय	वर्ष 1998–1999	रू. 3.82

सेट्रलमाइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिटड्ूट लिमिटेड, राँची
वित्त वर्ष 2020-21

वार्षिक वित्तीय विवरण पर वैधानिक लेखा परिक्षण का पर्यवेक्षण और लेखा परिक्षण समिति के लिए प्रबंध का उत्तर।

क्र.सं.	लेखा परीक्षकों का पर्यवेक्षण	प्रबंधन का उत्तर
1	खातों की पुस्तकों में प्रविष्टियाँ समय पर पारित नहीं हैं इस प्रकार बहीखाता अपडेट नहीं हैं। हमने इसे पहले भी देखा था और वही लेखापरीक्षा के ध्यान में लाया गया था समिति व प्रबंधन ने दिया आश्वासन ताकि भविष्य में ऐसी कोई चूक न हो। इस वर्ष के क्लोजिंग में भी नमूना जांच पर आधार, हमने इसकी जांच की और हम यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अप्रैल 2021 के दौरान कंपनी द्वारा विभिन्न आरआई (आरआई – V को छोड़कर) के साथ साथ मुख्यालय से जारी किये गए इनवॉइस खातों की किताबें में बुक नहीं किया गया था बिक्री राशि भी लेजर में बिल्कुल नहीं दिख रहे थे। एक या दो दिन की देरी हो सकती है लेकिन अगले महीने के 26 वें दिन तक, खातों की किताबों में बिक्री प्रविष्टियों को अपडेट नहीं किया गया था। 26.05.2021 को हमारे विशिष्ट प्रश्न पर, यह सूचित किया गया है कि 26.05.2021 को वाउचर तैयार और स्वीकृत किया गया है केवल GST रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि के रूप में 26.05.2021 तक के लिए टाल दिया गया है। इस प्रकार, जाहिरा तौर पर प्रभारी व्यक्ति रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि तक बिक्री के वाउचर को तैयार करने और दर्ज करने के लिए प्रतीक्षा करता है और यदि नियत तारीख 2 महीने के लिए स्थगित कर दी गई है तब खातों की किताबों में प्रविष्टि तदनुसार स्थगित कर दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रबंधन का आश्वासन आवश्यक है क्योंकि इससे पहले भी खाता अनुभाग कंपनी के दिशानिर्देशों का पालन करने की प्रतिबद्धता में विफल रहा है।	यह अप्रैल 2021 से संबंधित है (वित्त वर्ष 2021–22)। अप्रैल और मई, 21 के महीने के दौरान सभी आरआई/मुख्यालय ने 50 प्रतिशत के कार्यबल के साथ संचालन किया। साथ ही संबंधित विभाग के कई अधिकारी/कर्मचारी COVID-19 से संक्रमित हो गए जिसके कारण डेटा की प्राप्ति में देरी हुई। इसके कारण निश्चित विलंब हुआ। इसके बावजूद अप्रैल, 21 से सम्बंधित सभी प्रविष्टियां मई, 21 के अंत तक दर्ज कर ली गयीं। साथ ही, यह आश्वासन दिया जाता है कि लेखा प्रविष्टि समय पर पास करने का प्रयास किया जाएगा।

2	इससे पहले, कंपनी प्रावधान के आधार पर बुक की गई देयता पर, जैसे और जहां लागू हो, कर कटौती के संबंध में आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही थी। जैसा कि प्रबंधन द्वारा पुष्टि की गई थी, इस बार एक निर्णय लिया गया था और सभी आरआई को निर्देश दिया गया था कि वर्ष के अंत में, आयकर अधिनियम 1961 के तहत आवश्यक खाते में किए गए प्रावधान सहित, संपूर्ण देयता पर स्रोत पर आयकर की कटौती की जानी है। निर्णय और निर्देश के बाद भी, आरआई 3 और आरआई 4 ऐसा करने में विफल रहे। प्रबंधन ने अंतिम खातों में इसका खुलासा करने का फैसला किया है।	यह आश्वासन दिया जाता है कि भविष्य में प्रावधान के रूप में बुक की गई सभी देनदारियों पर आयकर टीडीएस बनाया जाएगा।
3	स्वतंत्र शेष राशि की पुष्टि हमें कंपनी के अधिकांश विविध देनदारों से सीधे प्राप्त नहीं हुई थी।	कंपनी ने अपने सभी ग्राहकों को बैलेंस कन्फर्मेशन के लिए ईमेल भेजा है, जिसमें विशिष्ट अनुरोध के साथ बैलेंस कन्फर्मेशन के संबंध में ईमेल की एक प्रति सीधे हमारे वैधानिक लेखा परीक्षक को भेजने के लिए है।
4.	सहीध्समान खाता कोड में खर्चों की बुकिंगध्प्रावधान के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। यह मुद्दा पहले भी उठाया गया था लेकिन ऐसा लगता है कि आरआईकोल इंडिया द्वारा समान/सही खाते के सम्बन्धमें अनुशंसित कोड के महत्व को नहीं समझते हैं । हमने यह भी देखा कि खाते की अनुसूचियां तैयार करते समय आरआई द्वारा विभिन्न प्रारूपों का उपयोग किया जा रहा था और एकरूपता नहीं थी। आरआई को खाता तैयार करने के लिए कंपनी के दिशा–निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया था। हमें इसकी सूचना दी गई है कि COVID के कारण, दिशानिर्देश का समग्र रूप से पालन नहीं किया जा सका है तथा इसे और बेहतर बनाने का आश्वासन दिया गया है।	यद्यपि आरआई ने यह देखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरती है कि एक समान कोड का पालन किया जाए। फिर भी कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां इसका समान रूप से पालन नहीं किया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में सुधार हुआ है। साथ ही आश्वासन दिया जाता है कि इसके अनुपालन के लिए प्रयास किए जाएंगे।
5.	इनवॉइस (खाता कोड 820128) द्वारा समर्थित खातों में बुक किए गए खर्चों की देयता के आंकड़ों और अनुमान/प्रावधान (खाता कोड 820149) पर आधारित खर्चों में पर्याप्त अंतर है जो दर्शाता है कि पुष्टि दायित्व पर इनवॉइस प्राप्त करने और पहुंचने में देरी हो रही है। यह मुद्दा पहले भी लेखापरीक्षा समिति को सूचित किया गया है, लेकिन हम प्रावधान में पर्याप्त सुधार की उम्मीद करते हैं जिसे और अधिक प्रयास करके और अनुवर्ती कार्रवाई करके प्राप्त किया जा सकता है।	संबंधित विभाग से अनुरोध किया जाएगा कि वे इनवॉइस को शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों के साथ इस मुद्दे को उठाएं।
6.	इस महामारी में हम किसी भी आरआई का दौरा नहीं कर सकते थे लेकिन फिर भी हमें दस्तावेजों तक बहुत सीमित पहुंच के साथ ऑडिट समाप्त करना था।इसके अलावा, असाइनमेंट के लिए अनुमत अवधि एक और चुनौती थी। इस संबंध में एडवाइजरी के अनुसार ऑडिट किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।

परिशिष्ट - V

सतीश कुमार एंड असोसिएट्स

(कम्पनी सेक्रेट्रीज)

सचिवीय अंकेक्षण रिपोर्ट

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(I) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम 2014 के अनुसरण में]

सतीश कुमार एंड असोसियट्स
(कंपनी सेक्रेटरीज)
फ्लैट नं. 201, द्वितीय तल, उर्मिला अपार्टमेंट
उद्दव बाबू लेन, थड़पकना, राँची' 834 001,
फोन नं. 09334606570/0913009905/0651&2212943
ई–मेल : cssatish26@gmail.com/skaranchilffice@gmail.com
PAN : ADGFS8830H

सेवा में,
सदस्यगण,
सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि.,
गोंदवाना प्लेस काँके रोड, राँची, झारखंड-834031

हमने मेसर्स सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड (इसके बाद इसे कंपनी कहा जाएगा) द्वारा प्रयोज्य संविधिक प्रावधानों तथा अच्छे निगमित कार्य–कलाप (गुड कारपोरेट प्रैक्टिसेज) के अनुपालन का सचिवीय अंकेक्षण किया है। सचिवीय अंकेक्षण इस ढंग किया है, जिससे हमें निगमित कार्य–कलाप/सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन तथा इस पर अपनी राय देने के लिए तर्कसंगत आधार मिल सके। कोविड–19 महामारी के कारण होने वाले लॉकडाउन के बाद भी जहाँ भी आवश्यक हुआ है हमने शारीरिक रूप से अपेक्षित पुस्तकों और पत्रों का निरीक्षण किया है।

कंपनी के हिसाब–किताब, पेपर्स मान्यूट बुक्स, दाखिल किए फार्म तथा रिटर्न एवं द्वारा रखी जा रही अन्य रिपोर्ट के सत्यापन तथा कंपनी, अंकेक्षण अवधि अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर इसके नीचे दिए गए सूची सांविधिक प्रावधानों का पालन किया गया है तथा यह भी कि कंपनी के पास कुछ हद तक इस ढंग से तथा नीचे की गई रिपोर्टिंग के अनुसार समुचित बोड प्रक्रिया ताकि अनुपालन रिपोर्ट उपलबध है।

हमने निम्नलिखित प्रावधान के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मेसर्स सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट (''दि कंपनी'') के पुस्तिका, अभिलेख, बही–खाता तथा कागजात की जाँच की है :

1. कंपनी अधिनियम, 2013 तथा इसके तहत बनाए गए नियम।
2. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।
3. दी डिपोजिटरीज एक्ट,1996।
4. दी सेबी (लिस्टिंग/ऑब्लिगेशन – डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशन, 2015।
5. लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी ओएम नं. 18 (8)/2005–जीएम, दिनांक 14 मई, 2010 के अनुसार केंद्रीय लोक उद्यम के लिए निगमित शासन पर दिशा–निर्देश।
6. संविदा श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन (अबोलिशन) अधिनियम, 1970।
7. कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013
8. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और इसके अंतर्गत अन्य पर्यावरणिक कानून एवं नियम।
9. कंपनी पर लागू अन्य अधिनियम एवं कानून (इस सम्बन्ध में परिशिष्ट – I का अनुसरण किया जाए)।

I. हमारी राय में, हमारे द्वारा की गई जाँच, हमारे पास पेश अभिलेखों के सत्यापन तथा कंपनी एवं इसके अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 (दि एक्ट) के प्रावधान एवं इसके तहत बनाए गए अधिनियम, कंपनी के मेमोरेंडम तथा आर्टिकल ऑफ असोशिएशन, विशेषकर इसमें उल्लिखित प्रावधान का अनुपालन किया है तथा यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड–प्रक्रिया तथा अनुपालन मेकानिज्म जैसा चाहिए वैसा ही एवं सही ढंग में तथा इसके नीचे दी गई रिपोर्ट के अनुसार है :

1. अनेक सांविधिक रजिस्टरों तथा दस्तावेजों का रखरखाव और उसमें आवश्यक प्रविष्टि।
2. भाग 1 के तहत दिए गए निदेश के अनुसार तुलन–पत्र का फार्म, भाग– ।। के अनुसार लाभ एवं हानि के विवरण, कंपनी अधिनियम की अनुसूची 3 में दिए गए निदेश के अनुसार इसे तैयार करने के लिए सामान्य निर्देश
3. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अधिकारियों एवं गैर–अधिकारियों, स्वतंत्र निदेशकों को मिलाकर पर्याप्त संतुलन वाला निदेशक मंडल का गठन। (इस रिपोर्ट की परिशिष्ट में उद्धत के अलावा)
4. निबंधित कार्यालय एवं कंपनी के नाम का प्रकाशन
5. अधिनियम तथा इसके तहत बनाए गए नियम के अनुसार निर्धारित समय पर कंपनी रजिष्ट्रार, झारखंड के पास अपेक्षित फार्म तथा रिटर्न दाखिल करना
6. निदेशक मंडल तथा उनकी समितियों की बैठक बुलाना एवं आयोजित करवाना।
7. शुक्रवार 27 जुलाई, 2020 को सदस्यों की 45वीं वार्षिक आम बैठक बुलाना एवं आयोजित करवाना।
8. लूज में सही ढंग से रिकार्ड किया हुआ वार्षिक आम बैठक, असाधारण आम बैठक तथा बोर्ड की समितियों की बैठक की कार्यवाही का रख–रखाव, जिसे नियमित अंतराल पुस्तक स्वरूप में बनाया जा रहा है।
9. निदेशकों के पारिश्रमिक का भुगतान
10. सांविधिक अंकेक्षकों, आंतरिक अंकेक्षकों तथा कॉस्ट आडिटरों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक।
11. अंकेक्षण समिति तथा नामिनेशन एवं रिम्यूनेरेशन कमेटी का गठन एवं विचारार्थ विषय।
12. कंपनी द्वारा अपने सदस्यों एवं अंकेक्षकों केदस्तावेज की व्यवस्था।
13. संविदा श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 तथा अन्य लागू कानून के तहत यथा विहित विभिन्न सांविधिक रिटर्न फाइल करना, संवेदकों के रजिस्टर का रख–रखाव आदि से संबंधित सभी अनुपालनों के लिए वचनबद्धता (हलफनामा)।

II. हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

1. कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अधीन मुख्यालय तथा सभी क्षेत्रीय संस्थानों के कार्यालय में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है।
2. निदेशकों ने, जहाँ कहीं अपेक्षित हुआ है, अपने शेयर होल्डिंग तथा अन्य कम्पनियों में डायरेक्टरशीप तथा अन्य इन्टिटि में अपनी रूचि स्पष्ट की है तथा बोर्ड द्वारा उनकी रूचि को नोट तथा दर्ज किया गया है।
3. निदेशकों ने अपनी नियुक्ति की पात्रता, अपने स्वतंत्र होने तथा निदेशकों एवं वरीय प्रबंधन कार्मिकों के कोड आफ कंडक्ट के अनुपालन के बारे में डिस्क्लोजर रिक्वारमेंट का अनुपालन किया है।
4. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी, इसके निदेशकों तथा अधिकारियों पर कोई अभियोजन (मुकदमा) शुरू नहीं किया है तथा न फाइन तथा पेनाल्टी लगाया गया है।
5. कंपनी द्वारा स्थापित अनुपालन क्रिया–विधि (मेकानिज्म) के आधार पर तथा कंपनी सचिव एवं कंपनी के अनुपालन अधिकारी तथा कंपनी

के अन्य विभागाध्यों द्वारा जारी अनुपालन प्रमाण–पत्र एवं अन्य प्रमाण–पत्र के आधार पर कंपनी के पास किसी प्रकार का अनुपालन लंबित नहीं है।

प्रबंधन का दायित्व

1. सचिवीय अभिलेख का रख–रखाव करना कंपनी का दायित्व है। हमारा दायित्व अपने अंकेक्षण के आधार सचिवीय अभिलेखों पर राय (विचार) देना है।

2. सचिवीय अभिलेख की विषय–वस्तु की परिशुद्धता के बारे में यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हमने उपयुक्त अंकेक्षण प्रचलन एवं प्रक्रिया का अनुसरण किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेख में सही तथ्य प्रतिबिम्बित होता है, के लिए यह सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया एवं प्रचलन से हमारी राय (विचार) बनाने के लिए उचित आधार प्रदान करता है।

3. हमने कंपनी अधिनियम के अनुपालन के अनुसार वित्तीय अभिलेख की जाँच की है।

4. निगमित शासन के प्रावधान एवं अन्य लागू कानूनों, नियमों विनियमनों, मानकों के प्रावधानों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का है। हमारा दायित्व जाँच के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक ही सीमित था।

5. सचिवीय अंकेक्षण रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावकारिता का जिससे प्रबंधन ने कंपनी के कार्य व्यापार कार्यान्वित किया है।

प्रबंधन का दायित्व

1. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्ड तथा लेखा पुस्तिका की शुद्धता या औचित्य को सत्यापित नहीं किया है।

2. संबंधित अधिकारियों से प्राप्त प्रमाण पत्रों के आधार पर और अन्य कानूनों के आधार पर रिपोर्ट की गई बातों का अनुपालन किया जा रहा है।

3. जहाँ भी आवश्यक हुआ है, हमने पूर्वोक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों, दिशानिर्देशों और घटनाओं के होने आदि के अनुपालन के बारे में प्रबंधन प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

कृते **सतीश कुमार एण्ड एसोसिएट्स**

सतीश कुमार
कंपनी सचिव
एम नं. एफ 8423
सी.पी. सं. 9788

यूडीआइएन – F008423C000374778

स्थान : राँची
दिनांक : 26 मई 2021

सतीश कुमार एंड असोसिएट्स

(कम्पनी सेक्रेट्रीज)

परिशिष्ट - I

अन्य कानूनों की सूची

क्र. सं.	अधिनियम/नियम/विनियम के नाम	कम्पनी की प्रयोज्यता	अनुपालन की स्थिति
1.	दी कोल माइंस एक्ट, 1952	लागू	अनुपालन
2.	दी पेमेंट ऑफ वेजेज (माइंस) रूल्स, 1956	लागू	अनुपालन
3.	कोल माइंस प्रोविडेंट फण्ड एंड मिसलेनियस प्रोविजनस एक्ट, 1948	लागू	अनुपालन
4.	दी पेमेंट ऑफ अनडीस्बर्स्ड वेजेज(माइंस) रूल्स, 1989	लागू	अनुपालन
5.	इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 एंड दी इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, 1956	लागू	अनुपालन
6.	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और नियम के अंतर्गत निर्मित	लागू	अनुपालन
7.	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981	लागू	अनुपालन
8.	इण्डियन एक्सप्लोसिवस एक्ट, 1884	लागू	अनुपालन
9.	सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन्स एक्ट, 1956	लागू नहीं	लागू नहीं
10.	फोरेंन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, 1999 एंडदी रूल्स एंडरेगुलेशन मेड देयरअंडर टू दीएक्सटेंट ऑफ फोरेंनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोर्रोविंग्सय	लागू नहीं	लागू नहीं
11.	अधिनियम और दिशानिर्देश दी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, 1992 के तहत निर्धारित है	लागू नहीं	लागू नहीं
	क) दी सेबी (इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रीक्वार्मेंट) रेगुलेशन्स, 2009	लागू नहीं	लागू नहीं

	ख) दी सेबी (सब्सटेंसशियल एकुजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर) रेगुलेशन्स, 2011	लागू नहीं	लागू नहीं
	ग) दी सेबी (शेयर बेस्ड एम्प्लोयी बेनेफिट्स), रेगुलेशन्स, 2014	लागू नहीं	लागू नहीं
	घ) दी सेबी (इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेब्ट सिक्योरिटीज), रेगुलेशन्स, 2009	लागू नहीं	लागू नहीं
	ङ) दी सेबी (डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स), रेगुलेशन्स, 2009	लागू नहीं	लागू नहीं
	च) दी सेबी (बाईबेक ऑफ सिक्योरिटीज), रेगुलेशन्स, 1998	लागू नहीं	लागू नहीं
12.	कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000 और कोलियरी नियंत्रण नियम, 2004	लागू नहीं	लागू नहीं
13.	दी कोल माइंस रेगुलेशन्स, 2017	लागू नहीं	लागू नहीं
14.	कोल माइंस पेंषन स्कीम, 1998	लागू नहीं	लागू नहीं
15.	कोल माइंस कंजरवेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, 1974	लागू नहीं	लागू नहीं
16.	दी माइंस वोकेशनल ट्रेनिंग रूल्स, 1966	लागू नहीं	लागू नहीं
17.	दी माइंस क्रेच रूल्स, 1961	लागू नहीं	लागू नहीं
18.	दी माइंस रेस्क्यू रूल्स, 1985	लागू नहीं	लागू नहीं
19.	कोल माइंस पिटहेड बाथ रूल्स, 1946	लागू नहीं	लागू नहीं
20.	मैटरनिटी बेनेफिट्स (माइंस एंड सर्कस) रूल्स, 1963	लागू नहीं	लागू नहीं
21.	दी एक्स्प्लोसिव रूल्स, 2008	लागू नहीं	लागू नहीं
22.	मिनरल कन्सेशन रूल्स, 1960	लागू नहीं	लागू नहीं
23.	माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन्स) एक्ट, 1957	लागू नहीं	लागू नहीं
24.	दी हजार्डस एंड अदर वेस्ट्स (मैनेजमेंट एंड ट्रांस्बाउंड्री मूवमेंट) रूल्स, 2016	लागू नहीं	लागू नहीं
25.	पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, 1991 एंड रूल्स के अंतर्गत निर्धारित	लागू नहीं	लागू नहीं

परिशिष्ट- VI

संबंधित पार्टियों यू/एस 188 (1) के साथ अनुबंध या व्यवस्था।

फार्म नंबर एओसी-2

(अधिनियम की धारा 134की उपधारा (3) के खंड (ज) और कंपनियों (लेखा) नियम, 2014के नियम 8(2) के अनुसार)

कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र, जिसमें तीसरे नियम के तहत सुरक्षित और सुविधाजनक प्रक्रिया शामिल है। :

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरा
1.	**वैसे संविदा व्यवस्था या लेन-देन का ब्यौरा जो आर्मलेन्थ बेसिस पर न हो**	**शून्य**
क)	संबंधित पार्टी का नाम तथा संबंध की प्रकृति	
ख)	संविदा/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति	
ग)	संविदा/व्यवस्था/लेन–देन की अवधि	
घ)	मूल्य सहित संविदा/व्यवस्था/लेन–देन की प्रमुख शर्त टर्म	
ड.)	इस प्रकार के संविदा या व्यवस्था या लेन–देन करने का औचित्य	
च)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	
छ)	अग्रिम, यदि कोई हो, के रूप में भुगतान की गई रकम	
ज)	धारा 188 के पहले परंतुक के तहत यथा अपेक्षित रकम आम बैठक द्वारा पारित विशेष संकल्प की तिथि	
2.	**आर्मस लेन्थ आधार पर महत्वपूर्ण (मेटेरियल) संविदा, व्यवस्था या लेन-देन का ब्यौरा**	**परिशिष्ट'ए' के अनुसार**
क)	संबंधित पार्टी का नाम तथा संबंध की प्रकृति	
ख)	संविदा/व्यवस्था/लेन–देन की प्रकृति	
ग)	संविदा/व्यवस्था/लेन–देन की अवधि	
घ)	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदा या व्यवस्था या लेन–देन की प्रमुख शर्त	
ड.)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि, यदि कोई हो,	
च)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो,	

परिशिष्ट- 'ए'

31.03.2021 के अनुसार ग्रूप के भीतर संबंधित पार्टियों का साथ लेन-देन

(सरकार से सम्बद्ध संस्था होने के नाते सम्बद्ध पार्टी के साथ लेन–देन तथा नियंत्रक सरकार और एक ही सरकार के तहत अन्य संस्था (इंटिटि) के पास बकाया शेष के संबंध में सामान्य प्रकटीकरण आवश्यकता से इसे छूट मिली है।

आईएनडी एएस 24 के अनुसार महत्वपूर्ण लेन–देन की प्रकृति एवं रकम का स्पष्टीकरण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रू. में) :

कंपनी का नाम	विवेच्य वर्ष के दौरान लेन-देन की रकम	लेन-देन की प्रकृति
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	96.35	बिक्री
भारत कोकिंग कोलफील्ड्स लिमिटेड	85.15	बिक्री
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	134.49	बिक्री
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	133.98	बिक्री
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	351.87	बिक्री
नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	91.48	बिक्री
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	84.67	बिक्री
कोल इंडिया लिमिटेड, सीआईएल (100 प्रतिशत होल्डिंग कंपनी)	8.01	बिक्री
समग्र योग	**986.00**	

परिशिष्ट- VII

(31.3.2021 की तिथि को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक मंडल की रिपोर्ट के भाग का परिशिष्ट कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक), नियम 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के नियम 5(2) के अनुसार सूचना :

क्र.सं.	नाम	पदनाम/कार्य की प्रकृति	वर्ष के दौरान पारिश्रमिक (रु.)	नियुक्ति की प्रकृति स्थाई/अस्थाई	योग्यता	अनुभव (वर्ष)	प्रारंभ की तिथि	31.3.2017 को उम्र (वर्ष)	अंतिम नियोजन	धारित इक्विटीशेयर का %	क्या निदेशक प्रबंधक से संबंधित है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(अ)	समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष में पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान नियोजित तथा उस वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त सकल पारिश्रमिक जो 1,02,00,000/– रू. से कम नहीं था। -------------------------------- शून्य--										
(ब)	समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के किसी भाग के लिए नियुक्त एवं वित्तीय वर्ष के लिए संपूर्ण योग के दर पर प्राप्त पारिश्रमिक जो 8,50,000/– रू. प्रति माह से कम नहीं था। --------------------------------- शून्य ---------------------------------------										
(स)	पूरे वित्तीय वर्ष या उसके भाग के दौरान नियोजित एमडी/डब्ल्यूटीडी/मैनेजर द्वारा मिलने वाले पारिश्रमिक से अधिक की प्राप्ति तथा जिसके पास कंपनी की इक्विटी शेयर का 2% से अधिक नहीं था। ----------------------------------शून्य--										

परिशिष्ट- VIII

भारत सरकार
भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
कार्यालय, महा निदेशक वाणिज्यिक लेखा-परीक्षा (कोयला)
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (COAL)
ओल्ड निजाम प्लेस, 234/4, ए.जे.सी. बोस रोड, कोलकाता - 700 020
OLD NIZAM PALACE, 234/4, A.J.C. BOSE ROAD, KOLKATA - 700020

संख्या– सीएआर/सीसीएल/ए/सी ऑडिट/सीएमपीडीआईएल/2021–22/ दिनांक : 19 जुलाई, 2021

सेवा में,

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक,
सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड,
गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची– 834 031

विषयः 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड के लेखे पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी इसके साथ अग्रसारित कर रहा हूँ।

कृपया इसकी प्राप्ति की सूचना दी (से अवगत कराया) जाए।

आपका विश्वासी

(मौसमी राय भट्टाचार्या)
अंकेक्षण (कोयला) के महानिदेशक
कोलकाता

संलग्नः यथोक्त।

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 19 जुलाई, 2021

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड के लेखे पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धाारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्क एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम 2013 के तहत वित्तीय प्रतिवेदन फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड के वित्तीय विवरण की तैयारी का दायित्व कंपनी प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त संविधिक अंकेक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत विहित अंकेक्षण के मानकों के अनुसार अपने स्वतंत्र अंकेक्षण के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरण पर अपना विचार देने के लिए उत्तरदायी है। कहा गया है कि यह दिनांक 28 मई, 2021के उनके अंकेक्षण रिपोर्ट के अनुसार किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से मैने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड को वित्तीय विवरण के अधिनियम की धारा 143(6) (ए) के तहत पूरक अंकेक्षण किया गया है। यह पूरक अंकेक्षण सांविधिक अंकेक्षकों के कार्यकारी अभिलेख (वर्किंग पेपर) तक पहुँच (एक्सेस) के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है तथा यह प्रथमतः सांविधिक अंकेक्षकों तथा कंपनी के कर्मियों की जाँच और कुछ चयनित लेखा अभिलेखों के परीक्षण तक सीमित है। हमारे अंकेक्षण के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ भी ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आया है जिस पर सांविधिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या पूरक टिप्पणी देना अपेक्षित है :

भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षा
बोर्ड की ओर से एवं वास्ते

(मौसमी राय भट्टाचार्या)
अंकेक्षण (कोयला) के महानिदेशक
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 19 जुलाई, 2021

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर वार्षिक रिपोर्ट:

1. **कंपनी कें सीएसआर पालिसी पर संक्षिप्त आऊटलाइनः**

सीएमपीडीआईएल, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और नवीनतम डीपीई के दिशा–निदेशों के अनुसार निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत विभिन्न विकासात्मक गतिविधियाँ कर रहा है। निधि का आवंटन सीएमपीडीआईएल की सीएसआर पॉलिसी के तहत किया जाता है, जिसमें वर्तमान तीन वित्तीय वर्षों के कुल लाभ का औसत का 2 प्रतिशत दो राशियों में जो अधिक हो विशेष वित्तीय वर्ष के लिए आवंटित किया जाता है। सीएमपीडीआईएल के सीएसआर नीति पब्लिक को देखने के लिए वेबसाइट: www.cmpdi.co.in पर दिया गया है।

2. **सीएसआर कमिटि का गठन :**

क्र.सं.	निदेशक का नाम	निदेशक का पदनाम प्रकृति	अवधि के दौरान सीएसआर कमिटि की आयोजित बैठक की संख्या	अवधि के दौरान सीएसआर कमिटि की बैठक में भाग लेने की संख्या
1.	श्री प्रमोद सिंह चौहान	अध्यक्ष	4	4
2.	श्रीमती अलका पांडा	सदस्य	4	4
3.	डा. कृष्ण चन्द्र पाण्डेय	सदस्य	4	4
.4	श्री आर.एन. झा	सदस्य	4	3
5.	श्री एस.के. गोमास्ता	सदस्य	4	2
6.	श्री के.के. मिश्रा	सदस्य	4 (21.05.2019 से 14.09.2020 तक)	3

3. सीएसआर समिति का गठन, सीएसआर पॉलिसी और सीएसआर परियोजना जब बोर्ड द्वारा अनुमोंदित हो जाती है तो उसे कंपनी के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर समिति का गठन, सीएसआर पॉलिसी और सीएसआर परियोजनाओं का विस्तृत विवरण कंपनी के वेबसाइट https://www.cmpdi.co.in/csr.php पर दिया जाता है।

4. **कंपनी नियम, 2014 (कारपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटि पॉलिसी) के उप-नियम 9 के अनुसरण में संपन्न सीएसआर परियोजनाओं का इम्पैक्ट असेसमेंट का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराना, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें)।**

सीएसआर नियमों के अनुसार सीएमपीडीआईएल द्वारा शुरू की जाने वाली सीएसआर परियोजना इम्पैक्ट असेसमेंट के तहत पड़ने वाले परियोजना नहीं की गई है। तथापि सीएसआर परियोजना/क्रिया–कलाप के लिए सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय द्वारा गठित टीम द्वारा भौतिक जाँच की गई।

5. कंपनी (कारपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटि पॉलिसी) नियम, 2014 के रूल 7 के सब-रूल (3) के अनुसरण में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि और वित्तीय वर्ष के लिए सेट ऑफ हेतु अपेक्षित राशि का विस्तृत विवरण, यदि कोई हो

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	प्रीसिडिंग वित्तीय वर्ष (रू.में) से सेट आफॅ के लिए उपलब्ध राशि	वित्तीय वर्ष के लिए सेटआफ किए जाने के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो (रू.में)
1.	शून्य	एन.ए.	एन.ए.
	कुल		

6. सेक्शन 135 (5) के अनुसार कंपनी का औसत कुल लाभ :

हेड	राशि (करोड़ रू. में)
वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए पीवीटी	312.62
वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए पीबीटी	263.82
वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए पीबीटी	120.82
कुल	**697.26**
प्रीसिडिंग तीन वर्षों का औसत	232.42

7. (क) सेक्शन 135 (5) के अनुसार कंपनी का औसत कुल लाभ का 2 प्रतिशत

प्रीसिंडग तीन वर्षों का औसत कुल लाभ का 2 प्रतिशत 4.6484 करोड़

(ख) गत वित्तीय वर्ष के सीएसआर परियोजना अथवा कार्यक्रम अथवा क्रिया-कलाप से उत्पन्न अधिशेष

गत वित्तीय वर्ष के सीएसआर परियोजना अथवा कार्यक्रम अथवा क्रिया–कलाप से कोई अधिशेष उत्पन्न नहीं हुआ।

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए सेट ऑफ किए जाने वाला अपेक्षित राशि, यदि कोई हो।

वित्तीय वर्ष के लिए सेटऑफ के लिए कोई राशि नहीं है।

(घ) वित्तीय वर्ष (7क+7ख-7ग) के लिए कुल सीएसआर ओबलिगेशन

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा सीएसआर के तहत खर्च किए गए मेण्डेटरी राशि 4.6484 करोड़ रू. था।

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अथवा खर्च नहीं की गई सीएसआर राशिः

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (रू.में)	खर्च नहीं की गई राशि (रूपये में)				
	सेक्शन 135 (6) के अनुसार खर्च नहीं की गई सीएसआर राशि का कुल राशि का स्थानांतरण		सेंक्शन 135 (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची-vii के तहत उल्लेखित किसी राशि में से स्थानांतरित राशि		
	राशि	स्थानांतरण की तिथि	राशि का नाम	राशि	स्थानांतरण की तिथि
4,65,68,000 / –	शून्य	एनए	एनए	एनए	एनए

(ख) कुल समाजिक निगमित दायित्व

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र. स.	परियोजना का नाम	अधिनियम के अनुसूची VII में क्रिया-कलापों की सूची से आइटम	लोकल एरिया (हाँ/नहीं)	परियोजना स्थल		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (लाख रू.में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (लाख रू. में)	सेक्सन 135 (6) के अनुसार परियोजना के लिए सीएसआर मद में खर्च नहीं की गई राशि (लाखरू.में)	कार्यान्वयन के तरीके प्रत्यक्ष	कार्यान्वयन एजेंसी के द्वारा कार्यान्वयन के तरीके	सीएसआर पंजीयन संख्या
				जिला	राज्य					(हाँ/नहीं)	नाम	
1.	स्पील ओवरः ग्राम कुलगु, केलेन्डी,ब्लॉक नगरी, जिला–राँची में वृद्धाश्रम के कैम्पस में जरूरतमंद वृद्धों के लिए दो कॉटेज के निर्माण का प्रस्ताव	प्वाईंट III अनुसूची VII : वृद्धों के लिए आश्रम	हाँ	राँची	झारखण्ड	1 वर्ष	16.34	13.38	शून्य	हाँ		
2.	स्पिलओवरः बिरसा उच्च विद्यालय, रांची को स्पेशलशिप, स्पांसरशिप और अन्य सहायता के जरिए समाज के जरूरत मंदों और गरीब के बीच शिक्षा को बढ़ावा देना	प्वाईंट II अनुसूची VII : प्रमोटिंग एजुकेशन	हाँ	राँची	झारखण्ड	1 वर्ष	1.40	1.18	शून्य	हाँ		
3.	महामारी कोविड–19 की रोकथाम	प्वाईंट I अनुसूची VII : प्रमोटिंग हेल्थकेयर	हाँ	राँची	झारखण्ड	1 वर्ष	2.00	2.00	शून्य	हाँ		
4.	कोविड–19 की रोकथाम	प्वाईंट I अनुसूची VII : प्रमोटिंग हेल्थकेयर	हाँ	राँची	झारखण्ड	1 वर्ष	0.48	0.48	शून्य	हाँ		
5.	सीम्बो और आसपास के क्षेत्रों के आर्थिक रूप से पिछड़े 125 डेस्टीट्यूड/आरफन की शिक्षा में सहयोग	प्वाईंट II अनुसूची VII : प्रमोटिंग एजुकेशन	हाँ	राँची	झारखण्ड	1 वर्ष	10.75	10.75	शून्य	हाँ		
6.	ब्रज किशोर नेत्रहीन बालिका विद्यालय में 25 विजुअली इम्पेयर्ड छात्राओं का शिक्षा सहयोग	प्वाईंट II अनुसूची VII : प्रमोटिंग एजुकेशन	हाँ	राँची	झारखण्ड	1 वर्ष	4.80	4.80	शून्य	हाँ		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र. स.	परियोजना का नाम	अधिनियम के अनुसूची VII में क्रिया-कलापों की सूची से आइटम	लोकल एरिया (हाँ/नहीं)	परियोजना स्थल		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (लाख रू.में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (लाख रू. में)	सेक्सन 135 (6) के अनुसार परियोजना के लिए सीएसआर मद में खर्च नहीं की गई राशि (लाखरू.में)	कार्यान्वयन के तरीके प्रत्यक्ष	कार्यान्वयन एजेंसी के द्वारा कार्यान्वयन के तरीके	सीएसआर पंजीयन संख्या
				जिला	राज्य					(हाँ/नहीं)	नाम	
7.	गोंदवानाप्राइमरी स्कूल, रांचीको स्कालरशिप, स्पांसरशिप और अन्य सहायता देकर गरीब और जरूरत मंद व्यक्तियों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देना।	प्वाईंट II अनुसूचीVII : प्रमोटिंग एजुकेशन	हाँ	राँची	झारखण्ड	1 वर्ष	1.69	1.69	शून्य	हाँ		
8.	बच्चों के विकास और मानसिक स्वास्थ्य के लिए दीपशिखा इंस्टीच्यूट के 25 इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटि वाले बच्चों के शिक्षा एवं दक्षता विकास में सहायता	प्वाईंट II अनुसूचीVII : प्रमोटिंग एजुकेशन	हाँ	राँची	झारखण्ड	1 वर्ष	11.44	9.33	शून्य	हाँ		
9.	बिरसा उच्च विद्यालय, रांची को स्कॉलरशिप, स्पांसरशिप और अन्य सहायता उपलब्ध कराकर गरीब और जरूरत मंदों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देना	प्वाईंट II अनुसूचीVII : प्रमोटिंग एजुकेशन	हाँ	राँची	झारखण्ड	1 वर्ष	11.02	11.02	शून्य	हाँ		
10.	गांधी मेमोरियल लेप्रोसी हौस्पिटल में 20 रोगियों के अस्पताल के खर्च के लिए सीएसआर के तहत वित्तीय सहायता	प्वाईंट I अनुसूचीVII : प्रमोटिंग हेल्थकेयर	हाँ	पुरूलिया	प.बंगाल	1 वर्ष	8.15	8.15	शून्य	हाँ		
11.	स्वच्छता कार्य योजना सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय	प्वाईंट I अनुसूचीVII : प्रमोटिंग सेनीटेशन	हाँ	राँची	झारखण्ड	1 वर्ष	1.50	1.50	शून्य	हाँ		
12.	मेडिकल कैम्प	प्वाईंट I अनुसूचीVII : प्रमोटिंग हेल्थकेयर	हाँ	राँची	झारखण्ड	1 वर्ष	0.50	0.47	शून्य	हाँ		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम के अनुसूची VII में क्रिया-कलापों की सूची से आइटम	लोकल एरिया (हाँ/नहीं)	परियोजना स्थल		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (लाख रू.में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (लाख रू. में)	सेक्सन 135 (6) के अनुसार परियोजना के लिए सीएसआर मद में खर्च नहीं की गई राशि (लाखरू.में)	कार्यान्वयन के तरीके प्रत्यक्ष	कार्यान्वयन एजेंसी के द्वारा कार्यान्वयन के तरीके	सीएसआर पंजीयन संख्या
				जिला	राज्य					(हाँ/नहीं)	नाम	
13.	रांची जिले के विभिन्न गाँवों के 40 अंडर प्रवीलेज्ड/अनइम्प्लाइड/अंडर इम्प्लाइड यूथ को मशीन आपरेटर का दक्षता विकास प्रशिक्षण स्किलिंग एवं टेक्नीकल सपोर्ट के लिए सेंट्रल इस्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाजी (सीआईपीईटी) सेंटर (एमओ–पीपी) का प्रशिक्षण	प्वाईंट II, वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग	हाँ	राँची	झारखण्ड	1 वर्ष	35.93	35.93	शून्य	नहीं	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीआईपीईटी) (पहले सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीआईपीईटी) के नाम से जाना जाता था)	
14.	सामान्य चिकित्सा कैम्प	प्वाईंट I अनुसूचीVII : प्रमोटिंग हेल्थकेयर	हाँ	राँची	झारखण्ड	1 वर्ष	8.00	2.07	शून्य	हाँ		
15.	स्पेशलाइज्ड मेडिकल कैम्प (3 कैम्प)	प्वाईंट I अनुसूची VII : प्रमोटिंग हेल्थकेयर	हाँ	राँची	झारखण्ड	1 वर्ष	8.31	7.91	शून्य	हाँ		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम के अनुसूची VII में क्रिया-कलापों की सूची से आइटम	लोकल एरिया (हाँ/नहीं)	परियोजना स्थल		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (लाख रू.में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (लाख रू. में)	सेक्सन 135 (6) के अनुसार परियोजना के लिए सीएसआर मद में खर्च नहीं की गई राशि (लाखरू.में)	कार्यान्वयन के तरीके प्रत्यक्ष	कार्यान्वयन एजेंसी के द्वारा कार्यान्वयन के तरीके	सीएसआर पंजीयन संख्या
				जिला	राज्य					(हाँ/नहीं)	नाम	
16.	सीएमपीडीआईएल के कमांड एरिया के 40 यूथ के दक्षत विकास प्रशिक्षण सीआईपीईटी मु.(सीआईएस द्वारा एमओयू) द्वारा प्लास्टिक इंजीरियरिंग ट्रेड में प्रशिक्षण	प्वाईंट– ।। वोकेशनल स्किलस ट्रेनिंग	हाँ	राँची	झारखण्ड	1 वर्ष	28.00	28.00	शून्य	नहीं	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीआईपीईटी) (पहले सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीआईपीईटी) के नाम से जाना जाताथा)	
17.	कोविड–19 महामारी की रोकथाम	प्वाईंट– । अनुसूची vii प्रमोटिंग हेल्थकेयर	हाँ	राँची	झारखण्ड	1 वर्ष	2.00	2.00	शून्य	हाँ		
18.	कोविड–19 की रोकथाम	प्वाईंट– । अनुसूची vii प्रमोटिंग हेल्थकेयर	हाँ	राँची	झारखण्ड	1 वर्ष	7.00	6.98	शून्य	हाँ		
19.	श्री माँ प्रतिबांधी कल्याण केंद्र (सोसाइटी) आसनसोल से 50 स्पेमल बच्चों को स्पांसरशिप	प्वाईंट– ।। अनुसूची vii प्रमोटिंग एजुकेशन	हाँ	आसनसोल	प.बंगाल	1 वर्ष	10.25	10.25	शून्य	हाँ		
20.	आसनसोल ब्रेल एकेडमी, आसनसोल, वेस्ट बंगाल से 20 दृष्टि बाधित छात्रों को स्पांसरशिप	प्वाईंट– ।। अनुसूची vii प्रमोटिंग एजुकेशन	हाँ	आसनसोल	प.बंगाल	1 वर्ष	9.14	9.14	शून्य	हाँ		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र. स.	परियोजना का नाम	अधिनियम के अनुसूची VII में क्रिया-कलापों की सूची से आइटम	लोकल एरिया (हाँ/नहीं)	परियोजना स्थल		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (लाख रू.में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (लाख रू. में)	सेक्सन 135 (6) के अनुसार परियोजना के लिए सीएसआर मद में खर्च नहीं की गई राशि (लाखरू.में)	कार्यान्वयन के तरीके प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के द्वारा कार्यान्वयन के तरीके	
				जिला	राज्य						नाम	सीएसआर पंजीयन संख्या
21.	आसनसोल आनंदम, आसनसोल वेस्ट बंगाल से 23 फिजिकली/ मैन्टली चैलेन्ज्ड छात्रों को स्पांसरशिप	प्वाईंट– II अनुसूची vii प्रमोटिंग एजुकेशन	हाँ	आसनसोल	प.बंगाल	1 वर्ष	7.18	7.18	शून्य	हाँ		
22.	श्यामादेवी प्राइमरी स्कूल में पीवीसी वाटर टैंक की स्थापना	प्वाईंट– I अनुसूची vii पेयजल सुविधा	हाँ	आसनसोल	प.बंगाल	1 वर्ष	14.66	12.39	शून्य	हाँ		
23.	केंदगोर ग्राम पंचायत में 60 स्ट्रीट लाइट की स्थापना	प्वाईंट– IV अनुसूची vii पर्यावणिक सस्टेनेबिलिटि	हाँ	आसनसोल	प.बंगाल	1 वर्ष	14.66	12.39	शून्य	हाँ		
24.	स्वच्छ कार्य योजना(सीएमपीडीआईएल क्षे.सं.–1)	प्वाईंट– I अनुसूची vii प्रमोटिंग हेल्थकेयर	हाँ	आसनसोल	प.बंगाल	1 वर्ष	1.50	1.50	शून्य	हाँ		
25.	चिकित्सा कैम्प (टीवी इराडिकेशन)	प्वाईंट– I अनुसूची vii प्रमोटिंग हेल्थकेयर	हाँ	आसनसोल	प.बंगाल	1 वर्ष	0.50	0.50	शून्य	हाँ		
26.	आसनसोल वेस्ट बंगाल के 51 डिसएबिलिटी व्यक्तियों को एड्स और उपकरणों का वितरण ताकि वे अपने दिन–प्रतिदिन के क्रिया–कलापों को कर सकें।	प्वाईंट– II अनुसूची vii प्रमोटिंग एजुकेशन	हाँ	आसनसोल	प.बंगाल	1 वर्ष	8.18	7.09	शून्य	हाँ		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम के अनुसूची VII में क्रिया-कलापों की सूची से आइटम	लोकल एरिया (हाँ/नहीं)	परियोजना स्थल		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (लाख रू.में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (लाख रू. में)	सेक्सन 135 (6) के अनुसार परियोजना के लिए सीएसआर मद में खर्च नहीं की गई राशि (लाखरू.में)	कार्यान्वयन के तरीके प्रत्यक्ष	कार्यान्वयन एजेंसी के द्वारा कार्यान्वयन के तरीके	सीएसआर पंजीयन संख्या
				जिला	राज्य					(हाँ/नहीं)	नाम	
27.	श्यामडीही प्री प्राइमरी स्कूल (स्टेट गवर्नमेंट प्रइमरी स्कूल जो 143 बच्चों को शिक्षा देता है) को वाटर प्यूरीफायर कूलर की स्थापना जिससे छात्रों के पेयजल की आवश्यकता के साथ ग्रीष्मऋतु में बच्चों को समुचित पेयजल मिल सकेगी	प्वाईंट– II अनुसूची vii प्रमोटिंग एजुकेशन	हाँ	आसनसोल	प.बंगाल	1 वर्ष	0.95	0.95	शून्य	हाँ		
28.	श्यामडीही प्री प्राइमरी स्कूल जो 143 इनरौल्ड छात्रों को शिक्षा देता है, के छात्रों को जिमनास्टिक के लिए स्प्रिंग बोर्ड उपलब्ध करान ताकि छात्र प्रस्तावित स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए प्रेरित और प्रशिक्षित हो सकें।	प्वाईंट– II अनुसूची vii प्रमोटिंग एजुकेशन	हाँ	आसनसोल	प.बंगाल	1 वर्ष	0.21	0.21	शून्य	हाँ		
29.	विशेष चिकित्सा कैम्प (3कैम्प)	प्वाईंट– I अनुसूची vii प्रमोटिंग हेल्थकेयर	हाँ	आसनसोल	प.बंगाल	1 वर्ष	8.31	8.00	शून्य	हाँ		
30.	कोविड–19 महामारी के रोकथाम	प्वाईंट– I अनुसूची vii प्रमोटिंग हेल्थकेयर	हाँ	धनबाद	झारखण्ड	1 वर्ष	2.77	2.66	शून्य	हाँ		
31.	स्वच्छता कार्य योजना(सीएमपीडीआईएल क्षे.सं.।।)	प्वाईंट– I अनुसूची vii प्रमोटिंग सेनीटेशन	हाँ	धनबाद	झारखण्ड	1 वर्ष	1.50	1.49	शून्य	हाँ		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र. स.	परियोजना का नाम	अधिनियम के अनुसूची VII में क्रिया-कलापों की सूची से आइटम	लोकल एरिया (हाँ/नहीं)	परियोजना स्थल		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (लाख रू.में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (लाख रू. में)	सेक्सन 135 (6) के अनुसार परियोजना के लिए सीएसआर मद में खर्च नहीं की गई राशि (लाखरू.में)	कार्यान्वयन के तरीके प्रत्यक्ष	कार्यान्वयन एजेंसी के द्वारा कार्यान्वयन के तरीके	सीएसआर पंजीयन संख्या
				जिला	राज्य					(हाँ/नहीं)	नाम	
32.	चिकित्सा कैम्प (टीबी इराडिकेशन)	प्वाईंट–I अनुसूची vii प्रमोटिंग हेल्थकेयर	हाँ	धनबाद	झारखण्ड	1 वर्ष	0.50	0.50	शून्य	हाँ		
33.	विशष चिकित्सा कैम्प(I कैम्प)	प्वाईंट–I अनुसूची vii प्रमोटिंग हेल्थकेयर	हाँ	धनबाद	झारखण्ड	1 वर्ष	2.77	2.66	शून्य	हाँ		
34.	कोविड–19 की रोकथाम	प्वाईंट–I अनुसूची vii प्रमोटिंग हेल्थकेयर	हाँ	धनबाद	झारखण्ड	1 वर्ष	2.00	2.00	शून्य	हाँ		
35.	कोविड–19 की रोकथाम	प्वाईंट–I अनुसूची vii प्रमोटिंग हेल्थकेयर	हाँ	राँची	झारखण्ड	1 वर्ष	4.15	4.15	शून्य	हाँ		
36.	भागेया पंचायत, बालूमाथ एवं डुमराव पंचायत पंचायत, चंदाव जिला–लातेहार(झारखंड) के विभिन्न स्थानों में प्लेट फार्म एवं ड्रेनेज व्यवस्था के साथ 18 हैंड पम्पों की स्थापना	प्वाईंट–I अनुसूची vii पेयजल सुविधा	हाँ	लातेहार	झारखण्ड	1 वर्ष	18.00	13.52	शून्य	हाँ		
37.	राजकीय उत्क्रमिक मध्य विद्यालय, लपरा एवं भुईयांटोली, खलारी, जिला, रांची (झारखंड) के लिए टायलेट ब्लॉक, विभिन्न यूनिटों (स्कूल भवन के) के बाह्य दिवाल और अन्य बहुविध कार्यों का निर्माण	प्वाईंट–I अनुसूची vii प्रमोटिंग सेनिटेशन	हाँ	राँची	झारखण्ड	1 वर्ष	14.00	12.62	शून्य	हाँ		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र. स.	परियोजना का नाम	अधिनियम के अनुसूची VII में क्रिया-कलापों की सूची से आइटम	लोकल एरिया (हाँ/नहीं)	परियोजना स्थल		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (लाख रू.में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (लाख रू. में)	सेक्सन 135 (6) के अनुसार परियोजना के लिए सीएसआर मद में खर्च नहीं की गई राशि (लाखरू.में)	कार्यान्वयन के तरीके प्रत्यक्ष	कार्यान्वयन एजेंसी के द्वारा कार्यान्वयन के तरीके	सीएसआर पंजीयन संख्या
				जिला	राज्य					(हाँ/नहीं)	नाम	
38.	राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सिराम (भागेया), बिशुनपुर एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय बारा (मारांगलोया) जिला– लातेहार (झारखंड) के लिए सेप्टीक टैंक, सोकपिट जलापूर्ति व्यवस्था सहित किचन एवं विधि कार्य सहित टायलेट ब्लॉक का निर्माण	प्वाईंट– I अनुसूची vii प्रमोटिंग सेनिटेशन	हाँ	लातेहार	झारखण्ड	1 वर्ष	15.00	12.37	शून्य	हाँ		
39.	राजकी उत्क्रमिक मध्य विद्यालय, डूमराव एवं काली, चंदाव जिला– लोहार (णरखंड) के लए सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए प्लेटफार्म सहित शेड, किचन शेड, बाउण्ड्री की दिवाल को ऊँचा करना तथा अन्य विविध कायों के लिए निर्माण	प्वाईंट– I अनुसूची vii प्रमोटिंग एजुकेशन	हाँ	लातेहार	झारखण्ड	1 वर्ष	8.25	9.36	शून्य	हाँ		
40.	एक इंटीग्रेटेड कम्युनिटि हेल्थ सर्विस सेंटर–जन क्लिनिक पतरातू ब्लॉक, रामगढ़ जिला में स्थापना	प्वाईंट I अनुसूची VII : प्रमोटिंग हेल्थकेयर	हाँ	रामगढ़	झारखण्ड	1 वर्ष	15.00	12.37	शून्य	हाँ		
41.	स्वच्छता कार्य योजना (सीएमपीडीआईएल, क्षे.सं. III)	प्वाईंट I अनुसूची VII : प्रमोटिंग सेनिटेशन	हाँ	राँची	झारखण्ड	1 वर्ष	1.50	1.50	शून्य	हाँ		
42.	मेडिकल कैम्प(टीबी इराडिकेशन)	प्वाईंट– I अनुसूची vii प्रमोटिंग हेल्थकेयर	हाँ	राँची	झारखण्ड	1 वर्ष	0.50	0.45	शून्य	हाँ		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र. स.	परियोजना का नाम	अधिनियम के अनुसूची VII में क्रिया-कलापों की सूची से आइटम	लोकल एरिया (हाँ/नहीं)	परियोजना स्थल		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (लाख रू.में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (लाख रू. में)	सेक्सन 135 (6) के अनुसार परियोजना के लिए सीएसआर मद में खर्च नहीं की गई राशि (लाखरू.में)	कार्यान्वयन के तरीके प्रत्यक्ष	कार्यान्वयन एजेंसी के द्वारा कार्यान्वयन के तरीके	सीएसआर पंजीयन संख्या
				जिला	राज्य					(हाँ/नहीं)	नाम	
43.	विशेष चिकित्सा कैम्प (5 कैम्प)	प्वाईंट–I अनुसूची vii प्रमोटिंग हेल्थकेयर	हाँ	राँची	झारखण्ड	1 वर्ष	13.85	13.30	शून्य	हाँ		
44.	कोविड–19 कोष आवंटित फरवरी, 2021 में	प्वाईंट–I अनुसूची vii प्रमोटिंग हेल्थकेयर	हाँ	राँची	झारखण्ड	1 वर्ष	11.68	12.06	शून्य	हाँ		
45.	स्पिल ओवरः बांद्रा ग्राम, केंद्रायेन्सा, पंचायत समिति, वरोरा जिला चन्द्रपुर, महाराष्ट्र में वाटर फिल्टर प्लांट की स्थापना	अनुसूचि 7 प्वाईंट x : ग्रामीण विकास परियोजनाएँ	हाँ	चन्द्रपुर	महाराष्ट्र	1 वर्ष	0.75	0.74	शून्य	हाँ		
46.	स्पिलओवरःबोरेगांव, वारोरा में वाटर फिल्टर प्लांट की स्थापना	प्वाईंट–I अनुसूची vii पेय जल सुविधा	हाँ	चन्द्रपुर	महाराष्ट्र	1 वर्ष	14.34	7.50	शून्य	हाँ		
47.	कोविड–19 महामारी की रोकथाम	प्वाईंट–I अनुसूची vii प्रमोटिंग हेल्थकेयर	हाँ	राँची	झारखण्ड	1 वर्ष	2.00	2.00	शून्य	हाँ		
48.	कोविड–19 की रोकथाम		हाँ	राँची	झारखण्ड	1 वर्ष	15.00	11.20	शून्य	हाँ		
49.	फ्लोराइड ट्रीटमेंट सहित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की डिजाइन, इंस्टाले÷ान अ§र चालू करना, प्रति घंटा 10000 लीटर क्षमता वाले आरओ ट्रीटमेंट यूनिट की स्थापना, 5 केडब्ल्यू सोलर प्लांट सहित वाटर वेंडिंग मशीन की स्थापना और प्लांट और उसके आपरेशन के लिए शेड का निर्माण और टनकी बेसिस पर तीन वर्षों के लिए आपरेशन और रखरखाव की वारंटी सहित	प्वाईंट–I अनुसूची vii पेयजल सुविधा	हाँ	चन्द्रपुर	महाराष्ट्र	1 वर्ष	17.00	9.89	शून्य	हाँ		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र. स.	परियोजना का नाम	अधिनियम के अनुसूची VII में क्रिया-कलापों की सूची से आइटम	लोकल एरिया (हाँ/नहीं)	परियोजना स्थल		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (लाख रू.में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (लाख रू. में)	सेक्सन 135 (6) के अनुसार परियोजना के लिए सीएसआर मद में खर्च नहीं की गई राशि (लाखरू.में)	कार्यान्वयन के तरीके प्रत्यक्ष	कार्यान्वयन एजेंसी के द्वारा कार्यान्वयन के तरीके	सीएसआर पंजीयन संख्या
				जिला	राज्य					(हाँ/नहीं)	नाम	
50.	फ्लोराइड ट्रीटमेंट सहित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की डिजाइन, इंस्टालेशन अेैर चालू करना, प्रति घंटा 10000 लीटर क्षमता वाले आरओ ट्रीटमेंट यूनिट की स्थापना, 5 केडब्ल्यू सोलर प्लांट सहित वाटर वेंडिंग मशीनकी स्थापना और प्लांटऔर उसके आपरेशन के लिए शेड का निर्माण और टनकी बेसिस पर तीन वर्षों के लिए आपरेशन और रखरखाव की वारंटी सहित	प्वाईंट–I अनुसूची vii पेयजल सुविधा	हाँ	चन्द्रपुर	महाराष्ट्र	1 वर्ष	17.00	9.89	शून्य	हाँ		
51.	बॉयो–टायलेट यूनिट्स का 2 सेट की आपूर्ति, स्थापना और परिचालन प्रत्येक सेट 2 वाश बेसिन सहित प्रत्येक पुरूष और महिल के लिए 6 डब्ल्यूसी का प्रत्येक सेट हो।	प्वाईंट–I अनुसूची vii प्रोमोटिंग सेनिटेशन	हाँ	चन्द्रपुर, नागपुर	महाराष्ट्र	1 वर्ष	6.00	0.00	शून्य	हाँ		
52.	बॉयो–टायलेट यूनिट्स का 2 सेट की आपूर्ति, स्थापना और परिचालन प्रत्येक सेट 2 वाश बेसिन सहित प्रत्येक पुरूष और महिल के लिए 6 डब्ल्यूसी का प्रत्येक सेट हो।	प्वाईंट–I अनुसूची vii प्रोमोटिंग सेनिटेशन	हाँ	चन्द्रपुर, नागपुर	महाराष्ट्र	1 वर्ष	6.00	0.00	शून्य	हाँ		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र. स.	परियोजना का नाम	अधिनियम के अनुसूची VII में क्रिया-कलापों की सूची से आइटम	लोकल एरिया (हाँ/नहीं)	परियोजना स्थल		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (लाख रू.में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (लाख रू. में)	सेक्सन 135 (6) के अनुसार परियोजना के लिए सीएसआर मद में खर्च नहीं की गई राशि (लाखरू.में)	कार्यान्वयन के तरीके प्रत्यक्ष	कार्यान्वयन एजेंसी के द्वारा कार्यान्वयन के तरीके	सीएसआर पंजीयन संख्या
				जिला	राज्य					(हाँ/नहीं)	नाम	
53.	चन्द्रपुर और यावतमाल जिले के 5 गाँवों में आई कैम्प सहित जेनरल मेडिकल कैम्प लगाना और सभी रोगी ग्रामीणों को उपचार। आपरेशन तथा इसके अतिरिक्त 100 ओख के मरीजों को महात्मा आई बैंक एंड आई हास्पिटल के जरिए उपचार। यह क्रिया कलाप सीएसआर अर्थात हेल्थ एंड न्यूट्रीशन के तहत इस वर्ष किया गया है।	प्वाईंट–। अनुसूची vii प्रोमोटिंग हेल्थकेयर	हाँ	चन्द्रपुर	महाराष्ट्र	1 वर्ष	5.00	4.57	शून्य	हाँ		
54.	स्वच्छता कार्य योजना (सीएमपीडीआईएल क्षे.सं.–4)	प्वाईंट–। अनुसूची vii प्रोमोटिंग सेनिटेशन	हाँ	चन्द्रपुर, नागपुर	महाराष्ट्र	1 वर्ष	1.50	1.50	शून्य	हाँ		
55.	चिकित्सा कैम्प (टीबी इराडिकेशन)	प्वाईंट–। अनुसूची vii प्रोमोटिंग हेल्थकेयर	हाँ	चन्द्रपुर, नागपुर	महाराष्ट्र	1 वर्ष	0.50	0.50	शून्य	हाँ		
56.	विशेष चिकित्सा कैम्प (3 कैम्प)	प्वाईंट–। अनुसूची vii प्रोमोटिंग हेल्थकेयर	हाँ	चन्द्रपुर, नागपुर	महाराष्ट्र	1 वर्ष	8.31	6.12	शून्य	हाँ		
57.	स्पिलओवर : गवर्नमेंट ब्लाईंड एंड डीफ स्कूल, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के होस्टल भवन में सभी सामानों (उपकरणों) के साथ सोलर पावर सिस्टम की स्थापना	प्वाईंट–।। अनुसूची vii प्रोमोटिंग एजुकेशन	हाँ	बिलासपुर	छत्तीसगढ	1 वर्ष	1.52	1.50	शून्य	हाँ		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र. स.	परियोजना का नाम	अधिनियम के अनुसूची VII में क्रिया-कलापों की सूची से आइटम	लोकल एरिया (हाँ/नहीं)	परियोजना स्थल		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (लाख रू.में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (लाख रू. में)	सेक्सन 135 (6) के अनुसार परियोजना के लिए सीएसआर मद में खर्च नहीं की गई राशि (लाखरू.में)	कार्यान्वयन के तरीके प्रत्यक्ष	कार्यान्वयन एजेंसी के द्वारा कार्यान्वयन के तरीके	सीएसआर पंजीयन संख्या
				जिला	राज्य					(हाँ/नहीं)	नाम	
58.	स्पिल ओवरः जन स्वास्थ्य सहयोग केंद्र, गनियारी, छत्तीसगढ़ में सोलर इलेक्ट्रोफिकेशन	प्वाईंट–I अनुसूची vii प्रोमोटिंग हेल्थकेयर	हाँ	बिलासपुर	छत्तीसगढ	1 वर्ष	4.15	4.15	शून्य	हाँ		
59.	कोविड–19की रोकथाम	प्वाईंट–I अनुसूची vii प्रोमोटिंग हेल्थकेयर	हाँ	बिलासपुर	छत्तीसगढ	1 वर्ष	11.69	7.98	शून्य	हाँ		
60.	कोविड–19 महामारी की रोकथाम	प्वाईंट–I अनुसूची vii प्रोमोटिंग हेल्थकेयर	हाँ	बिलासपुर	छत्तीसगढ	1 वर्ष	2.00	2.00	शून्य	हाँ		
61.	स्वच्छता कार्य योजना (सीएमपीडीआईएल क्षे.सं.–4)	प्वाईंट–I अनुसूची vii प्रोमोटिंग सेनिटेशन	हाँ	बिलासपुर	छत्तीसगढ	1 वर्ष	1.50	1.50	शून्य	हाँ		
62.	मेडिकल कैम्प (टीबी इराडिकेशन)	प्वाईंट–I अनुसूची vii प्रोमोटिंग हेल्थकेयर	हाँ	बिलासपुर	छत्तीसगढ	1 वर्ष	0.50	0.50	शून्य	हाँ		
63.	विशेष चिकित्सा कैम्प (3कैम्प) क्षे.सं.–6 से 2 चिकित्सा कैम्प	प्वाईंट–I अनुसूची vii प्रोमोटिंग हेल्थकेयर	हाँ	बिलासपुर	छत्तीसगढ	1 वर्ष	13.85	13.21	शून्य	हाँ		
64.	कोविड महामारी का रोकथाम	प्वाईंट–I अनुसूची vii प्रोमोटिंग हेल्थकेयर	हाँ	सिंगरौली	मध्य प्रदेश	1 वर्ष	2.00	2.00	शून्य	हाँ		
65.	कोविड 19 की रोकथाम	प्वाईंट–I अनुसूची vii प्रोमोटिंग हेल्थकेयर	हाँ	सिंगरौली	मध्य प्रदेश	1 वर्ष	5.00	4.95	शून्य	हाँ		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र. स.	परियोजना का नाम	अधिनियम के अनुसूची VII में क्रिया-कलापों की सूची से आइटम	लोकल एरिया (हाँ/नहीं)	परियोजना स्थल		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (लाख रू.में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (लाख रू. में)	सेक्सन 135 (6) के अनुसार परियोजना के लिए सीएसआर मद में खर्च नहीं की गई राशि (लाखरू.में)	कार्यान्वयन के तरीके प्रत्यक्ष	कार्यान्वयन एजेंसी के द्वारा कार्यान्वयन के तरीके	सीएसआर पंजीयन संख्या
				जिला	राज्य					(हाँ/नहीं)	नाम	
66.	स्वच्छता कार्य योजना (सीएमपीडीआईएल क्षे.सं.–6)	प्वाईंट– I अनुसूची vii प्रोमोटिंग हेल्थकेयर	हाँ	सिंगरौली	मध्य प्रदेश	1 वर्ष	1.50	1.45	शून्य	हाँ		
67.	चिकित्सा कैम्प(टीवी इराडिकेशन)	प्वाईंट– I अनुसूची vii प्रोमोटिंग सेनीटेशन	हाँ	सिंगरौली	मध्य प्रदेश	1 वर्ष	0.50	0.50	शून्य	हाँ		
68.	विशेष चिकित्सा कैम्प (1कैम्प)	प्वाईंट– I अनुसूची vii प्रोमोटिंग हेल्थकेयर	हाँ	सिंगरौली	मध्य प्रदेश	1 वर्ष	2.77	2.55	शून्य	हाँ		
69.	स्पिल ओवरः सीएमपीडीआईएल कॉलोनी के नजदीक स्लम ड्वेलपर्स के लिए जलापूर्ति व्यवस्था सहित टायलेट ब्लॉक का निर्माण	प्वाईंट xi अनुसूची vii स्लम विकास	हाँ	खुर्दा	उडीसा	1 वर्ष	20.30	19.49	शून्य	हाँ		
70.	स्पिल ओवर : शिषु अनंता महाविद्यालय, बालिपाटना में लड़कों के लिए टायलेट ब्लॉक का निर्माण	प्वाईंट I I अनुसूची vii प्रोमोटिंग एजुकेशन	हाँ	खुर्दा	उडीसा	1 वर्ष	3.89	4.12	शून्य	हाँ		
71.	कोविड–19 महामारी की रोकथाम	प्वाईंट– I अनुसूची vii प्रोमोटिंग हेल्थकेयर	हाँ	खुर्दा	उडीसा	1 वर्ष	3.00	3.00	शून्य	हाँ		
72.	कोविड–19 की रोकथाम	प्वाईंट– I अनुसूची vii प्रोमोटिंग हेल्थकेयर	हाँ	खुर्दा	उडीसा	1 वर्ष	5.00	5.00	शून्य	हाँ		
73.	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कोसला के लिए आईपीडी ब्लॉक का निर्माण	प्वाईंट– I अनुसूची vii प्रोमोटिंग हेल्थकेयर	हाँ	खुर्दा	उडीसा	1 वर्ष	30.00	20.26	शून्य	हाँ		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र. स.	परियोजना का नाम	अधिनियम के अनुसूची VII में क्रिया-कलापों की सूची से आइटम	लोकल एरिया (हाँ/नहीं)	परियोजना स्थल		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (लाख रू.में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (लाख रू. में)	सेक्सन 135 (6) के अनुसार परियोजना के लिए सीएसआर मद में खर्च नहीं की गई राशि (लाखरू.में)	कार्यान्वयन के तरीके प्रत्यक्ष	कार्यान्वयन एजेंसी के द्वारा कार्यान्वयन के तरीके	सीएसआर पंजीयन संख्या
				जिला	राज्य					(हाँ/नहीं)	नाम	
74.	सीएमपीडीआईएल (सीएमपीडीआईएल–vii)	प्वाईंट– I अनुसूची vii प्रोमोटिंग सेनिटेशन	हाँ	खुर्दा	उडीसा	1 वर्ष	1.50	1.50	शून्य	हाँ		
75.	चिकित्सा कैम्प (टीबी इराडिकेशन)	प्वाईंट– I अनुसूची vii प्रोमोटिंग हेल्थकेयर	हाँ	खुर्दा	उडीसा	1 वर्ष	0.50	0.49	शून्य	हाँ		
76.	विशेष चिकित्सा कैम्प(3 कैम्प)	प्वाईंट– I अनुसूची vii प्रोमोटिंग हेल्थकेयर	हाँ	खुर्दा	उडीसा	1 वर्ष	8.31	8.25	शून्य	हाँ		

(ग) वित्ती वर्ष 2020-21 के लिए चालू परियोजनाओं के अलावे की तुलना में खर्च की गई सीएसआर की राशि का विस्तृत विवरण -

1	2	3	4	5		6	7	8
क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची में क्रिया-कलाप की सूची से आइटम	लोकल एरिया (हाँ/नहीं)	राज्य	जिला	परियोजना में खर्च की गई राशि (रू.में)	कार्यान्वयन के तरीके डायरेक्ट (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के जरिए कार्यान्वयन का प्रकार
1.	शून्य	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए
	कुल							

घ) प्रशासनिक मद में खर्च की गई राशि : :

प्रशासनिक ओवर होल में कोई राशि दर्ज नहीं किया गया।

ड़) प्रभाव मूल्यांकन यदि लागू हो में खर्च की गई राशि : :

प्रभाव मूल्यांकन में कोई राशि खर्च नहीं की गई।

च) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि : :

(8ख+8ग+8घ+8ङ.)

465.68 लाख रूपये मात्र (प्रोविजनल)

छ) सेट आर्फ, यदि हो के लिए एक्सेस राशि : :

क्र.सं.	विवरण	राशि (रू. में)
1.	सेक्सन 135(5) के अनुसार कंपनी के कुल का औसत का दो प्रतिशत	464.84
2.	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	465.68
3.	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अधिक राशि [(ii)-(i)]	0.84
4.	गत वित्तीय वर्ष के सीएसआर परियोजना अथवा कार्यक्रम अथवा क्रिया–कलाप से उपन्न अधिशेष, यदि हो	शून्य
5.	सकसिडिंग वित्तीय वर्ष [(iii)-(iv)] सेटऑफ के लिए उपलबध राशि	0.84

9. (क) तीन वित्तीय वर्षों के लिए अनस्पेन्ट सीएसआर राशि का विस्तृत विवरण :

क्र.सं.	प्रीसिडिंग वित्तीय वर्ष	सेक्शन 135 (6) के तहत बची सीएसआर में स्थानांतरित राशि (रू. में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च हुई राशि (रू.में)	सेक्शन 135 (6) के अनुसार अनुसूची अपप के तहत उल्लेखित हस्तांतरित राशि			सकसीडिंग वित्तीय वर्ष में खर्च से बची शेष राशि (रू. में)
				कोष का नाम	राशि रू. में	स्थानान्तरण की तिथि	
1.	2019–20	शून्य	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए
2.	2018–19	शून्य	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए
3.	2017–18	शून्य	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए
	कुल	शून्य	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए

(ख) प्रीसिडिंग वित्तीय वर्ष के चालू परियोजनओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विस्तृत विवरण :

कोई परियोजना नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र.सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वह वितीय वर्ष जिसमें परियोजना की शुरूआत की गई	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रू. में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि(रू. में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई तुलनात्मक राशि (रू. में)	पूरी / चालू परियोजना की स्थिति
	शून्य	शून्य	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए

10. वित्तीय वर्ष (परिसंपत्तिवार विवरण) में सीएसआर मद में खर्च की गई राशि के द्वारा सृजित अथवा अर्जित परिसंपत्ति से संबंधित पूंजीगत परिसंपत्ति, फर्निज़ के सृजन अथवा अर्जन के मामले में

वित्तीय वर्ष 2020–21 में सीएसआर पर खर्च की गई राशि के जरिए कोई परिसंपत्ति का सृजन अथवा अर्जन नहीं किया गया है।

क) पूंजीगत परिसंपत्ति (ओं) के सृजन अथवा अर्जन की तिथि

लागू नहीं

ख) पूंजीगत परिसंपर्त्ति के सृजन अथवा अर्जन के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि

लागू नहीं।

इंट्री अथवा पब्लिक आर्थरिटी अथवा बेनिफिशियरी जिसके नाम से ऐसे पूंजीगत परिसंपत्ति रजिस्ट्रर्ड की गई है, उनका नाम, पता आदि

लागू नहीं।

11. सेक्शन 135 (5) के अनुसार औसत कुल लाभ का 2 प्रतिशत कंपनी खर्च नहीं कर सकी उसके कारणों का उल्लेख करें।

सीएमपीडीआईएल वित्तीय वर्ष 2020–21 में 465.68 लाख रू. खर्च की है जो कि औसत कुल लाभ (अर्थात् 464.84 लाख रू.) के 2 प्रतिशत की सांविधिक आवश्यकता से ज्यादा है।

यह प्रमाणित किया जाता हे कि सीएमपीडीआईएल की नीति और सीएसआर गतिविधियों के अनुपालन में सीएसआर गतिविधियों का कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग किया गया है।

(मनोज कुमार) मुख्य कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	**(प्रमोद सिंह चौहान)** अध्यक्ष–सीएसआर समिति	**(आलोक कुमार)** नोडल अधिकारी (सीएसआर) (अधिनियम के सेक्शन 380 के सब–सेक्शन(।) (जहाँ कहीं लागू हो)

वार्षिक

लेखा

2020-21

सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

31 मार्च, 2021 के अनुसार तुलन पत्र

(करोड़ रु. में)

	टिप्पणी सं.	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
परिसंपत्तियाँ			
गैर-चालू परिसंपत्ति			
(क) प्रोपर्टी, संयंत्र एवं उपकरण	3	**182.64**	174.12
(ख) चालू पूंजीगत कार्य	4	**37.14**	23.13
(ग) गवेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्ति	5	**-**	-
(घ) इनटेनजिबल परिसम्पत्ति	6	**5.37**	8.38
(ड.) वित्तीय परिसंपत्ति			
(i) निवेश	7	**-**	-
(ii) ऋण	8	**-**	-
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	9	**1.06**	1.02
(च) आस्थगित कर परिसंपत्ति (निबल)		**75.86**	78.25
(छ) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियाँ	10	**1.73**	0.81
कुल गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ (क)		**303.80**	285.71
चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) वस्तु सूची	12	**10.82**	12.50
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) निवेश	7	**-**	-
(ii) पेशागत वसूली	13	**892.33**	550.21
(iii) नकद एवं नकद समतुल्य	14	**192.96**	241.60
(iv) अन्य बैंक शेष	15	**-**	-
(v) ऋण	8	**-**	-
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	**121.18**	52.14
(ग) चालू कर परिसंपत्ति (निबल)		**25.32**	52.31
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	11	**171.82**	148.59
कुल चालू परिसम्पत्तियाँ (ख)		**1,414.43**	1,057.35
कुल परिसम्पत्तियाँ (क+ख)		**1,718.23**	1,343.06
इक्विटि एवं देयताएँ			
इक्विटि			
(क) इक्विटि शेयर कैपिटल	16	**142.80**	38.08
(ख) अन्य इक्विटि	17	**659.45**	550.80
कंपनी के शेयरहोल्डर को इक्विटि एट्रीब्यूटेबल		**802.25**	588.88
नन–कंट्रोलिंग इंटरेस्ट		**-**	-
कुल इक्विटि (क)		**802.25**	588.88

31 मार्च, 2021 के अनुसार तुलन पत्र

(करोड़ रु. में)

	टिप्पणी सं.	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
देयताएँ			
गैर-चालू देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधारी	18	-	-
(ii) पेशागत देय (यदि कोई हो)			
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	20	**90.11**	85.50
(ख) प्रावधान	21	**208.31**	244.05
(ग) आस्थगित कर देयताएँ (निबल)			
(घ) अन्य चालू देएताएँ	22	**-**	-
कुल गैर चालू देयताएँ (ख)		**298.42**	329.55
चालू देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधारी	18	-	-
(ii) पेशागत देय	19		
सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल		**0.42**	0.07
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों का कुल बकाया		**122.26**	51.80
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	20	**61.20**	50.30
(ख) अन्य चालू देयताएँ	23	**196.12**	135.04
(ग) प्रावधान	21	**237.56**	187.42
(ध) चालू कर देयताएँ (निबल)			
कुल चालू देयताएँ (ग)		**617.56**	424.63
कुल इक्विटि एवं देयताएँ (क+ख+ग)		**1718.23**	1343.06

इसके साथ संलग्न टिप्पणियाँ एवं टिप्पणी 1,2 तथा 38 वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग है।

(ए. मुंधरा)
कम्पनी सचिव

(पी.के. प्रसाद)
महाप्रबंधक (वित्त)

(ए.के. राना)
निदेशक
डीआईएन 08531295

(मनोज कुमार)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08298541

उसी तारीख को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते लोधा पटेल वाधवा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 006271C

(सीए संजय कुमार वाधवा)
पार्टनर
सदस्यता संख्या : 074749
यूडीआईएन 21074749AAAABB4228

तिथि : 28 मई, 2021
स्थान : राँची

सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

लाभ–हानि विवरण 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

(करोड़ रु. में)

		टिप्पणी सं.	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2021	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2020
	परिचालन से राजस्व			
क.	बिक्री (निबल)	24	**1488.60**	1381.31
ख.	अन्य परिचालन राजस्व (निबल)		**-**	-
(I)	**परिचालन से राजस्व (क+ख)**		**1488.60**	1381.31
(II)	अन्य आय	25	**22.10**	21.70
(III)	**कुल आय (I+II)**		**1510.70**	1403.01
(IV)	खर्च			
	उपभोग्य सामग्रियों की लागत	26	**21.99**	23.37
	स्टॉक–इन–ट्रेड की खरीद समाप्त सामग्रियों की वस्तु–सूची में बदलाव / चालू कार्य और पेशागत भंडार उत्पाद कर	27	**-**	-
	उत्पाद शुल्द			
	कर्मचारी सुविधा पर व्यय	28	**553.85**	565.85
	विद्युत एवं इंधन		**2.90**	3.19
	निगमित सामाजिक दायित्व खर्च	29	**4.66**	3.07
	मरम्मती	30	**25.34**	28.06
	संविदात्मक व्यय	31	**406.94**	378.93
	वित्तीय लागत	32	**0.16**	0.20
	मूल्यह्रास / एमोरटाइजेशन / इम्पेयरमेंट व्यय		**20.33**	18.44
	प्रावधान	33	**1.45**	
	राइट आफ	34	**0.05**	
	अन्य व्यय	35	**58.54**	69.28
	कुल व्यय (IV)		**1096.21**	1090.39
(V)	अपवादात्मक मद के पूर्व लाभ एवं कर (III-IV)		**414.49**	312.62
(VI)	अपवादात्मक मद		**-**	-
(VII)	**कर पूर्व लाभ (V-VI)**		**414.49**	312.62
(VIII)	कर खर्च	36	**97.53**	119.23
(IX)	कन्टीन्यूईंग परिचालन की अवधि के लिए लाभ (VII-VIII)		**316.96**	193.39
(X)	डिसकंटीन्यूड परिचालन से लाभ / (हानि)		**-**	-
(XI)	डिस्कंटीन्यूड परिचालन का कर खर्च		**-**	-
(XII)	डिस्कंटीन्यूड परिचालन (कर पश्चात्) (X-XI) से लाभ / (हानि)		**-**	-
(XIII)	जेवी / एसोसिएट के लाभ / (हानि) में शेयर		**-**	-
(XIV)	**अवधि के लिए लाभ (IX+XII+XIII)**		**316.96**	193.39
	अन्य विस्तृत आय	37		
क.	(i) वैसा मद जिसे लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया गया हो।		**(9.51)**	(8.60)
	(ii) मद से संबंधित आयकर जिसे लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया गया हो।		**(2.39)**	(2.16)

लाभ–हानि विवरण 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

(करोड़ रु. में)

		टिप्पणी सं.	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2021	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2020
ख.	(i) पैसा मद से लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत किया गया हो।			
	(ii) मद से संबंधित आयकर जिसे लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत किया गया हो।			
(XV)	**कुल अन्य विस्तृत आय**		**(7.12)**	(6.44)
(XVI)	**कुल विस्तृत आय अवधि के लिए (XIV+XV) (कंप्राइजिंग लाभ (हानि) एवं अन्य विस्तृत आय अवधि के लिए**		**309.84**	186.95
	लाभ के लिए श्रेय :			
	कंपनी का मालिक :		**316.96**	193.39
	अनियंत्रित ब्याज :			
			316.96	193.39
	अन्य विस्तृत आय के लिए श्रेय :			
	कंपनी का मालिक :			
	अनियंत्रित ब्याज :		**(7.12)**	(6.44)
			(7.12)	(6.44)
	कुल विस्तृत आय के लिए श्रेय :			
	कंपनी का मालिक		**309.84**	186.95
	अनियंत्रित ब्याज :			
			309.84	186.95
(XVII)	**प्रति इक्विटी शेयर आय (कनटिन्यूईंग ऑपरेशन के लिए) :**			
	(1) बेसिक		**2,219.61**	1,354.27
	(2) डाइल्यूटेड		**2,219.61**	1,354.27
(XVIII)	प्रति इक्विटी शेयर आय (डिस्कटीन्यूड ऑपरेशन के लिए) :			
	(1) बेसिक		**-**	-
	(2) डाइल्यूटेड		**-**	-
(XIX)	प्रति इक्विटी शेयर आय (डिस्कटीन्यूड और कनटिन्यूईंग ऑपरेशन के लिए) :			
	(1) बेसिक		**2,219.61**	1,354.27
	(2) डाइल्यूटेड		**2,219.61**	1,354.27

इसके साथ संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है।

ईपीएस की गणना के लिए संदर्भ टिप्पणी 38 (5) (c)

(ए. मुंधरा)
कम्पनी सचिव

(पी.के. प्रसाद)
महाप्रबंधक (वित्त)

(ए.के. राना)
निदेशक
डीआईएन 08531295

(मनोज कुमार)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08298541

उसी तारीख को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते लोधा पटेल वाधवा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 006271C

(सीए संजय कुमार वाधवा)
पार्टनर
सदस्यता संख्या : 074749
यूडीआईएन 21074749AAAABB4228

तिथि : 28 मई, 2021
स्थान : राँची

सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

नकद प्रवाह विवरण (अप्रत्यक्ष विधि) 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए

(करोड़ रु. में)

		31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
क.	**परिचालन क्रिया-कलापों द्वारा नकद प्रवाह :**		
	कर से पूर्व कुल विस्तृत आय समायोजन के लिए :	**414.49**	312.62
	मूल्यहास और अचल परिसंपत्तियों की क्षति	**20.33**	18.44
	बैंक जमा से ब्याज	**(12.16)**	(7.95)
	वित्तीय लागत	**0.160**	0.20
	निवेश से ब्याज/लाभांश	**-**	0.00
	अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि	**(0.01)**	(0.04)
	अन्य गैर–ऑपरेटिंग आय	**(9.90)**	(12.47)
	अवधि के दौरान देयता वापस लाया	**(0.03)**	(1.24)
	अग्रिम स्ट्रीपिंग एक्टीविटी समायोजन	**-**	-
	चालू/गैर-चालू संपत्तियाँ एवं देयताएँ से पहले का परिचालन लाभ समायोजन के लिए :	**412.88**	309.56
	पेशागत प्राप्य	**(342.12)**	29.77
	इन्वेन्ट्रीज	**1.68**	(2.77)
	लघु/दीर्घकालिन ऋण/अग्रिम एवं अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	**(63.85)**	45.09
	लघु/दीर्घकालिन देयताए एवं प्रावधान	**152.29**	(85.94)
	परिचालन से उत्पन्न नकद	**160.88**	295.71
	आयकर भुगतान/रिफंड	**(95.14)**	(117.07)
	ब्याज भुगतान	**(0.16)**	(0.20)
	परिचालन क्रिया-कलापों से निबल नकद प्रवाह (क)	**65.58**	178.44
ख.	**निवेश क्रिया-कलापों से नकद प्रवाह**		
	अचल परिसंपत्तियों की खरीद	**(39.85)**	(29.27)
	परिसंपत्ति की बिक्री से आय	**0.01**	0.04
	अन्य दीर्घकालिन ऋण एवं अग्रिम (पूँजी अग्रिम)	**-**	-
	फिक्स्ड डिपॉजिट/सब्सिडियरी के लिए ऋण पर ब्याज प्राप्त	**12.16**	7.95
	अन्य गैर–परिचालित आय	**9.93**	13.71
	बैंक जमा में निवेश	**-**	**-**
	निवेश में बदलाव	**-**	**-**
	संयुक्त उद्यम में निवेश	**-**	**-**
	निवेश गतिविधियों से संबंधित ब्याज	**-**	**-**
	निवेशों से ब्याज/लाभांश	**-**	**-**
	निवेश क्रिया-कलापों से निबल नकद प्रवाह (ख)	**(17.75)**	(7.57)

ग. फाइनेंसिंग क्रिया-कलाप से नकदी प्रवाह		
अल्पकालिक उधार/सरकारी अनुदान से सुरूआत	**(0.79)**	(0.30)
उधार का पुनर्भुगतान	**-**	-
फाइनेंसिंग क्रिया–कलापों से संबंधित ब्याज और वित्तीय लागत	**-**	-
स्थानांतरण और पुनर्वास निधि की रसीद	**-**	-
लाभांश और लाभांश कर	**(95.68)**	**(64.59)**
इक्विटी शेयर पूँजी को वापस खरीदना	**-**	-
फाइनेंसिंग क्रिया-कलाप में इस्तेमाल होने वाला निबल नकद (ग)	**(96.47)**	(64.89)
नकद और बैंक बैंलेंस में निबल वृद्धि/कमी (क+ख+ग)	**(48.64)**	105.98
वर्ष के शुरुवात में नकद और नकदी के समांतर (संदर्भ टिप्पणी 14 नकद के घटक और नकदी के समांतर के लिए)	**241.60**	135.62
वर्ष के अंत में नकद और नकदी के समांतर (संदर्भ टिप्पणी 14 नकद के घटक और नकदी के समांतर के लिए)	**192.96**	241.60

(ब्रैकेट में सभी आँकड़े बहिर्वाह का प्रतिनिधित्व करता है)

(ए. मुंधरा)	**(पी.के. प्रसाद)**	**(ए.के. राना)**	**(मनोज कुमार)**
कम्पनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
		डीआईएन 08531295	डीआईएन 08298541

उसी तारीख को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते लोधा पटेल वाधवा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 006271C

(सीए संजय कुमार वाधवा)
पार्टनर
सदस्यता संख्या : 074749
यूडीआईएन 21074749AAAABB4228

तिथि : 28 मई, 2021
स्थान : राँची

सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूँजी

(करोड़ रु. में)

विवरण	01.04.2019 के अनुसार शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	31.03.2020 के अनुसार शेष	01.04.2020 के अनुसार शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	31.03.2021 के अनुसार शेष
1000 रू. प्रत्येक 14,28,000 इक्विटी शेयर के	38.08	-	38.08	38.08	104.72	**142.80**

ख. अन्य इक्विटी

	वरीयता प्राप्त शेयर का इक्विटी हिस्सा	अन्य भण्डार: कैपिटल रिडेम्शन रिजर्व	अन्य भण्डार: कैपिटल रिजर्वस	अन्य भण्डार: सीएसआर रिजर्व	अन्य भण्डार: सतत विकास रिजर्व	सामान्य रिजर्व	अन्य व्यापक आमदनी	प्रतिधारित कमाई	कुल	गैर-नियंत्रि ब्याज	इक्विटी
01.04.2019 के अनुसार शेष	-	-	**18.87**	-	-	**12.70**	**32.24**	**364.93**	**428.74**	-	**428.74**
वर्ष के दौरान जोड़कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
लेखांकन नीति में परिवर्तन या अवधि पूर्व त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
01.04.2019 के अनुसार पूर्व घोषित शेष	-	-	**18.87**	-	-	**12.70**	**32.24**	**364.93**	**428.74**	-	**428.74**
01.04.2019 के अनुसार शेष	-	-	18.87	-	-	**12.70**	**32.24**	364.93	428.74	-	428.74
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	-	-	0.60	-	-	**9.67**	-	-	10.27	-	10.27
वर्ष के दौरान समायोजन			(0.90)	-	-	-	-	-	(0.90)	-	(0.90)
वर्ष के दौरान लाभ				-	-	-	(6.44)	193.39	186.95	-	186.95
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन (नीबल कर)								-	-	-	-
विनियोग											
सामान्य भंडार में/से स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	(9.67)	(9.67)	-	(9.67)
अन्य भंडार में/से स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(करोड़ रु. में)

अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	(27.11)	(27.11)	-	(27.11)
बोनस	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	(26.47)	(26.47)	-	(26.47)
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	-	-	(11.01)	(11.01)	-	(11.01)
प्री–ऑपरेटिव व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2020 के अनुसार शेष	**-**	**-**	**18.57**	**-**	**-**	**22.37**	**25.80**	**484.06**	**550.80**	**-**	**550.80**
01.04.2020 के अनुसार शेष	-	-	18.57	-	-	22.37	25.80	484.06	550.80	-	550.80
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	-	-	0.19	-	-	15.85	-	-	16.04	-	16.04
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	(0.98)	-	-	-	-	-	(0.98)	-	(0.98)
लेखांकन नीति में परिवर्तन या अवधि पूर्व त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान लाभ	-	-	-	-	-	-	(7.12)	316.96	309.84	-	309.84
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन (नीबल कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विनियोग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सामान्य भंडार में/से स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	(15.85)	(15.85)	-	(15.85)
अन्य भंडार में/से स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	(64.77)	(64.77)	-	(64.77)
बोनस	-	-	-	-	-	(22.37)	-	(82.35)	(104.72)	-	(104.72)
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	(30.91)	(30.91)	-	(30.91)
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्री–ऑपरेटिव व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2021 के अनुसार शेष	**-**	**-**	**17.78**	**-**	**-**	**15.85**	**18.68**	**607.14**	**659.45**	**-**	**659.45**

सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3 : परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(करोड़ रु. में)

	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	अन्य भूमि	भूमि सुधार/साईट पुनःस्थापन लागत	इमारत (पानी की आपूर्ति, सड़कों और पुलिया सहित)	संयंत्र और उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साइडिंग	फर्नीचर एवं फिक्सचर	कार्यालय उपकरण	वाहन	हवाई जहाज	अन्य खनन आधारभूत संरचना	परिसंपत्तियों का सर्वेक्षण किया गया	अन्य (टिप्पणी में निर्दिष्ट करें)	कुल
सकल वहनीय राशि :															
1 अप्रैल, 2019 के अनुसार	1.15	1.43	-	67.25	144.59	0.43	-	12.00	1.94	10.90	-	-	0.76	-	240.45
जोड़कर	-	0.63	-	1.13	9.77	0.03	-	1.91	1.28	1.43			0.03	-	16.21
हटाकर/समायोजन	-	-	-	(0.41)	(2.21)		-	(0.80)	0.02	(0.41)	-	-	(0.07)	-	(3.88)
31 मार्च, 2020 के अनुसार	**1.15**	**2.06**	**-**	**67.97**	**152.15**	**0.46**	**-**	**13.11**	**3.24**	**11.92**	**-**	**-**	**0.72**	**-**	**252.78**
1 अप्रैल, 2020 के अनुसार	1.15	2.06	-	67.97	152.15	0.46	-	13.11	3.24	11.92	-	-	0.72	-	252.78
जोड़कर	-	0.88	-	1.18	20.14	0.03	-	0.93	0.12	1.04		-	0.04	-	24.36
हटाकर/समायोजन	-	-	-	-	2.88		-	(0.01)	(0.01)	(1.00)	-	-	(0.01)	-	1.85
31 मार्च, 2021 के अनुसार	**1.15**	**2.94**	**-**	**69.15**	**175.17**	**0.49**	**-**	**14.03**	**3.35**	**11.96**	**-**	**-**	**0.75**	**-**	**278.99**
संचित मूल्यह्रास और क्षति															
1 अप्रैल, 2019 के अनुसार	-	0.09	-	6.05	46.76	0.11	-	4.62	1.05	5.34	-	-	-	-	64.02
वर्ष के दौरान चार्ज	-	0.10	-	1.74	12.13	0.05	-	1.35	0.29	1.15	-	-	-	-	16.81
क्षति															
हटाकर/समायोजन	-		-	(0.27)	(0.73)	(0.01)	-	(0.62)	0.03	(0.57)	-	-	-	-	(2.17)
31 मार्च, 2020 के अनुसार	**-**	**0.19**	**-**	**7.52**	**58.16**	**0.15**	**-**	**5.35**	**1.37**	**5.92**	**-**	**-**	**-**	**-**	**78.66**
1 अप्रैल, 2020 के अनुसार	-	0.19	-	7.52	58.16	0.15	-	5.35	1.37	5.92	-	-	-	-	78.66
वर्ष के लिए चार्ज	-	0.16	-	1.77	13.96	0.06	-	1.31	0.50	1.16	-	-	-	-	18.92
क्षति															
हटाकर/समायोजन	-		-		(1.15)		-	(0.02)	(0.01)	(0.05)	-	-	-	-	(1.23)
31 मार्च, 2021 के अनुसार	**-**	**0.35**	**-**	**9.29**	**70.97**	**0.21**	**-**	**6.64**	**1.86**	**7.03**	**-**	**-**	**-**	**-**	**96.35**
नेट कैरिंग एमाउन्ट															-
31 मार्च 2021 के अनुसार	**1.15**	**2.59**	**-**	**59.86**	**104.20**	**0.28**	**-**	**7.39**	**1.49**	**4.93**	**-**	**-**	**0.75**	**-**	**182.64**
31 मार्च 2020 के अनुसार	1.15	1.87	-	60.45	93.99	0.31	-	7.76	1.87	6.00	-	-	0.72	-	174.12

Note:

1. ऊपर प्लांट और मशीनरी में उन प्लांट और मशीनरी, जिसमें स्टैंड बाई इक्विपमेंट और स्टोर व पुर्जे आते को शामिल किया गया है, जो पीपीई के रूप में मान्यता के मानदंडों को संतुष्ट करता है, लेकिन अभी तक स्टोर्स से जारी नहीं हुआ है
2. अन्य भूमि में 1.51 करोड़ रुपये की संपत्ति का अधिकार शामिल है और उसी पर संचित परिशोधन 0.22 करोड़ रुपये है जो 31.03.2021 तक है।
3. कंपनी लेखा नीति के अनुसार मूल्यह्रास प्रदान किया गया है। (टिप्पणी संख्या 2 देखें)

सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 4 : पूँजी डब्ल्यूआईपी

(करोड़ रु. में)

	इमारत (पानी की आपूर्ति, सड़कों और पुलिया सहित)	संयंत्र और उपकरण	रेलवे साइडिंग	अन्य खनन आधारभूत संरचना/विकास	अन्य (टिप्पणी में निर्दिष्ट करें)	कुल
सकल वहनीय राशि :						
1 अप्रैल, 2019 के अनुसार	1.61	12.80	-	-	-	14.41
जोड़कर	7.00	3.41	-	-	-	10.41
हटाकर/पूँजीकरण	(1.65)	(0.04)	-	-	-	(1.69)
31 मार्च, 2020 के अनुसार	**6.96**	**16.17**	**-**	**-**	**-**	**23.13**
1 अप्रैल, 2020 के अनुसार	6.96	16.17	-	-	-	23.13
जोड़कर	14.03	1.84	-	-	-	15.87
हटाकर/पूँजीकरण	(0.98)	(0.88)	-	-	-	(1.86)
31 मार्च, 2021 के अनुसार	**20.01**	**17.13**	**-**	**-**	**-**	**37.14**
संचित मूल्यह्रास और क्षति						-
1 अप्रैल, 2019 के अनुसार	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान चार्ज	-	-	-	-	-	-
क्षति	-	-	-	-	-	-
हटाकर/समायोजन	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2020 के अनुसार	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 अप्रैल, 2020 के अनुसार	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए खर्च	-	-	-	-	-	-
क्षति	-	-	-	-	-	-
हटाकर/समायोजन	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2021 के अनुसार	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
नेट कैरिंग एमाउन्ट						-
31 मार्च, 2021 के अनुसार	**20.01**	**17.13**	**-**	**-**	**-**	**37.14**
31 मार्च, 2020 के अनुसार	**6.96**	**16.17**	**-**	**-**	**-**	**23.13**

सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 5 : गवेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ

(करोड़ रु. में)

	गवेषण एवं मूल्यांकन लागत
सकल वहनीय राशि :	
1 अप्रैल, 2019 के अनुसार	-
जोड़कर	-
हटाकर / समायोजन	-
31 मार्च, 2020 के अनुसार	**-**
1 अप्रैल, 2020 के अनुसार	-
जोड़कर	-
हटाकर / समायोजन	-
31 मार्च, 2021 के अनुसार	**-**
संचित प्रावधान और क्षति	
1 अप्रैल, 2019 के अनुसार	-
वर्ष के दौरान चार्ज	-
क्षति	-
हटाकर / समायोजन	-
31 मार्च, 2020 के अनुसार	**-**
1 अप्रैल, 2020 के अनुसार	-
वर्ष के दौरान चार्ज	-
क्षति	-
हटाकर / समायोजन	-
31 मार्च, 2021 के अनुसार	**-**
नेट कैरिंग एमाउन्ट	
31 मार्च, 2021 के अनुसार	-
31 मार्च, 2020 के अनुसार	-

सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 6 : अन्य इन्टेंजिबल परिसंपत्तियाँ

(करोड़ रु. में)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	अन्य (टिप्पणी में उल्लेखित)	कुल
सकल वहनीय राशि :			
1 अप्रैल, 2019 के अनुसार	11.39	-	11.39
जोड़कर	6.95	-	6.95
हटाकर / समायोजन	-	-	-
31 मार्च, 2020 के अनुसार	**18.34**	**-**	**18.34**
1 अप्रैल, 2020 के अनुसार	18.34	-	18.34
जोड़कर	4.49	-	4.49
हटाकर / समायोजन	(5.28)	-	(5.28)
31 मार्च, 2021 के अनुसार	**17.55**	**-**	**17.55**
संचित परिशोधन और क्षति			
1 अप्रैल, 2019 के अनुसार	7.43	-	7.43
वर्ष के दौरान चार्ज	2.53	-	2.53
क्षति		-	-
हटाकर / समायोजन	-	-	-
31 मार्च, 2020 के अनुसार	**9.96**	**-**	**9.96**
1 अप्रैल, 2020 के अनुसार	9.96	-	9.96
वर्ष के दौरान चार्ज	2.41	-	2.41
क्षति	-	-	-
हटाकर / समायोजन	(0.19)	-	(0.19)
31 मार्च, 2021 के अनुसार	**12.18**	**-**	**12.18**
नेट कैरिंग एमाउन्ट			
31 मार्च, 2021 के अनुसार	**5.37**	-	**5.37**
31 मार्च, 2020 के अनुसार	8.38	-	8.38

सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 7 : निवेश

(करोड़ रु. में)

	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
गैर-चालू		
शेयर में निवेश	-	-
संयुक्त उद्यम कंपनियों में इक्विटी शेयर	-	-
अन्य निवेश		-
सुरक्षित बाँड में	-	-
कोऑपरेटिव शेयर में	-	.
कुल	**-**	**-**
गैर उद्धृत निवेश की सकल राशि	-	-
उद्धृत निवेश की सकल राशि	-	-
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य	-	-
निवेश की मूल्य में क्षति की सकल राशि	-	-
चालू		
म्यूचुअल फंड निवेश		
यूटीआई म्यूचुअल फंड	-	-
यूटीआई लिक्विड कैश प्लान	-	-
एलआईसी म्यूचुअल फंड	-	-
एसबीआई म्यूचुअल फंड	-	-
केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड	-	-
यूनियन केबीसी म्यूचुअल फंड	-	-
बीओआई एएक्सए म्यूचुअल फंड	-	-
कुल	-	-
उद्धृत निवेश की सकल राशि	-	-
गैर उद्धृत निवेश की सकल राशि	-	-
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य	-	-
निवेश की मूल्य में क्षति की सकल राशि	-	-

सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 8 : ऋण

(करोड़ रु. में)

	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
अन्य ऋण		
– प्रतिभूत, वसूली योग्य सामान	-	-
– अप्रतिभूत, वसूली योग्य सामान	-	-
– क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है		
– क्रेडिट इम्पेयर्ड		
	-	-
घटाकर : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	-
	-	-
कुल	-	-
चालू		
अन्य ऋण		
– प्रतिभूत, वसूली योग्य सामान	-.	-
– अप्रतिभूत, वसूली योग्य सामान	-	-
– क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-
– क्रेडिट इम्पेयर्ड		
– संदिग्ध	-	-
	-	-
घटाकर : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	-
	-	-
कुल	-	-

सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 9 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(करोड़ रु. में)

	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
गैर चालू		
बैंक जमा		-
निम्नलिखित के तहत बैंक के पास जमा		
– माइन क्लोजर प्लान	-	-
– स्थानान्तरण एवं पुनर्वास निधि योजना	-	-
माइन क्लोजर खर्च के लिए एस्क्रो एकाउन्ट से प्राप्ति योग	-	-
अन्य जमा और प्राप्य *	**1.10**	1.06
घटाकर : संदिग्ध जमा के लिए भत्ता	**0.04**	0.04
	1.06	1.02
कुल	**1.06**	**1.02**
चालू		
कोल इंडिया के पास सरप्लस फंड	**-**	-
कोल इंडिया लिमिटेड के पास बैलेंस		
माइन क्लोजर खर्च के लिए एस्क्रो एकाउन्ट से प्राप्ति योग	**-**	-
कोल इंडिया लिमिटेड के पास चालू खाता बैलेंस	**55.63**	17.14
घटाकर : संदिग्ध अग्रिम के लिए भत्ता	**-**	-
	55.63	17.14
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता		
अर्जित ब्याज	**1.92**	3.79
दावे और अन्य प्राप्तियों **	**63.63**	31.21
घटाकर : संदिग्ध दावे के लिए भत्ता	**-**	-
	63.63	31.21
कुल	**121.18**	**52.14**

नोटः (1) अन्य जमा और प्राप्य* में शामिल हैं–

	31.03.2021	31.03.2020
गैस कंपनी एवं अन्य को जमा	**0.02**	0.02
विद्युत कंपनी को जमा	**0.80**	0.72
पीएंडटी जमा	**0.07**	0.07
सुरक्षा जमा देय	**0.10**	0.11
कर्मचारी एवं अन्य से ब्याज प्राप्ति योग	**0.11**	0.14
कुल	**1.10**	1.06

नोटः (2) दावे और अन्य प्राप्तियों** में शामिल हैं–

	31.03.2021	31.03.2020
क्लेम्स रिकवरेबल	**7.03**	5.83
आई एन डी एएस 115 के कारण होने वाली प्राप्तियां	**46.15**	23.28
एलआईसी (ग्रैचुटी) से प्राप्तियां	**10.45**	2.10
कुल	**63.63**	31.21

सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 10 : अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ

(करोड़ रु. में)

	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
(i) अग्रिम पूँजी	**1.60**	0.69
घटाकर : संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	**-**	-
	1.60	0.69
(ii) अग्रिम पूँजी के अलावे अग्रिम		
(क) युटिलिटी के लिए सुरक्षा जमा	**-**	-
घटाकर : संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान	**-**	-
	-	-
(ख) अन्य जमा और अग्रिम	**0.13**	0.12
घटाकर : संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान	**-**	-
	0.13	0.12
(ग) संबंधित पार्टी से अग्रिम	-	-
कुल	**1.73**	**0.81**

सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 11 : अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

(करोड़ रु. में)

	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
(क) पूंजी के लिए अग्रिम	-	-
घटाकर : संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
(ख) राजस्व के लिए अग्रिम (वस्तुएँ और सेवाएँ)	**6.57**	0.61
घटाकर : संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	**0.20**	0.23
	6.37	0.38
(ग) वैधानिक बकाया का अग्रिम भुगतान	**0.05**	0.11
घटाकर : संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	**-**	-
	0.05	0.11
(घ) संबंधित पार्टी से अग्रिम	**-**	-
(ड.) अन्य अग्रिम और जमा *	**127.75**	116.99
घटाकर : संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	**0.05**	0.05
	127.70	116.94
(च) प्राप्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट	**37.70**	31.16
घटाकर : प्रावधान		-
	37.70	31.16
(छ) मैट क्रेडिट इनटाइटलमेंट	**-**	-
घटाकर : प्रावधान		
कुल	**171.82**	**148.59**

टिप्पणी :

1.(ज) **अन्य अग्रिम एवं जमा ***

	31.03.2021	31.03.2020
अग्रिम (एक्सए)	**0.74**	0.56
स्थायी अग्रदाय	**0.06**	0.06
टी.ए. (अधिकारी)	**0.37**	0.47
टी.ए. (स्टाफ)	**0.36**	0.58
चिकित्सा अग्रिम	**0.38**	0.45
टी.ए. अग्रिम (देश से बाहर)	**-**	0.04
भारत के अग्रिम सीआईएल सर्वेक्षण	**77.37**	77.37
अग्रिम सीआईएल सीआईएमएफर प्रयोगशाला	**21.18**	10.59
सी बी एम परियोजना	**0.11**	0.11
आयकर अंडर प्रोटेस्ट**	**27.15**	26.70
अन्य	**0.03**	0.06
कुल	**127.75**	116.99

**आयकर भुगतान अंडर प्रोटेस्ट 27.15 करोड़ रुपये है। इसमें से 0.95 करोड़ रुपये का सम्बन्ध मूल्यांकन वर्ष 2012–13 से है, 23.73 करोड़ रुपये का सम्बन्ध मूल्यांकन वर्ष 2017–18 से है, 0.64 करोड़ रूपये का सम्बन्ध मूल्यांकन वर्ष 2016–17 से है, 0.68 करोड़ रुपये का सम्बन्ध मूल्यांकन वर्ष 2014–15 से है। 0.58 करोड़ रूपये का संबंध मूल्यांकन वर्ष 2010–11 से है, 0.12 करोड़ रूपये का संबंध मूल्यांकन वर्ष 2016–17 से है, 0.45 करोड़ रुपये का सम्बन्ध मूल्यांकन वर्ष 2017–18 है।

सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 12 : वस्तु सूची

(करोड़ रु. में)

	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
(क) कोयले का भंडार		
विकास के तहत कोयला	-	-
कोयले के भंडार (निबल)	-	-
(ख) भंडारों एवं पार्टपूर्जों (लागत पर) का स्टॉक	**10.82**	12.50
जोड़कर : मार्गस्थ स्टोर	**-**	-
स्टोर एवं स्पेयर (लागत पर) का निबल स्टॉक	**10.82**	12.50
(ग) सेंट्रल अस्पताल में दवा का स्टॉक	**-**	-
(घ) कार्यशाला कार्य और प्रेस जॉब		
	10.82	12.50

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 13 : पेशागत प्राप्ति

(करोड़ रु. में)

	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
चालू		
पेशागत प्राप्ति		
– सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
– असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	**892.33**	550.21
– क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है		
– क्रेडिट इम्पेयर्ड	**4.48**	3.05
	896.81	553.26
घटाकर : बैड एवं संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	**4.48**	3.05
कुल	**892.33**	550.21
वर्गीकरण		
सुरक्षित, अच्छा माना जाता है		
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	**892.33**	550.21
क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है		
क्रेडिट इम्पेयर्ड	**4.48**	3.05

सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 14 : नकद और नकद समतुल्य

(करोड़ रु. में)

	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
(क) बैंक के पास शेष		
– जमा लेखा में	**122.14**	139.14
– चालू लेखा में		
इंटरेस्ट बेअरिंग (CLTD)	**60.10**	101.83
नॉन इंटरेस्ट बेअरिंग	**10.69**	0.60
– नकद क्रेडिट लेखा में	**-**	-
(ख) भारत के बाहर बैंक शेष	**-**	-
(ग) हाथे चेक, ड्राफ्ट और स्टाम्प	**0.01**	0.01
(घ) पास में नकद	**0.02**	0.02
(ड़) भारत से बाहर के पास में नकद	**-**	-
(च) अन्य	**-**	-
कुल नकद और नकद समतुल्य	**192.96**	241.60
(छ) बैंक ओवरड्राफ्ट	**-**	-
कुल नकद और नकद समतुल्य (बैंक ओवरड्राफ्ट का निबल)	**192.96**	241.60

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 15 : अन्य बैंक शेष

(करोड़ रु. में)

	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
बैंक के पास शेष		
– जमा लेखा	-	-
चल रही परियोजनाओं के लिए सीएसआर फंड		
– माइन क्लोजर प्लान	-	-
– स्थानान्तरण और पुनर्वास निधि योजना	-	-
– शेयर के बाईबैक के लिए एस्क्रो लेखा	-	-
– अदेय लाभांश लेखा	-	-
– लाभांश लेखा	-	-
कुल	-	-

सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 16 : इक्विटि शेयर पूँजी

(करोड़ रु. में)

	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
अधिकृत		
1000/–प्रति इक्विटी शेयर वाले 15,00,000 इक्विटी शेयर	**150.00**	150.00
	150.00	150.00
निर्गमित, अभिदत्त एवं चुकता पूँजी		
(कोल इंडिया लिमिटेड, नियंत्रक कंपनी तथा इसके नामिती)		
पूर्ण नकद अदायकृत प्रत्येक 1000/–रू. के 8 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 1000/–रू. के 8 इक्विटी शेयर)	**-**	-
नकदी से भिन्न प्राप्त प्रति मूल्य के लिए पूर्णतः चुकता के रुप में आवंटित प्रत्येक 1000/–रू. के 1322992 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 1000/–रू. के 275792 इक्विटी शेयर)	**132.30**	27.58
ऋण को इक्विटी में बदलकर नियंत्रक कंपनी के नकद हेतु पूर्णतः चुकता के रूप में आवंटित प्रत्येक 1000/–रू. के 105000 इक्विटि शेयर	**10.50**	10.50
कुल	**142.80**	38.08

1. प्रत्येक शेयर होल्डर द्वारा 5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारित कंपनी में शेयर

शेयर होल्डर के नाम	धारित शेयरों की संख्या (प्रत्येक 1000 रू. के अंकित मूल्य)	कुल शेयर का प्रतिशत
कोल इंडिया लिमिटेड	1428000	100%

सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 17 : अन्य इक्विटी

(करोड़ रु. में)

	प्रिफरेंस शेयर कैपिटल का इक्विटि पोर्शन	अन्य रिजर्व								
		कैपिटल रिडेन्पशन रिजर्व	कैपिटल रिजर्व	सीएसआर रिजर्व	सत्त विकास रिजर्व	सामान्य रिजर्व	अन्य व्यापक आमदनी	रिटेन्ड अर्निंग	अनियंत्रित ब्याज	इक्विटी
01.04.2019 के अनुसार शेष	-	-	18.87	-	-	12.70	32.24	364.93	-	428.74
वर्ष के दौरान जोड़कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
लेखांकन नीति में परिवर्तन या अवधि पूर्व त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.2019 के अनुसार रीस्टेटेड शेष	**-**	**-**	**18.87**	**-**	**-**	**12.70**	**32.24**	**364.93**	**-**	**428.74**
वर्ष के दौरान जोड़कर	-	-	0.60	-	-	9.67	-	-	-	10.27
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	(0.90)	-	-	-	-	-	-	(0.90)
वर्ष के दौरान लाभ	-	-	-	-	-	-	(6.44)	193.39	-	186.95
परिभाषित लाभ योजनाओं का पूनर्मूल्यांकन (नीबल कर)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
विनियोग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जेनरल रिजर्व से/को स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य रिजर्व से/को स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	(9.67)	-	(9.67)
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	(27.11)	-	(27.11)
बोनस										
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	(26.47)	-	(26.47)
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	-	-	(11.01)	-	(11.01)
प्री–ऑपरेटिव व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2020 के अनुसार शेष	**-**	**-**	**18.57**	**-**	**-**	**22.37**	**25.80**	**484.06**	**-**	**550.80**

सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण पर टिप्पणी

टिप्पणी 17 : अन्य इक्विटी

(करोड़ रु. में)

	प्रिफरेंस शेयर कैपिटल का इक्विटि पोर्शन	अन्य रिजर्व								
		कैपिटल रिडेन्पशन रिजर्व	कैपिटल रिजर्व	सीएसआर रिजर्व	सतत विकास रिजर्व	सामान्य रिजर्व	अन्य व्यापक आमदनी	रिटेन्ड अर्निंग	अनियंत्रित ब्याज	इक्विटी
01.04.2020 के अनुसार शेष	-	-	**18.57**	-	-	**22.37**	**25.80**	**484.06**	-	**550.80**
वर्ष के दौरान जोड़कर	-	-	0.19	-	-	15.85	-	-	-	16.04
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	(0.98)	-	-	-	-	-	-	(0.98)
लेखांकन नीति में परिवर्तन या अवधि पूर्व त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान लाभ	-	-	-	-	-	-	(7.12)	316.96	-	309.84
परिभाषित लाभ योजनाओं का पूनर्मूल्यांकन (नीबल कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विनियोग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जेनरल रिजर्व से/को स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	(15.85)	-	(15.85)
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	(64.77)	-	(64.77)
बोनस	-	-	-	-	-	(22.37)	-	(82.35)	-	(104.72)
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	(30.91)	-	(30.91)
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्री–ऑपरेटिव व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2021 के अनुसार शेष	-	-	**17.78**	-	-	**15.85**	**18.68**	**607.14**	-	**659.45**

सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण पर टिप्पणी

टिप्पणी 17 : (जारी ...)

रिजर्व एवं अधिशेष जारी ...

रिजर्व पूँजी : कार्यान्वयक एजेंसी के रूप में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पीआरई, ईएमएससी, सीसीडीए आदि के तहत प्राप्त आर्थिक सहायता/अनुदान एवं परिसंपत्तियों के सृजन के लिए प्रयुक्त आर्थिक सहायता/अनुदान को पूँजीगत भंडार के रूप में माना जाता है तथा इस पर मूल्यह्रास को पूंजीगत भंडार लेखे में डेबिट किया जाता है। अनुदान के जरिए सृजित परिसंपत्ति का स्वामित्व उस प्राधिकारी के पास रहता है, जिससे अनुदान प्राप्त किया जाता है। कैपिटल रिजर्व का विस्तृत विवरण इस प्रकार है :

(करोड़ रु. में)

विवरण	एस एंड टी अनुदान	यूएनडीपी अनुदान	सीसीडीए अनुदान	ईएमएससी अनुदान	सीआईएल आर एंड डी अनुदान	पीआरई अनुदान	सीएमएम/सीबीएम क्लियरिंग हाऊस अनुदान	कुल
गत लेखे के अनुसार	2.81	0.05	0.06	-	15.34	0.30	0.01	**18.57**
जोड़कर	0.15	-	-	-	0.04	-	-	**0.19**
घटाकर : मूल्यह्रास एवं	2.96	0.05	0.06	-	15.38	0.30	0.01	**18.76**
समायोजन	0.35	0.00	-	-	0.60	0.03	-	**0.98**
31-03-2021 के अनुसार कुल योग	**2.61**	**0.05**	**0.06**	**-**	**14.78**	**0.27**	**0.01**	**17.78**
31.03.2020 के अनुसार कुल योग	**2.81**	**0.05**	**0.06**	**-**	**15.34**	**0.30**	**0.01**	**18.57**

सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 18 : उधारी

(करोड़ रु. में)

	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
गैर-चालू		
टर्म लोन		
– बैंक से	-	-
– अन्य पार्टियों से	-	-
संबंधित पार्टियों से ऋण	-	-
अन्य लोन	-	-
कुल	**-**	**-**
वर्गीकरण		
प्रतिभूत	-	-
अप्रतिभूति	-	-
चालू		
माँग पर पुनः देय ऋण		
– बैंक से	-	-
– अन्य पार्टियों से	-	-
संबंधित पार्टियों से ऋण	-	-
अन्य ऋण	-	-
कुल	**-**	**-**
वर्गीकरण		
प्रतिभूत	-	-
अप्रतिभूति	-	-

सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 19 : व्यापार देय

(करोड़ रु. में)

	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
चालू		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	**0.42**	0.07
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा	**122.26**	51.80
कुल	**122.68**	51.87

व्यापार देय : सूक्ष्म और लघु उद्यमों कुल बकाया राशि

	31.03.2021	31.03.2020
क) मूलधन और ब्याज राशि का भुगतान अभी बाकी है, लेकिन अवधि समाप्त होने के कारण नहीं	**0.42**	0.07
ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में कंपनी द्वारा दिया गया ब्याज, प्रदत्त अवधि के दौरान आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ।	**Nil**	Nil
ग) भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए बकाया ब्याज और देय (जिसका भुगतान वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद किया गया है) लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	**Nil**	Nil
घ) अवधि के अंत में अर्जित ब्याज और शेष भुगतान	**Nil**	Nil
ड़) आगे के वर्षों में भी बकाया देय ब्याज और देय है, जब तक कि उपरोक्त तारीखों के ब्याज की राशि वास्तव में छोटे उद्यम को भुगतान नहीं की जाती है	**Nil**	Nil

सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 20 : अन्य वित्तीय देयताएँ

(करोड़ रु. में)

	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
गैर-चालू		
सिक्युरिटी डिपॉजिट	**2.24**	2.38
अर्नेस्ट मनी	**2.97**	0.82
अन्य *	**84.90**	82.30
कुल	**90.11**	85.50
चालू		
अनुषंगी कंपनियों से अधिशेष निधि	-	-
निम्न के साथ चालू लेखा	-	-
– अनुषंगी कंपनियाँ	-	-
– आईआईसीएम	-	-
दीर्घकालीन ऋण का चालू परिपक्वता	-	-
अप्रदत्त लाभांश	-	-
सिक्युरिटी जमा	**3.81**	2.27
अर्नेस्ट मनी	**1.13**	4.27
पूंजीगत व्यय के लिए देय	**12.38**	6.25
अन्य *	**43.88**	37.51
कुल	**61.20**	50.30

टिप्पणी– अन्य * में शामिल है :

	31.03.2021	**31.03.2020**
कंट्रेक्टर कीप बैक	2.80	3.02
एक्सप्लोरेशन कीप बैक	80.12	77.54
कर्मचारियों से अग्रिम एवं जमा	3.01	3.33
लीज देयता	1.34	0.57
वेतन एवं भत्ते	41.51	35.35
कुल	**128.78**	**119.81**

सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 21 : प्रावधान

(करोड़ रु. में)

	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
गैर चालू		
कर्मचारी लाभ		
– ग्रेच्यूटि	**76.03**	103.78
– छुट्टी नकदीकरण	**76.20**	89.91
– अन्य कर्मचारी लाभ	**56.07**	50.34
साइट रेस्टोरेशन/माइन क्लोजर	**-**	-
अलग करने की गतिविधि	**-**	-
अन्य *	**0.01**	0.02
कुल	**208.31**	244.05
चालू		
कर्मचारी लाभ		
– ग्रेच्यूटि	**33.38**	26.11
– छुट्टी नकदीकरण	**18.07**	13.81
– एक्सग्रेसिया	**15.29**	14.86
– कार्य निष्पादन संबंधी भुगतान	**63.25**	89.17
– नेशनल कोल वेज एग्रिमेंट (एनसीडब्ल्यूए) के लिए प्रावधान		
– एक्जीक्यूटिव पे रिवीजन	**-**	-
– अन्य कर्मचारी लाभ **	**20.74**	20.76
	150.73	164.71
साइट रेस्टोरेशन/माइन क्लोजर	**-**	-
कोयले के क्लोजिंग स्टॉक पर एक्साइज डयूटि	**-**	-
अन्य	**86.83**	22.71
कुल	**237.56**	**187.42**

* लीव एनकैशमेंट लायबिलिटीज को बीमांकिक देनदारियों के खिलाफ एलआईसी के पास जमा किए गए 17.04 करोड़ रुपये से निवल कर दिया गया है।

अन्य** इस राशि में राजस्व व्यय के अनुमानित प्रावधान शामिल हैं।

सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 22 : अन्य गैर चालू देयताएँ

(करोड़ रु. में)

	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
स्थानांतरण और पुनर्वास कोष		
आस्थगित आय	-	-
कुल	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 23 : अन्य चालू देयताएँ

(करोड़ रु. में)

	As at 31.03.21	As at 31.03.20
सांविधिक बकाया :		
सांविधिक बकाया :	68.84	44.89
कोयला आयात हेतु अग्रिम	-	-
ग्राहकों/अन्य से अग्रिम	**15.54**	14.55
सेस इक्यूलाइजेशन एकाउन्ट	-	-
अन्य देयताएँ *	**111.74**	75.60
कुल	**196.12**	135.04

टिप्पणी–अन्य देयताएँ *

	31.03.2021	31.03.2020
सीबीएम सेल	**3.5**	3.53
रिलिफ फंड	**0.04**	0.04
ईवीडब्लूएफ		0.01
अन्य कटौती	**0.23**	0.20
स्टेल चेक हेतु क्रेडिट	**0.15**	0.15
इम्प्रेस्ट से अनपेड	**0.18**	0.17
खनन इलेक्ट्रोनिक अनुदान	**0.01**	0.01
परीक्षण प्रयोगशाला	**0.28**	0.28
यूएनडीपी फंड	**0.27**	0.27
सीआईएल सीआईएमएफआर फंड	**0.21**	0.21
निधि और अन्य	**106.87**	70.73
कुल	**111.74**	75.60

सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 23 : (जारी...)

अन्य चालू देयताएँ (जारी...)

वर्ष के दौरान एस एंड टी, पीआरई, विस्तृत वेधन, आरएंडडी और प्रतिपूर्ति के तहत प्राप्त अनुदान/कोष नीचे दिया जा रहा है :

(करोड़ रु. में)

विवरण	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुदान	पीआरई अनुदान	सीसीडीए अनुदान	गैर-सीआईएल के लिए विस्तृत गवेषण	इस्पात मंत्रलय	सीआईएल आरएंडडी अनुदान	कुल
01-04-2020 के अनुसार अथशेष	**0.24**	**3.04**	**0.26**	**3.31**	**0.26**	**14.35**	**21.46**
जोड़कर							
1. कोयला मंत्रालय	9.89	91.94		351.32		-	453.15
2. इस्पात मंत्रालय	-					-	
3. सीआईएल कोलकाता	-	-	-	-	-	9.41	9.41
4. समायोजन	-	-	-	-	-	0.02	0.02
5. निधि पर बैंक का ब्याज	0.08	0.19	0.00	0.28	0.00	0.63	1.18
6. नहीं खर्च किये हुए धन की वापसी	1.17	-	-	-	-	0.38	1.55
	11.38	**95.17**	**0.26**	**354.91**	**0.26**	**24.79**	**486.77**
घटाकर : प्रतिपूर्ति/उपयोग	9.99	93.04	0.01	353.36	0.00	23.07	479.47
31-03-2021 को इतिशेष	**1.40**	**2.13**	**0.25**	**1.55**	**0.26**	**1.72**	**7.31**

सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 24 : परिचालन से राजस्व

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2021	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2020
क. सेवाओं की बिक्री	**1,753.79**	1,629.66
घटाकर : अन्य सांविधिक लेवी	**265.19**	248.35
निबल बिक्री (क)	**1,488.60**	1,381.31
ख. अन्य परिचालन राजस्व		
बालू भराई एवं प्रोटेक्टिव कार्यों के लिए सबसिडी	-	-
कोयला आयात के लिए फैसिलीटेशन शुल्क	-	-
लदान एवं अन्य परिवहन शुल्क	-	-
घटाकर : अन्य सांविधिक लेवी (एक्साइज को छोड़कर)	-	-
	-	-
निकासी सुविधा शुल्क	-	-
घटाकर : सांविधिक लेवी	-	-
	-	-
अन्य परिचालन राजस्व (ख)	-	-
परिचालन से राजस्व (क+ख)	**1,488.60**	1,381.31

सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 25 : अन्य आय

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2021	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2020
ब्याज पर आय	12.16	7.95
लाभांश से आय	-	-
अन्य		
एपेक्स शुल्क	-	-
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	**0.01**	0.04
विदेशी विनिमय लेनदेन पर प्राप्ति	-	-
लीज रेंट	-	-
बट्टे खाते में वापस लाया गया देयता/प्रावधान	**0.03**	1.24
विविध आय	**9.90**	12.47
कुल	**22.10**	21.70

सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 26 : उपभोग्य किए गए सामग्रियों की लागत

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2021	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2020
विस्फोटक	**-**	-
टिम्बर	**-**	-
आयल एंड लुब्रिकेंट्स	**10.54**	10.90
एचईएमएम स्पेयर्स	-	-
अन्य उपयोग्य भंडार एवं पाटपूर्जे	**11.45**	12.47
कुल	**21.99**	23.37

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 27 : फिनिश्ड गुड्स की वस्तु सूची में परिर्वतन, चालू कार्य व्यवसाय में स्टॉक

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2021	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2020
कोयले का ओपनिंग स्टॉक		
जोड़कर : ओपनिंग स्टॉक का समायोजन	-	-
घटाकर : कोयले में कमी	-	-
	-	-
कोयले का क्लोजिंग स्टॉक	-	-
घटाकर : कोयले में कमी	-	-
	-	-
क. कोयल की वस्तु-सूची में बदलाव		
डब्ल्यूआईपी	-	-
जोड़कर : ओपनिंग स्टाक का समायोजन	-	-
घटाकर : प्रावधान	-	-
डब्ल्यूआईपी	-	-
घटाकर : प्रावधान	-	-
ख. वर्कशॉप की वस्त-सूची में बदलाव		
डब्ल्यूआईपी		
i) फिनिश्ड गुड्स	-	-
ii) चालू कार्य	-	-
घटाकर : प्रेस क्लोजिंग जॉब		
i) फिनिश्ड गुड्स		
ii) चालू कार्य	-	-
	-	-
ग. प्रेस जॉब के क्लोजिंग स्टॉक के वस्तु-सूची में परिवर्त्तन		
ट्रेड में स्टॉक की वस्तु-सूची में परिवर्त्तन (क+ख+ग) डिक्रिशन/एक्रीशन		·

सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 28 : कर्मचारी लाभ पर व्यय

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2021	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2020
वेतन, मजदूरी (भत्ते, बोनस इत्यादि सहित)	**360.89**	335.92
पीएफ एवं अन्य कोष में अंशदान	**137.62**	171.88
कर्मचारी कल्याण व्यय	**55.34**	58.05
कुल	**553.85**	565.85

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 29 : निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2021	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2020
सीएसआर व्यय	**4.66**	3.07
कुल	**4.66**	3.07

टिप्पणी

(करोड़ रु. में)

क. सीएसआर व्यय का गतिविधिवार विवरण :	**31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए**
भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन	2.75	0.90
विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल सहित शिक्षा को बढ़ावा देना	1.45	1.79
लैंगिक समानता और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय	0.12	-
पर्यावरणीय स्थिरता	0.12	0.06

क. सीएसआर व्यय का गतिविधिवार विवरण :	**31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए**
राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण		
सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों का लाभ		
ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण		
सामाजिक आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित कोष में योगदान		
इन्क्यूबेटरों या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में योगदान		
विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में योगदान		
ग्रामीण विकास परियोजनाएं	0.01	0.24
स्लम क्षेत्र का विकास	0.19	0.08
राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन		
कुल	**4.66**	**3.07**

(ख) सीएसआर व्यय ब्रेक-अप **(करोड़ रु. में)**

(ए) वर्ष के दौरान खर्च करने के लिए आवश्यक राशि	4.65	3.00
(बी) वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशि	5.00	3.07
(सी) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशिः		
(i) किसी भी संपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	शून्य	शून्य
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	शून्य	शून्य

(ग) चल रही परियोजना के अलावा अव्ययित राशि [**धारा 135 (5)**] (करोड़ रु. में)

	ओपनिंग बैलेंस	**6 महीने के भीतर अनुसूची VII के विशिष्ट कोष में जमा राशि**	**वर्ष के दौरान खर्च करने के लिए आवश्यक राशि**	**वर्ष के दौरान व्यय की गयी राशि**	**क्लोजिंग बैनेंस**
चल रही परियोजना के अलावा अव्ययितराशि	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(घ) खर्च हुई अधिक राशि [**धारा 135 (5)**] (करोड़ रु. में)

वर्षवार विवरण	**ओपनिंग बैलेंस**	**वर्ष के दौरान खर्च करने के लिए आवश्यक राशि**	**वर्ष के दौरान व्यय की गयी राशि**	**क्लोजिंग बैनेंस**
2020–21	शून्य	4.65	4.66	0.01

सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

(ड़) चालू परियोजनाएं [धारा 135 (6)] (वर्षवार विवरण दिया जाएगा)

वर्षवार विवरण	ओपनिंग बैलेंस		वर्ष के दौरान खर्च करने के लिए आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गयी		क्लोजिंग बैलेंस	
	कपनी के साथ	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में		कंपनी के बैंक खाते से	अलग सीएसआर अव्ययित खाते से	कंपनी के साथ	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में
2020—21	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 30 : मरम्मत

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2021	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2020
भवन	**5.34**	7.76
संयंत्र एवं मशीनरी	**10.31**	9.67
अन्य	**9.69**	10.63
कुल	**25.34**	28.06

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 31 : संविदात्मक व्यय

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2021	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2020
परिवहन शुल्क :		
प्लांट और उपकरणों की हायरिंग	**-**	-
अन्य संविदात्मक कार्य	**406.94**	378.93
कुल	**406.94**	378.93

सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 32 : वित्तीय लागत

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2021	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2020
व्याज पर खर्च :		
उधारी	-	-
डिसकाउन्ट्स का अन–वाइडिंग	**0.07**	0.05
अन्य	**0.09**	0.15
कुल	**0.16**	0.20

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 33 : प्रावधान (नेट ऑफ रिवर्सल)

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2021	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2020
निम्नलिखित के लिए भत्ता/प्रावधान		
संदिग्ध ऋण	**1.45**	-
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	-	-
अन्य	-	-
कुल	**1.45**	

सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 34 : बट्टे खाते डाला गया (गत प्रावधान का निबल)

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2021	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2020
संदिग्ध ऋण	-	-
घटाकर : पूर्व में उपलब्ध कराया गया	-	-
ग्रेड विभिन्नता	-	-
संदिग्ध अग्रिम	-	-
घटाकर : पूर्व में उपलब्ध कराया गया	-	-
	-	-
कोयले का स्टॉक	-	-
घटाकर : पूर्व में उपलब्ध कराया गया	-	-
	-	-
अन्य	0.05	-
घटाकर :– पूर्व में उपलब्ध कराया गया	-	-
	0.05	-
कुल	0.05	-

सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 35 : अन्य व्यय

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2021	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2020
यात्रा व्यय	**12.27**	20.36
प्रशिक्षण खर्च	**0.56**	1.32
टेलीफोन एवं पोस्टेज	**1.63**	3.89
विज्ञापन एवं प्रचार	**1.19**	2.39
ढुलाई भाड़ा	**-**	-
डीमूरेज	**-**	-
सुरक्षा व्यय	**19.86**	18.70
सीआईएल का सेवा शुल्क	**-**	-
किराया शुल्क	**10.43**	8.41
लीगल खर्च	**0.06**	0.04
परामर्शी शुल्क	**0.73**	0.40
अंडर लोडिंग शुल्क	**-**	-
परिसंपत्तियों की बिक्री / त्याग / सर्वेक्षण पर नुकसान	**-**	0.03
लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक एवं व्यय		
– लेखा परीक्षण शुल्क के लिए	**0.09**	0.21
– कराधान मामले के लिए	**-**	0.01
– अन्य सेवाओं के लिए	**0.09**	0.09
– किये गए खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए	**0.22**	0.22
आन्तरिक एवं अन्य लेखा परीक्षा पर व्यय	**0.48**	0.66
पुनर्वास शुल्क	**-**	-
किराया	**0.80**	0.55
दर एवं कर	**0.46**	0.59
बीमा	**0.08**	0.11
विनियम दर में विभिन्नता पर हानि	**-**	-
रेस्कयू/सुरक्षा व्यय	**-**	-
डेड रेंट/सर्फेस रेंट	**-**	-
साइडिंग मेंटेनेंस शुल्क	**-**	-
आरएंडडी पर व्यय	**-**	-
पर्यावरणिक एवं वनारोपण व्यय	**0.36**	0.37
विविध खर्च	**9.23**	10.93
कुल	**58.54**	69.28

सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 36 : कर व्यय

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2021	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2020
चालू वर्ष	**95.14**	79.03
आस्थगित कर	**2.39**	24.44
मैट क्रेडिट इंटाइटिलमेन्ट	**-**	-
पूर्व वर्ष	**-**	15.76
कुल	**97.53**	119.23

कर व्ययों का रिकॉन्सिलीएशन और लेखंकित लाभ	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2021	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2020
कर पूर्व लाभ	414.49	312.62
25.168% की आयकर दर पर	104.32	78.68
घटाकर : स्वीकार्य व्ययों	24.21	21.70
जोड़कर : गैर–कटौती योग्य व्यय	15.03	22.05
नार्मल के अनुसार आयकर व्यय (क)	95.14	79.03
MAT प्रावधान (Sec 115JB) के अंतर्गत आयकर (ख)	-	-
क/ख के लिए अधिक कर देय	**95.14**	**79.03**
मैट क्रेडिट इंटाइटिलमेन्ट	-	-
आस्थगित कर	2.39	24.44
पूर्व वर्षों के लिए कर	-	15.76
लाभ और हानि के विविरण में रिपोर्ट किए गए आयकर खर्च	**97.53**	**119.23**
प्रभावी आयकर दर :	**23.53**	**38.14**

सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 37 : अन्य विस्तृत आय

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2021	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2020
क) (i) वैसे मद जिसे लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		
परिभाषित लाभ योजना की पुनर्माप	**(9.51)**	(8.60)
	(9.51)	(8.60)
(ii) वैसे मद के संबंध में आयकर जिसे लाभ एवं हानि लेखा में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		
परिभाषित लाभ योजना की पुनर्माप	**(2.39)**	(2.16)
	(2.39)	(2.16)
कुल (क)	**(7.12)**	(6.44)
(ख) (i) वैसा मद जिसे लाभ एवं हानि लेखा में पुर्नवर्गीकृत किया जाएगा।		
ज्वाइन्ट वेन्चर में ओसीआई का शेयर	**-**	-
(ii) वैसे मद के संबंध में आयकर जिसे लाभ एवं हानि लेखा में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा।		
ज्वाइन्ट वेन्चर में ओसीआई का शेयर	**-**	-
कुल (ख)		
कुल (क + ख)	**(7.12)**	(6.44)

टिप्पणी -1 निगमित सूचना (जानकारी)

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआई) की स्थापना कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों तथा अन्य बाहरी कंपनियों भू–वैज्ञानिक, भू–भौतिकी, जलभू–वैज्ञानिक तथा पर्यावरणिक डाटा सृजन सहित कोयला एवं खनिज गवेषण में परामर्शी सहायता देने के लिए भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत किया गया। सीएमपीडीआईएल शिड्यूल ''बी''/मिनी रत्न कैट–। सीपीएसई है जिसका प्रशासनिक नियंत्रण कोयला मंत्रालय के अधीन है। सीएमपीडीआईएल 100 प्रतिशत (पूर्णतः) कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है। इसका निबंधित कार्यालय गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची 834031, झारखंड भारत में स्थिति है। कंपनी की अधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी 31 मार्च, 2020 के अनुसार क्रमशः 150 करोड़ रूपए तथा 142.80 करोड़ रूपए है।

टिप्पणी-2 महत्वपूर्ण लेखा नीति

2.1 तैयारी का आधार :

कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं।

निम्नलिखित को छोड़कर वित्तीय विवरण मापन के हिस्टोरिकल कॉस्ट के आधार पर तैयार किया गया है।

- फेयर वैल्यू के आधार पर कुछ निश्चित वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं
- डिफाइंड बेनेफिट प्लान–फेयर वैल्यू के आधार पर प्लान परिसंपत्तियों का मापन
- लागत पर वस्तुसूची (Invenories) या NRV जो भी कम हो

2.1.1 रकम को पूर्णांक में बदलना (राउडिंग ऑफ)

यदि कोई अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया हो, तो इस वित्तीय विवरण में रकम को दो दशमलव अंक तक करोड़ रूपए में राउन्ड ऑफ किया गया है।

2.2 करेंट एवं नन करेंट वर्गीकरण

कंपनी करेंट/नॉन करेंट वर्गीकरण के आधार पर तुलन–पत्र में परिसम्पत्तियों एवं देयताओं को प्रस्तुत करता है।

किसी परिसंपत्ति को चालू (करेंट) के रूप में माना जाता है जब :

क) इसे सामान्य परिचालन चक्र (सायकिल) में परिसंपत्तियों को वसूल (रियलाइज) करने की उम्मीद हो, इसे बिक्री या खपत करने का इरादा हो।

ख) व्यापार के उद्देश्य से प्रारंभिक तौर पर परिसंपत्ति को रखता (होल्ड करता) हो,

ग) प्रतिवेदित अवधि के बाद बारह माह के भीतर परिसंपत्ति को वसूल (रियलाइज) करने की संभावना हो; या

घ) परिसंपत्ति नकद या नकद समतुल्य होता है (जैसा कि इंडएएस 7 में परिभाषित किया गया है) जब तक कि परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह माह के भीतर के लिए बदले जाने या दायित्व के निपटारा के लिए प्रयुक्त होने से प्रतिबंधित न हो। अन्य सभी परिसंपत्ति को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

एक संस्था एक देयता को चालू देयता के रूप में वर्गीकरण करेगी :

क) यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में देयता का निपटान करने की अपेक्षा करता है;

ख) यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य के लिए देयता रखता है;

ग) रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर देय होने के कारण देयता है; या

घ) रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देयता के निपटान को रद्द करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है। एक दायित्व की शर्तें जो प्रतिपक्ष के विकल्प पर हो सकती हैं, इक्विटी उपकरणों के मुद्दे के द्वारा इसके निपटान में इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करती हैं।

अन्य सभी देयताओं को गैर–चालू देयता के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

2.3 राजस्व की पहचान

ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व

ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व की पहचान तब की जाती है जब वस्तुओं और सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को ऐसी राशि पर हस्तांतरित किया जाता है, जो उस विचार को दर्शाता है, जिसके अनुसार कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है। कंपनी ने यह सामान्य निष्कर्ष निकाला है कि यह अपनी राजस्व व्यवस्थाओं का प्रमुख है, क्योंकि यह वस्तुओं या सेवाओं के ग्राहकों को हस्तांतरण से पूर्व विशिष्ट तौर नियंत्रित करता है।

निम्नलिखित 5 चरणों का प्रयोग करते हुए Ind AS 115 का सिद्धांत लागू होता है :

चरण I–अनुबंध की पहचान :

निम्नलिखित सभी कसौटियों के पूरा करने पर ही कंपनी एक ग्राहक के साथ अनुबंध के लिए उत्तरदायी है :

क) अनुबंध करने वाली पार्टियों ने अनुबंध की स्वीकृति दी है और अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हो;

ख) वस्तुओं और सेवाओं की स्थानांतरित करने के लिए कंपनी प्रत्येक पार्टी के इस संबंध में अधिकारों की पहचान कर सकती है;

ग) वस्तुओं और सेवाओं को स्थानांतरिक करने के लिए कंपनी भुगतान की शर्तों की पहचान कर सकती है;

घ) अनुबंध में व्यावसायिक तत्व हों (जैसे अनुबंध के परिणाम स्वरूप कंपनी के भविष्य के नकद प्रवाह से संबंधित खतरा, समय और राशि में परिवर्तन होने की संभावना); और

ड.) यह संभावना है कि कंपनी उस विचार को एकत्र करेगी जिसके लिए वह उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले हकदार होगा जिन्हें ग्राहक को हस्तांतरित किया जाएगा। विचार करने की राशि, जिसके लिए कंपनी हकदार होगी, अनुबंध में बताई गई कीमत से कम हो सकती है, यदि विचार परिवर्तनशील है, क्योंकि कंपनी ग्राहक को मूल्य रियायत, छूट, छूट, धनवापसी, क्रेडिट की पेशकश कर सकती है या प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस या समान आइटम के लिए हकदार हो सकती है।

अनुबंध का संयोजन :

कंपनी दो या दो से अधिक अनुबंधों की एक ही ग्राहक (या ग्राहक से संबंधित पार्टियों) के साथ एक ही समय में एक ही अनुबंध मानकर प्रवेश करेगी यदि निम्नलिखित मानदंडों में एक या अधिक का पालन हो :

क) अनुबंधों को एक एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ एक पैकेज के रूप में नेगोशिएट करती है;

ख) एक अनुबंध में भुगतान की जाने वाली राशि की मात्रा दूसरे अनुबंध की कीमत या प्रदर्शन पर निर्भर करती है;

ग) अनुबंध में वचनबद्ध वस्तुएँ और सेवाएँ (या प्रत्येक अनुबंध में वचनबद्ध वस्तुएँ या सेवाएँ) एक एकल प्रदर्शन दायित्व है।

अनुबंध संशोधन

यदि निम्नलिखित दो स्थितियाँ मौजूद हों तो कंपनी अनुबंध संशोधन को एक अलग अनुबंध के रूप में स्वीकार करेगी।

क) अनुबंध का दायरा बढ़ जाता है वचनबद्ध वस्तुओं और सेवाओं के जोड़ अलग–अलग होते हैं और

ख) अनुबंध की कीमत एक विचारणीय मात्रा में बढ़ जाती है जो कंपनी की अतिरिक्त बचनबद्ध वस्तुओं और सेवाओं के स्टैंड अलोन बिक्री मूल्य को दर्शाती हैं और विशिष्ट अनुबंध की परिस्थितियों को उस मूल्य के लिए कोई उपयुक्त समायोजन दर्शाता है।

चरण-2 प्रदर्शन दायित्वों की पहचान करना

अनुबंध की स्थापना के समय, कंपनी ग्राहक के साथ अनुबंध में वादा की गई वस्तुओं या सेवाओं का आकलन करती है और प्रदर्शन दायित्व के रूप में पहचानती है कि ग्राहक को हस्तांतरित करने का प्रत्येक वादा या तो :

क) एक वस्तु या सेवा (या वस्तुओं और सेवाओं का एक बंडल) अलग–अलग है या

ख) अलग–अलग वस्तुओं या सेवाओं की एक श्रृंखला जो काफी हद तक समान है ग्राहक के लिए स्थानांतरण का समान पैटर्न है।

चरण-3 लेन-देन की कीमत का निर्धारण

लेन–देन की कीमत का निर्धारण करने के लिए कंपनी अनुबंध की शर्तों व अपनी प्रचलित व्यावसायिक प्रथाओं को ध्यान में रखती है। लेन–देन की कीमत के तौर पर उस राशि पर विचार किया जाता है, जिसे कंपनी ग्राहकों को वचनबद्ध वस्तुओं एवं सेवाओं के हस्तांतरण के बदले प्राप्त करने की आशा करती है। तीसरे पक्ष हेतु एकत्रित राशि की गणना इसके अंतर्गत नहीं की जाती है (ग्राहकों के साथ अनुबंध में जिन वायदों पर विचार किया जाता है उनमें निश्चित या परिवर्ती या दोनों की राशियाँ शामिल होती है।

जब लेन–देन की कीमतों का निर्धारण किया जाता है, जब एक कंपनी निम्नलिखित प्रभावों को ध्यान में रखती है :

- वैरिएबल कंसिडरेशन
- वैरिएबल कंसिडरेशन की बाधा का अनुमान
- महत्वपूर्ण वित्तीय अवयवों की मौजूदगी
- नॉन–कैश कंसिडरेशन
- ग्राहक को देय कंसिडरेशन

कंसिडरेशन की राशि– छूट, रिबेट, रिफंड, क्रेडिट, मूल्य में छूट, प्रोत्साहनों, प्रदर्शन बोनसों या इसी तरह की वस्तुओं के कारण अलग–अलग हो सकती है। वायदा किया गया कंसिडरेशन अलग–अलग हो सकता है यदि कंपनी भविष्य की आकस्मिक घटनाओं से प्रभावित होती है।

कुछ अनुबंधों में, पेनाल्टी स्पष्ट होती है। इन मामलों अनुबंध के सार के अनुसार पेनाल्टी दी जाती है। जहाँ लेन–देन की कीमत के निर्धारण में पेनाल्टी निहित है, वह वैरिएबल कंसिडेरेशन के भाग का निर्माण करता है।

कंपनी अनुमानित वैरिबल कंसिडरेशन की राशि के कुछ या संपूर्ण राशि को एक सीमा तक शामिल करती है, जिसके संबंध में यह अत्याधिक संभावना है कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की मात्रा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक वैरिएबल के साथ जुड़ी अनिश्चितता का बाद में समाधान नहीं कर लिया जाता है।

अनुबंध की स्थापना के समय, अगर यह अपेक्षा की जाती है तो, एक महत्वपूर्ण वित्तीय अवयवों के प्रभाव के लिए कंपनी वायदा की गई कंसिडरेशन की राशि को समायोजित नहीं करती है। जब कि वह किसी ग्राहक को एक वचनबद्ध वस्तु या सेवा स्थानांतरित करता है और ग्राहक उस वस्तु या सेवा के लिए भुगतान करता है जिसके बीच की अवधि एक वर्ष या कम होगी।

कंपनी रिफंड देयता की पहचान करती है यदि कंपनी ग्राहक से कंसिडरेशन प्रापत करती है और उस कंसिडरेशन की राशि का कुछ भाग या पूरी राशि के ग्राहक की रिफंड किए जाने की संभावना है। एक रिफंड देयता प्राप्त (या प्राप्ति के योग्य) कंसिडरेशन की राशि के आधार पर मापी गई है, जिसके लिए कंपनी के हकदार होने की संभावना नहीं है। जैसे लेन–देन की कीमत में शामिल नहीं होने वाली राशि) रिफंड देयता (और लेन–देन की कीमत में संबंधित परिवर्तन, जिसके कारण अनुबंध देयता में भी परिवर्तन हो) परिस्थिगत परिवर्तनों के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संशोधित की जाती है।

अनुबंध की स्थापना के बाद विभिन्न कारणों से लेन–देन की कीमत में परिवर्तन हो सकता है। इन कारणों में अनश्चित घटनाओं का समाधान या परिस्थितियों में ऐसे परिवर्तन शामिल हैं जो वायदा की गई वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के बदले में प्राप्त होने वाली संभावित कंसिडरेशन राशि, जिसकी हकदार कंपनी है, में परिवर्तन करते हैं।

चरण-4 : लेन-देन की कीमत का आवंटन :

कंपनी के लिए लेन–देन की कीमत के आवंटन का उद्‌देश्य प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व (या विशिष्ट वस्तु या सेवा) को लेन–देन की कीम का आवंटन एक ऐसी राशि के रूप में हो जो कंसिडरेशन की उस राशि को दर्शाता हो जो ग्राहक को वचनबद्ध वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के बदले कंपनी प्राप्त करने की संभावित हकदार हो।

प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व को लेन–देन की कीमत का आवंटन स्टैंड–अलोन विक्रय मूल्य के सापेक्षिक आधार पर करने के लिए, कंपनी अनुबंध की स्थापना में प्रतयेक प्रदर्शन दायित्व को अंतर्निहित अलग–अलग वस्तु या सेवा के अनुबंधन पर स्टैंड अलोन विक्रय मूल्य निर्धारित करती है और उन स्टैंड–अलोन विक्रय मूल्य के अनुपात में लेन–देन की कीमत आवंटित करती है।

चरण-5 : राजस्व की पहचान :

कंपनी राजस्व की पहचान तब (या जैसे) करती है जब ग्राहक को हस्तांतरित वायदा की गई वस्तु और सेवा के प्रदर्शन दायित्व से संतुष्ट हो। एक वस्तु या सेवा तब (या जैसे) हस्तांतरित की जाती है जब ग्राह उस वस्तु या सेवा का नियंत्रण प्राप्त कर लेता है।

कंपनी समय के साथ वस्तु और सेवा का नियंत्रण हस्तांतरित करती है और इसलिए समय के साथ ही प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करते हुए राजस्व की पहचान करती है, यदि निम्नलिखित में से कोई एक मानदंड प्राप्त हो :

क) ग्राहक एक साथी कंपनी के द्वारा प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त करता है और खपत करता है, जैसा कि कंपनी करती है;

ख) कंपनी का प्रदर्शन ऐसी संपत्ति बनाता है या बढ़ाता जिसे ग्राहक उस संपत्ति के रूप में नियंत्रित करता है जिसे बनाया या बढ़ाया जाता है;

ग) कंपनी का प्रदर्शन कंपनी के लिए एक वैकल्पिक उपयोग के साथ एक संपत्ति का सृजन नहीं करता है और कंपनी के पास आज तक के प्रदर्शन के लिए भुगतान करने हेतु प्रवर्तनीय अधिकार है। समय के साथ संतुष्ट प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व के लिए, कंपनी उस प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में प्राप्ति को मापकर समय के साथ राजस्व को पहचानती है।

समय के साथ संतुष्ट प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व की प्रगति के मापन के लिए कंपनी एक ही तरीका लागू करती है और समान परिस्थितियों में समरूप प्रदर्शन दायित्वों के लिए कंपनी निरंतर उसी तरीके को लागू करती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में हुई प्रगति का पुनर्मापन करती है।

कंपनी अनुबंध के तहत वादा किए गए शेष वस्तुओं या सेवाओं के सापेक्ष स्थानांतरित वस्तुओं या सेवाओं के ग्राहक की मूल्य के प्रत्यक्ष माप के आधार पर राजस्व पहचानने के लिए आउटपुट तरीके से लागू करती है। आउटपुट विधियों में प्रदर्शन के सर्वेक्षण से लेकर आज तक पूर्ण किए गए परिणाम प्रापत परिणामों का मूल्यांकन, मील के पत्थर तक पहुँच, बीते हुआ समय और उत्पादित या प्रदत्त इकाईयाँ शामिल है।

समय के साथ बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कंपनी प्रगति के अपने मापकों में संशोधन करती है ताकि प्रदर्शन दायित्व के आउटकम में होने वाले किसीभी परिवर्तन को दर्शाया जा सके। प्रगति की कंपनी के मापकों ऐसे में परिवर्तन; Ind As 8, लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियों के अनुरूप लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी मानी जाती है।

समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व के लिए कंपनी राजस्व की पहचान केवल तभी करती है यदि वह प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में हुई प्रगति का तार्किक मापन कर सके। जब (या जैसे) प्रदर्शन दायित्व संतुष्ट होता है तब कंपनी लेन–देन की कीमत की राशि की गणना राजस्व के रूप में करती है।

यदि समय के साथ प्रदर्शन दायित्व संतुष्ट नहीं होता है, तब कंपनी समय के एक बिन्दु पर प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करती है।समय के एक बिन्दु या समय विशेष; जिसमें कि ग्राहक वायदा की गई वस्तु या सेवा का नियंत्रण प्राप्त करता है तथा जिसमें कंपनी प्रदर्शन दायित्व से संतुष्ट होती है, का निर्धारण करने के लिए कंपनी; नियंत्रण के हस्तांतरण के सूचकों जो निम्नलिखित से युक्त लेकिन उसी तक सीमित नहीं है, पर विचार करती है :

क) वस्तु और सेवा के लिए भुगतान का अधिकार कंपनी के पास है;

ख) वस्तु या सेवा का ग्राहक के पास विधिक टाइटल है;

ग) कंपनी ने वस्तु और सेवाओं के भौतिक नियंत्रण को हस्तांतरित कर दिया है;

घ) ग्राहक के पास वस्तु और सेवा के स्वामित्व का महत्वपूर्ण खतरा और पुरस्कार है;

ड.) ग्राहक के पास वस्तु और सेवा को स्वीकार कर लिया हो।

जब किसी अनुबंध के लिए पार्टी ने प्रदर्शन किया है, तो कंपनी के प्रदर्शन और ग्राहक के भुगतान के बीच संबंध पर निर्भर करते हुए अनुबंध को अनुबंध परसंपत्ति या अनुबंध देयता के रूप में बैलेंस शीट में प्रस्तुत करती है। कंपनी अलग–अलग प्राप्य के रूप विचार करने के बिना शर्त अधिकार प्रस्तुत करती है।

अनुबंध परिसंपत्तियाँ :

एक अनुबंध परिसंपत्ति ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं और सेवाओं के लिए विनिमय में कंसिडरेशन का अधिकार है। यदि कंपनी ग्राहक द्वारा कंसिडरेशन के भुगतान के पहले या भुगतान के देय होने के पहले किसी वस्तुओं या सेवाओं का हस्तांतरण है तो, अर्जित कंसिडरेशन; जो कि शर्तों के अधीन है, के लिए एक अनुबंध परिसंपत्ति की पहचान की जाती है।

ट्रेड रिसिवेवल्स :

एक प्राप्य (रिसिवेवल्स); कंसिडरेशन की एक राशि जो शर्तों के अधीन है; के संबंध में कंपनी क अधिकार को व्यक्त करता है। (जैसे देय कंसिडरेशन के भुगतान के पूर्व केवल समय के पैसेज की आवश्कता होती है)

अनुबंध देयताएँ :

एक अनुबंध देयता ग्राहक को उन वस्तुओं या सेवाओं के हस्तांतरण की बाध्यता है, जिसके बदले कंपनी ने ग्राहक से कांसीडरेशन प्राप्त किया हो (या कंसिडरेशन की एक राशि देय हो)। कंपनी द्वारा ग्राहक को वसतुओं या सेवाओं के हस्तांतरण के पूर्व यदि ग्राहक द्वारा कंसिडरेशन का भुगतान किया जाता है, तब एक अनुबंध देयता की पहचान की जाती है जबकि भुगतान कर दिया गया हो या देय हो (दोनों में जो भी पहले हो)। जब कंपनी अनुबधं के अंतर्गत कार्य कर रही हो तो अनुबंध देयता की राजस्व के रूप में देखा जाता है।

ब्याज

प्रभावी ब्याज प्रणाली का प्रयोग कर ब्याज आय की पहचान की जाती है।

लाभांश

निवेश से प्राप्त लाभांश आय की पहचान तब की जाती है जब पेमेंट को प्राप्त करने का अधिकार स्थापित कर लिया गया हो।

अन्य दावे

अन्य दावे (ग्राहकों से देरी से किये गए रियलाइजेशन पर ब्याज सहित) की गणना तब की जाती है जब रियलाइजेशन की निश्चितता हो और उसका मापन विश्वसनीय ढंग से हो सके।

सीएमपीडीआईएल, कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी द्वारा परामर्शी सेवा से प्राप्त राजस्व

गवेषण, माइन प्लानिंग/परियोजना रिपोर्ट, पर्यावरणिक योजना तथा अन्य अभियंत्रण सेवाओं के लिए परामर्शी सेवा से उत्पन्न राजस्व की पहचान विभिन्न कोटि के ग्राहकों के लिए अपनाए गए सूत्र के आधार पर किया जाता है। होल्डिंग कंपनी एवं इसकी अन्य अनुषंगी कंपनियों को प्रदत्त सेवाओं का मूल्य निर्धारण लागत+पीएंडडी सेवाओं के लिए सेवा कर का 10 प्रतिशत, विभागीय ड्रिलिंग के लिए 7.5 प्रतिशत, आउट सोर्सिंग एजेंसी द्वारा किए गए ड्रिलिंग के लिए सेवा कर 7.5 से 20 प्रतिशत तक एकरूपता के साथ किया जाता है। पर्यावरण मानिटरिंग कार्य का मूल्य निर्धारण 2017 के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दर के 90 प्रतिशत पर किया जाता है। 1.4.2018 से एक पृथक लागत केंद्र (जियोमेटिक्स) लागू किया गया। पहले यह पीएंडडी कार्य आंतरिक परामर्श में शामिल था।

2.4 सरकार से अनुदान :

सरकारी अनुदान की पहचान तब तक नहीं की जाती है जब तक यह पर्याप्त आश्वासन नहीं मिल जाता है कि कंपनी उनसे संबंधित शर्तों को पूरा करेगी तब अनुदान प्राप्त किया जाएगा।

उस अवधि में लाभ एवं हानि लेखा में सरकारी अनुदान की पहचान योजनाबद्ध आधार पर की जाती है जिसमें कंपनी संबंधित लागत को व्यय के रूप में पहचान करती है जिसके लिए अनुदान की क्षतिपूर्ति करने का इरादा होता है।

परिसंपत्ति से संबंधित सरकारी अनुदान को आस्थगित आय के रूप में अनुदान को स्थापित कर तुलन–पत्र में प्रस्तुत किया जाता है।

आय से संबंधित अनुदान (यानि परिसंपत्तियों से इतर से संबंधित अनुदान) को सामान्य शीर्षक ''अन्य आय'' के तहत लाभ या हानि के विवरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

सरकारी अनुदान की गई खर्च या हानि के लिए क्षतिपूर्ति के कारण प्राप्ति योग्य होता है, या किसी भावी खर्च के साथ इंटिटी के लिज तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से प्राप्ति योग्य (रीसिवेबुल) होता है उसकी उस अवधि के लाभ या हानि में पहचान की जाती है जिस अवधि में वह प्राप्ति योग्य (रीसिवेबुल) हो जाता है।

2.5 पट्टा (लीज)

एक अनुबंध है, या होता है, एक पट्टा अगर अनुबंध विचार के बदले में किसी समयावधि के लिए किसी पहचाने गए परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

2.5.1 पट्टादाता के रूप में कंपनी

प्रारंभ तिथि में, पट्टेदार को लागत पर एक सही उपयोग परिसंपत्ति और पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर एक पट्टा देयता को पहचानना होगा जो कि सभी पट्टों के लिए उस तिथि पर भुगतान नहीं किया जाता है जब तक कि पट्टा अवधि 12 महीने या उससे कम नहीं हो या अंतर्निहित संपत्ति कम मूल्य की है।

इसके बाद, राइट–टू–यूज एसेट को कॉस्ट मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, जबकि लीज देनदारी पर ब्याज को प्रतिबिंबित करने के लिए ली जाने वाली राशि को बढ़ाकर लीज देयता को मापा जाता है, किसी भी पुनर्मूल्यांकन या पट्टे में संशोधन के लिए ली गई भुगतानों को दर्शाने हेतु कैरी की राशि को कम करने और ले जाने के लिए रीम्यूरिंग राशि को प्रतिबिंबित करने के लिए। जब तक कि वह वित्त प्रभार को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागतों में मान्यता प्राप्त है, जब तक कि लागत अन्य लागू मानकों को लागू करने वाली किसी अन्य परिसंपत्ति की वहन राशि में शामिल नहीं होती है।

यदि पट्टाय पट्टे की अवधि के अंत तक पट्टेदार को परिसंपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित करता है या यदि राइट–ऑफ–यूज संपत्ति की लागत दर्शाती है कि पट्टेदार एक खरीद विकल्प का उपयोग करेगा, तो संपत्ति के उपयोगी जीवन पर राइट–ऑफ–यूज परिसंपत्ति का मूल्यह्रास किया जाता है। अन्यथा, पट्टादाता राइट–ऑफ–यूज संपत्ति के अधिकार से पहले के उपयोग के अधिकार की संपत्ति के जीवन के अंत या पट्टे की अवधि के अंत से पहले राइट–ऑफ–यूज परिसंपत्ति का मूल्यह्रास करेगा।

2.5.2 पट्टाकर्ता रूप में कंपनी :

सभी पट्टे या तो एक परिचालन पट्टे या एक वित्त पट्टे हैं।

एक पट्टे को एक वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह काफी हद तक सभी जोखिमों को स्थानांतरित करता है और अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक है। एक पट्टे को एक ऑपरेटिंग पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह अंतर्निहित जोखिम के स्वामित्व में प्रासंगिक रूप से सभी जोखिमों और पुरस्कारों को स्थानांतरित नहीं करता है।

परिचालन पट्टे– परिचालन पट्टों से लीज भुगतान को एक सीधी रेखा के आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है जब तक कि एक और व्यवस्थित आधार पैटर्न का अधिक प्रतिनिधि नहीं होता है जिसमें अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोग से लाभ कम होता है।

वित्त पट्टे – एक वित्त पट्टे के तहत रखी गई संपत्ति को शुरू में अपनी बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त है और पट्टे में शुद्ध निवेश को मापने के लिए उसमें निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि के रूप में प्राप्य के रूप में प्रस्तुत करता है।

इसके बाद, पट्टे की अवधि में वित्त आय को मान्यता दी जाती है, जो पट्टे पर पट्टेदार के शुद्ध निवेश पर निरंतर आवधिक दर को दर्शाती है।

2.6 सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई)

भूमि को ऐतिहासिक लागत मूल्य पर वहन (कैरी) किया जाता है। ऐतिहासिक मूल्य में वैसा खर्च शामिल है, जो संबंधित विस्थापित व्यक्ति के लिए दिए जाने वाले रोजगार आदि के बदले में पुनर्वास खर्च, पुनर्स्थापना लागत तथा मुआबजा आदि वाले जमीन अधिग्रहण को प्रतयक्ष तौर पर प्रभावित करता है।

पहचान के बाद अन्य सभी संपत्तियों के मदों, संयंत्र एवं उपकरण संचित मूल्यहास तथा लागत में संचित इम्पेयरमेंट हानि को घटाकर इसकी लागत पर वहन (कैरी) किया जाता है। संपत्ति के किसी मद, संयंत्र एवं मशीनरी की लागत में निम्नलिखित शामिल है :

क) इसकी खरीद मूल्य में व्यापार छूट एवं राहत को घटाने के बाद आयात कर तथा गैर वापसी योग्य क्रय कर शामिल है।

ख) किसी परिसंपत्ति को उचित स्थान तक लाने तथा प्रबंधन द्वारा इच्छित ढंग से परिचालन योग्य बनाने के लिए आवश्यक स्थिति में लाने में प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करने वाली लागत।

ग) किसी मद को विखण्डित करने एवं हटाने तथा जिस स्थान पर वह स्थापित है उसके पुनरूद्धार करने की लागत का प्रारंभिक प्राक्कलन या जब आइटम खरीदा गया हो या उस अवधि के दौरान इन्वेटरी को उत्पादित करने के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए किसी खास अवधि के दौरान उपयोग करने के परिणामस्वरूप होने वाले इंटीटी का दायित्व।

संपत्ति, संयंत्र एवं मशीनरी की लागत सहित किसी आइटम का प्रत्येक भाग जो आइटम की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण हो, का मूल्यह्रास पृथक रूप से किया जाता है। तथापि, समान उपयोगी जीवन वाले प्रत्येक आइटम का प्रमुख भाग तथा मूल्यह्रास पद्धति को मूल्यह्रास चार्ज निर्धारित करने के लिए एक साथ समूहित किया जाता है।

'मरम्मत एवं रख–रखाव' के लिए विहित दैनिक सर्विसिंग लागत को लाभ एवं हानि लेखा के विवरण में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसे अवधि में इसे यह हुआ है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के किसी मद को बदलने वाले भाग की परवर्ती लागत है उसके कैरिंग अमाउन्ट में पहचान की जाती है, यदि यह संभावना हो कि आइटम के साथ संबंधित भावी आर्थिक लाभ ग्रुप तक फ्लो करेगा और उस आइटम की लाग विश्वसनीय तौर पर आँकी जा सकती है। बदले गए पार्टों की कैरिंग रकम को नीचे दी गई डिरिकोग्नाइजेशन नीति के अनुसार डिरोकोग्नाइज किया जाता है।

जब कोई बड़ा (महत्वपूर्ण) निरीक्षण (इंसपेक्शन) किया जाता है तो संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के आइटम के कैरिंग रकम की पहचान प्रति स्थापन के रूप में की जाती है, यदि संभावना हो कि आइटम से सम्बद्ध भावी आर्थिक लाभ ग्रूप तक फ्लो करेगा और आइटम की लागत को विश्वसनीय तौर पर आँका जा सकता है। बचे हुए पूर्व निरीक्षण (इंस्पेक्शन) की लागत की कैरिंग रकम डिरोक्नाइज होता है।

संपत्ति, संयंत्र एवं मशीनरी के किसी आइटम को निपटान पर या परिसंपत्ति के सतत् उपयोग से कोई भावी आर्थिक लाभ की संभावना नहीं हो, पर डिरिकोग्नाइज किया जाता है। सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के किसी आइटम के इस डिरिकोग्निजीशन के फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ एवं हानि में पहचान (रिकोग्नाइज) की जाती है।

फ्री होल्ड जमीन को छोड़कर, सम्पत्ति, संयंत्र एवं मशीनरी पर मूल्यह्रास परिसंपत्ति के आकलित उपयोगी जीवन पर स्ट्रेट लाइन बेसिस पर लागत मॉडेल के अनुसार किया जाता है।

अन्य भूमि

(पट्टे वाली जमीन सहित)	:	परियोजना का जीवन काल या पट्टे की अवधि, जो भी कम हो
भवन	:	3–60 वर्ष
सड़क	:	3 से 10 वर्ष
दूर संचार	:	3 से 9 वर्ष
संयंत्र एवं मशीनरी	:	5 से 15 वर्ष
कम्प्यूटर एवं लैपटॉप	:	3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	:	3 से 6 वर्ष
फर्निचर एवं फिक्सर	:	10 वर्ष
वाहन	:	8 से 10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि ऊपर दिया गया उपयोगी जीवन उस अवधि का प्रतिनिधित्व करता है जिस अवधि में प्रबंधन परिसंपत्ति का उपयोग करने की उम्मीद करता है। इसलिए कंपनियों के अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग सी के तहत निर्धारित संपत्ति का उपयोगी जीवन उपयोगी जीवन से भिन्न हो सकता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अवशिष्ट मूल्य परिसंपत्ति की मूल लागत का 5% माना जाता है।

वर्ष के दौरान जोड़ी गई / हटा दी गई संपत्तियों पर मूल्यह्रास को प्रो–राटा के आधार पर जोड़ / निपटान के महीने के संदर्भ में प्रदान किया जाता है।

पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आरएफसीटीएलएआर) अधिनियम 2013, सरकारी भूमि का दीर्घकालीन हस्तांतरण आदि शामिल हैं जिसे परियोजना के शेष जीवन के आधार परिशोधन पर (एमोर्टाइज) किया जाता है तथा लीजहोल्ड जमीन के मामले में लीज होल्ड अवधि या परियोजना के जीवन, जो भी कम हो, के आधार पर परिशोधित किया जाता है।

पूर्णतः वैसी मूल्यह्रसित परिसंपत्ति जो सक्रिय इस्तेमाल लायक नहीं रह गया है, को सम्पत्ति, संयंत्र, उपकरण के तहत इसके रिसिड्यूअल मूल्य पर सर्वे आफ परिसंपत्ति के रूप में अलग से प्रकट किया जाता है।

कंपनी द्वारा कुछ परिसंपत्ति के निर्माण/विकास पर किए गए खर्च जो सामान के उत्पादन, आपूर्ति के लिए या कंपनी के विद्यमान परिसंपत्ति के मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक हो, को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के तहत इनेबिंलग परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है।

Ind AS के लिए संक्रमण :

कंपनी ने लागत्तम् मॉडल के अनुसार कैरिंग मूल्य को जारी रखने का चुनाव किया है (अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त Ind ASs, के लिए संक्रमण की तारीख के रूप में, पिछले GAAP के अनुसार मापा जाता है)।

2.7 अप्रत्यक्ष (इन्टन्जिबुल) परिसम्पत्ति :

पृथक रूप से अधिगृहित अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति को लागत पर प्रारंभिक पहचान के आधार पर आँका जाता है। बिजनेस कंबिनेशन में प्राप्त अप्रत्यक्ष परिसम्पत्ति की लागत अधिग्रहण के समय उसका उचित मूल्य होता है। इनिशीयल रिकोग्निजेशन के अनुसरण में अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति को संचित परिशोधन (उनके उपयोगी जीवन पर स्ट्रेटलाइन आधार पर परिकलित) तथा संचित इम्पेयरमेंट हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर कैरी किया जाता है।

पूंजीकृत विकास लागत सहित आंतरिक सृजित परिसंपत्ति को पूंजीकृत नहीं किया जाता है। इसके बदले में इससे संबंधित खर्च को लाभ या हानि विवरण में तथा जिस अवधि में खर्च किया जाता है उस अवधि में विस्तृत आय की पहचान की जाती है। अप्रत्यक्ष परिसम्पत्ति का उपयोगी जीवन को या तो सीमित (फाइ नाइट) या इन्डेफिनिट के रूप में मूल्यांकित किया जाता है। सीमित जीवन अवधि वाली अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति को उनके उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधित किया जाता है तथा जहाँ यह संकेत हो कि अप्रत्यक्ष परिसम्पत्ति इम्पेयर हो सकता हो वहाँ इसे इम्पेयरमेंट (हानि/क्षति) के लिए मूल्यांकित किया जाता है। सीमित उपयोगी जीवन अवधि वाली अप्रत्यक्ष परिसम्पति के लिए परिशोधित अवधि तथा परिशोधन पद्धति की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के कम–से–कम अंत में की जाती है। संभावित उपयोगी जीवन या भावी आर्थिक लाभ की खपत की संभावित पैटर्न जिसे परिसंपत्ति में मूर्त रूप दिया गया हो परिशोधन अवधि को रूपान्तरित करने पर विचार किया जाता है तथा उसे लेखा प्राक्कलन में परिवर्त्तन के रूप में माना जाता है। सीमित जीवन वाली अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति पर परिशोधन व्यय की पहचान लाभ एवं हानि लेखा के विवरण में की जाती है।

अनिश्चित उपयोगी जीवन वाली अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति को परिशोधित नहीं किया जाता है, लेकिन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर इम्पेयरमेंट की पहचान की जाती है।

किसी अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति के डिरिकोगनाइजेशन से उत्पन्न लाभ या हानि को नेट डिस्पोजल प्रोसिडिंग तथा परिसंपत्तियों के कैरिंग अमाउन्ट के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है तथा लाभ एवं हानि लेखा में इसकी पहचान की जाती है।

अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति के रूप में चिन्हित साफ्टवेयर की लागत उपयोग के लिए वैधानिक अधिकार की अवधि या तीन वर्ष, जो कम हो, पर स्ट्रेट लाइन पद्धति पर की जाती है।

2.8 परिसंपत्ति की हानि (इम्पेयरमेंट)

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी यह मूल्यांकित करती है कि क्या यह संकेत है कि परिसम्पत्ति को इम्पेयर किया जा सकता है। यदि ऐसा कोई संकेत है, तो कंपनी इस परिसंपत्ति की वसूली योग्य मात्रा का आकलन करती है। परिसंपत्ति का वसूली योग्य रकम प्रयोग में लाई जा रही परिसंपत्ति से या केश जेनरेटिंग इकाई से ज्याद है तथा इसका उचित मूल्य डिसपोजल की लागत से कम है तथा इसे व्यक्तिगत परिसंपत्ति निर्धारित किया जाता है। जब तक कि परिसंपत्ति वैसा कैश सृजित नहीं करता हो जो अन्य परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों के समूह से वैधानिक रूप से स्वतंत्र हो, जिस मामले में वसूली योग्य रकम कैश जेनरेटिंग इकाई जिसकी वह है, के लिए निर्धारित किया जाता है। इम्पेयरमेंट के परीक्षण के उद्देश्य से कंपनी इडिविजुअल खानों को कैश जेनेरेशन की एक अलग इकाई के रूप में विचार करती है।

यदि एक परिसंपत्ति की रिकवरी के योग्य राशि इसकी वहनीय राशि से कम अनुमानित की जाती है, जब वहनीय राशि (carrying amount); परिसंपत्ति की रिकवरी के योग्य राशि से कम हो जाती है और इम्पेयरमेंट हानि की गणना लाभ ओर हानि के विवरण में की जाती है।

2.9 वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट

वित्तीय इंस्ट्रूमेंट एक संविदा है जो किसी इंटिटी की वित्तीय परिसंपत्ति है तथा दूसरी इक्विटी के इन्टीटी इन्स्ट्रूमेंट या वित्तीय देयता को उत्थान प्रदान करता है।

2.9.1 वित्तीय परिसंपत्ति

2.9.1 प्रारंभिक पहचान (रिकॉग्निशन) एवं माप

प्रारंभ में सभी वित्तीय परिसंपत्तियों की पहचान उचित मूल्य एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में लगने वाली लागत को जोड़कर की जाती है, यदि वित्तीय परिसंपत्ति लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया गया हो, वैसे वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद बिक्री जिसकी विनियमन या परंपरा द्वारा स्थापित समय–सीमा के भीतर सुपुर्दगी अपेक्षित हो, की पहचान व्यापार की तिथि, यानि जिस तिथि को कंपनी खरीदती या बेचती हो, पर की जाती है।

2.9.2 परवर्ती माप

वित्तीय देयता की परवर्ती माप का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 कोटि के आधार पर की जाती है :

- परिशोधित लागत पर. ऋण इन्स्ट्रूमेंट
- अन्य विस्तृत आय के जरिए उचित मूल्य पर ऋण इन्स्ट्रूमेंट (एफवीटीओसीआई)
- लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर ऋण इन्स्ट्रूमेंट, ब्युतपन्न तथा इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट (एफवीटीपीएल)
- अन्य विस्तृत आय के जरिए उचित मूल्य पर मापित इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट (एफवीटीओसीआई)

2.9.2.1 डीरिकग्नीशन

एक वित्तीय संपत्ति (या, जहां लागू हो, एक वित्तीय संपत्ति का एक हिस्सा या इसी तरह की वित्तीय परिसंपत्तियों के एक समूह का हिस्सा) मुख्य रूप से व्युत्पन्न है (जब बैलेंस शीट से हटा दिया गया है) :

- संपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो गए हैं, या
- कंपनी ने संपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए अपने अधिकारों को हस्तांतरित किया है या एक 'पास–थ्रू' व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को सामग्री की देरी के बिना प्राप्त नकदी प्रवाह का भुगतान करने के लिए एक दायित्व मान लिया है, और या तो कंपनी परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित कर दिया है, या कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो स्थानांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, लेकिन परिसंपत्ति का नियंत्रण स्थानांतरित कर दिया है।

जब कंपनी ने संपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए अपने अधिकारों को हस्तांतरित किया है या 'पास–थ्रू' व्यवस्था में प्रवेश किया है, तो यह मूल्यांकन करता है कि क्या और किस हद तक इसने स्वामित्व के जोखिमों और पुरस्कारों को बरकरार रखा है। जब यह परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों के न तो हस्तांतरित और न ही पर्याप्त रूप से हस्तांतरित किया गया है, और न ही परिसंपत्ति का नियंत्रण हस्तांतरित किया गया है, तो कंपनीय कंपनी की निरंतर भागीदारी की हद तक हस्तांतरित संपत्ति को पहचानती है। उस स्थिति में, कंपनी एक संबद्ध देयता को भी पहचानती है। हस्तांतरित संपत्ति और संबंधित देयता को एक आधार पर मापा जाता है जो कंपनी द्वारा बनाए गए अधिकारों और दायित्वों को दर्शाता है। हस्तांतरित परिसंपत्ति पर गारंटी का रूप लेने वाली निरंतर भागीदारी को परिसंपत्ति की मूल वहन राशि और कंपनी को चुकाने के लिए आवश्यक अधिकतम राशि के निचले स्तर पर मापा जाता है।

2.9.2.2 वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति (इम्पेयरमेंट) (उचित मूल्य के अतिरिक्त)

इंड एएस 109 के अनुसार कंपनी ने निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्ति एवं क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर पर इम्पेयरमेंट हानि की माप एवं पहचान के लिए संभावित क्रेडिट हानि (ईसीएल) प्रयोग में लाती हैः।

क) वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो ऋण इंस्ट्रूमेंट है और जिसकी माप परिशोधित लागत यानि ऋण, डेब्ट सिक्यूरिटी डिपोजिट, ट्रेड रीरिवेबुल और बैंक बैलेंस आदि पर की जाती है डेब्ट इन्स्ट्रूमेंट हैं।

ख) वित्तीय परिसंपत्यिाँ जो डेब्ट इन्स्ट्रूमेंट है उन्हें एफवीटीओसीआइ पर मापा जाता है।

ग) इंडएएस 17 के तहत प्राप्ति योग्य (रीसिवेबुल) लीज

घ) रीसिवेबुल ट्रेड या नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ प्राप्त करने के लिए कोई संविदात्मक अधिकार (राइट) जो ट्रान्जेक्शन के परिणाम स्वरूप हुआ हो, वे इंड एएस 11 तथा इंड एएस 18 के क्षेत्र में आता है।

कंपनी निम्नलिखित पर इम्पेयरमेंट हानि (लॉस) की पहचान के लिए ''सरलीकृत दृष्टिकोण (अप्रोच) का अनुसरण करती है :

- ट्रेड रीसिवेबुल या कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रीसिवेबुल; तथा
- इंड एएस 17 के क्षेत्र के भीतर ट्रान्जक्शन के परिणामस्वरूप सभी रीसिवेबुल लीज

कंपनी को सरलीकृत दृष्टिकोण के प्रयोग में कंपनी को क्रेडिट रिस्क में बदलाव की जरूरत नहीं पड़ती है। बल्कि इसकी प्रारंभिक पहचान से ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि तक लाइफटाइम ईसीएल के आधार पर यह इम्पेयरमेंअ लॉस अलाउएन्स की पहचान करता है।

2.9.3 वित्तीय देयताएँ

2.9.3.1 प्रारंभिक पहचान एवं माप

कंपनी की वित्तीय देयता में ट्रेड एवं अन्य देय, बैंक ओवरड्राफ्ट सहित लोन और उधारी शामिल है।

सभी वित्तीय देयता की पहचान फेयर वैल्यू पर की जाती है, यदि लोन एवं उधारी तथा देयता, प्रत्यक्षतः एट्रीब्यूटेबुल ट्रांन्जक्शन कास्ट का नेट हो।

2.9.3.2 परवर्ती माप

वित्तीय देयता की माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे दिया गया है।

2.9.3.3 लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयता

लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में ट्रेडिंग के लिए रखे गए वित्तीय देयताएँ तथा लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर प्रारंभिक पहचान पर नामित (डिजिग्नेटेड) वित्तीय देयता शामिल है। वित्तीय देयता को ''ट्रेडिंग के लिए रखे गए'' के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट भविष्य में खरीद के उद्देश्य के लिए खर्च किए गए हैं। इस कोटि में कंपनी द्वारा की गई उत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स शामिल है जो इंड एएस 109 द्वारा परिभाषित हेड्ज रिलेशनशीप में हेड्जिग इन्स्ट्रूमेंट के रूप में नामित किया जाता है। सेपरेटेड इमवेडेड डेरिवेटिव्स (ब्युत्पन्न) को भी हेल्ड फार ट्रेडिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जब तक कि उन्हें इफेक्टिव हेड्जिग इन्स्ट्रूमेंट के रूप में नामित नहीं किया जाता है।

ट्रेडिंग के लिए रखे गए (हेल्ड फार ट्रेडिंग) देयता पर प्राप्ति (गेन) या हानि की पहचान लाभ एवं हानि लेखा में की गई है।

लाभ या हानि के जरिए फेयर वैल्यू पर आरंभिक रिकोग्नाइजेशन पर डिजिग्नेट वित्तीय देयता को वास्तव में रिकोग्नाइजेशन की आरंभिक तिथि तथा इंड एएस 109 में दिए गए मानदंड को पूरा करने पर ही डिजिग्नेटेड किया जाता है। एफवीटीएल के रूप में डिजिग्नेटेड देयताओं के लिए अपने क्रेडिट रिस्क में बदलाव के कारण फेयर वैल्यू प्राप्ति (गेन)/हानि को ओसीएल में रिकोग्नाइज किया गया है। ये प्राप्ति (गेन/हानि पीएंडएल में स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तथा कंपनी संचित प्राप्ति (गेन) हानि को इक्विटी में स्थानांतरित कर सकती है। इस प्रकार देयता के फेयर वैल्यू में अन्य सभी परिवर्त्तन की पहचान लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। कंपनी ने लाभ एवं हानि के जरिए फेयर वैल्यू पर किसी वित्तीय देयता को डिजीग्नेट नहीं किया है।

2.9.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ

प्रारंभिक पहचान (रिकोग्नाइजेशन) के बाद, इन्हें प्रभावी व्याज दर पद्धति का प्रयोग कर परिशोधित लागत पर मापा जाता है। प्राप्ति (गेन) तथा हानि की लाभ या हानि में तब पहचान की जाती है, जब देयता को डिरिकोग्नाइज के साथ–साथ प्रभावी व्याज दर परिशोधन प्रक्रिया के जरिए किया जाता है।

परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी प्रकार की छूट या किस्त तथा प्रभावी व्याज दर के किसी अभिन्न हिस्से के रूप में लगे शुल्क या लागत/मूल्य को ध्यान में रख कर की जाती है। प्रभावी व्याज दर परिशोधन को लाभ एवं हानि लेखा के विवरण में वित्तीय लागत के रूप में शामिल किया जाता है। यह कोटि सामान्यतः उधारी में लागू होती है।

2.9.3.5 डिरिकोग्नाइजेशन

किसी वित्तीय देयता को तब डिरिकोग्नाइज्ड किया जाता है, जब देयता के तहत दायित्व डिस्चार्ज या रद्द या समाप्त हो जाता है। जब वर्तमान देयता को महत्वपूर्ण भिन्न शर्त या वर्तमान देयता की पर्याप्त ढंग से रूपान्तरित शर्त के आधार पर उस उधारदाता से दूसरे उधारदाता द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तब इस तरह के बदलाव या रूपान्तरण को मूल देयता तथा नया दायित्व की पहचान को डिरिकोग्नाइज्ड माना जाता है। समाप्त (इक्सटिग्विस्ड) वित्तीय देयता (या वित्तीय देयता के किसी भाग) या अन्य पार्टी को स्थानांतरित तथा कन्सिडेरेशन पेड सहित गैर नकद परिसंपत्ति हस्तांतरित या मानी गई देयता के कैरिंग रकम के बीच के अंतर को लाभ या हानि में रिकोग्नाइज किया जाता है।

2.9.4 वित्तीय परिसम्पत्तियों का पुनवर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक पहचान पर वित्तीय परिसंपत्तियों तथा दायित्वों का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक पहचान के बाद उन वित्तीय परिसंपत्तियों के कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट तथा

वित्तीय दायित्व हो। वित्तीय परिसंपत्तियों जो ऋण इन्स्ट्रूमेंट हो, के लिए पुनर्वर्गीकरण तभी किया जाता है जब उन परिसंपत्तियों को व्यवस्थित करने के लिए बिजनेस माडल में कोई बदलाव किया गया हो। बिजनेस मॉडेल में परिवर्त्तन शायद ही कभी (इन्फ्रीक्वेंट) होने की उम्मीद है। कंपनी के वरीय प्रबंधन कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हो, बाहरी या आंतरिक परिवर्त्तन के फलस्वरूप बिजनेस मॉडल में हुए परिवर्त्तन को निर्धारित करता है। ऐसा परिवर्त्तन बाहरी पार्टियों के साक्ष्य हैं। बिजनेस माडल में बदलाव तभी आता है, जब कंपनी वैसे क्रिया–कलाप या तो शुरू करती है या बंद कर देती है, जो उसके संचालन के लिए महत्वपूर्ण हों। यदि कंपनी वित्तीय परिसंपत्यिों को पुनर्वर्गीकृत करती है तो यह पुनर्वर्गीकरण की की तिथि से परिप्रेक्ष्य रूप से पुनर्वर्गीकरण पर लागू होती है, बिजनेस मॉडल में बदलाव के बाद अगली रिपोर्टिंग तिथि से तत्काल बाद का दिन पहला दिन होता है। ग्रुप किसी प्रकार के पूर्व का रिकोग्नाइज्ड प्राप्ति (गेन), हानि (इम्पेयरमेंट गेन या हानि सहित) या ब्याज को रिस्टेट नहीं करता है।

निम्नांकित तालिका विभिन्न पुनर्वर्गीकरण तथा किस प्रकार उनकी गणना की जाती है, को दर्शाता है।

मूल वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखागत प्रतिपादन
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	फेयर वैल्यू की माप पुनर्वर्गीकरण की तिथि से की जाती है। पूर्व परिशोधित लागत तथा फेयर वैल्यू के अंतर की पहचान पीएंडएल में की गई है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पनर्वर्गीकरण की तिथि से फेयर वैल्यू इसका नया ग्रास कैरिंग रकम (अमाउन्ट) होता है। न्यू ग्रास कैरिंग रकम के आधार ईआईआर की गणना की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	फेयर वैल्यू की माप पुनर्वर्गीकरण की तिथि पर की जाती है पूर्व परिशोधित लागत तथा फेयर वैल्यू के बीच के अंतर को ओसीआई में पहचान की जाती है।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण की तिथि को फेयर वैल्यू इसका नया परिशोधित लागत कैरिंग अमाउन्ट हो जाता है। तथापि, ओसीआई में संचित लाभ या हानि को फेयर वैल्यू के मुकाबले समायोजित की जाती है। उसके बाद परिसंपत्ति की माप ऐसे की जाती है मानो इसे परिशोधित लागत पर हमेशा मापा गया है।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुनर्वर्गीकरण की तिथि से फेयर वैल्यू इसका नया कैरिंग अमाउन्ट हो जाता है। कोई अन्य समायोजन की आवश्यकता नहीं है।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीएल	परिसंपत्तियों की माप इसके फेयर वैल्यू पर जारी था। ओसीआई में पूर्व में चिहिनत संचित प्राप्ति या हानि को पुनर्वर्गीकरण को तिथि को पीएंडएल के पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

2.9.5 वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट का ऑफ सेटिंग

वित्तीय परिसंपत्ति तथा वित्तीय देयताएँ आफसेट होते हैं तथा नेट रकम को समेकित तुलन–पत्र में प्रतिवेदित किया जाता है, यदि रिकोग्नाइज्ड रकम को आफसेट करने के लिए प्रवर्तनीय वैधानिक अधिकार हो तथा परिसंपत्तियों की वसूली तथा देयताओं का निपटारा साथ–साथ करने हेतु नेट आधार पर सेटल करने का इरादा हो।

2.9.6 नकद एवं नकद इक्यूवेलेन्ट

बैलेंस शीट में नकद एवं नकद इक्यूवेलेन्ट बैंकों और हाथों पर नकदी और महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा, जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधिन है। नकद प्रवाह के समेकित ब्याज के प्रयोजन के लिए नकद एवं नकद इक्यूवेलेन्ट में उपर परिभाषित अनुसार नकदी और अल्पकालिक जमा शामिल है, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट का शुद्ध क्योंकि उन्हें कंपनी के नकद प्रबंधन का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है।

2.10 कराधान

आयकर व्यय, वर्तमान में देय कर तथा आस्थगित कर के योग को दर्शाता है।

वर्तमान कर आयकर की वह रकम है जो किसी अवधि के लिए (कर योग्य आय) के संबंध में देय (वसूली योग्य) है। लाभ या हानि तथा अन्य विस्तृत आय के विवरण में की गई रिपोर्ट के अनुसार ''आयकर के पहले लाभ'' से कर योग्य लाभ में अंतर है क्योंकि इसमें आय एवं खर्च के वैसे मदों को निकाल दिया गया है, जो अन्य वर्ष में कटौती योग्य या कर योग्य हैं। इसमें से भी वैसे मदों को निकाल दिया गया है, जो कभी भी वैसे मदों को निकाल दिया गया है जो कभी भी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं हो। वर्त्तमान कर के लिए कंपनी की देयता का परिकलन उस दर का प्रयोग कर किया जाता हे जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक इनेक्ट या पर्याप्त रूप से इनेक्ट किया गया है।

वित्तीय विवरण में आस्थगित कर की पहचान परिसंपत्ति की कैरिंग रकम तथा देयता और कर योग्य लाभ की गणना में प्रयुक्त संगत कर आधार के बीच अस्थायी अंतर (डिफरेंस) के आधार पर की जाती है। सामान्यतः आस्थगित कर देयता की पहचान सभी करयोग्य अस्थायी अंतर (डिफरेंस) के लिए को जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान सामान्यतः सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतर के लिए इस सीमा तक की जाती है कि यह संभव है कि कर योगय लाभ उपलबध होगा जिसके विरूद्ध उन कटौतीयोग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार की परिसंपत्तियों एवं देयताओं की पहचान नहीं किया जाती है। यदि अस्थायी अंतर (टेम्पोररी डिफरेंस) किसी ट्रान्जेक्शन में अन्य परिसंपत्तियों एवं देयताओं के प्रारंभिक पहचान (किसी बिजनेस कम्बिनेशन के अलावा) से या गुडविल से उत्पन्न हुआ हो जिसका प्रभाव न तो कर योग्य लाभ पड़ता है और न ही लेखा लाभ पर।

अनुषंगी कंपनी तथा सम्बद्ध कंपनियों के निवेश से संबंधित कर योग्य अंतर के लिए आस्थगित कर देयता की पहचान उनको छोड़कर की जाती है, जहाँ कंपनी अस्थायी अंतर के रिवर्सल को नियंत्रित करने में सक्षम हो तथा यह संभव है कि निकट भविष्य में अस्थायी अंतर वापस नहीं होता हो। इस प्रकार के निवेश तथा ब्याज से सम्बद्ध कटौतीयोग्य अस्थायी अंतर से उत्पन्न आस्थगित कर की पहचान इस सीमा तक की जाती है। यह संभव है कि प्रर्याप्त कर योग्य लाभ होगा जिसके विरूद्ध अस्थायी अंतर के लाभ का उपयोग करना है।

आस्थगित कर परिसंपत्ति कैरिंग रकम की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है तथा इस सीमा तक घटा दी जाती है कि लम्बे समय तक यह संभव है कि पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध रहेगा जिससे परिसंपत्ति के पूरे या किसी भाग को वसूल (रिकवर) किया जा सकेगा।

अनरिकोग्नाइज्ड आस्थगित कर का पुनर्मूल्यांकन रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में की जाती है इस हद तक पहचान (रिकोग्नाइज) की जाती है कि यह संभव हो चुका है कि वसूली योग्य आस्थगित कर परिसंपत्ति को पूरे या किसी भाग का प्रबंध करने (अलाउ) के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलबध होगा।

आस्थगित कर परिसंपत्ति तथा देयता की गणना उस टैक्स दर पर की जाती है, जिन्हें उस अवधि में उपयोग किए जाने की संभावना हो जिसमें देयता को निपटाया जाता है या परिसंपत्ति को वसूला (रियलाइज) किया जाता है, उस टैक्स दर (कर कानून) पर जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक इनेक्ट या पर्याप्त ढंग से इनेक्ट किया जा चुका हो।

आस्थगित कर देयता एवं परिसंपत्ति की गणना (माप) कर परिणाम को दर्शाता है जो इस ढंग से अनुसरण करेगा कि कंपनी को रिपोटिंग अवधि के अंत में अपनी परिसंपत्ति तथा देयता के कैरिंग रकम को वसूल या निपटाने (सेटल) करने की उम्मीद हो।

लाभ या हानि में वर्त्तमान एवं आस्थगित कर की पहचान उस तिथि को छोड़कर की जाती है जब उन मदों से संबंधित हों जिन्हें अन्य विस्तृत आय या सीधे इक्विटी में चिह्नित (पहचान) की गई है जिस मामले में चालू एवं आस्थगित कर भी पहचान क्रमशः अन्य विस्तृत आय या प्रत्यक्षतः इक्विटी में की गई है। जहाँ किसी बिजनेस कंबिनेशन के लिए प्रारंभिक लेखा (अकाउटिंग) से चालू कर या आस्थगित कर उत्पन्न होता है, वहाँ बिजनेस कम्बिनेशन के लिए कर प्रभाव को लेखा (अकाउटिंग) में शामिल किया गया है।

2.11 कर्मचारियों के लाभ

2.11.1 अल्पकालीन लाभ

सभी अल्पकालीन कर्मचारी लाभ की पहचान उस अवधि में की जाती है जिस अवधि में वे खर्च हुए हों।

2.11.2 नियोजन के बाद लाभ तथा अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

2.11.2.1 परिभाषित (डिफाइन्ड) अंशदान योजना

भविष्य निधि तथा पेंशन के लिए परिभाषित अंशदान योजना नियोजन के उपरांत दी जाने वाली लाभ योजना हे जिसके तहत कानून के अधिनियम (इनएक्टमेंट) के तहत गठित पृथक सांविधिक निकाय (कोयला खान भविष्य निधि) द्वारा मेनटेन किए जा रहे कोष में कंपनी निर्धारित अंशदान देती है तथा कंपनी के पास अतिरिक्त रकम को देना के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक बाध्यता नहीं होगी। परिभाषित अंशदान योजना में अंशदान के लिए दायित्व की पहचान लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में उस अवधि में की जाती है जिस अवधि में यह कर्मचारियों को दिए जाते हैं।

2.11.2.2 परिभाषित (डिफाइन्ड) लाभ योजना

परिभाषित लाभ योजना नियोजन के उपरांत लाभ योजना है जो परिभाषित अंशदान योजना से अलग है। ग्रेच्यूटी, छुट्टी नकदीकरण परिभाषित लाभ योजना (लाभ पर सीमा (सिलिंग) है। परिभाषित लाभ योजना के संबंध में कंपनी का शुद्ध दायित्व (ओब्लिगेशन) की गणना भावी लाभ की रकम का आकलन कर की जाती है जिसे कर्मचारी ने वर्तमान एवं पूर्व की अवधि में अपने सेप के लिए अर्जित किया है। इस लाभ को इसके वर्तमान मूल्य निर्धारित करने के लिए डिसकाउन्ट कर दिया जाता है तथा प्लान परिसंपत्ति, यदि कोई हो, के फेयर वैल्यू तक घटा दिया जाता है। डिसकाउन्ट रेट रिपोर्टिंग तिथि को भारत सरकार के प्रतिभूति के प्रचलित बाजार उत्पादन पर आधारित होता है जिसकी परिपक्वता की तिथि कंपनी के दायित्व के समय आसपास तथा वह उसी करेंसी में डेनोमिनेटेड होता है जिसमें लाभ दिए जाने की संभावना रहती है।

एक्चुरियल वैल्यू के प्रयोग में डिस्काउन्ट दर, परिसंपत्तियों पर प्रतिफल का संभावित दर भावी वेतन वृद्धि, मोर्टालिटी दर आदि शामिल है। इन योजनाओं की दीर्घकालीन प्रवृत्ति के कारण ये आकलन अनिश्चित है। प्रतयेक तुलन पत्र में गणना प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का प्रयोग कर अक्चुअरी द्वारा की जाती है। जब गणना का परिणाम कंपनी के लाभ में प्रतिफलित होता है, तब रिकोग्नाइज्ड परिसंपतित उस आर्थिक के लाभ के वर्तमान मूल्य तक सीमित होता है, जो योजना से किसी भावी रिफंड या योजना में भावी योगदान के रूप में उपलब्ध होता है। आर्थिक लाभ कंपनी को तभी होता है, जब यह योजना की जीवन अवधि में वसूलीयोग्य या योजना देयता के सेटलमेंट पर वसूलीयोग्य होता है। शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व की पुनर्माप में योजना परिसंपत्ति (व्याज को छोड़कर) पर रिटर्न पर विचार करते हुए अक्चुरियल प्राति (गेन) तथा हानि शामिल है तथा परिसंपत्ति की सीलिंग (सीमा) के प्रभाव की पहचान तत्काल अन्य विस्तृत आय में की जाती है।

तत्कालीन निबल परिभाषित अंशदान एवं लाभ भुगतान के परिणामस्वरूप अवधि के दौरान निबल लाभ देयता (परिसंपत्ति) में किसी तरह के बदलाव को ध्यान में रखकर निबल ब्याज दर उस समय निबल परिभाषित देयता के

प्रति वार्षिक अवधि के प्रारंभ में परिभाषित लायदायित्व की माप करने के लिए प्रयुक्त डिसकांडट दर को लागू कर निबल अवधि देयता पर निर्धारित की जाती है। परिभाषित लाभ दायित्व को माप करने के लिए प्रयुक्त डिस्काउन्ट दर को लागू कर अवधि के लिए निबल लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर निबल व्याज व्यय निर्धारित करती है। परिभाषित लाभ योजना से संबंधित निबल व्याज व्यय तथा अन्य व्यय की पहचान लाभ एवं हानि लेखा में की जाती है।

जब योजना के लाभ में सुधार होता है तब कर्मचारी द्वारा की गई विगत की सेवा से संबंधित बढ़े हुए लाभ के भाग की पहचान लाभ एवं हानि के विवरण में तत्काल की जाती है।

2.11.3 कर्मचारियों के लिए अन्य लाभ

परिभाषित लाभ योजना के लिए एलटीए, एलटीसी, जीवन सुरक्षा योजना, ग्रूप पसर्नल एक्सीडेंट इन्श्योरेंस स्कीम, सेटलमेंट भत्ता, सेवा निवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना तथा खान दुर्घटना आदि में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को मुआबजा आदि जैसे कुछ अन्य कर्मचारी लाभ की पहचान उसी आधार पर की जाती है जैसा कि दिए गए आधार पर की जाती गया है। इन लाभों के लिए अलग से कोई विशिष्ट फंड नहीं है।

2.12 विदेशी मुद्रा

जिस वातावरण में कंपनी काम करती है उस आर्थिक वातावरण के प्रमुख करेंसी होने के नाते कंपनी की रिपोर्टेड करेंसी तथा इसके बड़े संचालन की कार्यकारी करेंसी भारतीय रूपया (आईएनआर) है। ट्रान्जेक्शन तिथि को प्रचलित विनियम दर का प्रयोग कर विदेशी मुद्रा में ट्रान्जेक्शन को कंपनी की रिपोर्टेड करेंसी में बदल दिया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्रा में प्रभावी मौद्रिक परिसंपत्ति एवं देयता को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित विनियम दर पर परिवर्तित कर दिया जाता है। मैट्रिक परिसंपत्ति तथा देयता के निपटारा तथा मौद्रिक परिसंपत्ति एवं देयता को परिवर्तित करने के फलस्वरूप उत्पन्न विनिमय अंतर को, उस अवधि के दौरान या पूर्व वित्तीय विवरण में प्रारंभिक पहचान पर उन्हें परिवर्तित किया गया था, से अलग दर पर लाभ एवं हानि लेखा के विवरण में पहचान की जाती है जिस अवधि में वे उत्पन्न हुई हो। गैर मौद्रिक वस्तुओं को विदेशी मुद्रा में डीमॉनेटाइज्ड किया जाता है, जो लेन–देन की तारीख को प्रचलित विनियम दर पर मूल्यवान है।

2.13 वस्तु सूची

2.13.1 स्टोर एवं स्पेयर्स

केंद्रीय तथा क्षेत्र में स्थित स्टोर एवं स्पेयर पार्ट (जो लूज टूल्स को भी शामिल करता है) के स्टॉक पर प्राइस्ड स्टोर लेजर में दिए गए बैलेंस के अनुसार विचार किया जाता है तथा भारित औसत पद्धति (वेटेड अवरेज मेथड) के आधार पर परिकलित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। कोलियरी/सबस्टोर्स/ड्रिलिंग कैम्पों/उपयोग केंद्रों पर पड़े स्टोर्स एवं स्पेयर पार्टों की वस्तुसूची पर विचार भौतिक रूप से सत्यापित स्टोरों के अनुसार वर्षांत में किया जाता है तथा लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

बेकार, क्षतिग्रस्त तथा अप्रयुक्त स्पेयर एवं पार्टों के लिए 100 प्रतिशत की दर पर प्रावधान किया जाता है तथा 5 वर्ष से उपयोग में नहीं लाए गए स्पेयर पार्टों के लिए 50 प्रतिशत की दर पर किया जाता है।

2.13.2 अन्य वस्तु सूची

स्टेशनरी के स्टॉक के मूल्य महत्वपूर्ण नहीं होन के कारण उन पर वस्तु सूची के लिए विचार नहीं किया जाता है।

2.14 प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

प्रावधान की पहचान तब की जाती है, जब वर्तमान दायित्व पिछली (विधिक और संरचनात्मक) घटना के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है तथा यह संभव है कि आर्थिक लाभ के आउटफ्लो के दायित्व सेटल करना अपेक्षित होगा तथा दायित्व की रकम का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है। जहाँ धन का समय मूल्य महत्वपूर्ण हो वहाँ प्रावधान दायित्व निपटाने के लिए संभावित व्यय को वर्तमान मूल्य पर निश्चित किया जाता है।

सभी प्रावधान की प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि में संवीक्षा की जाती है और करेंट बेस्ट आकलन को प्रतिभाषित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

जहाँ यह संभव नहीं है कि इकोनामिक बेनीफिट के लिए आऊटफ्लो की जरूरत होगी अथवा धन को आकलित नहीं किया जाता है का ओब्लिगेशन आकस्मिक देयता के रूप में उल्लेख किया जाता है, क्योंकि इकोनामिक बेनीफिट की आउटफ्लो की संभावना संभव (दूर) नहीं है। संभावित ओब्लिगेशन जिसका अस्तित्व एक या अधिक के आकूरेंस या नन–आकूरेंस द्वारा संपुष्ट करना होगा। भावी अनिश्चितता वाली घटना पूरी तरह कंपनी के नियंत्रण में नहीं होती है, को आकस्मिक देयताएँ में उल्लेख किया गया है, क्योंकि आर्थिक लाभ का आउटफ्लो की संभाव्यता न के बराबर (दूर) है।

आकस्मिक परिसंपत्ति को वित्तीय विवरण में नहीं माना गया है, हालाँकि जब रियलाइजेशन ऑफ इनकम वरचुअली निश्चित होता है तो संबंधित परिसंपत्ति आकस्मिक परिसंपत्ति में नहीं आता है और इसकी पहचान समुचित तरीके से की जाती है।

2.15 प्रति शेयर अर्जन (अर्निंग)

प्रति शेयर मूल अर्जन की अवधि के दौरान इक्विटि शेयर आउटस्टैण्डिंग के भारित औसत नंबर को कर के बाद निबल लाभ से भाग देकर गणना की जाती है। प्रतिशेयर डायलूटेड अर्निंग की गणना इक्विटि शेयर की भारित औसत नंबर द्वारा कर पश्चात् लाभ से भाग देकर की जाती है और प्रतिशेयर डिराइविंग बेसिक पर विचार किया गया है ओर इक्विटि शेयर का भारित औसत संख्या को सभी को सभी डायलूटड पेटिंशियल इक्विटि शेयर में बदल कर जारी किया जाता है।

2.16 जजमेंटस, एस्टीमेट्स और एजम्पसन

आईएनडीएएस के अनुरूप वित्तीय विवरण की तैयारी में प्रबंधन को आकलन, जजमेंट्स और एजम्पसन बनाने की जरूरत होती है, जो वित्तीय विवरण में परिसंपत्ति और देयताओं के रिपोर्टड राशि और आकस्मिक परिसंपत्ति तथा रिपोर्टेड अवधि के दौरान राजस्व और व्यय को प्रकट किया गया है। लेखा नीति को लागू करने में कमप्लेक्स और सबजेक्टिव जजमेंट्स को इस वित्तीय विवरण में एजम्पसन के उपयोग का उल्लेख किया गया है। लेखा आकलन समय–समय पर बदल सकता है। वास्तविक परिणाम उससे भिन्न हो सकता है। एस्टीमेट और अंडरलाईंग एजम्पसन की संवीक्षा आनगोईंग आधार पर की जाती है। लेखा आकलन का रिवीजन उस अवधि में की जाती है यदि महत्वपूर्ण हो तो जब आकलन को रिवाइज किया जाता है उसके प्रभाव को वित्तीय विवरण की टिप्पणी में उल्लेख किया गया है।

2.16.1 जजमेंट्स

कंपनी लेखा नीति का लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन निम्नलिखित जजमेंट (निर्णय) करता है जो वित्तीय विवरण में रिकोगनाइज्ड राशि पर इसके महत्वपूर्ण प्रभाव को व्यक्त करता है।

2.16.2 लेखा नीति का का निर्माण

लेखांकन नीतियों को इस रूप में तैयार किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों में लेनदेन, अन्य घटनाओं और शर्तों के बारे में प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी होती है, जिन पर वे लागू होते हैं। उन नीतियों को लागू करने की आवश्यकता नहीं है जब उन्हें लागू करने का प्रभाव अपरिहार्य है।

इस नीति की आवश्यकता तब नहीं होती है जब उन्हें लागू करने का प्रभाव महत्वपूर्ण न हो आईएनडीएएस की अनुपस्थिति में जो विशेषकर लेनदेन अन्य इवेन्ट्स या परिस्थिति के लिए लागू होता है, प्रबंधन ने लेखा नीति के विकास और लागू करने के लिए अपने निर्णय (जजमेंट) का उपयोग किया है उसके परिणाम स्वरूप निम्नलिखित सूचना शामिल है :

क) उपयोगकर्त्ता की इकोनोमिक डिसीजन–मेकिंग आवश्यकता से सम्बद्ध हो तथा

ख) वह कथित वित्तीय विवरण विश्वसनीय हो,

   (1) वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और इनटीटी का कैशफ्लो को विश्वसनीय तरीके से प्रतिनिधित्व करता हो;
   (2) लेन–देन, अन्य इवेन्ट्स और स्थिति के इकोनामिक सबसटांस को बतलाता है, जो लीगल फार्म में नहीं होता है;
   (3) यह न्यूट्रल अर्थात् पूर्वाग्रह से मुक्त होता है;
   (4) विश्वसनीय होता है तथा
   (5) निरंतरता के आधार पर सभी महत्वपूर्ण पहलूओं को पूरा करता है।

निर्णय करने में प्रबंधन घटते क्रम में निम्नलिखित के प्रयोज्यता पर विचार करता है :

क) आईएनडी एएस में समान और सम्बधित मुद्दे से निपटा जाता है।

ख) फ्रेम वर्क में परिसंपत्ति, देयता, आय और व्यय के लिए परिभाषा, रिकोगनिशन क्राइटेरिया और मेजरमेंट अवधारणा।

जजमेंट करने में प्रबंधन इन्टरनेशनल एकाउन्टिंग बोर्ड के मोस्ट रिसेन्ट प्रोनाउंसमेन्ट पर विचार करता है, और उसकी अनुपस्थिति में अन्य स्टैंर्गडड सेटिंग बॉडीज जिसका उपयोग डेवलपमेंट एकान्टिंग स्टैण्डर्ड, अन्य एकाउन्टिंग लिटरेचर का विकास करने के लिए समान कंसेपचूअल फ्रेम वर्क का उपयोग करता हो और इंडस्ट्री प्रैक्टिस को स्वीकार उस सीमा तक करता है, जो उपर्युक्त पाराग्राफ के सोर्स का विरोधाभाषी न हो।

वह ग्रूप जो खनन के क्षेत्र में कार्य करता है (वैसा सेक्टर जहाँ प्रौन टू कंसटेंट चेंजेज और दशकों से चल रहे लीज की अवधि जो विभिन्न टोपोग्राफिकल और जियोमाइनिंग टेरेन के आधार पर गवेषण, मूल्यांकन, उत्पादन चरणों के विकास पर आधारित है) लेखा नीति जहाँ गत विभिन्न दशकों से इसके कंसिस्टेंट एप्लीकेशन को विभिन्न नियामकों द्वारा अनुमोदित और अनुसंधान समिति द्वारा समर्थित होता है। स्पेसिफिक एकाउन्टिंग लिटरेचर की अनुपस्थिति में कुछ विशेष क्षेत्रों जो इवोल्यूशन की प्रक्रिया में हो के दिशा–निर्देश और मानकों का पालन करता हो। एकाउन्टिंग लिटरेचर और उससे संबंधित विकास आईएनडी एएस 8 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार लेखे में लिया जाएगा।

लेखे के वास्तविक आधार का उपयोग कर मौजूदा चिंताओं पर वित्तीय विवरण तैयार किया गया है।

2.16.3 मैटेरियलिटी (महत्वपूर्ण)

आईएनडी एएस वहीं लागू होता है जहाँ आइटम महत्वपूर्ण हो। प्रबंधन यह निर्णय करने में अपने जजमेंट का उपयोग वित्तीय विवरण में इंडीविजुअल आइटम अथवा ग्रूप ऑफ आइटम महत्वपूर्ण है या नहीं में करता है। महत्वपूर्णता का निर्णय आइटम के आकार और प्रकृति से होता है। डिसाइडिंग फेक्टर है कि या तो ओमिशन या मिस स्टेटमेंट निजी या सामूहिक रूप से आर्थिक निर्णय को प्रभावित करता है या नहीं तथा जिसे वित्तीय विवरण के आधार पर बनाया जाता है। प्रबंधन आईएनडीएस की अनुपूरक आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण (मेटेरियलिटि) का जजमेंट का उपयोग करता है। विशेष परिस्थिति में एक आईटम की राशि या प्रकृति या आइटमों का कुल योग डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है। प्रेजेन्ट सेपेटेली इमेहेरियल आइटमों के लिए इनटिटि की जरूरत हो सकती है जहाँ कानूनी रूप से जरूरी हो।

1.04.2019 त्रुटियों/चूकों, जो पिछली अवधि से संबंधित हों तथा जिनका पता मौजूदा वर्ष में लगाया गया हो; महत्वपूर्ण नहीं मानी है और चालू वर्ष (current year) के दौरान समायोजित कर ली जाती है, यदि ये सभी त्रुटियाँ ओर चूकें, सीआईएल की पिछली अंकेक्षित समेकित वित्तीय विवरण के आधार पर परिचालन (वैधानिक लेवी का निबल) से प्राप्त कुल राजस्व के 1 प्रतिशत से अधिक नहीं हों तो।

2.16.3.1 प्राक्कलन और एजम्पसन

अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्ति और देयताएँ केयरिंग राशि को मेटेरियल एडजस्टमेन्ट के कारण महत्वपूर्ण जोखिम में एसटिमेशन अनसरटेंटी के अन्य की स्रोत और भावी संबंधि मुख्य छूट को नीचे दिया जा रहा है। पारामीटर पर ग्रूप आधारित इसमें छूट और आकलन तभी उपलबध होगा जब कंसोलिडेटेड वित्तीय विवरण तैयार किया गया हो। भावी विकास में छूट और वर्तमान परिस्थिति जो ग्रूप के नियंत्रण से परे मार्केट चेंजेज अथवा परिस्थिति के कारण बदल सकता है। ऐसे परिवर्त्तन एजम्पसन जिसका पता चलता है को दर्शाता है।

2.16.3.2 गैर-वित्तीय परिसंपत्ति में छूट

यदि रिकवरेवल अमाउन्ट कैश जेनेरेटिंग यूनिट अथवा परिसंपत्ति का कैरिंग वैल्यू डिस्पेजल के न्यूनतम लागत और इसके उपयोग मूल्य का फेयर वैल्यू अधिक हो तो इम्पेयरमेंट का इंडिकेशन होता है। इम्पेयरमेंट के परीक्षण के उद्देश्य से सेपरेट कैश जेनरेटिंग यूनिट्स के रूप में इंडिविजुअल खान पर ग्रुप विचार करता है। वैल्यू डीसीएफ मॉडल के आधार पर यूज में वैल्यू की गणना की जाती है। अगले पाँच वर्षों के लिए नकद प्रवाह बजट से होता है तथा इसमें रीस्ट्रकचरिंग एक्टिविटि शामिल नहीं होता है, जिसके लिए ग्रुप वचनबद्ध नहीं होता है अथवा महत्वपूर्ण भावी निवेश जिसका सीजीयू की परिसंपत्ति के कार्य निष्पादन, बढ़ाएगा का परीक्षण किया जाएगा। गवेषण के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त ग्रोथ रेट और एक्सपेक्टेड भावी कैश इनफ्लो के साथ–साथ डीसीएफ मॉडल के लिए प्रयुक्त डिस्कांउट रेट के लिए रिकवरेबल एमाउन्ट संवेदनशील होता है। यह आकलन अन्य माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज्यादा अनुकूल होता है। विभिन्न सीजीयू के लिए रिकवरेबल एमाउन्ट के निर्धारण के लिए प्रयुक्त की एजम्पसन होता है, उल्लेख किया जाता है और संबंधित टिप्पणी में उल्लेखित किया जाता है।

2.16.3.3 कर

आस्थगित कर परिसंपत्ति अनयूज्ड टैक्स लॉसेस के लिए उस सीमा तक रिकोगनाइज्ड किया जाता है, लॉस को यूटिलाइज्ड करने के विरूद्ध उपलब्ध कर लाभ संभव है। सिगनीफिकान्ट मैनेजमेंअ जजमेंट आस्थगित कर परिसंपत्ति की राशि को निर्धारित करने की आवश्यकता होती है तथा भावी टैक्स स्ट्रेटजी के साथ भावी टैक्सेबुल लाभ के स्तर और संभावित टाइमिंग के आधार पर जाना जा सकता है।

2.16.3.4 परिभाषित लाभ योजना

डिफाइन्ड बेनीफिट ग्रेच्युटि प्लान की लागत और अन्य पोस्ट इम्पलायमेंट मेडिकल बेनीफिट तथा ग्रेच्युटि ओबलिगेशन का वर्त्तमान मूल्य को वास्तविक मूलंकन का उपयोग कर निर्धारित किया जाता है। वास्तविक मूल्यांकन में मेकिंग वेरियल एजम्पसन, भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकता है। इसमें डिसकांडट दर का निर्धारण, भावी वेतन में बढ़ोत्तरी तथा मोर्टालिटि दर शामिल है।

मूल्यांकन और इसके दीर्घकालीन प्रकृति में शामिल जटिलता के कारण डिफाइन्ड बेनीफिट ओवलिगेशन इन एजम्पसन में परिवर्त्तन से हाईली सेंसेटीव हो जाता है। सभी एजम्पसन की संवीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग डेट पर की जाती है। पारामीटर अधिकांशतः डिसकाउन्ट दर में परिवर्तित होता है। भारत में परिचालित प्लान के लिए समुचित डिस्काउंट दर के निर्धारण में पोस्ट इम्प्लायमेंट बेनीफिट ओबलिगेशन के करेंसी सहित करेंसी कंसीसटेंट में सरकारी बांड के ब्याज दर पर प्रबंधन विचार करता है।

मोर्टालिटि रेट देश में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मोर्टालिटि तालिका पर आधारित होता है। वह मोर्टालिटि टेबल डेमोग्राफिक बदलावों के रेसपोंस के इंटरवल में केवल बदलता है। भविष्य में वेतन बढ़ोतरी और गेच्युटि में बढ़ोतरी अनुमानित भावी इन्फ्लेशनदर पर होता है।

2.16.3.5 वित्तीय इंसट्रूमेंट्स का उचित मूल्य मापन

जब वित्तीय परिसंपत्ति और वित्तीय देयताओं का उचित मूल्य तुलन पत्र में दर्ज हो जाता है तब डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करते हुए उसके मूल्य, सक्रिय बाजार में उल्लेखित मूलय पर आधारित नहीं किया जा सकता है। इन मॉडल के लिए इनपुट, जहाँ संभव हो, ओबजरवेबल मार्केट से लिया जाता है, परंतु जहाँ संभव नहीं है वहाँ फेयर वैल्यू को संस्थापित करते हुए जजमेंट की डिग्री की आवश्यकता होती है। जजमेंट में तरलता जोखिम, क्रेडिट जोखिम और वोलाटिलिटि जैसे इनपुट पर विचार शामिल है। इन फैक्टर के एजम्पसन से परिवर्त्तन वित्तीय इंस्ट्रूमेंट के रिपोर्टेड फेयर वैल्यू पर प्रभाव पड़ सकता है।

टिप्पणी 38 :

31 मार्च, 2021 की अवधि के लिए वित्तीय विवरण पर अतिरिक्त टिप्पणी

1. उचित मूल्य माप

क) श्रेणीवार वित्तीय इंस्ट्रूमेंट

(करोड़ रु. में)

	31 मार्च, 2021		31 मार्च, 2020	
	एफवीटीपीएल	परिशोधन लागत	एफवीटीपीएल	परिशोधन लागत
वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
निवेश :		-		-
सहायक कंपनी में प्रीफरेंश शेयर - इक्विटी अवयव - डेटा अवयव		-		-
म्यूचुअल फंड/आईसीडी		-		-
लोन		-		-
जमा और प्राप्य		122.24		53.16
व्यापार प्राप्य		892.33		550.21
नकद एवं नकद इक्विवैलेंट		192.96		241.60
अन्य बैंक शेष		-		-
वित्तीय देयताएँ		-		-
उधारी		-		-
ट्रेड पेएबल्स		122.68		51.87
सिक्युरिटि जमा एवं अर्नेस्ट मनी		10.15		9.74
अन्य देयताएँ		141.16		126.06

(ख) उचित मूल्य का सोपानक्रम

वित्तीय इंस्ट्रूमेंट के उचित मूल्य के निर्धारण में जजमेंट और प्राक्कलन को दर्शाने वाली तालिका में (क) उचित मूल्य पर रिकोगनाइज्ड और मेजरमेंट (ख) अमोर्टाइज्ड लागत पर माप जिसके लिए वित्तीय विवरण में प्रकट किया गया उचित मूल्य है। फेयर वैल्यू के निर्धारण में प्रयुक्त इनपुट्स के रिलिएविलिटी के बारे में सूचना (दिशा–निर्देश) उपलब्ध कराना है, ग्रूप को एकाउन्टिंग स्टैर्ण्डड के तहत निर्धारित तीन स्तरों मं इसके वित्तीय इंस्ट्रूमेंट में वर्गीकृत करता है। प्रत्येक स्तर की व्याख्या नीचे की तालिका में दी गई है।

(करोड़ रु. में)

उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की माप की जाती है	31 मार्च, 2021			31 मार्च, 2020		
	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
निवेश :	-	-	-	-	-	-
म्यूचुअल फंड/आईसीडी	-	-	-	-	-	-
वित्तीय देयताएँ						
यदि कोई अन्य वस्तु	-	-	-	-	-	-

(करोड़ रु. में)

परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की माप की जाती है।	31 मार्च, 2021			31 मार्च, 2020		
	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
निवेश :			-			-
प्रिफरेंश शेयर - इक्विटी अवयव - डेट अवयव						
- अन्य निवेश			-			-
लोन			-			-
जमाएँ और प्राप्य			122.24			53.16
व्यापार प्राप्य			892.33			550.21
नकद और नकद समतुल्य			192.96			241.60
अन्य बैंक बैलेंस			-			-
वित्तीय देयताएँ			-			-
उधारियाँ			-			-
व्यापार देय			122.68			51.87
सिक्योरिटी जमा और बयाना राशि			10.15			9.74
अन्य देयताएँ			141.16			126.06

स्तर 1 : स्तर 1 सोपानक्रम में वित्तीय इंस्ट्रूमेंट की माप उल्लेखित मूल्य का उपयोग कर मापी जाती है। इसमें म्यूचुअल फंड, जिसका कोटेड मूल्य है और जो क्लोजिंग एनएवी का उपयोग कर मूल्यांकित की जाती है।

स्तर 2 : वित्तीय इस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू जिसे सक्रिय बाजार में ट्रेड नहीं किया जाता है को वैल्यूएशन तकनीक जो ऑब्जर्बेवल मार्केट डाटा का उपयोग मैक्सिमाइज कर तथा इनटिटि–स्पेसिफिक एस्टीमेंट पर कुछ संभव का निर्धारण किया जाता है। फेयर वैल्यू का इंस्ट्रूमेंट जो ऑब्जर्वेशन के योग्य है, को सभी महत्वपूर्ण इनपुट की आवश्यकता होती है वैसे इंस्ट्रूमेंट को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।

स्तर 3 : यदि महत्वपूर्ण इनपुट का एक या अधिक ऑब्जर्बेवल मार्केट पर आधारित नहीं है तो इंस्ट्रूमेंट को स्तर 3 में शामिल किया जाता है। इक्विटि सिक्युरिटि, प्रिफरेंस शेयर, उधारी, सिक्युरिटि डिपाजिट, लोन, पेशागत प्राप्त, नकद एवं नकद तुल्य और अन्य देयताओं/परिसंपत्तियों का यह मामला है जिसे स्तर 3 में शामिल किया गया है।

ग) फेयर वैल्यू के निर्धारण में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक

वैल्यू फायनासिंयल इंस्ट्रूमेंट के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक में शामिल है :

- म्युचुअल फंडों में निवेश के संबंध में उल्लिखित बाजार मूल्य (NAV) का उपयोग

घ) महत्वपूर्ण अनावश्यक इनपुट की सहायता से फेयर वैल्यू की गणना :

वर्तमान में महत्वपूर्ण अनावश्यक इनपुट की सहायता से फेयर वैल्यू की गणना नहीं किया जाता है।

ड.) एमोर्टाइन्ड लागत पर वित्तीय परिसंपत्ति का फेयर वैल्यू एवं देयताओं की गणना

- पेशागत वसूली, अल्पकालीन जमा, नकद और नकद समतुल्य, पेशागत देय का कैरिंग अमाउण्ट (वहनीय राशि) को उसके उचित मूल्य पर समान माना गया है, क्योंकि उसकी प्रकृति अल्पकालीन होती है।
- कंपनी का विचार है कि सिक्युरिटी डिपॉजिट को महत्वपूर्ण फाइनानसिंग कम्पोनेंट में शामिल नही किया गया है। कंपनी के कार्यनिष्पादन सहित माइन स्टोन पेमेंट (सिक्युरिटी डिपॉजिट) का समन्वय करता है और वित्त के प्रावधान के अलावे अन्य कारणें के लिए रिटेंड किए जाने वाली अपेक्षित राशि का करार करता है। प्रत्येक माइल स्टोन पेमेंट के स्पेसिफाइड प्रतिशत के विथहोल्डिंग के लिए करार के तहत अपने ओबलिगेशन को पूरा करने में ठेकेदार असमर्थ होता है तो कंपनी के हित के लिए माइल स्टोन पेमेंट किया जता है। तद्नुसार सिक्युरिटी डिपॉजिट के लेनदेन की लागत को शुरूआती रिकोगनिशन के फेयर वैल्यू और अमोरटाइज्ड लागत माप पर फेयर वैल्यू पर विचार किया गया है।

महत्वपूर्ण आकलन : वित्तीय इंस्ट्रूममेंट का फेयर वैल्यू जिसे एक्टिव मार्केट में ट्रेड नहीं किया जाता है, को मूल्यांकन तकनीकी का उपयोग कर निर्धारित किया जाता है। कंपनी मेथड का चयन करने के लिए अपने जजमेंट का उपयोग करती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपयुक्त एजम्पसन बनाती है।

2. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य और नीति

कंपनी के प्रमुख वित्तीय दायित्वों में व्यापार और अन्य भुगतान शामिल हैं।। इस वित्तीय देयता का मुख्य ध्येय कंपनी के परिचालन के लिए वित्त और इसके संचालन के सपोर्ट में गारंटी, उपलब्ध कराना है। कंपनी के मुख्य वित्तीय परिसंपत्ति में ऋण, पेशा और अन्य प्राप्ति तथा नकद एवं नकद तुल्यमान शामिल है जो सीधे इसके परिचालन से संबंधित है।

कंपनी बाजार जोखिम, क्रेडिट रिस्क और तरलता जोखिम को बतलाता है। कंपनी के वरीय प्रबंधन इस जोखिम प्रबंधन की देख–रेख करता है। कंपनी के वरीय प्रबंधन को जोखिम समिति द्वारा सपोर्ट किया जाता है जो कंपनी के लिए उपर्युक्त वित्तीय जोखिम प्रशासन फ्रेमवर्क तथा वित्तीय जोखिम पर सलाह और इंटर एलिया देता है। जोखिम समिति निदेशक मंडल को यह आश्वासन देती है कि कंपनी का वित्तीय जोखिम कार्य–कलाप समुचित नीति और प्रक्रिया द्वारा शासित होती है तथा वित्तीय जोखिम कंपनी की नीति और जोखिम के उद्देश्य के अनुरूप चिन्ह्त मापित और मैनेज किया जाता है। निदेशक मंडल इसकी समीक्षा करता है और इन जोखिमों के प्रत्येक के लिए मैनेज करने की नीति पर सहमत होता है, जिसे नीचे दिया जा रहा है ।

यह टिप्पणी जोखिम के स्रोतों को व्यक्त करता है, जिसे इनटिटि प्रकट होती है और यह बतलाती है कि इनटिटि जोखिम को कैसे मैनेज करता है और वित्तीय विवरण में हेज एकाउन्टिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा को बतलाता है।

जोखिम	निम्न से उत्पन्न एक्सपोजर	मेजरमेंट	प्रबंधन
ऋण जोखिम	एमोरटाइज्ड लागत पर नकद और नकद तुल्यमान, पेशागत वसूली वित्तीय एसेटमेजरड	एजिंग विश्लेषण / क्रेडिट विश्लेषण	डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज (डीपीई गाइडलाइन्स), बैंक डिपॉजिट क्रेडिट लिमिट और अन्य सिक्यूरिटिज का विविधिकरण।
लिक्विडिटी जोखिम	उधारी एवं अन्य देयताएँ	पिरीओडिक कैश फ्लो	कमिटेड क्रेडिट लाइन्स और उधारी सुविधाओं की उपलबधता।
बजार जोखिम विदेशी विनियम	भावी व्यवसायिक लेनदेन, रिकोगनाइज्ड वित्तीय परिसंपत्ति और देयताएँ आईएनआर में डिनोमिनेटेड नहीं है।	कैश फ्लो फोरकास्ट सेंस्टिविटी विश्लेषण	वरीय प्रबंधन और ऑडिट समिति द्वारा नियमित देख–रेख और समीक्षा।
बाजार जोखिम ब्याज दर	नकद और नकद समतुल्य, बैंक जमा और म्युचुअल फंड	कैश फ्लो फोर कास्ट सेंस्टिविटी विश्लेषण	डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज (डीपीई गाइडलाइन्स), वरीय प्रबंधन और ऑडिट समिति द्वारा नियमित देख–रेख और समीक्षा।

कंपनी जोखिम प्रबंधन, भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई के निर्देशानुसार निदेशक मंडल द्वारा संपन्न किया जाएगा। मंडल एक्सेस तरलता को शामिल करने की नीति के साथ–साथ समग्र जोखिम प्रबंधन के लिए लिखित सिद्धांत (प्रिंसिपल) उपलब्ध कराता है।

क. **क्रेडिट जोखिम :** क्रेडिट जोखिम तब उत्पन्न होता है जब एक प्रतिपक्षीय अनुबंध पर कंपनी को वित्तीय नुकसान होता है।

क्रेडिट की अपेक्षित हानि : कंपनी संदेहास्पद / क्रेडिट इम्पेयर्ड परिसंपत्तियों के लिए क्रेडिट की अपेक्षित हानि क्रेडिट की अपेक्षित हानियों के जीवनकाल द्वारा उपलब्ध कराती है (सरलीकृत दृष्टिकोण)।

सरलीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत व्यापार प्राप्यों के लिए क्रेडिट की अपेक्षित हानियाँ इस प्रकार है :

(करोड़ रु. में)

	31.03.2021	**31.03.2020**
सकल वाहक राशि	896.81	553.26
अपेक्षित हानि दर	0.50%	0.55%
अपेक्षित क्रेडिट भत्ता हानि	4.48	3.05

31.03.2021

सकल वाहक राशि	2 महीने के लिए बकाया	6 महीने के लिए बकाया	1साल के लिए बकाया	2 साल के लिए बकाया	3 साल के लिए बकाया	3 से अधिक के लिए बकाया	कुल
एजिंग सीआईएल ग्रुप आउटसाइडर	264.48	152.79	103.47	18.10	1.48	27.79	568.11
एजिंगआउटसाइडर	141.02	104.60	25.71	22.45	17.16	17.76	328.70
अपेक्षित हानि दर							0.50%
अपेक्षित क्रेडिट (भत्ता हानि प्रावधान)	-	-	-	-	-	-	4.48

31.03.2020 (करोड़ रु. में)

सकल वाहक राशि	2 महीने के लिए बकाया	6 महीने के लिए बकाया	1साल के लिए बकाया	2 साल के लिए बकाया	3 साल के लिए बकाया	3 से अधिक के लिए बकाया	कुल
एजिंगसी आईएल ग्रुप आउटसाइडर	217.93	100.57	37.41	1.98	6.19	25.06	389.14
एजिंग आउट साइडर	105.63	12.43	8.93	19.55	3.41	14.17	164.12
अपेक्षित हानि दर							0.55%
अपेक्षित क्रेडिट (भत्ता हानि प्रावधान)	-	-	-	-	-	-	3.05

हानि अलाउन्स प्रावधान का रिकान्सीलिएशन-व्यापार प्राप्य (करोड़ रु. में)

01.04.2020 को हानि अलाउन्स	3.05
हानि अलाउन्स में परिवर्तन	1.43
31.3.2021 को हानि अलाउन्स	4.48

वित्तीय परिसंपत्ति के महत्वपूर्ण लागत और जजमेंट्स इम्पेयरमेंट

उपर्युक्त में दर्शित वित्तीय परिसंपत्ति के लिए इम्पेयरमेंट प्रावधान रिस्क ऑफ डिफाल्ट और संभावित हानि पर के जोखिम में छूट के आधार पर है। कंपनी इन छूट के लिए जजमेंट और इम्पेयरमेंट की गणना के इनपुट का चयन कंपनी के विगत इतिहास–वर्तमान बाजार की स्थिति तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर अग्रिम लागत पर आधारित होता है।

ख. तरतला जोखिम

विश्वसनीय तरलता जोखिम प्रबंधन में आवलीगेशनस जब बकाया हो को पूरा करने के लिए कमिटेड क्रेडिट सुविधा के द्वारा कोष की उपलब्धता और बाजार योग्य सिक्यूरिटि तथा पर्याप्त नकद शामिल है। अंडर लाईंग व्यवसाय, ग्रुप ट्रेजरी की डायनमिक प्रकृति के कारण कमिटेड क्रेडिट लाइन्स के तहत उपलब्धता को बनाकर कोष में लचीलापन बनाए रखना है।

प्रबंधन भावी नकद प्रवाह के आधार पर नकद और नकद समतुल्य के कंपनी तरलता स्थिति (कम्प्राइजिंग द अंडर ड्रान बौरेविंग फेसिलिटि बिलो) के पूर्वानुमान का मानीटर करता है। यह आम तौर पर कंपनी द्वारा प्रैक्टिस और लिमिट सेट के अनुसार ग्रुप के परिचालित कंपनियों में स्थानीय स्तर पर संपन्न किया जाता है।

ग. बाजार जोखिम

क) विदेशी करेंसी जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम; भविष्य के वाणिज्यिक लेन–देन और एक मुद्रा में पहचानी गई परिसंपत्तियों या वर्णित देयताएँ हैं जो कि कंपनी की कार्यशील मुद्रा नहीं है; (आईएनआर)। कंपनी विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम के के प्रति सुगम्य है। विदेशी ऑपरेशन के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम को महत्वहीन माना जाता है। कंपनी आयात भी करती है और जोखिम का प्रबंधन नियमित जाँच द्वारा किया जाता है। कंपनी की एक नीति है जिसे तब लागू किया जाता है जब विदेशी मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण हो जाता है।

ख) नकद प्रवाह और फेयर वैल्यू इंटरेस्ट रेट रिस्क

कैशफ्लो इंटरेस्ट रेट जोखिम कंपनी के ब्याज दर में परिवर्त्तन के साथ ही बैंक डिपाजिट से होता है। कंपनी की पौलिसी फिक्सड रेट पर अधिकांश डिपोजिट को बनाए रखना है। बैंक डिपाजिट क्रेडिट लिमिट और अन्य सिक्यूरिटी के विविधिकरण, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज के दिशा–निर्देश का उपयोग कर जोखिम को मैनेज करता है।

पूँजीगत प्रबंधन

कंपनी सरकारी एनटीटी होने के कारण अपनी पूँजी को वित्त मंत्रालय के तहत पब्लिक एसेट मैनेजमेंट और डिपार्ट में ऑफ इनवेस्टमेंट के दिशा–निर्देश के अनुसार मैनेज करती है।

कंपनी की पूँजीगत संरचना इस प्रकार है :

(करोड़ रु. में)

	31.03.2021	31.03.2020
इक्विटी शेयर कैपिटल	142.80	38.08
प्रिफरेंस शेयर कैपिटल	शून्य	शून्य
दीर्घकालीन ऋण	शून्य	शून्य

3. कर्मचारी लाभ : पहचार और मापन (आईएनडी एएस-19)

परिभाषित लाभ योजनाएँ :

क) ग्रेच्यूटी:

ग्रेच्युटी प्रदान करने के लिए कंपनी, एक रोजगार के बाद परिभाषित लाभ योजना (''ग्रेच्युटी योजना'') के पात्र कर्मचारियों को कवर करती है। ग्रेच्युटी योजना पूरी तरह से भारतीय जीवन बीमा निगम के ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित है, जिसमें नियोक्ता का योगदान मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 2.01% है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने 5 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा की है, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन के बराबर ग्रेच्युटी राशि प्राप्त करने का हकदार है (एक महीने में 15 दिन; 26 दिन *अंतिम आहरित वेतन और महंगाई भत्ता*सेवा के पूर्ण वर्ष) ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कंपनी से अलग होने के समय अधिकतम 0.20 करोड़ रुपये के अधीन। ग्रेच्युटी योजना के संबंध में बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है, जिसमें से योजना संपत्ति का उचित मूल्य कम है। परिभाषित लाभ दायित्व की गणना प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक द्वारा की जाती है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले पुनः माप लाभ और हानियों को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिसमें वे सीधे अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में होते हैं।

ख) सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा लाभ योजना - अधिकारी CPRMSE

कंपनी के पास सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा लाभ योजना है जिसे सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों के अधिकारियों के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना (CPRMSE) के रूप में जाना जाता है, जो केवल भारत में कंपनी के अस्पताल पैनल में शामिल अस्पतालों या आउट पेशेंट अधिवास में अधिकारियों और उनके जीवनसाथी को अधिकतम सीमा तक चिकित्सा देखभाल प्रदान करती है, सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति के कारण या चिकित्सा आधार पर कंपनी द्वारा अलग किया जाता है या समय–समय पर लागू और लागू होने वाली सामान्य कोयला संवर्ग या

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्ति होने पर इसकी सदस्यता दी जाती है। सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों की सेवाओं से इस्तीफा देने वाले अधिकारियों को सदस्यता नहीं दी जाती है।

बिना किसी ऊपरी सीमा के निर्दिष्ट बीमारियों को छोड़कर, संयुक्त रूप से या अलग–अलग साथ में लिए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों और पति या पत्नी के लिए पूरे जीवन के दौरान प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि 25 लाख रुपये है। इस योजना को केवल इस उद्देश्य के लिए समूह स्तर पर सीआईएल द्वारा बनाए गए ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है, जिसमें नियोक्ता का योगदान प्रति माह मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 2% है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर योजना के लिए देयता की पहचान की जाती है।

परिभाषित अंशदान योजनाएं

क) भविष्य निधि और पेंशन

कंपनी योग्य कर्मचारी के वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि और पेंशन कोष के लिए निश्चित योगदान का भुगतान करती है अर्थात मूल वेतन का 12% और 7% क्रमशः भविष्य निधि और पेंशन कोष के लिए महंगाई भत्ता नामक एक अलग ट्रस्ट को कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ)। इस अवधि के दौरान निधि में योगदान ₹56.40 करोड़ (₹34.56 करोड़) है जिसे लाभ और हानि विवरण (नोट 28) में मान्यता दी गई है।

ख) सेवा निवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ- कर्मचारी (सीपीआरएमएसई-एनई)

वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक भाग के रूप में, कंपनी गैर–कार्यकारियों (सीपीआरएमएसई–एनई) के लिए अंशदायी पोस्ट–रिटायरमेंट मेडिकेयर योजना प्रदान कर रही है, जिस में कंपनी द्वारा निश्चित राशि का योगदान किया जा रहा है और लाभ और हानि के विवरण के लिए चार्ज किया जा रहा है।

ग) सीआईएल अधिकारियों के परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (एनपीएस)

कंपनी कंपनी के अधिकारियों को रोजगार के बाद अंशदायी पेंशन योजना प्रदान करती है जिसे ''सीआईएल कार्यकारी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना –2007'' (नई पेंशन योजना ''एनपीएस'' के रूप में जाना जाता है) के रूप में जाना जाता है। एनपीएस को इस उद्देश्य के लिए गठित समूह स्तर पर अलग ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित किया जा रहा है। कंपनी का दायित्व ट्रस्ट में मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 30% से अधिक की राशि तक योगदान करना है, जिसमें भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, सेवा निवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ–कार्यकारी यानी सीपीआरएमएसई याकि सी अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के लिए नियोक्ता का योगदान शामिल है। मूल और महंगाई भत्ते के 6.99% के वर्तमान नियोक्ता योगदान को लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित किया जा रहा है।

अन्य दीर्घ कालिक कर्मचारी लाभ

क) अवकाश नकदीकरण

कंपनी, कंपनी के अधिकारियों को दिनों के आधे 20 और (ईएल) दिनों की कुल अर्जित छुट्टी 30 का लाभ प्रदान करती है (एचपीएल) भुगतान अवकाश, जो हर साल जनवरी और जुलाई के पहले दिन अर्धवार्षिक आधार पर अर्जित और जमा किया जता है। सेवा के दौराना, जमा ईएल का 75% प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार भुनाई जा सकती है, जो अधिकतम दिनों के ईएल 60 नकदीकरण की सीमा के अधीन है। संचित एचपीएल को सेवा की अवधि के दौरान नकदीकरण की अनुमति नहीं है। सेवानिवृत्ति पर, ईएल और एचपीएल को एक साथ नकदीकरण के लिए माना जाता है, जो एचपीएल के कम्यूटेशन के बिना 300 दिनों की समग्र सीमा के अधीन है। कर्मचारियों के मामले में, छुट्टी नकदीकरण राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते (एनसीडब्ल्यूए) अवकाश का दिनों की दर से अर्जित 15 द्वारा शासित है और वर्तमान में कामगार प्रति वर्ष नकदीकरण तब तक प्राप्त करने के हकदार हैं जब तक मृत्यु, सेवानिवृत्ति और वीआरएस के कारण सेवा बंद नहीं हो जाती है, शेष अवकाश या दिन जो भी कम हो 150, को भुनाने की अनुमति है। इसलिए, अर्जित छुट्टी के लिए देनदारियों को सेवा के दौरान और साथ ही कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद निपटाने की उम्मीद है। इसलिए उन्हें अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग

करके रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में किए जाने वाले अपेक्षित भविष्य के भुगतान के वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल का उपयोग करे लाभों को छूट दी जाती है, जिसमें संबंधित दायित्व की शर्तों के अनुसार शर्तें होती हैं।

ख) जीवन बीमा योजना (LCS)

वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक हिस्से के रूप में, कंपनी के पास जमा लिंक बीमा योजना, 1976 के तहत जीवन बीमा योजना है, जिसे श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधि सूचित किया गया है, जिसे ''कोल इंडिया लिमिटेड की लाइफ कवर योजना'' (एलसीएस) के रूप में जाना जाता है। योजना के तहत 01.10.2017 से 1,25,000 रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है। योजना के तहत देयता प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कंपनी द्वारा वहन की जाती है।

ग) निपटान भत्ता

वेतन समझौते के हिस्से के रूप में, एनसीडब्ल्यूए के तहत शासित सभी गैर–कार्य कारी कैडर कर्मचारियों को 31.10.2010 को या उसके बाद सेवा निवृत्ति भत्ते के रूप में 12000/– रुपये की एक मुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। योजना के लिए देयता को प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।

घ) समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (GPAIS)

कंपनी ने ''कोल इंडिया एक्जीक्यूटिव्स ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम'' (जीपीएआईएस) के रूप में जानी जाने वाली व्यक्तिगत दुर्घटना के खिलाफ कंपनी के अधिकारियों को कवर करने के लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से समूह बीमा योजना ली है। GPAIS दुनिया भर में 24 घंटे के आधार पर सभी प्रकार की दुर्घटनाओं को कवर करता है। योजना का प्रीमियम कंपनी द्वारा वहन किया जाता है। योजना के लिए देयता प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचानी जाती है।

ड़) अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी)

वेतन समझौते के एकभाग के रूप में, गैर–कार्यकारी कर्मचारी 4 साल के ब्लॉक में एक बार अपने गृह नगर और ''भारत भ्रमण'' के लिए यात्रा सहायता के हकदार हैं। होम टाउन और ''भारत भ्रमण'' का दौरा करने के लिए क्रमशः रु 8000/– और रु 12000/– की एक मुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। योजना के लिए देयता को प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।

च) कंपनी कुछ डिफाइम्ड बेनीफिट प्लान को चलाती है जिसका मूल्य, क्चूरियल आधार पर तय होता है :

(i) निधित

- ग्रेच्युटि
- चिकित्सा लाभ
- अवकाश नकदीकरण

(ii) गैर-निधित

- लाइफ कवर योजना
- सेटलमेंट भत्ता
- ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्यूरेंस
- लीव ट्रेवल कंसेसन

एक्चयुअरी द्वारा किए गए मूल्यांकन पर आधारित 31.03.2021 को कुल देयता 393.61 करोड़ है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। ग्रेच्युटी की कुल देयता रु.177.85 करोड़ है जिसमें से 70.03 करोड़ रुपये वित्त पोषित है। अवकाश नकदीकरण की कुल देयता रु.104.50 करोड़ है जिसमें से 17.04 करोड़ रुपये वित्त पोषित है।

31.03.2021 को एक्च्यूरियल देयताः

(करोड़ रु. में)

मद	01.04.2020 को ओपनिंग एक्यूचिरियल देयता	वर्ष के दौरान इनक्रीमेंटल देयता	31.03.2021 को क्लोजिंग एक्यूचिरियल देयता
ग्रेच्यूटी	170.20	7.65	177.85
अर्न लीव	69.49	2.02	71.51
हाफ पे लीव	28.66	4.33	32.99
लाइफ कवर योजना	0.67	(0.01)	0.66
सेटलमेंट अलाउंस एक्जीक्यूटिव	2.66	0.02	2.68
सेटलमेंट अलाउंस गैर–अधिकारी	0.88	(0.03)	0.85
ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट बीमा योजना	0.05	0.00	0.05
लीव ट्रेवल कंसेसन	3.66	(0.77)	2.89
चिकित्सा लाभ अधिकारी	85.67	5.64	91.31
चिकित्सा लाभ गैर–अधिकारी	9.32	3.50	12.82
कुल	371.26	22.35	393.61

(iii) एक्चुअरी के प्रमाण-पत्र के अनुसार प्रकटीकरण :

ग्रेच्युटि (निधित) और छुट्टी नकदीकरण (निधित) के लिए कर्मचारी बेनीफिट हेतु एक्चुअरी के प्रमाण–पत्र के अनुसार प्रकटीकरण :–

31.03.2021 के अनुसार ग्रेच्युटि देयता का एक्च्यूरियल मूल्यांकन
आईएनडी एएस 19(2015) के अनुसार प्रमाण–पत्र

तालिका 1 : प्रकटीकरण आइटम (करोड़ रु. में)

31.03.2020	निम्नलिखित के अनुसार ओबलिगेशन के वर्तमान मूल्य में परिवर्त्तन	31.03.2021
162.07	गत मूल्यांकन के अनुसार आबलिगेशन का वर्त्तमान मूल्य	170.20
13.15	करेंट सेवा लागत	14.73
9.92	इंटरेस्ट कॉस्ट	10.74
-	पार्टिसीपेन्ट कंट्रीब्यूशन	-
-	योजना संशोधन : अवधि (गतसेवा) की समाप्ति पर वेस्टेड पोरसन	-
-	योजना संशोधन : अवधि (गतसेवा) की समाप्ति पर नन–वेस्टेड पोरसन	-
11.13	वित्तीय छूट में परिवर्त्तन के कारण ओवलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	-3.75
-	डेमोग्राफिक एजम्पसन में परिवर्त्तन के कारण ओवलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	-

-2.44	अन एक्सपेक्टेड अनुभव के कारण ओबलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	12.83
-	अन्य कारण से कारण ओबलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	-
-	विदेशी विनिमय दर में परिवर्त्तन का प्रभाव	-
23.63	प्रदत्त लाभ	26.90
-	एक्यूजीशन समायोजन	-
-	ओबलिगेशन का निपटान/स्थानांतरण	-
-	करटेलमेंट लागत	-
-	सेटलमेंट लागत	-
	अन्य (मूल्यांकन तिथि की समाप्ति पर अनसेटल्ड देयता	
170.20	मूल्यांकन तिथ पर ओबलिगेशन का वर्त्तमान मूल्य	177.85

तालिका 2 : प्रकटीकरण आइटम (करोड़ रु. में)

31.03.2020	निम्न के अनुसार योजना परिसंपत्ति को फेयर वैल्यू में परिवर्त्तन	31.03.2021
24.38	अवधि की शुरूआत में योजना परिसंपत्तियों का फेयर वैल्यू	42.45
1.61	ब्याज पर आय	2.91
40.00	नियोक्ता का अंशदान	52.00
-	पार्टिसिपेंट कंट्रीब्यूशन	-
-	एक्वीजिशन/बिजनेस कम्बिनेशन	-
-	सेटलमेंट कॉस्ट	-
23.63	प्रदत्त लाभ	26.90
-	एसेट सीलिंग का प्रभाव	-
-	विदेशी विनियम दर में परिवर्त्तन का प्रभाव	-
-	एडमिनिस्ट्रेटिव व्यय तथा इंश्योरेंस प्रीमियम	-
0.09	इंटरेस्ट इनकम को छोड़कर प्लान एसेट पर रिटर्न	-0.43
42.45	मापन अवधि के अंत में प्लान एसेट का फेयर वैल्यू	70.03

तालिका 3 : प्रकटीकरण आइटम (करोड़ रु. में)

31.03.2020	तुलन पत्र के रीकानसिलिएशन दर्शाता हुआ	31.03.2021
-127.75	निधि की स्थिति	-107.82
-	अनरीकोगनाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट	-
-	अवधि के दौरान अनरिकोगनाइज्ड एकच्यूरियल लाभ/हानि	-
-	पोस्ट मेजरमेंट डेट इम्पलायर कंट्रीब्यूशन (अनुमानित)	-
-	अनफंडेड एक्रूएड/प्रीपेड पेंशन कॉस्ट	-
42.45	परिसंपत्ति निधि	70.03
170.20	देयता निधि	177.85

तालिका 4 : प्रकटीकरण आइटम

31.03.2020	प्लान एजम्पसन को दर्शाती तालिका	31.03.2021
6.60%	डिस्काउन्ट दर	6.85%
6.60%	प्लान एसेट पर अनुमानित रिटर्न	6.85%
N/A		N/A
अधिकारी के लिए 9.00% गैर–अधिकारी के लिए 6.25%	बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति की दर (सैलरी इनफ्लेशन)	अधिकारी के लिए 9.00% गैर–अधिकारी के लिए 6.25 %
N/A	पेंशन वृद्धि दर	N/A
15,17	औसत अनुमानित भावी सेवा (शेष वर्किंग लाइफ)	16,17
15,17	देयताओं का औसत अवधि	16,17
आईएमएलएम 2006-2008 अल्टीमेट	मोर्टालिटि तालिका	आईएमएलएम 2006-2008 अल्टीमेट
60	उम्र पर सेवा–निवृति पुरूष	60
60	उम्र पर सेवा–निवृति महिला	60
0.30%	पूर्व सेवा निवृति एवं डिसएबलमंट (सभी संयुक्त कारणों)	0.30%

तालिका 5 : प्रकटीकरण आइटम (करोड़ रु. में)

31.03.2020	निम्न के अनुसार लाभ/हानि विवरण में चिन्हित व्यय	31.03.2021
13.15	चालू सेवा लागत	14.73
-	गत सेवा लागत (वेस्टेड)	-
-	पास्ट सेवा लागत (नन–वेस्टेड)	-
8.31	निबल ब्याज लागत	7.83
-	सेटलमेंट पर लागत (हानि/(लाभ)	-
-	करटेलमेंट पर लागत(हानि/(लाभ)	-
-	केवल गत वर्ष के लिए लागू वासतविक लाभ/हानि	-
-	कर्मचारी का अनुमानित अंशदान	-
-	विदेशी विनियम दर में बदलाव का निबल प्रभाव	-
21.46	लाभ लागत (लाभ/हानि) के विवरण में अनुमानित खर्च	22.56

तालिका 6 : प्रकटीकरण आइटम

(करोड़ रु. में)

31.03.2020	अन्य कमप्रेहेनसिव आय	31.03.2021
11.13	वित्तीय छूट में परिवर्तन के कारण ओवलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	-3.75
-	डेमोग्राफिक छूट में परिवर्तन के कारण ओवलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	-
-2.44	असंभावित अनुभव के कारण ओवलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	12.83
-	अन्य के कारण से ओबलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	-
8.69	**कुल वास्तविक (लाभ)/हानि**	9.08
0.09	ब्याज पर आय को छोड़कर प्लान एसेट पर रिटर्न	-0.43
	एसेट सिलिंग का प्रभाव	
8.60	अवधि के अंत में शेष	9.51
8.60	ओसीआई में रिकोगनाइज्ड अवधि के लिए निबल (आय)/व्यय	9.51

तालिका 7 : प्रकटीकरण आइटम

(करोड़ रु. में)

31.03.2020	मापन अवधि के अंत में योजना परिसंपत्ति के आवंटन को दर्शाने वाली तालिका	31.03.2021
-	नकद और नकद समकक्ष	-
-	निवेशित राशि	-
-	डेरिवेटिव्स	-
-	संपत्ति समर्थित प्रतिभूतियां	-
-	संरचित ऋण	-
-	अचल सम्पदा	-
-	विशेष जमा योजना	-
-	राज्य सरकार प्रतिभूति	-
-	भारत सरकार एसेट्स	-
-	कॉर्पोरेट बांड	-
-	ऋण प्रतिभूतियाँ	-
-	वार्षिकी अनुबंध/बीमा निधि	-
-	अन्य	-
-	कुल	-

तालिका 8 : प्रकटीकरण आइटम

31.03.2020	मापन अवधि के अंत में योजना परिसंपत्ति के कुल % आवंटन को दर्शाने वाली तालिका	31.03.2021
-	नकद और नकद समकक्ष	-
-	निवेशित राशि	-
-	डेरिवेटिव्स	-
-	संपत्ति समर्थित प्रतिभूतियां	-
-	संरचित ऋण	-
-	अचल सम्पदा	-
-	विशेष जमा योजना	-
-	राज्य सरकार प्रतिभूति	-
-	भारत सरकार एसेट्स	-
-	कॉर्पोरेट बांड	-
-	ऋण प्रतिभूतियाँ	-
-	वार्षिकी अनुबंध / बीमा निधि	-
-	अन्य	-
-	कुल	-

तालिका 9: प्रकटीकरण आइटम

मृत्युदर तालिका	
उम्र	**मृत्युदर (प्रति वर्ष)**
25	0.000931
30	0.000977
35	0.001202
40	0.00168
45	0.002579
50	0.004436
55	0.007513
60	0.011162
65	0.015932
70	0.024058

तालिका 10 : प्रकटीकरण आइटम (करोड़ रु. में)

31.03.2020		सेंसिटिविटि विश्लेषण	31.03.2021	
वृद्धि	कमी		वृद्धि	कमी
164.13	176.82	छूट की दर (–/+0.5 प्रतिशत)	170.85	185.52
-3.57%	3.89%	बेसड्यू की तुलना में प्रतिशत में बदलाव	-3.93%	4.32%
173.11	167.38	वेतन वृद्धि (–/+0.5 प्रतिशत)	181.33	174.46
1.71%	-1.66%	सेंसिटिविटि के कारण बेस की तुलना में बदलाव प्रतिशत में	1.96%	-1.91%
170.40	170.01	एट्रीशन दर (–/+0.5 प्रतिशत)	177.88	177.82
0.11%	-0.11%	सेंसिटिविटि के कारण बेस की तुलना में बदलाव प्रतिशत में	0.02%	-0.02%
171.17	169.24	मोरटालिटि दर (–/+10 प्रतिशत)	177.98	177.72
0.57%	-0.57%	सेंसिटिविटि के कारण बेस की तुलना में बदलाव प्रतिशत में	0.07%	-0.07%

तालिका 11 : प्रकटीकरण आइटम (करोड़ रु. में)

नकद प्रवाह सूचना दर्शाती तालिका	
अगले वर्ष कुल (अपेक्षित)	162.70
न्यूनतम धन की आवश्यकताएं	121.84
कंपनी का विवेक	-

तालिका 12 : प्रकटीकरण आइटम (करोड़ रु. में)

भविष्य के भुगतानों की अनुमानित जानकारी (पिछली सेवा) दर्शाने वाली तालिका	
वर्ष	**करोड़ रू. में**
1	32.86
2	22.87
3	19.40
4	23.53
5	18.80
6 से 10	49.29
10 वर्ष से अधिक	238.13
गत एवं भावी सेवा के लिए कुल अनडिस्काउन्ट पेमेंट	
गत सेवा से संबंधित कुल अनडिस्काउन्टेड पेमेंट्स	404.86
ब्याज के लिए लेस डिस्काउन्ट	227.02
प्रोजेक्टेड बेनीफिट ओबलिगेशन	177.85

तालिका 13 : प्रकटीकरण आइटम

नेट पीरियोडिक बेनेफिट कॉस्ट नेक्स्ट पीरियड के आउटलुक नेक्स्ट ईयर कंपोनेंट्स को दर्शाने वाली तालिका	
	करोड़ रू. में
वर्तमान सेवा लागत (नियोक्ता भाग केवल) अगली अवधि	14.50
ब्याज लागत अगली अवधि	11.06
प्लान एसेट पर अपेक्षित रिटर्न	12.18
गैर–मान्यता प्राप्त पिछली अवधि की सेवा लागत	-
अवधि के अंत में गैर–मान्यता प्राप्त एक्चुरियल / लाभ हानि	-
सेटलमेंट कॉस्ट	-
कर्टेलमेंट लागत	-
अन्य (एक्चुरियल लाभ / हानि)	-
लाभ लागत	13.38

तालिका 14 : निबल देयता का पृथक्करण (करोड़ रु. में)

31.03.2020	मेजरमेंट अवधिा के अंत में प्लान एसेट पर अनुमानित रिटर्न दर्शाती तालिका	31.03.2021
23.97	चालू देयता	31.79
146.23	गैर–चालू देयता	146.06
170.20	निबल देयता	177.85

31.03.2021 के अनुसार छुट्टी नकदीकरण लाभ (ईएल/एचपीएल) का वास्तविक मूल्यांकन आईएनडी एएस 19 (2015) के अनुसार प्रमाण-पत्र

तालिका 1 : प्रकटीकरण आइटम (करोड़ रु. में)

31.03.2020	निम्नलिखित के अनुसार ओबलिगेशन के वर्त्तमान वैल्यू में परिवर्त्तन	31.03.2021
77.00	गत मूल्यांकन के आधार पर ओबलिगेशन का वर्त्तमान वैल्यू	98.15
4.59	चालू सेवा लागत	5.69
4.36	ब्याज लागत	5.86
-	पार्टिसिपेंट कंट्रीब्यूशन	-
-	प्लान संशोधन : अवधि (गत सेवा) की समाप्ति पर वेस्टेड पोर्सन	-
-	प्लान संशोधन : अवधि (गत सेवा) की समाप्ति पर नन–वेस्टेड पोर्सन	-
8.68	वित्तीय पूर्वानुमान में परिवर्त्तन के कारण ओबलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	-2.95
-	डेमोग्राफिक पूर्वानुमान में परिवर्त्तन के कारण ओबलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	-
25.45	असंभावित अनुभव के कारण ओबलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	22.99
-	अन्य कारण के कारण ओबलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	-

-	विदेशी विनियम दर में परिवर्तन से प्रभाव	-
21.93	प्रदत्त लाभ	25.24
-	अर्जन समायोजन	-
-	ओबलिगेशन का निपटान/स्थानांतरण	-
-	करटेलमेंट लागत	-
-	सेटलमेंट लागत	-
-	अन्य (मूल्यांकन तिथि के अंत में अनसेटल्ड देयता)	-
98.15	मूल्यांकन तिथि के अनुसार ओवलिगेशन का वर्तमान वैल्यू	104.50

तालिका 2 : प्रकटीकरण आइटम (करोड़ रु. में)

31.03.2020	निम्न के अनुसार प्लान एसेट के फेयर बैल्यू में परिवर्तन	31.03.2021
-	अवधि की शुरूआत में प्लान एसेट का फेयर वैल्यू	-
-	ब्याज से आय	-
-	नियोक्ता का अंशदान	42.24
-	सहभागी अंशदान	-
-	अर्जन/व्यवसाय समन्वय	-
-	सेटलमेंट लागत	-
-	प्रदत्त लाभ	25.24
-	परिसंपत्ति की सीलिंग पर प्रभाव	-
-	विदेशी विनियम दर में परिवर्तन पर प्रभाव	-
-	प्रशासनिक व्यय और इंश्योरेंस प्रीमियम	-
-	ब्याज पर आय को छोड़कर प्लान एसेट पर रिटर्न	0.04
-	मेजरमेंट अवधि के अंत में प्लान परिसम्पत्ति का फेयर प्लान	17.04

तालिका 3 : प्रकटीकरण आइटम (करोड़ रु. में)

31.03.2020	तुलन पत्र के लिए रिकनसिलिएशन दर्शाती तालिका	31.03.2021
-98.15	निधि की स्थिति	-87.47
-	अनरीकोगनाइज्ड गत सेवा लागत	-
-	अवधि के अंत में अनरिकोगनाइज्ड वास्तविक लाभ/हानि	-
-	पोस्ट मेजरमेंट डेट इम्पलायर कंट्रीब्यूशन (अनुमानित)	-
-	अनफंडेड एक्रुएड/प्री पेड पेंशन लागत	-
-	निधि परिसंपत्ति	17.04
98.15	निधि की देयता	104.50

तालिका 4 : प्रकटीकरण आइटम (करोड़ रु. में)

31.03.2020	प्लान एजम्पन दर्शाती तालिका	31.03.2021
N/A	प्लान परिसंपत्ति पर अनुमानित रिटर्न	N/A
अधिकारी के लिए 9.00% एवं कर्मचारी के लिए 6.25%	बढ़ी क्षतिपूर्ति की दर (सेलरी इनफ्लेशन)	अधिकारी के लिए 9.00% एवं कर्मचारी के लिए 6.25%
N/A	पेंशन में वृद्धि दर	N/A
16,17	औसत अनुमानित भावी सेवा (शेष वर्किंग लाइफ)	15,17
16,17	देयताओं की औसत अवधि	15,17
आईएएलएम 2006-08 अल्टीमेंट	मोरटालिटि तालिका	आईएएलएम 2006-08 अल्टीमेंट
60	उम्र पर सेवा निवृत्ति–पुरूष	60
60	उम्र पर सेवा निवृत्ति–महिला	60
0.30% प्रति वर्ष	जल्दी सेवा निवृत्ति एव ंडिसएक्लमेंट (सभी कारण संयुक्त)	0.30% प्रति वर्ष
उपेक्षित	स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति	उपेक्षित

तालिका 5 : प्रकटीकरण आइटम (करोड़ रु. में)

31.03.2020	निम्न के अनुसार लाभ/हानि विवरण में चिन्हित व्यय	31.03.2021
4.59	चालू सेवा लागत	5.69
-	गत सेवा लागत (वेस्टेड)	-
-	पास्ट सेवा लागत (नन–वेस्टेड)	-
4.36	निबल ब्याज लागत	5.86
-	सेटलमेंट पर लागत (हानि/(लाभ)	-
-	करटेलमेंट पर लागत (हानि/(लाभ)	-
34.13	केवल गत वर्ष के लिए लागू वासतविक लाभ/हानि	20.00
-	कर्मचारी का अनुमानित अंशदान	-
-	विदेशी विनियम दर में बदलाव का निबल प्रभाव	-
43.08	लाभ लागत (लाभ/हानि) के विवरण में अनुमानित खर्च	31.55

तालिका 6 : प्रकटीकरण आइटम (करोड़ रु. में)

31.03.2020	अन्य कमप्रेहेनसिव आय	31.03.2021
-	वित्तीय छूट में परिवर्तन के कारण ओवलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	-
-	डेमोग्राफिक छूट में परिवर्तन के कारण ओवलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	-
-	असंभावित अनुभव के कारण ओवलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	-
-	अन्य के कारण से ओबलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	-
-	**कुल वास्तविक (लाभ)/हानि**	-
-	ब्याज पर आय को छोड़कर प्लान एसेट पर रिटर्न	-
-	एसेट सिलिंग का प्रभाव	-
-	अवधि के अंत में शेष	-
-	ओसीआई में रिकोगनाइज्ड अवधि के लिए निबल (आय)/व्यय	-

तालिका 7 : प्रकटीकरण आइटम

मृत्यु दर तालिका	
उम्र	**मोरटालिटि (प्रति वर्ष)**
25	0.000931
30	0.000977
35	0.001202
40	0.00168
45	0.002579
50	0.004436
55	0.007513
60	0.011162
65	0.015932
70	0.024058

तालिका 8 : प्रकटीकरण आइटम (करोड़ रु. में)

31.03.2019		सेंसिटिविटि विश्लेषण	31.03.2020	
वृद्धि	**कमी**		**वृद्धि**	**कमी**
93.29	93.17	अछूट की दर (–/+0.5 प्रतिशत)	98.94	110.68
-4.96%	5.49%	बेसड्यू की तुलना में प्रतिशत में बदलाव	-5.32%	5.92%

103.39	84.88	वेतन वृद्धि (–/+0.5 प्रतिशत)	110.54	99.02
5.34%	-4.87%	सेंसिटिविटि के कारण बेस की तुलना में बदलाव प्रतिशत में	5.77%	-5.25%
98.28	88.55	एट्रीशन दर (–/+0.5 प्रतिशत)	104.47	104.54
0.13%	-0.13%	सेंसिटिविटि के कारण बेस की तुलना में बदलाव प्रतिशत में	-0.03%	0.03%
98.70	88.33	मोरटालिटि दर (–/+10 प्रतिशत)	104.43	104.58
0.56% 93.29	-0.56% 103.54	सेंसिटिविटि के कारण बेस की तुलना में बदलाव प्रतिशत में	-0.07% 98.94	0.07% 110.68

तालिका 9 : प्रकटीकरण आइटम (करोड़ रु. में)

भविष्य के भुगतानों की अनुमानित जानकारी (पिछली सेवा) दर्शाने वाली तालिका	
वर्ष	**(करोड़ रू. में)**
1	11.65
2	8.46
3	8.84
4	11.36
5	12.03
6 से 10	32.87
10 वर्ष से अधिक	213.87
अगत एवं भावी सेवा के लिए कुल अनडिस्काउन्ट पेमेंट	
गत सेवा से संबंधित कुल अनडिस्काउन्टेड पेमेंट्स	299.08
ब्याज के लिए लेस डिस्काउन्ट	194.58
प्रोजेक्टेड बेनीफिट ओबलिगेशन	104.50

तालिका 10 : निबल देयता का पृथक्करण (करोड़ रु. में)

31.03.2020	मेजरमेंट अवधि के अंत में प्लान एसेट पर अनुमानित रिटर्न दर्शाती तालिका	31.03.2021
8.24	चालू देयता	11.27
89.92	गैर–चालू देयता	93.23
98.15	निबल देयता	104.50

4. मान्यतारहित आइटम

(क) आकस्मिक देयता (आईएनडी एएस-37)

कंपनी के विरूद्ध दावे को ऋण के रूप में (ब्याज सहित, जहाँ लागू हो) नहीं माना गया है।

(क1) (करोड़ रु. में)

कंपनी के विरूद्ध दावे जिसे ऋण के रूप में नहीं माना गया			
		31.03.2021	**31.03.2020**
1	**केंद्रीय सरकार** **आय कर** **सेवा कर** रायल्टी सेंट्रल एक्साइज	 45.45 8.87	 37.14 8.89
2	**राज्य सरकार और स्थानीय अथारिटी** बिक्री कर प्रवेश कर		
3	**सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इन्टरप्राइजेज** लिटिगेशन के तहत कंपनी के विरूद्ध सुईट		
4	**अन्य**	3.54	3.63
	कुल	**57.86**	**49.66**

अन्य (क 2) (करोड़ रु. में)

क्र. सं.	ब्यौरे	केंद्र सरकार	राज्य सरकार और अन्य इलाके	सीपीएसई	अन्य	कुल
1	01.04.2020 के अनुसार ओपनिंग	46.03			3.63	49.66
2	वर्ष के दौरान जोड़	9.13			0	9.13
3	वर्ष के दौरान दावों का निपटान किया गया	0.84			0.09	0.93
	क. ओपनिंग बैलेंस से	0.84			0.09	0.93
	ख. वर्ष के दौरान इसके अतिरिक्त					
	ग. वर्ष के दौरान निर्धारित कुल दावे (क+ख)	0.84			0.09	0.93
4	31.03.2021 के अनुसार क्लोजिंग	54.32			3.54	57.86

अन्य (क 3)

आकस्मिक देयता

(करोड़ रु. में)

क्र.स.	विवरण	31.03.2021 के अनुसार राशि	31.03.2020 के अनुसार राशि
1.	**केन्द्रीय सरकार**		
	आयकर	45.45	37.14
	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क		
	स्वच्छ ऊर्जा सेस		
	केन्द्रीय बिक्री कर		
	केन्द्रीय सरकार		
	सेवाकर	8.87	8.89
	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)		
	उप–योग	54.32	46.03
2.	**राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी**		
	रॉयल्टी		
	पर्यावरण मंजूरी		
	बिक्री कर/वैट		
	आगमन शुल्क		
	इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी		
	एमएडीए		
	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)		
	उप–योग		
3.	**केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम**		
	मध्यस्थता की कार्यवाही		
	मुकदमेबाजी के तहत कंपनी के खिलाफ मुकदमा		
	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)		
	उप–योग		
4.	अन्य (यदि कोई हो)		
	विविध	3.54	3.63
	उप–योग	3.54	3.63
	सकल योग	57.86	49.66

ख) वचनबद्धता (आईएनडीएएस-37)

पूँजीगत लेखे पर गणना किए जाने के लिए कांट्रेक्ट की शेष राशि की प्राकलित राशि जिसे अन्य को नहीं दिया गया है वह 8.17 करोड़ (35.68 करोड़ रूपए) है।

अन्य प्रतिबद्धताएं 386.96 करोड़ (398.99 करोड़) हैं।

ग) गारंटी

कंपनी ने 0.14 करोड़ (0.14 करोड़ रू.) की बैंक गारंटी दी है जिसे कंपनी की चालू परिसंपत्तियोंपर प्रभारित किया गया है।

5 . अन्य सूचना

क) प्रावधान

कर्मचारी लाभ से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को छोड़कर, विभिन्न प्रावधानों की स्थिति और गतिविधि, जो कि 31.03.2021 को यथोचित हैं, नीचे दिए गए हैं:

(करोड़ रु. में)

प्रावधान	1.04.2020 के अनुसार अर्थशेष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान के दौरान वृद्धि	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान राइट बैक/समायोजन	डिस्काउन्ट की अनवाईडंग	31.03.2021 के अनुसार इतिशेष
टिप्पणी 1 :- प्रोपर्टी, संयंत्र एवं उपकरण: परिसंपत्तियों की क्षति :					
टिप्पणी 2 :- पूंजीगत कार्य जारी: सीडब्ल्यूआईपी की तुलना में :					
टिप्पणी 3 :- गवेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्ति : प्रावधान एवं क्षति :					
टिप्पणी 1 :- बिक्री के लिए रखा गया गैर चालू परिसंपत्तियाँ : प्रावधान :					
सटिप्पणी 8 :- ऋण : अन्य ऋण :					
टिप्पणी 9 :- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
अनुषंगी कम्पनियों के पास चालू खाता :	0.04				0.04
वसूली योग्य दावे :					
अन्य वसूली योग्य :					
टिप्पणी 10 :- अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ : गवेषणात्मक वेधन कार्य : यूटिलिटिज के लिए सिक्युरिटि जमा के अगेंस्ट :					
टिप्पणी 11 :- अन्य चालू परिसंपत्तियाँ :					
राजस्व के लिए अग्रिम :	0.23		(0.03)		0.20
सांविधिक बकाये के अगेंस्ट अग्रिम भुगतान :					
अन्य जमा :	0.05				0.05
अन्य वसूली योग :					

टिप्पणी 12 :- वस्तु सूची : कोयले का स्टॉक : स्टोर एवं स्पेयर का स्टॉक :	0.18		(0.02)		0.16
टिप्पणी 13 :-पेशागत वसूली : डूबंत एवं संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान :	3.05	1.43			4.48
टिप्पणी 21 :-गैर चालू एवं चालू प्रावधान : कार्य निष्पादन से संबंधित वेतन : एनसीडब्ल्यूए : अधिकारी वेतन रीविजनः माइन क्लोजरः एनपीएसः	89.17 0.00 9.56	27.58 0.75	(53.50) 0.00 (3.03)		63.25 0.00 7.28

(ख) अधिकृत शेयर पूंजी

विवरण	31.03.21 के अनुसार	31.03.20 के अनुसार
रु. 1000/— प्रति शेयर का 15,00,000 इक्विटी शेयर	150.00	150.00

(ग) प्रति शेयर अर्जन (आईएनएस एएस-33) :

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	इक्विटि शेयर धारक को देने के बाद कर पश्चात् निबल लाभ	316.96	193.39
ii)	इक्विटि शेयर बकाया की भारित औसत संख्या	1428000.00	1428000.00
iii)	प्रति शेयर बेसिक और डायलूटेड अर्निंग्स रुपये में (फेस वेल्यू रु. 1000/— प्रति शेयर)	2219.61	1354.27

(घ) संबंधित पार्टी डिसक्लोजर (आईएनडी एएस-24)

(क) संबंधित पार्टियों की सूची

i) सहायक कंपनियां

1) इस्टर्न कोलफील्डस लि. (ECL)
2) भारत कोकिंग कोल लि. (BCCL)
3) सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (CCL)
4) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (WCL)
5) साउथ इस्टर्न कोलफील्ड लि. (SECL)
6) नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड (NCL)
7) महानदी कोलफील्ड्स लि. (MCL)
8) कोल इंडिया लिमिटेड (CIL)

ii) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

नाम	पदनाम	कब से
शेखर सरन	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	01.01.2016
के.के. मिश्रा	निदेशक (तकनीकी)	11.10.2018
आर. एन. झा	निदेशक (तकनीकी)	30.01.2019
ए. के. राना	निदेशक (तकनीकी)	01.08.2019
सतेन्द्र कुमार गोमस्ता	निदेशक (तकनीकी)	25.02.2020
कृष्ण चन्द्र पाण्डेय	स्वतंत्र निदेशक	10.07.2019
अल्का पांडा	स्वतंत्र निदेशक	10.07.2019
बिनय दयाल	निदेशक	09.11.2017
मुकेश चौधरी	सरकार द्वारा नामित निदेशक	26.05.2020
प्रमोद सिंह चौहान	स्वतंत्र निदेशक	16.10.2019
आर. एन. सुर	मुख्य वित्तीय अधिकारी	01.08.2020
अभिषेक मुंधरा	कंपनी सचिव	18.02.2016

iii) मुख्य प्रबंधकीय कर्मिकों का पारिश्रमिक (करोड़ रु. में)

क्र. सं.	सीएमडी, पूर्ण अवधि के निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं कंपनी सचिव का वेतन	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	**अल्पकालीन कर्मचारी लाभ**		
	सकल वेतन	3.18	2.27
	परक्यूजिटस	0.72	0.64
	चिकित्सा लाभ	0.12	0.09
ii)	**नियोजन पश्चात लाभ**		
	पीएफ एवं अन्य कोष में अंशदान	0.49	0.57
iii)	**परिभाषित लाभ के एक्चुरियल मूल्यांकन**	2.24	2.02
iv)	**सेवानिवृत्ति लाभ**		
	छुट्टी नकदीकरण	0.00	0.17
	ग्रेच्युटि	0.40	0.20
v)	**टर्मिनेशन लाभ**		
	छुट्टी नकदीकरण		
	ग्रेच्युटि		
	कुल	**7.15**	**5.96**

टिप्पणी :

(i) उपर्युक्त के अलावा, पूर्ण कालिक निदेशकों को सेवा शर्तों के अनुसार ₹ 2000 प्रति माह के भुगतान पर 1000 किमी. की सीमा तक निजी यात्रा के लिए कारों के उपयोग की अनुमति दी गई है।

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	सिटिंग शुल्क	0.17	0.15

सिटिंग शुल्क का शेष बकाया

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
i)	देय राशि	शून्य	शून्य
ii)	वसूली योग्य राशि	शून्य	शून्य

ग्रुप में संबंधित पार्टी से लेनदेन

कंपनी को सरकार से संबंधित इनटाइटी होने के कारण समान सरकार के तहत अन्य इनटाइटी के साथ शेष बकाया और संबंधित पार्टी लेनदेन से संबंधित सामान्य डिस्कलोजर की आवश्यकता से छूट है।

आईएनडी एएस 24, के अनुसार नेचर और लेनदेन से संबंधित महत्वपूर्ण राशि को निम्नलिखित के अनुसार प्रकट किया गया है।

31.03.2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संबंधित पार्टी से लेनदेन (करोड़ रु. में)

संबंधित पक्षों का नाम	संबंधित पार्टियों का ऋण	संबंधित पार्टियों से ऋण	शीर्ष प्रभार	पुनर्वास शुल्क	लीज रेंट इनकम	सहायक कंपनियों द्वारा लगाए गए फंड पर ब्याज	आईआईसीएम प्रभार	अन्य (बिक्री)	चालू खाता लेने देने	बिक्री
इस्टर्न कोलफील्डस लि. (ECL)								96.35		52.48
भारत कोकिंग कोल लि. (BCCL)								85.15		90.65
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (CCL)								134.49		69.46
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (CCL)								133.98		103.98
साउथ इस्टर्न कोल. फील्डलि. (SECL)								351.87		41.34

संबंधित पक्षों का नाम	संबंधित पार्टियों का ऋण	संबंधित पार्टियों से ऋण	शीर्ष प्रभार	पुनर्वास शुल्क	लीज रेंट इनकम	सहायक कंपनियों द्वारा लगाए गए फंड पर ब्याज	आईआईसीएम प्रभार	अन्य (बिक्री)	चालू खाता लेने देने	बिक्री
नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड (NCL)								91.48		155.69
महानदी कोलफील्ड्स लि. (MCL)								84.67		37.74
कोल इंडिया लिमिटेड (CIL)								8.01	56.10	16.38

हाल की लेखा घोषणाएं

व्यापार के बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, COVID-19 महामारी के कारण, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा 24 जुलाई 2020 की अधिसूचना के माध्यम से निम्नलिखित संशोधनों को अधिसूचित किया गया है, जिसके द्वारा अनिवार्य रूप से उनमें से अधिकांश ने उन स्थितियों को कवर करने का प्रयास किया है जो COVID-19 और बेहतर वित्तीय रिपोर्टिंग के कारण उत्पन्न हुई हैं:–

i) इंड एएस 103– बिजनेस कॉम्बिनेशन

अधिसूचना ने व्यावसायिक संयोजन की परिभाषा में बदलाव लाए और अधिक विवरण में ''व्यवसाय'' को परिभाषित किया, उचित मूल्य की एकाग्रता की पहचान करने के लिए एक वैकल्पिक परीक्षण, व्यवसाय का तत्व और यह आकलन करना कि क्या अधिग्रहित प्रक्रिया वास्तविक है।

जैसा कि कोई व्यावसायिक संयोजन नहीं है, वित्तीय विवरण में उपरोक्त का कोई प्रभाव नहीं है।

ii) इंड एएस 107 और 109 में संशोधान – वित्तीय साधान और प्रकटीकरण

ब्याज दर बेंचमार्क सुधार और विशिष्ट बचाव लेखांकन आवश्यकताओं को लागू करने से अस्थायी अपवादों से उत्पन्न अनिश्चितता के लिए प्रकटीकरण।

हेज अकाउंटिंग का कोई जोखिम नहीं है इसलिए वित्तीय विवरण में उपरोक्त का कोई प्रभाव नहीं है।

iii) इंड एएस116 में संशोधन –पट्टों के रूप में

COVID-19 महामारी के कारण दी गई किराया रियायत के लेखा पर एक स्पष्टीकरण प्रदान किया गया है।

यह स्पष्ट किया गया है कि इस तरह की रियायत को लीज संशोधन माना जाएगा या नहीं।

चूंकि कोई किराया रियायत नहीं दी गई थी, वित्तीय विवरण में उपरोक्त का कोई प्रभाव नहीं है।

iv) इंड एएस 1 और इंड एएस 8 में संशोधान – वित्तीय विवरणों और लेखा नीतियों की प्रस्तुति, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन।

इस संशोधन द्वारा मैटीरियल की एक नई परिभाषा पेश की गई है, यह अधिक परिष्कृत है और अधिक स्पष्टता प्रदान करती है। भौतिकता को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

''सूचना महत्वपूर्ण है यदि इसे छोड़ना, गलत बताना या अस्पष्ट करना उचित रूप से उस निर्णय को प्रभावित करने की उम्मीद की जा सकती है जो सामान्य प्रयोजन वित्तीय विवरणों के प्राथमिक उपयोगकर्ता उन वित्तीय विवरणों के आधार पर करते हैं, जो एक विशिष्ट रिपोर्टिंग इकाई के बारे में वित्तीय जानकारी प्रदान करते हैं।''

कंपनी की मैटीरियलटी नीति को ध्यान में रखते हुए ऊपर उल्लिखित इंड एएस 1 और इंड एएस 8 के संशोधनों को शामिल करते हुए वित्तीय विवरण तैयार किया गया है।

v) इंड एएस 10 में संशोधान – रिपोर्टिंग अवधिा के बाद की घटनाएं

भारतीय लेखा मानक 10 के एक अनुच्छेद 21 को संशोधनों में किसी भी गैर–समायोजन घटना से प्रतिस्थापित किया गया है, जिससे उन निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद की जा सकती है जो सामान्य प्रयोजन वित्तीय विवरण के प्राथमिक उपयोगकर्ता उन वित्तीय विवरणों के आधार पर करते हैं जो वित्तीय जानकारी प्रदान करते हैं एक विशिष्ट रिपोर्टिंग इकाई को जोड़ा गया है। साथ ही, वित्तीय प्रभाव की प्रकृति और अनुमानों का खुलासा किया जाना आवश्यक है।

इस अवधि के दौरान कोई गैर–समायोजन घटना नहीं हुई है जो वित्तीय विवरणों के सामान्य उद्देश्य के प्राथमिक उपयोगकर्ताओं के निर्णय को प्रभावित कर सकती है।

vi) इंड एएस 34 में संशोधन-अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग

उपरोक्त संशोधनों के परिणामस्वरूप अधिसूचित किया गया है।

वित्तीय विवरण में उपरोक्त का कोई प्रभाव नहीं है।

vii) इंड एएस 37 – प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

उपरोक्त संशोधनों के परिणामस्वरूप अधिसूचित किया गया है, और पुनर्गठन योजनाओं के लेखांकन पर नीचे दिए गए पैराग्राफ को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया हैः –

रिपोर्टिंग अवधि के अंत से पहले लिया गया पुनर्गठन का प्रबंधन या बोर्ड का निर्णय रिपोर्टिंग अवधि के अंत में एक रचनात्मक दायित्व को जन्म नहीं देता है जब तक कि इकाई के पास रिपोर्टिंग अवधि के अंत से पहले नहीं होता हैः

क). पुनर्गठन योजना को लागू करना शुरू किया; या

ख). इससे प्रभावित लोगों के लिए पुनर्गठन योजना की मुख्य विशेषताओं की घोषणा पर्याप्त रूप से विशिष्ट तरीके से की ताकि उनमें एक वैध उम्मीद पैदा की जा सके कि इकाई पुनर्गठन करेगी।

बोर्ड द्वारा पुनर्गठन का ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए वित्तीय विवरणों में उपरोक्त का कोई प्रभाव नहीं है।

ड.) कराधान (आईएनडी एएस–12)

आयकर के मद में 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान खातों में 92.75 करोड़ रु. (रु.76.87 करोड़) की राशि प्रदान की जाती है।

भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आईएनडी एएस –12 के अनुसार की गई गणना के आधार पर कंपनी के पास एक स्थगित कर संपत्ति (निबल) है।

I) आस्थगित कर की गणना

(i) आस्थगित कर आस्तियों और देयता की भरपाई की जा रही है क्योंकि वे एक ही शासी कर कानूनों द्वारा लगाए गए आय पर कर से संबंधित हैं।

(ii) 31 मार्च, 2020 और 31 मार्च 2021 को आस्थगित कर परिसंपत्ति / देयता नीचे दी गई है :–

(करोड़ रु. में)

आस्थगित कर देयता :	**31.03.2021 के अनुसार**	**31.03.2020 के अनुसार**
स्थायी परिसंपत्ति से संबंधित	**8.66**	**7.81**
आस्थगित कर परिसंपत्तिः		
संदिग्ध ऋण, दावे आदि के लिए प्रावधान	1.20	0.85
कर्मचारी के पृथकरण और सेवा निवृत्ति	83.28	85.16
अन्य	0.04	0.05
कुल आस्थगित कर परिसंपत्ति	84.52	86.06
निबल आस्थगित कर परिसंपत्ति/ (आस्थगित कर देयता)	**75.86**	**78.25**

II) वर्तमान कर आस्तियों का विवरण

	31.03.2021 के अनुसार	**31.03.2020 के अनुसार**
स्रोत पर कर कटौती	197.38	129.18
आयकर का प्रावधान	(172.06)	(76.87)
वर्तमान कर आस्तियाँ (निवल)	25.32	52.31

च) लेखे के लिए बने प्रावधान

धीमी गति से चलने वाले / नॉन–मूविंग / अप्रचलित स्टोर्स, दावों को प्राप्य, अग्रिमों, संदिग्ध ऋणों आदि के खिलाफ खातों में किए गए प्रावधान को संभावित नुकसान को कवर करने के लिए पर्याप्त माना जाता है।

छ) चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम आदि

प्रबंधन के विचार में अचल परिसंपत्ति और गैर–चालू निवेश के अलावे परिसंपत्ति सामान्य कार्यव्यवहार वाले व्यवसाय में होता है तथा जो कम–से–कम राशि (लेखे) के बराबर होता है, जिसका उल्लेख किया गया है।

ज) चालू देयताएँ :

अनुमानित देयता प्रदान की गई है जहां वास्तविक देयता को मापा नहीं जा सकता है।

झ) बैलेंस की संपुष्टि

शेष की सम्पुष्टि/समाधान में नकद एवं बैंक शेष कुछ ऋण एवं अग्रिम, दीर्घकालीय देयता और चालू देयता शामिल है। सभी संदिग्ध अनकनफर्म्ड शेष के विरूद्ध प्रावधान किया गया है।

ञ) सीआईएफ आधार पर आयात का मूल्य

(करोड़ रु. में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
(i) कच्चा माल	शून्य	शून्य
(ii) पूंजीगत सामान	16.03	3.86
(iii) भंडार, पूर्जे एवं कम्पोनेंट	0	0.32

ट) विदेशी करेंसी में खर्च :

(करोड़ रु. में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
यात्रा खर्च	0.04	0.32
प्रशिक्षण खर्च	शून्य	शून्य
परामर्श शुल्क	शून्य	शून्य
ब्याज	शून्य	शून्य
स्टोर्स एंड स्पेयर्स	शून्य	शून्य
पूँजीगत सामान	16.03	3.86
अन्य	शून्य	0.32

ठ) विदेशी करेंसी में अर्जन :

(करोड़ रु. में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
यात्रा खर्च	शून्य	शून्य
प्रशिक्षण खर्च	शून्य	शून्य
परामर्श शुल्क	शून्य	शून्य
अन्य	0.00	0.02

ड) स्टोर एवं स्पेयर (संदर्भ नोट संख्या-26) की कुल खपत (करोड़ रु. में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
	राशि	कुल खपत का प्रतिशत	राशि	कुल खपत का प्रतिशत
(i) आयातित सामग्री	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) स्वदेशी	21.99	100.00	23.37	100.00

ढ) राजस्व जानकारी अलग-अलग रूप में : (करोड़ रु. में)

	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वस्तु या सेवा का प्रकार		
- कोयला		
- अन्य	1488.60	1381.31
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व	**1488.60**	**1381.31**
ग्राहकों के प्रकार		
- पावर सेक्टर	6.45	12.19
- नॉन–पावर सेक्टर	1482.15	1369.12
- अन्य या सेवाए (CMPDIL)		
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व	**1488.60**	**1381.31**
अनुबंध के प्रकार		
- एफएसए		
- गई नीलामी		
- अन्य	1488.60	1381.31
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व	**1488.60**	**1381.31**
कुल राजस्व	**1488.60**	**1381.31**
सीआईएल समूह	**985.99**	**917.22**
बाहरी	**502.61**	**464.09**
वस्तु या सेवा का समय		
- समय के एक बिंदु पर स्थानांतरित वस्तुएं		
- समय के साथ स्थानांतरित वस्तुए		
- समय के एक बिंदु पर स्थानांतरित सेवाएँ	461.68	397.74
- समय के साथ स्थानांतरित सेवाएँ	1026.92	983.57
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व	**1488.60**	**1381.31**

ण) सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा लाभ

कंपनी सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पतिध्पत्नी को सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा सुविधा प्रदान करती है। यह सुविधा अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अलग–अलग सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा सुविधा योजनाद्वारा आच्छादित है। 31 मार्च, 2021 को सेवानिवृत्ति के बाद की कुल वित्त पोषित सुविधा 41.71 करोड़ रुपये है और पीआरएमबी–अधिकारियों की कुल देयता 91.31 करोड़ रुपये है।

त) पेंशन

कंपनी के पास अपने कर्मचारियों के लिए एक परिभाषित योगदान पेंशन योजना है, जिसे सीआईएल के कार्यकारी परिभाषित योगदान पेंशन योजना –2017 ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। 31.03.2021 को वित्त पोषण की स्थिति 117.58 करोड़ (105.85 करोड़) है और 31.03.2021 के लिए देयता 7.28 करोड़ (9.56 करोड़) है।

थ) लीज

दिनांक 30 मार्च, 2019 की कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की वीडियो अधिसूचना के द्वारा 01.04.2019 से आईएनडी एएस 17, लीज के स्थान पर भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एएस) 116 लीज, कंपनी के लिए प्रभावी हो गया है । पट्टों पर लेखा नीति को आईएनडी एएस 116 के अनुसार बदल दिया गया है। आईएनडी एएस 116 के रूप में मुख्य परिवर्तन, पट्टों के लेखांकन उपचार में पट्टों के परिवर्तन द्वारा वर्तमान में परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लीज समझौतों ने कंपनी के पट्टेदार होने की स्थिति में राइट–ऑफ–यूज एसेट की मान्यता और भविष्य के लीज भुगतान के लिए लीज लायबिलिटी को जन्म दिया है।

बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त लीज देयता की गणना के लिए 7.75: का उपयोग पट्टेदार की उधारी दर के रूप में किया गया है।

31.03.2021 के अनुसार परिचालन पट्टे के बारे में लीज देयता प्रतिबद्धता, पट्टेदार की वृद्धिशील उधार दर से ऊपर का उपयोग करके 1.94 करोड़ थी जबकि शेष पत्रक में मान्यता प्राप्त 31.03.2021 के रूप में पट्टे की देयता 1.34 करोड़ है।

द) अन्य

i) कंपनी COVID 19 के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए निरंतर उपाय कर रही है और व्यवसाय करने में आसानी के लिए कई उपाय लागू किए हैं। कंपनी ने 31 मार्च 2021 को वित्तीय और गैर–वित्तीय संपत्ति की वहन राशि की वसूली सहित वित्तीय विवरणों की तैयारी में महामारी के कारण उत्पन्न होने वाले संभावित प्रभावों पर विचार किया है। भविष्य की आर्थिक स्थितियों और उसके व्यवसाय पर परिणामी प्रभाव के कारण कंपनी किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगी।

ii) 24 मार्च, 2021 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने एक अधिसूचना के माध्यम से, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में संशोधन किया। संशोधन अनुसूची III के संशोधित डिवीजन I, II, और III को संशोधित करता है और अप्रैल 1,2021 से लागू होता है। कंपनी अपने वित्तीय विवरणों पर संशोधनों के प्रभावों का मूल्यांकन कर रही है।

iii) कंपनी ने आरआई–3 के मामले में अनुमानित देयता राशि पर 1.21 करोड़ रुपये और आरआई–4 के मामले में 1.21 करोड़ रुपये की कटौती नहीं की है।

iv) वित्त वर्ष 2020–21 में बुक की गई अनंतिम बिक्री 15.66 करोड़ रुपये है, इसमें से 9.94 करोड़ रुपये अब तक चालान न मिलने के कारण उलट गए थे। इसी तरह वित्त वर्ष 2019–20 में बुक की गई अनंतिम बिक्री (1.20) करोड़ रुपये थी, जिसमें से 0.62 करोड़ रुपये वित्त वर्ष 2020–21 में उलट दिए गए थे। इस प्रथा का लंबे समय से लगातार पालन किया जा रहा है।

v) पिछले वर्ष / अवधि के आंकड़े जहां आवश्यक समझे गए हैं, फिर से व्यक्त, एकत्रित और पुनर्व्यवस्थित किए गए हैं।

vi) नोट – 1 और नोट – 2 क्रमशः कॉर्पोरेट सूचना और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, नोट– 3 से 23 दिनांक 31 मार्च, 2021 के अनुसार तुलन पत्र के भाग का निर्माण करते हैं और नोट– 24 से 37 उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण के भाग का निर्माण करते हैं। नोट – 38 वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त नोटों का प्रतिनिधित्व करता है।

टिप्पणी 1 से 37 तक के लिए हस्ताक्षरित।

(ए. मुंधरा)	**(पी.के. प्रसाद)**	**(ए.के. राना)**	**(मनोज कुमार)**
कम्पनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
		डीआईएन 08531295	डीआईएन 08298541

उसी तारीख को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते लोधा पटेल वाधवा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 006271C

तिथि : 28 मई, 2021
स्थान : राँची

(सीए संजय कुमार वाधवा)
पार्टनर
सदस्यता संख्या : 074749
यूडीआईएन 21074749AAAABB4228

www.cmpdi.co.in

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड
(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी)
एक मिनीरत्न कम्पनी (कैटगरी - I)
आइएसओ 9001:2015 प्रमाणित
गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची - 834031

2659/July'21/Sumudran/0651-2204437